

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

4876

शास्त्रवार्त्ता-समुच्चय

की

उसकी व्याख्या

स्याद्वाद-कल्पलता

का

हिन्दी विवेचन

[खण्ड २-३]

मूलग्रन्थकार-

१४४४ वैद्यवर्मा-विद्वत्सुख

जैनाचार्य श्रीहरिभद्रसूरि महाराज

हिन्दी विवेचनकार

न्याय-वेद-शास्त्र-विद्वत्सुख

श्रीबदरोनाथशुक्ल

[वाइस चांसलर-संपूर्णानंदसंस्कृतविश्वविद्यालय]

वाराणसी

व्याख्याकार-

न्यायविशारद-न्याय-जैनशास्त्रज्ञ

महोपाध्याय श्रीपद्मविजय महाराज

हिन्दी विवेचन समितीका

जैनाचार्य न्यायदर्शनतत्त्वज्ञ-तपोवनमहोदय

श्रीमद् विजयभुवनभानुसूरिमहाराज

- प्रकाशक -

दिव्यदर्शन ट्रस्ट

कुमारपाल वि. शाह-मुलाखवाड़ी-मुंबई ४

* प्रकाशकीय निवेदन *

॥ जेनाचार्य श्री प्रेमसूरीश्वराय नमः ॥

पाठक वर्ग समक्ष हिन्दी विश्वविद्यालयका कृतस्याद्वाक्यलताटीका सहित श्री शास्त्रवाचसिष्ठस्य ग्रन्थरत्न का प्रथमस्तवक प्रस्तुत हो जाने के साथ चिरप्रतीक्षा के अनुसंधान में यह 'द्वितीय-तृतीय-स्तवक' का दूसरा खंड प्रकाशित करते हुये हम असीम आनंद की अनुभूति करते हैं।

हम आत्यंतिक श्रेणी के स्याददर्शनतत्त्वज्ञ जेनाचार्य श्रीमद् विजय भुवनभानुश्रीश्वरजी महाराज के जिन्होंने चिरकाल से प्रायः साहस की लीला के तहत यह गाँव इ. इ. संस्कृत सं. सं. सं. में ले आने का परम श्रेय प्राप्त किया है, अथवा जैन धर्म और भारतीय तर्कशास्त्र के अमूल्य रत्नविधानमूल्य ग्रन्थ के प्रकाश से सामान्यजन उत्तमिष्ठ हो रहे जाते।

स्यादवेवाग्रत आचार्य पंडितराज श्री नवरीनाथ शुक्ल महोदयने भी इस ग्रन्थरत्न अन्तर्गत उच्चकोटि के सुक्ति संघर्ष से आकुल होकर मूलग्रन्थकार और व्याख्याकार के सही तात्पर्य को उद्घाटित करने के लिये बहुविध अर्थ प्रवृत्तियों में से अवकाश लेकर हिन्दी विश्वविद्यालय के सज्जन में अधिक परिश्रम उठाया है वह भी बहुत ही सराहनीय है।

प्रथमस्तवक चौलुका औरियन्टालिया [बाराणसी] से दो वर्ष पूर्व प्रकाशित होने के साथ मुद्रणादि व्यवस्था संज्ञाओं कठिनाईयों की दूर करने के लिये दोस्तस्तवकों के प्रकाशन का कार्यभार हमारी संस्था को प्राप्त हुआ है जिसे हम हमारा परम लोभाग्र्य समझ कर निष्ठा से पूर्ण करने की उम्मीद रखते हैं—आशा है अग्र्य स्तवकों का भी यथा शीघ्र प्रकाशन का श्रेय परमात्मा को कृपा से हमें प्राप्त हो।

इस खंड के समग्र मुद्रणव्यय में प० पू० मुनिराज श्री हेमचन्द्रविजयजी म० की पुनीत प्रेरणा से जीवन अवजीमान मंदिर-मादुगा और ओचिन्तामणि पार्श्वनाथ मंदिर-उपाध्य-विलेपार्थ के जैन ध्येताम्बर मूर्तिपूजक तपागच्छ संघ के ज्ञान ग्रन्थ का श्री धन्यवादाह विनियोग हुआ है एतदर्थ हम उस के प्रति कृतज्ञ हैं।

ग्रन्थ का मुद्रण भिन्न भिन्न हाइप में मध्वेश्वरी पिडलाडा नगर स्थित ज्ञानोदय मुद्रणालय में हुआ है और मुद्रण की सर्वांग सुन्दर बनाने के लिये मुद्रणालय के व्यवस्थापक एवं कार्यकर्ता ने परस्पर मिलकर निष्ठा से परिश्रम किया है एतदर्थ वे भी अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं।

ग्रन्थ में कोई त्रुटि रहने न पाये इसलिये हिन्दी विश्वविद्यालय श्री पंडितजी और हिन्दी विश्वविद्यालय अभिजीवनकार पू. आचार्यदेवने पर्याप्त परिश्रम किया है और मुद्रण में कोई त्रुटि न रह जाय इसलिये पू. मुनिराज श्री जयसुन्दरविजयजी म० ने भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है फिर भी मुद्रणादि में छद्म-स्वतामूलक कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो तब उसका परिमार्जन कर लेने के लिये अध्येता वर्ग की हमारी प्रार्थना है।

मुमुक्षु और जिज्ञासु अधिकारी सज्जनगृह इस ग्रन्थरत्न का संस्करण अध्ययन कर के सुनिश्चित तर्कों के आधार से सुक्तिमानों की ओर प्रगति करे यही एक अन्तिम संगल कामना।

लि०

दिव्य दर्शन दृष्ट के दूररीक्षण का विनीत

कुमारपाल बि. छाह

* प्रस्तावना *

श्री शंभरपादर्वनाथाय नमः

समस्त विश्व को जलाशय की उपमा दी जाय तो यह निस्संशय कहा जा सकता है- जैन वर्णन बसकी सोना बुद्धिगत करने वाला कमल है जो अहर्निश हंस तुल्य सुमुमुक्षु बगों की निरंतर उपासना का विषय बना रहता है और योगिबुद्ध का मनोमयुक्त रात-दिन जहाँ लीन रहता है। कमल की पक्षुडियाँ जितनी मनोहर होती हैं, जैन दर्शन के सिद्धान्त उनसे भी बहुशुणित सत्य की सुरभि से सुवासित और स्वादाय की मनोहर आकृति से अंकित होने से किसी भी निमल बुद्धि अध्येता के लिये सदा सर्वदा चिन्ताकर्मक बनते रहे हैं।

[जैन और जैनेतर दर्शन]

जैसे एक ही लता पर सुमन भी खोल उठते हैं और पक्ष भी उसी प्रकार जिन सिद्धान्तों की भीष पर जैन दर्शन की इमारत चुनी हुई है उन्हीं सिद्धान्तों में से किसी एक या दो धार को पकड़ कर और अन्य का परिचारा कर कुछ अपनी ओर से भी ओढ़ कर जैनेतर दर्शनों की भी अपनी अपनी इमारत चुन ली गयी है और यही कारण है अन्य सभी दर्शनों के सिद्धान्तों में परस्पर संघर्ष होने पर भी जैन दर्शन के साथ उनका कुछ न कुछ अंश में साम्य बना रहता है। आंशिक साम्य होने पर भी वृत्तरे अनेक अंश में उनका अत्यधिक वैधर्म्य हो जाने के कारण ही जैन दर्शन और जैनेतर दर्शन के मध्य महवन्तर बन जाता है।

(ग्रन्थ रचना का उद्देश)

आचार्य श्रीसद् हरिभद्रपुरि महाराज ने शास्त्रवार्ता समुत्पन्न ग्रन्थ के रूप में एक ऐसे सेतुबन्ध की रचना की है जिसके माध्यम से जैनेतर दर्शनों के विद्वान् अपने दर्शन का अभिज्ञ होने पर आसानी से जैनदर्शन की सिद्धान्त भूमि पर आकर यहाँ बहती हुई सत्य की सरिता के जल में अवगाहन कर सकें। ऐसी पवित्र भावना से रचे गये इस ग्रन्थ में आचार्यश्री ने जैनेतर दर्शनों के सिद्धान्तों का प्रामाणिक निरूपण के साथ जैनदर्शन के मौलिक सिद्धान्तों का प्रामाणिक परिचय दे कर जिस ढंग से जैनेतर दर्शनों के सिद्धान्तों का जैनदर्शन के साथ सम्बन्ध सम्भविष्ठ है यह प्राञ्जल और हृदयंगम ढंगी से दर्शाया है जो सत्यज्ञानालुओं के लिये अवश्यमेव उत्सव तुल्य है।

यद्यपि इस ग्रन्थ का उद्देश्य मुख्य रूप से जैनेतर दर्शनों का खंडन और जैनदर्शन का मण्डन ही रहा है किन्तु अन्य दर्शनों के खण्डन करते समय आचार्य श्री ने तर्क और युक्तियाँ का जिस ढंग से प्रतिपादन किया है उससे यह सहज पता चल सकता है कि यह खंडन-मंडन की प्रवृत्ति स्वदर्शनराय और पर दर्शन द्वेष मूलक नहीं है किन्तु शुद्ध तर्क अन्वेषण मूलक है।

इस ग्रन्थ के प्रथम स्तंभक में प्रारम्भ में मोक्षार्थी के लिये उपयोगी सूचिका बतायी गयी है और बाद में अन्य अन्य दर्शनों के शास्त्र-सिद्धान्तों की समीक्षा और आलोचना का उपक्रम किया गया है। उसमें सबसे पहले मोक्ष और मोक्षोपयोगी साधना का ही विरोधी चार्वाक-वास्तिक सिद्धान्तों का सविस्तर प्रतिपादन किया गया है।

[द्वितीय स्तवकान्तर्गत विषयवृत्त]

प्रस्तुत ग्रन्थमें द्वितीय और तृतीय स्तवक का समावेश किया है-जिसमें द्वितीय स्तवक के प्रारम्भ में 'हिंसा-जुद्ध आदि असहप्रवृत्तियों से पापग्रस्त और अहिंसावि के पारुष्य से शुभ पुण्य कर्म के उपार्जन' सिद्धांश की प्रतिष्ठा की गयी है। व्याख्याकार महर्षि ने यहाँ शब्दप्रमाण का अनुमान में ही अस्तर्भाव कर देने वाले वैशेषिकादि के मत की आलोचना करके स्वयम् शब्दप्रामाण्य का व्यवस्थापन किया है। पुण्य पाप के कारणों की व्यवस्था करने पर जो शक्य उठायी गयी है कि अशुभ अनुष्ठान से भी सुखप्राप्ति कभी होती है तो वह कैसे? इसका मार्मिक उत्तर कारिका २३ में दिया गया है। जिस आगम से पुण्य-पाप के नियम की सिद्धि हो रही है वह भी तो प्रतिपक्ष आगम से दाखिल होने से वह नियम कैसे सिद्ध होगा? इस प्रश्न में उत्तर में प्रतिपक्षी आगमों की कुर्वलता इस आधार पर बतायी गयी है कि वे दृष्ट और इष्ट उभय से विरुद्ध होने के जरिये आप्त विरचित नहीं हैं। वे केते दृष्ट और इष्ट से विरुद्ध हैं वह भी तीसरी कारिका से सीखाया है। यहाँ मध्यम्य भाव के साधन पर विचार किया गया है और प्रश्न से श्री व्याख्याकार ने मध्यम्यभाव उत्पन्नक पातञ्जल प्रक्रिया का वर्णन किया है। धागे धूलकर संसारमोचक मत का भी यहाँ प्रतिकार किया गया है। मुक्ति साधक कर्मक्षय के सम्भवित चार प्रकार का विमर्श किया गया है। अन्त में यह स्थापित किया है मुक्ति-साधक कर्मक्षय ज्ञानयोग का फल है और अहिंसादि को उत्कर्ष देता वह ज्ञानयोग सिद्ध नहीं होता। इससे वह भी फलित हो जाता है-वेदशास्त्रों में लिहित होने पर भी वह हिंसा तत्त्वतः पापजनक ही है।

यहाँ यज्ञीय हिंसा के बचाव में सौम्यता कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र और नेदाधिकों के अभिप्राय की व्याख्याकार ने सख्त आलोचना की है और महाभारत अनुस्मृति-योगवशिष्ट आदि ग्रन्थों का भी हिंसायुक्त यज्ञ-यानों के प्रति विरोध उद्धृष्ट किया गया है। यज्ञीय हिंसा के विरोध उपरान्त व्याख्याकार ने जैन धर्म अनुसार 'हिंसा का त्याग' प्रस्तुत कर अन्त में वेदशास्त्र के अप्रामाण्य का प्रमाणसिद्ध उद्घोष कर दिया है।

तदनन्तर इस स्तवक में शुभाशुभ सर्व कर्म के कर्त्ता के रूपमें आत्मा को बोला कर वह क्यों अपने ही अहित में भी प्रवृत्त होता है इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि कर्म जनित मूलता हि अहितकर कृत्यों में आत्मा की प्रवृत्त करती है। यहाँ कर्मभाव को प्राधान्य मिल जाता है तब उसके सामने कालबादी अगमो दृष्टि से कालिक कारणता की घोषणा करता है स्वभावबादी स्वभाव की कारणता को प्रस्तुत करता है, नियतिवादी नियति को ही सर्वसाधकमयित्री के रूपमें उपरिष्ठत करता है। इन धारों के सामने कर्मवादी कर्म कारणता को सुरक्षित रखना चाहता है। सिद्धांशों इन सभी एकान्तवादों में अलग अलग धूषण आरोपित करके अन्त में यह स्थापित करता है कि कार्यमात्र में कालादि में से कोई एक ही कारण नहीं है और उनको स्वतन्त्र कारणता भी नहीं है किन्तु उनका समवाय (समुदाय) ही भावमात्र का कारण है-द्वितीय स्तवक यहाँ पूर्ण होता है।

[तृतीय स्तम्भकान्तर्गत विषयसूचक]

तृतीय स्तम्भक में १ से १७ कारिका तक ईश्वरकृतत्ववाद की समालोचना की गयी है। इस में पूर्व भाग में साक्ष्यमत-वातञ्जलमत और ग्याय-वैशेषिक वादियों की ओर से विस्तृत पूर्वपक्ष में विशेषतः उदयनाचार्य की कुसुमाञ्जलि कारिका का निरूपण करने के बाद उत्तर भाग में उन सभी का सविस्तर प्रतिकार किया गया है। विशेषतः यहाँ व्याख्या में पक्ष-प्रतिपक्ष रूपमें मध्यम्याय की शैली को धारण सोया प्राप्त हुई है। जैन दर्शन में कर्तृत्ववाद औपचारिक या वास्तविक रीति से किस प्रकार संगत हो सकता है यह भी अन्त में विख्यात किया है। विषयानुक्रमिका में विस्तार से सम्प्रगत सभी विषयों का निर्देश किये जाने से यहाँ विस्तार नहीं किया है।

कारिका १८ से साक्ष्यदर्शन के सिद्धांतों के पूर्वपक्षरूप में निदर्शन किया है। २१ वीं कारिका से साक्ष्यमत के प्रतिकार का आरम्भ है और उसमें प्रतिविम्बवाद पर गहन खर्चा यहाँ प्राप्त होती है। ४६ वीं कारिका में साक्ष्यमत में जिस रीति से जितना संगमनिरूपण है उसके प्रति प्रंगुलीनिर्देश किया गया है। अन्त में मूल और श्रमण का परस्पर सावास्यावि संबंध की संगति पर विचार किया गया है। प्रकृतिवाद की सत्यता के हेतु वैष्णव साक्ष्यमत का उपसंहार किया है।

मूलग्रन्थकार और व्याख्याकार दोनों महर्षि का परिचय प्रथमस्तम्भक में दिया हुआ है, तदतिरिक्त उनके बनाये ग्रन्थों का भी वहाँ परिचय दिया हुआ है इसलिये यहाँ अधिक विस्तार न कर प्राप्त में यही शुभेच्छा व्यक्त करना उचित है—जिससे अधिकारी मुमुक्षु वर्ग इस ग्रन्थ का अध्ययन कर सुवित्त संसार को क्षीय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त करें।

मुनि जयसुन्दरविजय
श्रीवाहनगर, मुंबई-६



द्वितीय-तृतीयस्तवक-विषयानुक्रम

स्तवक-२

पृष्ठांक

विषय

- १ दयाख्याकारमंगल
- २ पुण्य-पाप के नियम में आर्माका
- ३ पुण्य-पाप का नियामक आगमप्रासाध
- ४ संवाद से परोक्षवस्तु में भी आगम का प्रासाध
- ५ आगमैक्यादि से प्रासाध का समर्थन
- ६ आगमैक्य का निश्चायकपापक्ष
- ७ परीक्षा-अपरीक्षा उभय के अयोग से संसर्ग
- ८ शाब्द प्रमाण स्वतन्त्र नहीं है-पूर्वपक्ष
अनुमान से शाब्द प्रमाण व्यर्थ नहीं है-उत्तरपक्ष
- ९ योग्यता-आसक्ति घटित हेतु की अशक्ति
- १० तार्थ्यरूप आसक्ति का हेतु में प्रवेश व्यर्थ
- ११ अनुमान से स्वतन्त्र नियत बोध की अनुपपत्ति
- १२ अनुमितपक्ष में शाब्दबोधानुपपत्ति की आपत्ति
- १३ 'घटात् प्रथक्' अनुमिति की दुर्बलता
- १४ 'शाब्दगत म' अनुव्यवसाय से स्वतन्त्र शाब्द प्रमाण की निवृत्ति
- १५ लक्ष्यपक्ष में गौरव तुल्य
- १६ 'हिसादि से पाप और बहिर्सादि से पुण्य'-नियम की सिद्धि
- १७ बन्ध-मोक्ष का कारण अविश्वमात्र
- १८ स्वभाव और आगम अविम शरण्य
- १९ समतिपक्ष स्वभाव-आगम शरण्य कैसे ?
- २० प्रमाणवाचित स्वभाव कल्पना के अवरोध
- २१ अग्नि हीत है-पूर्वपक्ष
अग्निहीतत्व में हिम का दृष्टान्त
- २२ अग्निहीतत्व पक्ष में अतिप्रसंग-उत्तरपक्ष
- २३ स्वभाव के अन्योन्य संक्रम आपत्ति
- २४ सर्वकार्य साधारण कारणता आपत्ति का निवारण
- २५ कारणता कार्यसापेक्ष होती है
- २६ 'सुप्रकर्मे से ही सुख' इसमें क्या प्रमाण ?

पृष्ठांक

विषय

- २७ १५ से सुख होने पर सुखीजनवहुलता की आपत्ति
- २८ लोक में दुःखवहुलता होने से पुण्य से सुख की सिद्धि
- २९ आगम ही शुभ में सुखकारणबोधक
सतीन्द्रिय पदार्थ बोध आगमविना दुःखक
- ३० दुःखवहुल दृष्टा के वाक्य से प्रसंग साधन की सफलता
- ३१ दुःखवहुलदृष्टा के वाक्य का आगम प्रमाण में अन्तर्भाव
- ३२ अहमातुष्ठान से सुखप्राप्ति वस्तुतः जन्मान्तरीय कर्म का फल
- ३३ ब्रह्महत्या गमादिलाभ का कारण नहीं है
- ३४ जैतुर आत्म अप्रामाणिक क्यों है ?
- ३५ " " " दृष्टदृष्टिकरु है
- ३६ अगम्यागमन से धर्मोत्पत्ति में प्रत्यक्षबाध
मण्डलतन्त्रोप आगम निर्बल क्यों है ?
- ३७ हेतु के असम्भव से मुक्ति का बाध
- ३८ अगम्यागमतादि से मध्यस्थ माय प्राप्ति द्वारा मोक्ष-पूर्वपक्ष
- ३९ अगम्यागमतादि से माध्यस्थ्य की अनुपपत्ति-उत्तरपक्ष
- ४० पातञ्जलमत से माध्यस्थ्यप्राप्तिक्रम
- ४१ सामना का स्वरूप और भेद
- ४२ माध्यस्थ्य उदय के पूर्व गम्यागम्य में तुल्य-माय साधु है ?
प्रवृत्ति से इच्छा अभंग रहने से अप्रवृत्ति-माध्यस्थ्य का अनुभव
- ४३ लोक-शास्त्र कथित अगम्यादि में महात्मा का औवासीत्य
- ४४ यमोच्छ प्रवृत्ति में विषयपराङ्मुखता का असम्भव
- ४५ संसारमोक्षक्रम के दूषण
उपकारबुद्धि प्रयुक्त हिंसा का मनोविशेष

पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	विषय
३३	युक्ति का प्रभाव एकमात्र कर्मक्षय	६१	मरणोच्छ्वासन्येच्छाऽविद्यारव की अनुपपत्ति
४०	कर्मक्षय के सम्भावित चार हेतु	६२	मरणफलकत्वबोधकविधिबोधितकर्तव्यताका- न्यस्वरूप अदृष्टाऽद्वारकत्व से भी अनिवार्य जैन दर्शन का हिंसाछक्षण
४१	अहिंसादि उत्कर्ष से साध्य	६३	प्रमादयोग अनित्य प्राणविद्योग हिंसा है
४२	संज्ञा-ज्ञानार्थे । नयेत्य	६४	अपमत्त वशात् ज्ञात हिंसा में अनिवार्यता का निवारण
४३	'न हिंसातु सर्वभूतानि' वेदवाक्यार्थ	६५	अनपन्न आदि में अतिव्याप्तिनिवारण
४४	असाधनितवर्तकषाह के समान सर्वोपपत्ता	६६	वेद के सम्भाव्य का हेतु
४५	फलाभ्युत्पत्ति के साथ औत्सर्गिककाण्डप्राप्ति	६७	आजोवद आदि कुसाम्प्र दृष्टेष्टविषय है
४६	अविहित हिंसा सर्वोप हेतु-पूर्वपक्षार्थका वेद- विहित हिंसा आपवादिक नहीं है-उत्तरपक्ष	६८	अस्मा ही सभी कर्म का कर्ता है
४७	उद्योतिष्ठोम आदि यज्ञ सर्वोप हेतु-मांस्य	६९	कर्मजनितमूढता से अहित में प्रवृत्ति
४८	अहमाभारत-मनुस्मृति और व्यास का मत यज्ञीय हिंसा के बन्धन में भीमांसक अदृष्ट	७०	काकादि की हेतुता का प्रासङ्गिक विवेचन
४९	विशेष विधान से सामान्यविधि की बाध शंका " अस्मिष्टांश्च और श्येनयाग में भेद की आशंका	७१	कालवादी का युक्तिसंबन्ध
५०	यज्ञीय हिंसा विषय में प्रमादकर मत	७२	सृष्टि-स्थिति-व्यय कालजनित है
५१	अदृष्ट और प्रमादकर मत में ऐक्य और अन्तर	७३	" काल विना मृगदाल परिणाम की अशक्यता
५२	विविधविषय में भी निषेध साधकाश-उत्तरपक्ष	७४	काल अन्यथासिद्धि का विरोध
५३	श्येनयाग के विषय में प्रमादकरमत का खंडन	७५	अणुरूप अतिरिक्तकाल वाप्री का नव्यमत
५४	यज्ञीयहिंसा के प्रचार में नैयायिक मत " नैयायिक मत का खंडन	७६	स्वमाधवादी का युक्तिसंबन्ध
५५	शुण्डिधि और अधिकार विधि का प्रसंग	७७	स्वमाधभिन्नपदार्थकारणता का अपेक्ष
५६	सामान्यविधि यथारूप में अक्षुण्ण	७८	विना स्वभाव ककट्टकादि के पाक की अशक्यता
५७	सामान्य विधिसंकोच में अन्य युक्ति का खंडन	७९	सामग्रीवाद प्रयुक्त आपत्ति का समाधान
५८	सामान्यविधि संकोच के लक्ष्य-शक्यार्थ त्याग के अनावश्यकता की आशंका का खंडन	८०	समान वपादान से भी भिन्न भिन्न कार्यों की उपपत्ति
५९	फल के प्रति अभिनिश्चय-श्येनयाग का साम्य	८१	वीजत्व की अपेक्षा अंकुरानुसूत परिणति- स्वभाव से कार्योत्पाद में औचित्य
६०	अदृष्टऽद्वारक का जोहोत्यक व्यापार ही हिंसा है-पूर्वपक्ष	८२	सहकारी वक्र की व्यवस्था कल्पना
६१	अदृष्टाद्वारक विशेषणानुपपत्ति-उत्तरपक्ष स्वजनकमरणकृष्णविशेष्यत्व सम्बन्ध की अनुपपत्ति	८३	कार्य से कारणानुमान भंगोपपत्ति प्रतिकार
६२	अदृष्टाभयसंयुक्तसंयोगरूप परम्परा संबंध की अनुपपत्ति	८४	नियतिवाद का युक्तिसंबन्ध
६३	मरणजनकादृष्टाजनकत्व के निवेद से असम्भव	८५	जिसकी जड़-विषयसे-जिसरूप में उत्पत्ति नियति से
		८६	पचनस्यमात्र होने पर भी पाक की अशक्यता
		८७	कार्य अपेक्षसाध का सम्बन्ध निश्चय
		८८	नियति विना कार्य में अस्मात्सकलापत्ति

पृष्ठांक	विषय
६२	तत्त्वबुद्ध्यन्वितरूप कार्यसिद्धि के लिये की क्रिया अनाद्यद्वयक
॥	कर्मवाद का युक्तिसंबन्ध
॥	मोक्ष मोक्षता और कृत का भोग
८३	कर्मविरह में भूंग पाक अशक्य
८४	कर्मविविधता से मोक्षविविधता
८५	नियतिहेतुतापक्ष में कार्यसमानतापक्ष
८६	नियतिवैधिव्यव नियति से अनुपपन्न
८७	नियति से सिद्ध की भेदकमानने में आपत्ति
॥	विशिष्टरूप से कार्य-कारणभाव की असंमति
८८	कार्य कारणतावच्छेदक नहीं हो सकता
८९	नियतिसाक्ष को मानने पर शास्त्रव्यर्थता
९०	स्वभाववाद में वैचिक्य की अनुपपत्ति
९१	एककाय में समस्त विश्व की उत्पत्ति का अनिष्ट
९२	काय का आधार लेने पर स्वभाववाद का स्थान
९३	कुर्वद्वयत्व का खंडन
९४	स्वभाववाद का निरसन
९५	विता हेतु मायोत्पत्ति मानने में स्वजन-व्याघात
९६	कालबाध का निरसन, एक साथ सर्वकार्यो-रपाय का समिष्ट
९७	तन्तु में घटोत्पत्ति का वृथण
९८	एकान्त कर्मवाद का निराकरण
९९	कर्मव्यव का हेतु ज्ञानयोग
१००	अदृष्ट की दृष्टकारणसापेक्षता
१०१	नियति और स्वभाव की हेतुता में सवांतर
१०२	परिशिष्ट १-द्वितीयस्तकमूलगभा-भकारा-तुक्रम
१०३	परिशिष्ट २-टीका में उद्धृत वाक्यांश
॥	शुद्धिकरण

द्वितीयस्तक समाप्त

पृष्ठांक	विषय
१	व्याख्याकार मंगलाचारण
२	निरुक्तक ईश्वर को प्रणम
३	ईश्वर जगत्कर्तृत्ववाद प्रारम्भ
४	पातञ्जल मतानुसार ईश्वर का स्वरूप
५	प्रकृतिक आदि तीन वर्ग प्रकार
६	कलेश-कर्म और विपाक का स्वरूप
७	कलेश की जन्मभूमि अधिष्ठा
८	ईश्वर का सहजसिद्ध चतुष्टय
९	अणिमा आदि साठ प्रकार का पश्ये
१०	पानञ्जलमत में ईश्वर जगत्कर्तृत्व
११	जगत्कर्तृत्व में नैयायिकों का अभिगम
१२	कार्यहेतुता अनुमान
१३	कार्यत्व प्रागभावप्रतियोगि संस्वरूप है
१४	सकृत् करव कर्तृसाक्षित्व या कर्तृजन्यत्व ?
१५	क्षीरजन्यत्व उपाधि की शंका का समाधान
१६	स्वोपादानगोचरस्वजनकादृष्टाजनकप्रत्य-आदि जन्यत्वरूप सकृत् करव
१७	'उपादानगोचर' पक्ष की सार्थकता
१८	स्वजनकादृष्टाजनक पक्ष की सार्थकता
१९	समवेतत्व और जन्यत्व का वचितनिवेश
२०	कृति में स्वोपादानगोचरत्व का निवेश
२१	वृक्षयन्त्रक कार्यवत्ता हेतुक अनुमान
२२	मीकित या वृक्षकृत्तानादि की साध्यता पर आक्षेप
२३	क्षित्यादिपक्षक अनुमान
२४	आयोजन-वृक्षणुकजनकक्रियाहेतुक अनुमान
२५	अदृष्ट से परमाणुक्रिया की उत्पत्ति की शंका
२६	चेष्टास्व उपाधि की आशंका
२७	ब्रह्माण्डधृतिपतनाभावपक्षक अनुमान
२८	इन्द्रादि देवताओं से सिद्धसाधनता की आशंका
२९	ब्रह्माण्डप्रलय से ईश्वरसिद्धि अनुमान
३०	व्यवहार प्रवर्तकरूप में ईश्वरसिद्धि
३१	कुलाक्षाधि से ही अग्न्यादिषु की शंका

- पृष्ठांक विषय
- ५४ वेदके प्रसारमकालान से वक्ता ईश्वर की सिद्धि, वेद किसी असंसारिपुरुषजन्य है
- ५५ धार्यपक्षक अनुमान
- ५६ दृष्टान्तक परिमाणोत्पादक संख्याजनक अवेक्षा-
बुद्धि में ईश्वर सिद्धि
- ५७ दृष्टान्तक परिमाण के संख्याजन्यत्व पर शंका
- ५८ 'कार्योयोजना' कारिका की अन्यथा योजना वेद की व्यर्थत्वव्याख्या ईश्वर प्रयुक्त है।
- ५९ वेदविषयक विशिष्टज्ञानरूप धृति से अनुमान
- ६० सामानुष्ठान से अनुमान
- ६१ अ-अर्थम-ईश्वर आदि पक्ष से अनुमान
- ६२ 'यजेत' इत्यादि में विधिव्यर्थ प्रत्यय से
- ६३ विध्वंस इष्टसाधनता या आप्तमिमांसा
- ६४ इष्टसाधनतापक्ष में समस्या
- ६५ तरति सृत्युं से विधिव्यर्थ का अनुमान
- ६६ सिद्धप्रत्यय के निमित्त अर्थ
- ६७ निरोध की अनुपपत्ति
- ६८ वेदान्तईश्वर निरूपण से ईश्वरसिद्धि
- ६९ प्रशंसापरक और निंदापरक वेदवाक्यों से ईश्वर सिद्धि
- ७० वक्तव्यपुरुषीय अख्यातप्रत्यय से ईश्वरसिद्धि
- ७१ ईश्वर जगत्कर्तृत्वप्रतिकार-वत्तरपक्ष
- ७२ वीतराग ईश्वर कर्ता नहीं हो सकता
- ७३ नरकादिकलककृत्य में ईश्वर प्रेरणा का अनौचित्य
- ७४ बुद्धिकर्तृत्वपक्ष में ईश्वरकर्तृत्व निरर्थक
- ७५ कर्म की ईश्वराधीनता का प्रतिकार
- ७६ वीतराग ईश्वर को विश्वरचना क्या प्रयोजन ?
- ७७ निष्प्रयोजन वेदता से वीतरागता की हानि
- ७८ सांख्यमत में ज्ञानादि का आशय ईश्वर
- ७९ कार्यसामान्य प्रति उपादानप्रत्यक्षकारकता की आलोचना
- ८० कृति और कार्य का भी सामान्यतः कार्य-कारणभाव नहीं है

- पृष्ठांक विषय
- ४२ व्यापकरूप से कारणता सिद्धि का पूर्वपक्ष
- ४३ " " " उत्तरपक्ष
- ४४ सामान्यकार्यकारणभाव कल्पना में गौरव
- ४५ अन्यत्व या अवच्छिन्नत्व का व्यर्थ निवेश
- ४६ साधारणभाव विशेषाभावकृत से अन्यत्व
- ४७ जगत्पद में ईश्वरकर्तृत्व-दीक्षितिकार
- ४८ जगत्पद यानी पूर्णतापर्यायनिवृत्ति-जैतमल
- ४९ पाकक्रिया से अन्यपद उत्पत्तिप्रक्रिया की आलोचना
- ५० विशेषिकमतानुमारी पाकक्रिया की आलोचना
- ५१ ईश्वर में लौकिक प्रत्यक्षज्ञान का अभाव
- ५२ सर्वदृष्टा या सर्वज्ञाता रूप में भी ईश्वरसिद्धि की अशक्यता
- ५३ दृष्टान्तकाविप्रत्यय निराशय भी हो सकता है
- ५४ ईश्वर में ज्ञानज्ञान की आपत्ति
- ५५ पञ्चादि देशों में ईश्वर में वेद नहीं है
- ५६ प्रवृत्ति से ईश्वर में देश का अतिप्रसंग
- ५७ कंटकादि विनाश और ब्रूष का सम्बन्ध
- ५८ ईश्वर की इच्छा से देश-काल नियम की उपपत्ति करने का प्रयास
- ५९ पामलोगों के अभिप्राय का संक्रमण
- ६० ईश्वरीयत्व की कारणतावच्छेदकता में गौरव
- ६१ कारणता ईश्वरानुमति अधीन नहीं है
- ६२ अवस्थ केवली के ज्ञान से नियमन संभव
- ६३ ईश्वर साधक शैवालानुमानों की दुर्बलता
- ६४ क्षित्यादि पक्षक पक्षम अनुमान में बाध दोष
- ६५ ईश्वर के जित्य वादी में इष्टापत्ति अशक्य
- ६६ अष्ट से ही आद्यपरमाणुक्रिया की उपपत्ति
- ६७ अष्ट के विलम्ब से कार्यविलम्ब शक्य है
- ६८ 'परमाणुक्रिया' अनुमान में चेष्टात्वं उपाधि
- ६९ वृत्तिहेतुक अनुमान में अनेकान्तिकत्व
- ७० प्रतिबन्धकाभावतरसासमीकाधीनत्व का व्यर्थ निवेश
- ७१ निरात्मक पृथ्वी का आधार धर्म ही है
- ७२ ईश्वरकर्तृत्वमत में कारणताभावप्रसंग

पृष्ठांक	विषय
६५	प्रलय के अन्त्योत्तर से ईश्वर अस्ति
११	अहोरात्र में अहोरात्रपूर्वकत्व की स्थापि
६४	अन्यवर्तितसंसारपूर्वकत्व की व्याप्ति
११	शंका में तर्क विरह
६६	एकमात्र समस्त कर्म का वृत्तिनिरोध अशक्य
६७	सर्गादि की अस्ति से आनाद्यवस्थानविकथन की व्यर्थता
११	सर्ग के प्रारम्भ में व्यवहार की अस्ति
६८	सांख्यजालिक मुख्य ईश्वरशिक्षा-पूर्वपक्ष
६६	ईश्वर के शरीरग्रहण का असम्भव-प्रत्तरपक्ष
७०	ईश्वर आवेश से शरीरप्रवृत्ति-पूर्वपक्ष
७०	आवेश पदार्थ समीक्षा-प्रत्तरपक्ष
११	ईश्वरावेश और भूतावेश समान नहीं है
७१	आत्मा के संकोच-विकास से भूतावेश
७२	वैवायिकमान्य कार्यकारणभाव में तौर
११	चेतनशरीर-चेतनप्रयत्न कार्य-कारणभाव अशक्य
११	अवयव में क्रियाजनक प्रयत्न इच्छानियत है
७२	योगिजन के कार्यरूप की उपपत्ति
११	आवेश से प्रवृत्ति, वैवायिकरचना व्यर्थ
७५	लोकप्रवृत्तिसम्पादनार्थ वैवायिकरचना निरर्थक
११	ब्रह्मादिवैवैताशरीर में चेष्टा पर प्रभ
७५	ब्रह्माविशरीरचेष्टा की उपपत्ति का अर्थ प्रथम
११	ईश्वरप्रवृत्ति में हस्तविरोध की आपत्ति
७६	वदयनार्थ के कथन की असारता
११	संकेतमाहकता आदि सब सांख्यजाल है
७७	युग की आवृत्ति सं व्यवहार प्रत्येक तीर्थकर
११	प्रत्ययादि प्रमाणों का व्यर्थ अपन्यास
७८	अन्यप्रसा के प्रति प्रमा की वैधायता का खंडन
७६	अपेक्षाशुद्धि से द्वित्वाविच्यवहार की उपपत्ति
८०	ईश्वरकर्तृत्व का कर्णधित्व समर्थन
८१	आज्ञा पाञ्चन द्वारा ईश्वरकर्तृत्व
८२	चिन्तामणि जैसे ईश्वरकर्तृत्व से इष्टादि
८३	आज्ञाविशेषन द्वारा अशक्यत्व
११	ईश्वर शक्ति में वृद्धि के लिये कर्तृत्वोपदेश
८४	आज्ञा ही परमात्मा होने से साक्षान्त कर्तृत्व

पृष्ठांक	विषय
८५	निःस्पृह शास्त्रकार बहुकृतवाची नहीं होते
११	युक्ति और भाग्य दोनों से शास्त्रकार के अस्तिभाव का अन्वेषण
८६	धर्मोत्तम के शोध का उपाय अर्कानुसंधान - अनुवचन
८७	ईश्वर कर्तृत्वभाव का परमंसार
८८	सांख्यमतवाची प्रारम्भ
८७	सांख्यमतवाची के सिद्धान्त
७७	पुरुष और प्रकृति तत्त्व के प्रमाण
८८	सकार्यवाद में हेतुपक्ष
९०	उपादान और कार्य के सम्बन्ध की अनुपपत्ति
९१	सकार्यवाद में निश्चित शक्ति का सम्भव
९२	महत् तत्त्व से चैतन्याच्छेद और इवासादि का निश्चय
११	बुद्धिगत ज्ञानादि धर्मों का निरूपण
९२	पुरुष और बुद्धि का तात्त्विकभेद
११	पुरुष-विषयव्यपार का बुद्धि सम्बन्ध
९२	बुद्धि से सहकार की उपपत्ति
११	'मैं वाच हूँ' यह स्वात्मिक प्रतीति की अहंकार से उपपत्ति
११	अहंकार से सांख्य तत्त्वों की उत्पत्ति
९६	अस्तिन्द्रिय कर्मेन्द्रिय-समयेन्द्रिय आवृत्ति का विवरण
११	प्रकृति आवृत्ति तत्त्व के चार वर्ग
९७	प्रधान-महत्-अहंकार-इन्द्रिय-तन्मात्र-पञ्चभूत का क्रम
११	सांख्यमत में आत्मा कर्मेन्द्रिय है
९८	युक्ति से सांख्यमत की आलोचना
९६	प्रकृति-एकात्मनित्यता का खंडन
९००	प्रकृति की निरमता के द्वाय की शंका
९०१	जननाजननोभयस्यभाव में अन्योन्याश्रय
९०२	प्रकृति को महत् का उपादान मानने में अनित्यत्व की आपत्ति
९०३	छटादि कार्य पृथ्वी आदि के परिमाण मात्र से अन्य नहीं

पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	विषय
१०४	आत्मा क्षीर-जीर न्याय से देहाधिक	१२०	सांख्यसिद्धान्त में भी पुरुष का ही मोक्ष मान्य है
"	बुद्धि में पुरुष प्रतिबिम्ब से मोतोपमा	१२१	सांख्यमत में तथ्यांश स्वप्न
१०५	पुरुष बुद्धि के प्रतिबिम्ब से विकृति का प्रसंग	१२१	सत्कार्यवादीधरात्री अनुपपन्न
१०६	आत्मसंनिधान से अश्रुः करण में औपाधिक ज्ञेयत्व	१२२	सत्कार्यवाद में पूर्वोपलब्धि का प्रसंग
१०७	बुद्धि में पुरुषोपराग ही आत्मा का भोग	१२३	प्रकृतिस्थानीय कर्म से बन्ध और मोक्ष
"	अमूर्त आत्मा का प्रतिबिम्ब असंगत	१२४	मूर्त्ति और अमूर्त्ति के अन्योन्य परिवर्तन की शंका
१०८	छायावद् भावपर मूर्त्त द्रव्य का प्रतिबिम्ब	१२४	मूर्त्ति-अमूर्त्ति परिवर्तन की उपपत्ति
"	उपपत्ति से प्रतिबिम्ब भिन्न है	१२५	सांख्यमत में देहात्म अन्विभाग की अनुपपत्ति
१०९	स्वतन्त्र प्रतिबिम्ब द्रव्य की उपपत्ति	१२६	अन्योन्यानुगत में विभाग की अयुक्तता
११०	अमूर्त्त द्रव्य के प्रतिबिम्ब की आशंका	१२७	विषयों के बाह्यान्तरविभाग अनुपपत्ति की शंका
१११	असत् पुरुषोपराग की उपपत्ति में सत्कार्यवाद का विषय	१२८	संस्ततिग्रन्थ की चार कारिका और उसका अर्थ
११२	अपरिपक्वी आत्मा प्रतिबिम्बोत्पत्त्यभावात् नहीं हो सकती	१२९	मूर्त्ति और अमूर्त्ति के सम्बन्ध की उपपत्ति
११३	देह-आत्म भेद पक्ष में प्रकाशत्वा की अनुपपत्ति	१३०	आत्म-विभुत्व की शंका का परिहार
११४	प्रकाशत्वा आत्म-भनःसंयोगनाशक्यापार रूप नहीं है	१३१	आत्म-विभुत्ववाद में सीधाटनादिक्रिया का रंग
११५	छिन्न अवयव में पृथक् आत्मप्रसंग का निवारण	१३२	प्रकृतिकाव की मापेय सत्यता का अनुमान
११६	बन्ध बिना बद्ध-मुक्त भेद की अनुपपत्ति	१३३	तृतीयस्तवक का उपसंहार
११७	प्रकृति के अर्थ और मोक्ष की शंका	१३४	" " श्लोक का अकाराधिकम
११८	निश्च एकरूपरूप प्रकृति में बन्ध-मोक्ष असंभव	१३५	" " टीका में उद्धृत साक्षिपाठ
११९	जीव का ही प्रकृतिवियोगात्मक मोक्ष है ।	१३६	" " शुद्धिपत्रक



॥ अर्द्ध ॥

हिंसीविवेचनविशदीकृत
स्याद्वादकल्पलताटीकाविभूषित

शास्त्रवार्त्तासमुच्चय

द्वितीयः स्तवकः

(टी०) — अग्रतीपाय द्वीपाय सतामान्तरचतुषे । नमः स्याद्वादिनश्राय स्वतन्त्राय शिवस्वते ॥२॥

वार्तान्तरमाह—

मूलम्—हिंसादिभ्योऽशुभं कर्म तदन्येभ्यश्च तच्छुभम् ।

जायते नियमो मानात् कुनोऽयमिति चापरे ॥ १ ॥

हिंसादिभ्यः—अभिरत्यादिहेतुभ्यः, अशुभं=पापं कर्म भवति । तदन्येभ्यश्च=विर-
त्यादिहेतुभ्यः, शुभं=पुण्यं, तत्=कर्म भवति । अयं नियमः=प्रतिनियतहेतुहेतुमद्भाष-
निश्चयः, कृतः=कस्मात्, मानात्=प्रमाणात् ? इति चापरे सन्दिहाना वादिनः प्राहुः ।
अव्युत्पन्नानां ध्येयमाशङ्का धर्माऽधर्मपदवाच्यत्वावशिष्टमवर्मिताकाः अन्यथा धर्मिग्राहकमाने-
नोक्तनियमोपरवर्तयोरेव धर्माऽधर्मयोः सिद्धावीदृशशङ्कानुदयादिति ध्येयम् ॥१॥

[टीका के मङ्गलसप्तसोक का भावार्थ]

स्याद्वादियों का शास्त्र वस्तुतत्त्व को प्रवर्णित करने वाला ऐसा प्रवीण है जिसके प्रकाश को धूमिल करने वाला कोई नहीं है, वह सत्पुरुषों की अन्तर्दृष्टि है जिससे सुख से सुख तत्त्व देखे जा सकते हैं, वह स्वतन्त्र सूर्य है जिसका उदय किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता और जिससे समस्त पदार्थ बेरोकटोक प्रकाशित होते रहते हैं । ऐसा महान शास्त्र सब का बन्धनीय है ।

[पुण्य-पाप के नियम में भाषाशङ्का]

यहाँ प्रथम कारिका में अष्टम के सम्बन्ध में एक दूसरी बात कही गयी है, वह यह कि कुछ संशयप्रस्त वाचियों की यह शङ्का है कि—‘अभिरति आदि हेतुओं से पाप होता है और विरति आदि हेतुओं से पुण्य होता है’—इस प्रकार के निरत हेतुहेतुवद्भाव में कोई प्रमाण नहीं है, अतः कभी अभिरति आदि से पुण्य का और विरति आदि से पाप का भी जन्म होना चाहिये ।

इदमेवाभिप्रेत्य व्युत्पत्तिपुस्तकारेणैव समाधानवार्त्तामाह—

मूलम्—आगमाख्यासदन्ये तु तत्त्व दृष्टाव्याधितम् ।

सर्वाभिप्रेत्य नित्यं व्यक्तार्थं परमात्मना ॥२॥

तदन्ये तु=अभिहितानस्तत्त्ववादिनः, आगमाख्यादु मानात् 'नित्यं ब्रूते' इति वाक्यशेषः । कथमेतदत्र मानम् ? इत्यत आह तत्त्व=आगमाख्यं, दृष्टाव्याधितम्=दृष्टेष्टाभ्यामविरुद्धम् । एतेन 'यस्या सिद्धिः' इत्यादिवाक्ये वाधितत्वनिरासः । तथापि स्वाऽविपक्षे प्रकृतनिषेधे कथं ननु जानम् ? इत्यत आह-सर्वार्थविषयः=प्रादुर्भूतस्यविषयम्, प्रज्ञावनीय-भाषानामनन्तभागस्य श्रुतिनिषेधत्वेऽपि तदभ्यन्तरभूतया सत्याऽनिवृत्तानामपि तेषां ग्रहण-श्रवणाद् नानुपपन्नमेतत् । कृत्रिमत्वात् कथमीदृशमेतद् ? इत्यत आह-नित्यं=प्रवाहपेक्षया-ऽनादिनिधनम्, भ्रतादौ चिच्छेदकालेऽपि महाविदेहेऽविच्छेदात्, तथाप्यनाप्तोक्तत्वादसीदृश-मेतद् इत्याह-परमात्मना=क्षीणदोषेण भगवता व्यक्तार्थं=प्रतिपादितार्थम् ॥२॥

अगर कहें,—'यह शब्द धर्म अवसरक अदृष्टधर्मिक है । शब्द में धर्मज्ञान कारण होता है, अतः जिस प्रमाण से धर्म अवसरक धर्मों का ज्ञान होगा, उस प्रमाण से अविरति आदि से हो पाय होने और विरति आदि से हो पुण्य होने के निषेध का भी ज्ञान हो जाने से यह शब्द नहीं हो सकती'—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ धर्म अवसरक शब्द का वाक्यार्थ विशेष रूप में ज्ञात नहीं है, उहाँ धर्म-अवसरकवाक्यरूप से धर्म-अवसरक धर्मों में उक्त शब्द होने में कोई बाधा नहीं हो सकती ॥१॥

[पुण्य-पाप के निवृत्तक आगम का प्रामाण्य]

द्वितीय कारिका में पूर्वकारिका में उठाये गये शब्द का समाधान किया गया है, और यह समाधान अदृष्ट शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर इस अभिप्राय से सम्भव हुआ है कि अदृष्ट की सत्ता में प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है, अथवा आदि से दृष्ट न होने से ही यह अदृष्ट है । कारिका की अर्थ इस प्रकार है—

अदृष्ट की प्रामाणिकता के विषय में संशयहीन तत्त्ववाक्यों का कहना है कि 'अदृष्ट' यह आगम प्रमाण से सिद्ध है, और आगम दृष्ट तथा इष्ट से अविरुद्ध होने के लिये प्रमाण है । जिस प्रकार जलकरणक सिञ्चन दृष्ट एवं इष्ट से अविरुद्ध होने से तद्बोधक 'यस्या सिद्धिः' यह वाक्य वाधित नहीं होता, उसी प्रकार अदृष्टबोधक आगम भी वाधित नहीं हो सकता । 'अविरति आदि से हो पाप और विरति आदि से ही पुण्य होता है' यह नियम आगम का अविषय भी नहीं है, क्योंकि जितने भी अमिलापयोग्य पदार्थ हैं वे सब आगम के विषय हैं । आशय यह है कि प्रज्ञावनीय भावों का अनन्तभाग यद्यपि अज्ञानिक-अज्ञानप्रतिपाद्य है तथापि भूत के अन्तर्गत भूतज्ञान से भूत में अनिष्ट भावों का भी ग्रहण होने से उन भावों की सत्ता में भी आगम का प्रामाण्य अक्षुण्ण है । कृत्रिम अर्थात् किसी एक मानव से रचित होने से भी आगम को अप्रमाण नहीं कहा जा सकता,

नन्विद स्वगृहवात्तामात्रम्, अप्रत्यक्षे पापादौ तत्प्रामाण्यग्राहकमानाभावादित्याशङ्का-
यामाह-

मूलम्-चन्द्रसूर्योपरागादेस्ततः संवाददर्शनात् ।

तस्याऽप्रत्यक्षेऽपि पापादौ न प्रामाण्यं न युज्यते ॥ ३ ॥

ततः=तद्विधितान्, चन्द्रसूर्योपरागादेरर्थात्, तमाश्रित्य इति स्ववलोपे पञ्चमी,
संवाददर्शनाद्=अविशेषादिप्रवृत्तिजनकत्वनिश्चयात्, तस्य=शब्दस्य, अप्रत्यक्षेऽपि=श्रोत्र-
ऽप्रत्यक्षेऽपि पापादौ, प्रामाण्यं=तद्विद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकज्ञानजनकत्वम्, न युज्यते
इति न=न निश्चीयत इति न, किन्तु निश्चीयत एवेत्यर्थः ॥३॥

यदि नाम क्वचिद् दृष्टः संवादोऽन्यत्र वस्तुनि ।

तद्भावस्तस्य सर्वं वा कथं समवसीयते ? ॥ ४ ॥

परमिप्रायमाह- यदि नाम क्वचिद् दृष्टः संवादो दृष्टः, तदा तदभि-
धायकवाक्यस्य प्रामाण्यं सिध्यत्, अन्यत्र=पापादौ वस्तुनि, तद्भावः=संवादभावः, तस्य=
पापादभिधायकवाक्यस्य, तत्त्वं वा=प्रमाणत्वं वा, कथं समवसीयते ? प्रामाण्यव्याप्य-
संवादित्वप्रदाऽभावात् पापादभिधायकवाक्ये प्रामाण्यनिश्चयो दुर्घट इति समुदायार्थः ॥४॥

क्योंकि वह प्रवाहक से मिलता है। एकत्र भरतावि क्षेत्र में उसके विच्छेदकाल में भी अपरत्र महा-
विदेह क्षेत्र में वह अविच्छिन्न रहता है। वह अनामरक्षित भी नहीं है क्योंकि जिसने समस्त बाँधों का
अप कर डाला है ऐसे भगवान् ने उसके अर्थों का प्रतिपादन किया है ॥५॥

[संवाद से परोक्ष वस्तु में भी आगम का प्रामाण्य]

"अदृष्ट के अस्तित्व में आगम प्रमाण है" से सब पूर्व कारिका में कही गयी बातें केवल अपने घर
की बातें हैं परोक्ष करने पर उन की वास्तविकता नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि पाप आदि अदृष्ट
प्रत्यक्षसिद्ध नहीं अतः उन में आगम प्रमाण है' इस बात में कोई प्रमाण नहीं हो सकता'-इस शङ्का
का प्रस्तुत तीसरी कारिका में समाधान किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

अत्र-सूर्य का ग्रहण आगमप्रमाण है और उस का संवाद=प्रत्यक्ष प्रमाण से अवगम देखा जाता है,
तो जैसे प्रत्यक्षदृश्य चन्द्रग्रहण आदि अर्थ में आगम प्रमाण है वैसे ही वह श्रोता की प्रत्यक्षदृश्य न
होनेवाले पाप आदि अदृष्ट में भी प्रमाण हो सकता है। इसलिये 'अदृष्ट में आगम को लक्ष्यशोधक-
ताप्रकारकज्ञानरूप प्रमा की जनकता नहीं है,' यह बात युक्तिसंगत नहीं हो सकती, किन्तु 'आगम
अदृष्ट में भी प्रमाण का जनक है,' यही युक्तिसंगत है ॥३॥

चौथी कारिका में बाँधों का अविप्राय स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है-अत्रग्रहण आदि जिन
अर्थों में आगम का अर्थ प्रमाण से संवाद-समर्थन देखा जाता है उन अर्थों में आगम का प्रामाण्य ठीक

अत्र समाधानमाह—

आगमैकत्वतस्तत्त्वं वाक्यादेस्तुल्यतादिना ।

सुवृक्षसम्प्रायेण तथा पापक्षयेण च ॥५॥

आगमैकत्वतः=दृष्टादृष्टसंवादागमयोरैकत्वात्, 'तस्य तथान्यं समवसीयते' इति योजना, संवादित्ववत् संवादजातीयत्वस्यापि प्रामाण्यव्याप्यत्वात् । अत एव जलादिक्षाने दृष्ट-संवादजातीयत्वेन प्रागेव प्रामाण्यनिश्चयाद् निष्कम्पा प्रवृत्तिर्घटत इति भावः । आगमैकत्वमेव कथम् ? इत्याह-तत्त्वं=आगमैकत्वं च वाक्यादेः=वाक्यपदगाम्भीर्यादेः, तुल्यतादिना समव-सीयते । नन्विदमयुक्तम् आगमानुकारेण पठ्यमानेऽन्यत्रापि सत्तुल्यतासत्त्वात्, अनन्तार्थ-त्वादेश्च दुर्ग्रहत्वात्, इत्यत आह--सुवृक्षसम्प्रायेण=ज्ञानचरणसम्पन्नगुरुपरम्परया । नन्विदमपि मिथोविवादाकान्ता, सुवृक्षत्वप्रमापकहेत्वन्तरानुसरणे च तदेवागमैकत्वग्राहकमस्तु, इत्यत आह-तथा पापक्षयेण च=सम्पत्त्वप्रतिबन्धककर्मक्षयोपशमेन च । 'अयं हि सर्वत्र यथावस्थितत्व-ग्रहे मुख्यो हेतुः, लक्ष्मीन्द्रियरूपतदभिष्यञ्जकतयैवान्यापयोगात्, तदभिष्यक्तिन्यापारकत-यैव 'तथा' इत्यनेन हेत्वन्तरसमुच्चयात्' इति वदन्ति ॥५॥

है, किन्तु पाप आदि जिन वस्तुओं में उसका प्रमाणान्तर से संवाद का दर्शन सम्भव नहीं है, उन वस्तुओं में उसका प्रमाणान्तर से संवाद मानना अथवा उन वस्तुओं में उस को प्रमाण मानना ठीक नहीं है । आशय यह है कि प्रमाणान्तर से संवादित-समर्थित होना प्रामाण्य का व्याप्य है, और आगम में उसका ग्रहण सम्भव नहीं है, अतः पापादि-बोधक आगम में प्रामाण्य का ग्राहक संवाद न होने से उस में प्रामाण्य का निरूपण अशक्य है ॥५॥

[आगमैक्यादि से प्रामाण्य का समर्थन]

पञ्चम कारिका में पूर्वकारिका में उठायी गयी बाजू का समाधान किया गया है, जो इस प्रकार है—

जिन आगमों में प्रमाणान्तर का संवाद दृष्ट है और जिन भावों में प्रमाणान्तर का संवाद दृष्ट नहीं है, वे दोनों एक ही आगम हैं । अतः यह उचित नहीं है कि एक ही आगम का एक भाग प्रमाण हो और दूसरा भाग अप्रमाण हो । आशय यह है कि जैसे प्रमाणान्तरसंवादित्व प्रामाण्य का व्याप्य है, वैसे ही प्रमाणान्तरसंवादित्वाभावेत्वं भी प्रामाण्य का व्याप्य है, अतः जिन आगमवचनों में प्रमाणान्तर का संवाद दृष्ट नहीं है उन में प्रमाणान्तरसंवादी आगम के सजातीयत्व से प्रामाण्य का अनुमान हो जायगा । इस प्रकार का अनुमान अत्र दृष्ट भी है, जैसे पहले बोधे हुए जल में विषासाणामकर का निश्चय होने से लज्जातोयत्व हेतु से तबोम जल में विषासाणामकर का अनुमान हो कर उसके धान में विषासु की निर्विधि प्रवृत्ति होती है । उक्त दोनों आगमों में एकत्व है इस का निश्चय उन दोनों के बाजूओं, पक्षों की गम्भीरता, रचनाशैली आदि की समानता से सम्भव होता है । शका की भाँति "आगम का अनुकरण करके रखे गये नबोन वाक्यों में उक्त समानता हेतु ही एकागमत्व का ब्यभिचारी है क्योंकि

विपर्यये बाधकमाह—

मलम्-अन्यथा वस्तुतत्त्वरूप परीक्षैव न युज्यते ।

आशङ्का सर्वथा यस्माच्छब्दस्थस्योपजायते ॥६॥

अन्यथा=उक्तरीत्या गंशयाऽविच्छेदे, वस्तुतत्त्वस्य परीक्षैव=यदसद्विचार एव,
न युज्यते, यस्माद् हेतोः, छब्दस्थस्य=श्रुतीण्डानावरणीयस्य, सर्वथा=सर्वार्थविपर्ययी,
आशङ्का जायते ॥६॥

कि वह तो अप्रमाणमूल वास्तवों में भी मिलता है जहाँ एकागमत्व नहीं है । अगर कहें—'अनन्तार्थता से एकागमत्व का निर्णय करेंगे—जैसे दृष्टमवाव आगम में अनन्तार्थता है वैसे अदृष्टसंवादआगम में भी है'—तब भी यह अनन्तार्थता दुर्लभ है। अतः उस में आगमकत्व का अनुमान उचित न होने से दोनों में एकागमत्व दुर्लभ है"—यह शङ्का ठीक नहीं है। क्योंकि उक्त हेतुओं से अनुमान सम्भव न होने पर भी उक्त द्विविध आगमों में एकत्व का निश्चय ज्ञान-कारिण्य से सम्पन्न गुरुओं की परम्परा से हो सकता है ।

[पापक्षय भी आगमकत्व का निश्चायक है]

यदि यह शङ्का की जाय कि "गुरुओं की सुश्रुता, ज्ञान-कारिण्यसम्पन्नता, विबाधरत है, उसके निश्चयाद्य-अन्य हेतु का पञ्चा मकड़ने पर उसी से उक्त द्विविध आगमों में एकागमत्व का निश्चय संभव में होने से गुरुपरम्परा को उसका निश्चायक मानना युक्तिसंगत नहीं है। अभिप्राय यह है कि गुरुपरम्परा सुश्रुता ज्ञानाविसंपन्नता का निश्चायक कोई समीचीन हेतु सुलभ न होने से उक्त द्विविध आगमों में एकागमत्व का निश्चय दुर्लभ है"—तो आगमकत्व का निश्चायक अन्य हेतु भी है—कि पापक्षय से अर्थात् सम्बन्ध के प्रतिबन्धक कर्मों के क्षयोपशम से उक्त द्विविध आगमों में एकागमत्व का या जिन आगमों में प्रमाणान्तर का संवाद दृष्ट नहीं है उन में सम्बन्ध का अर्थात् प्रामाण्य का दृष्ट निश्चय होने में कोई बाधा नहीं है । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष दुष्कर्मों से आक्रान्त होते हैं उन्हीं को उक्त प्रकार के आगम वचनों में प्रामाण्य का निश्चय नहीं होता किन्तु जिसके दुष्कर्मों का गुरुपरम्परा के प्रति श्रद्धा गुरु पदेश इत्यादि से क्षयोपशम हो जाता है उन्हें उक्त प्रकार के आगम वचनों में अनायास ही प्रामाण्य का निश्चय हो जाता है । वस्तुतत्त्ववादी विद्वानों का कहना है कि सम्बन्ध के प्रतिबन्धक कर्मों का क्षयोपशम ही सर्वत्र वस्तु के यथावस्थितत्व (सत्य स्वरूप)-वास्तविकता के ज्ञान का मुख्य हेतु होता है, अन्य हेतु का उपयोग उक्त क्षयोपशम—जिसको सर्वधोनिष्ठ भी कहते हैं—की अभिव्यक्ति के सम्पादनाय ही होता है । कारिका में 'तथा' शब्द से क्षयोपशमव्यञ्जक उन हेतुस्वरूप का ही समुपपन्न इसी आशय से किया गया है ॥१॥

छठवीं कारिका में पूर्व कारिका में उक्त अर्थ के विपरीत पक्ष में बाधक का प्रतिपादन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

सम्बन्ध के प्रतिबन्धक कर्मों के क्षयोपशम से यदि अदृष्ट-प्रमाणान्तरसंवादवाले आगमों में अप्रासाध्य के संवाद की निश्चिन्ता न बानी जायेगी तो वस्तुतत्त्व की परीक्षा—यह वस्तु सत् और यह असत् है"—इस प्रकार के चिन्तन को अवकाश ही न हो सकेगा क्योंकि छयादश-जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय नहीं हुआ है उसकी सभी वस्तुओं की वास्तविकता में शङ्का स्वभावतः होती ही रहती है ॥६॥

अस्तु सर्वशरीरैव, इत्यत आह—

अपरीक्षापि नो युक्ता गुणदोषाऽविवेकतः ।

महत्संकटमायातमाशङ्के न्यायशास्त्रिनः ॥ ७ ॥

अपरीक्षापि=अविचारोऽपि, नो=नैव, युक्ता । कस्मात् ? इत्याह-गुणदोषा-
विवेकतः=निष्कम्पप्रवृत्ति-निवृत्तिप्रयोजकानिश्चयात् । तस्मात् परीक्षाऽपरीक्षोभयाऽयोमान्,
न्यायशास्त्रिनः=तार्किकस्य महत् संकटमायातमित्याशङ्के । एतेन 'वक्त्रधोन्म्यात् शब्द-
स्याऽप्राप्त्यर्थम्' इत्यादि निरस्तम्, गुणवद्वक्तृकत्वेन तस्य प्रामाण्यव्यवस्थितेः । 'अत एव
अनुमानादस्य विशेषः, शब्दप्रमायां वक्त्रधोन्म्यात्प्रत्यक्षज्ञानस्य गुणत्वात्, इति गुणवद्वक्तृ-
प्रयुक्तशब्दप्रमत्वादेव शब्दमनुमानज्ञानाद् विशिष्यते' इति वदतां सम्मतिरीक्षाशङ्काप्राप्तयः ।

अत्रेवमवधेयम्—'एते पदार्थास्तत्पर्यविपर्ययः संभविष्यन्तः, आकाङ्क्षादिमत्पदस्मारित-
त्वात्, 'दण्डेन मामभ्याज' इति पदस्मारितपदार्थत्वात्' इति न आकाङ्क्षादीनामुपपन्नमित्य-
अनाप्तोक्तपदस्मारिते व्यभिचारान् । 'आप्तोक्तत्वेन विशेषणीयो हेतुर्गित' चेत् ? न, आप्त-

[परीक्षा-अपरीक्षा उभय के अयोध से संकट]

पूर्व कारिका में कहा गया है कि सम्बन्ध के प्रतिबन्धक कर्मों के अयोपशम से संशय की
निवृत्ति न मानने पर वस्तुतत्त्व की परीक्षा न हो सकेगी, उस पर यह कहा जा सकता है कि 'परीक्षा
न हो, क्या हानि है ?'—प्रस्तुत सत्यम कारिका में इसी कथम का उत्तर दिया गया है ।

कारिका का अर्थ इस प्रकार है—'वस्तुतत्त्व की परीक्षा न हो सके तो न हो, कोई हानि नहीं है'—यह
कहना ठीक नहीं है क्योंकि वस्तुतत्त्व की परीक्षा न हो सकने पर गुणदोष के अविवेक से अर्थात् निर्बाध
प्रवृत्ति और निवृत्ति के प्रयोजक कानिश्चय न हो सकने से अनुस्य को प्रवृत्ति निवृत्ति की उपयोग न हो
सकेगी । परिणाम यह होगा कि ज्ञानावरणीय कर्म के अयोपशम से संशय की निवृत्ति न मानने पर
संशय की निवृत्ति न होने से वस्तुतत्त्व की परीक्षा न हो सकेगी । इस से एवं प्रवृत्ति-निवृत्ति के प्रयोजक
का निश्चय न हो सकने के भय से वस्तुतत्त्व की परीक्षा भी स्वाकथं न हो सकेगी, तब तो तार्किक को
महान संकट उपस्थित हो जायगा ।

दूसरी कारिका में जो यह कहा गया था कि-अविश्वसि आदि हेतुओं से पाप का और विरति आदि
हेतुओं से पुण्य का उदय होता है-इस नियम में आशय प्रमाण है—उस के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि
"आशय तो वाक्यात्मक है और शब्द वचता के आधीन होता है अतः वचता के दोष से शब्द में दोष
सम्भव होने से शब्द की प्रमाण नहीं माना जा सकता"—किन्तु यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि सर्वोप-
पत्त्या के शब्द अप्रमाण होने पर भी गुणवान् वचता के शब्द में प्रामाण्य मानने में कोई बाधा नहीं हो
सकती । "अनुमान से शब्द का यही सिद्धिष्ट है कि शब्द से होने वाली प्रमा में वचता का वाक्यात्म-
निश्चयकयमार्थज्ञानरूप गुण कारण होता है । गुणवान् वचता के शब्द से उत्पन्न होने के कारण ही शब्द-
ज्ञान अनुमिति से विश्लेषण होता है" सम्मति ग्रन्थ के टीकाकार का भी यहो आशय है ।

त्वस्य पूर्व दुर्यद्वत्तान् । अत एव योग्यताया हेतुप्रवेशोऽपि न निर्वाहः, एकपदार्थेऽपरपदार्थसम्ब-
रूपायास्तस्याः प्रागनिश्चयात्, निश्चये वा सिद्धमाधनान् । आकाङ्क्षापि यमभिव्याहृतपद-
स्मारितविज्ञानारूपा स्वरूपसम्बन्धे हेतुः, न तु ज्ञाना । योग्यतासहिताऽऽमितिर्गपि न निया-
मिका, 'अपमेति पुष्टो गङ्गः पुष्ट्योऽपसार्यताम्' इत्यत्र 'गङ्गाः पुरुषः' इति भागे व्यभिचारात् ।
एतेन—'एतानि पदानि सान्दर्भविषयस्मारितपदार्थसंसर्गप्रमापूर्वकाणि, आकाङ्क्षादिमत्पद-
त्वान् ।' इत्यनुमानशरीरे उक्तयोग्यताया हेतुविशेषमेऽपि न सिद्धमाधनम्—इत्युक्ततापि न
निश्चयः ।

[शब्द प्रमाण स्वतन्त्र नहीं है—बाधस्थल—पूर्वपक्ष]

वैशेषिक आदि कतिपय दर्शन शब्द को अनुमान से भिन्न प्रमाण और शाब्दज्ञान को अनुमति से भिन्न प्रमाण नहीं मानते। उन का कहना है कि वाक्य का ध्वनि होने पर जब वाक्य छटक पदों से तत्तत् अर्थ की स्मृति हो जाती है तब उन पदों में यन्त्रा के अभिमत परस्परसम्बन्ध का अनुमान हो जाता है । अनुमान का आकार इस प्रकार होता है—'अमुक्त अमुक्त पदार्थ वक्ता के अभिमत परस्पर सम्बन्ध के आशय है—क्योंकि आकाङ्क्षा आदि से युक्त पदों से स्मारित है—जो पदार्थ आकाङ्क्षा आदि से युक्त पदों से स्मारित होते हैं वे वक्ता के अभिमत परस्पर सम्बन्ध के आशय होते हैं, जैसे 'बण्डेन पाच-
भ्याज' इस वाक्य के वण्ड पद, तृतीयविभक्ति, सो पद, द्वितीया विभक्ति, अम्भाज सोपसर्ग आतु और छोड़ प्रत्यय, इन पदों से स्मारित बण्ड, करकता, फलता, अपसाध, गति कृति और कर्त-रपण्ड है कि करकता के साथ वण्ड का और कर्मता के साथ गो का निगठत्वसम्बन्ध, एवं अपसारण के साथ कर-
गता-कर्मता का निरूपकत्व सम्बन्ध तथा अपसारण के साथ कृति का साध्यत्व सम्बन्ध वक्ता की अभिमत है, और वे वे पदार्थ उन सम्बन्धों के आशय हैं ।

[अनुमान से शब्दप्रमाण की निरर्थकता नहीं हो सकती—उत्तरपक्ष]

शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण मानने वाले मनीषियों का कहना है कि—उक्त अनुमानाकार से शाब्दज्ञान को पदार्थ (निष्प्रयोजन) नहीं किया जा सकता क्योंकि अनाप्त पुरुष से उक्त पदों द्वारा स्मारित पदों में परस्पर सम्बन्ध न होने से आकाङ्क्षाविमत्पदस्मारितत्व हेतु में उक्त साध्य का व्यभिचार होने के कारण अनुमान का उक्त आकार सम्भव ही नहीं है । हेतुछटक पद में आप्तोक्तत्व विशेषण देने से भी इस दोष का निराकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द ज्ञान के पूर्व वाक्यछटक पदों में आप्तोक्तत्व का निश्चय नहीं हो सकता, कारण कि शाब्दज्ञान का प्रवृत्ति आदि के साथ संबन्ध होने पर ही उसके प्रयोजक वाक्य में आप्तोक्तत्व की जानकारी हो सकती है, उससे पूर्व नहीं होती ।

हेतु के शरीर में योग्यता का प्रवेश कर के भी इस दोष से मुक्ति नहीं पायी जा सकती, क्योंकि एक पदार्थ में अगर पदार्थ का सम्बन्ध ही योग्यता है तो शाब्दज्ञान से ही मुक्ति हो सकने के कारण उस से पूर्व निश्चित नहीं हो सकती, जबकि उस के हेतुछटक होने पर शाब्दज्ञानात्मक अनुमिति के पुन उस का निश्चय आवश्यक होगा और यदि शब्द से अतिरिक्त किसी अन्य साधन से शाब्दज्ञान के पूर्व योग्यता का निश्चय हो भी जायगा तो योग्यताघटित हेतु से अनुमान न हो सकेगा, क्योंकि उस स्थिति में अनुमान से धेरितव्य एक पदार्थ में अपर पदार्थ के सम्बन्ध का निश्चय पहले ही हो जाने

अथ तात्पर्यरूपाकाङ्क्षा हेतुप्रविष्टेति न व्यभिचारः । न च कर्मत्वादौ यदादिस्मर्या-
सिद्धावपि कर्मत्वादौ निरूपितत्वसम्बन्धेन यदादिप्रकाशकषोभोन जात इति याच्यं, 'कर्मत्वा-
दिकं यदादिमात्रं, यदाकाङ्क्षादिमत्पदस्मारितत्वात्,' इत्यनुमानस्यापि सम्भवात्, इति
चेत् न अनुमानाद् नियतयोगानुपपत्तेः । 'श्रवदान्मकविलक्षणानुमितौ व्युत्पत्तेरपि तन्त्रत्वात्
दोष' इति चेत् १, न व्युत्पत्तेः पदस्य शब्दहेतुत्वमर्थत्वात् ।

से सिद्धसाधन बोध हो जायगा, और यह सर्वसम्मत है कि अनुमान प्रमाण से सिद्ध का साधन नहीं
होता, क्योंकि सिद्धि से अनुमिति का प्रतिबन्ध हो जाता है ।

आकांक्षा को ही हेतु का घटक बनाया गया है, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि हेतु का घटक होने
पर उस के ज्ञान की अपेक्षा होगी, जब कि आकांक्षा 'समभिध्यातुत-वाक्यास्तर्गत पद से स्मारित पदार्थ
की विज्ञप्ता रूप होने से वह स्वकथेन-सत् होकर ही शाब्दज्ञान की सम्पादिका होती है, ज्ञात हो कर
मही होती ।

[योग्यता और आसत्ति से घटित हेतु भी असमर्थ]

'आकांक्षाविमत्पदस्मारितत्वं' हेतु में आदि पद से योग्यता सहित आसत्ति भी विवक्षित है,
क्योंकि अयोग्य और आसत्तिहीन पदों से स्मारित अर्थों में वाक्य से परस्पर सम्बन्ध का बोध नहीं
होता । परन्तु योग्यता सहित आसत्ति से घटित ही हेतु उक्त अनुमानाकार को सम्पन्न करने में
असमर्थ है, क्योंकि 'यह राजा का पुत्र शल रहा है मागं में से मनुष्यों को हटाया जाय' इस अर्थ के
बोधक 'अयमेति पुत्रो राजा पुत्रोऽपसार्धताम्' इस वाक्य के घटक 'राजः पुरुषः' इस भाग में भी
योग्यता सहित आसत्ति विद्यमान है किन्तु इस भाग से स्मारित अर्थों में कन्या का अभिमत सम्बन्ध
मही है क्योंकि 'राजः' का सम्बन्ध 'पुत्रः' के साथ विवक्षित है, न कि 'पुरुषः' के साथ । अतः आकांक्षा-
योग्यताआसत्तिमत्पदस्मारितत्वं हेतु उक्त वाक्य के 'राजः पुरुषः' इस भाग से स्मारित अर्थों में
कन्या के अभिमत परस्परसम्बन्धक साध्य का व्यभिचारी है, और व्यभिचारी हेतु साध्य का अनुमाप-
क नहीं होता ।

'योग्यता को हेतुघटक मानने पर सिद्धसाधन बोध दिया गया है, उस का परिहार अनुमानाकार
को बल देने से हो सकता है, जैसे अनुमान का आकार यदि यह कर दिया जाय कि "अमुक अमुक
पद स्मारित पदार्थों के विवक्षित सम्बन्ध की प्रमा से प्रयुक्त है, क्योंकि आकांक्षा योग्यता और
आसत्ति से युक्त पद है, जैसे 'दण्डेन नामध्याज' इस वाक्य के घटक पद' तो इस अनुमान के पूर्व
हेतुघटक योग्यता का निश्चय होने पर भी सिद्धसाधन नहीं होगा क्योंकि इस लये अनुमान में पदार्थों
का परस्पर सम्बन्ध रूप योग्यता साध्य नहीं है किन्तु 'साधनसम्बन्ध प्रमापूर्वकत्व' साध्य है, और
यह उक्त अनुमान से पूर्व पक्ष में निर्णित नहीं है'- किन्तु अनुमानाकार के इस परिवर्तन से भी कोई
लाभ नहीं है क्योंकि उक्त 'राजः पुरुषः' इस भाग में व्यभिचार बोध अवस्थित हो रहता है ।

[तात्पर्य रूप आकांक्षा का हेतु में प्रवेश निरर्थक है]

यदि यह परिहार किया जाय कि "तात्पर्य रूप आकांक्षा को हेतु का घटक बनाने पर उक्त
व्यभिचार नहीं होगा, क्योंकि 'अयमेति पुत्रो राजः पुत्रोऽपसार्धताम्' इस वाक्य के 'राजः पुरुषः' इस

किञ्च, एवं प्रत्यक्षादिना सिद्धाद्यपि विनिवेचनां शाब्दबोधानुदयः स्यात् । न च पक्षताया लिङ्गभेदभिन्नत्वेन तत्तद्विज्ञकानुमिती नदहेतुन्यादेव नानुपपत्तिरिति वाच्यं, तथाप्यन्य-
शान्वयवाग्याय तद्विज्ञकतदनुमिती तद्विज्ञकतदनुमित्यभावस्य हेतुत्वापेक्षया घटपदजन्य-
शान्दबोधे घटपदजन्यशान्दबोधस्यैव प्रतिबन्धकत्वे लाघवाद् अतिरिक्तशान्दमिद्वैः ।

भाग का 'राजकीय पुरुष' अर्थ में तात्पर्य न होने से उस भाग के अर्थ में 'आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्ति तथा तात्पर्यपुरुषतत्त्वस्मात्प्रसक्त' हेतु का अभाव है, अतः उक्त भाग के अर्थ में 'तात्पर्यविषयमिधः-
संसर्ग' रूप साध्य का अभाव होने पर भी हेतु में साध्याभाववच्चुलितत्वरूप व्यभिचार की सम्भावना नहीं है ।—

इस पर शंका हो सकती है कि 'उक्त अनुमान से कर्मत्व आदि में घट आदि का संसर्ग सिद्ध होने पर भी कर्मत्व आदि में निरूपितत्व सम्बन्ध से घटादिप्रकारक बोध की उपपत्ति उक्त अनुमान से नहीं हो सकती । अतः उस बोध के निर्वाहार्थ शब्द को तादृश बोध के प्रति कारण मानना आवश्यक होने से शब्द की स्वतन्त्र प्रमाण तथा शाब्दज्ञान की विलक्षण प्रमा मानना आवश्यक है'—किन्तु यह शङ्का उचित नहीं है, क्योंकि 'घटाकाङ्क्षाविमत्पदस्मारितत्वं हेतु से 'कर्मत्वादिनां घटाविमत्' इस आकार का कर्मत्वआदि में निरूपितत्व सम्बन्ध से घटादिप्रकारक अनुमिति का भी जन्म हो सकता है, अतः शाब्दज्ञान की अनुमिति से विलक्षण प्रमा और शब्द को अनुमान से निम्न प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है' ।—

(अनुमान से शब्दवत् नियत बोध की अनुपपत्ति)

इस परिहार के विरुद्ध शब्दप्रमाणवादियों का कहना है कि शब्द श्रवण के अनन्तर शब्द से उपस्थापित अर्थ का ही बोध होता है, उस बोध में वाच्य से अनुपस्थापित अर्थ का भान नहीं होता, किन्तु उस बोधको यदि अनुमितिरूप माना जायगा तो उस में परामर्शविषयोसूत शब्दानुपस्थित अर्थ का भी भान होने लगेगा, अतः शब्द से नियतबोध की ही उपपत्ति के लिये उसे अनुमान से निम्न प्रमाण मानना आवश्यक है ।—'अस्य अनुमिति में नहीं किन्तु शब्दज्ञानात्मक अनुमिति में व्युत्पत्ति= पदनिष्ठज्ञानसे जन्म पदार्थ की उपस्थिति—की कारण मानने से यह बोध नहीं होगा'—यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि व्युत्पत्ति के स्वरूप में पदनिष्ठ शाब्दज्ञानकारणता प्रविष्ट रहती है । अतः शाब्दज्ञान में व्युत्पत्ति की प्रयोजक तमी सामा जा सकता है जब शाब्दज्ञानरूप विलक्षण प्रमा के प्रति शब्द की विलक्षण प्रमाण के रूप में कारण सामा जाय । आशय यह है कि 'अमुक पद अमुक अर्थ के शाब्दबोध का जनक हो, या अमुक अर्थ अमुकपदजन्य शाब्दबोध का विषय हो' इस प्रकार के संकेत का ज्ञान या उस से होने वाली पदार्थोपस्थिति ही व्युत्पत्ति है । इसलिये जब उसे शाब्दज्ञान का प्रयोजक माना जायगा तब शाब्दज्ञान की अनुमिति मानने का अवसर ही नहीं उपस्थित हो सकता क्योंकि शाब्दज्ञान की विलक्षण प्रमा मानने पर ही उक्त व्युत्पत्ति बन सकती है ।

(अनुमितिपक्ष में शाब्दबोधानुदय की आपत्ति)

शाब्दज्ञान की अनुमिति मानने में एक और भी बाधा है, वह यह कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पदार्थों के सिधः संसर्ग का निश्चय स्वरूपसिद्ध रहने पर भी वाच्य से पद वसंसर्गज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस के लिये पदार्थसंसर्ग के शाब्दज्ञान की इच्छा अपेक्षित नहीं होती, किन्तु यदि

पदं पदजन्यविशिष्टवैशिष्ट्यबोधे पदजन्यविशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानहेतुत्वादिनापि सन्निधिः ।

अपि च 'घटात् पृथक्' इत्यन्वये शाब्दसमानाकारानुमितिदुर्घटा, पृथक्त्वपक्षकानुमितौ तद्वतोऽमानापत्तेः, तद्वतः पक्षत्वे च तत्रैव पक्षम्यर्थमानापत्तेः । वस्तुतः 'नानुमिनोमि किन्तु शाब्दयामि' इति विषयनाविशेषसिद्ध्या शाब्दस्यातिरेकः । न च शाब्दानुमितिसामग्रीसमाहारे

शाब्दज्ञान को अनुमिति माना जायगा तो अनुमिति के प्रति अनुमिताच्छाब्दविरहविशिष्टसिद्धयभावक पक्षता के कारण होने से उक्त निश्चय एवं शाब्दज्ञान की इच्छा का अभाव इन दोनों के रहने पर पक्षता न होने के कारण शाब्दज्ञान की उत्पत्ति न हो सकेगी । यदि यह कहा जाय कि 'अनुमितीच्छाविरहविशिष्टसिद्धयभाव को पक्षता नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक सिद्ध का परामर्श और सिद्धि के रहने पर अन्यलिङ्गक अनुमिति की इच्छा होने पर अनुमितीच्छाविरहविशिष्टसिद्धयभाव रहने पर भी अनुमिति नहीं होती, अतः तल्लिङ्गकत्वपक्षकतत्साध्यक अनुमिति के प्रति तल्लिङ्गकत्वपक्षक-तत्साध्यकानुमितीच्छाविरहविशिष्ट तत्पक्षभक्तिक-तत्साध्यप्रकारकसिद्धयभाव को ही पक्षताविधया कारण मानना आवश्यक है, तो इस प्रकार लिङ्गत्वेव से पक्षता का भेद होने से आकाङ्क्षाविमलपक्षस्मारितत्व हेतु से होने वाली पदार्थसंलग्नानुमिति के प्रति पक्षता के कारण न मानने से उक्त दोष को प्रसक्त नहीं हो सकती'—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह वस्तुस्थिति है कि अन्वित का अन्वयबोध नहीं होता अर्थात् शाब्दबोध को धारा नहीं होती किन्तु अनुमितिपक्ष में प्रथम अन्वयबोध के उत्पादक कारणों के विद्यमान रहने पर उन्हीं कारणों से दूसरे तीसरे अन्वयबोध की आपत्ति हो सकती है, अतः उसके कारणार्थ शाब्दज्ञान को अनुमिति रूप मानने वालों को तल्लिङ्गक अनुमिति में तल्लिङ्गक अनुमिति के अभाव को कारण मानना होगा और शाब्दज्ञान की विलक्षण प्रमा मानने वालों को घट आदि पदों से होनेवाले शाब्दज्ञान के प्रति उसी शाब्दज्ञान को प्रतिबन्धक मानना होगा, जिस में पूर्वपक्षया साधक है, इसलिये शाब्दज्ञान को अनुमिति से भिन्न मानना ही उचित है ।

'पदजन्य विशिष्टवैशिष्ट्यविषयक बोध में पदजन्यविशेषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञान कारण होता है' इस कार्यकारणभाव से भी अनुमिति संभिन्न शाब्दज्ञान की सिद्धि अविनाश है, क्योंकि पदजन्य बोध यदि अनुमिति रूप होगा तो उसके जन्म में पदजन्य विशेषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञान की अपेक्षा न होगी ।

(‘घटात् पृथक्’ अनुमिति की दुर्घटता)

शाब्दबोध को अनुमिति मानने में एक और भी संकट है, वह यह कि 'घटात् पृथक्' इस वाक्य में शाब्दबोधवादी के मत में 'घटादधिकपृथक्त्ववान' का बोध होता है जो शाब्दबोध को अनुमिति मानने पर न हो सकेगा, क्योंकि अनुमिति में पृथक्त्व को पक्ष मानने पर पृथक्त्व के आश्रय का भान नहीं होगा, और पृथक्त्व के आश्रय को पक्ष मानने पर 'घटात्' इस पदसंघात शब्द के अर्थ घटादधिकत्व का पृथक्त्व में भान न हो कर पृथक्त्वके आश्रय में उस के भान की आपत्ति होगी ।

युगपदुभयोत्पत्तिवारणायैकसामग्र्या अपरत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पने गौरवम् , बह्व्यादेशशब्दानु-
मितेः अपरस्य शब्दानुमितेरैकदोत्पत्तिवारणाय तत्रापि शब्दानुमितेः शब्देतरानुमिति-
प्रतिबन्धकत्वकल्पनावस्यकत्वात् , इत्यन्यत्र विस्तरः ॥७॥

निगमयथाह—

मूलम्—तस्माद् यथादितासम्यगागमाख्यात् प्रमाणतः ।

हिंसादिभ्योऽशुभादीनि नियमोऽयं व्यवस्थितः ॥८॥

तस्माद्=उक्तोपपत्तेः, यथादितात्=पृथक् प्रमाणत्वेन व्यवस्थापितात्, सम्यगा-
गमाख्यात्=आप्तोक्तशब्दाभिधानात् प्रमाणतः, हिंसादिभ्यः=हिंसाऽहिंसादिभ्यः, अशुभा-
दीनि=पापपुण्यादीनि, बहुवचनाद् दुःखमुखादिसंग्रहः, अयं नियमः=नियतहेतुहेतुमद्भाषः,
व्यवस्थितः=सिद्धः ॥८॥

(‘शास्त्रव्याप्ति’ अनुव्यवसाय से शब्दस्वतन्त्रप्रमाण की सिद्धि)

वास्तविक बात तो यह है कि शास्त्रबोध बोध का अनुभव अनुमितिरूप से न होकर शास्त्रव-
द्य ही होता है क्योंकि शास्त्रबोध बोध होने पर शास्त्र के द्वारा अनुमितोक्ति किन्तु शास्त्रव्याप्ति=पुन-
रावृत्ति से अर्थ कि अनुमिति नहीं हुई है किन्तु शास्त्रबोध हुआ है इस प्रकार का अनुव्यवसाय
होता है, इस अनुव्यवसाय से अनुमिति विषयता से शास्त्रज्ञान की बिलक्षण विषयता सिद्ध होने से
शास्त्रज्ञान में अनुमितिभिन्नता की सिद्धि अनिवार्य है ।

(उभयपक्ष में गौरव तुर्यता)

‘शास्त्रबोध को अनुमिति से भिन्न मानने पर किसी एक विषय के शास्त्रबोध और उसी विषय
को अनुमिति को सामग्रियों का एक काल में सन्निधान होने पर एक ही समय उस विषय के शास्त्रबोध
और अनुमिति की उत्पत्ति का कारण करने के लिए एक की सामग्री को अग्न के प्रति प्रतिबन्धक
मानने से गौरव होगा’ इस प्रकार शास्त्रबोध के अनुमितिभिन्नता पक्ष में गौरव बोध का आपादन
उचित नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रबोध के अनुमितिरूपता पक्ष में भी इस प्रकार का बोध अनिवार्य
है, जैसा बह्म की अशास्त्र अनुमिति और अन्य वस्तु की शास्त्र अनुमिति की सामग्रियों का एक काल
में सन्निधान होने पर दोनों अनुमितियों की एक साथ उत्पत्ति न होकर पहले शास्त्र अनुमिति की ही
उत्पत्ति होती है, अतः अशास्त्र अनुमिति के प्रति शास्त्र अनुमिति की सामग्री को प्रतिबन्धक मानना
आवश्यक हो आया । इस विषय का विस्तृत विचार अग्नत्र किया गया है ॥७॥

(‘हिंसादि से पाप और अहिंसादि से पुण्य’-नियम की सिद्धि)

आठवीं कारिका में पूर्वोक्त विचार का उपसंहार करते हुये यह कहा गया है कि उक्तानुमितियों
से यह सिद्ध है कि शास्त्र एक स्वतन्त्र प्रमाण है और जेनायम आप्तोक्त शब्द होने से असंदिग्ध
प्रमाण है । इस प्रमाण से हिंसा आदि का पाप आदि के साथ यह नियत हेतुहेतुमद्भाष सिद्ध है कि

विलष्टहिंसाद्यनुष्ठानान् प्राप्तिः विलष्टस्य कर्मणः ।

यथाऽपथ्यभुजो व्याधेरक्लिष्टस्य विपर्ययान् ॥९॥

एतदेव भाषयन्नाह—विलष्टान्—संक्लेशबाहुल्यात् हिंसाद्यनुष्ठानान् विलष्टस्य=ज्ञाना-
वर्णादिप्रकृतिस्य, कर्मणः प्राप्तिर्भवति, यथा अपथ्यभुजः=विरुद्धभोजिनो व्याधेः=रोगस्य
प्राप्तिः । तथा विपर्ययान्=प्रक्लिष्टाहिंसाद्यनुष्ठानान् अक्लिष्टस्य=सातवेदनीयादिशुभ-
प्रकृतिकस्य कर्मणः, प्राप्तिर्भवति, यथापथ्यभोजिनो व्याधिविगमनां सुखस्य प्राप्तिरिति ॥९॥

आगमाद् नियममुक्त्वा स्वभावाद् तं व्यवस्थापयितुमाह—

मूलम्—स्वभाव एव जीवस्य यत्तथा परिणामभाक् ।

वध्यते पुण्यपापान्यां माध्यस्थ्यानु विमुच्यते ॥१०॥

एष जीवस्य=चेतनस्य, स्वभावो यत्तथापरिणामभाक्, हिंसादिपरिणतः पुण्यपापाभ्यां
वध्यते, माध्यस्थ्यानु=वैराग्यानु विमुच्यते=क्षीणकर्मा भवति । इत्थं चैतदवश्यमङ्गीक-
र्तव्यम्, अन्यथा 'दण्डादरेव घटजनकत्वं, न वेमादेः' इति कुतः ? इति प्रश्ने किमुत्तरमभि-
धानीयमाधुस्मता ? न च प्रश्नस्यैवानुपपत्तिः, 'पर्वते वह्निः कुतः ?' इत्यत्रैव ज्ञापकहेतुजिज्ञासया
तदुपपत्तेः । न चैवं स्वभावेऽपि प्ररणापत्तिः, तत्र व्याघातेन शङ्काया एवानुदयादिति ॥१०॥

हिंसा आदि निमित्त कर्म पाप के और उस के द्वारा दुःख आदि के कारण हैं, एवं अहिंसा आदि विहित
कर्म पुण्य के और उस के द्वारा सुख आदि के कारण हैं ॥९॥

नववीं कारिका में उक्त विषय को ही उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है । कारिका का
अर्थ इस प्रकार है—

क्लिष्ट आचरण यानी संक्लेशपूर्ण हिंसा आदि कार्यों के करने से क्लिष्टकर्म अर्थात् ज्ञानादि का
आवरण करने वाले कर्म की प्राप्ति सम्भव होती है, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विरुद्ध
भोजन करनेवाले रोगी को रोग की प्राप्ति होती है । इसी प्रकार अक्लिष्ट=क्लिष्टविपर्येत आचरण
से यानी संक्लेशहीन अहिंसा आदि कार्यों के करने से सातवेदभोज-सुखोत्पादक आदि शुभपरिणामो
कर्म की प्राप्ति होती है, यह भी ठीक उसी प्रकार, जैसे पथ्यभोजी मनुष्य को रोग की निवृत्ति
होन से सुख की प्राप्ति होती है ॥९॥

(सन्ध और मोक्ष का कारण जीवस्वभाव है)

हिंसा आदि का पाप आदि के साथ एवं अहिंसा आदि का पुण्य आदि के साथ हेतु हेतुमद्भाव
का नियामक आगम है यह कहने का भाव 'स्वभाव भी उसका नियामक है' यह बात उसी कारि-
का में बताया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

उक्तमेवाङ्गीकारयति—

मूलम्-सुदूरमपि गत्वेह विहितासूपपत्तिषु ।

काः स्वभावागमावन्ते शरणं न प्रतिपद्यते ? ॥११॥

इह=शास्त्रे, सुदूरमपि गत्वा=बहुन्यपि प्रमाणानि परिगृह्य, उपपत्तिषु=सूक्ष्मयुक्तिषु, विहितासु=प्रकटीकृतसु, को वादी, अन्ते=बाधकतर्कोपस्थितौ, स्वभावागमौ शरणं न प्रतिपद्यते ?=स्वपक्षमावनार्थं बलवशेन नाङ्गीकुरुते ? सर्वं एव तथा प्रतिपद्यत इत्यर्थः । बौद्धेनाऽहेतुकस्य कार्यस्य स्वभावेन कादाचित्कत्वसमर्थनान्, सीमासकेन च यागीयहितायामधर्मजनकत्वाभावे 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इत्यादिवेदवाक्यस्यैव प्रमाणत्वेनाऽऽश्रयणादिति ॥११॥

केवल प्राणी का यह स्वभाव ही है कि वह हिंसा आदि के कर्ता रूप में परिणत होकर पुण्य-पाप के बन्धन को प्राप्त करता है और मध्यम्य अर्थात् हिंसा आदि से विरत होकर उस बन्धन से मुक्त होता है; अपने पूर्व प्राप्त कर्मबन्धों का भय करता है। इस स्वभाववाच्य का अङ्गीकार परमावश्यक है, अन्यथा 'वण्डआदि ही घट के उत्पादक होते हैं, वेमा आदि पट के कारण घट का उत्पादन क्यों नहीं करते ?' इस प्रश्न का कोई उचित उत्तर न दिया जा सकेगा। यहाँ यह कहना कि 'अनुक कारण ही अनुक कार्य का जन्म होता है दूसरा क्यों नहीं होता ? यह प्रश्न ही नहीं हो सकता क्यों कि जिस कार्य का जो कारण होता है उसी से उस का जन्म होना लोकनिष्ठ है'—कोक नहीं है क्योंकि जैसे 'वर्षा में वस्त्र किस हेतु से श्रेय है ?' इस प्रकार ज्ञापक हेतु की जिज्ञासा होती है, वैसे ही 'वण्ड आदि में ही घट की कारणता क्यों है ?' इस प्रकार ज्ञापक हेतु की जिज्ञासा होने में कोई बाधा नहीं है। 'ज्ञापक हेतु को उक्त जिज्ञासा के समान, स्वभाव के भी ज्ञापक की जिज्ञासा होने से स्वभाव-कल्पना में असम्बन्ध होगी' यह शङ्का नहीं की जा सकती क्योंकि स्वभाव की शङ्का का विषय नहीं बताया जा सकता, कारण कि उस शङ्का का विषय बनाने की चेष्टा करने पर शङ्का कारणों भी शङ्का का विषय हो जाने से शङ्का का जन्म ही कुथं हो जायगा ॥१०॥

(स्वभाव और आगम अंतिम शरण्य है)

इस कारिका में पूर्वकारिका में उक्त स्वभाववाच्य और आगमवाच्य को अङ्गीकार करने की विवशता बतायी गयी है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

शास्त्र में किसी पक्ष का समर्थन करने के लिए अनेक प्रमाणों द्वारा सूक्ष्मयुक्तियों का प्रदर्शन करने पर जब उन के बाधक तर्क उपस्थित होते हैं तब किस बाधों को स्वभाव और आगम का सहारा नहीं लेना पड़ता ? अर्थात् समस्तवादियों को अपने पक्षका समर्थन करने के लिए स्वभाव और आगम को ही बलवान् प्रमाण के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। बौद्ध काय को अहेतुक मानने कृपे भी कादाचित्क-कालविशेष में ही होने वाला, कालान्तर में न होने वाला मानते हैं; काय के सहेतुकत्व पक्ष में तो हेतु के कादाचित्क होने से कार्य का कादाचित्क होना युक्तिसंगत है, पर

परः पर्यनुबुद्धते—

मूलम्-प्रतिपक्षस्वभावेन प्रतिपक्षागमेन च ।

बाधितत्वात्कथं ह्येतौ शरणं युक्तिवादिनाम् ? ॥१२॥

प्रतिपक्षस्वभावेन=उक्तविपरीतस्वभावेन, प्रतिपक्षागमेन=उक्तविपरीतागमेन च
बाधितत्वान्, हि=निश्चितम्, एतौ=उक्तस्वभावागमौ, युक्तिवादिनाम्=युक्तिप्रधानवादि-
नाम्, न तु श्रद्धामात्रवताम्, कथं शरणम् ? कथमर्थमिद्विज्ञमौ ? न कथं चिदित्यर्थः ॥१२॥

कार्य के अहेतुकत्व पक्ष में कार्य की उत्पत्ति में किसी हेतु की अपेक्षा न होने से उस का सार्व-
विक होने की युक्तिसंगत प्रतीत होता है कावाचिरक होना तो कथमपि सम्भव नहीं है, किन्तु बोझ
भी उत्पन्न होकर इस स्थिति में उत्पन्न होते हैं कि ज्ञान का यह सम्भव ही है कि वह कावाचिरक ही हो,
सार्वविक न हो।

इसी प्रकार 'याग में होनेवाली हिंसा पापजनक नहीं होती' इस पक्ष का समर्थन करने के
लिये मोमांसकों की भी कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता, विवश होकर उन्हें यही कहना पड़ता है कि
'ज्योतिष्योमेन स्वर्गकामो यजेत=स्वर्ग के इच्छुकव्यक्ति को ज्योतिष्योमेन याग करना चाहिये' इस
आशय का व्यवहार ही इस बात में प्रमाण है कि हिंसायुक्त भी याग से पाप का उदय न होकर
स्वर्गप्रद पुण्य का ही उदय होता है ॥११॥

[प्रतिपक्ष के होने पर स्वभाव--आगम शरण्य कैसे ?]

१२ की कारिका में स्वभाव और आगम की प्रामाण्यता के विरुद्ध प्रतिवादी का प्रश्न प्रस्तुत किया
गया है, जो इस प्रकार है—

एक वादी किसी एक स्वाभिमत पक्ष का समर्थन करने के लिये जिस स्वभाव या आगम का
सहारा लेता है, अन्यवादी उस पक्ष के विरोधी पक्ष के समर्थन के लिये उक्त स्वभाव और उक्त आगम
से विपरीत स्वभाव और विपरीत आगम की भी प्रस्तुत कर सकता है । जैसे चार्वाक आदि नास्तिक
वादी कह सकते हैं कि 'किसी धनपति को हिंसा से लोकसुखसम्प्राप्तक प्रचुर धन की प्राप्ति
हो सकती है, अतः सर्वत्र अन्य प्रयास अनपेक्षित है, हिंसा का यह स्वभाव ही है या समझदार पूर्व-
पुरुषों का यही कथन है कि हिंसा से सुख ही प्राप्त होता है, किसी प्रकार का अहित नहीं होता ।' तो
इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा विरुद्ध स्वभाव और विरुद्ध आगम प्रस्तुत करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत
किये गये स्वभाव और आगम से उसके अभिमत पक्ष की सिद्धि किस प्रकार हो सकेगी ? जो वादी
अज्ञानमात्र को महत्त्व न दे कर युक्ति को ही प्रधानता प्रदान करते हैं, स्वभाव और आगम से उन्हें कैसे
संतुष्ट किया जा सकता है, निर्बाधयुक्ति के बिना किसी भी पक्ष को उनके श्रेष्ठ के मोक्ष कैसे उत्तारा
जा सकता है ? स्पष्ट है कि स्वभाव और आगम के बल पर युक्तिवादियों के समक्ष किसी पक्ष का
समर्थन कथमपि नहीं किया जा सकता ॥१२॥

मूलम्-प्रतीत्या बाध्यते यो यत्स्वभावो न स युज्यते ।

वस्तुनः कल्प्यमानोऽपि बहून्धादेः शीततादिवत् ॥१६॥

ममाधत्ते-यद् = यस्मात् कारणात्, यः स्वभावः प्रतीत्या = प्रमाणेन, बाध्यते स कल्प्यमानोऽपि तत्स्वभावत्वेन बहून्धादेः शीततादिवद् ज्ञात्याऽऽपाद्यमानोऽपि वस्तुनः स्वभावो न युज्यते = न सत्कर्तृविषयो भवति । तथा न 'बहून्धादेर्यदि उष्णत्वादिस्वभावः स्यात्, शीतत्वाद्यपि स्याद्' इतिवत् 'हिमादेर्यद्यधर्मजनकत्वादिस्वभावः स्याद्, धर्मजनकत्वाद्यपि स्याद्' इति न बाधकमिति भावः ॥१६॥

मूलम्-बहूनेः शीतत्वमस्येव, तत्कार्यं किं न दृश्यते ? ।

दृश्यते हि हिमासन्ने, कथमिति ? स्वभावात् ॥१७॥

पर आह-बहूनेः शीतत्वमस्येव = स्वाभाविकमेव भृगुवृष्णकादिवत् । तत्राह-यदि अमादुपलभ्यमानमपि शीतत्वं बह्विस्वभावः, तदा तत्कार्यं = तत्सङ्गतेन रोमाञ्चाविर्भावादिव, किं न दृश्यते ? । पर आह-हिर्निमित्तम्, हिमासन्ने बह्वी, शीतकार्यं रोमाञ्चादिव दृश्यते, तत्राचार्य आह-इत्थं कथम् ? हिमासक्त एव बह्विः शीतकार्यं जनयति, नान्यदा' इति कथम् । । पर आह-स्वभावतः, यथा दण्डादेरचक्रादिसंयुक्तस्यैव कार्यजनकत्वस्वभावः, तथा बहूनेर्हिमासक्तस्यैव रोमाञ्जनकत्वस्वभाव इत्यर्थः ॥१७॥

[प्रमाण से बाधित हो वह स्वभाव कल्पनायोग्य नहीं]

१६ को कारिका में पूर्व कारिका में उठाये गये प्रश्न का समाधान किया गया है, जो इस प्रकार है,-

जो स्वभाव जिस वस्तु में प्रमाण से बाधित होता हो वह उस वस्तु का स्वभाव नहीं माना जा सकता, जैसे यदि यह आपादन किया जाय कि 'जिस प्रकार उष्ण स्पर्श अग्नि का स्वभाव है उसी प्रकार शीत स्पर्श को भी अग्नि का स्वभाव होना चाहिये, क्योंकि कि उष्ण और शीत दोनों ही स्पर्श-जानीय हैं, और इस में कोई तर्क नहीं है कि जिस आति का एक पदार्थ किसी वस्तु का स्वभाव हो उसी आति का दूसरा पदार्थ उस का स्वभाव न हो' तो इस आपादकतर्क से शीतस्पर्श अग्नि का स्वभाव नहीं बन सकता, क्योंकि अग्नि में शीत स्पर्श प्रत्यक्ष-प्रमाण से बाधित है । ठीक उसी प्रकार यदि यह आपादन किया जाय कि अधर्मजनकत्व यदि हिंसा का स्वभाव है तो धर्मजनकत्व को भी हिंसा का स्वभाव होना चाहिये, क्योंकि कि अधर्म और धर्म दोनों ही अदृष्ट हैं, अतः इस में कोई तर्क नहीं है कि हिंसा में अधर्मरूप एक अदृष्ट का जनकत्वस्वभाव हो और धर्मरूप दूसरे अदृष्ट का जनकत्व स्वभाव न हो,-तो इस आपादकतर्क से भी धर्मजनकत्व हिंसा का स्वभाव नहीं बन सकता, क्योंकि यह आपा-दमान स्वभाव आगमप्रमाण से बाधित है । निष्कर्ष यह है कि जैसे प्रत्यक्ष बाधित होने से शीतस्पर्श अग्नि का स्वभाव नहीं होता उसी प्रकार आगम बाधित होने से धर्मजनकत्व हिंसा का स्वभाव नहीं हो सकता । १३ ।

एतदेव दृष्टान्तेन दृढयति-

भूतम्-हिमस्यापि स्वभावोऽयं नियमाद् वह्निसन्निधौ ।

करोति दाहमित्येवं बह्न्त्यादेः शीतता न किम् ? ॥१५॥

हिमस्याप्ययं स्वभावो यद् नियमात्=अवश्यं, वह्निसन्निधौ=वह्निमीप एव, दाहं करोति, सामीप्य एवायम्कान्तवत् नामदमनीयत् कार्यकारित्वाद्, इति हेतोः, एवं=हिमस्य दाहजनकत्ववत्, बह्न्त्यादेः शीतता न किं ?=किं न स्वभावः ? ॥१५॥

[अग्नि शीत है-पूर्वपक्ष]

१४ वी कारिका में पूर्व कारिका में किये गये समाधान का वाची द्वारा प्रतिपाद किया गया है, जो इस प्रकार है-

कभी कभी अग्नि में भी शीतस्पर्श की वृद्धि होती है अतः जैसे मृगतृणिका में जल की वृद्धि होने से वृद्धिकाल में जल का अस्तित्व कहूँ तो मान्य है, वैसे ही अग्नि में शीतस्पर्श की वृद्धि होने से अग्नि में भी उसका अस्तित्व साम्य है, इस प्रकार शीतस्पर्श अग्नि का स्वाभाविक ही धर्म है। यह प्रश्न उठाना कि 'अग्नि में शीतस्पर्श का उपलब्ध भ्रममूलक है, और यदि भ्रम से उपलब्धमान वस्तु का जो अस्तित्व माना जायगा तो अग्नि के सम्पर्क से शीतस्पर्श की अनुभूति रोमाञ्च का उद्गम आदि कार्य भी होना चाहिये-अवसरोचित नहीं है, क्योंकि हिम के सन्निधान में अग्नि के सम्पर्क से शीतानुभव और रोमाञ्च उद्गम आदि कार्य का होना सर्वमान्य है। यह प्रश्न भी उठाना कि 'यदि शीतस्पर्श अग्नि का स्वाभाविक धर्म है तो हिम के सन्निधान में ही अग्निसम्पर्क से उक्त कार्य क्यों होते हैं, हिम के असन्निधान में भी क्यों नहीं होते ?' उचित नहीं है, क्योंकि ये बातें वस्तु के स्वभाव पर निर्भर होती हैं अतः जैसे जल आदि से संयुक्त दण्ड आदि का ही घटजनकत्व स्वभाव होता है, केवल दण्ड आदि का नहीं होता वैसे ही हिमसन्निहित अग्नि का ही शीतकार्यजनकत्वस्वभाव है केवल अग्नि का नहीं। इस स्वभाव के कारण ही केवल अग्नि से शीत का कार्य न होकर हिमालय अग्नि से ही होता है ॥१४॥

(हिम के दृष्टान्त से अग्नि में शीत्य का समर्थन)

पूर्व कारिका में कही गयी बात को ही १५ वी कारिका में दृष्टान्त द्वारा पुष्ट किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

जैसे अधस्तात्तमणि समीपस्थ ही लौह का आकर्षण करता है और नागवमनी समीपस्थ ही नाग का वमन करती है, उसी प्रकार अग्नि के समीप में ही हीम दाह का जनक होता है, अग्नि से दूर रह कर दाह का जनक नहीं होता, तो फिर अग्नि के समीप में ही दाह का जनक होने पर भी जैसे दाह-जनकत्व हिम का स्वभाव है वैसे ही हिम के सन्निधान में ही शीतकार्य का जनन करने वाले अग्नि का शीत्य स्वभाव क्यों नहीं हो सकता ? उस में विवाद का क्या अवसर है ! ॥१५॥

अत्रोत्तरमाह—

मूलम्-व्यवस्थाऽभावतो ह्येवं या त्वद्वृद्धिरिहं दृष्टी ।

सा लोष्टावस्य यत्कार्यं तत् त्वत्तत्त्वस्वभावतः ॥१६॥

एवम्=उक्तरीत्या, व्यवस्थाऽभावतः=सम्बन्धनियामकाभावात् हि=निश्चितम्, या इह=विद्यते, ईदृशी = स्वभावान्यथान्वयप्रकरणान्तिका, त्वद्वृद्धिः, सा लोष्टात्=पाषाणात्, त्वत्त्वमीपाथे तत्र त्वत्त्वसावर्ण्यक्रमात्, तथा, अस्य = लोष्टस्य, यत्कार्यम्, अभिधातादिकम्, तत्, त्वत्तः सकाशात्, लोष्टसमीपस्थस्य तव तत्त्वस्वभावतः = लोष्टस्वभावात् ॥१६॥

ततः किम् ? इत्याह—

मूलम्-एवं सुबुद्धिशून्यस्य भवतोऽपि प्रसज्यते ।

अस्तु चेत् को विवादो नो बुद्धिशून्येन सर्वथा ॥१७॥

एवं = लोष्टस्वभावत्वे, भवतोऽपि लोष्टवत् सुबुद्धिशून्यस्य = सम्बन्धवृद्धिरहितत्वं, प्रसज्यते, अस्ति लोष्टस्य हि बुद्धिशून्यत्वं स्यादिति यास्यते इत्यर्थे । इत्याचार्याह—अस्तु स्यादानुगतं तत्त्वस्वभावत्वमिति चेत् ? तदा सर्वथा बुद्धिशून्येन भवता सह, नः=अस्माकं, को विवादः ? एवं चावश्यकतानियतपूर्ववर्तिनो हिमादेरेव रोमाश्चादिकार्यसम्भवे तत्सहभूतस्य बहुसंख्यामिदृशत्वात् न तज्जनकत्वं, न वा तदनुगोचेन शीतस्वभावत्वमिति प्रकृतोपपत्त्येवं व्यवस्था भावनीया ।

अथैवं कारणत्वस्य स्वाभाविकत्वे नीलादिवत् साधारण्यं स्यादिति चेत्, स्यादेव, सर्वस्वत्वेन प्रतीयमानस्वरूपम्, अन्यग्रहानधीनग्रहविषयस्वरूपमपि तद् हेतुशक्त्यावस्थेयं,

[अग्नि शीत होने पर अतिप्रसङ्ग—उत्तरपक्ष]

‘शीत अग्नि का स्वभाव है’ इस कथन का उत्तर देने के लिये १६ की कारिका की रचना हुयी है। अर्थ इस प्रकार है,—

जिस प्रकार समीचीन नियामक के अभाव में भी अग्नि के सामोप्य मात्र से हिम में बाहकत्व स्वभाव और हिम के सामोप्यमात्र से अग्नि में शीतस्वभाव की कल्पना आप करते हैं, उसी प्रकार यह कल्पना निश्चितरूप से पाषाण की भी होनी चाहिये, क्योंकि सामोप्यमात्र से ही यदि एक वस्तु का स्वभाव दूसरी वस्तु में संक्रान्त होगा तो आप-के समीपस्थ पाषाण में आप की वृद्धि का भी सम्भव आवश्यक है। इसी प्रकार पाषाण से होने वाले अभिघात आदि कार्य आप से भी होने चाहिये, क्योंकि पाषाण के सन्निधान में उस के स्वभाव का सम्भव आप में भी होना अनिवार्य है ॥१६॥

व्यञ्जकस्वभावे त्वन्यघटितत्वादेव नास्ति । न च परापेक्षयादलीकत्वापत्तिः, तथा नियमा-
ऽभावात्, अस्यधिष्मदि च आधारहस्ये-॥ [स्तो०-३०]

ने ह्रींति परावेक्ष्या वंजयमुद्धवंसिणां ति ण य तुच्छा ।

विद्वामिणं वेचित्तं सरानकम्पूरगंधागं ॥ इति, अधिक तादृशवर्णनार्थसे-॥

(स्वभाव के अन्योन्य संक्रम की प्रापत्ति)

१७ वीं कारिका में पूर्व कारिका में उद्धृत अथ का निष्पन्न बताते हुये किसी वस्तु के स्वाभाविक धर्म को उस का स्वभाव बताने का निराकरण किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है, आप में पाषाणस्वभाव का संक्रमण होने पर आप बुद्धिशून्य हो जायेंगे और पाषाण में अन्य के स्वभाव का संक्रमण होने पर पाषाण बुद्धिमान हो जायगा-युक्तसंगत होने से यह बात यदि मान ली जायगी तो बुद्धिशून्य अवधि से हमारा विवाद हो गया रह जायगा ? अर्थात् उस स्थिति में आप से कोई विवाद करना सम्भव ही न होगा । अतः अस्तित्व गत्वा यही कहना होगा कि जब रोम-श्लोत्रम आदि शीतकाय की उपपत्ति के लिये हिम का सन्निधान अनिवार्य है तो अवश्यकल्पननियतपूर्ववर्ती होने से वही उक्त कार्य का जनक है और अग्नि अवश्यकल्पित नियतपूर्ववर्ती से भिन्न होने के कारण उक्त कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होने से उक्तकार्य का जनक नहीं है, अतः उक्तकार्यजनकत्व के आधार पर उस में शीतस्वभाव की कल्पना नहीं हो सकती । यही दृष्टि प्रकृत विषय हिम आदि के अधर्मावि-जनकत्वस्वभाव और अहिम आदि के धर्माविजनकत्वस्वभाव के विषय में भी उपदेय है ।

(सर्वकार्यसाधारण कारणता की प्रापत्ति का निवारण)

उक्त दृष्टि अपनाने पर यह तक उठ सकता है कि- कारणत्व यदि स्वाभाविक होगा, उसे सर्व-साधारण होना चाहिये अर्थात् जो वस्तु किसी एक कार्य का कारण है उसे सब वस्तु का कारण होना चाहिये क्योंकि जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वह किसी के प्रति उस का स्वभाव हो और किसी के प्रति उस का स्वभाव न हो ऐसा नहीं होता किन्तु वह सभी के प्रति उस का स्वभाव होता है । जैसे कोई वस्तु यदि नीलस्वभाव है तो वह कुछ लोगों के प्रति नील और कुछ लोगों के प्रति अनिल न होकर सब के प्रति नील ही होती है उसी प्रकार जो वस्तु कारणस्वभाव होगी उसे किसी एक ही कार्य का कारण न होकर सब कार्यों का कारण होना आवश्यक है — किन्तु यह तक उचित नहीं है, क्योंकि कारणत्व नीलाव के समान किसी वस्तु का निरपेक्ष स्वभाव न होकर कायसापेक्षस्वभाव है अर्थात् सामान्यतः कारणत्व किसी वस्तु का स्वभाव नहीं होता अपि तु तत्तत्कार्यकारणत्व वस्तु का स्वभाव होता है, और वह सर्वसाधारण होता ही है, क्योंकि जो वस्तु किसी एक मनुष्य की दृष्टि से जिस कार्यके कारण होती है वह सभी की दृष्टि से उस कार्य को कारण होती है ।

आशय यह है कि कारणत्व में जिस साधारण्य का आधान बाधों को करता है उस का दो प्रकार हो सकता है १) सब मनुष्यों द्वारा कारण रूप से जायमान होना सर्व कारणत्वेन जायमानत्वं]

१-ते सबन्धि परापेक्षा व्यञ्जकमुत्तरंतिन इति न च तुच्छाः । दृष्टमिदं वेचित्तं शराधकपूर्वसाम्ययोः ॥

एवं प्रतिपक्षस्थभावो निराकृतः, ततः प्रतिपक्षागमनिराकरणे प्राप्तेऽप्यागमश्रवणार्थं प्रसङ्गाद् वातान्तरमुत्थापयति-

मूलम्-अन्यस्वादेव सिद्धेऽपि हिंसादिभ्योऽशुभादिके ।

शुभादेरेव सौख्यादि केन मानेन गम्यते ? ॥ १८ ॥

अत्रापि श्रुतं केचित् सर्वथा युक्तिशालिनः ।

प्रतीतिगर्भया युक्त्या किलैतद्वचसीयते ॥ १९ ॥

अन्यस्तु वादी आह, इह=न्याय लोके च, हिंसादिभ्य एवाशुभादिके सिद्धेऽपि, शुभा-देरेव=पुण्यकर्मदेरेव सौख्यादि भवति न पापादेः, इति केन मानेन गम्यते ? ॥ १८ ॥

और (२) अन्य ज्ञान की अपेक्षा न करने वाले ज्ञान का विषय होता (अन्यज्ञानागमोनज्ञानविषयत्वं), किन्तु इन दोनों ही का आवाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों प्रकार का साधारण्य कारणत्व में विद्यमान हैं, जैसे-जिस वस्तु को एक मनुष्य जिस कार्य का कारण समझता है, सभी मनुष्य उस वस्तु को उस कार्य का कारण समझते हैं, एवं किसी वस्तु को किसी कार्य के कारणरूप में मानने के लिये किसी अन्यज्ञान की अपेक्षा नहीं होती ।

(कारणता कार्यसापेक्ष होती है)

पूरे कथन का अभिप्राय यह है कि 'कारणत्व' कार्यनिरपेक्ष न होकर कार्यसापेक्ष होता है, किन्तु कार्यविशेष के बिना भी यदि सामान्य कारणत्व का निवेदन किसी प्रकार हो सके तो उस में भी उक्त दोनों प्रकार का साधारण्य विद्यमान है, हाँ, तत्कार्यकारणत्व के ज्ञान में तत्कार्यज्ञान की अपेक्षा होने से उस में दूसरे साधारण्य की उपपत्ति में बाधा आपाततः अवश्य प्रतीत होती है, परन्तु विचार करने पर यह बाधा भी नहीं हो सकती क्योंकि तत्कार्य तत्कार्यकारणत्व का व्यञ्जक है, और व्यञ्जक से धृति वस्तु के विषय में दूसरे प्रकार का साधारण्य सामान्यतः अन्यग्रहणशीलप्रवृत्तिव्ययरूप न होकर व्यञ्जकान्यग्रहणशीलज्ञानविषयरूप होता है, और यह व्यञ्जकसापेक्ष वस्तु में अक्षण होता है ।

शंका-“कारणत्व यदि परापेक्ष होगा तो अलोक-अवास्तविक हो जायगा, क्योंकि जो परापेक्ष होता है वह अलोक होता है । अतः जैसे स्फटिकमणि में प्रतीत होनेवाली रक्तता जवाकुसुम के सन्निधान की सापेक्ष होने से अलोक होती है, उसी प्रकार कार्यसापेक्ष होने से कारणत्व भी अलोक हो जायगा”-यह शङ्का उचित नहीं कही जा सकती, क्योंकि ‘जो परापेक्ष होता है वह अलोक होता है, यह नियम नहीं है, यह तथ्य व्याख्याकारने ‘आधाररूप्य’ नामक ग्रन्थ में ले होम्सि० इस शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया है । गाथा का अर्थ इस प्रकार है-परापेक्ष वस्तु में कई व्यञ्जक सापेक्ष होती हैं, अलोक नहीं होती, प्रासांगिक वस्तुओं में यह वैशिष्ट्य देखा जाता है कि उन में कोई वस्तु किसी व्यञ्जक की अपेक्षा किये बिना ही अभिव्यक्त होती है जैसे कपूर का गन्ध, और कोई वस्तु व्यञ्जक के सन्निधान में ही अभिव्यक्त होती है जैसे शराब=मिट्टी के पके नये बर्तन-का गन्ध । इस विषय की अधिक जानकारी उक्तगाथा के विवरण से प्राप्तव्य है ॥ (७)।

अथ देवाचित्तमसाधानवार्तामाह-अद्यापि=उक्तपूर्वपक्षेऽपि, केचित् सर्वथा युक्ति-
वादिनः=आगमनिरपेक्षयुक्तिप्रणयिनः, ब्रुवन्ते । किं ब्रुवन्ते ? इत्याह-प्रतीतिगर्भ्या-अनु-
भवसहकृतया, युक्त्या तर्केण, 'किल' इति सन्धे, एतत्=प्राक् पर्थेनुबुद्धम्, अवसीयने=
निश्चीयते ॥१९॥

मूलम्-तयाहृनीशुभान् सौख्यं तदाहृत्यप्रसङ्गतः ।

यद्वयः पापकर्माणि विरक्ताः शुभकारिणः ॥ २० ॥

तन्मतमेवाह-ने=वादिन आहुर्यद् अशुभान्=पापकर्मणः, सौख्यं न भवति । कतः ?
इत्याह-तदाहृत्यप्रसङ्गतः=मुखभूयस्त्वप्रसङ्गात् । इदमपि कुतः ? इत्याह-पापकर्माणि=
हिंसादिकारिणी बहवो व्याधादयाः, शुभकारिणः=हिंसादिनिवृत्ताः साधुप्रभृतयः विरक्ताः=
स्तीकाः । एवं च 'मुखं यदि पापजन्यं स्यात् यावत्पापकर्मवृत्तिर स्यात्, दुःखं च यदि पुण्य-
जन्यं स्यात् पुण्यसमानाधिकरणं न स्यात्' इति तर्कशरीरं बोध्यम् ॥२०॥

['शुभकर्मसे ही सुख' इसमें क्या प्रमाण ?]

प्रतिपक्षी स्वभाव का निराकरण करने के खाव यद्यपि प्रतिपक्षी आगम का ही निराकरण करता
उचित है, तथापि आगम का शरण लेने के लिये प्रसङ्गवशा एक अन्य विषय की चर्चा १८ वीं कारिका
में की गयी है, जो इस प्रकार है-

एक अन्य वादी का यह प्रश्न है कि न्याय और लोक के अनुसार यह यद्यपि सिद्ध है कि हिंसा
आदि निन्दित कर्मों से ही अशुभ-पाप आदि का जन्म होता है, तथापि सुख आदि का उदय शुभ-पुण्य
कर्मों से ही होता है इस में क्या प्रमाण है ? ॥१८॥

१९ वीं कारिका में कुछ लोगों द्वारा उक्त प्रश्न के समाधान की चर्चा की गयी है । समाधान इस
प्रकार है-जो विद्वान् आगम को साम्यता न वे कर केवल युक्तियों का ही अधलम्बन करने हैं, उन को
धोर से उक्त प्रश्न के समाधान में यह कहा जाता है कि पाप कर्म से सुख नहीं होता, किन्तु पुण्य कर्म
से ही सुख होता है इस बात का निश्चय अनुभव और तर्क से सम्पन्न होता है यह सत्य है इस में कोई
संशय नहीं है ॥१९॥

[पाप से सुख होने पर सुखीजनबहुलता की आपत्ति]

२० वीं कारिका में युक्तिवादियों का ही मत स्पष्ट किया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

युक्तिमात्रवादी विद्वानों का यह कहना है कि पापकर्म से सुख का जन्म नहीं माना जा सकता,
क्योंकि यदि पापकर्म से सुख का जन्म होगा तो ससार में हिंसा आदि पापकर्म करने वाले ब्याध आदि
की संख्या अधिक होने से पापकर्म की अधिकता के कारण अधिक सुख की उत्पत्ति होगी । फलतः
ससार के दुःखी जनों की अपेक्षा सुखी जनों की बहुलता होगी चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं है, ससार में
तो सुखी प्राणियों को अपेक्षा दुःखी प्राणों ही अधिक हैं । इसी प्रकार पुण्य कर्म से यदि सुख का जन्म

अत्राप्राप्तविर्यप्रदर्शनेन शुद्धत्वमाह-

मूलम् न चैतद् दृश्यते लोके दुःखदुःखदृष्टानाम् ।

शुभात् सौख्यं ततः सिद्धमनोऽन्यच्चाप्यतोऽन्यतः ॥२१॥

अन्ये पुनरिदं श्रान्ता ब्रून्ते आगमेन वै ।

शुभादेरेव सौख्यादि गम्यते नान्यतः क्वचित् ॥२२॥

न चैतद् आपाद्यमानं, लोके=जगति दृश्यते । कुतः ? इत्याह दुःखदुःखदृष्टानाम्
=दुःखस्य पुण्याऽसमानाधिकरणत्वं दर्शनात्, इदमुपलक्षणं मुखे यावत्पापकर्म इति भावस्य ।
ततः शुभात् = पुण्यात् सौख्यम्, अतः सौख्याद् अन्यद् = दुःखं चापि, अतः = पुण्याद्
अन्यतः = पापात्, सिद्धम् ॥२१॥

नेदं स्वतन्त्रमाधनं, किन्वापाततः प्रमत्तापादनं, तन्न न साधकम्, इत्यन्येषां शर्ता-
न्तरमाह-'अन्ये पुनरिति' । अन्ये पुनः श्रान्ताः = आगमे श्रद्धावन्तः, इदं वक्ष्यमाणं ब्रूवते ।
किम् ? इत्याह-वै=निश्चितम्, शुभादेरेव = पुण्यादेरेव, सौख्यादि फलमित्यागमेन गम्यते
क्वचित् = कुत्रापि, अन्यतः = अन्यत्र मानेन न गम्यते ॥२२॥

होगा तो हिंसा आदि से निवृत्त रहकर पुण्य कर्म करने वाले साधुपुरुषों को सख्ता कम होने से पुण्यकर्म
की उत्पत्ति के कारण दुःख की उत्पत्ति उत्पन्न होगी, फलतः संसार में सुख। जनों की अपेक्षा दुःखी जनों
की सख्ता उत्पन्न होनी चाहिये, जब कि ऐसा नहीं है । इसलिये पाप कर्म से सुख की उत्पत्ति मानना
यह तकसगत नहीं है ।

सर्क का शरीर इस प्रकार सातव्य है-

मुख यदि पाप से उत्पन्न होगा तो उसे सभी पापकर्मी जीवों में रहना चाहिये । इसी प्रकार दुःख
यदि पुण्य से उत्पन्न होगा तो उसे भी सभी पुण्यकर्मी जीवों में रहना चाहिये । और उस स्थिति में
न तो कोई पापी दुःखी हो सकेगा और न कोई पुण्यवान् सुखी हो सकेगा ॥२०॥

[लोक में दुःखबहुलता होने से पुण्य से सुख की सिद्धि]

इसकीसवीं कारिका में पूर्वोक्त तक की विपरीतानुमानपंचम्यायी बताकर उस की शुद्धता
बतायी गयी है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है:-

पूर्व कारिका में पाप कर्म को सुख का उत्पादक मानने पर संसार में अधिक सुख की उत्पत्ति का
आवाधान किया गया था, जिस से यह विपरीत अनुमान कलित होता है कि पापकर्म सुखका उत्पादक
नहीं है, क्योंकि कि संसार में सुख की अधिकता नहीं देखी जाती, परन्तु दुःख की ही अधिकता देखी
जाती है । देखने में यही आता है कि दुःख पुण्य का असमानाधिकरण होता है, पुण्यवान् को नहीं
होता । यह इस बात का उपलक्षण है कि सुख सभी पापकर्मी जीवों को नहीं होता । इसलिये यह सिद्ध
है कि पुण्य से सुख का और पुण्य से भिन्न पाप से सुख से भिन्न दुःख का अन्त होता है ॥२१॥

कृतः ? इत्याह—

मूलम्—अतीन्द्रियेषु नानेतु प्रायः पूर्वविधेषु यत् ।

छद्मस्थस्याऽवित्सनादि मानमन्यन्न विद्यते ॥२३॥

यच्चोक्तं दुःस्वभास्यदर्शनं तन्न साधकम् ।

एवमित्थोपलब्धेऽपि सर्वत्राऽदर्शनादिति ॥२४॥

प्रायः=वाहुल्येन, एवं विधेषु=उक्तजातीयेषु, अतीन्द्रियेषु = ऐन्द्रियकक्रयोपशमा-
ऽग्राह्येषु, भावेषु, यत्=यस्मात् कारणान्, छद्मस्थस्य=अक्षीणघातिकर्मणः, अवित्सनादि=
अप्रामाण्यशङ्कादिविरहितम्, अन्यन्=शब्दातिगितम्, मानं=प्रमाणं, न विद्यते । प्राति-
भादिना योगिभित्तवृद्धणात् प्रायोग्यद्वयम् । अत्र च यद्यप्यतीन्द्रियार्थे पूर्वमागमस्य प्रमाणान्ति-
रानधिगतवस्तुप्रतिपादकत्वेनाहेतुवादस्य, तथाऽप्यग्रे तदुपजीव्यप्रमाणप्रवृत्तौ हेतुवादस्वेऽपि न
व्यवस्थाऽनुपपत्तिः, आद्यदशापेक्षैव व्यवस्थाभिधानात् । अतो यदन्यत्रोक्तम् 'आगमधोप-
पत्तिश्च' इत्यादि, तन्न नानेन सह विरुध्यते, अपूर्वस्य चादृष्टस्योपपत्तय इति ध्येयम् ॥२३॥

[आगम ही शुभ में सुखकारणता का बोधक है]

बाइसवों कारिका में यह बताया गया है कि तर्क स्वतन्त्र साधन न होने से उक्त अर्थ का साधक नहीं हो सकता। अतः उक्त अर्थ की सिद्धि अन्य साधन से करनी होगी, और वह अन्य साधन होगा 'आगम'। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

आगम में अद्वार रहनेवाले पुण्यात्मा मनोविधियों का यह कहता है कि पुण्यकर्म से ही सुख होता है और पापकर्म से ही दुःख होता है, यह बात निश्चित रूप से 'आगम' प्रमाण से ही सिद्ध हो सकती है, किसी अन्य प्रमाण से कदापि नहीं सिद्ध हो सकती। केवल तर्क से इस बात की सिद्धि की आज्ञा करना व्यर्थ है, क्योंकि तर्क कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह ही प्रमाणांतर का उपोद्बलक (पोषक) मात्र है, अतः उक्त बात की सिद्धि के लिये कोई प्रमाण होता आवश्यक है और वह प्रमाण आगम ही हो सकता है, अन्य कुछ नहीं, उक्त तर्कका उसी आगम की परिश्रमा में विनिर्बोध हो सकता है ॥२३॥

[अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान आगम बिना दुःशक्य]

इस तीसवों कारिका में उक्त विषय में एक मात्र आगम ही प्रमाण क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जो इस प्रकार है—

उक्त विषय जैसे अतीन्द्रिय (=इन्द्रियजन्य अयोपशम से अघात) पदार्थों के सम्बन्ध में स्वस्थ-
घातीकर्मों से आवृत्त पुरुष शब्द से अतिरिक्त ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सकते, 'जो योगी के प्रतिभ शक्त से भिन्न हो तथा अप्रामाण्यशङ्का भावि से कबलित न हो, इसलिये उक्त विषय में हिंसा

दिपण-१ आगमधोपपत्तिश्च सम्पूर्ण दृष्टिबोधम् । अतीन्द्रियानामर्थानां खड्गावप्रतिपत्तये ॥

उक्ततर्कें बाधकमुक्त्वा प्रकृतोपपत्तिमाह— अथ दुःखमाह— अमुकं तर्कितव्यत्वेन, तत् सत्य-
कम्—आपादकमपि न, कुतः ? इत्याह—अवशिष्टं=भरतादी, तथोपलम्भेऽपि दुःखबाहुल्यदर्शने-
ऽपि, सर्वत्र—महाविदेहादौ, अवर्शनाह—दुःखबाहुल्यानुपलम्भात् । इति हेतुसमाप्त्यर्थः ॥२४॥

सूत्रम्—सर्वत्र दर्शनं यस्य तद्वाक्यान् किं न साधनम् ?

साधनं तत् अवश्यं भागमाह न भिद्यते ॥२५॥

अथ यस्य सर्वत्र=सर्वक्षेत्रेषु, दर्शनं=दृश्यबाहुल्यज्ञानं, तद्वाक्याह दुःखबाहुल्य-
ज्ञान्वा साधनम्=उक्तप्रसङ्गसाधनं, किं न भवेद्, आपाद्यव्यतिरेके निश्चयमाप्ताज्याह ? इति
चेत्, तत् साधनं भवत्येव, तु=तुनः, पक्षम्—उक्तप्रकारेण, आगमाह न भिद्यते, धृतानुसारि-
मतेः धृतान्तर्भूतत्वात् । अत एव भव्यामव्यादिभाषाणां पूर्वम् “तत्थ य ग्रहेऽवाओ
मविथाऽमविथादओ भावा” इति गाथाप्रतीकेनाऽहेतुवादविषयत्वमुक्त्वापि “ भविओ सम्म-
हंमण-नाण भवित्त-पट्टिवत्तिसम्पण्णो । णियमा दुक्खंतकडो नि लक्खणं हेउवायम्म ॥” इति
गाथानन्तरमासमोपगृहीतहेतुप्रश्रव्या हेतुवादविषयत्वमुक्तं भगवता सम्मतिकृता, इत्यव-
धेयम् ॥२५॥

आदि के अधर्माविजनकरण और अहिंसा आदि के धर्माविजनकरण में एकमात्र आगम ही प्रमाण है । अतोद्भिद्य विषयों के सम्बन्ध में आगम पहले यद्यपि प्रमाणान्तर से अनधिगत वस्तु का ही प्रतिपादन करता है, अतः आगमगतिमात्रवस्तु हेतुभाव पर निर्भर नहीं होती तथापि बाध में आगम के आधार पर प्रमाणान्तर की भी प्रवृत्ति होने से वह वस्तु हेतुबाध पर भी आधित हो जाती है, फिर भी ‘उक्त विषय में एकमात्र आगम ही प्रमाण है’ इस व्यवस्था की अनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आद्य प्रतिपादन की अपेक्षा ही यह व्यवस्था कही गयी है । इसीलिये जो अन्यत्र आगम और युक्ति दोनों को अतोद्भिद्यार्थों का साधक बताया गया है उसका उक्तव्यवस्था से कोई विरोध नहीं होता और अहण्ड में भूषण्यको उपपत्ति भी हो जाती है क्योंकि आगमिक आद्यप्रतिपादन के पूर्व उसमें अन्य कौसी प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती २३ ।

जोभीसर्वो कारिका में उक्त तर्क से उक्त विषय की सिद्धि में बाधक बनाकर आगम की साध-
कता का उपपादन किया गया है, वह इस प्रकार कि—उक्त तर्क के अङ्गरूप में सुख की अपेक्षा दुःख की बहुलता बरूमे की जो बात कही गयी है, वह भी ३ सरतक्षेत्र में देखे जाने पर भी ३ महाविदेह क्षेत्र में उपलब्ध न होने से उक्त विषय की सिद्धि में सहायक नहीं हो सकती ॥२४॥

१ “अथ वाऽहेतुवादो भव्यामव्यादयो भावाः” (सम्मत्तिसूत्रे गाथा १४०) २ “अथयः सम्मादर्शन-
ज्ञानाचारित्र्यवत्तिसम्पन्नः । नियमाण दुक्खान्तकत्वं इति लक्षणं हेतुवाहस्य” ॥ (सम्मत्तिसूत्रे गाथा १४१)

३ भरतक्षेत्र और महाविदेहक्षेत्र के परिचय के लिये श्रृंगसंज्ञास, मृदत्, अमहणी आदि मन्थ
दृश्य हैं ।

नन्वागमेनापि कथमयं नियमो बोधनीयः, पापादपि सुखदर्शनेन व्यभिचारनिश्चयाद् ? इत्यत आह--

मूलम् अशुभादप्यनुष्ठानात् सौख्यप्राप्तिश्च या क्वचित् ।

फलं विपाकविरसा सा तथाविधकर्मणः ॥२६॥

अशुभादप्यनुष्ठानात्-शुद्धदेवताविशेषोद्देशेन भूतवधाद्याचारादपि, या क्वचित् सौख्यप्राप्तिः पुत्रप्राप्त्यादिजन्या, सा विपाकविरसा-आयत्नहितानुबन्धिनी, तथाविध-कर्मणः-प्राचीनपापानुबन्धिपुण्यस्य फलम् । न चेद तत्कर्मनिपेक्षा स्यात्, पापजनकव्यापारमप्येषैव तस्योद्देश्यफलजनकत्वात्, तद्विपाकजनकतया तदपेक्षणात् । अत्र एव 'क्वचित्' इत्यनेन व्यभिचारसूचनान् तत्कर्मणस्तत्फलजनकत्वमप्यात्मम् । न नैदिकतत्तत्फलोद्देशेन तत्तत्कर्म-

[सुखबहुलतादृष्टा के वाक्य से प्रसंगसाधन शक्य है]

पूर्व कारिका में इस बात का संकेत किया गया है कि "सुख यदि पाप से उत्पन्न हो तो उसे सुख से अधिक होना चाहिये" इस प्रसङ्गापादन के लिये सुख से सुख के बहुल होने का ज्ञान अपेक्षित है, जो उक्त प्रसङ्ग के उद्भावक व्यक्ति को सुलभ नहीं है, अतः उक्त प्रसङ्गापादन कुच्छर है । प्रस्तुत २६ वीं कारिका में इस संकेत के बिना बात कही गयी है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है:-

जिस व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सुख की अपेक्षा दुःख साहचर्य का दर्शन प्राप्त है, उसके बचन से उक्त प्रसङ्ग के उद्भावक व्यापक को भी दुःखसाहचर्य का ज्ञान हो सकता है, अतः उक्त प्रसङ्गापादन में कोई काठनाई नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में सुख की अपेक्षा दुःखसाहचर्य का ज्ञान रहने पर उक्त आपादान का पर्यवसान इस प्रकार के विपरीतानुमान में अनायास सम्पन्न हो सकता है कि 'सुख पापजन्य नहीं हो सकता क्योंकि संसार में सुखकी अपेक्षा दुःख अधिक है, अब कि सुख को पापजन्य मानने पर पापाधिक्य के कारण उसी को अधिक होना चाहिये' ।

(सुखसाहचर्यदृष्टा के वाक्य का आगमप्रमाण में अन्तर्भाव)

प्रसङ्गापादन के इस समर्थन के सम्बन्ध में आगमवादी का कहना है कि यह ठीक है कि सभी क्षेत्रों में दुःख साहचर्यदृष्टा के बचन से दुःखसाहचर्य का ज्ञान करके उसके द्वारा उक्त प्रसङ्गापादन सुकर हो सकता है किन्तु तब 'सुख पापजन्य नहीं हो सकता' इस बात का निश्चयक तर्क न हो सकेगा किन्तु आगम ही होगा, क्योंकि तर्क के लिये अपेक्षित दुःखसाहचर्य का ज्ञान समस्त क्षेत्रों में दुःख-साहचर्य के दृष्टा पुरुष के बचन से होता है जो आगम से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धृत का अनुसरण करने वालों सति का धृत में ही अन्तर्भाव उचित है ।

यही कारण है कि अगमज्ञ सम्प्रतिसूत्रकार ने पहले 'तस्यैव अहेतुवाचो' इसगाथा से अवश्य अवगम्य भावि भावों को अहेतुवाद का विषय बताया और बाद में आगमानुसोदित हेतु की प्रवृत्ति की दृष्टि में रखकर 'असौ समुद्देशः' इस दूसरी गाथा से उन भावों को हेतुवाद का भी विषय बताया है ॥२६॥

विधानादङ्गादिवैकल्यप्रयुक्तो व्यभिचार इति न दोष इति वाच्यं, साङ्गादपि पुत्रेष्ट्यादेः
कश्चित् पृथाधनुस्पाददर्शनात् । एतेन 'प्रतिबन्धकादृष्टत्वं एव पुत्रेष्ट्यादिकलं, प्रतिबन्धकाभाव-
सहकृतदृष्टकाणासमाजाच्च पुत्राद्युत्पत्तिरिति न दोष' इति निरस्तम्, प्रतिकूलकर्माभाववद्-
सुकृतकर्मणोऽप्यवश्यमपेक्षणात्, तत्तिपाकार्थमेव तत्कर्मन्यथाभिद्वेः ॥२३॥

इदमेव दृष्टान्तेन दहयति-

(अशुभानुष्ठान से सुख प्राप्ति वस्तुतः जन्मान्तरोपकर्म का फल है)

पाप से भी सुख की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः पुण्य के अभाव में भी सुख का जन्म होने से
व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण 'पुण्य से सुख होता है' इस नियम का निश्चय आगम से भी कैसे हो
सकता है ? २६ वीं कारिका में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

यह सही है कि क्षुद्र वेवता के प्रोत्पद्य प्राणिवध जैसे जलिप्रदान आदि अशुभ कर्मों के करने से
कभी कभी पुत्र प्राप्ति का लाभ होने से सुख की प्राप्ति होती है, किन्तु यह सुख प्राप्ति भविष्य में
अहित का जनक होती है अतः वह पूर्वकृत पापानुबन्धी पुण्य का ही फल होता है न कि क्षुद्रवेवतो-
द्देश्यक प्राणिवध आदि से होने वाले पाप का फल होता है । उन कर्मों की अपेक्षा तो इसलिये होती
है कि पापानुबन्धी पुण्य पापकृत्यों के सहयोग से ही अमोघ फल के जनक होते हैं, अतः उक्त पुण्य के
विपाकार्थ ही उन कृत्यों की आवश्यकता होती है । इसलिये उक्त पाप कृत्यों से श्वचित् ही सुख
प्राप्ति होने की बात कह कर उन्हें सुख का व्यभिचारी बता कर उन को सुखजनकता का निराकरण
सूचित किया गया है ।

यह कहा जा सकता है कि-"इस जन्म में होनेवाले तत्तत् फलों के लिये ही तत्तत् कर्मों का
विधान है । अतः तत्तत् कर्म तत्तत् फल के कारण तो हैं ही, कभी कभी यदि उन कर्मों से उन फलों
की प्राप्ति नहीं होती तो यह बात उन की अङ्गविकलता के कारण होती है । अतः अङ्गसम्पन्न कर्मों
को तत्तत् फल का कारण मानने में व्यभिचार नहीं हो सकता" किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि
सम्पूर्ण अङ्गों से सम्पन्न भी पुत्रेष्टि आदि पाप से पति-पत्नी की शारीरिक अक्षमता के कारण पुत्र की
उत्पत्ति नहीं होती, अतः अङ्गसम्पन्न कर्मों की भी तत्तत् फल का कारण मानने में व्यभिचार का होना
निश्चाय है ।

इस पर यह कहना कि-"पुत्रेष्टि का फल पुत्रोत्पत्ति नहीं है किन्तु पुत्रोत्पत्ति के प्रतिबन्धक अदृष्ट
का विनाश है, पुत्रोत्पत्ति तो प्रतिबन्धक का अभाव हो जाने पर पुत्र जन्म के दृष्ट कारणों से ही सम्पन्न
होती है" यह ठीक नहीं है, क्योंकि फलोत्पत्ति में प्रतिकूल कर्म के अभाव के समान अनुकूल कर्म का
होना भी आवश्यक है । अतः अनुकूल कर्म के तात्त्विकसम्पादनार्थ ही अवशतर कर्मों की अपेक्षा होने से,
अवशतरकर्म अनुकूलकर्म के फल के प्रति अन्यथासिद्ध होते हैं । इसलिये यह निष्कर्ष सर्वात्मता
संगत है कि क्षुद्र वेवता के उद्देश्य से किये जानेवाले प्राणिवध आदि कर्म की उपयोगिता पूर्वकृत पाप-
नुबन्धी पुण्य की फलोन्मुख बनाने मात्र में है, फलोदय तो उक्त पुण्य का ही कार्य होता है ॥२४॥

अशुभ कर्मों के अनुष्ठान से होनेवाला इष्टलाभ उन कर्मों का फल न होकर पूर्वकृत पापानुबन्धी
पुण्य का ही फल होता है, इस पूर्वकारिकोक्त विषय की २७ वीं कारिका में दृष्टान्तद्वारा दृष्ट किया
गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है,-

मूलम्-ब्रह्महत्यानिवेद्यानुज्ञानात् प्राप्तादिरष्टःपदम् ।

न पुनस्तत एवैतदगमादेव गम्यते ॥२७॥

ब्रह्महत्याया निवेद्याः=अर्थं ब्राह्मणं व्यापादय, ततोऽहं तव ग्रामादि दास्यामि' इति राजाज्ञा, ततोऽनुज्ञानम्=ब्रह्महत्याकरणम्, ततोऽग्रामादिलाभवत्=स ग्रामादिलाभो यथा प्राचीनपापापानुबन्धिपुण्यदेव, न पुनस्तत एव=ब्रह्महत्याया एव, तथा प्रकृतमपीति भावः । ननु ब्रह्महत्यायास्तत्फलबोधको न विधिः, इतरत्र तु तादृशविधिभ्रवणात् वैपश्यम्, इत्यत आह एतद्=उपपादनम्, आगमादेव गम्यते=आगम एव हि हिंसासामान्ये दुःखजनकत्वं बोधयति, तत्कथं स एव हिंसाविशेषस्य सुखजनकत्वं बोधयेत् ? इति भावः । अधिकमग्रे विवेचयिष्यामः । इत्थं चैतद्वच्यमुपपन्नम्, अन्यथा श्रोत्रियेणापि स्तेच्छादिकृतकर्मविशेषात् फलविशेषदर्शनात् किं तत्र ममाधानं विवेच्यम् ? ॥२७॥

नन्यतामोऽपि प्रतिपक्षागमबाधित एषेत्युक्तमेव, इत्यतस्तेषां निर्णयत्वेनाऽप्रतिपक्षत्व-
मवसरसंगत्याऽऽह-

(ब्रह्महत्या प्राप्तादिलाभ का कारण नहीं हो सकती)

किसी राजाने अपने किसी कर्मचारी को आज्ञा दी कि 'तुम ब्राह्मण का वध करो, मैं इस कार्य के पुरस्कार स्वरूप तुम्हें 'ग्राम दूंगा'। कर्मचारी ने आज्ञा मान कर ब्राह्मण का वध किया, राजाने उसे ग्राम दिया। तो जिस प्रकार यह ग्रामलाभ पूर्वकृत पापानुबन्धी पुण्य का ही फल है, न कि ब्रह्महत्या का फल है, उसी प्रकार अन्य अशुभ कर्मों के अनुष्ठान से होने वाला इष्टलाभ भी पूर्वकृत पापानुबन्धी पुण्य का ही फल होता है, न कि उन अशुभ कर्मों का—यही मानना उचित है। अगर कहें ब्रह्महत्या करने से ग्राम लाभ होता है इस बात का तो बोधक कोई जालीयविधिवाक्य नहीं है किम्बु 'अमुक देवता को अमुक बलि प्रदान करने से पुत्रादि की प्राप्ति होती है' इस बात का बोधक वास्तवीय विधिवाक्य है अतः इस विधिमता के कारण उक्त इष्टलाभ से प्रकृत कर्म के विषय में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता—तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि आगम ही हिंसाभ्र में दुःखजनकता का बोधन करता है, फिर वही हिंसाविशेष में सुखजनकत्व का बोधन कैसे कर सकता है? इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। इस प्रकार अशुभ कर्मों के अनुष्ठान से होनेवाले इष्टलाभ के विषय में जो बात कही गयी है, उसे स्वीकार करना आवश्यक है, अन्यथा किसी श्रोत्रिय को स्तेच्छोचित कर्म करने से होनेवाले इष्टलाभ के सम्बन्ध में जब यह प्रश्न ऊठेगा कि 'यह इष्टलाभ स्तेच्छोचित कर्म का फल है? या पूर्वकृत किसी पुण्य का?' तो इस प्रश्न का क्या समाधान हो सकेगा? ॥२८॥

'हिंसा आदि से पाप और दुःख होता है तथा अहिंसा आदि से पुण्य और सुख होता है इस बात का प्रतिपादक आगम हिंसाविशेष से पुत्रादि के जन्म का प्रतिपादन करते बाले प्रतिपक्षी आगम से बाधित है—यह आक्षेप पहले किया गया है। अब उसके समाधान का अवसर प्राप्त है, अतः २८ वीं कारिका में प्रतिपक्ष आगमों को निर्णय बताते हुये उन्हें अभिमत आगम का अविरोधी बताया गया है।

मूलम्-प्रतिपक्षागमानां च दृष्टेष्टाभ्यां विरोधतः ।

तथाऽनाप्तप्रणीतशाश्वतमर्थं न युज्यते ॥ २८ ॥

प्रतिपक्षागमानां=जनातिरिक्तदर्शनानां, दृष्टेष्टाभ्यां विरोधतः=अवाधितप्रत्यक्षादि-
स्वाभ्युपगमविरुद्धार्थमिषायकत्वात्, तथा इति हेतुत्वात्पुनश्च, अनाप्तप्रणीतत्वाद्=
यथार्थवाक्यार्थज्ञानशून्यवस्तु-कत्वाद्, आगमत्वम्=प्रमाणशब्दत्वं न युज्यते ॥२८॥

अत्रोभयहेत्वभिधानेऽपि द्वितीयहेतुप्रदेऽपि प्रथम एव हेतुः, इत्युपजीव्यत्वात् तस्यैवा-
श्रयणं युक्तमित्युपदर्शयन् तदुपदर्शनमेव प्रतिजानीते-

मूलम्-दृष्टेष्टाभ्यां विरोधाच्च तेषां नाप्तप्रणीतता ।

नियमाद् गम्यते यस्मात् नदसावेव वद्यते ॥ २९ ॥

तेषां=विप्रतिपक्षागमानां दृष्टेष्टाभ्यां विरोधाच्च नाप्तप्रणीतता, नाप्तपदस्य नाकादिम-
ध्यनिवेशाश्रयणादनाप्तप्रणीततेत्यर्थः । 'नाप्तप्रणीतता' इत्युक्तं नत्रो योजनात् तत्र क्रियान्वये
तात्पर्यादानाप्तप्रणीतत्वाभाव इति शङ्कः । नियमात्=व्याप्तिवलात्, गम्यते=श्रुमीयते यस्मात्,
तत्=तस्माद् हेतोः, असावेव=दृष्टेष्टाभ्यां विरोध एव, वद्यते=शब्देन श्रोतॄणां बोध्यते ॥२९॥

(जनेतर शास्त्र अप्रामाणिक क्यों है ?)

कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

जैन वर्णन से अतिरिक्त सभी वर्णन का आगम जैनवर्णन के प्रतिपक्ष आगम हैं किन्तु उन आगमों
में जैनवर्णन का विरोध करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वे दृष्ट और इष्ट से विरुद्ध होने के कारण
निर्बल हैं। और जैनआगम दृष्ट और इष्ट से अविरोध होने के कारण प्रबल हैं। जनेतर आगमों में अवाधित-
प्रायश्च अनुमान आदि से विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन होने से दृष्टविरोध और उन्हीं आगमों में एकत्र स्वीकृत
अर्थका अन्यत्र विरोध होने से इष्टविरोध स्पष्ट है, जब कि जैनआगमों में ऐसा कुछ नहीं है। कारिका
में 'तथा' शब्द से अन्य हेतु का भी समुच्चय किया गया है, वह हेतु है 'अनाप्तप्रणीतत्व'। जनेतर
सभी आगम अनाप्त=वाक्यार्थ के यथार्थज्ञान से शून्य पुरुष' द्वारा रचित है, अतः उन्हें आगम यागी
प्रमाणभूतशब्द सामना उचित नहीं है ॥२८॥

[जनेतर शास्त्र दृष्टेष्टविरोध है]

पूर्व कारिका में जैनआगम से भिन्न आगमों के प्रमाण न होने में दो हेतु बताये गये हैं-एक दृष्ट-
विरोध तथा इष्टविरोध और दूसरा अनाप्तप्रणीतत्व-आप्तपुरुष से रचित न होना। किन्तु ये दोनों
समान नहीं हैं, इन में पहला हेतु जनातिरिक्त आगमों के अप्रमाणत्व का हेतु होने के साथ ही दूसरे
हेतु का भी हेतु होता है, अतः उपजीव्य होने के कारण प्रथम हेतु का ही आश्रय लेना उचित है ।

२६ वीं कारिका में इस लक्ष्य का प्रतिपादन करते हुये प्रथम हेतु के ही प्रतिपादन की प्रतिज्ञा की गयी है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है,-

विप्रतिपक्ष आगम-वे आगम जिन के प्रासाप्य में जनों की विभक्ति है, आप्तपुरुष से रक्षित नहीं है, क्योंकि उनमें दृष्टावरोध तथा दृष्टविरोध है, और यह नियम है कि जिस में दृष्टावरोध एवं दृष्टविरोध होता है वह आप्तपुरुष से रक्षित नहीं होता। उन आगमों में दृष्टावरोध और दृष्टविरोध किस प्रकार है, यह बात ही अब बतानी है।

(प्रासङ्गिक 'नाप्त'पदसाधुता विचार)

प्रस्तुत कारिका में जनेतर आगमों को 'नाप्तप्रणीत' कहा गया है। व्याख्याकारने उस के दो अर्थ बताये हैं, एक है (१) 'नाप्त' अनाप्त से रक्षित होना, और दूसरा है न आप्त-(२) आप्त से रक्षित न होना इन में पहला अर्थ 'नाप्त' पद को तत्र और आप्त पद के समास से निपट साधने पर कलित होता है, किन्तु ऐसा साधने पर यद्यपि 'नाप्त' शब्द की निष्पत्ति संकटग्रस्त साधुम पड़ती है, क्योंकि 'तत्र' शब्द समासघटक होने पर 'न लोपो नञः' इस पाणिनीय सूत्र ६-३-७३ से 'त्' का लोप और 'तस्मान्तु-रधि' पा० सूत्र ६-३-७४ से 'भ' और 'आप्त' के बीच नुद् (न्) का आगम होने से-और सिद्धहंम सूत्र 'अन् स्वरे' ३। २। १२९ से सीधा हो तत्र का अन् आवेश होकर 'अनाप्त' शब्द हो 'अनादि' 'अनाप्त' 'अमगार' आदि शब्दों के समान सिद्ध हो सकता है। 'नाप्त' शब्द नहीं, तथापि पाणिनीयमत से 'नाकादिगणपाठ' में 'नाप्त' शब्द का प्रवेष्टा प्राप्त लेने से कोई संकट नहीं पड़ता-एक अहाँ उक्त सूत्रद्वय लागू नहीं होते हैं जहाँ सुकठप्रयोग निपातन से सिद्ध होते हैं। उनप्रयोगोंको 'अप्राप्तस्य विधिः' 'प्राप्तेः' 'आयमम्' 'अधिकार्यविध्या' इन तीन निमित्त पाकर बंधाकरणयोग निपातनरूप से घोषित करते हैं एवं इसके लिए आकृतिसंज्ञक गणपाठ देते हैं।

सिद्धहंम व्याकरण में तो 'नखावमः' ३-२-१२८ सूत्र ही दिया गया है। यही नख आवि शब्द से बहुवचन आकृतिगण का सूचक है। आकृतिगणसूचक सूत्र में जहाँ 'आदि' शब्द एकवचनात् होता है, वहाँ लोपित अर्थात् उस गणपाठ में जितने उल्लिखित हैं उतने ही शब्द लिये जाते हैं, और जहाँ बहुवचनात् 'आविशब्द होता है, जैसे कि 'नखावमः' वहाँ जैसा संशयाका नियम नहीं है। इसलिये 'न खम् अस्थ इति पञ्चः' 'न भ्राजते नभ्रम्' 'न अस्थ कुलम् अस्ति इति नकुलः' 'नासरयम्' 'नपुंसकम्' इत्यादिष्वत् 'अनाप्त' अर्थ में 'नाप्त' शब्द प्रयोग भी साधु है। तात्पर्य, पाणिनीयव्याकरणानुसार नाकादिगणपाठ से व सिद्धहंमव्याकरणानुसार नखादिआकृतिगण सन्निवेश से 'नाप्त' प्रयोग साधु सिद्ध होता है।

अथवा अलखला सञ्ज्ञा से समास न कर के, निषेधार्थक 'न' अवयव के साथ ही समास कर देने से 'नैकधा' 'नैकत्र' 'नके' प्रयोगों के समान 'नाप्त' शब्दप्रयोग सिद्ध हो सकता है तथापि व्याख्याकार ने सञ्ज्ञा के साथ समास करने हेतु नाकादि गण की ही यतिविधि प्रस्तुत कर 'नाप्त' शब्द की साधुता का समर्थन यह कहते हुए किया है कि जिस प्रकार 'न अकं यस्मिन् स ताकः' इस अर्थ में 'न' और 'अक' का समास होकर 'नाक' शब्द बनता है, उसी प्रकार 'न' और 'आप्त' शब्द के समास से 'नाप्त' शब्द भी बन सकता है।

दूसरा अर्थ 'नाप्तप्रणीतता' शब्द को आप्त प्रणीतता न' इस रूप में योजित करने से और सञ्ज्ञा पदार्थ अभाव में प्रणयन क्रिया का अवयव करने से 'अनाप्तप्रणीतता' का अभाव ऐसा भी लक्ष्य

तत्रादौ मण्डलतन्त्रादिवादिभते तं प्रदर्शयति—

मूलम्—अगम्यगमनादीनां धर्मसाधनता कथञ्चित् ।

उक्तम् लोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेण विरुध्यते ॥३०॥

अगम्यगमनादीनां=लोकशास्त्रनिषिद्धभगिन्यादिगमनमार्गमक्षणप्रभृतीनाम्, कथञ्चित्
=मण्डलतन्त्रादिग्रन्थे धर्मसाधनता उक्ता । मा लोकप्रसिद्धेन=आविष्टदङ्गनादिप्रसिद्धेन
'भगिन्यादिगमनादिकं न धर्मजनकम्' इत्याकारेण श्रुतिनिषिद्धादिमतिज्ञानरूपेण प्रत्यक्षेण
[विरुध्यते=]वाच्यते । न चोक्तामयमस्यैव किं नैतद्वाचकत्वमिति वाच्यम्, बहुविद्वन्वेनास्यैव
फलवत्त्वात् । न च 'शतमानां भाषा न परयति' इति न्यायात् बहुविद्वन्वेनास्यैव फल-
जातीयत्वात्, अनुकूलनार्थसहकृतत्वात्वेत्यवसेयम् । उक्तो लोकदृष्टविरोधः ।

हो सकता है । अतः इस अर्थ में 'आप्त' शब्द या 'आप्तप्रणीत' शब्द के साथ नञ् शब्द का
समास मानने की आवश्यकता न होने से 'नाप्त' या 'नाप्तप्रणीतता' शब्द के समुच्चय को लेकर कोई
प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि कारिका में उक्त प्रकार के शब्द का लक्ष्यज्ञ ही न मान कर 'न'
पद की असमस्त एवं 'आप्तप्रणीतता' पद के उत्तर योजनातु मान सकते हैं ।

(अगम्यगमन से धर्मोत्पत्ति में प्रत्यक्ष बाध)

जैसेतर सभी आगमों में दृष्टविरोध बताना है, ३० वीं कारिका द्वारा सर्वप्रथम मण्डलतन्त्र
आदि वादियों के मत में दृष्टविरोध प्रदर्शित किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

लोक और शास्त्र दोनों में भगिनो आदि की अगम्य-सम्पर्क के लघोऽर्थ मान कर उनके
सम्पर्क का निषेध किया गया है । मूलमक्षण जैसे कार्य भी लोक-शास्त्र दोनों में ही वर्ण्य माने गये हैं,
किन्तु मण्डलतन्त्र आदि ग्रन्थों में उन निम्न कर्मों को भी धर्म का साधन बताया गया है । किन्तु
उन कर्मों को धर्म का साधन मानना ठीक नहीं है, क्योंकि विज्ञान पुटय से लेकर अशिक्षित नारी
तक क लोगों को अतनिष्ठित आदि भतिज्ञान के रूप में यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि भगिनीगमन जैसे
गर्हित कर्म धर्म के साधन नहीं होते । अतः मण्डलतन्त्र जैसे ग्रन्थ के बल पर लोकशास्त्र-गर्हित कर्मों
में प्रत्यक्षबाधित धर्मसाधनता को स्वीकार करना उचित नहीं है ।

(मण्डलतन्त्रीय आगम निर्बल क्यों है ?)

यदि यह शंका की जाय कि—मण्डलतन्त्र आगम को ही उक्त प्रत्यक्ष का बाधक क्यों न माना
जाय तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त प्रत्यक्ष बहुजनमान्य होन के कारण उक्त आगम से बलवान्
है । इस पर यह शंका करना कि—बहुजनमान्यता से किसी को बलवान् नहीं सिद्ध किया जा सकता,
क्योंकि संकष्टों अर्थों का बलन एक अनुमान के बलन से बुझल माना जाता है । अतः जो बहुजनमा-
न्य होता है वह बलवान् होता है—इस नियम में कोई प्रयोजक नहीं है—ठीक नहीं है, क्योंकि 'मण्डल-
तन्त्र आगम से उक्त प्रत्यक्ष बलवान् है' यह बात केवल बहुजनमान्यता पर ही आधारित नहीं है,
अर्थात् उपजीव्यकालीयता पर भी आधारित है । कहने का आशय यह है कि आगम बाहुल्येन प्रत्यक्ष

अथैष्टविरोधमाह-

सुलभ-स्वधर्मोत्कर्षादिव तथा मुक्तिरपीक्ष्यते ।

हेत्वभावेन तद्भावां नित्य इष्टेन बाध्यते ॥३१॥

मन्वा तैर्वादिभिः स्वधर्मोत्कर्षादिव=स्वाभिमतानुगम्यगमनादिधर्मप्रकर्षादिव, मुक्तिरपी-
क्ष्यते, तथा च हेत्वभावेन=सर्वाऽनुगम्यगमनादीनां दुःशकतया तदुत्कर्षरूपचरमहेत्व-
सम्भवेन, तद्भावाः=मुक्तयुत्पादाः, नित्यः=हेतुनिर्गन्तव्यः स्यात्, नन्यश्लेषेण अनित्यः=
अश्वनशीलः स्यादिति वा, स च इष्टेन=उक्तरीत्या सहेतुकत्वाभ्युपगमेन, बाध्यते ।

‘तद्भावाः=मुक्तिमद्भावाः, अनित्यः स्यात्, हेत्वभावेन मुक्तानां मुक्तताक्षतेः, तथा
चैष्टभावाः’ इति ग्रन्थकृदाशयस्तु हिंसाध्यवयवार्थविशेषरूपहिंसात्कर्षेण प्राक्कर्मक्षयसम्भवेऽप्यग्रे
तदभावेन श्रणिकत्वद्वाराऽभायसम्भवादुपपाद्यः ॥३१॥

गृहीत अर्थ का प्रतिपादक तथा प्रत्यक्षगृहीत होकर ही अर्थ का प्रत्यायक होने से प्रत्यक्ष का उपजीवक
है, और प्रत्यक्ष उस का उपजीव्य है, उपजीव्य उपजीवक से सर्वथा बलवान् होता है। अतः उक्त
प्रत्यक्ष उपजीव्य का सजातीय होने के कारण उक्त आगम से निस्तब्ध रह बलवान् है ।

इस के अतिरिक्त जो ‘बहुजनमान्य’ होता है वह प्रत्यजनमान्य से बलवान् होता है इस नियम के
अनुकूल तर्क भी है। वह यह कि यदि बहुजनमान्य को बलवान् न माना जायगा तो अपने अधिमत की
पुष्टि में बहुजनसम्मति बताने की लोकप्रवृत्ति का क्या फायदा होगा। यतः ऐसी लोकप्रवृत्ति है अतः
बहुजनसम्मति को बलवान् मानना निविचार है ।

इस प्रकार मण्डलतन्त्र आगम में लोकदृष्ट का विरोध स्पष्ट है ॥३॥

[हेतु के असम्भव से मुक्ति-इष्ट का बाध]

३१ चो कारिका द्वारा उक्त आगम में इष्टविरोध बताया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है-
मण्डलतन्त्रवादी अनुगमन एवं प्राणिहिंसा आदि की ही धर्म मानते हैं और उन धर्मों के उत्कर्ष
की ही मुक्ति का हेतु मानते हैं, जो इष्टविरोध होने से उचित नहीं है। इष्टविरोध इसप्रकार है कि-
इष्ट है मुक्ति का हेतुओं से सम्पन्न होना और वह मण्डलतन्त्र के मत में अनुपपन्न है, क्योंकि कि उस मत में
अनुगमन-प्राणिहिंसा आदि का उत्कर्ष ही मुक्ति का हेतु है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण
जन्तुओं का यमन एवं समस्त प्राणिमों की हिंसा सम्भव न होने से दुर्घट है। फलतः हेतु के अभाव में
मुक्ति का सञ्जाय नित्य ही जायगा अर्थात् मुक्ति सब की सर्वथा स्वतः सुलभ ही जायगी, अथवा
कारिका में ‘तद्भावां नित्यः’ इस वाक्य में ‘नित्यः’ के पूर्व अकार का प्रक्षेप कर कारिकाकार का इस
कथन में तात्पर्य माना जा सकता है कि हेतु के अभाव में मुक्ति अनित्य अर्थात् हेतु के बिना उपपन्न
न हो सकने से सर्वथा अस्तित्वरूप्य ही जायगी। इस प्रकार मुक्ति के विषय में मण्डलतन्त्र की उक्त
मान्यता में इष्टविरोध स्पष्ट है ।

पराभिप्रायमाह—

मूलम्—माध्यस्थ्यमेव तज्जेतुरगम्यगमनादिना ।

साध्यमे तत्परं येन तेन दोषो न कश्चन ॥ ३२ ॥

माध्यस्थ्यमेव=अनक्तद्विष्टत्वमेव, तज्जेतुः=मुक्तिहेतुः । तत्परं=प्रकृष्टम्, क्लेश-
वासनयाऽश्लेष्यमिति यावत्, येन = कारणेन, अगम्यगमनादिना, साध्यते, गम्यगमनादिषु
तुल्यतया प्रयुक्तेः, तेन कारणेन कश्चन न दोषः । माध्यस्थ्योत्कर्षेण मुक्तेः, तत्साधनतया
चागम्यगमनाद्युपयोगस्य समर्थनादिति भावः ॥३२॥

अत्रोत्तरमाह—

मूलम्—एतदप्युक्तिमात्रं यदगम्यगमनादिषु ।

तथाप्रवृत्तितो मुक्त्या माध्यस्थ्यं नापपत्तये ॥३३॥

ग्रन्थकारने स्वनिर्मित व्याख्या में प्रस्तुत कारिका के उत्तरार्थ का यह आशय बताया है कि 'हेतु
का अभाव होने से मुक्त पुरुषों की मुक्तता की हानि होने के कारण मुक्त का सञ्ज्ञाव अनिश्च हो जायगा
अर्थात् मुक्ति की उत्पन्नता का व्याघात होगा' ।

प्रकृत व्याख्याकार ने इस आशय को उपरान्त इस प्रकार की है कि कुरस्न कर्मों का अर्थ ही
मुक्ति है जो मण्डलतन्त्र के मत में सम्भव नहीं है, क्योंकि हिंसा के विरोध अन्तिम अध्यवसाय से पूर्व-
कर्मों का अर्थ हो जाने पर भी उस अन्तिम अध्यवसाय से होने वाले कर्मों का अर्थ न हो सकेगा, क्योंकि
उसके अन्तर हिंसा का कोई अन्य अध्यवसाय सम्भव नहीं रहता जिस से उस का नाश उत्पन्न हो
सके, और उस कर्म की क्षणिक मानने का अन्य कोई आधार भी नहीं है, कलतः उक्त मत में कुरस्न
कर्मों का अर्थ न हो सकने से मुक्ति की अनिश्चता का प्रसङ्ग अर्थात् उस की उत्पन्नता का व्याघात
निविष्टाव है ॥३३॥

(अगम्या-गमनादि से माध्यस्थ्यभावप्राप्तिद्वारा मोक्ष-पूर्वपक्ष)

इन्हीं कारिका में मुक्ति के लिये अगम्यगमन आदि को आवश्यक मानने में मण्डलतन्त्र का क्या
अभिप्राय है, इसे स्पष्ट किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

माध्यस्थ्य ही मुक्ति का कारण है, माध्यस्थ्य का अर्थ है रागद्वेष से रहित होना । राग द्वे-
ष्टरूप क्लेशों की वासना से ओझ न हो जैसा उस का प्रकर्ष होने पर ही मुक्ति का उदय होता है
और वह प्रकर्ष प्राप्त होता है समान भाव से अर्थात् गम्य स्त्रियों के समान अगम्य स्त्रियों का
गमन करने से । आशय यह है कि किसी स्त्री को गम्य और किसी की अगम्य मानने पर
गम्य के प्रति राग और अगम्य के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, अतः गम्य अगम्य का भेद न कर
समान भाव से सभी स्त्रियों से सम्पर्क करना चाहिये, ऐसा करने से सब के प्रति समभाव होने से
रागद्वेष का अभाव होता है और यही रागद्वेष का अभाव जब प्रकृष्ट अवस्था में पतुं चता है तब
मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति की प्राप्ति में अगम्यगमन आदि के उपयोग का सम्बन्ध इस
प्रकार मुक्तिहेतुभूत माध्यस्थ्य को सिद्ध करने में करते हैं इसलिए उद्गममें कोई दोष नहीं है ॥३२॥

एतदपि=अनन्तरोदितमपि, उक्तिमात्रम्=युक्तिशून्यम्, यत्=यस्मात्कारणान्
अगम्यगमनादिवृ तथा प्रवृत्तिः=गम्यगमनादितुल्यप्रवृत्तिः, युक्त्या विचार्यमाणं
माध्यस्थ्यं नोपपद्यते ॥३३॥

कुतस्तस्योपपद्यते ? इत्याह—

मूलम्—अप्रवृत्त्यैव सर्वत्र यथासामर्थ्यभावनः ।

विशुद्धभावनाभ्यासात् तन्माध्यस्थ्यं परं यतः ॥३४॥

सर्वत्र=गम्यगमनादीं, यथासामर्थ्यभावनः=स्वपरिहारासामर्थ्यमनतिक्रम्य, अप्रवृ-
त्त्यैव=तन्निवन्धनविषयहेतुत्वात् तदनिच्छया निर्ममत्वमासाद्य विशुद्धानां मैत्र्याद्युपवृत्तितानां
भावनानामनित्यत्वाद्यनुपेक्षाणामभ्यासात् दृढमानसोत्साहात् परमनिर्ममत्वप्राप्तेः, विषय-
द्वेषस्याऽपि बहून्देशान् विनाश्यातुविनाशवद् विषयेच्छां विनाश्य तत्कालं विनाशात्, तत्=
प्रागुक्तम्, परम्=उत्कृष्टं, माध्यस्थ्यं भवति—यतः अतोऽन्यथा नोपपद्यते इति भावः ।
तदिदमुक्तं वशिष्ठेनापि—

मानसीवासनाः पूर्वं त्यक्त्वा विषयवासनाः मैत्र्यादिवासना रम । गृह्णाणामलयागनाः ॥

(अगम्यगमनादि से माध्यस्थ्य की अनुपपत्ति—उत्तरपक्ष)

३३वीं कारिका से पूर्वकारिका में उक्त मत का उलार दिया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—
पूर्व कारिका में कहा गया है कि युक्ति का हेतु है माध्यस्थ्य, और उस की सिद्धि के लिये
आवश्यक है अगम्यगमन आदि कार्यों का अभ्यास । किन्तु यह कथन कोरा कथनमात्र है, इस में
कोई युक्ति नहीं है । क्योंकि युक्तिपूर्वक विचार करने पर यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि
'जिस मनोभाव से मनुष्य गम्य स्थियों का गमन करता है उसी भाव से अगम्यस्थियों का भी गमन
करने से सम्पूर्ण स्थियों के विषयमें उस में माध्यस्थ्य आ जाता है, किसी के प्रति उस के मन में
राग या द्वेष नहीं उत्पन्न होता' यह कल्पना निस्सार है ॥३३॥

(अप्रवृत्ति-विशुद्धभावना के अभ्यास से माध्यस्थ्य)

पूर्व कारिका द्वारा माध्यस्थ्य की सिद्धि के मण्डलसम्बोधित साधनों का सङ्गठन कर देने पर उक्त
ऊँचा है कि तो फिर माध्यस्थ्यसिद्धि का अन्य उपाय क्या है ? ३४ वीं कारिका में उसी उपाय का ही
प्रतिपादन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

अपने सामर्थ्य के अनुसार संसार के सभी विषयों में प्रवृत्ति का परिहार करने से ही माध्यस्थ्य
की सिद्धि और विशुद्ध भावना के अभ्यास से उस के उत्कर्ष की प्राप्ति होती है । इन से अतिरिक्त
माध्यस्थ्य की सिद्धि और प्रकट की प्राप्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है ।

आशय यह है कि सांसारिक विषयों में प्रवृत्त होना मनुष्य का स्वभाव है, अतः उन में प्रवृत्त
होते रहने से वह विषयों के सम्बन्ध में मध्यस्थ्य यानी रागद्वेष से मुक्त नहीं हो सकता, उस के लिये

तत्र वासनालक्षणमिदम्—

“हृद्भावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम् । यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिना ॥”

सा च द्विविधा मलिना शुद्धा च, तत्र शुद्धा योगशास्त्रसंस्कारप्राप्त्यात् तत्त्वज्ञान-
साधनत्वेनैकरूपापि यैव्यादिशब्दैर्विभक्ता । मलिना तु त्रिविधा लोकवासना, शास्त्रवासना
देहवासना चेति । ‘सर्वे जना यथा न निन्दन्ति तथैवाचरिष्यामि’ इत्यशक्यार्थाभिनिवेशो
लोकवासना, ज्ञानशास्त्रवर्जितपुमर्थानुपयोगिनाम्ना मलिनत्वम् । शास्त्रवासना त्रिविधा
पाठव्ययनम्, बहुशास्त्रव्ययनम्, अनुष्ठानव्ययनं चेति, मलिनत्वं चास्याः क्लेशावहत्व-
पुमर्थानुपयोगित्वदर्पहेतुत्वैः । देहवासना च त्रिविधा आत्मत्वभ्रान्तिः, गुणाधानभ्रान्तिः
दोषापनयनभ्रान्तिश्च । गुणाधानं द्विविधं-लौकिकं आस्थीयं च । आद्यं सम्यक् शब्दादिविषय-
सम्पादनम्, अन्त्यं गङ्गात्नानादिमम्पादनम्, दोषापनयनमप्येवं द्विविधम् । आद्यमौषधेन
व्याध्याघपनयनम्, अन्त्यं स्नानादिनाऽशौचाद्यपनयनम् । एतन्मालिन्यं चाऽप्रामाणि-
कत्वाद्, अशक्यत्वात्, पुमर्थानुपयोगित्वाद् पुनर्जन्महेतुत्वाच्च ।

आवश्यक है कि मनुष्य विषयों में प्रवृत्त न होने के लिये प्रयत्नशील रहें । विषयों से दूर रहने का
प्रयत्न करते रहने से कौरे धीरे उनके प्रति मनुष्य के मन में द्वेष हो जायगा और द्वेष हो जाने पर
उस में उस का आकर्षण होता बन्द हो जायगा, आकर्षित हो कर उन्हें पाने की उस को इच्छा सदा के
लिये समाप्त हो जायगी । इससे विषयों में मनुष्य का सम्पर्क न रह जायगा । फलतः संसार के सभी
संयोग अनिरय हैं, संसार में जीव अशरण-हैं इस प्रकारकी अनिरयता-अवारण्यविकी निर्मल भावना-
अनुप्रेक्षा का हृदय से अभ्यास कर सकेंगे । यह अभ्यास भी मैत्री करुणावि चार भावों से समर्थित
बना रखेंगे । इस प्रकार मैत्र्यावि भावों से पोषित अनिरयताविकी अनुप्रेक्षा के अभ्यास से विषयों से
विमुख रहने के लिये मनुष्य के मन में दृढ उत्साह होगा, जिस से विषयों के प्रति अत्यन्त उत्कृष्टकोटि-
की विरक्ति-निर्ममता का उदय होगा जिससे राग का आत्यन्तिक अभाव हो जायगा । विषयों में विरक्ति
के इस उपपादन से यह प्रश्न उठ सकता है कि इस विषयविरक्ति का मूल तो है विषयद्वेष, जो विषयों
से दूर रहने के प्रयत्न से उदित होता है, फिर उस द्वेष के रहते रागद्वेषराहित्यरूप साध्यस्थ की
सिद्धि कैसे हो सकती है ? व्याख्याकारने इस प्रश्न का उत्तर यह दिया है कि जैसे आग बाहु तृण
आदि द्रव्य को जलाकर स्वयं भी बुझ जाती है उसी प्रकार विषयद्वेष विषयेच्छा को मष्टकर
तत्काल ही स्वयं मष्ट हो जाता है, अतः विषयों में प्रवृत्त न होने का प्रयत्न करने से विषयों के प्रति
रागद्वेषराहित्यरूप साध्यस्थ की सिद्धि और समतायुक्त विषयों में अनिरयता वर्णम भावि की
विशुद्धभावना के अभ्यास से साध्यस्थ के प्रकर्ष की प्राप्ति होने में कोई बाधा नहीं हो सकती ।

व्याख्याकार ने उक्त तथ्य की दृष्टि में योगवासिष्ठ ग्रन्थ से वशिष्ठशुद्धि का एक वचन
उद्धृत किया है जिस में राम की मनोगत प्राक्तन विषय वातनाओं की स्थाप कर मैत्री भावि निर्मल
वातनाओं की अवस्था का उपदेश दिया गया है ।

शुद्धवासनया चैयं मलिनवासना क्षीयते । तथा हि सुखिषु मैत्री भावयतः तदीयं सुखं मदीयमेवेति कृत्वा 'मयं सुखजातीयं मे भूयाद्' इति चिन्तात्मिका रागवासना निवर्तते । दुःखिषु कुरुणा भावयतश्च वैर्यादिनिवृत्त्या द्वेषवासना निवर्तते । पुण्यवस्तु मुक्तिभावनान् पुण्याऽकर्मणानुशयनिवृत्तेस्तद्वासना निवर्तते । तथा पापपुष्टेर्भावावयतस्तत्करणनिमित्तकानुशयनिवृत्तेस्तद्वासना निवर्तते इति । ततोऽशुक्लाऽकृष्णपुण्यप्रवृत्तान्तत्प्रसादात्का परं साध्य-स्थम् । इति पातञ्जलानां प्रक्रिया ॥३४॥

[वासना का स्वरूप और भेद]

योगशास्त्र में वासना के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि-हृद भावना के कारण पूर्वापर विचारवशा को त्याग कर वस्तु को ग्रहण करने का नाम है वासना । उस के दो भेद हैं मलिन और शुद्ध । शुद्धवासना से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्त्वज्ञान का साधन होने की दृष्टि में यह वासना एक ही रूप की है किन्तु योगशास्त्र के प्रथम संस्कार से उसे संशय, कुरुणा, मुक्तता और उपेक्षा शब्दों से विभाजित किया गया है ।

मलिन वासना के तीन भेद हैं-लोकवासना, शास्त्रवासना और देहवासना । 'मे ऐसा आचरण करना जिस से लोक में कोई भी व्यक्ति मेरी निन्दा न कर सके' इस प्रकार अशुभकार्य करने का साधन ही लोकवासना है । विषय 'लोकरञ्जन' अशुभ और पुरुषार्थ सिद्धि के लिये अनुपयुक्त होने से इसे मलिन माना जाता है । शास्त्रवासना के तीन भेद हैं-पाठव्यसन-विरागतर पढ़ने रहने का व्यसन, बहुशास्त्रव्यसन=अनेक शास्त्रों की ही जानने का व्यसन, एवं अनुष्ठानव्यसन=शास्त्रीय कर्मों की ही करते रहने का व्यसन । कर्मप्रवृत्ति होने से, पुरुषार्थ की सिद्धि में उपयुक्त न होने से तथा अहंकार का कारण होनेसे शास्त्रवासना को मलिन वासना कहा जाता है । देहवासना के भी तीन भेद हैं-आरम्भभ्रान्ति=देह आदि जड़ पदार्थों में आत्मखोज, गुणध्यानभ्रान्ति=कर्मों से देह में-रूपादि नवीन गुण का उदय होने की चारणा, तथा बोधोपपन्नभ्रान्ति=कर्मों से देह की अशीर्वाच बोध बुर होने की श्रद्धा ।

गुणाधान दो प्रकार का होता है-लौकिक और शास्त्रीय । देहको शब्द आदि विषयों के सम्यक् सम्पादन को लौकिक गुणाधान कहा जाता है, देहको महारात्मन आदि के सम्पादनको शास्त्रीय गुणाधान कहा जाता है । बोधोपपन्न भी लौकिक-शास्त्रीय भेद से दो प्रकार का होता है । अधिष्ठान द्वारा देहके व्याधि आदि को दूर करना लौकिक बोधोपपन्न है और शास्त्रानुसार स्नान आदि से अशीर्वाच आदि को दूर करना शास्त्रीय बोधोपपन्न है । अप्रामाणिक, अशुभ व पुरुषार्थ के लिये अनुपयुक्त तथा पुनर्जन्म का हेतु होने से देह वासना को मलिन कहा जाता है ।

शुद्ध वासना से मलिन वासना का विनाश होता है । जैसे सुखी मनुष्यों में संशय-विश्वास की भावना करने से पराये सुख को भी मनुष्य 'उसका सुख मेरा ही सुख है' इसप्रकार अपना ही सुख समझने लगता है । अतः अपने सुख की आकांक्षा समाप्त हो जाने से, मुझे सभी सुख प्राप्त हों, इस प्रकार की रागवासना की निवृत्ति हो जाती है । इसी प्रकार बुद्धीमनुष्यों में कुरुणा-कृपा की भावना से

प्राग्भिप्रायमाह-

मृतम्-यावदेवंविधं नेतन् प्रवृत्तिस्तावदेव या ।

साऽविशेषेण साध्वीति तस्योत्कर्षप्रसाधनात् ॥३५॥

नाप्रवृत्तेरियं हेतुः कुतश्चिदनिवर्तनात् ।

सर्वत्र भावाविच्छेदादन्यथाऽप्यस्य संस्थितिः ॥३६॥

यावदेवंविधं=सर्वत्राऽप्रवृत्तिरूपम्, एतत्=माध्यस्थ्यं न भवति, तावदेव या प्रवृत्तिः, साऽविशेषेण गम्यागम्यादितुल्यतयैव, साध्वी=न्याय्या, तस्य=माध्यस्थ्यस्य, 'उत्कर्षप्रसाधनात्' इति हेतोः गम्यगमनां प्रवृत्तिन्याय्येति निगमः ॥३५॥

अत्रोत्तरमाह-'इयम्=अविशेषेण प्रवृत्तिः, अप्रवृत्तेः हेतुर्न, कुतः ? इत्याह-सर्वत्र विषये, भावाऽविच्छेदाद्=इच्छानिवृत्त्यभावात्, अन्यथा=स्वादिच्छानिवृत्त्यङ्गीकारे, अगम्यसंस्थितिः=अगम्यव्यवस्था, यदितरस्मिन् प्रवृत्तिस्तस्यैवागम्यत्वादिति भावः ॥३६॥

बैर आदि की निवृत्ति होने से दुष्ट वासना का उन्मूलन हो जाता है। पुण्यशील मनुष्यों के प्रति प्रवृत्ति-हृष की भावना से 'पुण्य न करने के पश्चात्ताप' की नियुक्ति होने से पुण्यवासना का अवनत हो जाता है और पापी मनुष्यों में उपेक्षा-तटस्थता की भावना से पापानुष्ठानमूलक पश्चात्तापकी नियुक्ति से पापवासना का अन्त हो जाता है। फलतः अशुक्लाकृष्ण-पूर्णसार्वभौम पुण्य कर्मों में प्रवृत्ति और विल में प्रसन्नता के उदय से उत्कृष्ट माध्यस्थ्य की प्राप्ति होती है। योगशास्त्र खण्डेन पतञ्जलि ने माध्यस्थ्यसिद्धि की यही प्रक्रिया बताया है।

[माध्यस्थ्य उदय के पूर्व गम्यागम्य में तुल्यभाव साधु है ?]

पैतृसर्वी कारिका में सण्डलतन्त्रवादी का अभिप्राय बताया गया है जो इस प्रकार है-समग्र विषयों में अप्रवृत्तिरूप माध्यस्थ्य जब तक नहीं सम्पन्न होता तब तक गम्य अगम्य सभी स्त्रियों में बिना किसी भेदभाव के प्रवृत्त होना ही न्यायोचित है, क्योंकि उसी से माध्यस्थ्य का उत्कर्ष साधित हो सकता है। आशय यह है कि मनुष्य की इच्छा प्राप्त में न हो कर अप्राप्त में ही होती है, अतः गम्य स्त्रियों के सम्पर्क से उन स्त्रियों की इच्छा तो न होती, पर अगम्य स्त्रियों की इच्छा बनी रहेगी जब इच्छा भी न हो एतदर्थ उनके साथ सम्पर्क करना भी आवश्यक है, क्योंकि तभी समस्त स्त्रियों में रागराहित्यरूप उत्कृष्टमाध्यस्थ्य की सिद्धि हो सकती है।

[प्रवृत्ति से इच्छा अखंडित रहने से अप्रवृत्ति-माध्यस्थ्य का अनुदय]

पैतृसर्वी कारिका में उक्त अभिप्राय को अयुक्तता बताया गया है। जो इस प्रकार है-सम्पूर्ण विषयों में अप्रवृत्ति ही माध्यस्थ्य है, जो गम्य अगम्य सभी स्त्रियों में प्रवृत्त होने से सम्भव नहीं है क्योंकि सर्वत्र प्रवृत्त होते रहने से किसी से भी निवृत्ति नहीं हो सकती, जब तक मनुष्य सर्वत्र प्रवृत्त होता रहेगा तब तक सभी स्त्रियों में उस की इच्छा बनी रहेगी, और इच्छा रहते हुये प्रवृत्ति का

एतदुपचयार्थमेवाह—

मूलम्-तच्चास्तु लोकशास्त्रोक्तं तत्रौदासीन्ययोगतः ।

संभाव्यते परं तत्र भावशुद्धेर्महात्मनः ॥३७॥

तच्च=अगम्यं, लोकशास्त्रोक्तं भगिन्याद्येव अस्तु, यादृच्छिककल्पनाया अप्रा-
माणिकत्वात् । तत्र=अभ्यर्थे, औदासीन्ययोगतः=अगम्यादिदृष्टत्वात् प्रवृत्तेः, महात्मनः
दृढप्रतिज्ञस्य, भावशुद्धेः=एकान्तविहितानुष्ठानसम्पत्तेः, हि=निश्चितम्, परमेतद्=माध्यस्थ्यं,
संभाव्यते, देशविरतिपरिणामेनानिकाचित्तस्य चारित्रमोहनीयस्याचिरादेव क्षयसम्भवात् ।

स्यादेतद्, इच्छानिरोधात् न तच्चिद्वृत्तिः, किन्तु यथेच्छं प्रवृत्त्या सिद्धत्वज्ञानादेव,
ततो योगार्थं यथेच्छं प्रवृत्तिरेवोचिता, का तत्र गम्याऽगम्यव्यवस्था ? मैत्रम्, यावत्सुख-
सिद्धत्वधियं विना विशेषदर्शिनः सामान्येच्छाया अविच्छेदात्, विशिष्य सिद्धत्वधियस्तु
विशेषेच्छाया अनिवर्तकत्वात्, अन्यथा प्रोषितस्याज्ञातकालामरणस्य तत्कालावलोकनेच्छा-
ऽभावप्रसङ्गात् अनिद्विविधे इच्छाया अनिरोधाच्च । तस्मात् सामान्येच्छाविच्छेदः सिद्धत्व-

परिहार हो नहीं सकता । और यदि किसी में इच्छा की प्रवृत्ति साम कर प्रवृत्ति का अभाव माना
जायगा तो इस प्रकार की वस्तु यदि स्त्री होगी तो बही अगम्य हो जायगी, फिर गम्य-अगम्य में
भेद न कर सभी स्त्रियों में प्रवृत्ति कैसे सम्भव हो सकेगी ? ॥३६॥

(लोक-शास्त्र कथित अगम्यादि में महात्मा का औदासीन्य)

३७ वीं कारिका द्वारा पूर्व कारिका में कथित अर्थ का समर्थन किया गया है । कारिका का
अर्थ इस प्रकार है—

लोक और शास्त्र के अनुसार भगिनी आदि ही अगम्य हैं, क्योंकि गम्य अगम्य की मनमानो-
कल्पना प्रमाणहीन होने से मान्य नहीं हो सकती । अतः उत्कृष्ट कोटि का माध्यस्थ्य अर्थात् रागद्वेष
का पूर्ण अभाव सभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य अपने में महात्मता स्थापित करे, लोक-और
शास्त्र में निम्ननीय कर्मों को न करने की अटल प्रतिज्ञा करे, अपना ज्ञान शुद्ध रखे, लोक-शास्त्र में
माध्य कर्मों का एकान्तनिष्ठा से निरन्तर अनुष्ठान करे और अगम्य भगिनी आदि के सम्बन्ध में
उदासीनभावपक्ष अर्थात् राग-द्वेष रहित हो शुभ कर्मों में ही सर्वत्र प्रवृत्त रहे ।

ऐसे मनुष्य को उक्त माध्यस्थ्य प्राप्त होने का कारण यह है कि मनुष्य की मायशुद्धि, सरकर्म-
परायणता और निम्नकर्मों से वैशुध्य भावि देशविरति का परिणाम है और उस परिणाम से भोगेतर
कारणों से भी माय-योग्य चारित्रमोहनीय कर्म अर्थात् सर्वविरतिपरिणामस्वरूप चारित्रभाव के
आधारक (प्रतिबन्धक) अनिकाचित्त मोहनीय कर्म का मोह ही विनाश हो जाता है । यही अनिका-
चित्त इसलिये कहा कि अनिकाचित्त कर्म अवश्य भोक्तव्य हैं जबकि अनिकाचित्त कर्म बिना भोग
किये तब से भी नाश योग्य होते हैं ।

ज्ञानकृतो नास्ति विरक्तानाम्, किन्तु शुभादृष्टकृत एव । तच्च शुभादृष्टं विषयाप्रवृत्त्यैव भवति, तत्प्रवृत्त्या तु तत्प्रतिकूलादृष्टार्जेनादृक्कटेष्ठैव विषये जायते । तद्वृत्तं पतञ्जलिनाऽपि 'भोगाभ्यासमनुवर्तन्ते रागाः, कौशलं चेन्द्रियाणाम्' इति । 'गीतास्वप्नुस्तम्—

“न जातु कामः कामानाम्पभोगेन शास्यति ।

इविषा कृष्णवार्त्मेव भूय गृधाभिवर्धते ॥” इति ॥

इत्थं चैतदवरयमङ्गीकर्तव्यम्, पिपासाया इव विषयेच्छायाः क्लिष्टकर्मोदयजनित-

(यथेच्छप्रवृत्ति से विषयपराङ्मुखता का असम्भव)

वस्तु के सम्बन्ध में मण्डलतन्त्रवादी की ओर से यह कहा जा सकता है कि—“सम्पूर्ण विषयों में इच्छा का निरोध सम्भव न होने से इच्छा के निरोध से मनुष्य की विषयबन्धुता मले न हो किन्तु औचित्य-प्रतीचित्य का विचार न कर इच्छानुसार विषयोपभोग में प्रवृत्त होने से विषयबन्धुता सुख में अब विषयसुख सिद्ध हो गया ऐसा सिद्धत्व का ज्ञान होने पर तो विषयबन्धुता सुसम्पन्न हो सकती है, अतः योग की सिद्धि के लिये विषयों में यथेच्छ प्रवृत्ति हो उचित है, वही स्थिराई के सम्बन्ध में गम्या-अगम्यादि का भेद करना अनावश्यक है ।”—किन्तु प्रस्तुत कारिका के व्याख्याता के अनुसार यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'समस्त सुख सिद्ध हो गए' ऐसा समस्त सुख में सिद्धत्व का लाभ हुये बिना विशेषवर्षों अर्थात् प्राप्त सुखों से भिन्न सुख की सम्भाव्यता को जाननेवाले मनुष्य की सामान्य रूप से सुखभात्र की इच्छा का उच्छेद नहीं हो सकता, एक सुख के सिद्धत्व का लाभ दूसरे सुख की इच्छा का निवर्तक नहीं हो सकता । एक वस्तु की सिद्धि से यदि उस वस्तु के सहज अन्य वस्तु की इच्छा का विच्छेद माना जायगा तो अपनी प्रेयसी से दूर परदेश गये पुरुष को उसकी मृत्यु का ज्ञान न होने की स्थिति में उसके पुनः अवलोकन की जो इच्छा होती है वह न हो सकती क्योंकि उसका अवलोकन प्रीति के पूर्व हो चुका है । जो विषय सिद्ध नहीं है उस की इच्छा का निरोध होता भी नहीं है । अतः यही मानना युक्तिसंगत है कि विरक्त पुरुषों को जो समय इच्छा का विच्छेद होता है वह कतिपय दृष्ट वस्तुओं के सिद्धत्वज्ञान से नहीं होता, अपि तु शुभादृष्ट के प्रभाव से होता है और वह शुभादृष्ट विषयों में यथेच्छ प्रवृत्ति से न हो कर विषयों में प्रवृत्त न होने से निवृत्त होता है । विषयों में प्रवृत्त होने से तो विषयेच्छा-निवर्तक अदृष्ट के विरोधी अदृष्ट का उदय होता है जिस से विषय की उत्कट इच्छा का ही संबन्ध होता है । पतञ्जलि ने भी इस तथ्य की दृष्टि यह कहकर की है कि विषयोपभोग के अभाव से विषयों में राग की अभिवृद्धि होती है, और विषयग्रहण में इन्द्रियों की पटुता सम्भावित होती है ।

गीता में भी कहा गया है कि—काम=विषयसुख के उपभोग से काम=विषयसुख की इच्छा निवृत्त नहीं होती, प्रवृत्त इन्द्रिय-वादि हवनीय वृथ्वों से अभिन् के समान अधिकारिक बढ़ती जाती है ।

टिप्पण—१ गीता वचन के रूप में निर्दिष्ट 'न जातु कामः कामानाम्' इत्यादि वचन प्रसिद्ध गीता मगधप्रीता में प्राप्य नहीं है किन्तु मनुस्मृति में प्राप्य है । अतः यहां 'गीता' शब्द से मनुस्मृति में तात्पर्य हो ऐसा प्रतीत होता है ।

स्वेन तदुपशमैर्नैव तदुपशमात् । तदुपशमार्थमेव च पिपासोपशमनार्थं जलपानस्यैव मीनीन्द्र-
प्रवचनवचनानामृतपानस्य न्याय्यत्वादिति । अधिकमध्यात्ममतपरीक्षायाम् ॥३७॥

अथ संसारमोक्षकागमेऽप्येतदतिदेशमाह—

मूलम्—संसारमोक्षकस्यापि हिंसा धर्मसाधनम् ।

सुक्तिश्चास्ति ततस्तस्याप्येष दोषोऽनिवारितः ॥३८॥

संसारमोक्षकस्यापि यत्=यस्मात् कारणात्, हिंसा धर्मसाधनम्, सुक्तिश्चास्ति 'अभ्यु-
पगता' इति शेषः । ततः=तस्मात् कारणात्, तस्याप्येषः=पूर्वोक्तदोषोऽनिवारितः, हिंसाया
धर्मसाधनताया लोकेष्टविरुद्धत्वात्, तदुत्कर्षाऽभावेन मुक्त्यभावप्रसङ्गाच्च ।

स्याद्वैतम्—तृणानिमित्तैव हिंसा न धर्महेतुः, नतूपकारनिमित्ताऽपि, व्याधितस्याप्त-
वैद्येन दाहादिकरणात्, तथा च दुःखितानां दुःखविघाताय हिंसाभ्युपगमो न विरोक्त्यत
इति । मैथम्, अविरतानां कृतानां जीवानां प्रत्यानन्तदुःखेष्वेव नियोजनात् । किञ्चैवं सुखि-
नामपि पापवांश्चार्थं घातः स्यात्, तथा चाऽपूर्वकारुणिकस्येव तस्य कुटुम्बघातोऽपि न्याय-
प्राप्तः । तस्माद् दुष्टोऽयमभितिवेशः । दुःखकारणाऽधर्मविनाशेन धर्मं नियोजनादेव च
कारुणिकत्वमुपपद्यते, इत्याहुतमतं रमणीयम् ॥३८॥

इस प्रकार यह बात अदृश्य माननी होगी कि विषय-मुख की इच्छा पानी पीने की इच्छा
के समान विलष्ट कर्मोपाय कर्मों के उदय से उत्पन्न होती है, अतः उसका उपशम उन कर्मों के
उपशम में ही सम्भव हो सकता है । इस लिये व्यास बुझाने के लिये जैसे पानी पीना आवश्यक
होता है, उसी प्रकार विषयेच्छा का निरोध करने के लिये मीनोन्द्र भगवान द्वारा उद्घोषित आगम
के वचनानुसृत का पान भी आवश्यक है ।

इस विषय में अधिक जानकारी 'अध्यात्म मत परीक्षा' ग्रन्थ से प्राप्त की जा सकती है ॥३७॥

इस प्रकार मण्डलैतन्त्र आदि आगम की सवीयता सिद्ध की गयी ।

[संसारमोक्षकमत भी दोषाफ्रान्त ही है]

संसारमोक्षक आगम में भी यही माना गया है कि—'हिंसा धर्म का साधन है, उस के उत्कर्ष से
ही मुक्ति होती है—अतः उस में भी पूर्वोक्तदोष का परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि 'हिंसा धर्म का
साधन है' यह बात लोकेष्टविरुद्ध एवं दृष्टविरुद्ध है, तथा अतीत, अनागत, वर्तमान सभी प्राणियों की
हिंसा सम्भव न होने से हिंसा के उत्कर्ष की सिद्धि न हो सकने के कारण मुक्ति के अभाव की भी
आपत्ति होगी ।

[उपकारबुद्धिप्रयुक्त हिंसा में भी श्रौचित्य का अभाव]

यदि यह कहा जाय कि—'तृणपावश की जानेवाली हिंसा धर्म का साधन न हो, किन्तु उपकार-
बुद्धि से की जानेवाली हिंसा को धर्म का साधन मानने में कोई बाधा नहीं है, यही कारण है कि आप्त

दोषाऽनिवारितव्यमेवोक्तं भाषयति-

मूलम्-मुक्तिः कर्मक्षयादेव जायते नान्यतः क्वचित् ।

जन्मादिरहिता यत् तत् स एवात्र निरूप्यते ॥३९॥

मुक्तिः कर्मक्षयादेव=जन्महेतुपुण्याऽपुण्यविलयन एवमाधारणहेतोः, नान्यतः क्वचित् दानादेः, अस्य-सुपात्रदानादीनामपि व्यवहिनहेतुत्वात्, जन्मादिरहिता जन्ममरणाद्यनाश्लेषा, यत्=यस्माद् हेतोः, तत्=तस्मात्, स एव=कर्मक्षय एव, अत्र=प्रकृतस्थले निरूप्यते ॥३९॥

धर्म व्याधिग्रस्त मनुष्य को बाह्य आवि हास भी चिकित्सा करते हैं। अतः दुःखी प्राणिमयी को दुःख से मुक्त करने के लिये उन की हिंसा करने में कोई अशौचित्य नहीं हो सकता।-तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अविरत अक्षोणसमप्रकर्मा शीघ्रों को हिंसा करने पर अनन्त बुद्धिमय योनियों से उन्हें भटकना ही पड़ता है, न कि उनका मुक्ति होती है। अतः हिंसा का कार्य निम्नवीर्य ही है। इसके अनिरिपस यह भी आपत्ति होगी कि जैसे-अधर दुःखी जनों को दुःख से मुक्त करने के लिये उन की हिंसा उचित है तब तो उसी प्रकार पापकर्म से विरत करने के लिये सुखी जनों की भी हिंसा उचित हो सकती है। फलतः सत्सारमोक्षक आगम के अनुपायियों को अपनी अपूर्व कृपा से प्रेरित हो अपने कुटुम्ब की भी हिंसा व्याप्य प्राप्त होगी, तब यह हिंसा करने में कोई हिचक न होनी चाहिये, किन्तु यह सब नहीं होता, अतः हिंसा को धर्म का समर्थ मानना एक बुद्धिभ्रम ही है। इस स्थिति में आर्हत प्राणियों की यह मान्यता ही व्यायसगत है कि मनुष्य को दुःख के कारणभूत अभय से दूर हटाकर उसे धर्म का आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करने से ही उपदेशक की कक्षणाशीलता सिद्ध होती है ॥३८॥

३८वीं कारिका में 'मण्डलतन्त्र, सत्सारमोक्षक आवि आगमों के मत में बोध का परिहार होना ही नहीं यह जो कहा गया इस बात की वृष्टि की गयी है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

मुक्ति मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। उस की प्राप्ति से ही मानवजीवन की साधकता और कृतायता होती है, किन्तु जन्म की शृङ्खला अभी रहने तक उस की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः जन्म की शृङ्खला का दुटना आवश्यक है, किन्तु यह शृङ्खला तब तक नहीं टूट सकती जब तक उस के कारणभूत पुण्य-अपुण्य कर्मों का उच्छेद न हो। फलतः स्पष्ट है कि जन्म के कारणभूत समग्र कर्मों का अन्त ही मुक्ति का असाधारण कारण है, उसी से मुक्ति की प्राप्ति सम्भव है। दान, दया आदि किसी अल्प कारण से उस की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभय एवं सुपात्रदान अर्थात् चारित्र्यवाध मुक्तियों की निर्दोष निष्ठा का दान आदि भी अच्छी बात है किन्तु यह मुक्ति का साक्षात् हेतु न होकर व्यवहित हेतु है। कर्मक्षय हुये बिना केवल दान आदि धर्मों से मुक्ति प्राप्त करने की आशा बुराफा माथ है।

यतः मुक्ति जन्म-मरण से रहित होती है, जन्म-मरण का चक्र चालू रहते उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः यह चक्र जिस कर्मों पर आश्रित है उन कर्मों के अयका निरूपण आवश्यक है, इसीलिये अंतर्गम सन्दर्भ में कर्मक्षय का प्रतिपादन ही प्रस्तुत है ॥३९॥

किहेतुकोऽयम् ? इति पर्यनुयुज्यते-

मूलम्-हिंसाद्युत्कर्षसाध्यो वा तद्विपर्ययजोऽपि वा ।

अन्यहेतुरहेतुर्वा स वै कर्मक्षयो ननु ? ॥४०॥

तथाहि 'ननु' इत्याशये, वै=निश्चितम्, त कर्मक्षयो हिंसाद्युत्कर्षसाध्यो वा स्यात्=हिंसात्कारदुःखापनयनोत्कर्षसाध्यो वा स्यात्, तद्विपर्ययसाध्यो वा=अहिंसा-द्युत्कर्षसाध्यो वा स्यात्, अन्यहेतुः=एतदुभयातिरिक्तहेतुर्वा स्यात्, अहेतुर्वा स्यात्, इति चत्वारः पक्षाः ॥४०॥

मूलम्-हिंसाद्युत्कर्षसाध्यत्वे तदभावे न तस्मिन्निः ।

कर्मक्षयाऽस्थितौ च स्यान्मुक्तानां मुक्तताक्षयिः ॥४१॥

आद्ये आह-हिंसाद्युत्कर्षसाध्यत्वे, तदभावे=हिंसाद्युत्कर्षाभावे, न तस्मिन्निः न कर्म-क्षयस्थितिः, कर्मक्षयाऽस्थितौ च मुक्तानां मुक्तताक्षयिः स्यात् ॥४१॥

(कर्मक्षय के सम्भावित हेतु चतुष्टय)

प्रस्तुत कालीसर्षी कारिका में 'ननु' शब्द से कर्मक्षय की सम्भाव्यता पर आशय करते हुये उस के हेतुओं के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की गई है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

कर्मक्षय के सहेतुक होने की सम्भावना के निश्चित रूप से चार ही पक्ष हो सकते हैं, जैसे-

१. कर्मक्षय हिंसा आदि के उत्कर्ष अर्थात् हिंसा के अनन्तर होनेवाले दुःखराहित्य के उत्कर्ष से सम्भावित हो सकता है क्या ?

२ हिंसा आदि के विरोधी अहिंसा आदि के उत्कर्ष से सम्भावित हो सकता है क्या ?

३ उक्त दोनों हेतुओं से अतिरिक्त किसी अन्य हेतु से सम्भावित हो सकता है क्या ?

४ अथवा हेतु के विना ही मुक्त हो सकता है क्या ? ॥४०॥

४१ वीं कारिका से प्रथमपक्ष की अयुक्तता बतायी गयी है जो इस प्रकार है-

हिंसा आदि के उत्कर्ष से कर्मक्षय की सम्भावना नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंसा आदि का उत्कर्ष कदापि सम्भव नहीं है, अतः उस से कर्मक्षय नहीं उपपन्न हो सकता, और कर्मक्षय न हो सकने पर मुक्त पुरुषों की शास्त्रों में कथित मुक्तता का समर्थन नहीं हो सकता ।

आशय यह है कि हिंसा के उत्कर्ष की कल्पना दो प्रकार से की जा सकती है । सम्पूर्ण जीवों को हिंसा या हिंसाहत जीव की कुत्तों से मुक्ति । किन्तु यह दोनों ही बातें असम्भव हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जीवों को हिंसा नहीं कर सकता, और न कभी से कभी जीव हिंसाहत होकर कुत्तों से मुक्त भी हो सकता है क्योंकि कर्मवशात् उस का पुनर्जन्म और उस जन्म में कुत्तों का आघात अनिवार्य है ॥४१॥

द्वितीय आह—

मूलम्—तद्विपर्ययसाध्यत्वे परसिद्धान्तसंस्थितिः ।

कर्मक्षयः सतां यस्मादहिंसादिप्रसाधनः ॥४२॥

तद्विपर्ययसाध्यत्वे=अहिंसाद्युत्कर्षसाध्यत्वे, परसिद्धान्तसंस्थितिः=अन्याभ्यु-
पगमप्रसङ्गः, यतः सतां=साधूनाम्, कर्मक्षयोऽहिंसादिप्रसाधन इष्टः ॥४२॥

तृतीय आह—

तदन्यहेतुसाध्यत्वे तत्स्वरूपमसंस्थितम् ।

अहेतुत्वे सदा भावाऽभावा वा स्यात् सदैव हि ॥४३॥

तदन्यहेतुसाध्यत्वे=उक्तोभयानिरिक्तसाध्यत्वे, तत्स्वरूपं=तदन्यहेतुस्वरूपम्,
असंस्थितम्=अनिर्दिष्टनवाधिरं वाचकम् ।

चतुर्थ आह—अहेतुत्वे कर्मक्षयस्य, सदा भावः स्याद्, उत्पत्तिशीलत्वात्, हिं-
निश्चितम्, यदवाभावो वा स्याद् अनुत्पत्तिशीलत्वात् ॥४३॥

तद्व द्वितीय विकल्प एव न्याय इति दर्शयति—

मूलम्—सूचितः कर्मक्षयादिप्राज्ञानयोगफलं स च ।

अहिंसादि च तद्वेतुरिति न्यायः सतां मतः ॥४४॥

[कर्मक्षय अहिंसादि के उत्कर्ष से साध्य है ?]

४२ वीं कारिका में दूसरे पक्ष को ब्रुटि बताया गया है, जो इस प्रकार है—

कर्मक्षय को हिंसादि के उत्कर्ष के विपरीत अहिंसा आदि के उत्कर्ष से साध्य मानने पर अभ्य-
पक्ष-जो पक्ष अपने को दृष्ट नहीं है—को स्वीकार करने की अपेक्षा होगी क्योंकि 'अहिंसा आदि से
कर्मों का क्षय होता है' यह साधुपुरुषों का धर्म एवं अध्यत्म में निवृत्ता रहने वाले विवेकी पुरुषों का
अभिमत पक्ष है ॥४२॥

४३ वीं कारिका के पूर्वार्थ से तीसरे पक्ष को संबोधता बताया गया है जो इस प्रकार है—

हिंसा आदि निश्चय कर्म और अहिंसा आदि स्तुत्य कर्म, इन दोनों से निश्चय हेतु द्वारा कर्मक्षय
की सिद्धि नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस प्रकार का हेतु असंस्थित-अनिश्चय है, उस का निर्दिष्टन
हो सकने के कारण वह स्वयं बाधित है, अतः वह सिद्धान्तपक्ष का वाचक नहीं हो सकता ।

कारिका के उत्तरार्थ से चौथे पक्ष का बोध बताया गया है, जो इस प्रकार है—

कर्मक्षय को अहेतुक-हेतुनिरपेक्ष भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अहेतुक की निश्चितकप से
को ही गति हो सकती है । एक यह कि हेतु के अभाव में भी यदि वह उत्पत्तिशील होगा, तो सर्वथा उस
का अस्तित्व होना चाहिये, क्योंकि उसके होने में किसी की अपेक्षा नहीं है, और दूसरी यह कि यदि
वह अनुत्पत्तिशील होगा तो उस की कभी भी उत्पत्ति न होने से उसे कभी न होना चाहिये अपि तु
सर्वथा उस का अभाव हो रहना चाहिये ॥४३॥

सुखितः=परमानन्दप्राप्तिः, कर्मक्षय्यादिप्रा=कर्मक्षयजन्याऽभिमतः, स च कर्मक्षयः, ज्ञानयोगफलम्=रत्नप्रयमाप्राप्त्यजन्यः तत्रेतुः=तत्कारणं च, अहिंसादि-हिंसाविरति-परिणामादि, इति एषः, सततं=जैनागमोपनिषद्वेदिनाम्, न्यायः=सम्मानः, मत्तः=इष्टः । तदेवं संसारमोचकाममाऽसारता प्रतिपादिता ॥४४॥

यह यज्वन! आगम-शास्त्रों तथा विषय आदि है—

मूलम्-एवं वेदविहिताऽपि हिंसा पापाय तत्स्वनः ।

शास्त्रचोदितभावेऽपि वचनान्तरसाधनात् ॥४५॥

एवं=संसारमोचकामिमत्तहिंसावत्, वेदविहिताऽपि=श्वेतं वायव्यमजमालभेत भूति-कामः' इत्यादिविधिनेष्टसाधनत्वेन बोधितापि हिंसा, तत्स्वनः=युक्त्या विचार्यमाणा पापाय भवति । विधिबोधितत्वे कथमेवं स्यात् ? इत्यत्राह-शास्त्रचोदितभावेऽपि=प्रकृत-विधिबोधितेष्टसाधनताकत्वेऽपि वचनान्तरसाधनात्-सामान्यतः प्रवृत्तेन निषेधाविधिनाऽ-निष्टसाधनत्वेन बोधनात् ॥४५॥

(अहिंसादि से ज्ञानयोग, उससे कर्मक्षय)

४४ वीं कारिका द्वारा 'अहिंसा आदि साधनों से ही कर्मों का अथ सम्पन्न होता है' इस दूसरे पक्ष को ही न्याय-संगत बताया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

सुखित का अर्थ है परमानन्द की प्राप्ति और परमानन्द का अर्थ है आनन्द की वह अवस्था, जिस में किञ्चिन्मात्र भी दुःख के सम्पर्क की सम्भावना नहीं की जा सकती । यह सुखित मनुष्य को उस के समस्त कर्मों का क्षय होने पर ही सम्पन्न होती है और कर्मों का क्षय ज्ञानयोग से सम्पादित होता है । ज्ञान का अर्थ है सम्यक् ज्ञान और सम्यक् व्रत, योग का अर्थ है सम्यक् चारित्र्य । यह तीनों महाफलप्रब होने से बहुमूल्य होने के कारण रत्न कहे जाते हैं । इन तीनों रत्नों का प्रसूत माया में संलय होने पर ही कर्मों का क्षय होता है और इन रत्नों की उपलब्धि अहिंसा आदि अर्थात् हिंसा-असत्य आदि के प्रतिज्ञाबद्ध त्यागस्वरूप विरतिमय जिसपरिणाम के प्रसादमुक्त बीजकालीन सेवन से ही सम्भव होती है ।

निष्कर्ष यह है कि अहिंसा आदि के सेवन से सम्यक् ज्ञान, व्रत और चारित्र्य का अर्जन कर समस्त कर्मों का क्षय करना ही मोक्ष-प्राप्ति का निष्कण्टक माग है जेनाश्रम के रहस्य को जानने वाले मनीषी पुंड्रों को यही अभिमत है । इस प्रकार संसारमोचक आगमों को असारता प्रतिपादित होती है । ४४॥

(वेदविहित हिंसा पापजनक है)

४५ वीं कारिका में संसारमोचक आगम के समान याज्ञिकों-वैदिकों के भी आगमों को असारता बताया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

एतदेव भावयन्नाह-

मूलम्—'न हिंस्यादिह भूतानि' हिंसनं दोषकृन्मलम् ।

वाह्वदु वैद्यके स्पष्टतुल्यसर्गनिषेधः ॥४६॥

'न हिंस्यादिह' इत्यत्र स्थेदशब्दोऽन्यत्र योज्यः, तथा च 'न हिंस्यात् भूतानीह' इत्यर्थः ।
इदं च "न हिंस्यात् सर्वभूतानि" इति वेदवाक्यस्मारकम् । इह वाक्ये हिंसनं = राग-द्वेष मोह-लुब्धा-
दिनिबन्धनहिंसायामान्यम्, दोषकृत् = अनिष्टजनकम्, स्पष्टम् = अमर्दिग्यतया भलम् =
अमीष्टम् । किंत् ? इत्याह-वैद्यके वाह्वदु = 'दाहो न कार्यः' इति वैद्यकनिषेधवाक्यनिषिद्ध-
दाहवत् । कुत ? इत्याह-वासर्गनिषेधः = ननु मर्ममिथ्याहारादिनिष्ठमाधनत्वे निरुद्ध
लाक्षाणिकप्रकृतविध्यर्थस्य व्युत्पत्तिमहिम्ना निषेधतावच्छेदकावच्छेदेन वाऽन्वयात् । एतेन
'ननर्थे लिङ्गर्थान्वये कथं दोषकृत्त्वबोधः ? प्रकृतनिषेधविधेः पापजनकत्वे निरुद्धलक्षणायां च
दृष्टान्त उपपत्तिः, इति प्रकृतविध्यर्थनिषेधस्य हिंसास्वयामानाधिकरण्येनाऽन्वयाद् नानुपपत्तिः'
इति निरस्तम्, सामानाधिकरण्येनापि विशिशङ्काविरहेण सामान्यत एव निषेधान्वय-
स्वीकारात् ॥४६॥

जिस प्रकार ससारमोक्षक आगमों में वर्णित हिंसा पापजनक होती है उसी प्रकार वेदबहिर्ग
हिंसा भी इतने वायव्यमजमालसेल सुलिकामः="भूति सम्पत्ति का इच्छुक वापुवेचना के उद्देश्य से शुभ्र-
वर्ण के धकारे का पथ करे" जैसे वेदित विधिवाक्य जिसे इष्ट का साधन बताते हैं-युक्तिपूर्वक विचार
करने पर वह पाप का जनक सिद्ध होती है । यदि यह कहा जाय कि-"शास्त्रीय विधिवाक्य जिस
हिंसा का विधान करते हैं-जिसे इष्ट का साधन बताते हैं-उसे पाप का जनक कहना उचित नहीं है"-
तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता क्योंकि जिन विधिवाक्य जैसे उसे इष्ट का साधन बताते हैं-उसी
प्रकार 'न हिंस्यात् सर्वभूतानि' = किसी भी प्राणी को हिंसा न करनी चाहिये इस प्रकार के निषेधक
वचन सामान्यरूप से हिंसा मात्र को अनिष्ट का साधन भी बताते हैं और यह सर्वमाग्य सत्य है कि
जिस कर्म को शास्त्र अनिष्ट का साधन बताते हैं वह कर्म पाप का जनक होता है-क्योंकि पाप के
द्वारा ही उस की अनिष्टसाधनता सिद्ध होती है ॥४५॥

['न हिंस्यात् सर्वभूतानि'-वेदवाक्यार्थ]

४६ वीं कारिका में भी पूर्वकारिका की ही बात पुष्ट की गयी है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है
जो न हिंस्यादिह भूतानि इस भागको 'न हिंस्यात् भूतानि इह' इस रूप में पढ़ने पर लब्ध होता है-

'न हिंस्यात् सर्वभूतानि' इस वेदवाक्य में सभी प्रकार को हिंसा से, चाहे वह राग, द्वेष,
मोह लुब्धा आदि किसी भी निमित्त से की जाय, अनिष्ट की उत्पत्ति होती है, यह बात असन्दिग्धरूप
में कहा गयी है और यह ठीक उसी प्रकार साम्य है जिस प्रकार वैद्यक शास्त्र के अनुसार 'वाहो न
कार्यः' इस निषेधवाक्य से निषिद्ध सोना, पारा आदि वातु या प्राणी के अङ्ग आदि का दाह करने
पर उस दाह से होने वाली अनिष्ट की उत्पत्ति माफ्य है ।

ततः किम् ? इत्याह—

मूलम्-ततो व्याधिनिवृत्त्यर्थं दाहः कार्यस्तु चोद्दिने ।

न ततोऽपि न दोषः स्यात् फलोद्देशेन चोदनात् ॥४७॥

ततो='दाहो न कार्यः' इत्यनेन सामान्यत एव दाहम्यानिष्टसाधनत्वमिद्वेः, 'व्याधि-
निवृत्त्यर्थं दाहः कार्यः' इति चोद्दिनेऽपि=विहितेऽपि, तुरन्त्यर्थः, न ततोऽपि=दाहात्
फलोद्देशेन=व्याधिनिवृत्त्यर्थं चोदनात्=विधानाद् हेतोः, न दोषः तापलक्षणः स्यात्, किन्तु
स्यादेव ॥४७॥

प्रश्न हो सकता है कि—'जिस हिंसा या जिस दाह को शास्त्र में दृष्ट का साधन बताया गया है, उस से अनिष्ट की उत्पत्ति क्यों होगी ? क्यों कि निषेधक वचनों की वस्तु उन हिंसा और दाह आवि-
तक ही हो सकती है जिन में दृष्टसाधनता का बोधक कोई शास्त्र नहीं है।' इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जा सकता है कि निषेधवचन उत्तर्ग-सामान्यवचन होता है और उस में मज्ज् पद के सप्रधान से विधिप्रत्यय की अनिष्टसाधनता में निरुद्धलक्षणा होती है और इस निरुद्धलक्षणालम्ब्य अर्थ का अन्वय निषेधतावच्छेदक के सभी आशयों में होने का नियम है। अतः 'न हिंस्यान् सर्व-
भूतानि' इस वाक्य से निषेधतावच्छेदक हिंसा के आशय सभी हिंसा में और 'दाहो न कार्यः' इस वाक्य से निषेधतावच्छेदक दाह के आशय सभी दाहों में अनिष्टसाधनता का बोध होता है, अतः जिन कर्मों में शास्त्र के किसी विशेष वचन से दृष्टसाधनता का और सामान्यवचन से अनिष्टसाधनता का बोध होता है, ऐसे कर्मों से, दृष्ट और अनिष्ट दोनों की उत्पत्ति होना ही न्याय संगत है।

यदि यह कहा जाय कि 'निषेधवाक्यस्थल में मज्जार्थ में लिङ्प्रत्ययार्थ का अन्वय होता है, अतः निषेधवाक्य से निषिध्यमान कर्म में लिङ्गार्थ धर्मसाधनत्व के अभाव का ही बोध हो सकता है, पापजनकत्व का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बोधक कोई पद नहीं है, नज् के सप्रधान में विधिप्रत्यय की पापजनकत्व में निरुद्धलक्षणा मानकर भी उसके बोध की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इस प्रकार की लक्षणा में कोई दूसरा दृष्टान्त नहीं है। इस स्थिति में निषेधवाक्य से निषेधतावच्छेदक के सभी आशयों में लिङ्गर्म के अभाव का अन्वय न मानकर उस के कतिपय आशयों में ही निरुद्ध-
भाव का अन्वय स्वीकार करने से हिंसाविशेष के विषादक तथा हिंसासामान्य के निषेधकवाक्यों में कोई विरोध न होगा फलतः शास्त्रविहित हिंसाविशेष से पाप की उत्पत्ति का प्रसङ्ग नहीं हो सकता।
तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि 'न हिंस्यात् सर्वभूतानि' जैसे निषेधवाक्यों के अपेक्षित के समय किसी प्रकार की हिंसा आदि जैसे कर्म के विषाद की सम्भावना न रहने से उन वाक्यों में निषेधता-
वच्छेदक धर्म के सभी आशयों में ही लिङ्गर्थाभाव का अन्वय मानना ही युक्तिसंगत है। ४८॥

(दाहजनित ताप दोष के समान पापबन्ध प्रनिवार्य)

पूर्य कारिका में निषेधवाक्य से जिस प्रकार के बोध का समर्थन किया गया है, प्रस्तुत कारिका ४७ में उस बोध की फलश्रुति बताया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

प्रकृते दार्ष्टान्तिकयाजनामाह-

भूतम्-एवं तत्फलभावेऽपि चोदनानोऽपि सर्वथा ।

ध्रुवमौत्सर्गिको दायां जायते फलचोदनान् ॥४८॥

एवं चोदनानोऽपि-कृत्यहमहिमाविशेषपि, तत्फलभावेऽपि=तद्विधिवत्फलभावेऽपि, ध्रुव=निश्चितम्, सर्वथाऽन्यार्हिमात्तुल्यतर्कान्तर्गिकः सामान्यनिषेधवोधितः दोषः=पापलक्षणः जायते, फलचोदनान्=फलोद्देशात्, मृणामूलकहिमात्वेनैवाऽधर्मजनकत्वात् ।

ननु निषेधविधिनाऽनिष्टमाधनत्वमात्रबोधने ततो निवृत्त्यनुपपत्तिः, बलवदनिष्ट-माधनत्वबोधने च व्याधिनिवृत्त्यर्थं दाहेऽपि प्रवृत्त्यनुपपत्तिः, इति विशेषनिषेधे सामान्य-विधेस्तदितरपरत्ववद् विशेषविधौ सामान्यनिषेधस्यापि तद्विपर्ययमेव न्यायम् : अतश्च चेतदभ्युपेयम्, कथमन्यथा तत्रापि सामान्यत आधाकर्मिकादिग्रहणनिषेधेऽप्यसंस्तरणादिदशार्था तद्विधानम् ? इति चेत् ? न, आधाकर्मिकग्रहणाऽग्रहणयोः संयमपालनाधेमेकोद्देशेनैव विधानादुत्सर्गा-ऽपवादभावव्यवस्थितावपि प्रकृतेऽहिमा-यागयोरेकार्थत्वाभावेनोत्सर्गाऽपवाद-व्यवस्थाया एवाऽयोगात्, सामान्यनिषेधे संकोचस्याऽन्यास्यत्वात् । तदुक्तं 'स्तुतिकृता "नोत्सृष्टमन्यार्थमपोयते च" [अन्य०७७००८० श्लोक ११] इति । प्रवृत्तिस्तु तत्र मृदानां श्येनादायिष दोषादेव ।

'बाहो न कार्यः' इस निषेधवाक्य से बाह सामान्य में अनिष्टसाधनता का बोध होने का फल यह है कि 'व्याधिनिवृत्त्यर्थं बाहः कार्यः' इस शास्त्रवचन से बाह का विधान होने पर भी सामान्यनिषेध के कारण विहितबाह से भी दोष की उत्पत्ति का होना सिद्ध होता है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि 'बाह व्याधिनिवृत्तिकर विशेषफल के लक्ष्य से शास्त्रविहित है अतः सामान्यनिषेध होने पर भी उस में दोष नहीं होता'-क्योंकि व्याधिनिर्यात के लिये भी बाह करने पर उस से तब दोष का होना तो निश्चित है ॥५॥

(फलान्तर प्राप्त होने पर भी औत्सर्गिक दोषाऽनिवृत्ति)

इस कारिका में बाहकय हृद्भान्त के द्वारा यज्ञ के अङ्गभूत दार्ष्टान्तिक हिंसा में पापजनकत्व का प्रतिपादन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

जिस प्रकार व्याधिनिर्यात के लिये बाह के विधायक वचन से बाह में फलसाधनता का बोध होने पर भी 'बाहो न कार्यः' इस सामान्यनिषेध के कारण वैद्यकशास्त्र से विहित भी बाह तब दोष का जनक होता है, उसी प्रकार यज्ञ के अङ्गभूत हिंसा के विधायकवाक्य से उस हिंसा में फलसाधनता का बोध होने पर भी हिंसासामान्य का शास्त्रतः निषेध होने के कारण उस हिंसा से भी पापात्मक दोष की उत्पत्ति अनिवार्य है क्योंकि वह हिंसा भी अन्य हिंसा के समान ही क्योंकि फलविशेष की

१-न धर्मेहेतु बहिनाऽपि हिंसा, नोत्सृष्टमन्यार्थमपोयते च ।

स्वपुत्रयावाप्तुपत्तिस्त्रिप्तासत्रहचारिस्तुतिं परेषाम् ॥११॥

अत एव सर्वथा अपि सामान्यनिषेध-विशेषविधिविधितानर्थहेतुकत्वं-कृत्यङ्गत्वयो-
रेकत्र समावेशमभवत् निषिद्धस्यापि विहितत्वस्य, विहितस्यापि निषिद्धत्वस्य च श्वेताश्वि-

निषिद्ध के लिये विहित होने से उक्त बात की तुलना से उस 'वा' पूर्व में, उक्त दृष्टान्तस्य लिये होने के लिये अन्य हिंसा के समान उस हिंसा से भी अर्थ का होना न्यायप्राप्त है ।

इस सम्बन्ध में यह शङ्का हो सकती है कि- 'निषेधवाच्य यदि सामान्यतः अनिष्टसाधनता का बोधक होगा तो उस से निषिद्ध कर्म से पुरुष की निवृत्ति न हो सकेगी क्योंकि जित विहित कर्मों को समुच्चय करे उससे वह करता है वे कर्म भी कुछ न कुछ तो अनिष्ट करते ही हैं अतः सामान्य अनिष्ट का साधन समझते हुये भी समुच्चय जैसे उन कर्मों से निवृत्त नहीं होगा उसी प्रकार वह निषिद्ध कर्मों को भी यदि सामान्य अनिष्ट का ही साधन समझेगा तो उन कर्मों से भी उस का निवृत्ति न होगी । इस बोध के निवारणार्थ निषेधवाच्य की बलवान् अनिष्ट की साधनता का बोधक माना जायगा तो व्याधिनिवृत्ति के लिये भी बाह्यकार्य से समुच्चय की प्रवृत्ति न होगी क्योंकि 'बाह्य न कार्यः' इस निषेधवाच्य से बाह्य में बलवान् अनिष्ट की साधनता का ज्ञान होने से बाह्य में प्रवृत्ति का प्रतिषेध हो जायगा । अतः यह भानना आवश्यक होगी कि जैसे 'मृत्तिकायाः अन्य भूज्जोतः' मूल दूर करने के लिये अन्न का भोजन करे' यह सामान्य विधि 'सविधमन्नं न भूज्जोत जीवितुकामः' 'जीवित रहने का इच्छुक विधिमिले अन्न का भोजन न करे', इस विशेषनिषेध के अनुरोध से विधिमिथ अन्न से अतिरिक्त अन्न के ही भोजन का निषेधक होता है, उसी प्रकार 'बाह्य न कार्यः' न हिंसात् सर्वभूतानि' इत्यादि सामान्यनिषेध भी 'व्याधिनिवृत्त्यर्थं बाह्य कार्यः, श्वेत वायस्यमजसालमेतं पुनः कामः' इत्यादि विशेषविधि के अनुरोध से विहित बाह्य और विहितहिंसा से अतिरिक्त बाह्य और हिंसा का ही निषेध करते हैं, अतः निषिद्ध प्रतीत होने वाले विहित कर्मों से पाप की उत्पत्ति का होना अनिष्ट है । यह ज्ञानव्य है कि 'विहितानिषिद्ध के निषेध में ही सामान्यनिषेध का तात्पर्य होता है, यह बात जनों को भी माननी पड़ती है क्योंकि जैनशास्त्रों में जो सामान्यरूप से आध्यात्मिक अथवा आदि के ग्रहण का निषेध और अस्तरण आदि वशा में उस के ग्रहण का विधान है-

किन्तु विशार करने पर उक्त शङ्का और उस का फलित उक्त निष्कर्ष उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि आध्यात्मिकआदि के ग्रहण और अग्रहण दोनों का विधान संयमपालनरूप एक उद्देश्य से ही किया गया है अतः उन में उत्सर्ग और अपवाह की व्यवस्था तो हो सकती है पर असा और यज्ञ ये दोनों क्रमशः शुद्ध ब्रह्मसाधारणकार्य व स्वर्ग के उद्देश्य से विहित होने से एक उद्देश्य से नहीं विहित हैं, अतः उन में उत्सर्ग और अपवाह की व्यवस्था नहीं हो सकती । इसलिये सामान्यनिषेध का विशेषविधि के अनुरोध से सकोच मानना न्यायसंगत नहीं हो सकता । इसीलिये स्मृतिकर्ता प्रभु हेमचन्द्रप्रसूरि ने कहा है कि 'अन्य के लिये उत्सर्गप्राप्त का अन्य के लिये अपवाह नहीं होता' अर्थात् 'उत्सर्ग अन्य उद्देश्य से व अपवाह अन्न उद्देश्य से' ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा अपवाह उस उत्सर्ग के संबंधित नहीं हो सकेगा । अतः उत्सर्गोपात्त से निषिद्ध कर्म में किसी विधि के आधार पर बोध-विशेष के कारण पूर्ण की ही प्रवृत्ति होती है, जैसे हिंसामात्र का निषेध होने पर भी शत्रुवधार्थ श्वेताश्वि में,

दुपपत्तेः, श्वेनादायिव ज्योतिष्टोमादौ रागद्वेषादिवशीकृतस्येवाऽधिकाराज्ज्योतिष्टोमादीनां
दृष्टस्यमेव प्रतिपन्नवन्तः । तथा महाभारते—

‘जपस्तु सर्वधर्मभ्यः परमो धर्म उच्यते ।

अहिंसाया हि भूतानां जपयज्ञः प्रवर्तते ॥१॥’ इति ।

मनुस्मृतावपि—

‘अपेनैव तु संमिथेद् ब्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुर्यादभ्यद् न वा कुर्याद् मैत्री ब्राह्मण उच्यते ॥१॥’

इत्यहिंसायाः प्रशंसया हिंसाया दृष्टत्वमेवोक्तम् । तद्योत्तरस्मीमांसायामप्युक्तम्—

“अन्धे तमासि मज्जामः पुशुभिर्ये यजामहे ।

हिमा नाम भवेत् धर्मो न भूतो न भविष्यति ॥१॥” इति ।

तथा व्यासेनारभ्युक्तम्—

‘ज्ञानवालीपरिक्षिप्ते ब्रह्मचर्यदयाम्भसि ।

स्नात्वा तु विमले तीर्थे पापपङ्कापहारिणि ॥१॥

ध्यानाग्नी जीवकुण्डस्थे दममारुतदीपिते ।

अमत्कर्मसमन्तेष्वग्निहोत्रं कुरुतमम् ॥२॥

कषायपशुभिर्दुष्टैर्धर्म-कामा-ऽश्वेनाशकैः ।

शममन्त्रहृतैर्यज्ञं विधेहि विहितं वृधैः ॥३॥

प्राणिघातास्तु यो धर्मेसीहते मृदमानसः ।

स वाञ्छति सुधाऽष्टिं कृष्णाहिमुखकोटरात् ॥४॥” इत्यादि ।

ततो ‘दुष्टमग्निष्टोमादि कर्माऽधिकारिणापि दोषाऽसहिष्णुना त्पाज्यम्, अन्तःकरण-
शुद्धेरीदृशेन गायत्रीजपादिनैव यादृमुपपत्तेः’ इत्याहुः ।

(ज्योतिष्टोमादि यज्ञ दोषपूर्ण है--सांख्यमत)

सृष्ट्यामूलक हिंसा पापजननो होने से ही सांख्यविशेषों ने ओ सामान्य नियम से बोधित अनर्थसाधनत्व
और विशेषविधि से बोधित यज्ञाङ्गत्व का एक कर्म में समावेश सम्भव मानकर विहित में निषिद्धत्व
का और निषिद्ध में विहितत्व का उपपादन किया है और श्वेतयाग के समान ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों
में भी रागद्वेषवस्तु पुरुष का ही अधिकार मान कर उन यज्ञों को दोषयुक्त माना है । इसीलिये
महाभाष्य में जपयज्ञ को प्राणिहिंसा से मुक्त बताकर उसे सब धर्मों से श्रेष्ठ कहा गया है :

मनुस्मृति में भी जप की प्रशंसा में कहा गया है कि ‘इस में कोई सन्देह नहीं है कि बाह्य जप
से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई धर्म चाहे वह करे या न करे क्योंकि वह सब का मित्र होता है ।

अत्र भाट्टीः—“न क्रत्वर्थी हिंसाऽनर्थहेतुः, विधिस्पृष्टे निषेधानवकाशान् । तथाहि—
विभिन्ना बलवदिच्छाविषयमाधनताबोधरूपा प्रवर्तना कुर्वताऽनर्थसाधने तदनुपपत्तेः, स्वविषयस्य
प्रवर्तनागोचरस्याऽनर्थसाधनत्वाभावाऽप्यर्थादाक्षिप्यते, तेन विधिविषयस्य नानर्थहेतुत्वं
युज्यते । न हि क्रत्वर्थस्य मांसादिध्यर्थः, येन विरोधी न स्यात्, किन्तु प्रवर्तनस्यैव । प्रवर्तना
तु पुरुषार्थमेव विषयीकुर्वती क्वचिन् क्रतुमपि तथाभावमापन्नं विषयीकरोति इत्यन्यदेतन् ।
पुरुषप्रवृत्तिश्च बलवदिच्छापथानदृष्ट्या जायमाना न भाव्यमर्थहेतुतामाप्नोति किन्तु यथा-
प्राप्तमेवाऽवलम्बते, बलवदिच्छाविषये स्वन एव प्रवृत्तेः, स्वर्गादौ विषयनपेक्षणात् । अन्त एव
वर्हितस्येनफलस्याऽपि क्षत्रवधरूपाऽभिचारस्यानर्थहेतुत्वमुपपद्यते, फलस्य विधिजन्य-
प्रवृत्तिविषयत्वाभावात्, विधिजन्यप्रवृत्तिविषयं तु स्वात्थ्ये कर्णं प्रवर्तनाऽप्यमाहते । सा च
नाऽनर्थहेतुः विषयीकरोति । इति विशेषविधिविहितं मांसादनिषेधस्यैव मांस-हं पादिसूला-
ऽक्रत्वर्थहिंसाविषयम् । तेन रथेनाऽग्निष्टोमयादिषम्यादुपपन्नमदृष्टत्वम् । ज्योतिष्टोमादेर्विधि-
स्पृष्टस्यापि निषेधविषयत्वे, पौडाक्षिग्रहणस्याप्यनर्थहेतुत्वापत्तिः, ‘नागिरात्रे पौडाक्षानं गृह्णाति’
इति निषेधात् । तस्माद् न किञ्चिदेतत्” इत्याहुः ।

तथा उत्तरमोर्मांसा में भी कहा गया है कि ‘जो लोग पशुओं से यज्ञ करते हैं वे मांस अन्धकार
में प्रवेश कर रहे हैं’ क्योंकि यह निश्चित है कि हिंसा से कभी न धर्म हुआ है और न कभी होगा ।’

व्यास ने भी कहा है कि—मानगाली से सुरक्षित ब्रह्मचर्य और ब्रह्मरूप जल वायुपञ्च को दूर
करने वाला निर्मल तीर्थ है, मनुष्य को चाहिये कि उस तीर्थ में स्नान कर के शीघ्ररूप कुण्ड में दमरुप
बाधु से ध्यानरूप अग्नि को प्रदीप्त करे और उस में अगुभक्तों का समिध (=इन्धन) डालकर उत्तम
कोटि का अग्निहोत्र करे और विद्वान् पुत्रवर्षों द्वारा विहित उस यज्ञ का अनुष्ठान करे जिस में शान्तिमन्त्रों
से धर्म, अर्थ और काम का वाञ्छा करने वाले वासना रूपी दुष्ट पशुओं के हवन का विधान है । जो मनुष्य
प्राणिमयों को हिंसा से धर्म का अजत करना चाहता है वह पूर है, वह काले नाग के मुख से अमृत की
धारा चाहता है ।

अतः अग्निहोत्र आदि कर्मों में जिन का अधिकार है यदि वे पाप का मार उठाता नहीं चाहते
तो उन्हें भी उन पापजनक कर्मों का त्याग करना चाहिये और अन्तःकरण की शुद्धि के लिये गायत्री जप
आदि हितारहित कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिये ।”

(यज्ञादिगत हिंसा निर्वोष है—भट्ट का पूर्वपक्ष)

भट्टमतानुयायी भोमसिंहों का कहना है कि जो हिंसा यज्ञ के लिये की जाती है वह अनर्थ का
जनक नहीं होती, क्योंकि शास्त्र के विधि बाधक से जो विहित होता है उस में निषेधबाधक की
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । आशय यह है कि विधिबाधक प्रवर्तना का जनक होता है और प्रवर्तना
अनर्थ के साधन में नहीं हो सकती, क्योंकि प्रवर्तना का अर्थ है जिस वस्तु की मनुष्य को संसक्त
इच्छा हो उस वस्तु की साधनता का बोध, जो अनर्थ साधन में युक्त है और युक्त इसलिए है कि
जिस में विधिबाधक से बलवान् इष्ट की साधनता का बोधन होता है उस में अन्यसाधनता के

अभाव का आनुमानिक बोध भी होता है, अतः विविधावय से बलवान् दृष्ट को साधनता का बोधन उसी वस्तु में उचित हो सकता है जो अनर्थ का साधन न हो। इस प्रकार विधि और निषेध का परस्पर विरोध स्पष्ट है, क्योंकि विधि का विषय वह होता है जो अनर्थ का साधन न हो और निषेध का विषय वह होता है जो अनर्थ का साधन हो। हाँ इन दोनों में विरोध उस स्थिति में न होता यदि विविधावय हिंसा को यज्ञका अङ्ग प्रवर्तना द्वारा न बनाकर सोधे ही यज्ञ का अङ्ग बताता, क्योंकि हिंसा यज्ञका अङ्ग है और हिंसा अनर्थ का साधन है इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, अतः हिंसा में विधि से यज्ञाङ्गता का और निषेध से अनर्थसाधनता का भी बोध हो जाता, किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि विविधावय हिंसा में प्रवर्तना का जपन कर उसे यज्ञ का अङ्ग बताता है, और प्रवर्तना उसी में होती है जो दृष्ट का साधन और अनिष्ट का असाधन होने से पुरुषार्थ (पुरुष का अभिलषणीय) होता है। कहीं पर यज्ञ भी प्रवर्तना का विषय इसीलिये होता है कि वह भी दृष्ट का साधन और अनिष्ट का असाधन होने से पुरुषार्थ होता है।

(विशेषविधान से निषेधसामान्य का दाव)

इस प्रसङ्ग में यह ज्ञातव्य है कि पुरुष को जिस विषय की बलवती दृष्ट्या होती है उस में उस की प्रवृत्ति के लिये दृष्टसाधनता के ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती किन्तु उस का स्वरूप ज्ञान हो उस में पुरुषप्रवृत्ति के लिये पर्याप्त होता है क्योंकि जिस वस्तु को बलवती दृष्ट्या होती है उस में पुरुष की प्रवृत्ति स्वतः ही हो जाती है, इसीलिये स्वर्ग भावि में पुरुषप्रवृत्ति के लिये विधि की अपेक्षा नहीं होती। इस से स्पष्ट है कि फल विधिजन्यप्रवृत्ति का विषय नहीं होता अतः उस में दृष्ट की साधनता और अनिष्ट की असाधनता का बोध अपेक्षणीय नहीं होता। इसीलिये द्येनयाग के शास्त्रविहित होने पर भी उस का फल वाच्यस्वरूप अभिचार अनर्थ का साधन होता है क्योंकि वह प्रवर्तना का विषय नहीं होता, प्रवर्तना का विषय तो वह होता है जो विधिजन्य प्रवृत्ति का विषय होता है और वह है घातु का अथ याग भावि, जो फल का करण हुआ करता है। इस प्रकार यह निविधाय सिद्ध है कि अनर्थ का हेतु प्रवर्तना का विषय नहीं होता। उपर्युक्त रीति से यह निस्सम्बेह सिद्ध है कि विधि और निषेध में विरोध होता है, अतः सामान्यनिषेध का विशेषविधि से दाव होना न्यायप्राप्त है। इसलिये 'न हिंस्यात् सर्वभूतानि' इस निषेधवाक्य का विषय बड़े हिंसा हो सकती है जो यज्ञ का अङ्ग न होकर केवल रागद्वेषादि ब्रह्म ही की जाती है।

(अग्निष्टोमादि याग द्येनयाग से तुल्य नहीं)

इस स्थिति में यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि द्येनयाग की समानता बताकर अग्निष्टोम आदि यज्ञों को जो बोधयुक्त कहा गया है वह उचित नहीं है, क्योंकि द्येनयाग से अग्निष्टोम आदि का वैषम्य सुस्पष्ट है, और यह इस प्रकार की द्येनयाग शास्त्रविहित होने से यद्यपि स्वर्ग अनर्थ का हेतु नहीं है किन्तु उस का फल वाच्यस्वरूप अभिचार विधि का विषय न होने से 'न हिंस्यात् सर्वभूतानि' इस सामान्यनिषेध के आधार पर अनर्थ का साधन है, अतः अनर्थसाधन का प्रयोजक होने से द्येन की बोधयुक्तता न्यायसंगत है, किन्तु अग्निष्टोम आदि शास्त्रविहित होने से न स्वर्ग अनर्थ का साधन है और न उस की अङ्गभूत हिंसा ही शास्त्रविहित होने से सामान्यनिषेध का विषय न होने के कारण अनर्थ का साधन है, और न उस का फल स्वर्ग ही किसी निषेध का विषय न होने के कारण अनर्थ का साधन है। अतः किसी भी प्रकार अनर्थजनन में प्रयोजक न होने के कारण

माभाकरारतु 'कलत्राधर्म' रागन एव प्रदीपाधर्मे निर्योगस्य प्रवर्तकत्वम्, तेन श्येनस्य रागत्रयप्रवृत्तिविषयत्वेन विधेरौदासीन्याद् न तस्याऽनर्थहेतुत्वं विधिना प्रतिक्षिप्यते । अग्नीषोमीयहिंसायां तु क्रत्वह्राभूतायां कलत्राधनत्वाभावेन रागाभावाद् विधिरेव प्रवर्तकः, स च स्वविषयस्याऽनर्थहेतुतां प्रतिक्षिपति, इति प्रधानभूता हिंसाऽनर्थ जनयति, न क्रत्वर्था, इति न हिंसामिथितत्वेन दुष्टत्वमग्नीषोमादेः' इत्याहुः ।

इदं च मतद्वयं फलतस्तुल्यमेव । इयाम् तु विशेषो यत्-प्रभाकरमते-“चादनालक्षणोऽर्थो धर्मः (जैमिनीयसूत्रे १.१.२ ।) इत्यत्राऽर्थपदव्यावर्त्यत्वेनाधर्मत्वं श्येनादेः । भाट्टमते तु श्येनफलस्यैवाऽभिचारस्याऽनर्थहेतुत्वादधर्मत्वम्, श्येनस्य तु विहितस्य समीहितसाधनस्य धर्मत्वमेव, अर्थपदव्यावर्त्य (त्यत्त्वे) तु कलिजमक्षणादेरितिपिद्वयैव इति, फलतोऽनर्थहेतुत्वेन तु शिष्टानां श्येनादीं न धर्मत्वेन व्यवहार इति ।

व्येनयाग से उसकी विषयता स्पष्ट है, इसलिये व्येनयाग के समान उसे भी बोधयुक्त खताना नितान्त असंगत है । विधि के विषय में निषेध की प्रवृत्ति उचित नहीं है, यह पहले कहा जा चुका है-जो संघर्ष आवश्यक है, अन्यथा विधि का विषय होने पर भी अभिष्टोक्त आदि की विधि निषेध का विषय नहीं जायगा तो नातिरात्रे योजनितं गृह्णातिः-अतिरात्र में योजनो का ग्रहण न करे' इस निषेधवाक्य का विषय होने के कारण 'अतिरात्रे योजनितं गृह्णातिः'-अतिरात्र में योजनो ग्रहण करे' इस विधिवाक्य से बोधित योजनोग्रहण भी अनर्थ का साधन हो आया । अतः 'अग्नीषोमीयं पशुनाम-मेत' इस विधि के विषयभूत यज्ञाकर्तृहता में 'न हिंसात् सर्वाभूतानि' इस निषेध की प्रवृत्ति के पक्ष में जो कुछ कहा जाता है वह 'कुछ नहीं' के बराबर है ।

(यज्ञीय हिंसा में प्रभाकर-मत)

प्रभाकरमतानुयायी मोमांसकों का कहना है कि जिस प्रकार फल में मुख्य की प्रवृत्ति राग से ही होती है उसी प्रकार फल के साधन में भी मुख्य की प्रवृत्ति रागवश ही होती है अतः विधिवाक्य फलसाधक में भी प्रवर्तन का जनक नहीं होता । इस तथ्य के अनुसार व्येनयाग भी रागत्रय प्रवृत्ति का ही विषय होता है, अतः विधिवाक्य उस के विषय में लटस्थ रहता है अत एव विधि से उस में अनर्थ हेतुता के अभाव का आक्षेप नहीं होता, इस कारण से व्येनयाग की अनर्थहेतुता अक्षुण्ण रहती है, किन्तु अभिष्टोक्त में की जानेवाली हिंसा यज्ञ का अङ्ग होने से न फल ही है और न फल का साधन ही है । अतः उस में राग न होने के कारण स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती किन्तु विधिवाक्य से ही प्रवृत्ति हो सकती है, अतः विधिवाक्य से उस में अनर्थसाधनता के अभाव का आक्षेपक बोध आवश्यक होने से सामान्य निषेधवाक्य से उसमें अनर्थसाधनता का बोध बाधित हो जाता है, इसलिये प्रधानहिंसा ही अनर्थ का साधन हो सकती है, यज्ञ की अङ्गाभूत हिंसा अनर्थ का साधन नहीं हो सकती । अतः हिंसा से निमित्त होने के कारण अभिष्टोक्त को बोधयुक्त कहना पूर्णतया अनुचित है ।

तत्र 'भाट्टमतेऽभिचारः शत्रुवधानुकूलव्यापारः पापरूप एव, इति कथं द्येनस्य नानर्थ-
हेतुन्यम् । इति विधिविषयेऽपि निषेधावकाश एवाऽऽयातः, अनर्थप्रयोजकत्वस्यैव लाघवेन
शिष्टप्रयोगानुगोचरेण च निषेधविधयर्थत्वे तु सुतर्गं तस्मादिष्टसाधनत्वमात्रमेव विध्यर्थः । फले
उत्कटेच्छाविग्रहविशिष्टदुःखजनकत्वज्ञानमेव च प्रवृत्तिप्रतिषन्धकम्, इति द्येन इव कन्वङ्ग-
हिमायामपि सामान्यनिषेधवाक्यान् प्रत्ययजनकत्वबोधेऽपि प्रबलदोषमहिम्ना फले उत्कटे-
च्छाया अधिवातान् प्रवृत्तिः, इति न तत्र कन्वङ्गत्वा-ऽनर्थहेतुत्वयोर्विरोधः, इति प्रत्यवाय-
जनकेऽपि प्रवर्तकस्यैतादृशवाक्यस्याऽर्थशास्त्रत्वमेव, न धर्मशास्त्रत्वम्, इति प्रतिपत्तव्यम् ।

(भट्ट-प्रभाकर-मत में ऐक्य और अन्तर)

वास्तव दृष्टि से विचार करने पर भट्ट और प्रभाकर दोनों का मत समान ही प्रतीत होता
है । अन्तर केवल इतना ही है कि प्रभाकर के मत में 'चोवनालक्षणोऽर्थो धर्मः' अर्थात् 'चोवना=
विधिवाक्य से बोध्य अर्थ धर्म है' इस लक्षण में अर्थपर द्येन का व्यावर्तक है, अतः उन के मत से
द्येन अयम है और भट्टमत में द्येन का फल अभिचार ही अनर्थ का हेतु होने से अधम है । द्येन तो
सास्त्रविहित इष्टसाधन होने के कारण धर्म ही है । उक्त धर्म लक्षण से 'अयमव' भट्ट मत के अनु-
सार कलङ्कजभक्षण आदि निषिद्ध कर्मों का हो व्यावर्तक है न कि विहित द्येनयाग का, अतः उक्तलक्ष-
णानुसार भी द्येन धर्म ही है । धर्म होने पर भी शिष्ट पुरुष जो उसे धर्म नहीं कहते उस का कारण
उस की अधमकृता नहीं है किन्तु अनर्थ के साधनमूल अभिचार का जनक होने से अधमप्रयोजकता
है अर्थात् द्येन स्वयं अधम न होने पर भी अधम का जनक होने से शिष्टपुरुषों की दृष्टि में वह
धमपव से ब्यवहार्य नहीं है ।

[विधिविषय में भी निषेध सावकाश-भाट्टमतखंडन]

इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि अभिचार भी शत्रुवधानुकूलव्यापाररूप होने से पाप ही है अतः
उस का जनक द्येनयाग भी अनर्थ का हेतु क्यों नहीं होगा ? और जब अनर्थ का हेतु होगा तो
'द्येनेताभिचारं यजेत' इस विधि का विषय होने पर भी उस में 'न हिंसात् सर्वमृतामि' इस निषेध
को प्रवृत्त होने का अवसर भाट्टमत में भी मिल ही जायगा । और यदि लाभव की दृष्टि से तथा
शिष्टव्यवहार के अनुरोध से अनर्थहेतुत्व के बदले अनर्थप्रयोजकत्व को ही निषेधविधि का अर्थ
माना जायगा, तब तो शत्रुवध से होने वाले पापरूप अनर्थ का प्रयोजक होने से द्येनयाग और भी
सरलता से निषेधविधि का विषय बन आयागा । इस स्थिति में यह उचित है कि बलवान् दृष्ट को
साधनता की विधि का अर्थ न मानकर सामान्यरूप से इष्टसाधनतामात्र को ही विधि का अर्थ
माना जाय । ऐसा मानने पर यद्यपि यह प्रदत्त हो सकता है कि - 'यदि विधि का अर्थ सामान्यतः
इष्टसाधनतामात्र होगा और विधिविषय में भी निषेध की प्रवृत्ति होगी तो द्येनयाग से
विधिवाक्य से सामान्य इष्टसाधनता का बोध होने पर भी उस में पुरुष की प्रवृत्ति न हो सकेगी
क्योंकि निषेधविधि से उस में होने वाला अनर्थसाधनत्व का ज्ञान प्रवृत्ति का प्रतिबन्धक हो
जायगा ।' तथापि इस प्रदत्त से स्थिति में कोई परिधत्त नहीं हो सकता क्योंकि इस का अत्यन्त
उपपुक्त उत्तर यह है कि अनर्थसाधनत्व का ज्ञान अभी प्रतिबन्धक होता है जब त्रिस का प्रतिबन्ध

प्रभाकरमतेऽपि श्येनस्य विधिना फलसाधनत्वज्ञापनं विना प्रवृत्त्यविषयत्वात् कथं रागजन्यप्रवृत्त्यविषयत्वम् ? । प्रधानहिंसान्वेन चाऽधर्मजनकत्वेऽन्यहिंसाया अप्रमर्जनकत्वं न स्यात् । रागप्राप्तहिंसान्वेन तथान्वेऽपि रागप्राप्तत्वं यदि विध्यजन्यकृष्णाविषयत्वम्, तदा श्येनाऽसंग्रहः, यदि चाङ्गविध्यजन्यकृष्णाविषयत्वम्, तदा श्येनाऽङ्गाऽसंग्रहः, मांवं च, इति न किञ्चिदेतत् । एतेन भाट्टदर्शनमवलम्ब्याऽभिहितम् 'अशुद्धमिति चेत् ? न' शब्दान् इति धावरायणसूत्रमप्युपास्तम् ।

होता है उस में फल की उत्कट इच्छा न हो । अतः श्येनयाग में निषेधवाक्य से अनर्थनाशनेत्र का ज्ञान होने पर भी उस में प्रवृत्ति का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता क्योंकि जो श्येनयाग को करना चाहता है उसे श्येनयाग से होनेवाले अशुद्धरूप फल की उत्कट इच्छा रहती है । इसी प्रकार अभिष्टोम आदि यज्ञ के अङ्गभूत हिंसा में हिंसासामान्य के निषेधकवचन से अनर्थजनकत्व का ज्ञान होने पर भी 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इस विधि से अभिष्टोम के अङ्गभूत हिंसा में होनेवाली प्रवृत्ति का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त हिंसाद्वारा सम्पन्न होनेवाले अभिष्टोम यज्ञ को, जो पुण्य करना चाहता है उसे उस यज्ञ से होने वाले स्वर्गरूप फल की उत्कट इच्छा रहती है जो सुख की प्रबल आसक्तिरूप दोष के कारण अपरिहार्य होती है । इस स्थिति में यह ज्ञातव्य है कि उक्त रीति से यज्ञाङ्गत्व और अनर्थहेतुत्व में कोई विरोध न होने से पापजनक कर्म में भी प्रवर्तक होने के कारण 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' जैसे वाक्य धर्मशास्त्र के रूप में मान्य न होकर अर्थशास्त्र के रूप में ही मान्य हो सकते हैं ।

[श्येनयाग के विषय में प्रभाकर-मत का निरसन]

प्रभाकर मत में 'श्येनयागको रागजन्यप्रवृत्ति का विषय बनाकर उस के विषय में विधिवाक्य को उदासीन कहा गया है ।' किन्तु यह स्पष्ट है कि जबतक विधिवाक्य से उस में फलसाधनता का ज्ञान नहीं होता तबतक उस में प्रवृत्ति नहीं होती अतः उसे रागजन्य प्रवृत्ति का विषय और उस के सम्बन्ध में विधिवाक्य को उदासीन कहना कैसे सम्भव हो सकता है ? प्रभाकर मत की यह बात भी कि "प्रधानहिंसा ही पाप की जननी होती है, यज्ञ को अङ्गभूत अप्रधानहिंसा पापजननी नहीं होती"-ठीक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि प्रधानहिंसा को ही पापजनक मानने पर तो किसी प्रधानहिंसा के अङ्गरूप में जो अप्रधान लौकिक हिंसा होती है वह पाप का जनक न हो सकेगा । और यदि रागप्राप्त-हिंसा को पापजनक मान कर प्रधान अप्रधान सभी प्रकार की यज्ञवाह्य हिंसा को पापजनक कहा जायगा, तो यह भी ठीक न हो सकेगा, क्योंकि रागप्राप्त का अर्थ (i) 'विधि से अजम्ब इच्छा का विषय' आता जायगा तो श्येनयाग राग प्राप्त के अन्तर्गत न आने से पाप का जनक न हो सकेगा । और (ii) यदि 'अङ्ग विधि से अजम्ब इच्छा का विषय' यह अर्थ दिया जायगा, तो श्येनयाग के अङ्गभूतकर्मों का संग्रह न होगा । और (iii) इच्छा में विधि से अजम्बरथ अथवा अङ्गविधि से अजम्बरथ का निवेश कर विशिष्ट इच्छा के विषयभूतहिंसा को पाप का जनक माना जायगा तो गौरव होगा । अतः लक्षण की दृष्टि से हिंसास्वरूप से हिंसा मात्र को पापजनक मानना ही उचित है । इसलिये यज्ञ के अङ्गभूत हिंसा को पाप का जनक बनाने का प्रभाकर का प्रयास भी कोरा प्रयास ही है ।

नैयायिकास्तु-‘इष्टसाधनत्वम्, कृत्तिसाध्यत्वम्, बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं च, इति त्रयमेव विधयर्थः । तत्र कर्तव्यार्थहिंसायां साक्षात् निषेधाऽभावात् प्रायश्चित्तानुपदेशान्निष्ठ-साधनत्व-कृत्तिसाध्यत्ववद् बलवदनिष्टाननुबन्धित्वमपि विधिना बोध्यते, इति न तस्या अनर्थहेतुत्वम् । रयेनादेस्त्वभिचारस्य साक्षादेव निषेधात्, प्रायश्चित्तोपदेशान्त्वानर्थहेतुत्वाव-गमात् साधनमात्रं तत्र विधिना न बोध्यते, इति संगतं रयेना-ऽग्नीषोमयोर्बैलक्षण्यम्’ इत्याहुः ।

अदृश्यस्तन्, कर्तृकृतिभ्यामापि सामान्यनिषेधात्तुर्लोपेनाऽनर्थहेतुत्वावश्यकत्वात्, तत्प्रायश्चित्तबोधकत्वेदस्याऽपि कल्पनात् । सामान्यनिषेध-विधिमंकीचे शक्यार्थस्थागेन चेदे

उपसृक्त कारण से जावरापण का वह सूत्र भी निरस्त हो जाता है जिस में भ्रातृमत का अस्त्व-स्वन कर पलाङ्ग हिंसा को शास्त्रबचन के बल से निष्पाप बताने की चेष्टा की गयी है ।

[यज्ञोप हिंसा के बचाव में न्यायमत]

नैयायिक लोग अन्य प्रकार से श्वेतदाग और अग्निष्टोम में वैधव्य बता कर श्वेत में पापजनकत्व और अग्निष्टोम में पापजनकत्व के अभाव का उपपादन करते हैं । उन का कहना है कि-विधिवाक्य के तीन अर्थ होते हैं-इष्टसाधनत्व, कृत्तिसाध्यत्व, और बलवदनिष्टाननुबन्धित्व इत्यादि इष्ट को अपेक्षा बलवान् अनिष्ट का अजनकत्व । विधिवाक्य जिस कर्म का विधान करता है उस में इन तीनों अर्थों का बोधन करता है । जो हिंसा कर्तु के अङ्गकर्म में विहित होती है, उस हिंसा में भी उस के विधिवाक्य से इष्टसाधनत्व और कृत्तिसाध्यत्व के साथ बलवदनिष्टाऽजनकत्व का भी बोध होता है, क्योंकि वह भी साक्षात् निषिद्ध न होने से तब या उस के लिये किसी प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान न होने से अनर्थ का जनक नहीं माना जा सकता ।

इस प्रकार विधिवाक्य से कर्तव्य हिंसा में बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध होने से वह अनर्थ का साधन नहीं होती, किन्तु श्वेत का अनर्थसाधनत्व प्रुप्त है क्योंकि अभिचारकर्म होने से वह साक्षात् निषिद्ध है, तथा उस के लिये प्रायश्चित्त का विधान है । अतः श्वेतदाग के विधिवाक्य से उस में इष्ट-साधनत्व और कृत्तिसाध्यत्व इस बी ही बातों का बोध होता है, बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध नहीं होता । अतः विधिवाक्य से बलवान् अनिष्ट के अजनकत्व से बोधित न होने के कारण उस का अनर्थ-साधनत्व निर्विवादासिद्ध है ।

(न्यायमत खण्डन)

इस कथन को व्याख्याकार श्रीमद् यशोबिजयजी ने असंगत बताया है । उन का कहना है कि-यज्ञ की अङ्गभूत हिंसा भी 'न हिंस्यात् सर्वाभूतानि' इस हिंसासामान्य के निषेधविधि का विषय होने से अनर्थ का साधन है, और इसी कारण उस के लिये भी प्रायश्चित्तबोधकत्वेद की कल्पना आवश्यक है । यज्ञ के अङ्गभूत हिंसा की विधि के अनुरोध से सामान्यनिषेध में संकीर्ण करना उचित नहीं है, क्योंकि इस के लिये सामान्यनिषेधविधि का यह अर्थ करना होगा कि यज्ञीय वस्तु से

लक्षणापञ्चाश्रयणस्यातिजघन्यत्वात्, अन्यथा 'रात्रौ आहुं न कुर्वीत' इत्यत्रापि नञो भेद-
स्पर्त्वेन गुणविधेः अधिकारविधेयां प्रसङ्गात्, 'अमावास्यायां पितृभ्यो दद्यात्' इत्यादिविधि-
बोधितश्चाद्वज्जन्यतावच्छेदकपुण्यत्वाऽपान्तरजातिव्यापकजात्यवच्छिन्नं प्रति रात्रीतरश्चाद्वकरणस्य
कारणत्वेन रात्रिकृतश्चाद्धात् फलसुत्पादासंभवात् । अथ 'तत्रापि विशेषनिषेधे सामान्यविधेः
तदितरपरत्वव्युत्पत्त्याः प्रस [त्य]ज्यभजैवावपत्तौ नञो भेदवन्परत्वं न स्वीक्रियत' इति चेत् ?
तर्हि सामान्यविधेरसंकोचानुसारेण निषेधविधौ विशेषणभावात्तद्विरुद्धं स्वीक्रियतम्,
विकल्प एव वा ।

भिन्न प्राणियों की हिसा न करे और इस अर्थ की प्राप्ति के लिये सामान्यनिषेध विधि के अन्तर्गत आये
'भूत' पद के लक्षणा का स्थापन कर 'यज्ञोपपशुभिन्नभूत' में उस की लक्षणा करनी होगी और लक्षणा
एक अजघन्यवृत्ति है, अतः वेद जैसे महनीय माने हुए शस्त्रमय में उस वृत्ति का अवलम्बन करना
अनुचित है ।

(गुणविधि-अधिकारविधि)

यह भी ज्ञातव्य है कि निषेध विधि में लक्षणा का अवलम्बन करने पर रात्रौ आहुं न
कुर्वीत-रात्रि में आहुं न करे' इस निषेधविधि में भी तब पद की भिन्न में लक्षणा मान्य हो
सकेगी और तब उस का अर्थ होगा 'रात्रि से भिन्न समय में आहुं करे' और उस स्थिति में
यह निषेधविधि न रहकर गुणविधि अथवा अधिकारविधि हो जायगी । आशय यह है कि
जिस विधि से अकृम और प्रधान के सम्बन्ध का बोध होता है उसे गुणविधि कहा जाता है
जैसे 'वस्ना जुहोति-वही से हवन करे' इस विधि से हवन रूप प्रधान कर्म के साथ उस के अकृम
भूत साधन विधि के सम्बन्ध का बोध होने से यह विधि गुणविधि होती है, उसी प्रकार 'रात्रौ आहुं
न कुर्वीत' यह विधि भी आहुकर प्रधान कर्म के साथ रात्रि भिन्नकालरूप अकृम के सम्बन्ध का बोधक
होने से गुणविधि हो जायगी । अधिकारविधिरस की प्रसक्ति इसलिये होगी कि इन का पर्यवसान
फलस्वामित्व के बोधन में हो जाता है, जैसे-जब यह विधि रात्रिभिन्न समय में आहुं के अनुष्ठान की
विहित करेगी तो 'अमावास्यायां पितृभ्यो दद्यात्=अमावास्या तिथि में पित्रों का आहुं करे' इस
आहुं के विधायक वाक्य से । जिस जाति के पुण्य की जनकता आहुं में विवक्षित है उस जाति के पुण्य
के प्रति रात्रिभिन्न काल में किया जाने वाला आहुं कारण है यह बात 'रात्रौ आहुं न कुर्वीत'
इस विधि से बोधित होगी, और ऐसा होने पर फलतः यह विधि-आहुं अनुष्ठान के पुण्यार्थ में रात्रिभि-
न्नकाल में करणीय आहुं के फलस्वामित्व का बोध कराने में पर्यवसित होगी ।

अतः फलस्वामित्व के बोधन में पर्यवसित होने से इस में अधिकारविधिरस की प्रसक्ति
अपरिहार्य है, क्योंकि फलस्वामित्व की बोधक विधि ही अधिकारविधि होती है । इस में गुणविधिरस
और अधिकारविधिरस की प्रसक्ति इसलिये भी सम्भव है कि इस प्रसक्ति का कोई वाचक नहीं है,

१ मूल व्याख्या में 'पुण्यत्वापान्तरजातिव्यापकजात्यवच्छिन्नं प्रति' इस अंश में 'ज तिव्यापक'
शब्द अधिक लगता है ।

यैस्तु तत्र पर्युदासविषयप्राप्ते अङ्गे रात्रिभिन्नस्वरूपगुणविधानमेव स्वीक्रियते, न तु रात्रिभिन्नाऽमावास्यात्वेन निमित्तत्वम् । विशेषण विशेष्यभावविनिर्गमनाद्विहेतुनातिगौरवात्, सरत्रापि सामान्यनिषेधविधायकत्वङ्गान्तरिमान्वेन निमित्तत्वं परित्यज्य कृत्वङ्गान्तरिमायां श्येन इव मलवदन्तिप्रान्तुवन्निश्चिन्तान्वयपरित्यागमात्रे किं न मनो र्दीयते, प्रवृत्तेस्तदुपदेष्टोपपत्तेः ।

क्योंकि गुणविधि या अधिकारविधि होने पर भी इस से रात्रिआद्य में कल्पानुपपत्तिका का बोध होने में कोई बाधा नहीं होगी ।

[सामान्यविधि यथारूप में श्रक्षुष्णः]

यदि यह कहा जाय कि- विशेष का निषेध होने पर सामान्य विधि विशेषतः परक हो जाती है भीषासिमात्मक की यह व्यवस्था है, और इस को उपपत्ति नञ् पद से ही होती है अतः विशेषनिषेध विधि में नञ् पद का तात्पर्य भिन्न अर्थ में मानना आवश्यक होता है । इसलिये नञ् पद की भिन्नार्थक मानने पर 'रात्री आद्य न कुर्वीत' इस निषेधविधि में उक्त रीति से गुणविधित्व अथवा अधिकारविधित्व का आगमन उचित नहीं है क्योंकि नञ् पद की भिन्नार्थक मानने का जब एक प्रयोजन विद्यमान है तब उस का प्रयोजनान्तर से सम्बन्ध जोड़ना अनुचित है । तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि उक्त व्यवस्था में सामान्यविधि में संकोच करना पड़ता है । अतः ऐसी व्यवस्था करना उचित है जिस में सामान्यविधि अपने यथाभूत रूप में श्रक्षुष्ण रहे, एतदर्थ उचित यह होगा कि नञ् पद की भिन्नार्थक न मान कर अभावार्थक माना जाय और निषेधविधि का विशेषणाभाव में ही तात्पर्य माना जाय । जैसे, 'रात्री आद्य न कुर्वीत' इस निषेध में सप्तमी विभक्तिसहित रात्रि शब्द का अर्थ है रात्रिनिष्ठस्वरूप विशेषण, अभावार्थक नञ् शब्द से आद्य में रात्रिनिष्ठत्व के अभाव का बोध होगा, अतः इस निषेध से उसी आद्य को कल्पयता प्राप्त होगी जो रात्रिनिष्ठ न हो । अथवा रात्रि आद्य और रात्रिआद्याभाव में विकल्प होगा, जिस का फल यह होगा कि कोई मनुष्य कभी रात्रिआद्य और कभी रात्रीआद्याग दोनों न कर सकेगा किन्तु दोनों में एक विकल्प ही स्वीकार करना होगा, वह नियमितिरूप से रात्रिआद्य हो करे या नियमित रूप से रात्रिआद्य का त्याग हो करे । इस व्यवस्था में नञ् पद की भिन्न अर्थ में साक्षात्क मानने की आवश्यकता नहीं होती और सामान्यविधि अपने यथाभूत रूप में सुरक्षित रह जाती है । इस व्यवस्था के अनुसार 'न हिंस्यात् सर्वाभूतानि' यह सामान्यनिषेध भी अपने सामान्य अर्थ में सुरक्षित रहेगा, लक्षणा द्वारा यक्षोपपद्य से भिन्न भूतों की ही हिंसा के निषेध में इस का संकोच न होगा, अतः इस सामान्य निषेध का विषय हो जाने से यक्षोपहिंसा का भी असर्थ साधनत्व निश्चिन्त है ।

[सामान्यविधि के संकोच में युक्त्यन्तर-तत्त्वखण्डन]

कुछ विद्वान् ऐसे हैं जो 'रात्री आद्य न कुर्वीत' इस निषेध विधि में नञ् की पर्युदास बोधक मानकर इसे रात्रिभिन्नस्वरूप गुण का ही विधायक मानते हैं । वे आद्यविधायक बाध में अमावास्या का रात्रिभिन्नस्वरूप विशेषण से संकोच कर रात्रिभिन्नत्व विनिर्गम अभावस्याग को आद्य का निमित्त नहीं मानते, क्योंकि रात्रिभिन्नत्व और अमावास्यात्व के परस्पर विशेष्यविशेषणभाव में विनिर्गमना

एतेन 'नेन रूपेण निमित्तताऽधिकी, इति न शक्यार्थन्यासः' इत्यपास्तम्, अर्थतः कल्पङ्गहिंसायां बलवदनिष्टानुबन्धित्वस्यैवाऽसिद्धेः, श्येन इव तत्र सामान्यनिषेधवादेन तदनन्वयात् 'श्येने तदनन्वयप्रयोजकं तात्पर्यम्, कल्पङ्गहिंसायां तु न तत्' इति कल्पना-गौरवे हिंसारमिकत्वं त्रिनाऽन्यस्य बीजस्याऽभावात् ।

अथाऽग्नीषोमादेः स्वर्गजनकत्वं श्रुतं तदङ्गहिंसायां बलवदनिष्टानुबन्धित्वं निरुन्ध्या-दिति चेत् ? श्येनस्याभिचारजनकत्वमपि किं न तथा ? । 'श्येनजन्वाऽदृष्टस्य शत्रून्ध-नार्कोपयजनकत्वात् न विरोध इति चेत् ? तर्हि कल्पङ्गहिंसाजन्वाऽदृष्टस्यापीष्टानिष्टोभयजन-कत्वमङ्गीक्रियताम् । 'गन्धं सति पुण्यन्व-पापन्वयोः साङ्ख्यमि'ति चेत् ? तदिदं तत्रैव संकटम् । अस्माकं तु पापानुबन्धिपुण्यावपाकनिर्दिष्टत्वेन श्येनाऽग्नीषोमादीनामिष्टप्रयोजकत्वमात्राभ्यु-

न होने से शास्त्राभिन्तत्वं विशिष्ट अभावात्प्राप्त्य और अभावात्प्राप्त्यविशिष्टरात्रिभिन्नत्वं इत सी रूपों से निमित्तता के स्वीकार्य होने से गौरव की आपात होती है । ऐसे लोगों के प्रति व्याख्याकार का कहना है कि उन्हें इस विस्तृत में भी मनोयोग देना चाहिये कि 'अग्नीषोमीयं पशुपालयेत्' इस विशेषविधि के अनुरोधसे 'न हिंस्यात्, सर्वाभूतानि' इस सामान्य निषेध में संकोच मान कर कल्पङ्ग-भिन्नहिंसात्वं रूप से हिंसा को निषेध्य मानने पर कल्पङ्गाभिन्नत्वं और हिंसात्वं के परस्पर विशेष्य-विशेष्यभाव में विनिगमना न होने से कल्पङ्गाभिन्नत्वंविशिष्टहिंसात्वं और हिंसात्वंविशिष्टकत्व-कल्पभिन्नत्वं इन दो रूपों से हिंसा को निषेध्य मानने में गौरव होगा । अतः सामान्यनिषेध में संकोच मानना ठीक नहीं है, अपितु यह मानना ठीक होगा कि सामान्यनिषेध से हिंसारूप से हिंसाभात्र में अनर्थसाधनत्व का बोध होता है और कल्पङ्ग हिंसा में उस के विनिगमन से केवल इष्टसाधनत्व और कृतसाध्यत्व का ही बोध होता है, बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध नहीं होता जैसा कि श्येनयाग के विधि के सम्बन्ध में माना जाता है । कल्पङ्गहिंसा में बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध न होने पर भी केवल इष्टसाधनत्व और कृतसाध्यत्व के ही बोध से प्रवृत्ति उसी प्रकार हो सकेगी जैसे श्येनयाग में होती है ।

इस प्रसङ्ग में यह कहना कि 'रात्रिआष्टनिषेध के अनुरोध से आष्टविधायकवाच्य में संकोच के लिये अभावात्प्राप्त्य के शक्यार्थ का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शत्रिभिन्न अभावा-स्यात्वरूप से आष्ट की निमित्तता शब्दतः बोध्य न हो कर अर्थतः बोध्य होती है । इसी प्रकार सामान्य-निषेध में भी कल्पङ्गहिंसा की विधि के अनुरोध से संकोच करने के लिये वहाँ भी शक्यार्थत्याग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ भी कल्पङ्गाभिन्नहिंसात्वरूप से निषेध्यता का बोध शब्दतः न मान कर अर्थतः माना जा सकता है' यह कहना ठीक नहीं हो सकता क्योंकि श्येनयाग के समान कल्पङ्ग-हिंसा में भी सामान्यनिषेध के कारण बलवदनिष्टाऽजनकत्व का बोध अर्थतः असिद्ध है । यदि यह कहा जाय कि 'श्येनयाग में बलवदनिष्टाऽजनकत्व का अन्वय न होने में शास्त्र का तात्पर्य है किन्तु कल्पङ्ग-हिंसा में उस का अन्वय न होने में शास्त्र का तात्पर्य नहीं है' तो इस कल्पना-गौरव का आधार कल्पक के हिंसाग्रंथ की ओर कर दूसरा कुछ नहीं हो सकता ।

एगमे न किञ्चिद् बाधकम् । —‘यो यद्व्रतकलार्थितया क्रियते, स तद्गतकिञ्चिदतिशयजनकः’ इति नियमात् शत्रुवधार्थितया क्रियमाणं श्येनजन्यादृष्टं पापरूपं शत्रुवधे स्वीक्रियत’-इति चेत् ? कथं तर्हि श्येनकर्तृ-नैर्गकाऽवामिः। श्येनध्वंसस्य श्येनव्यापाशतायामन्यत्राऽप्यदृष्टोच्छेद-प्रसेगात्, शत्रुनिष्ठपापस्य च भोगेन नाशात् । न चायं नियमोऽपि, कर्मणः समानाधिकरण-

[श्येनयाग-अग्निष्टोम कल के प्रति समान]

प्रस्तुत शिवार के प्रसङ्ग में यदि यह कहा जाय कि-‘अग्निष्टोम आदि यज्ञों में वेदात्मक प्रमाण से स्वर्गजनकत्व सिद्ध है अतः उस के विरोध के कारण उसके अङ्गसुत हिंसा में बलवन्निष्ठजनकत्व नहीं माना जा सकता’-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर वेदसिद्ध अग्निष्टोमजनकत्व के कारण श्येनयाग में भी बलवन्निष्ठजनकत्व का त्याग करना होगा । फलतः यह भी अनर्थ का साधन न हो सकेगा । यदि यह कहा जाय कि-‘श्येनजन्य दृष्ट को शत्रुवध और नरक दोनों का जनक मानने में कोई विरोध नहीं है’-तो कलवृत्तिहिंसा से होनेवाले दृष्ट को भी दृष्ट और अनिष्ट दोनों का जनक मानने में क्या बाधा हो सकती है ? यदि यह कहें कि-‘एक दृष्ट को स्वर्ग और नरक का जनक मानने में पुण्यत्व और पापत्व में साकृत् होना तो यह कथन नैयायिक को ही संकट का कारण हो सकता है, आहूतों को नहीं, क्योंकि आहूत भूत में ऐसे कर्मों से पापानुबन्धी पुण्य का घञ्ज माना जाता है अतः श्येन और अग्निष्टोम दोनों को समानरूप से दृष्टप्रयोजकमात्र मान कर दोनों को अनर्थ का भी प्रयोजक मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती ।

[श्येन से शत्रु में ही अदृष्टजनन का खण्डन]

कुछ लोगों का इस विषयमें यह कहना है कि-‘शत्रुवध के लिये विहित श्येनयाग से पापरूप दृष्ट की उत्पत्ति शत्रु में ही होती है, श्येनकर्ता में नहीं होती, क्योंकि यह नियम है कि-जो कर्म जिस आशय में किसी फल की उत्पन्न करने के अभिप्राय से विहित होता है वह कर्म उस में किसी प्रतिशय-दृष्ट को उत्पन्न करता है-’ किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर श्येनकर्ता को नरक की प्राप्ति न हो सकेगी, क्योंकि श्येनकर्ता में आशुविनाशो श्येनयाग का कोई व्यापार न रहेगा । यदि यह कहा जाय कि-‘श्येनयागकर्ता में होने वाला श्येनध्वंस ही नरक के जनन में श्येन का द्वार है, अतः यह आपत्ति नहीं हो सकती-’ तो यह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एकत्र कर्मध्वंस को कर्म व्यापार मानने पर अन्यत्र भी कर्मध्वंस को ही कर्म का व्यापार मान लिये जाने की सम्भावना से कर्मव्यापार के रूप में दृष्ट की सिद्धि ही असम्भव हो जायगी ।

यदि यह कहा जाय कि-‘शत्रुनिष्ठ पाप ही श्येन का द्वार है और यह स्वजनकश्येनकर्तृत्व सम्बन्ध से नरक का कारण है अतः इससे श्येनकर्ता को नरक की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं हो सकती’-तो यह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि शत्रुगत पाप का शत्रुगत भोग से नाश हो सकता है, अतः श्येनकर्ता को नरक की प्राप्ति होने तक उस का अस्तित्व सन्निवृत्त होने से उसे द्वार मानना सम्भव नहीं हो सकता । सब बात तो यह है कि उक्त नियम भी अप्रामाणिक है क्योंकि दृष्ट और कर्म में सामानाधिकरव्येन कार्यकारणभाव होता है अतः कर्म से व्यधिकरण दृष्ट की उत्पत्ति नहीं हो सकती । और यदि कुछ

स्वीयाऽदृष्टस्य जनकत्वात्, तत्तददृष्टाऽन्यादृष्टत्वेन ममानाधिकरणकर्मजन्यत्वे गौरवात् । एतेन श्वेनान् पापद्वयाभ्युपगमोऽपि परास्ताः इति न किञ्चिदेतत् ।

ये तु-“श्वेनेऽपि बलवदनिष्टानुबन्धित्वं न बाधितान्वयम्, न हि सा हिमा, अदृष्टाद्वारकमरणोद्देश्यकमरणानुकूलव्यापारस्यैव हिंसात्वात् । गङ्गामरणार्थक्रियमाणत्रिसन्ध्य-स्वपाठवारणाय ‘अदृष्टाऽद्वारक’ इति विशेषणम्, कूपकर्तृत्वेनात् कूपपतितमोहिमाधारणाय ‘मरणोद्देश्यक’-इति । तथा च श्वेनस्याऽपि न निषिद्धत्वम्”-इत्याहुः-

तेषां हिंसाणामपूर्वा हिंसारसिकता, यथा श्वेनकर्तृरपि वैमिरणप्रयोजकपञ्चपाताश्र-कृत्त्वेन शिष्टत्वमनुमतम् । अनर्थप्रयोजकेऽपि निषेधाविधिप्रवृत्तौ च प्रतिज्ञाबाध इति । न च

ग्रहणं ही स्वीकारता करी है जो उत्पत्ति कारणों के जेमे तत्सह अदृष्ट से भिन्न ग्रहण के ही प्रति कर्म को समानाधिकरण्येन कारण माना जाय तो कार्यतावच्छेदक में गौरव होने से वह कार्य-कारणभाव मान्य न हो सकेगा । इसीलिये यह भी कल्पना करना उचित नहीं है कि-‘श्वेनयाग से दो पाप उत्पन्न होते हैं, एक गन्धु में और दूसरा श्वेनकर्ता में’-क्योंकि-ऐसा मानने में गौरव है जो अप्रा-माणिक होने से स्वीकार्य नहीं हो सकता । अतः श्वेन में और हिंसासाध्य अग्निष्टोम आदि में अनर्थसाधनत्व का अभाव सिद्ध करने का ऐसा कोई भी प्रयास उचित नहीं हो सकता ।

[अदृष्टाद्वारक मरणोद्देश्यक व्यापार ‘हिंसा’]

कुछ विद्वानों का कहना है कि-“श्वेनयाग में भी बलवदनिष्ठाऽजनकत्व का अन्वय बाधित नहीं है । श्वेनविधि से अदृष्टसाधनत्व और कृतिसाध्यत्व के साथ श्वेन में बलवदनिष्ठाऽजनकत्व का भी बोध होता है, अतः वह भी हिंसारूप नहीं है, क्योंकि जो व्यापार मरणोद्देश्यक होता है तथा अदृष्ट को द्वार बनाये बिना ही मरण का सम्भावक होता है वही व्यापार हिंसा कहा जाता है । श्वेन तो अदृष्ट द्वारा ही मरण का सम्भावक होता है, अतः उसे हिंसा नहीं कहा जा सकता । हाँ, हिंसा के लक्षण में से यदि ‘अदृष्टाद्वारकत्व’-अदृष्ट को द्वार बनाये बिना हो’ इस अंश को निकाल दिया जाय तो श्वेन भी अवश्य हिंसारूप हो सकेगा, किन्तु उस अंश को लक्षण से पृथक् नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे लक्षण में से निकाल देने पर गंगा में मरण होने के उद्देश्य से तीनों सन्ध्या-प्रातः-मध्याह्न और सायं के समय गङ्गास्तीर्ण आदि का जो पाठ किया जाता है, वह भी हिंसा हो जायगा । इसी प्रकार हिंसा के उक्तलक्षण में ‘मरणोद्देश्यक’ इस अंश का रहना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि उस अंश को लक्षण से पृथक् कर दिया जायगा तो कूपनिर्माण भी हिंसा हो जायगी क्योंकि कूप में गिर जानेवाली गौ के मरण का वह प्रयोजक है और उस मरण में अदृष्टरूप द्वार की अपेक्षा नहीं होती । किन्तु ‘मरणोद्देश्यक’ इस अंश को लक्षण में रखने पर वह बोध नहीं होता, क्योंकि कूप का निर्माण इस उद्देश्य से नहीं किया जाता कि इस निर्माण से सम्पन्न होने वाले कूप में गौ आदि पशु गिर कर मरें, अतः श्वेनविधि से श्वेन में भी बलवदनिष्ठाऽजनकत्व का बोध होने से वह भी ‘न हिंसात् सर्वाभुजानि’ इस निषेधविधि का विषय नहीं होता, फलतः कृत्वङ्ग हिंसा के समान वह भी पापजनक नहीं होता-”

तैः पाप्मभिर्हिसालक्षणं स्वमतेनाऽपि गृह्यते, स्वजन्याऽदृष्टाजन्यत्वस्य मरणविशेषणस्थे-
ऽसंभवान्, कार्यमात्रस्याऽदृष्टजन्यत्वान्, सामानाधिकरण्येनाऽदृष्टजन्यत्वनिवेशे च श्येनाति-
व्याप्तेः । एतेन 'अदृष्टव्यापारसंबन्धेन स्वाजन्यत्वं तत्' इत्यपि निरस्तम्, प्रतियागप्रति-
षेधरयेनातिव्याप्तेः । न च तत्र मरणोपधायकत्वलक्षणं मरणानुहूलन्यमेव न, इति नाति-
व्याप्तिरिति चाक्षयम्, स्वहृदाधत्तेनाऽपि यत्र देवाश्च मरणं तत्राऽव्याप्त्यापत्तेः । न च
तत्रापि पूर्णप्रायश्चित्ताऽभावाद् न हिंसेति यत्तद्वत्, गर्वशायश्चित्तरागि हिंसाऽपि भवति ।

ऐसे विद्वानों के सम्बन्ध में व्याख्याकार का कहना है कि इन विद्वानों का हिसाब्रेम अपूर्व है,
जिस के कारण ये विद्वान शत्रु का प्राण हरण करनेवाले श्येन कर्ता को भी केवल इसलिये शिष्ट
मानने की तैयार हैं कि वह शत्रु का बध करने के लिये उस पर बख्तरहार नहीं करता या उस के
गले में छुरा नहीं धौंकता ।

['अदृष्टाधारक' विशेषणानुपपत्ति]

उनके हिसाब्रेम का ही यह भी प्रभाव है कि वे श्येनयाग में सामान्यहिसानिवेध सचम की
अप्रवृत्ति बताते हुये यह भी बूल जाते हैं कि ऐसा मानने पर 'अनर्थ के प्रयोजक में भी निषेधविधि की
प्रवृत्ति होती है' उनकी इस प्रतिज्ञा का बाध होता है । सब बात तो यह है कि इन पापियों ने हिंसा
का जो लक्षण बताया है वह उनके मत से भी समीचीन नहीं हो पाता क्योंकि कि अदृष्टाधारकत्व
विशेषण से लक्षण का यह स्वरूप निष्पन्न होता है कि 'जो व्यापार स्वजन्यअदृष्ट से अजन्य मरण का
प्रयोजक हो एवं मरणोद्देश्यक हो वह व्यापार हिंसा है,' किन्तु यह लक्षण असम्भव बोध से युक्त हो
जाता है, क्योंकि कार्यमात्र अदृष्ट से जन्य होता है, अतः मरण भी अवश्य ही अदृष्टजन्य होगा, और
वह जिस अदृष्ट से जन्य होगा वह अदृष्ट उस व्यापार से भी जन्य होगा जिस व्यापार में प्रस्तुत
हिंसा लक्षण का सम्बन्ध समीष्ट है, क्योंकि मरणप्रयोजकव्यापार सामान्यरूप से मरणजनक
अदृष्टसामान्य का जनक होता है । यदि इस बोध के कारणार्थ मरण में सामानाधिकरण्यअदृष्टाजन्यत्व
का निवेश किया जायगा तो इस बोध का परिहार तो हो जायगा क्योंकि हिंसासे होने वाला मरण
मरनेवाले के अदृष्ट से होता है और वह अदृष्ट हिंसा का सामानाधिकरण्य नहीं होता किन्तु ऐसा
करने पर श्येन में हिसालक्षण की प्रतिव्याप्ति होगी क्योंकि श्येन से होनेवाला मरण भी श्येनकर्ता के
अदृष्ट से उत्पन्न होने के कारण सामानाधिकरण्य अदृष्ट से अजन्य होता है ।

[स्व (श्येन) जनकमरणोच्छादिविशेष्यत्व संबन्ध भी अनुपपन्न]

उक्त असम्भव का कारण करने के लिये अदृष्टाधारकत्व का अर्थ यदि 'अदृष्टात्मकव्यापार
रूप सम्बन्ध से स्वाजन्य' किया जाय तो इस अर्थ से असम्भव का कारण तो हो जायगा क्योंकि
हिसाजन्य मरण के प्रति हिंसा साक्षात् कारण होती है, 'अदृष्टात्मकव्यापाररूप सम्बन्ध से कारण
नहीं होती और वह मरण मरने वाले प्राणी के जिस अदृष्ट से होता है वह हिंसा का व्यापार नहीं
होता, किन्तु यह अर्थ भी सर्वोप होने से त्याज्य है, क्योंकि यह अर्थ स्वीकार करने पर भी श्येन में
हिसालक्षण की प्रतिव्याप्ति का परिहार नहीं हो सकता क्योंकि श्येन भी अदृष्टात्मकव्यापार रूप
सम्बन्ध से शत्रुमरण का जनक नहीं होता अपितु स्वजनकमरणप्रकारकच्छादिविशेष्यत्व सम्बन्ध से

जनक होता है। कहने का आशय यह है कि श्वेन से उत्पन्न होने वाला अदृष्ट श्वेनकर्ता में होता है अतः वध्य शत्रु के साथ उसका सम्बन्ध न हो सकने से वह शत्रुमरण में श्वेन का व्यापार नहीं बन सकता, अपितु श्वेनकर्ता जिस इच्छा से श्वेनयाग करता है वह इच्छा ही शत्रु के साथ श्वेन का सम्बन्ध स्थापित करती है। जैसे श्वेन याग का जनक इच्छा इस प्रकार होती है कि—'मेरे द्वारा अनुष्ठित होने वाले श्वेन से शत्रु का मरण हो'। इस इच्छा के द्वारा शत्रु के साथ श्वेन का स्वजनक मरण प्रकारक इच्छा विशेष्यत्व सम्बन्ध स्थापित है। जैसे, स्व का अर्थ है श्वेन, उस की जनक मरण प्रकारक इच्छा है उक्त इच्छा, उस की विशेष्यता शत्रु में है, अतः श्वेनजन्य शत्रुमरण अदृष्टव्यापारात्मक सम्बन्ध से श्वेनाऽजन्य है। अत एव मरण में अदृष्टव्यापारात्मक सम्बन्ध से स्वाजन्यस्वरूप अदृष्टाऽद्वारकत्व का निवेश करने पर भी श्वेन में हिंसात्वकाश की अतिव्याप्ति अनिवार्य है।

यदि यह कहा जाय कि—'श्वेन की उक्त इच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध से शत्रुमरण का कारण मानने पर अदृष्टवैकल्य से श्वेनयाग के अपूर्ण रह जाने पर भी उक्त इच्छाविशेष्यत्व सम्बन्ध के अधुषण रहने के कारण शत्रुमरण का आपत्ति होगी अतः उसे अदृष्टात्मक व्यापाररूप सम्बन्ध से ही कारण मानना होगा, श्वेनकर्ता में उत्पन्न होनेवाले अदृष्ट का शत्रु के साथ साक्षात् सम्बन्ध न होने पर भी स्वाध्य संयुक्त संयोगत्व परम्परा सम्बन्ध बन सकता है। जैसे, स्व का अर्थ है श्वेनजन्य अदृष्ट, उस का आश्रय है श्वेनकर्ता, उस से संयुक्त होता है मूलवध्य, और उस का संयोग होता है शत्रु के साथ। श्वेनकर्ता आत्मा और शत्रु आत्मा दोनों के व्यापक होने से इस सम्बन्ध के होने में कोई बाधा नहीं हो सकती। शत्रुशरीरसंयोगधर्मरूप मरण भी स्वप्रयोज्यमोहाभाववत्त्व सम्बन्ध से शत्रु-आत्मा में रहता है, अतः इस सम्बन्ध से शत्रु आत्मा में होने वाले मरण के प्रति स्वजन्या-ऽदृष्टाध्यसंयुक्तसंयोग सम्बन्ध से श्वेन की कारण मानना युक्तिसंगत ही है। श्वेन का यह सम्बन्ध वध्यशत्रु से निम्न अवस्थितियों में भी रहता है, किन्तु श्वेन से उन अवस्थितियों का वध्य नहीं होता, अतः श्वेन की केवल इस एक सम्बन्ध से ही कारण मानना ठीक नहीं है किन्तु उक्त अदृष्टघटित सम्बन्ध तथा स्वजनकमरणप्रकारकइच्छा-विशेष्यत्व सम्बन्ध इन दो सम्बन्धों से कारण मानना आवश्यक है। वध्य शत्रुओं से निम्न अवस्थितियों में श्वेन का इच्छाघटित सम्बन्ध न होने से उन के मरण की तथा अङ्ग वैकल्य से श्वेन की अपूर्णतावशा में अदृष्टघटितसम्बन्ध न होने से उस वशा में शत्रुमरण की आपत्ति नहीं हो सकती। तो इन प्रकार श्वेनजन्य मरण में अदृष्टात्मकव्यापाररूप सम्बन्ध से श्वेनजन्यत्व ही रहने के कारण श्वेन में अतिव्याप्ति न हो सकने से हिंसा का उक्त लक्षण निर्वोच हो सकता है।—तो

यह कहना भी लक्षण की निर्दोष नहीं बना सकता, क्योंकि विरोधी याग के कारण श्वेनयाग से अभीक्षित शत्रुवध की अनुत्पत्तिवशा में श्वेनयाग में अतिव्याप्ति का कारण नहीं हो सकता क्योंकि वह श्वेन भी अदृष्टरूप व्यापारात्मक सम्बन्ध से स्व से अजन्य मरण का प्रयोजक मरणोद्देश्यक व्यापार है। इस बोध का परिहार करने के लिये यदि-मरणप्रयोजकत्व के स्थान में मरणोपधायकत्व का निवेश किया जाय—तो यह भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ किसी प्राणी पर सङ्ग-प्रहार करने पर भी प्राणी की मृत्यु उस प्रहार से न होकर घाव में देववश हो जाती है जहाँ उस सङ्गप्रहाररूप हिंसा में मरणोपधायकत्व न होने से हिंसात्वकाश की अव्याप्ति होगी।—ऐसे व्यापार के लिये पूर्ण प्रायश्चित्त का विधान न होने से ऐसे व्यापार की हिंसा ही नहीं माना जा

एतेन 'मरणजनकादृष्टाजनकत्वलक्षणं तत्र व्यापारविशेषणम्' इत्यपि निरस्तम्, इतरहिंसाजनकतादृशादृष्टाप्रसिद्धेश्च । मरणोद्देश्यकत्वमपि न मरणत्वप्रकारकेच्छाऽजन्येच्छा-
ऽविषयत्वम्, धनादिलिप्सया हिंसायामव्याप्तेः; किन्तु मरणजनकेच्छाविषयत्वम्; तथा च
क्रत्वङ्महिंसायामतिव्याप्तिः; अत एव मरणफलकताबोधकविधिवोधितकर्तव्यताकान्यस्वरूपा-
दृष्टाऽदृष्टाजनान्निर्देशेऽपि न विनाः । न चमरिणितत्त्वमात्रनिर्देशेऽपि निर्वाहः, प्रमादकृत-
हिंसायामव्याप्तेः, विहितेऽपि श्येनादौ त्वदीयानामपि हिंसाव्यवहारात्, अनेन रूपेण पाप-
जनकत्वे भौत्वाच्चेति दिम् ।

सकता'-यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि अर्थप्रायश्चित्त का विधान भी उसे हिंसा मानने पर ही उचित हो सकता है । अतः प्राणिपक्ष का असफल व्यापार भी हिंसारूप होने से उस में अव्याप्ति के भय से हिंसालक्षण में मरणोपधायकत्व का निवेश नहीं किया जा सकता ।

(मरणजनकादृष्टाजनकत्व का निवेश अप्रसिद्ध)

इत्येवाम् में अतिव्याप्ति का कारण करने के लिये अदृष्टक व्यापारात्मक सम्बन्ध में मरणजनक अदृष्ट के अजनकत्व का भी निवेश करने से हिंसा का उक्त लक्षण निर्वोध नहीं हो सकता, क्योंकि इयेन से इयेनकर्ता में उत्पन्न होने वाले अदृष्ट को मध्यज्ञान में मरणानुकूल अदृष्ट को उत्पन्न करने द्वारा मात्र का सारक मानने पर इस विशेषण से इयेन में अतिव्याप्ति का कारण तो हो सकता है, क्योंकि उसका अदृष्टात्मक व्यापार मरणजनक अदृष्ट का अजनक नहीं है अतः मरणजनकादृष्टाजनक-
अदृष्टरूप व्यापारात्मक सम्बन्ध से इयेनजन्यत्व की अप्रसिद्धि होने से उक्त सम्बन्ध से इयेनाऽजन्यत्व की भी अप्रसिद्धि होने के कारण इयेन में उक्त लक्षण का जाना सम्भव नहीं है, किन्तु अदृष्टात्मक व्यापार में उक्त निवेश करने पर लक्षण असम्भव से यस्त हो जायगा, क्योंकि हिंसा से जो अदृष्ट उत्पन्न होता है वह भी अन्य हिंसा का जनक होने से उस हिंसा से होनेवाले मरणके जनक अदृष्ट का जनक होता है अतः मरणजनकादृष्ट का अजनक अदृष्ट ही अप्रसिद्ध हो जाता है

(मरणोच्छाजन्येच्छाऽविषयत्व भी अनुपपन्न)

मरणोद्देश्यकत्व का निवेश भी निर्वोध नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उसे मरणोच्छा से अजन्य इच्छा का अविषयत्वक रूप माना जायगा तो यद्यपि कूपनिर्माण तो मरणोद्देश्यक न हो सकेगा क्योंकि कूपनिर्माण की इच्छा मरणोच्छा से अजन्य इच्छा है और कूपनिर्माण उस का विषय है अविषय नहीं, और हिंसा मरणोद्देश्यक हो सकेगी क्योंकि उस की इच्छा मरणोच्छा से अन्य होती है, अतः हिंसा मरणोच्छा से अजन्य इच्छा की अविषय होती है, तथापि मरणोद्देश्यकत्व का ऐसा निर्वचन करने पर धनलिप्सा से की जानेवाली हिंसा भी मरणोद्देश्यक हो जायगी, जब कि वह मरणोद्देश्यक न होकर धनलाभोद्देश्यक होती है, अतः मरणजनक इच्छाके विषय की ही मरणोद्देश्यक कहा जायगा । ऐसा कहने पर धनलिप्सा से होनेवाली हिंसा मरणोद्देश्यक न हो सकेगी क्योंकि उस की इच्छा धनलाभ की इच्छा से होती है न कि मरणोच्छा से, अतः वह इच्छा धनलाभ की जनक होती है, साक्षात् मरण की जनक नहीं होती । इसीलिये मरणजनक इच्छा का विषय न होने से वह मरणोद्देश्यक

तस्मात् 'प्रमादयोगः-यतनाऽभावः, यतना च जीवरक्षानुकूलो व्यापारः, तत्त्वं च जीवमरणव्यापारविघटकत्वम्, शुभमात्रक्षेत्रे सम्यग्नेत्रव्यापाररूपेयमित्यादिना जीवमरणजनकव्यवस्थापरादेरनिष्टसाधनत्वेन निवर्तनादिति बोध्यम् । न च 'मरणानुकूलव्यापारेण' इत्येवाऽस्तु, किमधिकेन ? इति वाच्यम्, अप्रमत्तहिंसायामतिव्याप्तेः । न चैवमप्यनाभोगाऽविघटनेनाऽप्रमत्तहिंसाया हिंसात्वापत्तिः, शक्यविघटनत्वस्य व्यापारविशेषोपपत्त्यात् । न चैवमप्यनज्ञानादावतिव्याप्तिः परजीवग्रहणे चात्महिंसायामव्याप्तिरिति वाच्यम्, शुभसंकल्पापूर्वकत्वस्य

नहीं कहो जा सकती। कृपानिर्माण की इच्छा भी मरण जनक न होने से कृपानिर्माण भी मरणोद्देश्यक नहीं हो सकता, किन्तु मरणोद्देश्यकत्व का ऐसा लक्षण करने पर कतु की अक्रमभूत हिंसा मरणोद्देश्यक हो जायगी, क्योंकि अविघटन आदि कतु में पशुबन्ध आवश्यक होने से कतुनिकोर्तु की पशुबन्ध की इच्छा माननी होगी अतः कत्वर्ग हिंसा की इच्छा मरणजनक इच्छा होगी और उस इच्छा का विषय होने से कत्वर्ग हिंसा में मरणोद्देश्यकत्व अपरिहार्य हो जायगा।

(मरणफलकत्वबोधकविधिवोधितकर्तृव्यताकान्यत्वस्वरूप अदृष्टाऽह्वारकत्व)

अदृष्टाऽह्वारकत्व का अर्थ यदि यह किया जाय कि-जिस व्यापार की कलकलता मरणफलकत्व के अवोधक विधि से बोधित हो उससे अन्य व्यापार अदृष्टाऽह्वारक व्यापार होता है-तो हिंसाया में उसकी उपपत्ति हो जायगी क्योंकि हिंसा की कर्तृव्यता किसी विधि से बोधित नहीं होती अतः उसमें उक्त विधिविशेष से बोधितकर्तृव्यताकान्यत्व सुघट डे, किन्तु यह अर्थ करने पर भी श्येन की हिंसा से पृथक् करने की कामना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि श्येन की कर्तृव्यता का बोधक विधि मरणफलकत्व का बोधक होता है, अतः मरणफलकत्व के अवोधक विधि से बोधित कर्तृव्यताकान्यत्व उसमें भी आ जाने से उसमें उक्त हिंसालक्षण का समन्वय बुद्धि है। एवं कत्वर्गहिंसा की कर्तृव्यता का बोधक 'अमीषोमीयं पशुमालभेत' यह विधि भी मरणफलकत्व का बोधक है अतः उसमें मरणफलकत्व के अवोधक विधि से बोधितकर्तृव्यताकान्यत्व आ जाने से एव उक्तरीत्या निर्वोचित मरणोद्देश्यकत्व आ जाने से वह भी सामान्य हिंसा की कोटि में आ जायगी। हिंसालक्षणघटक व्यापार में अविहितत्व का निवेश करके भी लक्षण की निर्वोच नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रमादकृत हिंसा में मरणोद्देश्यकत्व न होने से अव्याप्ति हो जायगी और उक्तलक्षणात्मक रूप से हिंसा की पक्षजनक सान्निध्य में वीर्य भी होगा।

[जन्मताभिमत हिंसालक्षण]

नैवाधिकों की ओर से प्रस्तुत किये गये हिंसालक्षण को सर्वोपयुक्तकर व्याख्याकार ने आर्हत मतसम्मत हिंसालक्षण को परमविप्रणीत बतलते हुये उसकी समीचीनता की घोषणा की है। वह लक्षण इस प्रकार है 'प्रमादयोगेन प्राणव्यपरोपणं हिंसा-प्रमादयोग से होनेवाला प्राणहरण हिंसा है' प्रमादयोग का अर्थ है-यतना का अभाव। यतना का अर्थ है जीवरक्षानुकूल व्यापार। जीवरक्षानुकूल व्यापार उस व्यापार को कहा जाता है जिसमें जीवमरणानुकूल व्यापार का विघटन हो। इसका अतिशय यह हुआ कि जब मनुष्य जीवमरणानुकूल व्यापार का परिहार करने का प्रयत्न नहीं

मरणव्यापारविशेषणत्वात् । न चेवं याज्ञिकानामपि कल्पज्ञहिमायां शुभसंकल्पाद् न दोष इति वाच्यम्, विभिन्नमोक्षेच्छाया एव शुभसंकल्पपदेन ग्रहणात् । अत एव राज्यादिनिदानार्थ-
मनशनमप्यात्महिंसा चर्दन्ति साम्प्रिकाः । इत्यभावोभयद्विगलक्षणं चेत्तत्, कर्मबन्धजनकता
तु प्रकृतिप्रदेशावाश्रित्य प्रमत्तयोगान्तेन, स्थिति रमौ आश्रित्य क्लिष्टाव्यवसायत्वेन, इत्य-
न्यत्र विस्तरः । तस्माद् द्विमायामहिंसास्य समर्थयतां परेषां वेदायलम्बनमपि महतेऽनर्थाय ।

करता और उस समय उससे कोई मर जाता है तो उस समय मनुष्य जीव का हिस्सा भी जाता है और उसे जीव हिंसा का पाप लगता है । इसीलिये जीवमरणजनक मरणव्यापार आदि अमिष्टजनक व्यापारों से बचने के लिये जैनशास्त्र में युग याने शकट के अग्रभाग से परिमित भूमि तक के भाग को सावधानीपूर्वक देखकर चलने का आदेश दिया गया है और उसे ईर्ष्यामिति आदि शब्दों से व्यवहृत किया गया है ।

प्रश्न होता है कि—“मरणानुकूल व्यापार से होने वाला प्राणहरण हिंसा है—इतना ही लक्षण क्यों नहीं किया जाता ? “जीवमरणानुकूल व्यापार का बिघटन करनेवाले व्यापाररूप यतना के अभाव में होने वाला प्राणहरण हिंसा है” इतने यही लक्षण को क्या आवश्यकता है ?” इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रभाव न होने पर भी जो हिंसा हो जाती है उसे पापजनक हिंसा नहीं माना जाता, किन्तु मरणानुकूल व्यापार से होने वाले प्राणहरण को पापजनक हिंसा का लक्षण मानने पर उस हिंसा में भी लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । उक्त गुह्यलक्षण स्वीकार करने पर यह शङ्का हो सकती है कि—“अप्रमादवशा से यतना के लिये सतर्क रहने पर भी जीव की विद्यमानता का अज्ञान जो मुख्यतया प्रिय जीवके वर्तमान शरीर से मोक्षतत्त्व कर्मों के उदयवर्ण होता है, उसका विध-
टन न हो सकने के कारण भी जीव का मरण होता है, अतः इस अप्रमत्त हिंसा में इस लक्षण की भी अतिव्याप्ति होगी—” किन्तु यह शङ्का उचित नहीं है, क्योंकि लक्षणघटक जीवमरणानुकूल व्यापार में सत्यविधटनरस का निवेश कर देने से इस दोष का परिहार हो सकता है, क्योंकि अनामोघ का विघटन शक्य नहीं होता । अतः अप्रमादवश से जीवमरणानुकूल विधटनयोग्य व्यापार के बिघटक व्यापाररूप यतना का अभाव न होने से अप्रमत्तहिंसा में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती ।

यह प्रश्न हो कि—“मोक्ष के लिये किये जाने वाले अतनान आदि तप में भी इस लक्षण की अति-
व्याप्ति होगी । और इसका कारण करने के लिए यदि अन्यजीव के प्राणव्यपरोपण का लक्षण में निवेश किया जायगा तो आत्महिंसा में अव्याप्ति होगी,” इसका उत्तर यह है कि लक्षण के शरीर में प्राण-
व्यपरोपण में शुभसंकल्पाऽपूर्वकत्व का निवेश कर देने से यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्षार्थ किया जाने वाला अतनान आदि तप शुभसंकल्पपूर्वक होता है अतः उसमें शुभसंकल्पाऽपूर्वकत्व नहीं रह सकता । ऐसा करने पर—याज्ञिकों की यज्ञ के अङ्गभूत हिंसा भी शुभसंकल्प पूर्वक होने से हिंसा के प्रस्तुत लक्षण से संगृहीत न होगी—यह शङ्का नहीं हो जा सकती, क्योंकि शुभ-संकल्प-शब्द से मोक्ष की विधि से अन्य इच्छा हो अभिमत है । इसीलिये दूसरे भवमें वाउ प्राप्त करने की इच्छा से जो अन-
शन किया जाता है उसे भी आहृतसिद्धांत के ज्ञाता आत्महिंसा कहते हैं । आहृत आदि द्वारा प्रस्तुत यह हिंसा लक्षण ब्रह्महिंसा और भावहिंसा इन दोनों प्रकार की हिंसाओं का लक्षण है, किन्तु प्रकृति

उक्तं च—“ये धनुः क्रूरकर्माणः शास्त्रं हिंसोपदेशकम् ।

एव ते यास्यन्ति नरके नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः ॥३७॥

वरं वराकश्चार्वाको योऽसौ प्रकटनास्तिकः ।

वेदोक्तितापसच्छन्नच्छन्नं रक्षो न जैमिनिः ॥३८॥” [योगशास्त्र-द्वि० प्र०] इति ।

वेदाऽप्रामाण्यं पापकर्मणि प्रवर्तकत्वात् परपरिगृहीतत्वाच्च विभावनीयम्, इति किमतिहिंसेण सह बहुविचारणया ॥३८॥

तदेवं याज्ञिकाऽऽगमे दृष्टेष्टाभ्यां विरुद्धतामुपदर्श्य, अन्यत्राऽप्यतिदिशसाह—

मूलम्—अन्येषामपि बुद्धयैवं दृष्टेष्टाभ्यां विरुद्धता ।

दर्शनीया कुशास्त्राणां ततश्च स्थितमित्ययः ॥३९॥

अन्येषामपि=आजीवकादिर्मन्थनाम्, एवम्=उपदर्शितप्रकारेण, बुद्ध्या=विचारणया कुशास्त्राणां=शास्त्राभासानाम्, दृष्टेष्टाभ्यां विरुद्धता दर्शनीया, उपदर्शितजातीयत्वेन सर्वेषामपि तेषां दुष्टत्वात्, तदुक्तं स्तुतिकृता—

“हिंसादिर्मंसक्तपथोपदेशादमर्याद्विन्मूलतया प्रवृत्तेः । नृशंसदुर्बुद्धिपरिग्रहाच्च,

त्र मस्त्वदन्यागमप्रमाणम् ॥१॥ [अ. च्य. द्वारिषिका का० १०] इति ।

अथ और प्रदेश अथ की आशय करके कामअथ का जनक प्रत्यययोग कथ हिता होती है और इसी प्रकार स्थिति अथ और रसअथ की जनक हिता कलकटादयवसायात्मक होती है अर्थात् प्रसादयोग और विलग्नताध्यवसाय ये दोनों जनमत में हिताकथ है और उन दोनों से प्रकृत्यापि अतुल्य कमअथ होता है । इस विषय का विशेष विचार अन्यत्र दृष्टव्य है ।

यह सब कहने का निष्कर्ष यह है कि हिंसा में अहिंसात्व का समर्थन करने के लिये वेद का अपलम्बन सहान अनर्थ का मूल है । जैसा कि योगशास्त्र में कहा है कि जिस क्रूरकर्मी पुरुषोंने हिंसा का उपवेश करने वाले शास्त्र की रचना की है वे प्रसिद्ध नास्तिकों से भी बड़े नास्तिक हैं, वे किस नरक में जायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता । प्रकट नास्तिक बेचारा धार्मिक कहीं अच्छा है उस अवश जैमिनी से, जो तपस्वी के बेवचनरूपी कपटवेव से ठका हुआ परोक्ष राक्षस है ।

यह निश्चय सत्य है कि पापकर्म में प्रवर्तक और जोतराग सर्वश भगवान् अहं के पवित्र पथ से विमुख समाज द्वारा परिगृहीत होने से वेब अप्रमाण है । अतः ऐसे बेवबादी लोगों के साथ, जिनकी बुद्धि अरयस्त हिंसा है, अधिक विचार करना अनुचित है ॥३८॥

उक्त शीति से याज्ञिकों के वेदात्मक सागम में दृष्ट और दृष्ट का विरोध बताकर ४६ वी कारिका में अन्यत्र भी उसका अतिवेश बताया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

जिस प्रकार वेव आदि में दृष्ट और दृष्ट का विरोध है उसी प्रकार अन्य आजीवकाविमलानुदायी शास्त्राभासों में भी दृष्ट और दृष्ट का विरोध समझना चाहिये क्योंकि वे सब शास्त्राभास भी वेव के ही सजातीय हैं, जिस में दृष्ट और दृष्ट का विरोध प्रमाणों द्वारा प्रतिपादित हो चुका है । जैसा कि स्तुतिकर्ता आचार्य हेमचन्द्र ने भगवान् को समोचित करके कहा है कि—हे भगवान् ! हम तुम्हारे

तलक्ष्य=अन्यागमानीं दृष्टेष्टविरुद्धत्वेनाऽप्रतिपक्षत्वाच्च, इति=पूर्वोक्तम्, अदः=वक्तृप्रत्यक्षं 'हिंसादिभ्योऽशुभादि' इत्यादि, स्थितम्=अप्रामाण्यशङ्काविरहितेनाऽऽगम-प्रमाणेन सिद्धम् ॥४९॥

ततः सिद्धं प्रतिनियतं कर्म, तच्च कर्तारमाक्षिपति, इति तथात्वं स्वात्मन एव, इति निषमयति-

मूलम्-विलष्टं हिंसाश्रनुष्ठानं न यत्तस्यान्यतो मतम् ।

ततः कर्ता स एव स्यात् सर्वस्यैव हि कर्मणः ॥५०॥

विलष्टं = रौद्राद्यवसायपूर्वकम्, प्राणिघाताद्याचरणम्, इदमुपलक्षणमविलष्टाचरणस्य, यत्=यस्माद्धेतोः, तस्य=आत्मनः, अन्यतः=स्वातिरिक्तव्यापारवतः, न मतं=नाऽभीष्टम्, देवदत्तयोगेन यज्ञदानानुष्ठानाभावात् । ततः=तस्माद्धेतोः, स एव=अधिकृतात्मैव हि=निश्चितं सर्वस्यैव=स्वीयहिताऽहितकर्मणः, कर्ता स्यात्, स्वव्याप्यस्य कर्मणः कारणान्तरा-प्रयोज्यत्वे यति कारणान्तरप्रयोजकत्वलक्षणस्वानन्वयेण हेतुत्वात् । अत्र निश्चयतोऽपृथग्भावेन

आगम से भिन्न सभी आगमों को हिंसा आदि से दूषित मार्ग का उपदेश करने, सर्वज्ञ द्वारा प्रवर्तित न होने, तथा कुर एवं बुद्धि मनुष्यों से परिगृहीत होने के कारण अप्रमाण घोषित करते हैं ।

उक्त रीति से अन्य आगमों में दृष्ट और इष्ट का विरोध होने से वे ज्ञानागम के विरोध में नहीं खड़े हो सकते । इसलिये हिंसा आदि से अशुभ-पाप होता है और अहिंसा आदि से शुभ पुण्य होता है, यह पूर्वोक्त विषय ज्ञानागमकथ प्रमाण से निरप्रतिबन्ध सिद्ध होता है क्योंकि ज्ञानागम में अप्रामाण्य की शङ्का होने की कोई सम्भावना नहीं है ॥४९॥

[आत्मा ही सभी कर्म का कर्ता है]

प्रशस्त कर्म से पुण्य और अशस्त कर्म से पाप का जन्म होता है तथा अमुक कर्म प्रशस्त और अमुक कर्म अशस्त होता है, यह तथ्य ज्ञानागम से सिद्ध है । साथ ही यह तथ्य भी उसी से सिद्ध है कि कर्म जब होता है, उसे चेतन कर्ता की अपेक्षा होती है और जो कर्ता उसे अपेक्षित होता है वह जीव से अतिरिक्त नहीं होता है, ५० वीं कारिका में इसी तथ्य का वर्णन है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है:-

विलष्ट कर्म का अर्थ है रौद्र अद्यवसाय से होने वाला कर्म-जैसे प्राणीवध आदि । यहाँ विलष्ट पद अविलष्ट आचरण का भी सूचक है, विलष्ट और अविलष्ट सभी आचरण जीव द्वारा ही सम्पादित होते हैं जीव से भिन्न उनका ऐसा कोई कर्ता माध्य नहीं है जिसके व्यापार से उन आचरणों का सम्पादन होता हो, क्योंकि देववत् के व्यापार से यज्ञवत् के कर्मों का अनुष्ठान नहीं होता । इसलिये तलत् कर्मों के फल के लिये अधिकृत आत्मा ही निश्चितरूप में अपने सभी हिताहित कर्मों का कर्ता होती है । जो कर्म जिस जीव का व्याप्य होता है अर्थात् जिस कर्म से उसके उत्पादनात् जो कारण

स्वव्याप्यस्य रागद्वेषाद्यव्यवसायलक्षणस्य भावकर्मणः परिणामित्वलक्षणस्वातन्त्र्येण कर्तृत्वम्,
व्यवहारेण तु हेतुगत्येवैषेण स्वव्याप्यद्रव्यकर्मणि योगव्यापारस्वातन्त्र्येण कर्तृत्वमिति
विवेकः ॥५०॥

ननु यद्यार्मेव कर्ता, तदा हितमेवाऽयं कुर्यात्, नाहितम्, इत्यत्राह—

मूलम्—अनाधिकर्मयुक्तत्वात् तन्मोहात्संप्रवर्तते ।

अहितेऽप्यात्मनः प्राप्य व्याधिपीडितचित्तवत् ॥५१॥

स आत्मा, आत्मनः—स्वस्य, अहितेऽपि—हिंसाद्यनुष्ठानेऽपि, अनाधिकर्मयुक्तत्वाद्
हेतोः, तन्मोहात्—कर्मजनितमौढ्यात्, संप्रवर्तते प्राप्य—बाहुल्येन, किंन् ? इत्याह—
व्याधिपीडितचित्तवत्—रोगाकुलहृदयवत् । यथा व्याधितोऽपश्यं जानन् अजानन् वा
बहुकालस्थितिकव्याधिमहिम्नाऽपश्य एव प्रवर्तते, तथा संसार्यपि जानन् अजानन् वाऽहित
एव प्राप्यः कर्मदोषात् प्रवर्तते इति भावः । अत्राऽहितप्रवृत्तौ क्लिष्टं कर्म हेतुः तत्र अहित-

अनुमित होता है, वह उस कर्म के अन्य कारणों से अप्रयोज्य तथा अन्य सभी कारणों का प्रयोजक
होने से उस कर्म को उत्पन्न करने में स्वतन्त्र होने के कारण उसका कर्ता होता है । यह ज्ञातव्य है
कि कर्म दो प्रकार के होते हैं भावकर्म और द्रव्यकर्म । राग द्वेष आदि अव्यवसायात्मक कर्म को
भावकर्म कहा जाता है । वह निश्चयमय की दृष्टि से जीव से पृथक् होते हुये जीवका व्याप्य होता
है । उन भावकर्म रूप में परिणत होने में जीव स्वतन्त्र होता है अतः वह उनका परिणामी कर्ता
होता है । भावकर्मों द्वारा जो काम्य वगणा के पुद्गलों का आत्मा के साथ सन्लेख होने से बाह्य कर्म
बंधन होते हैं, वे द्रव्य कर्म कहे जाते हैं, जैसे उन भावकर्म से प्रेरित जोषवध आदि के व्यापार
से आत्मा पर निपकने वाले ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गल । व्यवहारमय की दृष्टि से वे कर्म विशेष
प्रकार के संयोग से जीव के व्याप्य होते हैं, उन कर्मों के प्रति जीवमें योगव्यापाररूप स्वातन्त्र्य
होता है । अतः जीव उन कर्मों का भी कर्ता होता है । भावकर्म और द्रव्यकर्म के विषय में जीव के
स्वातन्त्र्य का उक्त अन्तर विशेषरूप से बोद्धव्य है ॥५०॥

(कर्मजनित मूढता से अहित में प्रवृत्ति)

अपने सभी कर्मों का जीव यदि स्वतन्त्र कर्ता है तो उसे अपने हित कर्मों का ही अनुष्ठान
करना चाहिये किन्तु वह अहित कर्मों का भी अनुष्ठान करता है, ऐसा क्यों ? ५१ की कारिका में इस
प्रश्न का उत्तर दिया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

जीव कर्म की अनादि परम्परा से युक्त है, अतः कर्मजनित मोह से प्रसक्त होकर वह अधिक-
तर अपने अहित कर्मों में ही बड़ी रुचि से प्रवृत्त होता है । यह बात गंभीर रोगी के दृष्टान्त से
समझी जा सकती है । जैसे एक गंभीर रोगी, जिसका बिल रोगजन्य पीडा से विक्षिप्त रहता है,
बोर्बकाल से उसे प्रसक्त हुये रोग के प्रभाव से वह जाने-अनजाने अपश्य सेवन में ही प्रवृत्त होता है ।

प्रवृत्त्यन्तरम् इत्यन्योन्याश्रयोऽनादिपदेन न दोषायेति सूच्यते, बीजाऽङ्कुरस्थलीयस्याऽन्योन्याश्रयस्योत्पत्ति-वृत्त्यप्रतिबन्धकत्वेनाऽदोषत्वादित्याश्रयः ॥५१॥

अत्र प्रसङ्गाद् वार्त्तान्तरमाह—

मूलम्-कालादीनां च कर्तृत्वं मन्यन्तेऽन्ये प्रधादिनः ।

केवलानां तदन्ये तु मिथः सामाग्र्यपेक्षया ॥५२॥

अन्ये प्रधादिनः=एकान्तवादिनः, कालादीनाम्, आदिना स्वभावादिग्रहः, केवलानां=परवत्समहेतुरहितानाम्, कर्तृत्वम्=असाधारणत्वेन हेतुत्वम्, मन्यन्ते । तदन्ये तु=अनेकान्तवादिनः सामग्र्यपेक्षया=सामग्रीप्रतिपत्तेन, मिथः=परस्परे, सहकारिलक्षणं कर्तृत्वं 'मन्यन्ते' इति प्राक्तनानुषङ्गः । इदमेवाऽभिहितं सम्मतिकारेण—[सम्मतिसूत्रं]

“कालो सहाव-णियत् पुण्यकर्म पुनरि कारणेति ॥

मिच्छन्ते ते चैव उ समासतो ह्युति सम्मत्तं ॥५०॥ इति ॥५२॥

तत्र पूर्वं कालादिमतोपपत्तिमाह—

उसी प्रकार संसार में आसक्त जीव भी कर्मबोधवश जानबूझ अथवा अनजान में बहुधा अपने अहित कर्मों में ही प्रवृत्त होता है ।

कारिका के आरम्भ में कर्म को अनादि कह कर यह सूचित किया गया है कि क्लिष्टकर्म से अहितकर्मों में प्रवृत्ति का और अहितकर्मों में प्रवृत्ति से क्लिष्टकर्मों का जन्म होने से अयोध्यावश बोध की आशङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इन दोनों की परस्परापेक्षा बीज और अङ्कुर की परस्परापेक्षा के समान प्रवाह से अनादि है अतः इसमें अयोध्याभयबोध नहीं हो सकता, क्योंकि यह परस्परापेक्षा एक दूसरे की उत्पत्ति अथवा अस्तित्व में प्रतिबन्धक नहीं होती ॥५१॥

(कालादि की हेतुता का प्रासङ्गिक विवेचन)

प्रस्तुत विचार के सम्बन्ध में प्रसङ्गवश अग्य मतों को भी चर्चा ५२ वीं कारिका से आरंभ की गयी है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

कुछ एकान्तवादी विचारक एकमात्र काल या स्वभाव आदि को ही कार्य का हेतु मानते हैं । उनसे मिथः अनेकान्तवादी विचारक काल आदि को कारण मानते हैं पर सामग्री-कारणसमूह के घटकत्व में अर्थात् काल आदि भी कार्य के अन्य कारणों के सहकारी होकर कार्य के कारण होते हैं ।

यही बात सम्मतिकार ने अपनी 'कालो सहाव०' गाना में कही है । गाना का अर्थ इस प्रकार है—

“काल, स्वभाव, नियति, पुण्यकार और पूर्वकर्म को अकेले कार्य का कारण मानना भिद्यारव है और अन्य कारणों के साथ सामग्रीघटक के रूप में उन्हें सहकारी कारण मानना सम्मत्तदृष्टिपल है ।”

१-कालः स्वभाव-नियती पुण्यकर्म पुनरि कारणेति ॥ मिथ्यात्वं ते चैव तु समासतो भवन्ति सम्मत्त्वम् ॥

मूलम्-न कालव्यतिरेकेण गर्भकालशुभाविकम् ।

यत्किञ्चिज्जायते लांके भवसौ कारणं किल ॥५३॥

कालव्यतिरेकेणस्त्री-पुंससंयोगादिजन्यत्वेन पराभिमतस्याऽपि गर्भस्य जन्म न भवति, न हि तज्जन्मनि गर्भपरिणतिर्हेतुः, अपरिणतस्यापि कदाचिज्जन्मदर्शनम् । तथा, कालोऽपि शीतोष्ण-वर्षाद्युपाधि, तद्व्यतिरेकेण न भवति । अत्र कालस्थाने 'बाल' इति कश्चित् पाठः, तत्र बालन्धं जन्मोत्तरावस्था, साऽपि कालव्यतिरेकेण न, अन्यथाऽतिप्रसङ्गादित्यर्थः । तथा शुभाविकं=स्वर्गादिकम्, आदिना नरकादिप्रहः, यत्किञ्चित् लांके घटादि, नृपि कालव्यतिरेकेण न भवति. कर्मदण्डादिमन्त्रेपि कालान्तर एव स्वर्ग-घटाद्युत्पत्तेः । तत्=तस्मात् कारणात्, असौ=कालः 'किल' इति सत्ये, कारणम्, अन्यस्य त्वन्यथासिद्धत्वादसत्यत्वमिति भावः ॥५३॥

(कालवादी का युक्तिसंबन्ध)

सबसे पहले ५३ वीं कारिका द्वारा कालवादी के मतका उपपादन प्रस्तुत किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

गर्भ का जन्म उचितकाल के अभाव में नहीं होता, जो लोग गर्भ को स्त्री-पुरुष के संयोग आदि से जन्म मानते हैं उनके मत में भी उचित काल के उपस्थित न होने तक गर्भ का जन्म नहीं माना जाता। 'गर्भ के जन्म में गर्भ का परिणत अवस्था ही कारण है' यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि यद्यपि कदा अपरिणत गर्भ का भी जन्म देखा जाता है। शीत, उष्ण, वर्षा आदि उपाधिभूत काल भी उचितकाल के अभाव में नहीं होते। स्पष्ट ही है कि शीत समय में ही शीतकाल या वर्षा-काल नहीं आ जाता, अतः इन उपाधिभूत कालों के प्रति भी काल ही कारण है। किसी किसी पुस्तक में कारिका में 'काल' के स्थान में 'बाल' पाठ प्राप्त होता है, उस पाठ के अनुसार कारिका के इस अंश का यह अर्थ होगा कि बालावस्था अर्थात् जन्म के बाद की अवस्था भी उचित काल के अभाव में नहीं होती, उसे भी कालविशेष से अन्य न मानने पर जन्म के पूर्व अथवा जीवन अवस्था में भी बालावस्था की उत्पत्ति की आपत्ति हो सकती है।

युग्म का अर्थ है स्वर्ग और आदि पद का सात्त्विक है नरक में। आशय यह है कि स्वर्ग और नरक भी काल के बिना नहीं होते। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में भी कोई कार्य होता है, उसमें से कोई भी कार्य उचित काल के अभाव में नहीं होता। यद्यपि कर्म सम्पन्न हो जाने पर भी स्वर्ग उसी समय नहीं होता किन्तु योग्यकाल उपस्थित होने पर ही होता है। इसी प्रकार घट आदि कार्य भी वृक्ष आदि कारण के रहते हुए भी योग्यकाल के उपस्थित होने बिना नहीं उत्पन्न होते। इसलिये यह है सत्य है कि काल ही सब का कारण है, 'काल से विषय पदार्थ भी कार्य का कारण होता है' यह असत्य है, क्योंकि काल से अन्य पदार्थ अन्यथासिद्ध हो जाते हैं ॥५३॥

तथा—

मूलम्-कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः ।

कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥५४॥

कालः भूतानि=उत्पत्तिमन्ति, पचति=उत्पन्नानां प्रकृतपर्यायोपचयं करोतीत्यर्थः ।
तथा, कालः प्रजाः संहरति=प्रकृतपर्यायान्तरपर्यायभाजः करोति । तथा, कालः सुप्तेषु=
अज्ञानतत्कार्येषु पराभिमतकारणेषु सन्त्यु, जागर्ति=विवक्षितकार्यमुपदधातीत्यर्थः । अतो हि=
निश्चितम्, कालः सृष्टि-स्थिति-प्रलयहेतुतया दुरतिक्रमः=अनपलपनीयकारणताकः ॥५४॥

मूलम्-किञ्च कालादृते नैव सुदृगपक्वितरपीक्ष्यते ।

स्थाल्यादिसंनिधानेऽपि ततः कालादसौ मत्ता ॥५५॥

'किञ्च' इत्युपचये, कालादृते=कालं विना, स्थाल्यादिसंनिधानेऽपि, आदिना
विलक्षणवह्निसंयोगादिग्रहः, सुदृगपक्वितरपि=सुदृगानां विलक्षणरूप-रस्यादिरूपविकिरसिपरिण-
तिरपि, नैवेक्ष्यते । ततोऽसौ=सुदृगपक्विः, कालाद् भत्ता=कालमात्रजन्येष्टा । न च

(सृष्टि-स्थिति-प्रलय कालजनित है)

५४ वी कारिका से पूर्व कारिका में उक्त काल की कारणता का ही समर्थन किया गया है ।
कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

काल उत्पन्न पदार्थों का पाक करता है, पाक का अर्थ है उत्पन्न पदार्थ के विद्यमान पदार्थों का
पोषण । आशय यह है कि उत्पन्न हो जाने पर वस्तु का जो संबंध होता है वह काल से ही होता है,
वही अनुकूल नूतन पदार्थों को उपस्थित कर उनके योग से उत्पन्न वस्तु को उपस्थित करता है । काल
उत्पन्न वस्तुओं का संहार करता है, संहार का अर्थ है वस्तु में विद्यमान पदार्थों के विरोधी पदार्थ का
उत्पादन । विरोधी पदार्थ की उत्पत्ति से वस्तु के पूर्व पदार्थों की निवृत्ति होती है । पूर्व पदार्थों की
निवृत्ति की ही वस्तु का संहार कहा जाता है । अन्य कारणों के अर्थात् कारण माने जाने वाले अन्य
पदार्थों के सुप्त=निष्कृतिपर रहने पर काल ही कारणों के सम्बन्ध में जाग्रत रहता है अर्थात् कार्य के
उत्पादनाद्ये सत्त्वापार रहता है । इसलिये सृष्टि, स्थिति और प्रलय के हेतुसूत काल का अतिक्रमण
अर्थात् काल में सृष्टि आदि की कारणता का अपलाप नहीं किया जा सकता ॥५४॥

(काल के बिना मृगबाल का परिपाक अशक्य)

काल की कारणता के समर्थन में एक बात और कही जा सकती है वह यह कि स्थाली=
पाकपात्र [तपेली] और अग्नि का विलक्षण संयोग आदि का समिधाम होने पर भी मृगकी बाल का
परिपाक=उसके पुष्पवर्ती रूप इस आदि का नाश हो कर उसमें नये रूप रस आदि का जन्म-उस समय
तक नहीं होता जब तक उसका कारणसूत काल उपस्थित नहीं हो जाता । इससे यह अवश्य मानना
होगा कि मृग पाक किसी अन्य हेतु से न उत्पन्न होकर केवल काल से ही उत्पन्न होता है ।

१-सर्वत्र मूलादर्शेषु 'पीड्यते' इति पाठः ।

तदा मूढपक्षितजनकविलक्षणानि संयोगाभावादेव तदवस्थितिं चाक्यम्, तथापि हेत्वन्तरा-
पेक्षापेयप्रथात्, आवश्यकत्वेन कालस्यैव तद्देतुत्वौचित्यादित्याशयः ॥५५॥

विषये बाधकभावः—

मूलम्—कालाभावे च गर्भादि सर्वं स्यादव्यवस्थया ।

परेष्टहेतुसङ्भावमात्रादेव तदुद्भवात् ॥५६॥

कालाभावे च=कालस्याऽसाधारणहेतुत्वानङ्गीकारे च, गर्भादिकं सर्वं कार्यम-
व्यवस्थया=अनिवर्धनेन स्यात् । कुतः ? इत्याह—परेष्टहेतुसङ्भावमात्रादेव=परामितमाता-
पित्रादिहेतुगुनिधानमात्रादेव, तदुद्भवात्=श्रविलम्बेन गर्भाद्युत्पत्तिप्रसङ्गात् ।

ननु कालोऽपि यद्येक एव सर्वकार्यहेतुः, तदा युगपदेव सर्वकार्योत्पत्तिः, तत्सत्कार्ये
तत्तदुपाधिविशिष्टकालस्य हेतुत्वे शोषाधीनामेवाऽऽवरयकत्वात् कार्यविशेषहेतुत्वम्,
इति सत् कालवादेन, इति चेत् ? अत्र नन्व्याः—क्षणरूपः कालोऽतिरिच्यत एव, स्वजन्य-
विभागप्रागभावाविशिष्टकर्मणस्तथास्ये जाते विभागे तदभावापत्तेः, तदाऽन्यविशिष्टकर्मणस्तथा-
स्येऽननुगमात् । 'तस्य च तत्क्षणवृत्तिकार्ये तत्पूर्वक्षणत्वेन हेतुत्वम्, तत्क्षणवृत्तित्वे च

यदि यह कहा जाय कि—'जिस काल में भूंग का परिपाक सम्पन्न होता है उसके पूर्व भूंग के
पाक का उत्पन्नक अग्नि का विलक्षण संयोग ही नहीं रहता । अतः उस के अभाव से ही निश्चित
समय के पूर्व भूंग का पाक नहीं होता, अतः भूंग के पाक के प्रति कालविशेष को कारण मानना निरर्थक
है—तो यह ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उस संयोग के विषय में भी यह प्रश्न हो सकता है कि वह
संयोग ही पहले क्यों नहीं हो जाता ? इस प्रश्न का उत्तर काल द्वारा ही किया जा सकता है । अतः
यह मानना ही उचित है कि काल कार्य के प्रति अवश्यवस्तुत्पत्ति नियत पूर्ववर्ती है, इसलिये एकमात्र यही
कार्य का कारण है, कारण कहें जाने वाले अन्य पदार्थ अवश्यवस्तुत्पत्ति-नियतपूर्ववर्तीकाल से भिन्न होने
से अव्यवस्थित हैं ॥५५॥

'कार्य के नियतपूर्ववर्ती अन्य पदार्थ ही कारण हैं, काल ही अव्यवस्थित है' कालहेतुतावाद
के इस विरोधी पक्ष का ५६ श्लोकार्थिका में लक्षण किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

काल को कार्य का यदि असाधारण कारण न माना जायगा तो तब जावि सभी कार्यों की
उत्पत्ति अव्यवस्थित हो जायगी, क्योंकि अव्यवस्थितता की दृष्टि में गर्भ के हेतु माता-पिता आदि हैं,
अतः उनका सन्निधान होने पर तत्काल ही गर्भ के जन्म की आपत्ति होगी ।

यदि यह कहा जाय कि—'इस प्रकार की दोहका काल के कारणत्वपक्ष में भी हो सकती है,
जैसे यह कहा जा सकता है कि केवल काल ही यही सब कार्यों का कारण है तो एक कार्य को
के समय सभी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि एक कार्य को उत्पन्न करने के लिये

तत्क्षणस्यापि, अमेदेऽपि 'इदानीं क्षण' इति व्यवहारान् कालिकाधाराऽऽधेयभाष्यमिदं । अतस्तत्क्षणतत्क्षणानां तत्त्वपूर्वकस्य अन्यथा न अपि कदापि न । एवं च क्षणिकैरेव क्षणेन कार्यविशेषजननाद् नातिरिक्तहेतुमिदं । न च 'तत्क्षण एव तत्तौ घटादिकं जायते, घटादिकं स्थन्यत्र' इति देशनियमार्थमतिरिक्तहेतुमिदं, क्वाचित्कत्वस्य नित्य इवाऽनित्येऽपि स्वभावतः एव संभवात्, कदाचित्कत्वस्यैव हेतुनियम्यत्वात् अन्यथाऽन्यापत्तेरभावात् । 'क्षणस्येवाऽन्येषामपि नियतपूर्ववर्तित्वान् कथं हेतुत्वप्रतिक्षेपः ?' इति चेत् 'अवश्यवत्सु०' इत्याद्यन्यथामिद्विद्मद्भावात् । अत एव न पटत्वाद्यवच्छिन्नस्यऽऽकस्मिकतापण्या तदवच्छिन्ने

जो काल सञ्चित होना वही सब कार्यों का कारण है अतः उसके सञ्चिदान से अब एक कार्य उत्पन्न होगा तो अन्य कार्यों के प्रति भी उस काल से भिन्न किसी कारण के अपेक्षणीय न होने से उसी समय सभी कार्यों की उत्पत्ति अनिवार्य हो जायगी । यदि इस आपत्ति के परिहारार्थ तत्सु कार्य के प्रति तत्सु उपाधिविशिष्ट काल को कारण मानकर तत्सु उपाधियों का एक काल में सञ्चिदान न होने से एक काल में सभी कार्यों की उत्पत्ति का निराकरण किया जायगा तो तत्सु उपाधि को ही कारण मान लेने से कालकारणतावाद ही समाप्त हो जायगा"—

इस आपत्ति का प्रतिकार सद्यताकिकों (कालवादी) को ओर से यह कहकर किया जा सकता है कि क्षण स्वयं एक अतिरिक्त काल है, किसी कालकी उपाधि नहीं है क्योंकि यदि उसे स्वजन्यविभाग के प्रागभाव से विशिष्ट कर्मरूप माना जायगा तो विभाग उत्पन्न हो जाने पर उक्त विशेषणविशिष्ट कर्म का अभाव हो जाने से क्षण का उद्भावन हो जायगा और यदि उस समय भी स्वजन्यविभागप्रागभाव से विशिष्ट किसी अन्य कर्म के द्वारा क्षणका अस्तित्व सिद्ध किया जायगा तो क्षण शब्द की अनुगताधेता का लोप हो जायगा । अतः यह मानना आवश्यक है कि क्षण स्वतन्त्र काल है । क्षण को स्वतन्त्र काल मान लेने पर यह कार्यकारणभाव मानना सम्भव हो जाता है कि तत्क्षणवृत्ति कार्य में तत्क्षण का पूर्वक्षण कारण है तत् क्षण भी कालिक सम्बन्ध से तत्क्षणवृत्ति हो जाता है, क्योंकि 'इदानीं क्षण-इस क्षण में क्षण है' इस प्रतीति के अनुरोध से एक पदार्थ में भी कालिकसम्बन्ध से आधार-आधेय भाव माग्य है, अतः उक्तकार्यकारणभाव के अनुसार तत्क्षण का पूर्वक्षण तत्क्षण का भी कारण हो जाता है । तत्सु क्षण और उसका नाश दोनों ही तत्क्षणजन्य है, अतः तत्क्षण की उत्पत्ति के दूतरे ही क्षण तत्क्षण का नाश सम्भव हो जाने से क्षण की क्षणिकता की अनुपपत्ति भी नहीं हो सकती । इसप्रकार क्षणिक क्षण को ही तत्सु कार्य का जनक मान लेने से सब आपत्तियों का परिहार हो जाने से क्षण से अतिरिक्त किसी कारण की कल्पना अनावश्यक है । तत्क्षण में ही तन्तु आदि में पट आदि उत्पन्न होता है और कपाल में घट आदि उत्पन्न होता है, सबमें सबकी उत्पत्ति नहीं होती, अतः इस बातकी उत्पत्ति के लिये 'पट आदि के प्रति तत्सु आदि को एवं घट आदि के प्रति कपाल आदि को भी कारण मानना आवश्यक है' यह भी शक्य नहीं हो जा सकती, क्योंकि जैसे घटत्व आदि नित्य पदार्थ बिना किसी नियामक कारण के ही स्वभाव से ही देशविशेष में नियत होते हैं उसी प्रकार पट आदि अनिरूप कार्य भी स्वभावतः ही देशविशेष में नियत हो सकते हैं । निष्कर्ष यह है कि क्वाचित्कत्व=किसी काल में होना और किसी काल में न होना,=की उत्पत्ति के लिये ही कारण की कल्पना आवश्यक है, क्वाचित्कत्व=किसी देश में होने और किसी में न होने की

प्रति हेतुतासिद्धिः, तद्वच्छिन्ननियतपूर्ववर्तित्वनिश्चयादेवैतावत्सरवेऽवश्यं पटोत्पत्तिरिति निश्चयेन कृतिसाध्यताधीर्भवत्, अप्राप्ताणिकथ्यवहारानुपपत्तिरूपमाकस्मिकत्वं तु न बाधकम् । युक्तं चैतद्, अनन्तनियतपूर्ववर्तित्वन्यथामिदृत्वाकल्पनेन लाघवात् इत्याहुः ॥५६॥

॥ उक्तः कालवादः ॥

अथ स्वभावतात्पर्यम्—

मूलम्—न स्वभावान्तिरेकेण गर्भवालशुभादिकम् ।

यत्किञ्चित्जायते लोके तदसौ कारणं किल ॥५७॥

स्वभावान्तिरेकेण=स्वभावमतिवृत्त्य, गर्भ-वाल-शुभादिकं यत् किञ्चित्कार्यं, लोके न जायते, तत्=तस्मात् कारणात्, 'किल' इति सत्ये, अर्थात् स्वभावः, कारणं=कादाचित्कत्व-नियामकः, आकाशत्वादीनां क्याचित्कत्ववद् घटादीनां कादाचित्कत्वस्येतराऽनियम्यत्वात् । आकाशत्वादीनामन्यत्र सत्ये तत्स्वभावत्वाभावप्रसङ्गस्येव कादाचित्कत्वस्याऽपि गगनादी

उपपत्ति के लिये कारण की कल्पना आवश्यक नहीं है । "तथापि क्षण के समान ही कपालादि भी घटादि के नियत पूर्ववर्ती होने से उनकी कारणाता का अस्माप कैसे हो सकता है" ? यह प्रश्न भी अनुचित है क्योंकि क्षण के अवस्यकृत होने से शेष सभी कारण 'अवस्यकृतनियतपूर्ववर्तित्व' कार्य-सम्भवे तद्विश्रमन्यथासिद्ध' इस पक्षमें अन्यथासिद्धि के आशय हो जाते हैं ।

—"क्षण के समान जो अन्य पदार्थ कार्य के नियतपूर्ववर्ती होते हैं, काल द्वारा उनके अन्यथासिद्ध हो जाने से उनमें कारणत्व का प्रतिषेध होता है, यह ठीक है, किन्तु तत्क्ष्ण क्षण तो तत्क्ष्ण कार्य का कारण होता है, पटत्वाद्यवच्छिन्न का कारण तो होता नहीं अतः उसके आकस्मिकत्व की आपत्ति के कारणार्थ पटत्वाद्यवच्छिन्नके प्रति तत्क्ष्णत्वाद्यवच्छिन्न को कारण मानना आवश्यक है"—यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अितने पदार्थों में पटत्वाद्यवच्छिन्न का नियतपूर्ववर्तित्व निश्चित होता है उतने का सन्निधान होने पर पटत्वाद्यवच्छिन्नकी उत्पत्ति होती है, इस निश्चय से उतने पदार्थों के सन्निधान में कृतिसाध्यता के ज्ञान से उक्त आकस्मिकत्वापत्तिका वारण हो सकता है, अतः पटत्वाद्यवच्छिन्न के प्रति अनिश्चित कारण की कल्पना अनावश्यक है । तत्क्ष्ण आदि में पटकारणत्व का व्यवहार अप्राप्ता-पिक है अतः पट के अन्य नियतपूर्ववर्तियों में अवस्यथासिद्धत्व की कल्पना न करने में होने वाले साधन के अनुरोध से उनमें पटादि के कारणत्व का त्याग ही उचित है । ५६॥

(सर्व कार्य का कारण एकमात्र स्वभाव)

५७ श्री कारिका में स्वभावभाव का उपादेय किया गया है—कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

गर्भे, बाले, शुभे स्वर्गे आदि जो कोई भी कार्य संसार में होता है वह स्वभाव का अतिरक्षण करके नहीं होता, इसलिये स्वभाव ही कार्य का कारण है, उसी से कार्य के कादाचित्कत्व=कभी होने और कभी न होने का नियमन होता है । आकाशत्व आदिके क्याचित्कत्व=किसी स्थान में होने और किसी स्थान में न होने का नियामक जैसे स्वभाव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है उसी प्रकार घट आदि कार्य के कादाचित्कत्व का भी नियामक स्वभाव से भिन्न कुछ नहीं हो सकता । जैसे आकाशत्व आदि का घटादिनिष्ठ

सन्धे घटादिस्वभावत्वाभावप्रसङ्गस्य बाधकत्वात्, अवधीनां नियतपूर्ववर्तित्वेऽपि तदुत्तोपकारा-
ऽजनकत्वेनाऽद्वैतत्वात् । 'भवन्स्वभावत्वे घटः सर्वदा भवेद्' इति चेत् ? न, तद्वद्वेद्य भयनस्व-
भावत्वात् । अथवा कारणातिरिक्तसमुत्पन्नत्वात्, उपादानस्वभावस्यैवोपादेयगतस्वभाव-
रूपोपकारजनकस्योपादेयद्वैतत्वात् । न चोपकारेऽप्युपकारान्तरापेक्षायामनवस्था, तस्य स्वत-
त्वेवोपकृतत्वात् । दण्डादीनां दण्डरूपादीनामिव नियताऽवधित्वेऽप्यन्यथासिद्धत्वम् । 'दण्डाद्
घटः' इति व्ययद्वारस्तु 'दन्धनात् पाकः' इतिवदेव ॥४७॥

इदमेवाह—

(सू०)—सर्वे भाषाः स्वभावेन स्वस्वभावे तथा तथा ।

धर्मस्तं५थ निधर्मस्तं कामचारपराङ्मुखाः ॥५८॥

सर्वे भावाः, स्वभावेन=स्वयमेव हेतुगतेन वा निमित्तेन तथा तथा=विशिष्टसंस्थाना-
प्रतिनियतरूपेण, स्वस्थभावे=आन्मीयमन्तायासु, 'तिलेषु तैलम्' इतिवदभिव्याप्ती सप्तमी,
स्व-वभावेनभिव्याप्येत्यर्थाः, वर्तन्ते=भूत्वा तिष्ठन्ति । अथ नाशकाले निवर्तन्ते=स्वभावेन
नाशभाजो भवन्ति । किंभवाः ? इत्याह-कामन्वारपराहमुखाः=अनियममावर्तिन्येष्टाः ॥४॥

मानने पर उसके आकाशस्वभाव का आकाश का ही स्वभाव होने का भङ्ग होगा। उसी प्रकार काशविष्कम्भ को भी आकाशनिष्ठ मानने पर वायुविष्कम्भ के घटाविष्कम्भभाव का घटावि का ही स्वभाव होने का भङ्ग हो जायगा। अर्थात्-कपाल आदि यद्यपि घट आदि के नियत पूर्ववर्ती होते हैं किन्तु उनसे घट आदि में कोई उपकार नहीं होता अतः वे घट आदि के कारण नहीं हो सकते।

“अवसर-उत्पन्न होता यदि यह आविष्कार स्वभाव माना जायगा तो ‘वस्तु कभी भी अपने स्वभाव से मूल्य नहीं होती’ इस नियम के कारण सर्वत्र घट आविष्कार के उत्पन्न होते रहने की अपेक्ष होगी’—यह शंका करना उचित नहीं है क्योंकि जिस समय जिसकी उत्पत्ति होती है उस समय ही उत्पन्न होना उस वस्तु का स्वभाव होता है, अतः कालान्तर में उसकी उत्पत्ति का आधारन नहीं हो सकता।

(कारण शब्दार्थ का द्वितीय विकल्प)

अथवा 'स्वभाव' कार्यमात्र का कारण होता है' इस कथन में 'कारण' शब्द का 'कावा-
चिन्ता' का नियामक' अर्थ न कर मुख्य अर्थ ही स्वीकार करना चाहिये और उपादान के स्वभाव को
ही उपादेय के स्वभावस्वरूप उपकार का जनक होने से उपादेय का कारण मानना चाहिये। किसी कार्य
का कारण होने के लिये कारण को उसमें उपकार का जनक होना आवश्यक है यह मानने पर
उपकार का जनक होने के लिये उपकार में उपकारान्तर को जनक मानने पर अनवस्था का
आपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपकार उपकारान्तर के बिना भी स्वयं ही उपकृत
रहता है। दण्ड अविघटादि का नियम अस्ति होने पर भी दण्डकृप आदि के समान अन्यथातिष्ठ
होते हैं। 'वक्ष्याव घटः' घट दण्ड से होता है यह व्यवहार घट के दण्डजन्य माने बिना भी उसी
प्रकार हो सकता है जैसे पाक के दग्धजन्य न होने पर भी 'दग्धमासु पाकः' यह व्यवहार होता
है। अर्थात् पुरुषसौ विभक्ति का अर्थ नश्यत नहीं किन्तु उत्तरस्थ मात्र है ॥५७॥

हेत्वन्तरे कामचारमेव स्पष्टयति—

(मू०)—न विनैह स्वभावेन मृगपक्षिरपीक्ष्यते ।

तथाकालादिभावेऽपि नाश्वमायस्य सा यतः ॥५९॥

इह=जगति, स्वभावेन विना, तथाकालादिभावेऽपि=प्रतिनियतकालव्यापारादि-
संयोगीसंनिधौर्जि, कृद्गुणैःकारे वेद्यते । कुतः ? इत्याह-यतोऽश्वभायस्य=कङ्कटुकस्य,
सा=पक्षिः न भवति । न श्वभावे विलक्षणान्निसंयोगादिकं नास्तीति वक्तुं शक्यते, एकयैव
क्रियया तत्तदन्यवह्निसंयोगात् । न चादृष्टवैषम्यात् तदपाकः, दृष्टसादृश्ये तद्वैषम्याऽयो-
गात् । अन्यथा दृढदण्डतुल्यमपि चक्रं न भ्राम्येत् । तस्मात् स्वभाववैषम्यादेव तदपाकः,
इत्यन्यत्र कामचागात् स्वभाव एव कारणमिति पर्यवस्यम् ॥५९॥

उक्तवशादर्थार्थैव विपक्षे बाधकमाह—

(मू० - अतस्त्वभावात् तद्भावेऽतिवसङ्गोऽनिवारितः ।

तुल्ये तत्र सृक् कुम्भा न पटादीन्ययुक्तिमन् ॥६०॥

[स्वभाव के बिना कङ्कटुकादि का पाक नहीं होता]

५८ वीं कारिका में पूर्वकारिका वर्णित स्वभावकारणता को ही पुष्ट किया गया है सभी
भाव-कार्य अपने या अपने उत्पादन के स्वभाव के बल पर बिनाश, आकार प्रकार आदि से नियत हो
कर ही अपने अपने स्वभाव में अवस्थित होते हैं । स्वभाव में अवस्थित होने का अर्थ है स्वभाव को
अभिध्यात कर रहना, क्योंकि 'स्वभावे तिष्ठति' में स्वभाव शब्द के साथ लगी सप्तमी विभक्ति
'तिलेषु नैलम्' में तिल शब्द से लगी सप्तमी विभक्ति के समान अभिध्याति अर्थ को बोधक है । भावों
का नाश भी उनके स्वभाव से ही नियत देश काल में ही होता है, क्योंकि वे इच्छानुसार स्वतन्त्र न
होकर अपने स्वभाव के प्रति परतन्त्र होते हैं ॥५९॥

५९ वीं कारिका में कार्य को स्वभाव से भिन्न हेतु से कार्य करने पर कामचार की आपत्ति
बताते हुये कहा गया है कि इस संसार में मृग की दाल में मृग का पाक भी स्वभाव के बिना नहीं
होता, क्योंकि जिस वस्तु में पकने का स्वभाव नहीं है वह काल तथा कारणान्तर का व्यापार आदि
होने पर भी परिवर्तन नहीं होती, जैसे अश्वभाव-पक्षिरत्ने उद्यम में दीर्घकाल तक अग्नि का विलक्षण
संयोग होने पर भी उस का पाक नहीं होता । अदृष्ट के वैषम्य से उस का पाक नहीं होता यह कहना
उचित नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्ट सभी कारणों का सञ्चिधान रहन पर अदृष्ट के अभाव में कार्य
की अनुरक्ति नहीं देखी जाती, अन्यथा यदि ऐसा हो तो दृढ दण्ड से बल के साथ चक्र को घसाने
पर भी कभी उसे नहीं घसना चाहिये, अदृष्टवश उस में धूल का प्रतिबन्ध हो जाना चाहिये पर
ऐसा नहीं होता । अतः यहाँ मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि मृग अपने स्वभाववश पकता है

अतस्त्वभावत्वात्-तत्त्वभावमिच्छात्, तत्त्वभावरहिताद् वा तद्भावेऽधिकृतकार्यो-
त्पादे 'अङ्गीक्रियमाणे' इति शेषः, अतिप्रसङ्गोऽनिष्टप्रसङ्गः अनिवारितः=अवहितः । कुतः ?
इत्याह- तुल्ये=समाने, तत्र=अतस्त्वभावत्वे सति, मृदा कुम्भ एव जन्यते न पटादीति
अयुक्तिमतम्=नियामकर्तृमतम् ।

ननु नातस्त्वभावत्वं तज्जननप्रयोजकमुच्यते येनेयमापत्तिः संगच्छते, किन्तु सामग्रीमेव
कार्यजनिका ब्रूमः अस्वभावस्य च पक्षित प्रति स्वरूपयोग्यतैव न इति को दोषः ? इति चेत् ?

अत्र वदन्ति-अतस्त्वत्वात् स्वभाव एव कार्यहेतुः, न तु बाह्यकारणम् । न च मृत्स्व-
भावाऽविशेषाद् घटादिकार्याऽपिशेषप्रसङ्गः 'स्वस्य भावः कार्यजननपरिणतिः' इति स्वभावार्थ-
त्वात्, तस्याश्च कार्यकथ्यत्वत्वात् ! न चेदेवम्, अङ्कुरजननस्वभावं बीजं प्रागेवाऽङ्कुरं

और पसरित अस्वभाव वाकानुकूल स्वभाव से दृश्य होने से नहीं सकता । अतः कार्य को अग्न हेतु-
जन्य मानने पर दूरे के पक्ष और अस्वभाव के परकाभाव में कामचार मानना पड़ेगा । अतः कार्यों के
जन्म में कामचार के निवारणार्थ उन्हें स्वभावजन्य मानकर स्वभावाधीन मानना ही न्याय-
संगत है ॥ ३६ ॥

[कारणसामग्रीवादीप्रयुक्त आपत्ति का समाधान]

६० वीं कारिका में स्वभाववाद को दूर करने के लिये स्वभाववाद के विरोधी पक्ष के वाचक
का प्रतिपादन किया गया है अर्थात् इस प्रकार है

आ तत्त्वभाव से अर्थात् तज्जननानुकूल स्वभाव से दृश्य होता है उस से यदि कार्य की उत्पत्ति
मानी जायगी तो इस अतिप्रसङ्ग का-कि मिट्टी आदि से घट आदि की उत्पत्ति के समान घट आदि की
भी उत्पत्ति होनी चाहिये क्योंकि उत्पादक में कार्यजननानुकूल स्वभाव की अपेक्षा न होने से मिट्टी
घट घट आदि सभी कार्यों के लिये समान है-वारण न हो सकेगा । फलतः घट और घट दोनों के
प्रति मिट्टी के समान होने से मिट्टी से घट की ही उत्पत्ति हो, घट की न हो-यह निवृत्त युक्तिहोन हो
जायगा । यदि यह कहें कि-यह दोष अतस्त्वभावत्वं को तदुत्पत्ति का प्रयोजक मानने पर ही हो
सकता है, पर हम यह नहीं मानते, हम तो यह कहते हैं कि-किसी पदार्थ को किसी कार्य का उत्पादन
करने के लिये उस पदार्थ में उस कार्य के जननानुकूल स्वभाव मानने की आवश्यकता नहीं है ।
तब प्रश्न होगा कि किस कार्य की उत्पत्ति का प्रयोजक क्या होता है ? इस सम्बन्ध में हमारा मत
यह है कि तत्त्व कार्य की सामग्री-अर्थात् तत्त्व कार्य के सभी कारणों का संश्लेषण ही तत्त्व कार्य
की उत्पत्ति का प्रयोजक होता है, अतः स्वभाववाद को स्वीकार न करने पर भी उचित उत्पत्ति नहीं
हो सकती-तो इसके उत्तर में स्वभाववादी का यह कहना है कि स्वभाव अस्तित्व होता है और
कारणान्तर का सहयोग बहिरङ्ग होता है, अतः मिट्टी को अपने स्वभाव से ही घट का उत्पादक
मानना उचित है, बहिरङ्ग की सहायता से नहीं ।

जनयेत् । 'सहकारिणामा-ऽलाभाभ्यां हेतोः कार्यजनना-ऽजनने उपपत्त्येते' इति चेत् ? न, सहकारिचक्रानन्तर्भावेन विलक्षणबीजत्वेनैवाङ्कुरहेतुत्वोचित्वात् । न च सहकारिचक्रस्याऽति-
क्षयाधायकत्वं त्वयाऽपि कल्पनीयम्, इति तस्य तत्कार्यजनकत्वकल्पनमेवोचितमिति वाच्यम् ;
पूर्व-पूर्वोपादानपरिणामानामेवोचरोत्तरोपादेयपरिणामहेतुत्वात्, अत एव कालवादाऽप्रवेशान् ।
न च चरमक्षणपरिणामरूपबीजस्याऽपि द्वितीयादिक्षणपरिणामरूपाङ्कुराजनकत्वाद् व्यक्तावि-
शेषमवलम्ब्यैव हेतु-हेतुमद्भावो वाच्यः, अन्यथा व्यावृत्तिविशेषानुगतप्रथमादिचरमपर्यन्ताङ्कुर-
क्षणान् प्रति व्यावृत्तिविशेषानुगतानां चरमबीजक्षणादिकोषान्त्याङ्कुरक्षणानां हेतुत्वे कार्य-
कारणतावन्येदककोटावेकैकक्षणप्रवेशाऽप्रवेशाभ्यां विविचयमनावश्यकमिति । तथा च तज्जा-
तीयात् कार्यान् तज्जातीयकारणानुमानभङ्गप्रसङ्गः इति वाच्यम् ;—सादृश्यतिरोहितवैसदृश्य-
नाऽङ्कुरादिना तादृशबीजादीनामनुमानसंभवात् ; प्रयोज्य-प्रयोनकभावस्यैव विपक्षबाधकत्वस्यैव
जागरूकत्वादिति । अधिकमध्यात्ममतपरीक्षायाम् । ततः स्वभावहेतुकमेव जगदिति स्थितम् ।

[समान उपादान से विविध कार्यों के अभाव की आपत्ति का प्रतिकार]

यदि यह शङ्का की जाय कि—'मिट्टी से घट जराब आवि विविध वायु एवं विभिन्न प्रकार
के छिल्लीने आवि अनेक प्रकार के काय उत्पन्न होते हैं, स्वभावभाव में मिट्टी इन सभी कार्यों को अपने
स्वभाव से ही उत्पन्न करेगी अतः उसके स्वभाव में कोई बलक्षण न होने से उससे उत्पन्न होने वाले
कार्यों में भी बलक्षण न हो सकेगा'—तो यह शङ्का उचित नहीं हो सकती, क्योंकि स्वभाव का अर्थ है
स्व का कार्य के अनुकूल परिणत होना, अतः प्रत्येक वस्तु अपने कार्य को स्वभाव से उत्पन्न करती है,
इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक वस्तु तत्तत् कार्य के अनुकूल परिणाम ग्रहण करके तत्तत् कार्य को
उत्पन्न करती है और तत्तत् का यह परिणामग्रहण उस वस्तु के अधीन ही होता है; अतः मिट्टी से
जितने कार्य उत्पन्न होते हैं उन सभी के उत्पादनानुकूल अलग अलग परिणति उसमें होती है, उन
परिणतियों में बलक्षण होने से उसके कार्यों में भी बलक्षणा होती है। अतः स्वभाव से वस्तु को
कार्योत्पादक सामने कर उस वस्तु से होने वाले कार्यों में बलक्षण की अनुपपत्ति का आपादन नहीं
किया जा सकता। किस वस्तु में किस कार्य के अनुकूल परिणति होती है, इसका निश्चय तो उस वस्तु
से होने वाले कार्यों से ही हो सकता है।

[बीजत्व की अपेक्षा अंकुरानुकूलपरिणतिस्वभाव से कार्योत्पाद में औचित्य]

वस्तु को कार्यानुकूलपरिणतिरूप अपने स्वभाव से ही कार्य का उत्पादक मानना आवश्यक नहीं
है, अन्यथा यदि उसे अपने लोकसिद्ध स्वरूप से ही कार्य का उत्पादक माना जायगा तो बीज से नियत
समय के पूर्व भी अंकुर की उत्पत्ति की आपत्ति होगी। इस आपत्ति का परिहार करने के लिये यदि
सहकारिसंनिधान की अपेक्षा मानकर यह कहा जाय कि—'बीज अपने लोकसिद्ध रूप बीजत्व से
ही अंकुर का कारण है किन्तु अंकुर का उत्पादन वह तभी कर सकता है जब अंकुर के अन्य सभी
कारणों का भी उसे संनिधान प्राप्त हो, अतः अन्य कारणों के असंनिधान के समय उससे अंकुर के

उक्तं च—“कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं विचित्रभावं मृगपक्षिणां च ?

स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्ते न कामचारोऽस्ति कुतः प्रसङ्गः” ॥१॥ इति ॥६०॥

॥ उक्त. स्वभाववादः ॥

जन्म की आपत्ति नहीं हो जा सकती’—तो इस कल्पना की अपेक्षा तो यही मानना उचित है कि बीज बीजस्वरूप से अंकुर का जनक नहीं होता अपितु विलक्षण बीजत्व रूप से अर्थात् अंकुरानुकुल अपनी परिणतिरूप स्वभाव से जनक होता है, जिस समय अंकुर की उत्पत्ति होती है उससे दूर पूर्व में जबल परिणति के न होने से पूर्व में अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

[सहकारीचक्र की कल्पना अनावश्यक]

यदि यह कहा जाय कि—अंकुरोत्पादक बीज से सहकारिचक्र को अतिशय का आघातक तो स्वभाववादों को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अतिशयहीन बीज को अंकुर का जनक मानने पर सह-कारिचक्र के सन्निधान से पूर्व भी अंकुर की उत्पत्ति की आपत्ति होगी, अतः जब सहकारिचक्र की अपेक्षा स्वभाववाद में भ आशय्यक है तब तो विलक्षणबीजत्वरूप से कारणत्व की कल्पना अनावश्यक है, क्योंकि बीजस्वरूप से जो बीज को अंकुर का जनक मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जो जिस कार्य का उपादान माना जाता है उसमें प्रतिक्षण नये नये परिणाम होते रहते हैं, और उन परिणामों से नये नये उपादेय परिणामों की उत्पत्ति भी होती रहती है। अतः पूर्वपूर्व उपादान परिणामों की उत्पत्तिपर होने वाले सत्तत् उपादेय परिणामों के प्रति कारण मान लेने से स्वभाववाद में सहकारिचक्र की कल्पना अनावश्यक हो जाती है। किन्तु उपादान को लोकसिद्ध सामान्यरूप से उपादेय का कारण मानने पर पूर्वोक्त आपत्ति का परिहार सहकारिचक्र की कल्पना के बिना नहीं हो सकता, अतः स्वभाववाद को स्वीकार करना ही उचित है। स्वभाववाद में उक्तरूप से उपादानपरिणामों और उपादेय परिणामों में हेतुहेतुमद्भाव मानने से उस मत में कालवाद के प्रवेश की आशंका भी समाप्त हो जाती है।

(कार्य से कारणानुमान के भंग की आपत्ति का समाधान)

उक्त व्यवस्था स्वीकार करने पर यह प्रश्न हो सकता है कि “बीज का जो चरम क्षणात्मक परिणाम होता है उससे अंकुर का प्रथम क्षणात्मक परिणाम ही उत्पन्न होता है द्वितीय तृतीय आदि क्षण परिणामों की उत्पत्ति उससे नहीं होती अतः उपादान के क्षण परिणामों को उपादेय के क्षण-परिणामों के प्रति तत्तद्घटितत्व रूप से ही कारण और कार्य मानना होगा, क्योंकि यदि अनुगत रूप से उसमें हेतुहेतुमद्भाव की कल्पना की जायगी तो जिस अस्तव्यवस्था से उनका अनुगम किया जायगा उसके शरीर में उन क्षणों के प्रवेशक्रम में विनिगमना न होने से महान् गौरव होगा, और तत्तद्घटितरूप से हेतुहेतुमद्भाव मानने का दुष्फल यह होगा कि तत्कालीय कार्य से तत्कालीय कारण के अनुमान का भङ्ग हो जायगा क्योंकि अनुगत रूप से हेतुहेतुमद्भाव न होने के कारण तत्कालीय कार्य में तत्कालीय कारण की अनुमापकता में कोई प्रयोजक न होगा”—किन्तु यह प्रश्न स्वभाववादी के लिये बड़ी सरलता से समाधेय है, वह इस प्रकार कि उत्पादक बीजक्षणों में तथा उत्पाद्य अंकुरक्षणों में परस्पर में अत्यन्त सादृश्य होता है जिस से उनका वंसादृश्य तिरोहित रहता है अतः सदृश अंकुर-क्षणात्मक कार्य से सदृशबीजक्षणात्मक कारण का अनुमान होने में कोई बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि

अथ नियतिवादमाह—

मूलं—नियतेनैव रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत् ।

सर्वा नियतिजा ह्येते तत्स्वरूपानुबोधतः ॥३१॥

नियतेनैव=सजातीय-विजातीयव्यापृतेन स्वभावानुगतेनैव रूपेण, सर्वे भावा भवन्ति, यद्=यस्मात् हेतोः । ततो हि=निश्चितम्, एते=भावाः, नियतिजाः=नैयत्यनियाम-कतत्त्वान्तरोद्भवाः । हेतुवन्तरमाह—तत्स्वरूपानुबोधतः=नियतिकृतप्रतिनियतधर्मोपश्लेषात् । दृश्यते हि तीक्ष्णसूक्ष्माद्युपहतानामपि भरणनियतताभावेन भरणम्, जीवननियततया च जीवनमेवेति ॥३१॥

इदमेव स्फुटमाह—

मूलम्—यद्यदैव यतो यावत्तस्यैव तत्तत्तथा ।

नियत जायते, न्यायात्क एतां बाधितुं क्षमः ? ॥३२॥

यद्=धटादिकम्, यदैव=विश्रुतकाल एव, यतः=दण्डादेः, यावत्=विवक्षिताल्प-

उक्त क्षणों में अनुगत कार्यकारणभाव न होने पर भी अनुगत प्रयोज्यप्रयोजकभाव होने से उस प्रयो-ज्यप्रयोजकभावरूप प्रयोजक के बल पर अंकुरक्षणों और बीजक्षणों में व्याप्तिस्थापकभाव आत हो सकता है ।—'उक्त क्षणों में जैसे अनुगत कार्यकारणभाव नहीं होता उसी प्रकार अनुगत प्रयोज्यप्रयो-जकभाव भी नहीं हो सकता—' यह शङ्का नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुगत कार्यकारणभाव मानने में नियतसमय से पूर्व बीज से अंकुरोत्पत्ति की आपत्ति बाधक है, किन्तु अनुगत प्रयोज्य-प्रयोजकभाव मानने में ऐसी कोई बाधा नहीं है क्योंकि यह नियम किसी को भी मान्य नहीं है कि 'जो जिस का प्रयोजक होता है उस से उसकी उत्पत्ति में विलम्ब नहीं होता' । अतः अंकुरोत्पत्ति से शिरपूर्व भी अंकुरप्रयोजक की सत्ता मानने में कोई बाधा नहीं होता । इस विषयमें अधिक जानकारी 'अध्यात्म-मतपरीक्षा' नामक ग्रन्थ से प्राप्त की जा सकती है । इस प्रकार पूर्वोक्त युक्तियों से यह सिद्ध हो जाता है कि जगत् स्वभावहेतुक ही है, प्रत्यहेतुक नहीं है । कहा भी गया है कि—'कादों की तीक्ष्णता और पशु एवं पक्षियों की विचित्ररूपता को कौन उत्पन्न करता है ? स्पष्ट है कि यह सब स्वभाव से ही सम्पन्न होता है, स्वभावभाव में कामचार यथेच्छ अनुष्ठान का कोई अवसर नहीं है अतः इस बारे में सब से सब की उत्पत्ति की आपत्ति नहीं हो सकती ॥३२॥ [स्वभाववादपरिसमाप्त]

(नियतितत्त्व से सर्वकार्यसंपत्ति—नियतिवाद)

६१ बी कारिका में नियतिवाद की स्थापना करते दृष्टे कहा गया है कि-सभी पदार्थ नियतरूप से ही उत्पन्न होते हैं । नियतरूप का अर्थ है-वस्तु का वह असाधारणधर्म जो उस के सजातीय और विजातीय वस्तुओं से व्यापृत होता है । यह रूप वस्तु के स्वभाव का अनुगामी होता है एवं सहस्र पदार्थों में स्वभाव से ही अनुगत होता है । नियतरूप से ही पदार्थों की इस उत्पत्ति के अनुरोध से यह

बहुदेशव्यापि, जायमानं दृश्यते; तद्वत्=यथादिकम्, तद्वैव=विवक्षितकाल एव, ततः=दण्डादेः, तथा=वाच्यदेशव्यापि, लोके=जगति, नियतम्=नियतिकृतम्, जायते । ततो न्यायात्=तर्कात्, क एतां=नियति, बाधितुं क्षमः? प्रमाणमिद्वेऽर्थे बाधानवतारात्, नियतरूपावच्छिन्नं प्रति नियतेरेव हेतुत्वात्, अन्यथा नियतरूपस्याप्याकस्मिकताऽऽपत्तिः । न च तावद्वैवक्ष्यं न अन्यतावच्छेदकम्, किन्त्वार्थसमाजमिद्विमिति धारण्यम्; नियतिजन्यत्वेनैवोपपत्तावार्थ-समाजाऽकल्पनात् भिन्नयामग्रीजन्यतयैकवस्तरूपव्याघातापत्तेश्च । तदुक्तम्-

‘प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण योऽर्थः, सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा । भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने, नाऽभाव्यं भवति, न भाविनोऽस्ति नाशः’ ॥१॥ इति ॥६२॥

इदमेव विद्युर्नोति-

मूलम्-न चर्ते नियति लोके सुदृगपक्षितरपोद्यत्ने ।

तत्स्थभावादिभावेऽपि नासाधनियता यतः ॥६३॥

मानना आवश्यक है कि सभी पदार्थ किसी ऐसे तत्त्व से उत्पन्न होते हैं जिस से उत्पन्न होनेवाले पदार्थों में नियतरूपता का नियमन होता है, पदार्थों के कारणभूत उस तत्त्व का ही नाम ‘नियति’ है । उत्पन्न होने वाले पदार्थों में नियतिमूलक घटनाओं का ही सम्बन्ध होता है इसलिये भी सभी को नियतिजन्य मानना आवश्यक है । जैसे यह देखा जाता है कि तीक्ष्ण शस्त्र का प्रहार होने पर भी सब की मृत्यु नहीं होती, किन्तु कुछ लोग ही मरते हैं और कुछ लोग जीवित रह जाते हैं, इस की उत्पत्ति के लिये यह मानना आवश्यक है कि प्राणों का जीवन और मरण नियति पर निर्भर है, जिस का मरण जब नियतिसम्मत होता है तब उस की मृत्यु होती है और जिस का जीवन जब तक नियतिसम्मत है तब तक मृत्यु का प्रसङ्ग बारम्बार आने पर भी वह जीवित ही रहता है, उस की मृत्यु नहीं होती ॥६१॥

[जिसकी-जब-जिससे-जिसरूप में उत्पत्ति नियति से]

६२ वीं कारिका में पूर्व कारिका के कथन को ही स्पष्ट करते हुये कहा गया है कि जो कार्य जिस समय जिस कारण से जिस रूप में उत्पन्न होते का नियति से निविष्ट होता है वह उसी समय उसी कारण से उसी रूप में उत्पन्न होता है । घट आदि कार्यों की उत्पत्ति इसी प्रकार देखी जाती है इसलिये इस प्रमाणसिद्ध नियति का किसी भी तर्क से कोई भी विज्ञान खण्डन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रमाणसिद्ध पदार्थ में बाधक तर्क का प्रयोग नहीं होता । यदि यह पूछा जाय कि ‘नियति में क्या प्रमाण है?’ तो इस का उत्तर यही है कि नियतरूपविशिष्ट कार्य की उत्पत्ति ही नियति की सत्ता में प्रमाण है, क्योंकि यदि नियतरूप से कार्य की उत्पत्ति का कोई नियामक न होगा तो कार्य की नियतरूपता आकस्मिक हो जायगी अर्थात् किसी वस्तु का कोई नियतरूप सिद्ध न हो सकेगा । यदि यह कहा जाय कि-‘कार्ये चावयुर्मकं होता है तावदुर्मकत्वं किसी एक कारण का कार्यतावच्छेदक नहीं होता, अपितु तत्तत् वर्गं भिन्न भिन्न कारणों द्वारा सम्भावित होते हैं, और जब उन सभी वर्गों के

(१) सर्वत्र मूलपुस्तकादृशेषु ‘पीड्यते’ इति पाठः ।

न च लोके=जगति नियतिमृते=नियति विना, मुद्गपक्तिरपीक्ष्यते=दृश्यते; यतः स्वस्थमाथादिभावेऽपि=मुद्गपक्तिजनकस्वभावव्यापारादिसम्बेऽपि, नासौ-अधिकृता मुद्गपक्तिः अनियता, किन्तु स्वरूपनियता । न चैतद् नैयत्यं स्वभावप्रयोज्यम्, स्वभावस्य कार्यैकजात्यप्रयोजकत्वात्, अतिशयरूपस्थाऽपि तस्य विशेष एव प्रयोजकत्वात्, पक्ष्यन्तर-साजात्यैजात्योभयानुषेधस्य नियति विनाऽसंभवात् । 'इदुना व्यतिरेकोत्पाद्यते, उभयानु-षेधस्तु तत्र तत्त्वानन्तरसंवेधादि'ति चेत् ? न, समवायादिनिरासेन तत्संवेधानुपपत्तेः, अनिरासेऽपि तत्रैव तत्संवेधानियामकमवेपणात् ।

किञ्च-दण्डादिसम्बेऽप्यस्य वदोत्पत्तिरिति न सम्यग् निश्चयः, तत्रान्वेऽपि कदाचिद् घटा-मुत्पत्तेः, किन्तु संभावनैव, इति न दृष्टहेतुसिद्धिः; 'यद् भाष्यं तद्भवत्येव' इति तु सम्यग् निश्चयः । न चैवं कार्योत्पत्तेः पूर्वं नियत्यनिश्चयात् प्रवृत्तिर्न स्यादिति वारन्ध्रम्, अविद्य-यैव प्रवृत्तेः, फलतामस्य तु यादृच्छकत्वादिति दिग् ॥६३॥

सम्पादक कारणा का समाज एकत्र होता है तब उन सभी धर्मों से युक्त एक कार्य की उत्पत्ति होती है' तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि सावद्वैतत्व की एक नियति का कार्यसाधकत्व मानने में लाघव है अतः उस में कारण समाज नियमत्व की कल्पना उचित नहीं हो सकती । दूसरी बात यह है कि तत्त्व धर्म से विविक्त कार्य यदि भिन्न भिन्न कारण सामग्रो से जन्य होगा तो भिन्न सामग्रियों से उत्पन्न होनेवाले कार्य में एक वस्तुरूपता न हो सकेगी । नियति के समर्थन में यह बहुत अच्छी बात कही गयी है कि-मनुष्य को जो भी शुभ अशुभ नियति द्वारा प्राप्त होना है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है क्योंकि जगत् में यह देखा जाता है कि जो वस्तु जिससे नहीं होने वाली होती है वह बहुत प्रयत्न करने पर भी उससे नहीं होती और जो होने वाली होती है उस का कभी नाश या भेद विघटन नहीं हो सकता ॥६३॥

[पक्षतत्त्वभाव होने पर भी नियतिविना पाक अशक्य ।]

इदं चो कारिका में पूर्वकारिका के विषय को ही अन्य प्रकार से स्पष्ट किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है -

संसार में नियति के बिना भूग का पाक भी नहीं देखा जाता, भूग पाक के अतत्त्वभाव के व्यापारभाव होने पर भी वह अनियत स्वरूप नहीं होता किन्तु नियति से सम्पादित स्वरूप से सम्पन्न ही होता है । उसका स्वरूपमयत्व स्वभाव से नहीं उपपन्न हो सकता, क्योंकि स्वभाव कार्यों की एक-जातीयता का प्रयोजक नहीं होता, यदि स्वभाव को अतिशयक माना जाय तब भी वह कार्य में विज्ञा-मत्ता का ही प्रयोजक होता है, भूग के पाक में भूग पाक के साक्षात् और वैजात्य के अस्तित्व का प्रयोजक तो नियति ही होती है । यदि यह कहा जाय कि-"नियति हेतु से तो स्थिति की ही उत्पत्ति होती है उससे साजात्य और वंजात्य की सिद्धि तो अन्य तत्त्व से ही होती है, अतः कार्य को नियति-जन्य मानने पर भी उस में साजात्य-वंजात्य की उपपत्ति के लिये तत्त्वान्तर ही मानना होगा, तो फिर व्यक्त की उत्पत्ति तो स्वभाव आदि से भी हो सकती है अतः उसके लिये नियति की कल्पना अना-वश्यक है"-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह तत्त्वान्तर समवाय आदि हो ही सकता है, किन्तु उस का अर्थ ही भूग है । और यदि उसे माना भी जाय तो उसी का अस्तित्व कार्य में किस नियति से होता

उक्तमेव बाधकविपरान्वेनाह—

सूत्रं—अन्यथाऽनियतत्वेन सर्वभावः प्रसज्यते ।

अन्योन्यात्मकतापत्तेः क्रियावैफल्यमेव च ॥६४॥

अन्यथा= नियतिजन्यत्वं विना, अनियतत्वेन हेतुना, सर्वभावः प्रसज्यते, व्यक्तरूपिणोपात् । अ-पुनः अन्योन्यात्मकतापत्तेः=घट-पटाद्यविशेषापत्तेः, क्रियावैफल्यमेव, सिद्धाया व्यक्तेरसाध्यत्वात् ।

‘सा व्यक्तिरसिद्धैवे’ ति चेत् ? तत्त्वं नान्यभेदः, तदग्रहेऽपि ‘भोऽयम्’ इति तत्ताग्रहात् । नच तद्व्यक्तिरेव तत्त्वम्, तस्य तत्ताग्रविशेषणत्वात्, किन्तु नियतिकृतधर्म एव, इति सिद्धे नियतत्वा ॥६४॥ उक्तो नियतिवादः ।

हे यह प्रश्न पुनः उठता ही जाता है, अतः कार्य में साजात्य-बजात्य का नियामक ऐसा होना चाहिये जिस के बारे में ऐसा प्रश्न न हो, और ऐसा नियामक नियति के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं हो सकता ।

[कार्य अवश्यभाव का सम्यक् निश्चय]

यह भी ज्ञातव्य है कि-‘घट आदि होने पर घट अवश्य होता है’ यह भी सम्यक् निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि घट आदि सभी हेतुओं के होने पर भी अनेक बार प्रतिघट्यक आदि वज्र घट की उत्पत्ति प्रतिष्ठ हो जाती है । अतः घट आदि के होने पर घटोत्पत्ति की केवल सम्भावना ही माना जा सकता है । इसलिये सम्यक् निश्चय के अभाव में कार्य के स्पष्ट कारणों की सिद्धि नहीं हो सकती, किन्तु ‘जितका होना नियत है वह होता ही है’ यह सम्यक् निश्चय है, क्योंकि इसमें विपरीतता नहीं होती, अतः इस निश्चय से नियति में कार्य की अनकता की सिद्धि निश्चि है । कार्य के नियतिजन्य-स्वपक्ष में यह प्रश्न हो सकता है कि-‘कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कार्यार्थों की नियति का निश्चय तो होता नहीं फिर कार्य के उत्पादनार्थ उस की प्रवृत्ति कैसे होगी?’-नियतिवादी की ओर से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कार्यार्थों की प्रवृत्ति नियति का ज्ञान हुये बिना ही होती है । यह ‘कार्य की उत्पत्ति आवश्यक होगी’ इस बात के मिथ्य से नहीं प्रवृत्त होता, वह तो यही सोच कर प्रवृत्त होता है कि यदि नियति होगी तो कार्य अवश्य ही होगा । अतः कार्य के लिए जो कुछ वह कर सकता है वह उसे करना चाहिये । अतः यह स्पष्ट है कि कार्यार्थों की प्रवृत्ति अविद्या से ही होती है, कार्य की सिद्धि तो नियतिवश सम्पन्न होती है ॥६३॥

[नियति विना कार्य में सर्वात्मकता की प्राप्ति]

६४ वीं कारिका में पूर्वोक्त बात को विपक्ष के बाधक रूप में प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि-‘यदि कार्य की नियतिजन्य न माना जायगा तो कार्य में नियतरूपता का कोई नियामक न होने से उत्पन्न होने वाले कार्यव्यक्ति में सर्वात्मकता की प्राप्ति होगी, और कार्यव्यक्ति के सर्वात्मक होने पर घट पट आदि कार्यों में कोई अन्तर न रह जाये से किसी एक कार्य व्यक्तित्व के उत्पन्न हो जाने पर अन्य कार्य व्यक्तित्व भी सिद्ध हो जायगी, फिर उसके लिये अनुषंग की क्रिया निरर्थक हो जायगी, क्योंकि सिद्ध को सम्भावित करने के लिये कोई क्रिया नहीं अपेक्षित होती ।

अथ कर्मवादमाह—

मूलं—न भोक्तृव्यतिरेकेण भोग्यं जगति विद्यते ।

न चाकृतस्य भोक्ता स्यान्मुक्तानां भोगभावतः ॥६५॥

भोक्तृव्यतिरेकेण जगति=चराचरे, भोग्यं न विद्यते, भोग्यपदस्य सम्बन्धिकत्वात् ।
न चाकृतस्य भोक्ता स्यात्, स्वव्यापागजन्यमर्थस्य स्वभोग्यत्वदर्शनात्, अन्यथा, मुक्तानां=निष्ठितार्थानाम्, भोगभावतः=भोगप्रसङ्गान् ॥६५॥ ततः किम् ? इत्याह—

मूलम्—‘भोग्यं च विश्वं’ सत्त्वानां विधिना तेन तेन यत् ।

दृश्यतेऽध्यक्षमेवेद तस्मात् तत्कर्मजं हि तत् ॥६६॥

‘भोग्यं च=समाधायोजनं च, सत्त्वानां=पंथारिणाम्, तेन तेन=सुखदुःख-प्रदानादिलक्षणैः, विधिना=प्रकारेण, इदं विश्वं=जगत्, अध्यक्षमेव=अध्यक्षमेवेद-साक्षिकमेव दृश्यते, यद्=यस्माद् हेतोः, तस्मात् कारणात्, हि=निश्चयम्, तत्=जगत्, तत्कर्मजं=भोक्तृकर्मजम् । जगद्हेतुत्वं कर्मण्येव, इतरेषां परास्मिन्हेतूनां व्यभिचारित्वादिति भावः ॥६६॥ तथा—

(तत्त्वव्यक्तिरूपकार्यसिद्धि के लिये भो क्रिया अनावश्यक)

यदि यह कहें कि—‘एक व्यक्ति के उत्पन्न हो जाने पर उक्त रीति से व्यक्तिरूप में सब को सिद्ध हो जाने पर भी तत्त्व व्यक्ति के रूप में तो सब की सिद्धि नहीं हो जाती अतः तत्त्वव्यक्ति को सिद्ध करने के लिये क्रिया की अपेक्षा हो सकती है’ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ तत्त्वा की अन्त्यभेदरूप नहीं माना जा सकता क्योंकि अन्त्यभेद का ज्ञान न होने पर भी व्यक्ति की तत्त्वा का ‘सोऽप्यन्’ इस रूप में मान होता है । तत्त्वा को तत्त्वव्यक्तिरूप भी नहीं माना जा सकता क्योंकि हेतु से व्यक्ति की ही उत्पत्ति होने से उस में तत्त्वा विशेषण सिद्ध ही नहीं है, अतः उसे तत्त्वव्यक्ति कह कर तत्त्वा की तत्त्वस्वरूप नहीं कहा जा सकता । अतः अन्त्य कोई गति न होने से यही कहना होगा कि व्यक्ति की तत्त्वा व्यक्ति का नियतिमूलक धर्म है । नियति तत्त्वाविशिष्ट ही व्यक्ति को उत्पन्न करती है, अतः कार्य के नियतिअन्त्यवपक्ष में उत्पन्न होनेवाले व्यक्ति में सर्वात्मकता की प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः नियति की सिद्धि निर्विवाद है ॥६४॥ (नियतिवाद परिसमाप्त)

(‘भोग्य-भोक्ता और कृत का भोग-कर्मवाद)

६५ वीं कारिका में कर्मवाद की स्थापना करते हुये कहा गया है कि इस चराचरात्मक जगत् में भोग्य की सत्ता भोक्ता की सत्तापर ही निर्भर है, क्योंकि ‘भोग्य’ यह सम्बन्धसापेक्ष पदार्थ है अतः भोक्तारूप सम्बन्धी के अभाव में उसका अस्तित्व नहीं हो सकता । भोक्ता भी अकृतकर्म का भोग नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिस के व्यापार से उत्पन्न होता है वही उसका भोग्य होता है । यदि अकृत कर्म का भी भोग माना जायगा तो मुक्त पुरुषों में भी भोग की आपत्ति होगी, क्योंकि जब भोग के लिये भोक्ता को कर्म करना आवश्यक नहीं है तो संसारी पुरुषों द्वारा होने वाले कर्मों का भोग मुक्त पुरुषों में क्यों न हो सकेगा ? ॥६५॥

सूत्रम्— न च तत्कर्मवैधुष्यं सुदृगपवितरपीक्ष्यते ।

स्थान्यादिमङ्गभावेन यत् क्वचिन्नोपपद्यते ॥६७॥

न च तत्कर्मवैधुष्यं=भोक्तृगतानुकूलादृष्टाभावे, सुदृगपवितरपीक्ष्यते । कथम् ? इत्याह-यद्=यतो हेतोः, क्वचिन्=विबक्षितस्थाने, स्थान्यादिमङ्गभावेन, भोवपद्यते=न मिष्यति । 'दृष्टकारणवैगुण्यादेव तत्र कार्याभाव' इति चेत् ? तर्हि तद्वैगुण्यं यच्चामितम्, तत्र यत्र कार्यवैगुण्यं न्यायप्राप्तम्, 'तद्वैतोः'० इति न्यायात् । नन्वेवं नियमतो दृष्टकारणापेक्षा न स्यादिति चेत् ? न स्याद्वै. तथाविधप्रयत्नं विनापि शुभादृष्टेन धनप्राप्त्यादिदर्शनात् ; कर्मविपाककालेऽवर्जनीयमिति अधिकत्वेनैव तेषां निमित्तत्वव्यवहारात् । अत एव 'दृष्टकारणानाम-दृष्टव्यप्रकल्पम्' इति सिद्धान्तः । तदुक्तम्—

६६ वीं कारिका में उक्त कथन का कलितार्थ बताते हुये कहा गया है कि 'यह जगत् सुख, दुःख आदि को उत्पन्न करके ही जीवों का भोग्य होता है' यह प्रारोमात्र का अनुभव है । इसलिये यह मानना आवश्यक है कि जगत् भोक्ता के कर्मों से ही उत्पन्न होता है । जगत् की कारणता जीव-कर्मों में ही है यह मानना इस लिये भी आवश्यक है कि अन्य बाहियों द्वारा बताये गये कारण व्यभिचरित हो जाते हैं, क्योंकि उन कारणों के रहने पर भी कभी कार्य नहीं होता और कभी उन के बलाव में भी कार्य हो जाता है । अतः यह पुक्तिसिद्ध है कि जीवों का पूर्वजित कर्म ही जगत् का उत्पाक होता है ॥६६॥

[कर्म के विरह में मूंगपाक अशक्य]

६७ वीं का रका में भी कर्मवाद की ही पुष्टि की गयी है और कहा गया है कि भोक्ता के अनुकूल अदृष्ट के अभाव में मूंग का पाक भी होता नहीं बीछता, क्योंकि यह सर्वविधित है कि कई समय अनुकूल जब मूंग पकाने चलता है तो पाकपात्र आदि का अकस्मात् धंग हो जाने से मूंग पाक नहीं हो पाता । यदि कहा जाय कि 'पाकपात्र आदि दृष्ट कारण का अभाव हो जाने से ही ऐसे स्थलों में पाक नहीं होता' तो यह कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दृष्ट कारण का अभाव भी तो किसी निमित्त से ही होगा और उस का जो निमित्त होगा वह कोई दृष्ट निमित्त प्रमाण सिद्ध न होने से अदृष्टत्व ही होगा, अतः उस को सीधे कार्याभाव का ही प्रयोजक मान लेना उचित है, क्योंकि यह ग्याय है—'तदु-त्तोरेवाज्जु कि तेन ?'-जिसका अर्थ है कि जो कार्य अपने हेतु के हेतु से (सीधा ही) उत्पन्न होता है उभी को ही हेतु माना जाय, दूसरे को क्यों माना जाय? इस स्थिति में यह मानना उचित प्रतीत होता है कि कार्य अपने अभिमत हेतु के हेतु से ही सीधे उत्पन्न होता है । यदि यह आपत्ति की जाय कि—'कार्य को मात्मात् अदृष्ट से उत्पन्न मानने पर कहीं भी दृष्ट कारण की अपेक्षा न हो सकेगी तो इस से कोई हानि नहीं है, क्योंकि कर्मवाद में दृष्ट कारण का कोई स्थान नहीं है । वेला भी जाता है कि—कभी कभी बिना किसी प्रयत्न के ही अनुकूल को विपुलधन को प्राप्ति हो जाती है, अतः दृष्टवदार्थों में यदि कहीं किसी कार्य के प्रति कारणत्व का व्यवहार होता है तो इसलिये नहीं कि दृष्ट वदार्थ सचमुच कारण है किन्तु यह व्यवहार इसलिये होता है कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व उसका सक्षिप्तान प्रयत्ननीय होना

“यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मणः फलं निधानस्थमिवाऽवनिष्ठे ।

तथा तथा तत्प्रतिपादनोद्यता प्रदीपइस्तेव मतिः प्रवर्तते ॥१॥” इति ।

न च विपाककालापेक्षणात् कालवादप्रवेशः, तस्य कर्मविशेषविशेषरूपत्वात् । न च कर्महेत्वपेक्षावैयर्थ्यम्, अनादित्वात् कर्मपरम्परायाः ॥६७॥

विपक्षे बाधकमाह-

मूलं- चिञ्च भोग्यं तथा चिञ्चात्कर्मणाऽहेतुतान्यथा ।

तस्य परमादिचिञ्चत्व नियत्यादेर्न युज्यते ॥६८॥

तथा=प्रतिनियतरूपेण, चिञ्च=नानाप्रकारम् भोग्यम्, चिञ्चात्कर्मणो घटने, तस्य तत्तत्कार्यजनकविचित्रशक्तियोगित्वात् । अन्यथा=चित्रकर्मनिष्पन्नमे अहेतुता स्यात्, ‘चित्रभोग्यस्य’ इत्यनुपपद्यते । ‘कर्मविद्वृत्तरूपमेव, कर्मचिञ्चानुद्वृत्तरूपमेव, परमाणुसाङ्गतानां च शाल्यादिबीजानां शाल्याद्यङ्कुलजनकत्वमेव’ इति नियमे परेणाऽप्यदृश्यत्वाऽङ्गीकारात्,

है। इसी लिये सिद्धांत यही है कि वृष्ट कारण अदृष्ट के सम्यक् होते हैं न कि कार्य के वास्तव कारण । कार्य का वास्तव कारण तो अदृष्ट ही होता है ।

कहा भी गया है कि-‘कोष में धन के समान पूर्वकृत कर्म का फल पहले से ही विद्यमान रहता है और वह जिस जिस रूप से अवस्थित रहता है उस उस रूप में उसे सुलभ करने के लिये मनुष्य की बुद्धि सतत उद्यत रहती है और उसी उसी प्रकार उसे प्राप्त करने के लिये मानों हाथ में दीप लिये जागे जागे चलती है’ । ‘विपाक कालकी अपेक्षा मानने पर इस मत में कालवाद के प्रवेश’ की शङ्का नहीं की जा सकती क्योंकि काल भी कर्म को एक विशेष अवस्था ही है । कर्म के कारणों के विषय में भी चिन्तित होना उचित है क्योंकि कर्मपरम्परा अनारंभ है, अतः पूर्व पूर्व कर्म से उत्तरोत्तर कर्म की उत्पत्ति मानने में कोई बाधा नहीं है ॥६७॥

(कर्मविचित्रता से भोग्यविचित्रता)

६८ वीं कारिका में ‘कार्यं कर्महेतुकं है’ इस पक्षके विपरीत पक्षमें बाधक बताया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

भोग्य पदार्थ अनियत रूप से अनेक प्रकार के होते हैं अतः उन के कारण को भी अनेक प्रकार का होना आवश्यक है क्योंकि कारण के वैचित्र्य-वैविध्य से ही कार्य में वैचित्र्य-बहुप्रकारकत्व हो सकता है, अन्यथा नहीं । कर्म में बहुविधकार्य की उत्पत्ति करने की शक्ति होती है, अतः उस से बहुविध कर्म का जन्म हो सकता है । यदि विचित्रकर्म को कारण न माना जायगा तो विचित्रकार्य की उत्पत्ति न हो सकेगी । किसी द्रव्य का रूप उद्भूत होता है और किसी का अनुद्भूत, जैसे घट, पट आदि का रूप उद्भूत और चक्षु आदि का रूप अनुद्भूत । यह विचित्रता कारणवैचित्र्य के बिना नहीं उपपन्न हो सकती । शालि, मूक आदि के बीज टूट कर जब परमाणु की स्थिति में हो जाते हैं तब उनमें शालि, मूक आदि धर्मों में नहीं रह जाते क्योंकि तद्रूपव्यवस्थाजालि की व्याप्य-जातिर्वा परमाणु में नहीं मानी जाती । अतः परमाणुभूत शालि, मूक आदि बीजों में व्यवस्थाप्य

सर्वत्र तद्धेतुत्वस्यैवोचित्यात् । तन्वृत्तमेव नियत्पादेः कार्यैर्वैचित्र्यम्, अत एतत्पक्षेणैव प्रत्यागत्या प्रतिलोमक्रमेण तद्दृष्टव्यार्थमाह-तस्य=भोग्यस्य, विविधत्वम्, यस्माद्धेतोः, नियत्यपेक्षः । त्रिवरादिदर्शनात् ॥ ५७ ॥ य पुनस्त ॥ ५८ ॥ अथाहि--

मूलः--नियतेनियतात्मत्वाक्षियत्तानां समानता ।

तथानियतभावे च यत्नात् स्यात् तद्विविधता ॥५९॥

नियतेनियतात्मत्वात्=एकरूपत्वात्, नियतानां=तज्जन्यत्वेनाभिमतानाम्, समानता स्यात्, तथा-अदृष्टप्रकारानतिक्रमेण अनियतभावे च=असमानकार्यकारित्वे च नियते-रस्पृष्टगन्धमाने, यत्नान्=न्यायान्, तद्विविधता=नियतविविधता स्यात् । 'घटो यदि पटजनकाऽऽपृताऽनतिरिक्तहेतुजन्यः स्यात्, पटः स्यात्'-'घटजनकं यदि पटं न जनयेत्, पटजनकाद् भिद्येत' इति तर्कद्वयम् ॥६०॥

पृथिवीत्व जाति ही रहती है, उसकी व्याप्य शक्तिरूप आदि जातियाँ नहीं रहती, इसलिये परमाणुभूत घातिवीजों से घालि अंकुर की ही उत्पत्ति एवं परमाणु भूत यवबीजों से यवाङ्कुर की ही उत्पत्ति का नियमन अदृष्ट द्वारा ही अन्यहेतुवाधियों की भी सामना पड़ेगा, तो जब कुछ स्थानों में कार्य को अदृष्टजन्य मानना स्पष्ट रूप से आवश्यक प्रतीत होता है तो सर्वत्र उसी को कार्य का जनक मानना उचित है ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि नियति की चर्चा प्रस्तुत चर्चा के निकट पूर्व में होने से बहु काल, स्वभाव आदि से प्रत्यासन्न है अतः आरोह-उतार के क्रम से पहले उसी की कार्यवैचित्र्य-प्रयोजकता की परीक्षा उचित है और उस परीक्षा का निष्कर्ष निश्चितरूप से यही निकलनेवाला है कि नियति आदि से भोग्यवैचित्र्य की उपपत्ति नहीं हो सकती ॥६०॥

(नियति हेतुतापक्ष में कार्यसमानता की आपत्ति)

६१ बी कारिका में 'नियति से कार्य वैचित्र्य नहीं हो सकता' इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है । कारिका का अर्थ यह है कि-

नियति की आत्मा=स्वरूप एक है अर्थात् नियति निश्चितरूप से एकस्वरूप है अतः भोग्य पदार्थों का जन्म यदि उसी से होगा तो कारण में एकरूपता होने से कार्यों में भी एकरूपता ही होगी, अनेकरूपता न हो सकेगी, जब कि कार्यों की अनेकरूपता सर्वमान्य है । अतः यदि अदृष्ट के समान उसे भी विविध कार्य का जनक मानना है तो विवश होकर उसे भी एकरूप न मान कर विविधरूप ही मानना होगा ।

यह बात दो तर्कों द्वारा सिद्ध होगी जैसे--'घट यदि पट के कारणों से अपृष्ट और अनतिरिक्त कारणों से उत्पन्न होगा तो घट भी पट ही जायगा' । और 'घट का जनक यदि पट का जनन न करेगा तो पट के जनक से भिन्न होगा' । इनमें पहले तर्क का आशय यह है कि जिसने कारणों से पट उत्पन्न होता है, यदि घट भी उतने ही कारणों से उत्पन्न होगा, घट के कारणों में यदि पट के किसी कारण का समाव अथवा पट के कारणों से अनतिरिक्त किसी नये कारण का सम्मिश्रण न होगा, तो घट भी पट ही हो जायगा, पट से भिन्न न हो सकेगा । क्योंकि कारणों में सम्मिश्रण साम्य रहने पर कार्यों में

प्रागुक्तरीत्या कार्यवैचित्र्यनिर्वाहकतयैव नियत्यभ्युपगमात् द्वितीयेऽष्टापक्षिमाशङ्क्याह-
मूलम्- न च तन्मात्रभावादेरुत्पत्तेः स्या विचित्रता ।

तदन्यभेदकं मुक्त्वा सम्यगन्यायाऽविरोधतः ॥७०॥

न च=नैव, तन्मात्रभावादेः 'तन्मात्रभावो'=नियतिमात्रत्वम्, आदिना परिणामग्रहेः,
ततोऽस्याः=प्रतिनियतकार्यजनकनियतेः, तदन्यभेदकं=नियत्यन्यभेदकं मुक्त्वा=अतभ्युप-
गम्य, सम्यगन्यायाऽविरोधतः=सत्कारोऽतिवृत्त्येन, विचित्रता स्यात् ॥७०॥

एतदेव प्रकटयन्नाह-

मूलम्- न जलस्यैकरूपस्य विद्यतातात् विचित्रता । उपराधिवराभेदमन्तरेणोपजायते ॥७१॥

जलस्य, एकरूपस्य=जलत्वेन समानस्य विद्यतातात्=अत्रापातादनन्तरम्, उपराधि-
वराभेदम्=उपरतरपृथिवीसंवेन्धादिजन्यवर्ण-रस-स्पर्शाद्वैलक्षण्यमन्तरेण, विचित्रता न
दृश्यते, सकललोकसिद्धं सन्वेतु । तथा नियतेरन्यभेदकं विना न भेद इति भावः ॥७१॥

अस्तु तर्हि तदन्यभेदकम्, अत्राह-

मूलम्- तद्विचित्रभेदकत्वे च तत्र तस्या न प्रवृत्तिः ।

तत्प्रवृत्त्ये च विचित्रत्वं तद्वत्तस्याप्यसंगतम् ॥७२॥

वैधर्म्य नहीं हो सकता। अथवा समान कारणों से उत्पन्न होने वाला जो पदों में भी वैजात्य हो
जायगा। एवं दूसरे तक का अभिप्राय यह है कि घट का जो कारण घटके उत्पादन में सम्प्रेक्षित होगा
वह घट के अनेक ही भिन्न होगा। इस प्रकार जब तक कि घट पद आदि कारणों में विविधकारणजन्य-
त्व सिद्ध होता है, अतः एकरूप नियति में उस की उत्पत्ति मानना अयुक्त है ॥७१॥

[नियतिगत वैचित्र्य नियति से संपन्न नहीं हो सकता]

पूर्वोक्त रीति से कारणों में वैचित्र्य को उत्पत्ति के लिये ही नियति का अस्तित्व माना गया है,
अतः नियति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये दूसरे पक्ष में दृष्टावृत्ति की शङ्का हो सकती है। ७० वीं
कारिका में इस शङ्का का निराकरण करते हुये कहा गया है कि—

नियति से अन्य यदि उस का कोई भेदक न माना जायगा तो नियति के सामान्य स्वरूप से
अथवा उस के परिणाम से उस में विचित्रता नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि विचित्रता की सिद्धि सत्तर्क
के अतिरोध से ही सिद्ध हो सकती है ॥७०॥

७१ वीं कारिका में इस बात को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि आकाश से जो जल घटता
है वह सब समान होता है, उस में जो वैविध्य आता है वह ऊपर और उपजाऊ आदि विभिन्न भूमियों
के सम्पर्क से ही होता है। जिस भूमि में जो जल गिरता है उस में उस भूमि के रूप, रस, गन्ध और
स्पर्शा का सम्बन्ध होने से भेदस्थ जल तथा अन्यत्र गिरने वाले जल से वैलक्षण्य आ जाता है इस
सम्पर्क के बिना जल में वैलक्षण्य नहीं होता यह तथ्य सर्वलोकमान्य है। अतः अन्य भेदक के बिना
नियति में भी वैचित्र्य नहीं हो सकता ॥७१॥

तद्विन्नमेदकत्वे च-तद्विन्नं भेदकं यस्यास्तस्या भावस्तत्त्वमिति समासः, नियति-
भिन्नमेदकशालित्वे नियतेरङ्गीक्रियमाण इत्यर्थः तत्र-मेदकत्वेनाऽभिमतैः, तस्याः=नियतेः
न कर्तृत्वा=न हेतुता । तथाच सर्वहेतुत्वमिद्वान्तव्याकोपः । तत्कर्तृत्वे च=नियतेर्मेदकत्वा-
भिमतहेतुत्वे च, विशिष्टं=मेदकत्वम्, तद्वत्=नियतिवत्, तस्याऽपि=मेदकत्वाभिमतस्यापि
असंगतम्, कारणस्वरूपत्वान् कार्यस्वेति भावः । एतेन 'तद्व्यक्तितिरूपितनियतित्वेन तद्व्य-
वितजनकत्वम्' इत्यप्यपास्तम्, तन्नियतजन्यत्वेन तद्व्यवितजनकत्व-सिद्धिः, तत्सिद्धौ च तद्व्यक्ति-
निरूपितत्वेन नियतजन्यतासिद्धिः' इत्यन्योन्याश्रयात् कार्यस्य कारणतानवच्छेदकत्वाच्च,
अन्यथा नियतित्वनिवेशवैयर्थ्यादिति दिग् ॥७२॥

(‘नियति से भिन्न भेदक’ पक्ष में सर्वहेतुता विलोपन)

७२ वीं वाकिका में नियति को अन्य-मेदकता का लक्षण किया गया है । कारिका का अर्थ ०
यदि नियति से भिन्न वस्तु को नियति का भेदक अर्थात् नियति में वैशिष्ट्य का सम्भवक सामा-
ज्याया तो उस भेदक को यदि नियतिजन्य न माना जायगा तो नियति में सर्वहेतुत्व का सिद्धांत
लुप्त होगा, और यदि उस भेदक को नियति से अन्य माना जायगा तो एककथ नियति से उत्पन्न
हाने के कारण उस भेदक में वैशिष्ट्य न होगा क्योंकि 'कारण के समानजातीय ही कार्य की उत्पत्ति'
का नियम है और जब भेदक स्वयं विशिष्ट न होगा तो उस से नियति में वैशिष्ट्य कैसे हो सकेगा ?

(विशिष्टरूप से कार्य-कारणभाव में असंगति)

'तद्व्यवित के प्रति तद्व्यक्ति-निरूपित-नियति कारण होती है।' इस कल्पना से भी नियतिजन्य
कार्यों में वैशिष्ट्य का उपपादन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार का कार्यकारणभाव ही नहीं
बन सकता । इस का कारण यह है कि तद्व्यवितनिरूपितनियतिजन्यत्व से ही तद्व्यवितत्व की
सिद्धि हो सकती है और तद्व्यवितत्व की सिद्धि होने पर ही तद्व्यवितनिरूपितजन्यत्व की सिद्धि हो
सकती है अतः जब कार्यकारणभाव अन्योन्याश्रयप्रसक्त है । दूसरी बात यह है कि तद्व्यवित के प्रति
नियति की तद्व्यवितनिरूपितनियतित्वरूप से कारण मानने पर तद्व्यवितरूपकार्य तद्व्यवित के कारण-
तावच्छेदक कीटि में प्रविष्ट हो जाता है, जो अनुचित है, क्योंकि कार्य की कारणतावच्छेदक नहीं
माना जा सकता । इसका कारण यह है कि कार्य यदि कारणतावच्छेदक होगा तो उत्पत्ति के पूर्व
कारणतावच्छेदकविशिष्ट कारण की सत्ता न हो सकने से कार्य की उत्पत्ति असम्भव हो जायगी,
और यदि कारणतावच्छेदक से उपलब्ध कारण से भी कार्य की उत्पत्ति मानी जायगी तो अभिधात
का कारणीभूत वेगबद्धत्व अथ निवर्ण हो जायगा तब भी वेगोपलब्ध ब्रह्मरूप कारण के रहने से
अभिधात की उत्पत्ति की अपत्ति होगी । अतः कार्योत्पत्ति के लिये उससे पूर्व कारणतावच्छेदक-
विशिष्ट कारण की सत्ता आवश्यक होने से कार्य की कारणतावच्छेदक मानने पर कार्योत्पत्ति से पूर्व
कार्यविशिष्टकारण की सत्ता सम्भव न होने के कारण कार्य की उत्पत्ति असम्भव हो जायगी ।

ननु नियतित्वभावभेदादेव कार्यभेदोऽस्तु, इत्याशङ्क्याह—

नृहम्-तस्या एव तथाभूतः स्वभावो यदि चेदप्यने ।

त्यक्तो नियतिवादः स्यात्स्वभावाश्रयणात्तु ॥७३॥

यदि च तस्या एव=नियतेरेव, तथाभूतः=कार्यवैविध्यप्रयोजकः, स्वभावभेद इत्यने, तदा-‘ननु’ इत्याक्षेपे-स्वभावाश्रयणात् नियतिवादस्यैवः स्यात् । अथ तत्त्वभावस्तत्परिपाक एवेति नान्यहेतुत्वाभ्युपगम इति चेत् ? न, परिपाकेऽप्यन्यहेत्वाश्रयणावश्यकत्वात् । ‘अन्यत्र

(कार्य कभी कारणतावच्छेदक नहीं हो सकता)

यदि इस शङ्का के परिहारस्वरूप यह कहा जाय कि-‘कारण के साथ कार्य का जो सम्बन्ध कार्यात्पत्ति के पूर्व सम्भव नहीं हो सकता-जैसे संयोग कालिक भावि, उस सम्बन्ध से ही कार्य को कारणतावच्छेदक मानने पर यह बोध हो सकता है, किन्तु कार्य का जो सम्बन्ध कार्यात्पत्ति के पूर्व भी कारण में सम्भव है उस सम्बन्ध से कार्य को कारणतावच्छेदक मानने पर यह बोध नहीं हो सकता, अतः उसे सम्बन्ध से कार्य को भी कारणतावच्छेदक माना जा सकता है । प्रकृत में तद् व्यक्ति के प्रति निरूपितस्व सम्बन्ध से तद् व्यक्तिविशिष्ट नियति’ को कारण मानना है और नियति के साथ तद् व्यक्ति को अपने हेतुभूत नियति का निरूपण करने के लिये स्वयं रहना आवश्यक नहीं है किन्तु उस का ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान तो अनुत्पन्न का भी अनुत्पन्न भावि से हो सकता है, अतः तद् व्यक्ति के प्रति तद् व्यक्तिनिरूपितनियति को कारण मानने में यह बाधा नहीं हो सकती-‘तो इस कारण से भी नियति की उक्त कारणता का समर्थन नहीं हो सकता; क्योंकि इस तर्ग से कार्य को कारणतावच्छेदक मानने पर कार्यवत्स्वरूप से कारण मानने में कोई आपत्ति न होने से कार्यातिरिक्तत्व यर्थात् कार्यवच्छेदक मानना अनावश्यक हो जायगा । फलतः प्रकृत में भी कार्यातिरिक्तत्वसम्बन्ध में कार्यवच्छेदक कारणता मानने पर कारणतावच्छेदक कोटि में नियतिस्व के निवेद्य की आवश्यकता न रह जाने से नियति की कारणता ही समाप्त हो जायगी क्योंकि कारणता कार्यवत्स्व में अवच्छिन्न है, नियतिस्व से अवच्छिन्न नहीं है इसलिये जो कार्यवत्स्ववाला होगा वह कारण होगा किन्तु नियतित्व-वाला नहीं ॥७३॥

७३ की कारिका में ‘कार्य को नियतिजन्य मानने पर भी नियति के स्वभावभेद से कार्य में भेद हो सकता है’ इस शङ्का का नियति के निराकरण में पर्याप्तान् बताया गया है । कारिका का अर्थ—

[‘नियति के स्वभाव वैविध्य में विविधकार्य’-यह भी असिद्ध है]

यदि नियति में स्वभावभेद की कल्पना कर उसके द्वारा नियति के कार्य में भेद-याने वैविध्य की उपपत्ति की जायगी तो स्वभाव का आश्रय करने से नियतिवाद का स्वाग हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि-‘नियति का परिपाक ही नियति का स्वभाव है अतः वह नियतिस्वरूप ही है, इसलिये उसे कार्यवैविध्य का प्रयोजक मानने पर भी कार्य में अन्त्यहेतुत्वात् ही प्रसक्ति न होने से नियतिवाद का परिहास न होगा’-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि नियति के परिपाक को नियतिभाव से अन्य मानने पर नियति का परिपाक भी नियति के समान वैविध्यहीन ही होगा, अतः उस से भी कार्य में वैविध्य न ही संभवा, और यदि उसे नियति से भिन्न हेतु से अन्य मान कर उस में वैविध्य माना

परिपाकविषयदर्शनेऽपि नियतिपरिपाकः स्वभावादेवेति चेत् ? घट्टकुटीप्रभातापत्तिः । 'उत्तरपरिपाके पूर्वपरिपाक एव हेतुः, आद्यपरिपाके चान्तिमापरिपाक एव इत्यादिरीत्या विशिष्य-हेतु-हेतुमद्भावाद् न दोष' इति चेत् ? तद्व्येकदैक्य घटनियतिपरिपाकेऽन्यत्रापि घटोत्पत्तिः, प्रति-संतानं नियतिभेदाभ्युपगमे च नियतिपरिपाकयोर्द्व्यपर्यायनामान्तरत्व एव विवादः ।

किञ्च, एवं शास्त्रोपदेशवैयर्थ्यप्रसक्तिः, तदुपदेशमन्तरेणाऽप्यर्थेषु नियतिकृतत्वमुद्दे-नियर्थेव भावात्, दृष्टा-ऽदृष्टफलज्ञास्वप्रतिपादितशुभाऽशुभक्रियाफलनियमाभावाच्च स्यात् । तद्वेतुक्त्यान्तर्भावितनियमस्य नियतिप्रयोज्यत्वे च सिद्धमित्यहेतुना, पारिभाषिककारणत्व-प्रतिक्षेपस्याऽव्यावक्यादिति दिग् ॥७३॥

अथवा तो नियति से अतिरिक्त कारण को किञ्चि ही मात्र से नियति प्राप्त के अस्तित्व की आवश्यक अपरिहार्य हो जायगी । यदि यह कहा जाय कि—अथ परिपाकों का वैविध्य अन्तर्गत हेतुत्वं हो, पर नियति का परिपाकवैविध्य अन्य हेतु से न होकर नियतिके स्वभाव से ही होता है अतः नियति-वाच्य का परिप्राप्त्य नहीं होगा—'तो यह कथन कर-राजवेद्य ग्रहण के विषये घाट पर घनी कुट्टा में ही प्रमात होने के समान होगा, क्योंकि नियति के स्वभावभेद को ही नियतिपरिपाक के वैविध्य का प्रयोजक मानने के कारण स्वभाववाच्य का प्रवेष्टा हो जाने से नियतिवाच्य के परिप्राप्त्योपपत्ति का सकट पूर्ववत् पुनः उपस्थित हो जायगा ।

यदि यह कहा जाय कि—नियति का उत्तरपरिपाक नियति के पूर्वपरिपाक से होता है और नियति का प्रथमपरिपाक नियति के अन्तिम अपरिपाक से होता है, इस प्रकार नियतिस्वरूप 'नियति के परिपाकविशेष' से ही नियति के नियतिस्वरूप अन्य परिपाकों को तत्त्वपरिपाक-व्यवहित पर आधारित विशेष कारणाकारणमात्रों से उपपत्ति हो जाने के कारण नियतिवाच्य के परिप्राप्त्य की आवश्यक नहीं होगी—'तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त कल्पना करने पर जिस समय कहीं एकत्र घटजनकनियति का परिपाक होगा उस समय अन्यत्र भी घटोत्पत्ति की आवश्यक होगी और यदि इस दोष के निवारणार्थ प्रतिस्नान में नियतिमेव की कल्पना की जायगी तो नियति और परिपाक में वृद्ध और पर्याय से कोई अन्तर न होगा, केवल नाम में ही विवाद रह जायगा जिस का कोई महत्त्व नहीं है ।

[नियति मात्र को कारण मानने पर शास्त्रवैयर्थ्य]

नियतिवाद में अब तब को दोष बताये गये उनके अतिरिक्त एक यह भी दोष है कि नियतिवाद मानने पर कार्यो में नियतिहेतुत्व का प्रतिपादक शास्त्र निरर्थक हो जायगा क्योंकि उक्तवाद में कार्यो में नियतिव्यवस्था का ज्ञान भी नियति से ही सम्पन्न हो जायगा । इसी प्रकार इस वाद में शास्त्र द्वारा प्रतिपादित यह नियम भी न बन सकेगा कि अमुक शुभ-अशुभकर्म से अमुक दृष्टि का अदृष्ट फल होता है, क्योंकि इस वाद में नियति से अतिरिक्त कोई कारण मान्य न होने से शुभाशुभ कर्मों को तो तत्त्वफल का कारण न माना जा सकेगा । अतः शास्त्रप्रतिपादित उक्त नियम की उपपत्ति इस वाद में सम्भव नहीं हो सकती, और यदि तत्तत् फल से तत्तत् शुभ-अशुभकर्म हेतुत्व का नियम की भी

स्वभावश्रयणोऽपि दोषमाह-

मूल-स्वाभावश्च स्वभावोऽपि स्वसत्तैव हि भावतः ।

तस्यापि भेदकाभावे वैचित्र्यं नोपपद्यते ॥ ७४ ॥

स्वभावोऽपि च स्वो भावः, कर्मधारयाऽऽश्रयणात्, एकपदव्यभिचारेऽपि तस्य बहुल-
मुपलम्भात्, अन्यभावपदार्थभ्रान्तिनिरासाय तद्विवरणमाह-हि=निश्चितम्, भवतः=अप्युक्त-
विषयतया स्वमतैव । तस्याऽपि=स्वभावस्य भेदकाभावे=वैजात्याभावे, वैचित्र्यं=कार्य-
वैचित्र्यप्रयोजकत्वम्, नोपपद्यते ॥ ७४ ॥

मूल-ततस्तस्याविशिष्टत्वाद् युगपद्विश्वसंभवः ।

न चास्मादि [च स्यादि] ति सङ्कुप्या तद्वादोऽपि न संगतः ॥ ७५ ॥

ततः=वैचित्र्याभावात्, तस्य=स्वभावस्य, अविशिष्टत्वात्=एकरूपत्वात्, विश्व-
जनकत्वे, युगपत्=एकद्वय, विश्वसंभवः=जगदुत्पादप्रसङ्गः । 'न 'च स्याद्'=युगपज्जग-

नियतिप्रयोज्य माना जायगा तब भी तत्तत् फल के प्रति तत्तत् गुणों अथवा कर्मण्य अनिश्चित कारण
सिद्ध हो जाने से नियतिवाद का छोप हो जायगा, क्योंकि उक्त नियम को नियतिप्रयोज्य मानने से
तत्तत् फल में तत्तत् गुणों अथवा कर्मों की कारणता का पारिभाषिक हो निषेध होता है, और पारि-
भाषिक निषेध से वास्तविक कारणता का लण्डन नहीं हो सकता ॥ ७३ ॥

(स्वभाववाद में वैचित्र्य की अनुपपत्ति)

७४ वीं और ७५ वीं इन दोनों कारिकाओं में स्वभाववाद में दोष बताते हुये कहा गया है कि
स्वभाव शब्द में 'स्वो भावः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्मधारय समास है, इसमें भावपद स्वपर के
अर्थ से अधिक अर्थ का बोधक होने से यद्यपि स्वपदका व्यभिचारी है, फिर भी स्वपर के साथ उस का
कर्मधारयसमास हो सकता है क्योंकि 'शीतं जलं शीतजलं' इत्यादि में जैसे दोनों पदों के समव्याप्त
होने पर भी कर्मधारय होता है उसी प्रकार 'नीलं कमलं नीलकमलम्, पीतम् अम्बरं पीताम्बरं'
इत्यादि में दोनों पदों के परस्पर व्यभिचारी होने पर भी एकत्र सामानाधिकरण्य के आधार पर
एवं 'घटश्च तद् वृक्षश्च घटवृक्षश्च' में वृक्षपद के घटपद का व्यभिचारी होने पर भी कर्मधारय के
मान्य होने से स्व और भाव पद का भी कर्मधारय होना निर्वाध है । इस कर्मधारय के अनुसार
स्वभाव शब्द का अर्थ होता है स्व से अभिन्न भाव और यह भाव प्रत्यक्षगम्य स्वसत्ता रूप ही है ।
इसप्रकार 'स्व' ही स्वभाव होता है और यह स्वभाव यदि भेदकहोन माना जायगा तो इस में वैचित्र्य
न होने से इस से उत्पन्न होने वाले कार्यों में भी वैचित्र्य न हो सकेगा ॥ ७४ ॥

(एककाल में समस्त विश्व की उत्पत्ति का अनिष्ट)

एकरूप स्वभाव से कार्य का जन्म मानने पर केवल यही दोष नहीं है कि कार्य में वैचित्र्य की
उत्पत्ति न हो सकेगी, अपितु कार्य को उत्पन्न करने में स्वभाव की किसी अन्य की अपेक्षा न होने से
स्वभाव से एक कार्य की उत्पत्ति के समय उस के साथ ही समूचे जगत् की उत्पत्ति की प्राप्ति होगी,

१] 'न चास्मादि' ति पाठस्थाने 'न च स्यादि' वि मूठपाठः टीकाकृतचम्पकः प्रतिपाति ।

दुत्पादः भवति, इति हेतोः। स्वयुक्त्या=अव्याधितकर्मण, तद्वाचोऽपि=स्वभाववाचोऽपि, न संगतः। ननु स्वभावस्य क्रमवत्कार्यजनकत्वमपि स्वभावादेवेति नानुपपत्तिरिति चेत् ? न, तस्यैव स्वभावस्य पूर्वोत्तरकार्यजनकत्वे पूर्वोत्तरकालयोरुत्तरपूर्वकार्यप्रसङ्गेन क्रमस्यैव व्याहृतेः, एकस्यैव स्वभावस्य ज्ञानाज्ञातिनियामकत्वे सर्वस्य पूर्वोत्तरातीतस्य एकज्जानीयत्वस्य वा प्रसङ्गात् ॥७५॥

परमिप्रायमाशङ्क्य परिहरति—

मूल—तत्सत्कालादिसापेक्षो विश्वहेतुः स चेन्ननु ।

मुक्तः स्वभाववाचः स्यात्कालादपरिग्रहान् ॥७६॥

“तत्सत्कालादिसापेक्षः=तत्सत्त्वणादिसद्वृत्तः, सः=स्वभावः, विश्वहेतुः, कालक्रमेण कार्यक्रमोपपत्तिरिति”चेत् ? ‘ननु’ इत्याक्षेपे स्वभाववादो मुक्तः स्यात्, कालादपरिग्रहान्=

किन्तु जगत् की एक साथ उत्पत्ति नहीं होती, अतः इस अव्याधित तर्क से स्वभाववाद भी असंगत सिद्ध हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि—“स्वभाव का केवल कार्यजनकत्व ही स्वभाव नहीं है अपितु क्रमवत्कार्यजनकत्व स्वभाव है अतः स्वभाव अपने इस स्वभाव के अनुसार क्रम से ही कार्य को उत्पन्न करेगा, एकसाथ सब कार्यों को उत्पन्न न कर सकेगा, इसलिये एकसाथ समूचे जगत् की उत्पत्ति की श्रृंखला नहीं हो सकती”तो यह कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव अपने जिस स्वभाव से क्रमयुक्तकार्य को उत्पन्न करेगा उसी स्वभाव से वह पूर्वोत्तर काल को भी उत्पन्न करेगा, फिर उसी से उत्तरकाल का पूर्व में और पूर्वकाल का उत्तर में उत्पादन हो जाने से क्रम का ही उत्पादन असम्भव हो जायगा, क्योंकि जिस काल पर क्रम आधारित होता है- उत्तरोत्ति से वह काल ही क्रमहीन हो जाता है।

इस बात में उक्त दोषों से अतिरिक्त एक दोष यह भी है कि जब स्वभाव ही कार्य की विभिन्न जातियों का प्रयोजक होगा तो निम्न भिन्न कार्य में भिन्न भिन्न जाति न रह कर सब कार्यों में सभी जातियों का समावेश हो जायगा, क्योंकि सभी जातियों का नियमन अकेले स्वभाव को ही करना है और स्वभाव सब कार्यों का समान कारण है अतः उस से नियम्य सभी जातियों का सब कार्यों में समावेश स्वाभाविक है। यदि यह कहा जाय कि—“सब कार्यों में सब जातियों का समावेश होने पर सब जातियाँ स्थगित होगी और सामन्यतया जातिभेद का बाधक है अतः जातिभेद न होने से कर्म में सर्वजातीयत्व का आभाव नहीं हो सकता”तो इस कथन से भी दोष से युक्त नहीं मिल सकती क्योंकि उक्तबाधक से जातिभेद न होने के कारण विभिन्न शब्दों से व्यपदेश होने पर भी सब कार्यों की एक ही जाति होगी, अतः सब कार्यों में एकजातीयत्व होने से कर्मवैविध्य का लोप हो जायगा ॥७५॥

(काल के अवलम्बन में स्वभाववाद का त्याग)

७६ की कारिका में स्वभाववादि के उस अभिप्राय का निरास किया गया है जो उक्त दोष के निवारणार्थ उस को और से प्रकट किया जा सकता है। वह अभिप्राय यह है कि—

कालहेतुत्वाश्रयणात् । ननु क्षणिकस्वभावे नाऽयं दोष इत्युक्तमेवेति चेत् १ उक्तम्, परं न युक्तम्, एकजातीयहेतुं विना कार्यैकजात्याऽसंभवात्, कुर्वद्रूपत्वस्य च जातिस्वभावेन घटे प्रति घटकूर्वद्रूपत्वेन हेतुत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्, सामग्रीत्वेन कार्यव्याप्यत्वस्य वाम्तविकत्वेन गौरवस्याऽदोषत्वात्, प्रत्यभिज्ञादिवाधेन क्षणिकत्वस्य निषेत्स्यमानत्वाच्च । किञ्च, एकत्र घटकूर्वद्रूपसत्त्वेऽन्यत्र घटानुरूपत्वेर्देशनियामकहेत्वाश्रयणे स्वभाववादत्यागः, दण्डादी घटादि-हेतुत्वं प्रमायैव प्रेक्षावत्प्रवृत्तेश्च, अन्यथा दण्डादिकं विनाऽपि घटादिसंभावनया निष्कम्पप्रवृत्त्यनुपपत्तेरिति दिग् । न च 'निहेतुका भावा' इत्यभ्युपगमेनाऽपि स्वभाववादप्राप्ताज्यम्, तत्र हेतूपन्यासे वदतो वधायातात्, तदुक्तम्—

“अ हेतुरस्तीति यदन् सहेतुकं, ननु प्रतिज्ञां स्वयमेव बाधने ।

अथापि हेतुप्रसंगादसौ भवन्, प्रतिज्ञया केवलपाऽस्य किं भवेत् ?” । १॥ इति ।

न च ज्ञापकहेतूपन्यासेऽपि कारकहेतुप्रतिश्रेयवादिनो न स्वपक्षवाधेति वाच्यम् : ज्ञानजनकत्वेनैव ज्ञापकत्वात्, अनियतावधिष्वे कादाचिन्कत्वव्याघातात् नियतावधिमद्धौ तत्त्वस्यैव हेतुत्वात्मकत्वाच्च, अन्यथा, ‘गर्दभाद् धूमः’ इत्यपि प्रधीवेतेति । अधिकमग्रे ॥७६॥

‘स्वभाव अकेला जगत् का कारण नहीं होता किन्तु तत्सत्क्षणपरमक काल के योग से तत्सत् कार्य का कारण होता है । अतः तत्सत् क्षण के क्रमिक होने से वह क्रम से ही कार्य को उत्पन्न करता है ।’ किन्तु यह अभिप्राय भी स्वभाववाद को जीवित रखने में अक्षम है क्योंकि ऐसा मानने पर स्वभाव से भिन्न काल में भी कार्य की कारणता सिद्ध हो जाने से—‘स्वभाव से ही सब कार्यों की उत्पत्ति होती है स्वभाव से भिन्न कोई वस्तु कार्य का जनक नहीं होती’—इस स्वभाववाद का खोप हो जायगा ।

“स्वभाव क्षणिक होता है, क्षणिक होने से स्वभाव का क्रमिकत्व अनिवार्य है, अतः क्रमिक स्वभाव से क्रमिक कार्यों की उत्पत्ति मानने पर स्वभाव से भिन्न कारण की सिद्धि न होने से स्वभाववाद का सह्य नहीं हो सकता—यह कथन भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक वचनमात्र है, इस में कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न स्वभाव को भिन्नभिन्न कार्य का जनक मानने पर एकजातीय कारण की सिद्धि न होने से कार्य में एकजातीयता न हो सकेगी । जब कि घट-घट आदि जैसे एक एक जाति के सहस्रों कार्य जगत् में बने जाते हैं ।

(कुर्वद्रूपत्व का सङ्गठन)

‘घटोत्पादक समस्त स्वभावों में घटकूर्वद्रूपत्वनाम की एक जाति मानकर तत्जातीय स्वभावों से होनेवाले घटों में एकजातीयता की उत्पत्ति हो सकती है—यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुर्वद्रूपत्व जाति में कोई प्रमाण नहीं है । वह जाति तब ही सक्षती है जब एक ही कारण से कार्य की उत्पत्ति मानी जाय और उसीको कार्य का व्याप्य माना जाय, पर एक ही कारण से कार्य का होना असिद्ध है, कार्य की उत्पत्ति कारणसमूहात्मक सामग्री से ही होती है, सामग्री ही कार्य की व्याप्य होती है । सामग्री-कारणसमूह को एककारणनिशिष्ट अपरकारण के रूप में व्याप्य मानने पर

अत एव कालवादोऽपि निस्तः, इत्याह—

मूलम्—कालोऽपि समधादिर्यत्केवलः सोऽपि कारणम् ।

तत एव असंभूतेः कस्यचित्प्रोपपत्तेः ॥ ७७ ॥

कालोऽपि समधादिः—कालमद्रव्यपर्यायरूपः, अतिरिक्तकालपर्यायो वा; यद्-यस्माद्भूतोः
ततः, तत एव=अपवादः, हि=निश्चितम्, कस्यचित्=कस्यापि, असंभूतेः=अनुत्पत्तेः,

तामसी प्रविष्ट कारणों के विशेष्यविशेषणभाव से ध्वनितमाना न होने से प्रोपपत्त्यवश्य है किन्तु प्रमाणानुमत होने से यह गौरव तो सह्य हो सकता है । पर प्रमाणसून्य होने से कुर्व्वरूपत्वकी स्वीकार करने का भार ब्रह्म है । दूसरी बात यह है कि कुर्व्वरूपत्वकी सिद्धि भाष्यकार्य के क्षणिकत्व की सिद्धि पर निर्भर है और क्षणिकत्व पूर्वोक्त घटादि में 'स एवायं घटः' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से बाधित है ।

(स्वभाववाद का खण्डन)

यह भी ज्ञातव्य है कि कुर्व्वरूपत्व की सत्ता मानकर भी स्वभाववाद की रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि एकत्र घट कुर्व्वरूपत्व से घट की उत्पत्ति होने पर अन्यत्र भी उसी घट की उत्पत्ति की प्राप्ति हो सकती है । इस प्राप्ति का परिहार यदि वैकान्त्यात्मक अतिरिक्त हेतु की कल्पना करके किया जायगा तो स्वभाव से भिन्न हेतुके सिद्ध हो जाने से स्वभाववाद का परित्याग हो जायगा । दूसरा दोष यह है कि यदि स्वभाव ही सब कार्यों का जनक होगा तो दण्ड आदि में घट आदि की कारणात्ता के प्रमात्मकज्ञान से दण्ड आदि के संग्रह में जो घटाश्रयी पुरुष की प्रवृत्ति होती है वह न हो सकेगी, क्योंकि दण्ड आदि से घट आदि के होने की सम्भावनामात्र से निष्कम्पप्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया जा सकता ।

['विना हेतु भावोत्पत्ति' पक्ष में घटतो व्याधात]

यदि यह कहा जाय कि—“समस्त भाव विना हेतु के ही उत्पन्न होते हैं; यही स्वभाव वाद का अर्थ है, अतः इस वाद में अतये गये दोषों की कोई अवसर ही नहीं हो सकता” तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'समस्त भाव विना हेतु के ही उत्पन्न होते हैं' इस मत की सिद्ध करने के लिये हेतु का प्रयोग आवश्यक होने के कारण यह मत कथनमात्र से ही व्याहत हो जाता है । जैसे—

यह ठीक ही कहा गया है कि—“भाव निहेतुक है” इस प्रतिज्ञा को हेतु के साथ प्रस्तुत करने पर प्रतिज्ञा की प्रस्तुत करने वाले वादी द्वारा ही प्रतिज्ञा का नङ्ग हो जाता है और हेतुहीन प्रतिज्ञा की प्रस्तुत करने पर केवल प्रतिज्ञा निरर्थक हो जाती है ।

यदि यह कहा जाय कि—“प्रतिज्ञा का साधक हेतु आपक होता है, अतः उस से कारक हेतु का खण्डन करने वाले वादी के पक्ष का व्याधात नहीं हो सकता” तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि आपक भी यही होता है जो ज्ञान का कारक होता है । अतः आपक हेतु मानने पर कारक हेतु भी स्वीकृत हो जाता है, क्योंकि ज्ञान की अनियतावधिक मानने पर उस के काराक्षित्व का लोप होगा और नियतावधिक मानने पर उस का कारक हेतु सिद्ध हो जायगा । क्योंकि नियतावधि ही कारक होता है इसीलिये 'गर्वसाधू यूयः' यह व्यवहार नहीं होता ॥७६॥

केवलः=अन्यानपेक्षः, सोऽपि=कालोऽपि, कारणं नोपपद्यते, विवक्षितसमये कार्यान्तरस्या-
ऽप्युत्पत्तिप्रसङ्गात् । न च तत्क्षणवृत्तिकार्यं तत्पूर्वक्षणहेतुत्वामिथानाद् न दोष इत्युक्तमेवेति
वाच्यं, अग्रेभाविनस्तत्क्षणवृत्तित्वस्यैव फलत आपाद्यत्वात्, 'तत्क्षणवृत्तिकार्यं तत्पूर्वक्षणत्वेन
हेतुत्वम्, तदुत्तरक्षणविशिष्टे कार्ये तत्क्षणत्वेन वा ?' इति विनिगमनाविरहाच्च ॥७७॥

दोषान्तरमाह-

मूलम्-यतश्च काले तुल्येऽपि सर्वत्रैव न तत्फलम् ।

अतो हेत्वन्तरापेक्षं विज्ञेयं तद् विचक्षणैः ॥ ७८ ॥

यतश्च काले=समयादीं, तुल्येऽपि=अविशिष्टेऽपि सति, तत्फलम्=तत्कालजन्यं घटादि
सर्वत्रैव न, तत्त्वादी तदनुपपत्तेः, अतस्तत्फलं, विचक्षणैः=यौक्तिकैः, हेत्वन्तरापेक्षो=
कालान्वितविकतदेशादिहेतुजन्यं, विज्ञेयम् । न च मृदोऽन्यत्र घटस्याऽनापत्तिरेव, काले हेतुमत्त्वे-
ऽपि देशो कार्यानापत्तेरिति वाच्यम्, मृदजन्यत्वेन मृदवृत्तित्वस्याऽऽपाद्यत्वात् । मृदजन्यत्वं

(कालवाद का निरसन युगपद् सर्वकार्योत्पत्ति का अनिष्ट)

७७ वीं कारिका में कालवाद का खण्डन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

काल का अर्थ है समय; उसे प्रमाण सिद्ध द्रव्य का पर्याय रूप माना जाय, या प्रतिरिक्त काल-
द्रव्य का उपाधिरूप माना जाय, अथवा प्रतिरिक्त पदार्थरूप माना जाय, किसी भी स्थिति में एक
मात्र उस को ही कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि कारणान्तर के अभाव में केवल काल से किसी
की भी उत्पत्ति नहीं होती, और यदि एक मात्र काल से भी कार्य की उत्पत्ति सम्भव होगी तो एक
कार्य की उत्पत्ति के समय अन्य सभी कार्यों की भी उत्पत्ति की अपेक्षा होगी । क्योंकि केवल काल
से कार्योत्पत्ति मानने पर किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिये कोई अन्य अपेक्षणीय न होने से एक
कार्य के उत्पादनार्थ उस काल के उपस्थित होने पर अन्य की अनुत्पत्ति में कोई युक्ति प्रतीत नहीं
होती । 'तत्क्षणवृत्तिकार्यं के प्रति तत्क्षण का पूर्वक्षण कारण है' कालवाद के उपपादन में जो यह
कार्यकारणभाव बताया गया है उस से भी अपेक्षा का परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि जब काल
मात्र ही कारण माना जायगा तब सभी कार्यों में तत्क्षणवृत्तिरूप की अपेक्षा होगी, अतः सभी कार्यों
के एकक्षणवृत्ति ही जाने से कार्यतावच्छेदककोटि में तत्क्षणवृत्तित्व का अन्तर्भाव निरर्थक होगा ।
इस के प्रतिरिक्त इस बात में कोई विनिगमना नहीं है कि तत्क्षण के पूर्वक्षण को तत्क्षणवृत्तिकार्य के
प्रति तत्क्षणपूर्वक्षणस्वरूप से कारण माना जाय या तत्क्षणोत्तरक्षणवृत्तिकार्य के प्रति तत्क्षणस्वरूप से
कारण माना जाय । क्योंकि लाघव औरव दोनों में समान है । व्यवहित तत्क्षणोत्तरक्षणवृत्तिकार्य की
उत्पत्त्यापत्ति का परिहार करने के लिये दूसरे कार्यकारणभाव में कार्यतावच्छेदककोटि में जैसे तत्क्ष-
णाव्यवहितोत्तरत्व का निषेध आवश्यक होगा, उसी प्रकार व्यवहित पूर्वक्षण से तत्क्षणवृत्तिकार्य की
उत्पत्त्यापत्ति के वारिधार्थ पूर्व कार्यकारणभाव में कारणतावच्छेदककोटि में तत्क्षणाव्यवहितपूर्वत्व
का निषेध भी आवश्यक होगा ॥७७॥

७८ वीं कारिका से कालवाद में एक और प्रतिरिक्त बोध बताया गया है तथा ७९ वीं कारिका
कालवादि की स्वतन्त्रकारणता की असंगति का उपसंहार किया गया है-

न जन्यतासम्बन्धेन मृद्वङ्गित्यम्, अतो न तर्कमूलव्याप्यसिद्धिः । न च तत्त्वभावत्वादेव तस्य क्वाचित्कत्वम्, फलतस्तत्त्वभावत्वस्यैवाऽऽपाद्यत्वादिति दिग् ॥७८॥

उपसंहारमाह—

मूलम्—अतः कालादयः सर्वे समुदायेन कारणम् ।

गर्भादेः कार्यजातस्य विज्ञेया न्यायवादिभिः ॥ ७९ ॥

अतः=उपसंहारः, कालादयः सर्वे समुदायेन=सर्वप्रत्ययस्य, अतः=अतः कार्यजातस्य, न्यायवादिभिः, कारणम्=फलोपपायकाः, विज्ञेयाः ॥७९॥

इदमेव स्फुटतरशब्देनाह—

मूल—न एकैकल एवेह क्वचित्किञ्चिदपीक्ष्यते ।

तस्मात्सर्वस्य कार्यस्य सामग्री जनिका मता ॥८०॥

इह=उगति, न च=नैव, एकैकल एव नियत्यादेः, क्वचित्=क्वापि किञ्चित्=किमपि घटादि, ईक्ष्यते=जायमानं प्रतीयते । तस्माद् हेतोः, सर्वस्य=घटादेः कार्यस्य, सामग्री=

(तन्तु आदि में घटोत्पत्ति का बोध)

प्रतिरिक्त बोध यह है कि यदि केवल काल ही घट आदि वस्तुओं का जनक माना जायगा तो घट की उत्पत्ति मूव मात्र ही में न हो कर तन्तु आदि में भी होगी क्योंकि इस मत में कार्य की देश-वृत्तिता का कोई नियामक नहीं है और यदि देशवृत्तिता के नियममार्थ तत्त्वकार्य में तत्ताद्देश की भी कारण माना जायगा तो कालवाद का परिणाम हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि—“काल तो काल में ही कार्य का उत्पादक है यतः उस से अविष्ट देश में कार्योत्पत्ति का प्रापादन नहीं हो सकता”—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि उक्त आपत्ति का तात्पर्य इस आपत्ति में है कि घट यदि कालमात्र से जन्य होगा तो मूव से अजन्य होने के कारण मूव में भी प्रवृत्ति हो जायगा, क्योंकि यह व्याप्ति है कि जो जिस से जन्य नहीं होता वह उस में प्रवृत्ति होता है, घट में मूव प्रवृत्ति का प्रापादक मूव-अजन्यत्व है उस का अर्थ है जन्यता सम्बन्ध से मूव से भिन्नत्व, अतः मूवजन्यत्वकी अप्रसिद्धि से मूव-जन्यत्व की भी अप्रसिद्धि होने के कारण उक्त व्याप्ति तथा प्रापादक का अभाव होने से उक्त आपत्ति असंगत होगी । 'घट आदि मूववृत्ति स्वभाव होने से मूववृत्ति होते हैं अन्यवृत्ति नहीं होते'—यह कथन भी पर्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि फलतः घट आदि में मूववृत्तिस्वभावत्व के समान अन्यवृत्तिस्वभावत्व ही प्रापाद्य है ॥७८॥

उक्त दोषों का परिहार सम्भव न होने से न्यायवादियों को यही मानना उचित है कि काल आदि अर्थनिरपेक्ष हो कर कार्य के उत्पादक नहीं होते अपितु अन्यहेतुओं के साथ सामग्रीघटक होकर कार्योत्पादक होते हैं ॥७९॥

८० वां कारिका में पूर्वकारिका की बात को ही अधिक स्फुट शब्दों में कहा गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

कथञ्चित्त्व्यतिरिक्ताऽव्यतिरिक्तहेतुसंहतिः, जानिका=कार्योपधायिका, मना=इष्टा । पूर्व कारणसमुदाये कार्योपधायकत्वनियमः साधितः, इदानीं तु कार्ये कारणसमुदायोपाधेयत्वनियम इति तु तथम् ।

ननु कालाद्यैकान्तप्रतिक्षेपेऽव्यवष्टेकान्ताऽप्रतिक्षेपाद् न साध्यसिद्धिरिति चेत् ? न, अवष्टेकान्तवादेऽतिमोक्षापत्तेः, मोक्षस्य कर्मजन्यत्वात् ।—“आत्मस्वरूपावस्थानरूपो मोक्षः कर्मक्षयेणानिव्यज्यत एव, न तु जन्यत एवे”—ति चेत् ? सत्यम्, कर्मक्षयस्यैव कर्म विना

(‘कार्ये मात्र कालाधिकारण सामग्री जन्य है’-सामग्रीवाद)

नियति आदि एक एक जन्म से अलग से किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती किन्तु कारणसामग्री से ही देखी जाती है और कारणसामग्री तत्सत् कारण से कथञ्चिद् भिन्नाऽभिन्ना होती है, अतः एकैक कारण भी सामग्रीविधया कार्य का कारण होता है और अन्वयनिरपेक्ष एक एक व्यक्ति के रूप में अकारण भी होता है । पूर्वकारिका में कारणसमुदायात्मक सामग्री में कार्य की उपधायकता=‘अपने अव्यवहित उद्धार क्षण में कार्यवशा’ बताया गया है और इत कारिका में कार्य में सामग्री की उपधेयता=‘सामग्री के अव्यवहित उद्धार क्षण में उत्पद्यमानता’ बताया गया है, यही दोनों कारिकाओं के प्रतिपादन में अन्तर है ।

[एकान्त कर्मवाद का निरसन]

‘एकमात्र काल आदि की ही एकान्ततः कारणाता का खण्डन होने पर भी ग्रहणमात्र की एकान्तकारणाता का खण्डन न होने से सामग्री की कार्योपधायकता नहीं सिद्ध हो सकती,—यह शङ्का करना उचित नहीं हो सकता क्योंकि केवल ग्रहण की कारण मानने पर मोक्ष का अभाव हो जायगा, क्योंकि मोक्ष कर्मजन्य नहीं होता और कर्मवाद में कर्म से सिद्ध किसी को कारण नहीं माना जाता, अतः कारण का सर्वथा अभाव ही जाने से मोक्ष का होना असम्भव हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि—‘आत्मा का अपने विशुद्धरूप में अवस्थान ही मोक्ष है, कर्मक्षय से उस की अविव्यक्ति मात्र होती है, उत्पत्ति नहीं होती, अतः कारणाभाव में भी उस का अस्तित्व अनुपपन्न रह सकता है,—तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि कारण का अभाव होने पर मोक्ष का अविव्यक्तक कर्मक्षय ही नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मक्षय भी कर्म से होता नहीं और कर्म से सिद्ध कोई कारण इस मत में मान्य नहीं है ।

(ज्ञानयोग ही कर्मक्षय का हेतु है)

इस सन्दर्भ में यदि यह कहा जाय कि—‘कर्मक्षय में भी स्वप्रयोज्य ज्ञानयोग सम्बन्ध से पूर्वकर्म ही हेतु है, अन्य कोई हेतु नहीं है अतः कर्मक्षय के कारण द्वारा कर्मवाद का त्याग नहीं हो सकता । आशय यह है कि-कर्मों का क्षय ज्ञानयोग से होता है और ज्ञानयोग पूर्वकर्म से होता है क्योंकि मनुष्य के शुभकर्म ही उसे ज्ञानयोग के सम्पादन में प्रवृत्त करते हैं, इस प्रकार पूर्वकर्म ही ज्ञानयोग के द्वारा कर्मक्षय का हेतु होता है,—तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि जब ज्ञानयोग द्वये विना कर्मक्षय नहीं होता तो उसे सम्बन्ध बना कर पूर्वकर्म को कारण मानने की अपेक्षा सीधे ज्ञानयोग की ही कर्मक्षय का कारण मानना उचित है । अतः कर्मक्षय में अव्यक्तैकत्वसिद्ध होने से कार्यमात्र में कर्ममात्र के हेतुत्व रूप कर्मवाद का शङ्का प्रसूत है, और यदि ज्ञानयोग का सम्बन्धरूप में ही उपयोग असीद्ध

ऽनुत्पत्तैः । 'स्वप्रयोज्यज्ञानयोगसंबन्धेन पूर्वकर्मैव तत्र हेतुरिति चेत् ? न, साक्षादेव तस्य हेतु-
त्वीकित्यात्, अन्यथा कर्मत्वस्यैव तेन संबन्धेन हेतुत्वप्रसङ्गात् । किञ्च, दृष्टकारणान्यनति-
पण्याऽदृष्टस्य कार्यजनकत्वात् तेषामपि तथात्वमनियारितम्, तद्विपाकेन तदुपक्षये तैस्तद्विपा-
कोपक्षयस्यापि वक्तुं शक्यत्वात्, चलवत्त्वस्याऽप्युभयत्र # "अन्तर्-प्रज्ञाणां" इत्यादिना
महता प्रबन्धेनाऽन्यत्राऽविशेषणैव साधितत्वादिति दिम् ॥८०॥

'अत्र काक्षादयश्चकारोऽपि स्वातन्त्र्येण हेतवः' इत्येके, 'काक्षादृष्टे एव तथा, नियति-
स्वभावयोस्तददृष्टधर्मत्वेन न तथात्वम्' इत्यन्ये, इति मतभेदमाह-

मूलम्-स्वातन्त्र्ये नियतिरूपेण कर्मयोगेणैव प्रवृत्तम् ।

धर्माद्यन्ये तु सर्वस्य सामान्येनैव वस्तुनः ॥८१॥

अन्ये=आचार्याः, स्वभावो नियतिश्च, एवकारस्य 'कर्मणः' इत्युत्तरं संबन्धात् कर्मण
एव धर्मो-इति' इत्यध्याहित्ये-इति प्रवृत्तते अभ्युपगमप्रकारेण व्याख्यान्तानि योजना ।

हो तब भी कर्मक्षय को कारणता कर्म में नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि ज्ञानयोग जैसे कर्मप्रयोज्य है,
जसी प्रकार कर्मत्वप्रयोज्य भी है क्योंकि कारण और कारणतावच्छेदक दोनों ही कार्य के प्रयोजक कहे
जाते हैं, अतः नाना कर्म को स्वप्रयोज्य ज्ञानयोग सम्बन्ध से कारण मानने की अपेक्षा एक कर्मत्व को
स्वप्रयोज्यज्ञानयोग-सम्बन्ध से कारण मानने में लाघव है । इस प्रकार पुनः कर्मक्षय में कर्म से विषय
कर्मस्वरूप हेतु की जग्यता सिद्ध होने से कालबाध का भङ्ग पुनः होगा ।

[अदृष्ट को भी दृष्टकारणों की अपेक्षा]

यह भी ज्ञातव्य है कि अदृष्ट जब दृष्टकारणों की अपेक्षा न कर के ही कार्य का जनक होता है,
तो दृष्ट के समान दृष्ट कारणों में भी कार्य को जनकता का कारण नहीं हो सकता, अतः कार्यमात्र
में कर्महेतुत्व के सिद्धांत का धराशायी होना अनिवार्य है । यदि यह कहा जाय कि "दृष्टकारणों
के सम्बन्ध से कर्म का विपाक होता है अर्थात् कर्म फलोपधायक होने की अवस्था से युक्त होता है
तथा उस के अनन्तर क्षण में कार्य का जन्म होता है । अतः कर्मविपाक से दृष्टकारणों का उपक्षय
अर्थात् उस की अवस्थासिद्धि हो जाने से वे कारण नहीं हो सकते" तो यह ठीक नहीं है क्योंकि दृष्ट-
कारणों से कर्मविपाक को ही उरक्षीण-अवस्थासिद्ध कहकर उस के कारणत्व की भी मसिद्धि बतायी
जा सकती है । -'कर्मविपाक प्रागतर वस्तु होने से मात्र दृष्टकारणों से चलवाना होता है अतः वही

ॐ अन्तर्-प्रज्ञाणां विलिखितवर्तमानं हि जगद्गुरुः । जगद्गुरुं अन्तर्-प्रज्ञाणां विलिखितं वा हि ऐश्वर्यम् ॥४५॥

गिराफति व फलद्वयं अगिरयजोगो फलेण वा सद्धिः । पदमे समसामग्री विद्वद वावारेवेसम् ॥४६॥

तद्वै वीण्ड वि समया वद्वयपक्षो पुणो असिद्धति । तेण समावेकवर्ण वीण्डवि समयति वद्वयिद्धि ॥४७॥

इत्यादि, गीताविषय 'अभ्याससतपरीक्षा' नाम्नि ग्रन्थे साधितं दृष्टव्यम् ।

उद्भूतरूपादिवस्तुस्वभावहेतोः स्वभावस्य बहूनेरूर्ध्वज्वलनादिनियमरूपाथे नियतेषाऽदृष्ट एव स्वीकारादित्याशयः। अन्ये त्याचार्याः, सामान्येनैव=दृष्टा-दृष्टमाधारेणैव, सर्वस्य वस्तुनः स्वभावो नियतिश्च धर्मो इति 'प्रचक्षते' इति प्राकानेन योचनाः अतः सामान्यरूपस्य मध्यत्वात्मिका जातिः कार्यैकजात्याय, नियतिश्चातिशयितपरिणतिरूपा कार्यातिशयाय सर्वत्रोपयुज्यत इति । अधिकमन्यत्र ॥८१॥

॥ इति श्रीपञ्चनपद्मविजयसौख्यपण्डितयशोविक्रयधिरचिन्तायां स्वाहाइकल्पकतामिधानायां शास्त्रान्तमिमुक्षयणीकायां द्वितीयः स्तवकः संपूर्णः ॥

अदृष्टकारणों का उपपन्न करेगा—यह कहना भी युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि 'अवमन्तर-अवभाषणं', इत्यादि वाक्या से आन्तर और बाह्य कारणों को समानबल बताया गया है ॥८०॥

[नियति और स्वभाव की हेतुता में मतान्तर]

८१ वीं कारिका में यह मतमेव बताया गया है कि कुछ विद्वानों ने काल, स्वभाव, नियति और कर्म इन चारों को स्वतन्त्ररूप से कार्यमात्र का कारण माना है और अन्य विद्वानों ने काल तथा अदृष्ट इन दोनों को ही स्वतन्त्ररूप से कार्यमात्र का कारण माना है और स्वभाव एवं नियति को अदृष्ट का धर्म मान कर उन्हें कारण नहीं माना है ।

कारिका के पूर्वार्ध में 'एव' शब्द की 'कर्मणा' के उत्तर में पढ़ने पर कारिका का अर्थ यह होता है कि अन्य आचार्यों के कथनानुसार स्वभाव और नियति कर्म-अदृष्ट के ही धर्म हैं, क्योंकि कोई वस्तु उद्भूतरूप ही होती है और कोई वस्तु अतुद्भूतरूप ही होती है, यह नियम उन वस्तुओं के जनक अदृष्ट के स्वभाव से ही उपपन्न हो सकता है । एवं अग्नि के ऊर्ध्वज्वलन का नियम भी अग्नि के जनक नियति से ही होता है, और वह नियति अदृष्टगत होती ही है । इस के विपरीत दूसरे आचार्यों का मत है कि स्वभाव और नियति सामान्यरूप से सम्पूर्ण वस्तु के धर्म हैं । सामान्यरूप का अर्थ है दृष्ट और अदृष्ट सभी पदार्थ अपने स्वभाव और नियतिरूप धर्मों द्वारा सभी कार्यों के कारण होते हैं ।

इस मत के अनुसार 'सामान्यत्व' जाति ही स्वभाव है जिस से कार्यों में ऐकजात्य की उपपत्ति होती है और नियति कार्यगत ऐसी परिणति है जिससे कार्यों में अतिशय अर्थात् स्वेतरध्वंसक्षम की उपपत्ति होती है । आशय यह है कि प्रत्येक दृष्ट पदार्थ तथा अदृष्ट पदार्थ अपने तथात्मवत्त्वनामक जातिरूप स्वभाव से अपने कार्यों में ऐकजातीयता का और अपनी अतिशयितपरिणति रूप नियति से अपने कार्यों में अतिशयात्मक वैशिष्ट्य का सम्पादन होता है ॥८१॥

द्वितीय स्तवक समाप्त

परिशिष्ट १-द्वितीयस्तवके मूलगाथानामकारादिकम्:

श्लो०/पृ०	आयांशः	श्लो०/पृ०	आयांशः	श्लो०/पृ०	आयांशः
३०/२६	अगम्यगमनादीनां	३/३	अग्रसूयोरशगादेः	१२/१४	प्रतिपक्षस्यभावेन
७९/९५	अतः कात्यायनः	६८/८४	चित्रं भोग्यं तथा	२८/१७	प्रतिपक्षागमनां च
६०/७४	अतस्त्वभावान्	६०/३६	तत्तत्तत्तु लोको	१३/१५	प्रतीत्या बाध्यते यो
२३/२२	अनीभिः प्रियेषु मायेषु	४७/४४	ततो व्याधिरनिचुस्यर्थ	२७/२६	अग्रहस्या निवेशानु०
१६/१६	अत्रापि प्रयत्ने	७६/६१	तत्तत्कालादिसापेक्षो	६६/८२	भोग्यं च विश्वं सप्तमानां
५१/६६	अनादिर्मयुक्तत्वात्	७४/३०	ततस्तस्याऽविशिष्टत्वात्	३२/३१	माध्यस्थ्यमेव तद्धेतु
६४/८१	अग्यथाऽनिवृत्तावेन	४३/४१	तद्व्यहेतुसाध्यत्वे	४४/४१	मुक्तिः कर्मक्षयादिष्टा
६/५	अग्यथा वस्तुतत्त्वस्य	७२/८६	तद्विषयमेवकत्वे च	३९/३९	मुक्तिः कर्मक्षयादेव
१८/१६	अग्यस्यादेव	४२/४१	तद्विषयस्यसाध्यत्वे	२४/२२	यच्चोक्तं दुःस्वभाहुतव
५०/२१	अन्ये पुनरिदं भाषा	६०/२०	तथाहुर्नाशुमान	७८/६४	यतश्च कालो तुल्ये
४९/६४	अन्येषामपि	८/११	तस्मान्नर्थोदितान्	४/३	यदि नाम क्वचिद् दृष्टः
७/६	अपरीक्षाऽपि नो युक्ता	७३/८८	तस्या एव तथाभूतः	६२/८८	यद्यदेव यतो यावत्
३४/३२	अवधुक्त्यैव सधेन	२६/२७	दृष्टेष्टाभ्यां विरोधान्	६४/३५	यावदेवंविधं नैतत्
२६/२४	अऽनुभावप्यनुष्ठानान्	४६/६८	न कात्यायनतिरेकेण	१४/१५	यद्धेः शीतत्वमस्त्येव
२/२	आगमाक्यान्तव्ये तु	६७/८३	न च तत्कर्मवैधुर्ये	१६/१७	व्यवस्थाऽभावतो
४/४	आगमैक्यतत्त्वकच	७०/८६	न च तन्मात्रमात्रादेः	५४/२३	सर्वत्र दर्शनं वरय
६३/६१	एतद्व्युक्तिमात्रं	६३/७६	न चर्त्ते नियति	५८/७३	सर्वे भाषाः स्वभावेन
४८/४५	एवं सत्पात्रभावेऽपि	८०/९५	न चैकैक एवेह	३८/३८	संसारमोक्षकस्यापि
४५/४२	एवं देवविहिताऽपि	२१/२१	न चैतद् दृश्यते	११/१३	सुदूरमपि गत्येह
१७/१७	एवं सुबुद्धिगूयत्वं	७१/८६	न चैकैकैकरूपस्य	३१/३०	स्वधर्मैकपर्यदेव
४४/६३	कालः पचति	६५/८२	न चोक्तं नियतिरेकेण	१०/१२	स्वभाव एव जीवस्य
४५/६७	कालादीनां च कर्तृत्वं	४९/७४	न विनेह स्वभावेन	८१/६७	स्वभावो निवृत्तिरचैव
४६/७०	कालाभावे च गर्भादि	४७/७२	न स्वभावातिरेकेण	७४/९०	स्वः साधश्च स्वभावो
७/६३	कालोऽपि समयादि	४६/४३	न हिंसादिह भूतानि	१५/१६	हिंसास्यापि स्वभावो
४५/६६	किञ्च कालादौ	३६/३५	नाऽप्रवृत्तिरियं हेतुः	१/१	हिंसादिभ्योऽशुभं
३/१२	हिंसादिष्वनुष्ठानान्	६१/७८	नियतेनैव रूपेण	४१/४०	हिंसाद्यत्कर्मसाध्यत्वे
४०/६४	किञ्च हिंसाद्यनुष्ठानं	६९/८५	नियतेनियतात्मत्वान्	४०/४०	हिंसाद्यत्कर्मसाध्यो वा

परिशिष्ट २—टीकायामुद्धृतवाक्यांशः

पृष्ठांकः	अकारवाक्यांशः	
१८	अन्वे तमसि मज्जामः	[]
६७	अकर्मतर-वृत्तायां	[अभ्यात्ममतपरीक्षा-५४ श्लो०]
६९	अशुद्धमिति चेत्	[]
२२	आगसञ्चोपपत्तिश्च	[]
७७	कः कंटकानां	[]
६७	एतन्मोक्षोपायं योगिनाम्	[सम्प्रतिपक्ष १५०]
६०	बोवना अशुणोऽर्थो धर्मः	[जैमिनीसूत्र १-१-२]
४७	जपस्तु सर्वधर्मभ्यः	[महामारत-
४७	जपेनैव तु संसिद्धयेत्	[मनुस्मृति-
४७	ज्ञानवाणीपरीक्षिते	[]
१८	ते ह्येति परावेक्या	[माभारतस्य-३०]
२३	तत्थ य हेडवाभो०	[सम्प्रतिपक्ष १४०]
३७	न आतु कामः कामानां	[मनुस्मृति-
१२	न हेतुरस्तीति वदन्	[]
४५	नोत्सृष्टमन्यार्थं	[अन्ययोभयवच्छेदवृत्ताभिरुक्ति-११]
७१	प्राप्तव्यो नियतिः०	[]
२३	अधिको सम्प्रहंसण०	[सम्प्रतिपक्ष-१४१]
३२	मानसी वासनाः पूर्व	[]
८४	यथा यथा पूर्वकृतस्य	[]
६४	ये चक्षुः क्लृप्तकर्माः	[योगशास्त्र २-३७]
६४	वरं वराकआर्वाका	[" २-३८]
६४	हिंसादिखंसक्त०	[अयोगव्यवच्छेदवृत्ताभिरुक्ति-१०]

❀ शुद्धिकरण ❀

पृष्ठांक	पं.	अशुद्धिः	शुद्धिः	पृ.	पं.	अशुद्धिः	शुद्धिः
५	१५	से होनेसे	होने से	७५	१४	प्रयुक्त	प्रयुक्त
५	१६	सुवृद्धता	से सुवृद्धता	८२	३	भागप्रयोजनं	भागप्रयोजनं
८	२	घटादिक	घटादि	८६	६	यस्य	नियन्
१२	४	प्रकृतिस्य	प्रकृतिकस्य	८७	२७	निर्गम	निर्व्यग
१२	१५	प्रतिमाद्य	प्रतिपाद्य	८८	१	कविभ्य	कविभ्य
४५	३०	वहिता	विहिता	८८	१३	से	की
४५	५	वाचपत्नी	वोचपत्नी	११	२५	स्वमित्त	सममित्त
६६	१२	वह वस	वह अधिकृत जीव वस	१२	८	व्यापार	व्यापारानु

ॐ नमो ॐ

❀ शास्त्रवात्तसिमुच्चय ❀

तृतीयः स्तवकः

—ॐ नमो ॐ—

(मङ्गल)

(टी०)—सर्वः शास्त्रपरिश्रमः समवतामाकालमेकोऽपि यत्—
साक्षात्कारकृते धृते इति तमो लीयेत यस्मिन्मनाक् ॥
यस्यैश्वर्यमपङ्क्तिं च जगदुत्पाद-स्थिति-ध्वंसनैः ।
तं देवं निरुपग्रहग्रहमहाऽऽनन्दाय वन्दामहे ॥ १ ॥

[निष्कलंक ईश्वर को प्रणाम]

जिस देव का प्रत्यक्ष दर्शन करने के उद्देश से शमसंपन्न साधुपुरुषों का शास्त्रसंमत संपूर्ण परिश्रम एकमात्र भगवन्मुख होकर आजीवन चलता रहता है, अर्थात् जिस के दर्शन के लिए शमसंपन्न साधुओं एकमात्र ईश्वरपरायण होकर शास्त्र की रीत से जीवन-पर्यन्त या अनेक जीवन-पर्यन्त कठोर परिश्रम करते रहते हैं और हृदय में जिसका किञ्चिन्मात्र स्फुरण हो जाने पर हृदय का संपूर्ण प्रज्ञान-अंधकार विलीन हो जाता है और जिसका ऐश्वर्य जगत् के उत्पादन-पालन और संहार के व्यापार से कतुषित नहीं होता—

—उस देव का हम निष्प्रतिश्रय (निरावरण) ज्ञान युक्त महान् ध्यान के लिए अमिखावन करते हैं ।

इस संगल श्लोक से जैन दर्शन की कई महत्वपूर्ण झुट्टीयाँ स्पष्ट होती हैं, जैसे—बीतराग भगवान का साक्षात्कार करने के लिए साधक को सर्व प्रथम शमसंपन्न होना चाहिये । शम का अर्थ है क्रोध-लोभादिकषायों का उपशम जिसमें समाविष्ट है संसार के विषयों में आसक्ति का परित्याग । मनुष्य जब तक सांसारिक भोगों से उबालीन न होगा—या सांसारिक विषयों में जब तक उस के मन का आकर्षण शिथिल न होगा तब तक विषय जनित कषाय भंड न होने से ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए वह योग्य नहीं हो सकता ।

दूसरी बात यह है कि शमसंपन्न होने पर भी उसे भगवन्मुख होना आवश्यक है क्योंकि शम होने पर भी यदि मनुष्य भगवन्मुख न होगा तो उस का शम स्थायी न हो सकेगा । संसार का आकर्षण एक दिन उसको अवश्य विचलित कर देगा, क्योंकि मनुष्य का मन सदा कोई न कोई भ्रान्तवन चाहता है । अतः उसे भगवान का आलंबन न दिया जायगा तो बिचर होकर वह किसी

सामग्र्यामीश्वरोऽपि निविशत इति शार्त्तान्तरमाह—

युसम्-ईश्वरः प्रेरकत्वेन कर्ता कैश्चिद्विहेष्यते ।

अचिन्त्यश्चिच्छ्रुतियुक्तोऽनाविसिद्धश्च सूरिभिः ॥१॥

इह=सामग्र्याम्, कैश्चित् सूरिभिः=पातञ्जलाचार्यैः, प्रेरकत्वेन=परप्रवृत्तिजनकत्वेन

सांसारिक साधन को ग्रहण कर लेना और फिर ईश्वर के दर्शन की आशा उसके लिए एक दिया-स्वप्नमात्र रह जायगी । दूसरी बात यह है कि ईश्वर के दर्शनार्थ साधना करने वाले व्यक्ति का जीवन शास्त्र पर आधारित होना चाहिए और उसके समस्त व्यापार शास्त्र के विधि-निषेधों से नियन्त्रित होना चाहिए । यदि साधक के पास शास्त्र का आलोक न रहेगा तो कभी भी वह मोह के अंधकार में गिर सकता है ।

तीसरी बात यह है कि साधक को अपने साधनामार्ग पर चलने के लिए बड़ा धैर्यवान् होना चाहिए । लक्ष्य की प्राप्ति में विलम्ब होने पर भी उसे किञ्चित् विचलित न होना चाहिए । हो सकता है कि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जीवन भर अथवा कई जन्मों तक अपनी आध्यात्मिक यात्रा चालू रखनी पड़े ।

चौथी बात और महत्व की है जो यह है कि दोतराग संबंध भगवान् का किञ्चित्मात्र स्मरण होने से ही साधक का हृदयधिकार दूर हो जाता है क्योंकि उस से साधक की आशा बलवत्तर होती है । और विश्वास होता है कि अपने मार्ग पर चलने पर भगवान् का आंशिक वर्तन शीघ्र ही हो सकता है और उस वर्तन से ही उसके हृदय का अज्ञान तमः दूर हो सकता है जो कि उस की अग्रिम यात्रा में उसे भयप्रद हो सकता है और निराशा के आवर्त में उद्भ्रान्त भी कर सकता है ।

पाँचवीं बात-जैन शास्त्र के महान् सिद्धांत का अवशोषण करती है । वह यह कि जैन शास्त्र में व्याघ वर्तन के समान ईश्वर को जगत का कर्ता-भर्ता और हर्ता नहीं माना जाता । क्योंकि जगत उत्पादन पालन और विनाश का कर्तृत्व यदि ईश्वर में माना जायेगा तो उसमें राग द्वेषादि का सम्बन्ध अवश्य मानना होगा क्योंकि जिस में राग द्वेषादि का संबंध नहीं होता वह जीव जिसका प्रारंभ समारंभादि कुछ भी व्यापार नहीं कर पाता और यदि राग द्वेष आवि होगा तो उसका ऐश्वर्य निश्चितरूप से कलंकित हो जायगा क्योंकि उस स्थिति में उस में सांसारिक की अपेक्षा कोई वैशिष्ट्य न होगा ।

छठी बात जो कही गई है उस से ईश्वर के अभिवादन का मुख्य लाभ सूचित होता है । और वह है निराकरण अर्थात् ज्ञान युक्त विमुक्त अक्षय आनंद की निर्विधि प्राप्ति । इस कथन से यह संकेत किया गया प्रतीत होता है कि ईश्वर-अभिवादन से मनुष्य को यद्यपि उसके लौकिक अभीष्ट प्राप्त होते हैं किन्तु मनुष्य को उसे भगवान् के अभिवादन का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए । अन्यथा उस के मुख्य लक्ष्य अर्थात् ज्ञान व महान् आनंद की प्राप्ति से मनुष्य वंचित रह जायगा । अतः लौकिक अभीष्ट को उसे आनुषंगिक रूप में ही ग्रहण करना चाहिए ।

आद्य मूल कारिका में अन्य शास्त्रों के इस मत का उल्लेख किया गया है कि जगत् की उत्पत्ति जिस कारणसामग्री से होती है उस में ईश्वर का भी समावेश है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

ईश्वरः कर्तेष्यते । कीदृशः ? इत्याह—अचिन्त्या=इन्द्रियादिप्रणालिका बिनाऽपि यथावत्सर्ववि-
षयान्विच्छा या चिच्छक्तिश्चेतना, तथा युक्तः-तदाभयः, तथा अनादिसिद्धश्च कदापि बन्धा-
भावान् । त्रिविधो हि तैर्वन्ध उच्यते, प्राकृतिक-वैकारिक-दाक्षिणमेदात् । तत्र प्रकृतावात्मता-
ज्ञानाद् ये प्रकृतिमुपास्ते तेषां प्राकृतिको बन्धः, यान् प्रतीदमुच्यते—

“पूर्णं क्षतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ।” इति । ये तु विकारानेव भूतेन्द्रियाऽह-
कारबुद्धीः पुरुषमुद्रयोपास्ते, तेषां वैकारिको बन्धः, यान् प्रतीदमुच्यते—

“दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः ।

भौतिकास्तु क्षतं पूर्णं, सहस्रं त्वाभिमानिकाः ॥ १ ॥

बौद्धाः क्षतसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ।” इति ।

इष्टापूर्वे दाक्षिणो बन्धः, पुरुषतत्त्वानभिज्ञो हीष्टापूर्तकारी कामोपहतमना बध्यत इति ।
इयं च त्रिविधापि बन्धकोटिरीश्वरस्य मुक्तिं प्राप्यापि भवे पुनरेष्यतां प्रकृतिस्तीनन्वज्ञानानां

[पातञ्जल के मतानुसार ईश्वर का स्वरूप]

पातञ्जल दर्शन में निष्ठा रखने वाले विद्वानों ने यह माना है कि जगत् उत्पादकसामग्री में
ईश्वर भी प्रविष्ट है क्योंकि जगत के अन्य अचेतन कारणों का प्रेरक होने से वही जगत् का कर्ता है ।
उस की चेतना शक्ति अचिन्त्य है, क्योंकि इन्द्रियादि ज्ञान साधनों के बिना भी संपूर्ण विषयों से उस
का संबन्ध है । अर्थात् ईश्वर साधननिरपेक्ष सर्वविषयक शाश्वतज्ञान का साध्य है और अनावृत्ति
निराश्रय है क्योंकि उस में कभी भी अन्य संमिश्र नहीं है ।

कहने का आशय है कि बन्ध के तीन भेद होते हैं—(१) प्राकृतिक (२) वैकारिक (३) दाक्षिण्य ।

(तीन प्रकार का बन्ध)

जो लोग प्रकृति को ही आत्मा समझकर उसी की आत्मरूप में उपासना करते हैं उन्हें प्राकृ-
तिक बन्ध होता है और वे प्रकृति में आत्मचिन्तन करने के फलस्वरूप पूरे शतसहस्र (१००,०००)
वर्ष तक प्रकृति में मुक्त कल्प होकर अवस्थित रहते हैं ।

और जो प्रकृति के कार्यभूत-इन्द्रिय-अहंकार और बुद्धि तत्त्व को आत्मा समझकर जहाँ की
आत्मभाव से उपासना करते हैं उन्हें वैकारिक बन्ध होता है । उन में इन्द्रिय में आत्मभाव का चिन्तन
करने वाले दशमन्वन्तरकाल तक निवृत्त रहते हैं । और भूतों का आत्मभाव से चिन्तन करने वाले
भौतिक कहे जाते हैं । जो १०० सौ वर्ष तक निवृत्त होकर रहते हैं । और अहंकार को आत्मरूप से
चिन्तन करने वाले आभिमानिक कहे जाते हैं । वे सहस्रवर्ष तक निवृत्त रहते हैं । और जो बुद्धि तत्त्व को
आत्मभाव से देखते हैं और उसी के आत्मरूप में उपासक होते हैं वे सहस्र वर्ष तक बुद्धिमुक्त रहते
हैं । इस प्रकार अनात्मा में आत्मवर्णियों की मुक्तारूपा अन्तिम होती है ।

१ बौद्धाः-बुद्धिकल्पलैभिकोऽयम् ॥

योगिनामिव चोत्तरा न वा पूर्वा संसारिमुक्तात्मनामिव, इति निर्वाधमनादिसिद्धत्वम् । तथा चाह पतञ्जलिः—“क्लेश-कर्मविपाकाऽऽद्यैरपराभूतः पुरुषविशेष ईश्वरः (योगसूत्र २-४)” इति । क्लेशाः=अविद्याऽस्मिता-राग-द्वेषाऽभिनिवेशाः । कर्माणि शुभाऽशुभानि । तद्विपाको जात्याद्युर्भोगाः । आश्रयाः=नानाविधास्तदनुगुणाः संस्काराः । तैरपराभूतोऽसंस्पृष्टः सर्वज्ञतया भेदाऽग्रहनिमित्त-काऽविद्याऽभावात्, तस्या एव च भवहेतुसर्वक्लेशमूलत्वात् । तथा च सूत्रम्—“अविद्या क्षेत्र-मुत्तरेषां प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नो-दाराणाम्” (योगसूत्र २-४) इति । अनभिष्यक्तरूपेणावस्थानं सुप्तावस्था, अभिष्यक्तस्यापि सहकार्यभावान् कार्याऽजननं तन्धवस्था, अभिष्यक्तस्य जनित-कार्यस्यापि केनचित् बलवता सजातीयेन विजातीयेन वा लब्धवृत्तिकेनाऽभिभवान् भविष्यद्वृत्तिकत्वेनावस्थानं विच्छिन्नावस्था । अभिष्यक्तस्य प्राप्तसहकारिसंघत्तेरप्रतिबन्धेन लब्धवृत्ति-कतया स्वकार्यकृत्यमुदारावस्था । तदाश्रयवस्थाहं च नित्यसत्त्वात्वेन निर्वाणमगच्छति । तीगते, अन्त्यं तु शुद्धसत्त्वमयेन भगवद्बुद्धानेनेति । ‘अविद्याऽभावात् तन्नाशजन्यं कथं तन्धवज्ञानं तस्य ?’ इति चेत् । अत एव नित्यं सत्, नित्यज्ञानवत्त्वादेव चायं कपिलप्रभृतिमहर्षीणामपि गुरुः ॥१॥

इष्ट और पूर्ण को बक्षित बन्ध कहा जाता है । इष्ट का अर्थ है वेव में वर्णित विविध यत्न और पूर्ण का अर्थ है पुराणों में वर्णित परोपकार के कार्य जैसे खाटिका बावड़ी कूप धर्मशाला आदि का निर्माण । जो आत्मा के वास्तव स्वरूप को नहीं जानता वह यज्ञ और परोपकारक कार्यों की अभिलाषा से उन कार्यों में मनोयोगपूर्वक व्यापृत होता है और बन्धनों से आवद्ध होता है ।

ये तीनों बंधों की दो कोटि होती है—पूर्व कोटि और उत्तर कोटि । वे योगी जो प्रकृति धर्माव में आत्मविलीन कर प्रकृति में लीन हो कर मुक्ति प्राप्त करते हैं उनको मुक्ति की अवधि समाप्ति होने पर संसार में पुनः माना पड़ता है अतः वह उक्त बन्धों की उत्तर कोटि को प्राप्त करते हैं और जो संसारी जीव आत्मा का वास्तव स्वरूप का साक्षात्कार करके मुक्त होते हैं उन्हें उन बन्धों की पूर्व कोटि होती है, उत्तर कोटि नहीं होती, क्योंकि मुक्ति के बाद उन्हें किसी प्रकार का बन्ध नहीं होता । ईश्वर में बन्ध को ये दोनों ही कोटियां नहीं होती इसलिए यह निर्वाध रूप से निरूप्य मुक्त होता है । जैसा कि पतञ्जलि ने अपने योगवर्णन में कहा है कि ‘जो पुरुष क्लेश-कर्म-विपाक और आशयों से कभी भी संयुक्त नहीं होता वह पुरुषविशेष ही ईश्वर है ।’

[क्लेश-कर्म और विपाक का स्वरूप]

क्लेश का अर्थ है अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष और अभिनिवेश । कर्म का अर्थ है पुण्य और पाप । विपाक का अर्थ है जन्म-म्रायु और भोग रूप कर्मफल । और आशय का अर्थ है जन्म म्रायु और भोग के प्रयोजक अनेक प्रकार के संस्कारों का निधि । ईश्वर में इन वस्तुओं का सम्पर्क नहीं होता क्योंकि वह सर्वज्ञ होता है इसलिए उस में आत्मा और अनात्म के भेद का अज्ञान नहीं होता । इसीलिए अनात्मा में आत्मा के तावात्म्य की वृद्धिरूप अविद्या भी उसमें नहीं रहती । और जब उस में अविद्या ही नहीं होती तो उसमें अगम क्लेशों के सम्पर्क की संभावना कैसे हो सकती है ? क्योंकि अविद्या ही जगत् के हेतुभूत सम्पूर्ण क्लेशों का मूल है । जहां मूल ही नहीं है वहां उसके कार्य कैसे हो सकते हैं ?

तदिदमाह—

मूलम्-ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ।

ऐश्वर्यं चैव धर्मज्ञ सहसिद्धं चतुष्टयम् ॥२॥

यस्य=जगत्पतेर्ज्ञानम्, अप्रतिघम्=नित्यत्वेन सर्वविषयत्वात् क्वचिदप्यप्रतिहतम् ।
वैराग्यं च=माध्यस्थ्यं च रागाभावादप्रतिघम् । चः समुच्चयो एवोऽवधारणे, ऐश्वर्यं पारतन्त्र्या-
ऽभावादप्रतिघम्, तत्त्वाष्टविधम्-अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्तिः, प्राकाम्यम् वशित्वम्,

यह बात योगसूत्र में इस प्रकार कही गई है कि “प्रमुक्त, तनु, विच्छिन्न और उदार ये सभी प्रकार के उत्तरमात्रि बलेशों की जन्मभूमि अविद्या है। मुक्तावस्था का अर्थ है अप्रकटरूप में क्लेश की अवस्थिति, तनु अवस्था का अर्थ है प्रकट होने पर भी सहकारी कारण का संनिधान न होने से कार्य को उत्पन्न करने की असमर्थता। और विच्छिन्नावस्था का अर्थ है अविद्यवत होकर और अपने कार्य को उत्पन्न करके भी किसी अवस्था एवं लब्धव्यसिद्धि सजर्तव्य अथवा पित्रासीय यथा संनिमित्त-वृत्तिहीन होकर अविद्य में सबलिक होने के लिए अवस्थित रहना। और उदार अवस्था का अर्थ है-अविद्यवत होकर एवं सहकारियों का संनिधान प्राप्त कर एवं कोई प्रतिबन्धक न होने से अपने कार्य को उत्पन्न करने का अथवा प्राप्त कर अपने कार्य का सम्पादन करना। इन अवस्थाओं में पहली दो अवस्थाओं की निवृत्ति निर्वोज समाधि से होती है जिसे प्रतिप्रसव कहा जाता है। और अन्तिम दो अवस्थाओं की निवृत्ति भगवान के शुद्धसत्त्वमय ध्यान से होती है।”

ईश्वर को तत्त्वज्ञ मानने पर प्रश्न होता है कि जब ईश्वर में अविद्या ही नहीं होती तो उस में तत्त्वज्ञान कैसे होता है? क्योंकि तत्त्वज्ञान अविद्या के नाश से होता है किन्तु ईश्वर में अविद्या न होने से उस का नाश भी उसमें नहीं हो सकता और इसके फलस्वरूप तत्त्वज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ईश्वर में अविद्या और अविद्या का नाश न होने के कारण ही उसका तत्त्वज्ञान नित्य होता है और नित्यज्ञान का आध्व्य होने से ही वह कविलावि महविषों का भी गुरु होता है।

चतुरो कारिका में पूर्व कारिका के कथन को ही पुष्ट किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

[ईश्वर का सहजसिद्ध चतुष्टय]

ईश्वर जगत् का स्वामी है। उसका ज्ञान नित्य एवं सर्वविषयक होने से किसी काल और किसी विषय में प्रतिहत नहीं है। उसका वैराग्य-माध्यस्थ्य भी उस में राग न होने से कहीं भी प्रतिहत नहीं है। अर्थात् उसमें किसी भी चेतन अथवा अचेतन वस्तु के प्रति राग और द्वेष न होने से वह सबके प्रति तटस्थ है और उसमें किसी प्रकार की परतन्त्रता न होने से उस का ऐश्वर्य भी अप्रतिहत है।

उसके ऐश्वर्य का आठ प्रकार हैं—^१अणिमा, ^२लघिमा, ^३महिमा, ^४प्राप्ति, ^५प्राकाम्य ^६वशित्व ^७ईशित्व ^८यज्ञकामावसायित्व ।

ईशित्वम्, यत्र कामावसायित्वं चेति । यतो महानगुर्भवति सर्वभूतानामप्यदृश्यः, सोऽणिमा । यतो लघुर्भवति सूर्यरश्मीनप्यालम्ब्य सूर्यलोकादिगमनसमर्थः, स लघिमा । यतोऽन्योऽपि 'नाग-नगादिमानो भवति, स महिमा । यतो भूमिपुष्पाप्यङ्गुल्यग्रे गमनश्चादिवस्तुप्राप्तिः, सा प्राप्तिः । प्राकाम्यमिच्छानभिघातः, यत उदक इव भूमावुन्मज्जति निमज्जति च । वशित्वम्-यतो भूत-भौतिकेषु स्वातन्त्र्यम् । ईशित्वम्-यतस्तेषु प्रभव-स्थिति-व्ययानामीष्टे । यत्र कामावसायित्वम्-यतः सत्यसंकल्पता भवति, यथेश्वरसंकल्पमेव भूतभावादिति । धर्मश्च प्रयत्न-संस्काररूपोऽधर्माभावादप्रतिघः । एतच्चतुष्टयं सहसिद्धम्-अन्यानापेक्षतयाऽनादिस्त्वेन व्यवस्थितम् । अत एव नेश्वरस्य कूटस्थताव्याघातः, जन्यधर्माऽनाश्रयत्वादिति बोध्यम् ॥२॥

तस्य कर्तृत्वे युक्तिमाह—

(१) जिस शक्ति से महान वस्तु अणु हो कर अन्य प्राणियों के लिए ग्रहण बन जाती है वह शक्ति शक्तिमा कही जाती है ।

(२) जिस शक्ति से लघु वस्तु लघु हो कर सूर्य की किरणों के सहारे सूर्यलोक आवि तक जाने में समर्थ हो जाती है वह शक्ति लघिमा कही जाती है ।

(३) जिस शक्ति से लघु परिमाण की वस्तु हाथी और पर्वत आदि के समान विराट हो जाती है वह शक्ति महिमा कही जाती है ।

(४) जिस शक्ति से भूमि में दियत भी मनुष्य अपनी अंगुली के अग्र भाग से आकाशस्थ वस्तु का स्पर्श कर सकता है वह शक्ति 'प्राप्ति' कही जाती है ।

(५) प्राकाम्य का अर्थ है इच्छा का अभिघात न होना । इस शक्ति से मनुष्य जल के समान स्थल में भी भीतर और बाहर आ जा सकता है ।

(६) वशित्व का अर्थ है भूत और भौतिक वस्तुओं के विषय में स्वातन्त्र्य । इस शक्ति से मनुष्य भूत और भौतिक पदार्थों का यथेष्ट विनियोग कर सकता है ।

(७) ईशित्व का अर्थ है वह सामर्थ्य जिस से मनुष्य भूत और भौतिकों के उत्पादन पालन और विनाश करने में समर्थ होता है ।

(८) यत्र कामावसायित्व का अर्थ है सत्य संकल्पता । इसी शक्ति के कारण जगत् के सम्पूर्ण भूत और भौतिक पदार्थ ईश्वर के संकल्पानुसार ही होते हैं ।

धर्म का अर्थ है प्रयत्नरूप संस्कार । ईश्वर में अधर्म नहीं होने से उस का धर्म भी पूर्ण रूप से अप्रतिहत होता है ।

इस प्रकार ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म-ये चारों चीजें ईश्वर में सहसिद्ध-निरपेक्ष सिद्ध हैं अर्थात् अपेक्ष निरपेक्ष होने के कारण ये चारों समान हैं । इसीलिए ईश्वर की कूटस्थता भी व्याहत नहीं होती है, क्योंकि वह अन्य धर्म का आश्रय नहीं होता ।

तीसरी कारिका में ईश्वर के कर्तृत्व की साधक युक्ति बताई गई है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

१ नागो-हस्ती, नगः-पर्वतः । २ 'स्मृत्यर्थव्येषः' ॥ २।२।११॥ इति सूत्रेण कर्मसंज्ञाया विरुद्धेन पक्षे दृष्टी ।

मूलम्-अज्ञो जन्तुरनीक्षोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ॥३॥

अर्थ-संसारी जन्तुः, आत्मनः सुख-दुःखयोर्ज्ञायमानयोः, अनीशः=अकर्ता, यतोऽज्ञः
हिताऽदितप्रवृत्ति-निवृत्त्युपायानभिज्ञः, अतः स्वर्गं वा, श्वभ्रमेव वा=नरकमेव वा, ईश्वरप्रे-
रितो गच्छेत्, अज्ञानां प्रवृत्तौ परप्रेरणाया हेतुत्वावधारणात्, पश्चादिप्रवृत्तौ तथादर्शनात्,
अचेतनस्यापि चेतनाधिष्ठानेनैव व्यापाराच्च । अत एव-

“मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः स्रियते सत्पराश्रयम् ।

तपाम्यहमहं सर्वं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ॥१॥” [गीता-]

इत्यागमेन सर्वाधिष्ठानत्वं भगवतः श्रूयते, इति पातञ्जलाः ।

नैयायिकास्तु वदन्ति-

“कार्या-ऽऽयोजन-धृत्यादेः पदान् प्रत्ययतः श्रुतेः ।

वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविद्वयः ॥१॥” [न्या०कु० ५-१] इति ।

(पातञ्जलभट्टाचार्य द्वारा ईश्वर का जगत्कर्तृत्व)

संसारी जीव को अपने सुखदुःख के उपाय का ज्ञान नहीं होता । ‘क्या करने से उस का हित होगा और क्या करने से उस का अहित होगा ?’ इस बात को वह स्वयं नहीं सोच पाता । इसलिये अपने सुखदुःख का वह कर्ता नहीं हो सकता । अतः एव यह मानना आवश्यक है कि जीव ईश्वर की प्रेरणा से ही ऐसे कर्म करता है जिन से स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि अज्ञों की प्रवृत्ति में यह प्रेरणा ही कारण होती है-यह सर्व विदित है । पशु प्राणि की प्रवृत्ति लोक में प्रेरणा से ही देखी जाती है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि-जीव अपने सुख-दुःख का उपाय न जानने के कारण अपने सुख-दुःख का संपादन स्वयं अर्थात् न कर सके परन्तु प्रकृति अथवा बुद्धि के व्यापार से उसे सुख-दुःख होने में कोई बाधा नहीं हो सकती । यह कहना इसलिये संभव नहीं है कि प्रकृति एवं बुद्धि स्वभावतः अचेतन होती है, अत एव चेतन के सम्पर्क के बिना वह भी व्यापार नहीं हो सकती क्योंकि लोक में चेतन बड़ी आदि के सम्पर्क से ही अचेतन कुठारादि में काष्ठक्षेपन के व्यापार का होना देखा जाता है । इसीविध गीता में श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि-प्रकृति सर्वाध्यक्षभूत हमारे सम्पर्क से ही चराचरात्मक जगत् का सर्वज करती है । मैं ही तापक हूँ और मैं ही जल के धवर्षण और वर्षण का कारण हूँ ।

ईश्वर के कर्तृत्व के सम्बन्ध में पातञ्जलों का यही संक्षिप्त दृष्टिकोण है ।

(जगत्कर्तृत्व में नैयायिकों का अभिगम)

नैयायिकों का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण दूसरा है । वह ईश्वर को परप्रेरक के रूप में कर्ता न मानकर साक्षात् उसी को विश्व का कर्ता मानते हैं । उक्तमाध्याय से न्यायकुसुमाख्यप्रथम में ‘कार्यायोजनधृत्यादेः’ इस कारिका से ईश्वर में कर्तृत्व में सिद्ध करने वाले अनेक अनुमानों का

अस्याऽर्थः-कार्यादीभरसिद्धिः, 'कार्यं सकर्तृकम् कार्यत्वात्' इत्यनुमानात् । न च कार्यत्वस्य कृतिसाध्यत्वलक्षणस्य क्षित्यादावसिद्धिरिति वाच्यम्, कालवृत्त्यस्त्यन्ताभावप्रतियोगित्वे सति, प्रागभावप्रतियोगित्वे सति, ध्वंसप्रतियोगित्वे सति वा सत्यस्य हेतुत्वात् । पक्षतावच्छेदकानच्छेदेन साध्यसिद्धेरुद्देश्यत्वाच्च न कार्यस्य घटादेः सकर्तृकत्वसिद्ध्याऽज्ञातः सिद्धसाधनम्, न वा पक्षतावच्छेदकस्य हेतुत्वं दोषः, 'कार्यत्वं साध्यसमानाधिकरणम्' इति राहचारग्रहेऽपि 'कार्यं सकर्तृकम्' इति शुद्धेरभावाच्च ।

संकेत किया है । उन में कार्य से ईश्वर का अनुमान पहला अनुमान है जिस का प्रयोग इस प्रकार होता है—

[कार्य-हेतुक अनुमान]

'कार्य सकर्तृक होता है क्योंकि यह कार्य है'—इस अनुमानप्रयोग के द्वारा 'कार्य' हेतु से ईश्वर की सिद्धि होती है । इस पर यह शंका हो सकती है कि—'कार्यत्व हेतु का अर्थ है कृतिसाध्यत्व और यह पक्ष के अन्तर्गत आनेवाले क्षित्यादि में असिद्ध है । इसलिए कार्यत्व हेतु के सागासिद्ध हो जाने से उससे संपूर्ण कार्य में सकर्तृकत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता । क्योंकि उसके लिये समस्त कार्य में हेतु का होना आवश्यक है' ।—किन्तु यह शंका कार्यत्व हेतु का निष्प्रयोजक रूप में निबन्धन कर देने पर निर्मूल हो जाती है । अन्ते-कार्यत्व का अर्थ है कालवृत्ति-अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होने द्वारा भावात्मक होना । इस प्रकार का कार्यत्व क्षित्यादि में विद्यमान है क्योंकि क्षित्यादि भावात्मक है और क्षित्यादि उत्पत्ति के पूर्वकाल में और क्षित्यादिविनाशकाल में उसका अत्यन्ताभाव होने से यह कालवृत्ति अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी है । कार्यत्व के इस परिष्कृत स्वरूप में सत्य-साधारमकत्व का संनिवेश ध्वंस में व्यभिचार कारण करने के लिये आवश्यक है । यदि यह कक्षा आय कि—'प्राचीन नैयायिक मत में ध्वंस और प्रागभाव के साथ अत्यन्ताभाव का विरोध होने से क्षित्यादि का अत्यन्ताभाव उस के उत्पत्ति के पूर्वकाल तथा विनाशकाल में नहीं रह सकता क्योंकि पूर्वकाल में उस के अत्यन्ताभाव का विरोधी उसका प्रागभाव और विनाशकाल में अत्यन्ताभाव का विरोधी ध्वंस विद्यमान होता है । क्षित्यादि के अस्तित्वकाल में भी क्षित्यादि का अत्यन्ताभाव नहीं रह सकता क्योंकि उस समय क्षित्यादि स्वयं ही अपने अत्यन्ताभाव का विरोधी विद्यमान होता है । अतः क्षित्यादि में कालवृत्ति-अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व संभव न होने से उक्त कार्यत्व हेतु स्वकवासिद्ध हो जाता है । नवीन नैयायिक मत में भी उक्त कार्यत्व हेतु से सकर्तृकत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि 'निरयद्रव्य कालिक सम्बन्ध से किसी में भी नहीं रहता' इस मत के अनुसार निरयद्रव्य कालवृत्ति-अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी भावात्मक वस्तु है किन्तु सकर्तृक नहीं है । इस प्रकार निरयद्रव्यों में उक्त कार्यत्व हेतु में सकर्तृकत्व का व्यभिचार स्पष्ट है ।

(कार्यत्व प्रागभावप्रतियोगिसत्त्व)

इस दोष का परिहार करने के लिये कार्यत्व को 'प्रागभाव-प्रतियोगित्वे सति सत्य' के रूप में परिष्कृत करना आवश्यक है, किन्तु प्रागभाव न मानने वाले द्विधितिकार भाषि के मत में प्रागभाव घटित हेतु असिद्ध हो जाने से उक्तानुमान के द्वारा क्षित्यादि सकर्तृकत्व की सिद्धि नहीं होती । तथापि 'ध्वंस प्रतियोगित्वे सति सत्य' को कार्यत्व मानकर उस से संपूर्ण कार्य में सकर्तृकत्व का अनुमान करने में कोई

ननु तथापि सकर्तृकत्वं यदि कर्तृसाहित्यमात्रम्, तदाऽस्मदादिना सिद्धसाधनम्, यदि च कर्तृजन्यत्वम् तदा बाधोऽपि, ज्ञानादेरेव जनकतया कर्तुरजनकत्वादिति चेत् ? न, अन्यस्तजन्यत्वत्वेच्छाजन्यत्वत्वादिना साध्यतायामदोषात् । अदृष्टाद्वारा जन्यत्वस्य विशेष्यता-संबन्धावच्छिन्नकारणताप्रतियोगिकसमवायावच्छिन्नजन्यत्वस्य वा साध्यत्वाच्च नाऽदृष्टजनका-स्मदादिज्ञानजन्यत्वेन सिद्धसाधनम्, अर्थान्तरं वा ।

बाधा नहीं हो सकती है । यद्यपि-पक्षान्तर्गत आलेखाले घटादि कार्यों में सकर्तृकत्व की सिद्धि होने से अंशतः सिद्धसाधन होता है अर्थात् कार्यान्वेषक पक्षतावच्छेदक के आध्य विशेष में सकर्तृत्वरूप साध्य की सिद्धि होने से कार्य में सकर्तृकत्व अनुमान का प्रतिरोध प्रसक्त होता है-किन्तु प्रस्तुत अनुमान में उसे दोष नहीं माना जाता है क्योंकि प्रस्तुत अनुमान में पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्या-नुमिति अर्थात् यावत् पक्ष में साध्यानुमिति उद्दिष्ट है और यावत् पक्ष में साध्यानुमिति के प्रति यावत् पक्ष में साध्य की सिद्धि हो प्रतिबन्धक होती है न कि तत्किञ्चित् पक्ष में साध्य की सिद्धि ।

उक्तानुमान में यह भी शंका हो सकती है कि-“पक्षतावच्छेदक और हेतु एक है इस लिये हेतु में साध्य का व्याप्तिज्ञान साध्यसिद्धि रूप हो जायगा क्योंकि साध्य की व्याप्ति साध्यसामानाधिकरण्य से घटित होती है और पक्षतावच्छेदकात्मक हेतु में साध्यसामानाधिकरण्य का ज्ञान पक्ष में साध्यरूप के ज्ञान होने पर ही संभव है अतः हेतु में साध्य का व्याप्तिज्ञान साध्यसामानाधिकरण्य कुञ्ज में पक्ष में साध्यप्रकारक होने से साध्यसिद्धि रूप हो जायगा । अतः व्याप्तिज्ञान के द्वारा सिद्धसाधन की अपाप्ति होगी” -किन्तु विचार करने पर यह शंका उचित नहीं प्रतीत होती क्योंकि साध्यसामानाधिकरण्य की कुञ्ज में पक्ष में साध्य का ज्ञान निर्धर्मतावच्छेदक होता है अर्थात् पक्षतावच्छेदकरूप से पक्ष में साध्यसम्बन्ध का भान नहीं होता है अतः एव व्याप्तिज्ञानात्मक साध्यसिद्धि से पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न में साध्यानुमिति का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता । क्योंकि तद्वर्मावच्छिन्न विशेष्यक साध्यानुमिति के प्रति तद्वर्मावच्छिन्नविशेष्यकसाध्यनिश्चय की ही सिद्धिविधया प्रतिबन्धकत्व न्यायप्राप्त है ।

[सकर्तृकत्व-कर्तृसाहित्य या कर्तृजन्यत्व ?]

प्रस्तुत अनुमान में यह शंका होती है कि-“सकर्तृकत्व रूप साध्य का अर्थ यदि कर्तृसाहित्य किया जायगा तो जीवात्मा से सिद्धसाधन हो जायगा, क्योंकि कर्त्ता शब्द से जीवात्मा का समान-कालिकत्व या समानदेशत्व ग्रहण करने पर भी कर्त्ता का उक्तस्वरूप कर्तृसाहित्य कार्यमात्र में उपपन्न हो जाता है । और यदि सकर्तृकत्व का अर्थ कर्तृजन्यत्व माना जायगा तो कार्य के प्रति कर्तृगतज्ञान आदि के ही कारण होने से कर्त्ता को कार्य का अजनक होने के कारण कर्तृजन्यस्वरूप साध्य की अप्र-सिद्धि हो जायगी । और यदि सकर्तृकत्व का अर्थ जगत्तात्पर्यत्व से कर्तृमत्त्व किया जायगा तो कर्त्ता कार्य का अजनक होने के कारण अन्धत्व कर्त्ता का अधिकरण सम्बन्ध होगा इसलिए कार्य में अन्धत्व-सम्बन्ध से कर्त्ता का अभाव होने से बाध हो जायगा । अतः प्रस्तुत अनुमान का समर्थन अशक्य है-” किन्तु यह शंका अशक्यता है क्योंकि प्रत्यक्षजन्यत्व, इच्छाजन्यत्व अथवा कृतिजन्यत्व की साध्य मान लेने पर उक्त दोष का परिहार हो सकता है ।

कार्यमात्र में अदृष्ट द्वारा जीवात्मा के प्रत्यक्षजन्यत्व, इच्छाजन्यत्व अथवा कृतिजन्यत्व के द्वारा सिद्धसाधन का या जीवात्मा के प्रत्यक्षादि को कार्य मात्र के प्रति किसी साध्यात् सम्बन्ध

अथवा शरीरजन्यत्वमुपाधिः, अङ्कुरादौ साध्यव्यापकतामंदहे संदिग्धोपाधितासाम्राज्यात्, तदाहितव्यभिचारसंशयेनाऽनुमानप्रतिरोधात्, सापवादव्यभिचारज्ञानन्वेनैव व्याप्तिव्यतिरोचितत्वात्, पक्ष-तत्समयोरपि व्यभिचारसंशयस्य दोषत्वादिति चेत् ? न, प्रकृते ब्रान्त्यादिकार्यत्वाभ्यां हेतु-हेतुसङ्गावनिश्चयान्, साधवतर्कवितारे तदुपाधिसंशयस्याऽविरोचितत्वात्, अनुकूलतर्कवितारे एव संदिग्धोपाधेर्यव्यभिचारसंशयाधायकत्वात्, अन्यथा पक्षेतरव्योपाधिशङ्कया प्रमिद्वानुमानस्याऽप्युच्छेदप्रसङ्गात् इत्येके ।

स कारण मानकर सिद्धसाधन अथवा अर्थान्तर की आपत्ति का परिहार करने के लिये अष्टाष्टारक-प्रत्यक्षाधिजन्यत्व को अथवा विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्न प्रत्यक्षाविनिष्ठकारणता निरूपितसमवाय-सम्बन्धावच्छिन्नजन्यत्व को साध्य मानना आवश्यक है ।

कहने का आशय यह है कि यदि सामान्यरूप से प्रत्यक्षादिजन्यत्व को साध्य माना जायगा तो जीवात्मा के प्रत्यक्षादि द्वारा सिद्धसाधन होगा, क्योंकि जीवात्मा के अदृष्ट में ही समस्त कार्य की उत्पत्ति होती है । और वह अदृष्ट जीवात्मा के प्रत्यक्ष इच्छा और कृति से होनेवाले विहित निविद्य कर्मों से उत्पन्न होता है । अतः कार्यमात्र में पूर्वसृष्टि में होनेवाले जीव के प्रत्यक्षादि की अदृष्ट द्वारा कथ्यता सिद्ध होने से सिद्धसाधन होगा ।

अष्टाष्टारक प्रत्यक्षादि जन्यत्व को साध्य मानने पर इस जीव का परिहार होने पर भी जीव के पूर्वसृष्टिगत प्रत्यक्षादि को स्वध्वंस द्वारा नूतनसृष्टि का कारण मान लेने पर कार्यमात्र में जीव के अष्टाष्टारक प्रत्यक्षादिजन्यत्व सिद्ध हो जाने से अर्थान्तर हो सकता है । अतः समवायसम्बन्ध से कार्य मात्र के प्रति विशेष्यतासम्बन्ध से कर्तृगत उपादान का प्रत्यक्ष, उपादान में कार्य की निरीक्षा और उपादानविषयक कृति कारण होती है । इस कार्यकारणभाव के आधार पर विशेष्यत्वसम्बन्धावच्छिन्न-प्रत्यक्षाविनिष्ठकारणतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्न जन्यत्व को साध्य मानना आवश्यक है । ऐसा मानने पर पूर्वसृष्टिगत जीवात्मा के प्रत्यक्षादि के द्वारा सिद्धसाधन नहीं हो सकता, क्योंकि वृक्षणुकादि के उपादानकारण परमाणु आदि का प्रत्यक्ष जीव की पूर्व सृष्टि में भी नहीं होता और यदि काश्चित् अलौकिक प्रत्यासत्ति से परमाणु आदि का प्रत्यक्ष जीव को माना जाय तो वह नवीन सृष्टि में होनेवाले वृक्षणुकादि का विशेष्यतासम्बन्ध से कारण न हो सकेगा क्योंकि विशेष्यता ज्ञानसमान-कालीन होती है । अतः नवीन सृष्टि के पहले पूर्वसृष्टि का जीवात्मप्रत्यक्ष विशेष्यतासम्बन्ध से वृक्षणुकादि के उपादान कारणों में नहीं रह सकता, इसलिये जीवात्मा के प्रत्यक्षादि को लेकर कार्यमात्र में इस परिष्कृत प्रत्यक्षाधिजन्यत्व रूप साध्य के सम्भव न होने से जीवात्मा के प्रत्यक्षादिद्वारा सिद्धसाधन या अर्थान्तर नहीं हो सकता ।

[शरीरजन्यत्व उपाधि शंका का समाधान]

इस सम्बन्ध में यह शंका हो सकती है—'कार्यत्व हेतु शरीरजन्यत्व रूप उपाधि से प्रस्त है क्योंकि सकर्तृकार्यरूपसाध्य घटपटादि जिन कार्यों में सिद्ध है उन में शरीरजन्यत्व भी सिद्ध है, अतः शरीरजन्यत्व सकर्तृकार्य रूप साध्य का व्यापक है । एवं कार्यत्व के आधेय अङ्कुरादि में शरीरजन्यत्व का अभाव होने से वह कार्यत्वरूप साधन का अव्यापक भी है । अतः उपाधिप्रस्त होने के कारण प्रस्तुत

परं तु- स्वापादानगोचरा स्वजनकाऽदृष्टाऽज्ञानका या कृतिस्तदजन्यं समवेतं जन्यं
स्वोपादानगोचरस्वजनकादृष्टजनकान्याऽपरोक्षज्ञान-चिकीर्षाजन्यम्, कार्यत्वात् । घटादावंशतः

अनुमान से वादि के अमिमत की सिद्धि नहीं हो सकती । यह यह कहा जाय कि- 'अङ्कुरादि में सकर्तृ-
कत्व का सम्बन्ध है किन्तु शरीरजन्यत्व का अभाव निश्चित है अतः शरीरजन्यत्व में साध्यसकर्तृकत्व की
व्यापकता का निश्चय न हो सकने से शरीरजन्यत्व उपाधि नहीं हो सकता ।' तो यह ठीक नहीं है
क्योंकि निश्चित उपाधि न होने पर भी अङ्कुरादि द्वारा शरीरजन्यत्व में साध्य व्यापकता का सम्बन्ध
होने से सन्निधोपाधि का होना अमिमत है । यदि यह शङ्का की जाय- 'सन्निधोपाधि होने से भी
कोई दोष नहीं हो सकता क्योंकि सन्निधोपाधि के व्यभिचारसम्बन्ध से हेतु में साध्यव्यभिचार का
सम्बन्ध ही हो सकता है निश्चय नहीं हो सकता । और व्यापनार सम्बन्ध व्याप्तिज्ञान विरोधी न होने
से हेतु में साध्यव्याप्ति का निश्चय हो कर अनुमिति के होने में कोई बाधा नहीं हो सकती' तो यह
ठीक नहीं है क्योंकि व्याप्ति ज्ञान के प्रति व्यभिचारनिश्चयस्वरूप से व्यभिचारज्ञान को प्रतिबन्धक
मानने में गौरव है । अतः साध्य की दृष्टि से व्यभिचारज्ञानस्वरूप से ही व्यभिचारज्ञान व्याप्ति-
ज्ञान का प्रतिबन्धक है अतः एक व्यभिचारसंशय से भी व्याप्तिनिश्चय का प्रतिबन्ध हो जाने के कारण
सन्निधोपाधि का भी अनुमानविरोधत्व अपरिहार्य है । यद्यपि सन्निधोपाधि के व्यभिचार के संशय
से हेतु में साध्यव्यभिचार का संशय पक्ष में ही होगा, तो भी कोई दांति नहीं है क्योंकि एक ओर पक्ष-
सम्बन्ध के द्वारा भी हेतु में साध्यव्यभिचार का संशय अनुमान में दोष रूप हो सकता है ।

यदि यह शङ्का की जाय 'पक्ष में साध्य का संशय होने के कारण पक्ष द्वारा सर्वत्र ही हेतु में
साध्यव्यभिचार का सन्देह हो सकता है, अतः व्यभिचार संशय को अनुमान का दोष मानने पर अनुमान
भाव का उल्लेख हो जायगा' तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पक्ष में साध्यनिश्चय की वशा में हेतु में
साध्यव्यभिचार का संशय न होने से मिथाधर्मिता से पक्ष में साध्यानुमान हो सकता है, क्योंकि अनु-
मिति में पक्षताविधवा सिधाधर्मिताविर्हाविशिष्टमिज्जमात्र ही कारण होता है । फलतः शरीरजन्यत्व
रूप उपाधि से प्रस्तुत होने से प्रस्तुत अनुमान द्वारा ईश्वर की सिद्ध करनेकी आज्ञा करना दुराशा मात्र है ।'

-किन्तु विचार करने पर इस अनुमान में शरीरजन्यत्व को लेकर उपाधिप्रस्तुता की शङ्का ।
ओचित्य सिद्ध नहीं होता । क्योंकि कार्यमात्र और ज्ञानाहितामात्र में कार्यत्व और ज्ञानत्व आदि
रूप से कार्य कारणभाव निश्चित है, क्योंकि इस कार्य कारण भाव में साध्य है, और इस साध्य
तत्त्व के कारण उपाधिसंशय कार्यत्व में सामाविज्यत्व की व्याप्ति के निश्चय में बाधक नहीं हो सकता ।
सन्निधोपाधि से हेतु में साध्यव्यभिचार का संशय उसी दशा में होता है जब हेतु में साध्यव्याप्ति-
का निश्चयक कोई अनुकूल तत्त्व न हो । और यदि अनुकूल तत्त्व रहने पर भी सन्निधोपाधि से हेतु में
साध्यव्यभिचार का संशय होगा तो पक्षोत्तरस्वरूप उपाधि की शङ्का होने से पक्ष में बल्लि के प्रसिद्ध
अनुमान का भी उल्लेख हो जायगा । इस प्रकार विचार करने से प्रस्तुत अनुमान के प्रयोग में कोई दोष
नहीं है, ऐसा कितनेक विद्वान् कहते हैं ।

(सकर्तृकत्व-स्वोपादानगोचरस्वजनकादृष्टाऽज्ञानकप्रत्यक्षादिजन्यत्व)

साध्यविद्वान् कार्य सकर्तृक, कार्यत्वात् इस अनुमान की व्याख्या इस रूप में करते हैं कि
प्रकृत अनुमान में संपूर्ण कार्य पक्ष नहीं है किन्तु यह कार्य पक्ष है जो समवेत होता है और अपने

सिद्धसाधनधारणाय तदजन्यन्तम्, तादृशकृतिजन्यं यत् यस्यैतद्विषयत्वं तदर्थः; नातो द्व्य-
णुकादेरुपादानगोचरतादृशकृत्यप्रसिद्ध्या पक्षत्वाभावप्रसङ्गः । तत्र शब्द-फुटकारादेरपक्षत्वे
संदिग्धसाध्यकत्वेन तत्राऽनैकान्तिकत्वसंशयः स्यात्, अतः प्रतियोगिकोटी गौचरान्तम् ;
शब्दादेर्मृदङ्गादिगौचरतादृशकृतिजन्यत्वेऽपि न स्वोपादानगोचरतादृशकृतिजन्यत्वमिति न

उपादान कारण विषयक ऐसी कृति से अजन्य होता है जो उसके जनक अदृष्ट की उत्पादक नहीं
होती । ऐसे कार्य को पक्ष बनाने के लिये स्वोपादानगोचर स्वजनकअदृष्टाजनककृति अजन्य
समवेतअन्यत्व की पक्षतावच्छेदक मानना आवश्यक होता है । और इस प्रकार के धर्म को पक्ष-
तावच्छेदक बनाने पर सक्तु कर्तृत्व साध्य के स्वरूप को भी बदलना होता है । फलतः सक्तु कर्तृत्व का
अर्थ हो जाता है स्वोपादान-गोचरस्वजनकअदृष्टाजनकप्रत्यक्षादिजन्यत्व । इस का आशय यह है कि
जो कार्य स्वोपादानगोचर और स्वजनकअदृष्टाजनककृति से अजन्य होते हुये समवेत होता है
उक्त स्वोपादानगोचर और स्वजनकअदृष्टाजनक प्रत्यक्षादि से जन्य होता है । उक्त मूल अनुमान की
इस प्रकार व्याख्या कर देने पर पक्षतावच्छेदक का जो स्वरूप प्रस्तुत होता है उस में तीन अंश हैं
जैसे स्वोपादानगोचरस्वजनकअदृष्टाजनककृत्यजन्यत्व, समवेतत्व और अजन्यत्व ।

इन में प्रथम अंश का त्याग कर देने पर घटादि कार्य भी पक्षान्तर्गत हो जाता है और उन में
सक्तु कर्तृत्व सिद्ध है इसलिये अतः सिद्धसाधन अर्थात् पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धि
कय बाधक की उपस्थिति से अनुमितिप्रतिरोध की आपत्ति होती है । इस दोष के परिहार के लिये
अजन्यत्व-पर्यन्त अंश का पक्षतावच्छेदक कोटि में समावेश आवश्यक है । इस अंश का समावेश करने पर
घटादि पक्षान्तर्गत नहीं होता है क्योंकि वे स्वोपादानगोचर स्वजनकअदृष्टाजनक कुशल की कृति से
जन्य होते हैं । अजन्यत्वात् अंश में स्व पद से जन्य को ग्रहण करना अभीष्ट है, अजन्य को नहीं ।
इसलिये अजन्यत्वपर्यन्त अंश का अर्थ है स्वोपादानगोचर-स्वजनक अदृष्टाजनक कृति से जन्य जो जो हैं
सक्तु तत्त्व विषयत्व । यदि स्व पद से अजन्य का ग्रहण किया जायगा तो दृष्टानुकादि पक्ष न हो सकेगा
क्योंकि दृष्टानुकादि के उपादान की विषय करनेवाली दृष्टानुकादिजनकअदृष्ट की अजन्य कोई
कृति प्रसिद्ध नहीं है, इसलिये स्वपद से दृष्टानुकादि का ग्रहण न हो सके से वह स्वोपादान गोचर
स्वजनक अदृष्टाजनक कृत्यजन्यशब्द से पक्षविषया उपन्यस्त नहीं हो सकता है । फलतः उस के कर्ता
रूप में ईश्वर की सिद्धि असंभव हो जायेगी ।

(‘उपादान गोचर’ पदकी सार्थकता)

इस अंश में भी कृति में यदि स्वोपादानगोचर विशेषण न देकर स्व-जनक अदृष्टाजनक कृति-
जन्य भिन्नत्व मात्र को ही पक्षतावच्छेदक की कोटि में निवेश किया जायगा तो मृदङ्गादि को अजाने
से उत्पन्न होने वाला शब्द और वायु का फुटकार पक्षान्तर्गत न हो सकेगा । क्योंकि मृदङ्गादि
अजाने से उत्पन्न होनेवाला शब्द स्वजनक अदृष्ट के अजन्य मृदङ्गादिगोचर मृदङ्गादिविषयक कृति
से जन्य होने के कारण तादृशकृतिजन्य सिद्ध नहीं होगा । क्योंकि फुटकार भी फुटकार के निमित्त-
भूत यन्त्र विषयक कृति से जन्य है जो कृति फुटकारजनक अदृष्ट का अजन्य है, इसलिये वह भी
स्वजनक अदृष्टाजनककृतिजन्य सिद्ध नहीं है । जब शब्द और फुटकार पक्ष से बहिर्भूत हो जायेंगे तो
उन में साध्य का सम्बन्ध होने से हेतु में साध्यव्यभिचार का सम्बन्ध हो जायगा । किन्तु कृति में
स्वोपादानगोचरत्व का निवेश कर देने पर शब्द और फुटकार को पक्षान्तर्गत होने से कोई बाधा

दोषः । मन्त्रविशेषपाठपूर्वकस्पर्शजन्यकाश्यादिगमनस्य स्पर्शजन्याऽदृष्टद्वारा स्वोपादानकार्यगो-
चरस्पर्शजनकजन्यकृतिजन्यस्याऽपक्षत्ये तत्र भेदमधार्मिकान्तिकत्वे स्यात्, एवं स्वोपादानगोचरी-
रगोचरोर्ध्वचरणादिनपःकृतिजन्यकालशरीरीयगौरूपादौ तद् स्यात्; अतस्तत्कोटौ 'स्वजनक०'
इत्यादि, काश्यचालनादिकं तु स्वजनकाऽदृष्टजनकजन्यकृतिजन्यमेवेत्यदोषः । ध्वंस-गगनैक-
त्वादिवारणाय 'समवेतम्' इति, 'जन्यमि'ति च । श्रुद-भूत्कारादौ सिद्धसाधनवारणाय
साध्ये गोचरान्तम् । उक्तकाश्यचालनादौ नद्वारणाय 'स्वजनक०' इत्यादि ।

नहीं होगे, क्योंकि उन के जनक अदृष्ट-अजनक मूवङ्गादिगोचर कृति उन के उपादान आकाश
और वायु को विषय नहीं करती । अतः वे स्वोपादानगोचर स्वजनकअदृष्टजनक कृति जन्य भिन्न हो
जाते हैं ।

[स्वजनकादृष्टाजनक-पद की सार्थकता]

इसी प्रकार यदि कृति में स्वजनक अदृष्टाजनकत्व का संनिवेश न कर स्वोपादानगोचर कृति
जन्यभिन्नत्व मात्र को पक्षतावच्छेदक का घटक माना जायगा तो काश्य पात्र को वह गति जो मन्त्र-
विशेष के पाठ के साथ होनेवाले स्पर्श से उत्पन्न होती है पक्षान्तर्गत न हो सकेगी । क्योंकि वह भी
अपने उपादानमूल काश्यपात्र को विषय करने वाली स्पर्श जनक कृति से जन्य है । अतः वह
स्वोपादान गोचर-कृतिजन्यभिन्न नहीं हो सकती । इसी प्रकार कृष्णवर्ण के शरीर में उत्पन्न होनेवाला
वह गौर रूप भी पक्षान्तर्गत न हो सकेगा जो अधोमुख और ऊर्ध्व पाद की अवस्था में शरीरस्थापनकथ
रूपधर्म्याकी कृति से उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भी अपने उपादान कारण शरीर को विषय करने वाली
ऊर्ध्व मुख अधःपादादि-तप की कृति से जन्य होने के कारण स्वोपादान गोचर कृति जन्य भिन्न
नहीं होता है । फलतः काश्य पात्र की उक्त गति और कृष्णशरीर के उक्त गौर रूप के द्वारा हेतु में
साध्य व्यभिचार का सन्देह होने से अनुमिति का प्रतिरोध हो जायगा और कृति में जब स्वजनक
अदृष्टाजनकत्व का निवेश करते हैं तब वह बोध नहीं हो सकता, क्योंकि काश्यपात्र की गति
काश्यपात्रगोचर स्पर्शजनक कृति से अदृष्ट द्वारा उत्पन्न होती है । और कृष्णशरीर गत उक्त गौर
रूप भी स्वोपादानगोचर अधोमुख उर्ध्वपादादि रूप तप की कृति से अदृष्ट द्वारा ही उत्पन्न होता है ।
अत एव उक्त गति और उक्त रूप स्वोपादानगोचर स्वजनक अदृष्ट जनक कृति से ही जन्य होने के
कारण स्वोपादानगोचर स्वजनकअदृष्टाजनककृतिजन्य भिन्न होने से पक्षान्तर्गत हो जाते हैं ।

(समवेतत्व और जन्यत्व का उचित निवेश)

दूसरा अंश है 'समवेतत्व' । इस अंश का पक्षतावच्छेदक कोटि में संनिवेश न करने पर ध्वंस भी
पक्षान्तर्गत हो जाता है । और उसमें साध्य का बाध होने से पक्षतावच्छेदकाऽवच्छेदेन अनुमिति का
प्रतिबन्ध हो जाता है । अतः समवेतत्व अंश का पक्षतावच्छेदक कोटि में प्रवेश आवश्यक है ।

तीसरा अंश है 'जन्यत्व' इस अंश का भी पक्षतावच्छेदक कोटि में संनिवेश आवश्यक है ।
जन्यता आकाशगत एकरव-परिमाणादि नित्य गुण भी पक्षान्तर्गत हो जायेंगे और उन में साध्य का
बाध होने से पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति का प्रतिरोध हो जायगा ।

न च साध्ये पक्षे च गोचरान्तद्वयं माऽस्तु, मृदङ्गादिगोचरकृतिजन्यशब्दादिस्तु पक्षवर्द्धि-
भूत एव दृष्टान्तोऽस्त्विति वाच्यम्, अदृष्टेतरव्यापारद्वाराऽस्मदादिकृतिजन्यत्वमिद्व्याऽधोन्तर-
प्रसङ्गवारणाय साध्ये तन्निवेशावश्यकत्वे, शब्दादावर्तकान्तिकत्वसंशयवारणाय पक्षेऽपि
तदावश्यकत्वात्, तादृशशब्दादिकर्तृतयापि भगवत्सिद्धये पक्षे तन्निवेशोऽज्ञातः सिद्धसाधनवार-
णाय साध्ये तन्निवेशावश्यकत्वाच्च । एतेन 'स्वजनकाऽदृष्टजनकान्यत्वमप्युभयत्र माऽस्तु'
इत्यपास्तम्, तादृशकार्यचालनादिकर्तृतयाऽपि भगवत्सिद्धयर्थे पक्षे तदुपादाने साध्येऽप्या-
वश्यकत्वात् । यद्यि च 'स्वजनकादृष्टजनककृतेर्न स्वजनकत्वम्, मानाभावान्' इति विभा-
ज्यते, तदा पक्षे तद् नोपादेयम्; साध्ये तु देयमेव, अन्यथा सर्गान्तरीयज्ञानादीनां द्व्यणुका-
द्युपादानाऽगोचरत्वेन द्व्यणुकादौ सिद्धसाधनाभावेऽप्युक्तकार्यचालनादावदृष्टजनककृतिजन्य-
त्वमिद्व्याऽधोन्तरावसरेऽस्तुगत्या स्वोपादानगोचरकृतिजन्यं यत् तत्प्राप्यच्छिन्नभेदकृतत्वमेव
कार्यचालनादेरपि पक्षान्तर्गतत्वात्' इत्याहुः ।

(कृति में स्वोपादानगोचरत्व का उचित निवेश)

सकृत्कृतरूप साध्य को स्वोपादानगोचर स्वजनकअदृष्टाजनक प्रत्यक्षातिजन्यत्व रूप में प्रस्तुत किया गया है । यदि साध्य के इस प्रस्तुत रूप में कृति में स्वोपादानगोचरत्व का निवेश न किया जायगा तो मृदङ्गादिजन्य शब्द और वायुगत कुत्कारादि में स्वजनकअदृष्ट का जनक मृदङ्गादि गोचर प्रत्यक्षातिजन्यत्वके सिद्ध होने से अंशतः सिद्धसाधन होगा । अतः उस के कारण के लिये साध्य के शरीर में कृति कांश में स्वोपादान गोचरत्व का निवेश आवश्यक है । इसी प्रकार मन्त्रविशेष पाठपूर्वक स्पर्श से उत्पन्न होनेवाले कांद्यपात्र की गति में स्व के उपादान कांद्यपात्र को विद्यमान करनेवाली स्वजाजनक कृति का जन्यत्व रहने से और अधोमुख ऊर्ध्वचरणादि रूप तप की कृति से उत्पन्न होनेवाले कृष्णशरीरगत गौररूप में स्वोपादान शरीर गोचर कृति जगत्प्रवृत्ति से अंशतः सिद्धसाधन होगा । अतः इस वीथ के निवारणार्थ साध्य के शरीर में कृति अंश में स्वजनक-अदृष्टाजनकत्व का निवेश आवश्यक है । इस निवेश से उक्त अंशतः सिद्धसाधन बोध का परिहार हो जाता है, क्योंकि कांद्यपात्र की गति को उत्पन्न करनेवाले कांद्यविपरिणीत स्वजनक कृति उस गति के जनक अदृष्ट का जनक होती है-अजनक नहीं होती है । और कृष्ण शरीर में गौररूप उत्पन्न करनेवाले अधोमुख ऊर्ध्वचरणादि-रूप तप की कृति भी उक्त रूप के जनक अदृष्ट का जनक ही होती है अजनक नहीं होती है । अतः कांद्य की उक्त गति और कृष्णशरीरगत उक्त गौररूप में स्वोपादानगोचरस्वजनकअदृष्टाजनक कृत्यादि जगत्प्रवृत्ति सिद्ध न होने से अंशतः सिद्धसाधन नहीं हो सकता है ।

इस संबंध में यह प्रश्न हो सकता है कि-“साध्य और पक्ष दोनों ही के शरीर में स्वोपादान-गोचरत्व का निवेश न किया जाय और उस निवेश के अभाव में मृदङ्गादिगोचर कृति से उत्पन्न होनेवाले शब्दादि को पक्ष से बाह्य दृष्टान्त माना जाय, अतः उस के द्वारा हेतु में साध्य के व्यभिचार की शंका कैसे हो सकती है” ?—किंतु इस प्रश्न के उत्तर में यह कहना पर्याप्त है कि

अन्ये तु द्रव्याणि ज्ञानेच्छा-कृतिमन्ति, कार्यवत्त्वान्, कपालवत् । साध्यता विशेष्यतया, हेतुता च समवायेन, पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुद्देश्यत्वाद् नाशता

पक्ष में अदृष्ट से निश्च किसी व्यापार के द्वारा अस्मत्वादि की कृतिजन्यता मान लेने पर अर्थान्तर की प्रसक्ति होगी। अतः उस के चारण के लिये साध्य के शरीर में स्वोपादानगोचरत्व का निवेश आवश्यक होगा। अस्मत्वादि की कृति दृग्धनुक के उपादान को विषय नहीं करती इसलिये अर्थान्तर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार साध्य में स्वोपादानगोचरत्व का संनिवेश आवश्यक हो जाने पर पक्ष में भी उस का निवेश करना आवश्यक होगा। अन्यथा मूढङ्गाविद्यात्म से होने वाले शब्द के द्वारा हेतु में शब्द व्यभिचार की संका की प्राप्ति होगी। क्योंकि पक्ष में स्वोपादानगोचरत्व का निवेश न होने पर उक्त शब्द पक्ष बहिर्भूत हो जाता है और उस में स्वोपादानगोचर स्वजनक अदृष्टाजनक कृतिजन्यत्वक साध्य का सम्बन्ध होता है।

इस के अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि यदि मूढङ्गावि से उत्पन्न होनेवाले शब्दादि के कर्त्तृरूप में भी परमेश्वर की सिद्धि करती हो तो उसे पक्षान्तर्गत बनाने के लिये पक्ष में स्वोपादान-गोचरत्व का निवेश करना होगा, और उस स्थिति में उसमें स्वोपादान गोचरत्व से अघटित साध्य के सिद्ध होने से अंशतः सिद्धसाधन की प्राप्ति होगी, अतः उस के चारणाव साध्य में भी स्वोपादानगो-चरत्व का निवेश आवश्यक होगा।

इस प्रसंग से यह सुझाव कि-‘स्वजनक अदृष्टाजनकत्व का संनिवेश साध्य और पक्ष दोनों में न किया जाय’-उचित नहीं है। क्योंकि काश्यपात्र की उक्त गति और कृष्ण शरीर से उत्पन्न होनेवाले उक्त गौर रूप के कर्त्तृरूप में भी ईश्वर की सिद्धि करने के लिये पक्ष में कुर्यांश में स्वजनक-अदृष्टाजनकत्व का निवेश करना होगा और उस स्थिति में साध्य में भी उस अंश के निवेश की आवश्यकता अपरिहार्य होगी। अथवा उक्त गति और उक्त रूप में अंशतः सिद्धसाधन की प्राप्ति होगी। यदि यह कहा जाय कि-‘स्वजनक अदृष्ट को उत्पन्न करनेवाली कृति स्व का जनक नहीं हो सकती है क्योंकि उसे स्व का कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं है। उस वशा में पक्ष में स्वजनक अदृष्टाजनकत्व के निवेश की आवश्यकता न होगी। किन्तु शास्त्र में उस का निवेश करना ही होगा। क्योंकि शास्त्र में उसका निवेश न करने पर पूर्व सर्ग के अस्मत्वादिके ज्ञानजन्यत्व को लेकर दृग्धनुकादि में सिद्धसाधन नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व सर्गका अस्मत्वादि का ज्ञान भी दृग्धनुकादि के उपादान को विषय नहीं करता’-तब भी उक्त काश्यपात्र की गति में और कृष्णशरीरगत गौर रूप में अर्थान्तरकी प्राप्ति हो सकती है यदि उन्हें स्वजनक अदृष्ट को उत्पन्न करनेवाली कृति से अन्य मान लिया जाय, क्योंकि स्वोपादानगोचर कृतिजन्य जो जो वस्तु हैं वे सभी वस्तुओं का भेदकुट उक्त गति और उक्त रूप में विद्यमान है। अतः उक्त गति और उक्त रूप भी पक्षान्तर्गत हो जाते हैं।—यह भी अन्य विद्वानों का मत है।

[द्रव्यपक्षक कार्यवत्ताहेतुक अनुमान]

अन्य विद्वान् कार्य में सकर्तृकत्व साधक अनुमान का इस रूप में प्रयोग करते हैं कि-‘द्रव्य ज्ञानेच्छाकृतिमान् होते हैं क्योंकि वे कार्यवान् होते हैं जैसे कपाल।’ इस अनुमान में द्रव्य पक्ष है और

सिद्धसाधनम् । न च बहिरिन्द्रियाह्वयमुपाधिः, अनुकूलतर्केण हेतुव्याप्यतानिर्णये तदन-
वकाशात् । न च त्रिनयस्य मिलितस्य साध्यत्वेऽप्रयोजकत्वम्, मिलितत्वेनाऽहेतुत्वात्,
प्रत्येकं साध्यत्वे ज्ञानेच्छावश्वेन साधने सर्गान्तरीयज्ञानादिना सिद्धसाधनमिति धाक्यम्,
मिलितत्वेन साध्यत्वेऽपि कार्यकारणभावत्रयस्य प्रयोजकत्वात् । 'सर्गाद्यकार्त्तमं द्रव्यं ज्ञान-
वत्' कार्यत्वात्, एतत्तावच्छेदककालावच्छेदेन साध्यमिदं—इत्यप्याहुः ।

ज्ञान इच्छा और कृति विशेष्यता सम्बन्ध से साध्य है और कार्य समवाय सम्बन्ध से हेतु है । स्पष्ट है कि समवाय सम्बन्ध कोई भी कार्य द्रव्य में ही होता है । और जो कार्य जिस द्रव्य में होता है उस द्रव्य में उस कार्य के उपादान भूत द्रव्य का ज्ञान और उस के उपादान भूत द्रव्य में उस कार्य की चिकीर्षा और उस कार्य के उपादानभूत द्रव्य को विषय करनेवाली उस कार्य की विधायिका कृति विशेष्यता सम्बन्ध से रहती है । इस अनुमान में अंगतः सिद्धसाधन की प्रसक्ति प्रतीत होती है क्योंकि पक्ष के अन्तर्गत ज्ञानेच्छादि द्रव्यों में घट के उत्पादक ज्ञान इच्छा और प्रयत्न विशेष्यता सम्बन्ध से सिद्ध है । किन्तु यह अंगतः सिद्ध साधन इस अनुमान को दूषित नहीं कर सकता, क्योंकि उस में पक्षतावच्छेदकीभूतद्रव्यत्वावच्छेदेन साध्य की सिद्धि उद्देश्य है । इसलिये पक्षतावच्छेदक से आक्रान्त होने वाले द्रव्यों में परमाणु और द्व्यणुक आशय हैं और उन में ज्ञान के द्व्यणुक और द्व्यणुक के उत्पादक ज्ञानेच्छाकृति विशेष्यता सम्बन्ध से सिद्ध नहीं है, क्योंकि परमाणु और द्व्यणुक अस्म-
द्विके ज्ञान इच्छा प्रयत्न के विषय नहीं होते हैं । अतः उन में विशेष्यता सम्बन्ध से ज्ञानेच्छाकृति की सिद्धि ईश्वर के ज्ञानादि द्वारा ही हो सकती है ।

इस अनुमान में बहिरिन्द्रियप्राहृत्य को उपाधित्व संभावित है, क्योंकि ज्ञानेच्छाकृतिरूप साध्य विशेष्यतासम्बन्ध से ज्ञान कपात्तादि द्रव्यों में सिद्ध है उन में बहिरिन्द्रियप्राहृत्य है । इसलिये यह साध्य का व्यापक है । और कार्यरूप साधन समवाय सम्बन्ध से परमाणु और द्व्यणुकादि में भी है किन्तु उस में बहिरिन्द्रियप्राहृत्य नहीं है इसलिये यह साधन का अव्यापक भी है । किन्तु इस उपाधि से प्रस्तुत अनुमान का विरोध नहीं हो सकता क्योंकि कार्य को यदि ज्ञानेच्छाकृति का व्यभिचारो माना जायगा तो कार्य के प्रति ज्ञानादि की सर्वसम्मत कारणता का लोप हो जायगा । इस अनुकूल तर्क से कार्योत्पन्न हेतु में ज्ञानेच्छाकृति रूप साध्य को व्याप्ति का निर्णय उक्त उपाधि के द्वारा अवरोध नहीं हो सकता क्योंकि अनुकूल तर्क के अभाव में ही उपाधि-व्यभिचार से हेतु में साध्य-
व्यभिचार की अनुमिति होने से हेतु में साध्य व्याप्ति के निर्णय का प्रतिरोध हो कर अनुमिति का अवरोध होता है जो प्रस्तुत अनुमान में कार्यसामान्य के प्रति ज्ञानेच्छाकृति के सर्वसम्मत कारणता रूप अनुकूलतर्क के नाले संभव नहीं है ।

(मीलित या पृथक् ज्ञानादि की साध्यता पर आक्षेप)

इस अनुमान में यह शंका हो सकती है कि—'ज्ञानेच्छाकृति' इन तीनों को मीलितरूप में साध्य माना जायगा तो अप्रयोजकत्व दोष होगा अर्थात् कार्योत्पन्न हेतु तीनों को मीलित रूप में सिद्ध न कर सकेगा क्योंकि कार्य के प्रति ज्ञानेच्छाकृति को मीलितरूपसे कारणता न मानकर पृथक् पृथक् ही कारणता मानी जाती है । और यदि ज्ञानेच्छाकृति को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष साध्य माना जाय तो द्रव्य में विशेष्यता

‘क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात्’ इत्येवाऽनुमानम्, प्रकृतविचारानुकूलविवाद-
विषयत्वेन च क्षित्यादीनामनुगमः, सकर्तृकत्वं च प्रतिनियतकर्तृनिरूपितः सम्बन्धो व्यवहार-
साक्षिको घटादिदृष्टान्तद्वयो नित्यवर्गव्यावृत्त इति नानुपपत्तिः-इत्यपि केचित् ।

सम्बन्ध से ज्ञान और इच्छा का साधन करने पर पूर्व सर्ग के योगीज्ञान और इच्छा को लेकर सिद्ध-
साधन हो जायगा । क्योंकि पूर्व सर्ग में सामान्य मनुष्यों को परमाणु और द्रव्यणुक का प्रत्यक्षज्ञान
और उन में द्रव्यणुक और अणुक रूप कार्य की चिकीर्षा न होने पर भी योगी को परमाणु और
द्रव्यणुक का ज्ञान और उन में द्रव्यणुक और अणुकरूप कार्य की चिकीर्षा योगबल से अवश्य हो सकती है ।
इस प्रकार पूर्व सर्ग के योगीज्ञान और योगी की इच्छा को लेकर सिद्धसाधन की प्रसिद्धि होगी ।—
किन्तु विचार करने पर यह संका उजित नहीं प्रतीत होती है । क्योंकि ज्ञानेच्छाकृति को मिलितरूप से
साध्य मानने पर भी अप्रयोजकत्व दोष नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानेच्छाकृति तीनों में मौलित रूप
से कार्य के प्रति एक कारणता न होने पर भी उन तीनों में कार्य की जो पृथक् पृथक् तीन कारणताएँ
हैं यह ही प्रयोजक हो जायगी । क्योंकि कार्य यदि मौलित तीनों का व्यभिचारी होगा तो भी उक्त
तीनों कारणताओं के लोप की आपत्ति होगी ।

कुछ विद्वान उक्त आपत्ति के भय से प्रकृत अनुमान का अन्य रूप में प्रयोग करते हैं । जैसे सृष्टि के
आरंभ काल में स्थित प्रथम विशेष्यता सम्बन्धसे ज्ञानवान् है, क्योंकि उस में समसायसम्बन्ध से कार्य
होता है । इस प्रकार के अनुमान में पूर्वसर्ग के योगीज्ञान के द्वारा सिद्धसाधन की आपत्ति नहीं हो
सकती क्योंकि इस अनुमान में सृष्टि का आरंभकाल पक्षतावच्छेदक है और तत्कालावच्छेदेन ज्ञान
की सिद्धि उद्देश्य है । पूर्व सर्ग का ज्ञान परमाणु भावि द्रव्यों में सृष्टिके आरम्भकालावच्छेदेन नहीं
रह सकता क्योंकि सृष्टि के आरंभकाल में पूर्वसर्ग का ज्ञान विद्यमान नहीं होता ।

[क्षित्यादि-पक्षक अनुमान]

कतिपय विद्वान ‘कार्य सकर्तृकं कार्यत्वात्’-इस प्रकार के अनुमान का प्रयोग न कर ‘क्षित्यादिकं
सकर्तृकं कार्यत्वात्’ इसी प्रकार के अनुमान का प्रयोग करते हैं । उनके अनुसार-क्षित्यङ्कुरादि
अनेक कार्यों का अनुगम, प्रकृत विचार का प्रयोजक जो विवाद, उस विवाद के विषयस्वरूप से हो
जाता है । अतः क्षिति आदि तादृशविवादविषयस्वरूप एक अनुगत धर्म के द्वारा पक्ष बन जाते हैं ।
इतलिये क्षितित्व अङ्कुरत्वादि धर्मोंके अनुगत होने पर भी उन सभी को पक्ष होने में कोई बाधा
नहीं होती । उन विद्वानोंके अनुसार सकर्तृकत्वरूप साध्य भी कर्तृजन्यत्व या कृतिजन्यत्व रूप न होकर
कर्तृनिरूपित सम्बन्धरूप होता है जो कि ‘अमुक कार्य अमुककर्तृमान है’ इस व्यवहार से सिद्ध है, और
नित्य पक्षाओं में नहीं रहता क्योंकि नित्यपक्षाओं में ‘कर्तृमान’ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता ।
कर्ता का यह सम्बन्ध घट भावि दृष्टान्त में सिद्ध है, क्योंकि ‘घट कर्तृमान-घट कर्तृमान’ इस प्रकार का
व्यवहार सर्वमान्य है । इस प्रकार ‘क्षित्यादिकं सकर्तृकं’ इस अनुमान से क्षिति अङ्कुरादि कार्यों में
कर्ता का निपन्न सम्बन्ध सिद्ध होता है । और वह सम्बन्ध अस्मत्वादि को कर्ता मानकर नहीं उत्पन्न
हो सकता । क्योंकि ‘क्षित्यादिकं अस्मत्वादिकर्तृकं’ यह व्यवहार नहीं होता । अतः उक्त अनुमान
द्वारा क्षित्यादि में कर्तृसम्बन्ध की उत्पत्ति ईश्वरद्वारा ही की जा सकती है । फलतः उक्त अनुमान
द्वारा क्षित्यादि के कर्ता रूप में ईश्वर की सिद्धि निर्विवाद है ।

आयोजनादपि । 'समाधिहासीनद्रव्यणुककर्म प्रयत्नजन्यम्, कर्मत्वात्, अस्मदादि-
शरीरकर्मवत्'- इत्यनुमानात् । परमाणोरेव तादृशप्रयत्नवन्वे ब्रह्मताहानिः स्यात् ।

अदृष्टं तु तत्र दृष्टहेतुत्वमपेक्षं न हेतुः, तथात्वे दृष्टहेतुच्छेदापत्तेः, कर्मण एवाऽनुत्प-

(आयोजन-वृक्षणुकजनकक्रिया-हेतुक अनुमान)

'कार्यायोजनधृत्वादेः' इस पूर्व निर्दिष्ट कारिका में आयोजन को भी ईश्वर का अनुभाषक बताया गया है । आयोजन द्वारा ईश्वर का जो अनुमान अभिमत है उसका प्रयोग इस रूप में होता है कि- 'सृष्टि के आरम्भ काल में उत्पन्न होने वाले वृक्षणुक की उत्पत्ति जिस परमाणु-कर्म से होती है वह कर्म प्रयत्नजन्य है, क्योंकि वह एक कर्म है । जो भी कर्म होता है वह प्रयत्नजन्य होता है, जैसे- 'अस्वभाविके शरीर में होनेवाला कर्म' । आशय यह है कि सृष्टि के आरम्भ में जब वृक्षणुक की उत्पत्ति होती है तब जिन परमाणुओं के संयोग से वृक्षणुक की उत्पत्ति होती है उन परमाणुओं में से किसी एक परमाणु में ईश्वर के प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होता है और उस कर्म से उस परमाणु का पूर्व देश के साथ विभाग और पूर्व देश के साथ विद्यमान संयोग का नाश होकर वृक्षणुक के साथ उसका संयोग होता है । उसके बाद उस संयोग से वृक्षणुक की उत्पत्ति और उस संयोग की उत्पन्न करने वाले परमाणु-कर्म का नाश साथ ही होता है । यदि ईश्वर का अस्तित्व न माना जायगा तो वो परमाणुओं में संयोग उत्पन्न करनेवाला कर्म न हो सकेगा । फलतः वृक्षणुक की उत्पत्ति न हो सकने से सृष्टि का निर्माण असम्भव हो जायगा । अतः उक्त अनुमान के द्वारा सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न होने वाले वृक्षणुक की उत्पत्ति के लिये अपेक्षित परमाणुवृक्षसंयोग को संपन्न करने के लिये परमाणु में जो कर्म अपेक्षित है उस कर्म के कारणरूप में जो प्रयत्न सिद्ध होता है उस प्रयत्न का धार्य कोई जीव नहीं हो सकता क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में जीव अशरीर होता है और अशरीर जीव में प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती है । अतः उस प्रयत्न के आश्रय रूप में ईश्वर की सिद्ध आवश्यक है । यदि यह कहा जाय कि- 'वो परमाणुओं को संयुक्त करनेवाला परमाणु कर्म परमाणु के ही प्रयत्न से उत्पन्न होता है'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि परमाणु को प्रयत्नवान् मानने पर उसे चेतन ही मानना होगा क्योंकि प्रयत्न की उत्पत्ति चेतन में ही होती है । फलतः परमाणु को अब्रह्मता समाप्त हो जायगी जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि सभी परमाणु चेतन होंगे तो उनकी अलग अलग इच्छाएँ होंगी । फलतः उनके विचारों और इच्छाओं में सामञ्जस्य न होने के कारण उन के द्वारा भुज्यवस्थित सृष्टि का निर्माण न हो सकेगा ।

[अदृष्ट से परमाणुक्रिया की उत्पत्ति की आशंका]

आयोजनके आचार पर प्रस्तुत प्रकृत अनुमान के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि- 'सृष्टि के आरम्भ में वृक्षणुक के आरम्भक परमाणुवृक्ष के संयोग का जनक परमाणुकर्म प्रयत्न से नहीं उत्पन्न होता है किन्तु अदृष्ट से ही उत्पन्न होता है । इसलिये प्रकृत अनुमान से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती'-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि अदृष्ट दृष्टहेतु से निरपेक्ष होकर उस कर्म का कारण नहीं हो सकता । यदि दृष्ट हेतु की अपेक्षा किये बिना भी अदृष्ट को कारण माना जायगा तो सर्वत्र अदृष्ट से ही सभी कार्यों की उत्पत्ति हो जाने से दृष्टकारण का सर्वथा लोप हो जायगा । फलतः जिस कर्म को अदृष्ट से जन्म बताया जा रहा है उस कर्म की ही उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि वह कर्म जिस

चित्प्रसङ्गात् । 'चेष्टात्वमुपाधि'रिति चेत् ? किं तत् ? 'प्रयत्नजन्यक्रियात्वमि'ति चेत् ? न तत्रैव तत्स्येवाऽनुपाधित्वात् । 'हित-अहितप्राप्ति-परिहारफलत्वमि'ति चेत् ? न, विषमक्षणा-अहितव्य-नाशव्यापनात् । 'शरीरसमवायिक्रियात्वं तदि'ति चेत् ? न, मृतशरीरक्रियाया अतथात्वात् । 'जीवत' इति चेत् ? न, जेत्यनन्तरेत्यथान्तात् । 'स्पर्शवद्द्रव्यान्तराऽअंगो सति शरीर-क्रियात्वं तत्, शरीरपदोपादानाद् न ज्वलन-पथनादिक्रियाऽनित्यामिरि'ति चेत् ? न, शरीरत्वस्य चेष्टाघटितत्वात् । 'चेष्टात्वं=सामान्यविशेषो, यत उन्नीयते प्रयत्नपूर्विकेयं क्रिये'ति चेत् ? न, क्रियामात्रेण तदुक्त्यनात् ।

परमाणुद्वय के संयोग के लिये अपेक्षित है वह संयोग सीधे द्रष्टृ से ही उत्पन्न हो जायगा । बीच में कर्म की कोई आवश्यकता न रह जायगी । अतः जब परमाणु कर्म को सीधे द्रष्टृ से जग्य न मानकर प्रयत्न से अन्य मानना आवश्यक है ।

(चेष्टात्व उपाधि की आशंका)

इस संदर्भ में यह शंका हो सकती है कि—प्रकृत अनुमान चेष्टात्वरूप उपाधि से परत है क्योंकि चेष्टात्व कर्मत्वरूप साधन से विशिष्ट प्रयत्नजन्यत्व साध्य का व्यापक है क्योंकि प्रयत्नजन्य सभी कर्मों में चेष्टात्व रहता है, और साधन का व्यव्यापक है क्योंकि कर्मत्वरूप साधन घटाबिगत कर्म-में भी रहता है और चेष्टात्व उसमें नहीं रहता । अतः चेष्टात्व साधनान्वितसाध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक होने से उपाधि है— । किन्तु चेष्टात्व का निवचन न होने के कारण चेष्टात्व को उपाधि कहना ठीक नहीं है । जैसे चेष्टा का अर्थ यदि प्रयत्नजन्यक्रिया किया जायगा तो साध्य और उपाधि एक ही हो जायगा । क्योंकि सृष्टि के आरम्भकाल में उत्पन्न होनेवाले वृषणुक के उत्पादक परमाणुद्वय संयोग के जनक परमाणु कर्म को प्रयत्नजन्य मानने पर फलतः प्रयत्नजन्यक्रियात्व ही साध्य होता है और वही चेष्टात्व है । इसलिए चेष्टात्व अपने ही प्रति उपाधि नहीं हो सकता । साध्य साधन का व्यापक होना है अतः साध्य से अन्विष्ट होने के कारण चेष्टात्व में साधन का व्यापक ही होगा । अब कि उपाधि होने के लिये साधन का अव्यापक होना आवश्यक है । यदि यह कहा जाय कि—'हित की प्राप्ति और अहित के परिहार की उत्पादक क्रिया चेष्टा है । अतः साध्य और चेष्टात्व में त्रैव हो जाने से चेष्टात्व के उपाधि होने में कोई बाधा नहीं हो सकती ।—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि विषमक्षणा रूप क्रिया और सर्पलक्षुन रूप क्रिया भी चेष्टा है । किन्तु चेष्टा का जब प्रकार से निर्वचन करने पर विषमक्षणा और सर्पलक्षुन रूप क्रियाएँ चेष्टा न हो सकेंगी, क्योंकि विषमक्षणा भावि क्रियाएँ मृत्यु का जनक होने से अहित परिहार की जनक नहीं है । शरीर में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली क्रिया का नाम चेष्टा है— इस प्रकार भी चेष्टा का निर्वचन उचित नहीं हो सकता क्योंकि मृत शरीर में किसी स्पर्शवान् वेगवान् प्रथ के संयोग से उत्पन्न होने वाली क्रिया भी चेष्टा के उक्त निर्व-चन को परिधि में आ जाने से वह भी चेष्टा द्रष्टृ से व्यवहृत होने लगेगी । 'जोकि शरीर में सम-वाय सम्बन्ध से रहने वाली क्रिया चेष्टा है—इस रूप में भी चेष्टा का निर्वचन नहीं हो सकता क्योंकि भेज का स्पर्शन और वातव्याधि से हस्तपादादि में होने वाला कम्पन भी शरीरसम्बन्ध क्रियारूप होने से चेष्टा हो जायगी ।

धृतेरपि । ब्रह्माण्डादिपतनाभावः पतनप्रतिबन्धकप्रयुक्तः । धृतित्वात् , उत्पन्नतन्त्रि-
पतनाभावत्वात् , तेषां प्रयुक्तत्वादिदृष्टेश्चूचां । एतेनान्ध्र-अग्नि-यम-दिर्लोकापालयनिपादका
आगमा अपि व्याख्याताः, तेषां तदधिष्ठानदेशानामीश्वरावेगेनैव पतनाभाववत्त्वात् । तथा च
धृतिः “एतस्य चाक्षरस्य प्रज्ञासंज्ञं गार्गी यावापृथिवी विधृते तिष्ठतः” इति । प्रज्ञागर्भं
दण्डभूतः प्रयत्नः, आवेष्टास्वरूपरीरावच्छिन्नप्रयत्नवत्त्वमेव, सर्वावेशनिबन्धन एव च सर्वतादा-
त्म्यव्यवहार इति, “आत्मवेदं सर्वम्, ब्रह्मवेदं सर्वम्” इत्यादिकम् ।

यदि यह कहा जाय कि-स्पर्शवान् अन्य द्रव्य के संयोग के बिना उत्पन्न होने
वाली शरीर की क्रिया चेष्टा है-तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इस निर्वचन में शरीर पद का
ग्रहण होने से यद्यपि उचलन और पवन आदि की क्रिया में चेष्टात्व का कारण हो जाता है क्योंकि
यह क्रिया अस्पर्शवान् अन्य द्रव्य के संयोग से अनुत्पन्न होने पर भी शरीर समवेत नहीं होती क्योंकि
उचलन और पवन किसी का शरीर नहीं है, तथापि चेष्टा के इस निर्वचन में शरीर का शरीरत्वेन
निवेश है और शरीरत्व चेष्टाव्यवहार रूप है । इसलिये चेष्टा के लक्षण में चेष्टा का प्रवेश हो जाने से
आत्माध्यय हो लगेगा यदि यह कहा जाय कि-‘चेष्टात्व एक सामान्यविशेष=परस्परता काति है,
जिससे ‘इय क्रिया प्रयत्नपूर्वकता-यह क्रिया प्रयत्नजन्य है’ क्योंकि चेष्टात्व है’ यह अनुमान होता है’ ।
-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि क्रिया में प्रयत्नपूर्वकत्व का अनुमान क्रिया के सामान्य रूप क्रियात्व से भी
हो सकता है । अतः क्रिया से प्रयत्नपूर्वकत्व की अनुमापकता के अवच्छेदकरूप से भी चेष्टात्व की
सिद्धि मानकर सामान्य विशेष रूप में चेष्टात्व का निर्वचन नहीं हो सकता । आशय यह है कि ईश्वर-
बादी के मत में सभी क्रिया में ईश्वरप्रयत्नपूर्वकत्व होने से क्रियात्व भी प्रयत्नपूर्वकत्व का व्याप्य
हो सकता है । इसलिये क्रियात्व से ही प्रयत्नपूर्वकत्व का अनुमान हो सकने के कारण प्रयत्नपूर्वकत्व
के अनुमापकतावच्छेदक रूप में चेष्टात्व को मान्यता नहीं प्रदान की जा सकती ।

(ब्रह्माण्डधृति-पतनाभावपक्षक अनुमान)

धृतेरपि=धृति से भी ईश्वर का अनुमान होता है । धृति का अर्थ है पतन का अभाव । उस
से होनेवाले अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है जैसे-ब्रह्माण्ड आदि गुरुद्रव्यों के पतन का अभाव
पतन के किसी प्रतिबन्धक से प्रयुक्त है क्योंकि वह गुरु द्रव्यों के पतन का अभाव रूप है । गुरुद्रव्यों का
जो पतनाभाव होता है वह पतन के किसी प्रतिबन्धक से प्रयुक्त होता है जैसे उड़ते हुए पक्षी के पतन का
अभाव उस पक्षी के प्रयत्नरूप प्रतिबन्धक से प्रयुक्त होता है । एवं उड़ते हुए पक्षी से पकड़े हुए तृणादि के
पतन का अभाव तृण के साथ उस पक्षी के संयोगरूप प्रतिबन्धक से प्रयुक्त है । आशय यह है कि
जिस द्रव्य में गुरुत्व होता है उस का पतन अर्थात् नीचे की ओर गमन अवश्य होता है, यदि स्थान-
विशेष में उस को रोक रखनेवाला कोई पदार्थ न हो । इस रोकनेवाले पदार्थ को ही पतन का
प्रतिबन्धक कहा जाता है जैसे वृक्ष की शाखा में लगे हुए फलों का गुरुत्व होने पर भी पतन नहीं होता
क्योंकि शाखाके साथ फल का संयोग फलको रोक रखता है । वह उस में पतनक्रिया उत्पन्न नहीं होने
देता है । इसी प्रकार अब कोई पक्षी आकाश में उड़ता हुआ होता है तो उस उड़ते हुए पक्षी के शरीर में
भी गुरुत्व है । इसलिये उस गुरुत्व के कारण उस का पतन हो जाना चाहिये किन्तु उस का पतन

इसलिये नहीं होता कि पक्षी का शरीर पक्षी की आत्मा में विद्यमान प्रयत्न से धारित रहता है । अर्थात् पक्षी की आत्मा का प्रयत्न स्वात्मसंयोगसम्बन्ध से अवस्था अवच्छेदकता सम्बन्ध से पतन का प्रतिबन्धक होता है । इसीप्रकार आकाश में उड़ते हुए पक्षी द्वारा चोंच में रके हुए काष्ठखण्ड पक्षबा फल आदि में भी गुरुत्व है और गुरुत्व के कारण उस का भी पतन हो जाता चाहिए किन्तु उस का पतन इसलिये नहीं होता कि उन के पतन का कोई न कोई प्रतिबन्धक है । इसी प्रकार ब्रह्माण्डादि द्रव्य भी गुरु है, अतः गुरुत्व के कारण उनका भी अपने स्थान से पतन हो जाना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता अपि तु ये अपने निश्चित स्थान में अवस्थित रहते हैं । अतः उन के पतन का भी विरोधी कोई न कोई होता चाहिये । ब्रह्माण्डादि किसी जीव का शरीर नहीं है इसलिये उड़ते हुए पक्षी के शरीर के समान उस का धारण संभव नहीं है । किन्तु उसे उड़ते हुए पक्षी द्वारा पकड़े गये तृणकाण्ड आदि का धारण प्रयत्नशील पक्षी के संयोग से होता है उसी प्रकार ब्रह्माण्ड आदि का भी धारण किसी प्रयत्नशील के संयोग से ही मानना होगा । वह प्रयत्नशील कोई जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव में प्रयत्न का उदय जीवके शरीर होने पर ही होता है और ब्रह्माण्ड तो जीव के शरीर होने के पूर्व भी रहता है । अतः एव उसे किसी ऐसे ही पुरुष के संयोग से धारित मानना होगा जो पुरुष शरीर के बिना भी प्रयत्नवान् हो सके । इस प्रकार ईश्वर के प्रयत्न से ब्रह्माण्ड आदि का पतन नहीं हो पाता वह ईश्वर से अन्य कोई नहीं हो सकता ।

(इन्द्रादि देवताओं से सिद्धसाधनता की आशंका)

आगमी-पुराणविशास्त्रों में इन्द्र, अग्नि, यम आदि देवताओं को लोकपाल कहा गया है । अर्थात् उन्हें निम्न निम्न लोक का धारक बताया गया है । ईश्वर को ब्रह्माण्डादि का धारक मानने पर यह समस्या ऊठती है कि— जिन लोकों का धारक इन्द्रादि देवताओं को बताया गया है उन का धारण भी ईश्वर से हो ही जायगा । फिर उन लोकों के धारणार्थ इन्द्रादि देवताओं की कल्पना अनावश्यक है, यद्यपि इस प्रकार की समस्या हो सकती है कि आगमों के अनुसार इन्द्रादि देवताओं के द्वारा ही संपूर्ण लोक का धारण होने से उनके सामूहिक प्रयत्न से ब्रह्माण्ड का भी धारण हो सकने के कारण ब्रह्माण्ड आदि के धारण के निमित्त ईश्वर की कल्पना अनावश्यक है । किन्तु इन समस्याओं का समाधान अत्यंत सरल है । और यह यह है कि इन्द्रादि देवताओं से धारण किये गये लोकों का भी धारक ईश्वर ही है । इन्द्रादि में उन लोकों के धारण करने की जो बात कही गई है वह भी उन देवताओं में ईश्वर के आवेश पर निर्भर है । अतिसार यह है कि ईश्वर ही इन्द्रादि शरीर में अन्विष्ट हो कर समस्त लोकों का धारक होता है । यदि ईश्वर का अस्तित्व न हो तो इन्द्रादि भी उन उन लोकों के धारण में उसी प्रकार समर्थ नहीं होता ।

वेद भी ईश्वर को ही अलोक पृथ्वीलोक आदि का धारक बताता है । जैसे एतस्य च अधरस्य प्रशासने गार्गी आवापृथिवी विधत्ते तिष्ठतः । इस वेद वाक्य में गार्गी नामक महिषा की सम्बोधित कर यह कहा गया है कि कभी भी अपने स्वरूप से व्युत्पन्न होनेवाले परमेश्वर के प्रशासन में ही अलोक और पृथ्वी लोक अपने स्थल से पतित न होते हुए स्थित हैं । इस में प्रशासन कइ का अर्थ धारण करनेवाला प्रयत्न है । इस प्रकार वेद के अनुसार समस्त लोक ईश्वर के प्रयत्न से ही धारित हैं यह सिद्ध होता है । यही जो वह बात कही गई कि इन्द्रादि देवता में ईश्वर का आवेश होने से उन में लोकधारकत्व माना जाता है । उस में आवेश का अर्थ इन्द्रादि शरीर के द्वारा प्रयत्नवान्

आदिना नाशादपि, 'ब्रह्माण्डनाशः प्रयत्नजन्यः, नाशत्वात् + पाठ्यमानपठनाशवद् इति ।

कहना सङ्गत नहीं प्रतीत होता किन्तु कथन का यह भास्य है कि ईश्वर के प्रयत्न से इन्द्रादि शरीर में लोकधारक व्यापार का उदय होता है और उस व्यापार से लोक का धारण होता है । उस के अनुसार इन्द्रादि में ईश्वर का आविष्ट होने का अर्थ है इन्द्रादि के शरीर को अपने प्रयत्न से सक्रिय बनाना ।

ईश्वर का आवेश केवल इन्द्रादि देवताओं में ही नहीं होता अपितु संपूर्ण पदार्थों में होता है । इसीलिये ईश्वर में संपूर्ण पदार्थों के तादात्म्य का अथवा संपूर्ण पदार्थों में ईश्वर के तादात्म्य का व्यवहार होता है । जैसा कि 'ब्रह्मैवेवं सर्वं'—यह सब कुछ आत्मा ही है । 'ब्रह्मैवेवं सर्वं'—यह संपूर्ण जगत् ब्रह्मस्वरूप ही है इत्यादि शास्त्रवचनों से स्पष्ट है । अभिप्राय यह है कि जैसे शरीर में आत्म-प्रयत्न से क्रिया का उदय होने के कारण शरीर को आत्मा से आविष्ट मानकर शरीर और आत्मा में 'स्थूलोऽहं करामि' इत्यादि सम्बन्ध से तादात्म्यरूप व्यवहार होता है । उसी प्रकार ईश्वर के प्रयत्न से संपूर्ण जगत् में अवस्थिति रूप क्रिया का उदय होने से संपूर्ण जगत् में ईश्वर का आवेश होता है और उस से 'ब्रह्मैवेवं सर्वं' इस प्रकार संपूर्ण जगत् में ईश्वर के तादात्म्य का व्यवहार होता है ।

(ब्रह्माण्डप्रलय से ईश्वर की सिद्धि का अनुमान)

'कार्यायोजनवत्पादो'—इस पूर्व वर्णित कारिका में भूति' शब्द के साथ 'आवि' शब्द पठित है । उस आवि शब्द से नाशरूप अर्थ की सूचना होती है । इसलिये इस कारिका से यह भी ज्ञात होता है कि नाश के कर्तारूप में भी ईश्वर की प्रतीति होती है । जैसे घट पट आदि का नाश तो सामान्य मनुष्यों के प्रयत्न से भी हो जाता है । किन्तु ब्रह्माण्ड जिस में अनेक विशाल लोक आविष्ट हैं उस का नाश भी शास्त्रों में वर्णित है; वह नाश सामान्य मनुष्य के प्रयत्न से नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्माण्ड को रचना की विधि जैसे सामान्य मनुष्य की ज्ञात नहीं होती उसी प्रकार उस के नाश की विधि भी सामान्य मनुष्य को ज्ञात नहीं हो सकती इसलिये ब्रह्माण्ड के नाश के लिये प्रयत्नशील होने का स्वप्न भी वह नहीं देख सकता । अतः उस ब्रह्माण्ड का नाश जिस के प्रयत्न से हो सकता है वह ईश्वर से प्रतिष्ठित कोई नहीं हो सकता । ब्रह्माण्डनाश द्वारा होने वाले अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है कि 'ब्रह्माण्डनाश प्रयत्न से जन्य है क्योंकि वह नाश है । जो भी नाश होता है वह प्रयत्न से जन्य होता है । जैसे पट के टुकड़े करने पर होनेवाला पट का नाश ।' इस अनुमान में पञ्चासिद्धि की शंका नहीं की जा सकती क्योंकि ब्रह्माण्ड का नाश शास्त्रों में वर्णित है । अथवा 'ब्रह्माण्डम् नाशप्रतिघोषी, जन्यभावत्वात्'—ब्रह्माण्ड भी नष्ट होता है क्योंकि यह जन्य भाव है, जो भी जन्य भाव होता है वह नष्ट होता है—जैसे घटपटादि । इस अनुमान से भी ब्रह्माण्ड का नाश सिद्ध है । अतः एव पञ्चासिद्धि नहीं हो सकती । शंका—'पट समूह के ऊपर जलता हुआ अङ्गारा पड़ जाने पर पट समूह का नाश हो जाता है, समुद्र में सूफान या भूकंप आने पर सहस्रों भवन आदि का नाश हो जाता है । यह नाश किसी प्रयत्न से नहीं होता यह स्पष्ट है । इसलिये इस प्रकार के नाशों में नाशक प्रयत्नजन्यत्व का व्यवहार नहीं हो जाता है । अतः नाशक हेतु से ब्रह्माण्ड नाश में प्रयत्न जन्यत्व का अनुमान अशक्य है ।'—इस प्रकार की शंका नहीं की जा सकती क्योंकि ईश्वरवादी ऐसे नाशों को भी ईश्वर प्रयत्न से ही सम्भव मानते हैं । अतः ऐसे नाश भी पक्षतुल्य होते हैं । अतः एव उनके द्वारा नाशक को प्रयत्नजन्यत्व का व्यवहार नहीं कहा जा सकता ।

पदादपि । पद्यते गम्यतेऽनेनेति पदं=व्यवहारः, ततः 'पटादिव्यवहारः स्वतन्त्र-
पुरुषप्रयोज्यः, व्यवहारत्वात् आधुनिककल्पितलिपिर्नास्तिव्यवहारवत्' इत्यनुमानात्, न च पूर्व-
पूर्यकुलालादिनैवाऽन्यथासिद्धिः, प्रत्ययेन तद्विच्छेदात् ।

[व्यवहार प्रवर्तक रूप में ईश्वरसिद्धि]

पद से जो ईश्वर का अनुमान होता है । पद शब्द की व्युत्पत्ति है 'पद्यते=गम्यते-जायते
अनेनेति पद्यम्' । अर्थात् जिस से पदार्थ ज्ञात हो उस का नाम है पद । इस व्युत्पत्ति के अनुसार पद
शब्द का अर्थ है व्यवहार । और व्यवहार का अर्थ है तत् तत् अर्थों में परम्परा से प्रयुक्त होनेवाला
तत् तत् शब्द, जैसे घटरूप अर्थ में सुवीर्य परंपरा से प्रयुक्त होनेवाला घट शब्द एवं पट रूप अर्थ
में सुवीर्य परंपरा से प्रयुक्त होनेवाला पट शब्द आदि । इस व्यवहार के द्वारा जो ईश्वरानुसार
प्रसिद्ध है उस का प्रयोग इस प्रकार होता है—'घट अदि अर्थों में प्रयुक्त होनेवाला घट आदि शब्द-
रूप व्यवहार किसी स्वतन्त्र पुरुष से प्रवर्तित हुआ है क्योंकि वह व्यवहार है । जो जो व्यवहार होता है
वह सब किसी स्वतन्त्र पुरुष से प्रवर्तित होता है । जैसे आधुनिक मनुष्यों द्वारा क-ख आदि अर्थों के
लिये कल्पित लिपि' ।

आशय यह है कि जैसे क-ख आदि अर्थों के लिये विशेष प्रकार की लिपि का व्यवहार किसी
आधुनिक स्वतन्त्र पुरुष के द्वारा प्रचारित होता है उस प्रकार घट आदि अर्थों में घट आदि शब्दों का
प्रयोगरूप व्यवहार भी किसी स्वतन्त्र पुरुष के द्वारा प्रवर्तित होना चाहिये । और वह पुरुष कोई
आधुनिक नहीं हो सकता, क्योंकि यह व्यवहार अनादिकाल से चल रहा है । अतः इस अनादिकाल से
प्रवृत्त व्यवहार के आरंभ में जो पुरुष रहा हो वह ही उस का प्रवर्तक हो सकता है । आधुनिक
पुरुष तो घट आदि अर्थों में घट आदि शब्द का प्रयोग अपने पूर्ववर्ती पुरुषों से सीखकर करते हैं ।
वह उस के स्वतन्त्र प्रवर्तक नहीं होते हैं । उस का स्वतन्त्र प्रवर्तक यही कहा जायगा जिस को घट
आदि अर्थों में घट आदि शब्द के प्रयोग करने की शिक्षा देने की अपेक्षा नहीं होती किन्तु वह स्वयं
निर्धारित करता है कि घट आदि अर्थों को बताने के लिये घट आदि शब्दों का प्रयोग होना चाहिये ।

(कुलालादि से हो अन्यथासिद्धि की आशंका)

इस संदर्भ में यह शंका हो सकती है कि—'जो जिस वस्तु को बनाता है वही उस वस्तु का नाम
निर्धारित करता है । जैसे आधुनिक मन्त्रादि को बनानेवाला मनुष्य उस का कोई नाम निश्चित
करता है । उसी प्रकार घट आदि वस्तुओं की निर्माण करनेवाला मनुष्य ही उन के घट आदि नामों
को निर्धारित करता है इस प्रकार घट का निर्माण करनेवाला प्रथम कुम्हार ही घट व्यवहार का
और पट का निर्माण करनेवाला प्रथम जुलाहा ही पट व्यवहार का मूल प्रवर्तक है । इस प्रकार
कुलाल तरुबाय इत्यादि आधुनिक मनुष्यों द्वारा ही घटपटादि व्यवहार का प्रवर्तन संभव होने से
उस के मूल प्रवर्तक के रूप में ईश्वर की कल्पना नहीं हो सकती' । किन्तु यह शंका उचित नहीं है
क्योंकि शास्त्रों में सृष्टि के निर्माण और प्रलय दोनों की चर्चा है । और अनुमान से भी सृष्टि का
प्रलय के बाद होना सिद्ध है । जैसे 'वर्तमानं स्थूलद्रव्यात्मकं जगत् इदमसन्तानशून्यैः उपादानकारणैः
उत्पन्नम्, स्थूलद्रव्यत्वात् प्रवीणतयात्मावत् ।' इस से यह सिद्ध होता है कि प्रलय के बाद नई सृष्टि
का निर्माण होता है । अतः एव उस में घटपट आदि की प्रथम रचना आधुनिक कुलालादि से

प्रत्ययतः=प्रमायाः, 'वेदजन्यप्रमा यन्तु यथार्थवाक्यार्थज्ञानजन्या, शब्दप्रमात्वात्, आधुनिकवाक्यजशब्दप्रमायत् ।'

अतएव । वेदोऽसंसारिपुरुषप्रणीतः, वेदत्वात्, इति व्यतिरेकणः । न च परमते साध्याऽप्रसिद्धिः, 'आत्मत्वमसंसारिष्ट्वत्, जातित्वात्' इत्यनुमानेन पूर्वं साध्यसाधनात् ।

संभव नहीं है क्योंकि अस्तुत्यक्त कृतज्ञातय को जब शक्ति और विमोक्ष करने के लिये उस के निर्माण की विधि दूसरे से सीखनी होती है । अतः सृष्टि के आरंभ में घट आदि का प्रथम निर्माण करनेवाला वही पुरुष हो सकता है जिस को उस का निर्माण करने के लिये किसी दूसरे से शिक्षा लेने की आवश्यकता न हो । ऐसा पुरुष ईश्वर ही हो सकता है । इसलिये ईश्वर ही घट आदि का प्रथम निर्माता होने से घट आदि व्यवहार का मूल प्रवर्तक हो सकता है ।

[वेद के प्रमात्मक ज्ञान से वक्ता ईश्वर की सिद्धि]

प्रत्ययतः=प्रत्यय से भी ईश्वर का अनुमान हो सकता है । प्रत्यय का अर्थ है प्रमा अर्थात् यथार्थ ज्ञान-इस से होनेवाले अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है जैसे-वेद से उत्पन्न होनेवाली प्रमा वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थज्ञान से उत्पन्न होती है । क्योंकि यह वाक्य से उत्पन्न होनेवाली प्रमा है । जो प्रमा शब्द से उत्पन्न होती है वह वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थज्ञान से ही उत्पन्न होती है । जैसे आधुनिकवाक्य से उत्पन्न होनेवाली प्रमा । आशय यह है कि अनुष्य को जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है तब उस ज्ञान का सङ्क्रमण करने के लिए अर्थात् उस ज्ञान को दूसरे मनुष्य तक पहुँचाने के लिये वह वाक्य का प्रयोग करता है और उस वाक्य से दूसरे ने उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है जिस प्रकार के ज्ञान का सङ्क्रमण करने के लिये वक्ता ने वाक्य प्रयोग किया हो । यदि वक्ता का ज्ञान अयथार्थ होता है तो उस ज्ञान का सङ्क्रमण करने के लिये प्रदुस्त होनेवाले वाक्य से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी अयथार्थ होता है । और यदि वक्ता का ज्ञान यथार्थ होता है तो उस के वाक्य से श्रोता को उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यथार्थ होता है । इस प्रकार वाक्य से यथार्थज्ञान का जन्म वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थ-ज्ञानपर निर्भर है । वेद भी वाक्यस्वरूप है । अतः एव उस से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यथार्थ तभी हो सकता है जब वेदवक्ता को वेदार्थ का यथार्थ ज्ञान हो । यतः वेद से होनेवाला ज्ञान यथार्थ ज्ञान माना जाता है । अतः यह मानना आवश्यक है कि वेद वक्ता को वेदार्थ का यथार्थ ज्ञान है । यह यथार्थज्ञान आधुनिक वक्ता को नहीं हो सकता । क्योंकि आधुनिक वक्ता को जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से ही होता है और स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वेदवाक्यों के अर्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुमान आदि से नहीं उत्पन्न किया जा सकता । अतः यह मानना आवश्यक है कि वेद का वक्ता कोई ऐसा पुरुष है जिसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि साधनों के बिना ही वेदार्थ का यथार्थज्ञान हो जाता है । इस प्रकार जिस पुरुष के वेदार्थ विषयक यथार्थज्ञान द्वारा वेद से होने वाली यथार्थ वृद्धि का उदय हो सकता है वह पुरुष ईश्वर से अन्य नहीं हो सकता ।

[वेद किसी असंसारी पुरुष से जन्य है]

भुक्ति=वेद से भी ईश्वर का अनुमान होता है । और वह अनुमान व्यतिरेकी होता है । उस का प्रयोग इस प्रकार होता है-जैसे 'वेद असंसारी पुरुष द्वारा रचित है, क्योंकि वह वेद है । जो असंसारी पुरुष से रचित नहीं होता वह वेद नहीं होता-जैसे आधुनिक काव्यादि ।'-इस अनुमान में यह शंका हो सकती है कि-असंसारी पुरुष की सत्ता में कोई प्रमाण न होने से 'असंसारी पुरुष से रचित होना'

वाक्यादपि । वेदः पौरुषेयः, वाक्यत्वात्, भास्वत् इत्यन्वयिनः ।

संख्याविशेषः—द्व्यणुकपरिमाणजनिका संख्या, ततोऽपि । 'हयं संख्या, अपेक्षाबुद्धिजन्या, एकत्वान्यसंख्यात्वात्, ' इत्यस्मदाद्यपेक्षाबुद्ध्यजन्यत्वादतिरिक्तापेक्षाबुद्धिसिद्धौ तदाक्षय-तयेश्वरसिद्धेः । न चाऽसिद्धिः, 'द्व्यणुकपरिमाणं संख्याजन्यम्, जन्यपरिमाणत्वात्, घटादिपरिमाणवत्' । न वा दृष्टान्तसिद्धिः, द्वि-कपालादिपरिमाणत्वात् त्रिकपालादिघटपरिमाणोत्कर्षादिति दिग् ।

रूप साध्य अप्रसिद्ध है ।—किन्तु विचार करने से यह शङ्का उचित नहीं प्रतीत होती है क्योंकि असंसारी पुरुष अनुमान प्रमाण से सिद्ध हैं । जैसे—'आत्मत्व असंसारी में विद्यमान है, क्योंकि वह जाति है । जो भी जाति होती है वह असंसारी में विद्यमान होती है जैसे घटत्व पटत्व प्राप्ति जाति ।' आशय यह है कि संसार का अर्थ है मिथ्याज्ञान या मिथ्याज्ञानजन्यवासना अथवा शुभाशुभ कर्मों का बन्ध । यह संसार चेतनगत होने से घटपटादि में नहीं रह सकता । अत एव घटपटादि असंसारी कहा जाता है । घटत्व-पटत्व जाति असंसारी घट प्राप्ति में रहती है । तो जैसे घटत्व पटत्व जाति होने से असंसारी में विद्यमान होती है वैसे आत्मत्व-पुरुषत्व की भी जाति होने के कारण असंसारी में विद्यमान होना चाहिये । और यह तभी हो सकता है जब किसी पुरुष को असंसारी माना जाय । क्योंकि आत्मत्व पुरुष का ही धर्म है, असंसारी घटपटादि का धर्म नहीं है । इस अनुमान से असंसारी पुरुष सिद्ध है । अतः साध्याऽप्रसिद्धि की शङ्का नहीं हो सकती है ।

(वाक्य पक्षक अनुमान)

वाक्य से भी ईश्वर का अनुमान होता है और वह अनुमान अवश्य होता है । जैसे, वेद पुरुष से रचित है क्योंकि वह वाक्य है । जो भी वाक्य होता है वह पुरुष से रचित होता है जैसे महाभारत-रामायण प्रादि । इस अनुमान में वाक्यत्व हेतु है । इसलिये उसे समझ लेना आवश्यक है अन्यथा उस में इस आधार पर इस प्रकार के व्यभिचार की शङ्का हो सकती है कि 'कोई ऐसा जो वाक्य हो सकता है जो पुरुष से रचित नहीं होता ।' जिज्ञासा होती है कि वाक्य का ऐसा क्या अर्थ है कि जिस से पुरुष से अरक्षित वाक्य की संभावना न हो । उत्तर यह है कि वाक्य ऐसे पदों के समूह को कहा जाता है जो पद परस्पर में साक्षात्क्ष हो, एकदूसरे से आसन्न हो, योग्यार्थक हो और किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराने की इच्छा से प्रयुक्त हो । तो इसप्रकार वाक्य लक्षण के गर्भ में वाक्यार्थ बोधन की इच्छा के प्रसिद्ध होने से बिना पुरुष के कोई वाक्य नहीं हो सकता । क्योंकि विशिष्टार्थ बोधन की इच्छा पुरुष में ही संभव है और उस के बिना वाक्य की निवृत्ति अशक्य है ।

(द्व्यणुकपरिमाणोत्पादकसंख्याजनक अपेक्षाबुद्धि से ईश्वरसिद्धि)

संख्याविशेष से भी ईश्वर का अनुमान होता है और वह विशेष संख्या है द्व्यणुक में परिमाण की उत्पन्न करनेवाली परमाणुगत द्विर्य संख्या । उस संख्या से होनेवाला अनुमान का प्रयोग इसप्रकार होता है जैसे 'द्व्यणुक परिमाण की उत्पादिका परमाणुगत द्विर्यसंख्या अपेक्षाबुद्धि से अन्य है,

क्योंकि वह एकत्व से भिन्न संख्या है। एकत्व से भिन्न जो भी संख्या होती है वे सभी अपेक्षाबुद्धि से जन्म्य होती हैं जैसे वो घटी में रहने वाले द्वित्व संख्या 'अयमेक घटः अयमेक घटः' इस अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होती है।" इस अनुमान से यह सिद्ध होता है कि परमाणुओं में भी 'अयमेकः परमाणुः अयमेकः परमाणुः' इस प्रकार की अपेक्षाबुद्धि होगी और उन ने परमाणु से उत्पन्न होने वाला द्वित्व परमाणु परिमाण को उत्पन्न करता है। परमाणुओं में होने वाली यह अपेक्षाबुद्धि जीवों में संभव नहीं है क्योंकि जीवों को परमाणुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि अनुमान आदि में परमाणुओं में अपेक्षाबुद्धि की कल्पना की जाय तो वह भी सृष्टि के आरंभकाल में संभव नहीं है। क्योंकि सृष्टि के आरंभकाल में जो द्व्यणुक उत्पन्न होगा उसमें परिमाण उत्पन्न करने के लिये उस समय परमाणु में द्वित्व की आवश्यकता होगी और उसकी उत्पत्ति के लिये उसी समय परमाणुओं में अपेक्षाबुद्धि अपेक्षित है। और उस समय जीवों के शरीर न होने से जीवों में बुद्धि की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। इसलिये परमाणुओं में ईश्वर की ही अपेक्षाबुद्धि माननी होगी। ईश्वर के बिना परमाणुओं में अपेक्षाबुद्धि न होने से उन में द्वित्व की उत्पत्ति हो सकेगी और द्वित्व के अभाव में द्व्यणुक में परिमाण न उत्पन्न हो सकेगा।

[द्व्यणुकपरिमाण में संख्याजन्यत्व पर आशंका]

इस अनुमान में यह शङ्का हो सकती है—“द्व्यणुकपरिमाण के संख्या के जन्मस्थ में कोई प्रमाण न होने से द्व्यणुकपरिमाणजनक परमाणुगतद्वित्व संख्या रूप पक्ष असिद्ध है”—किन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि अनुमान से उक्त संख्या सिद्ध है जैसे “द्व्यणुक का परिमाण संख्याजन्य है, क्योंकि वह जन्मपरिमाण है। जो अन्य परिमाण होता है वह संख्या से जन्म होता है जैसे घटादि का परिमाण। यदि यह कहा जाय—“इस अनुमान में दृष्टान्त असिद्ध है क्योंकि घट आदि का परिमाण कपाल आदि के परिमाण से उत्पन्न होने के कारण संख्याजन्य नहीं होता—” तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि परिमाणजन्य परिमाण की भी संख्याजन्य मानना आवश्यक है। अन्यथा समान परिमाणवाले दो कपालों से उत्पन्न होने वाले घट के परिमाण से समान परिमाण वाले तीन कपालों से उत्पन्न होने वाले घट का परिमाण अधिक न हो सकेगा। क्योंकि दोनों घटों के परिमाण को उत्पन्न करने वाले कपाल परिमाण समान ही है। और जब परिमाण को संख्याजन्य माना जायगा तो पूर्वघट का परिमाण कपालगत द्वित्व संख्या से उत्पन्न होगा और दूसरा घट कपालगत त्रित्व संख्या से उत्पन्न होगा। त्रित्व संख्या द्वित्व संख्या से बड़ी होती है। इसलिये त्रित्व संख्या से उत्पन्न होनेवाले द्वितीयघट के परिमाण का द्वित्वसंख्या से उत्पन्न होनेवाले पूर्वघट के परिमाण की अपेक्षा अधिक होना युक्तिसङ्गत हो सकता है।

इस प्रसङ्ग में यह शङ्का हो सकती है—“द्व्यणुकपरिमाण संख्याजन्यम्” इस अनुमान में पक्ष असिद्ध है क्योंकि द्व्यणुक के परिमाण होने में कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु किञ्चित् विचार करने से यह शङ्का निरस्त हो जाती है क्योंकि द्व्यणुक में परिमाण और उस परिमाण में जन्यता दोनों ही अनुमान प्रमाण से सिद्ध हैं जैसे ‘द्व्यणुकं परिमाणवत् ब्रह्मत्वात्’ और ‘द्व्यणुकपरिमाणं जन्म जन्मवत् परिमाणवत्’। द्व्यणुक में जन्मब्रह्मत्व के अस्तित्व की शङ्का नहीं की जा सकती क्योंकि ‘द्व्यणुकं जन्मवत् सावयववत्’ इस अनुमान से जन्मब्रह्मत्व सिद्ध है। द्व्यणुक में सावयवत्व की असिद्धि की भी शङ्का नहीं की जा सकती क्योंकि वह भी ‘द्व्यणुकं सावयवं प्रत्यक्षब्रह्मवत् कपालविवत्’ इत्यादि अनुमान से सिद्ध है।

अथवा, कार्य=तात्पर्यं वेदे यस्य तत्, स एवेश्वरः । आयोजनं मद्रुधाख्या, 'वेदाः केन-
चिद् व्याख्याताः, महाजनपरिगृहीतवाक्यत्वात्' । अत्र्याख्यातत्वे तदर्धानवशमेऽनुष्ठानापत्तेः,
एकदेशेऽशिनोऽस्मदादेशश्च व्याख्यायामभिरुचाः, इति तद्व्याख्ययेश्वरसिद्धिः । धृतिधारणं मेधा-
रूपज्ञानम्, आदिपदार्थोऽनुष्ठानम् ततोऽपि । 'वेदा वेदविषयकजन्यधारणान्यधारणाविषयाः,
धृतिवाक्यत्वात्, लौकिकवाक्यवत् ; यागादिकं यागादिविषयकजन्यज्ञानान्यज्ञानवदनुष्ठितम्,
अनुष्ठितत्वात् गमनवत्' इति प्रयोगः । पदं प्रणवेश्वगादिपदम्, नन्वार्थक्यात् स्वतन्त्रोच्चारयितु-
शक्यं श्रुत्यादिस्थाऽहंपदाद् वा । न चेश्वरादिपदस्य स्वपरता,

“सर्वज्ञता नृसिरनादिबोधः स्वतन्त्रता निश्चयमनुप्रपञ्चिताः ।

अनन्तशक्तिश्च विमोर्चिधिज्ञाः 'वदन्तरङ्गाणि महेद्वरस्य ॥ १ ॥

इत्यादिवाक्यशेषेण 'ईश्वरमुपासीत' इत्यादिविधिस्थेश्वगादिपदशक्तिग्रहात्, यथा यथादि-
पदस्य “वदन्ते सर्वसंस्थानां०” इत्यादिवाक्यशेषाच्छक्तिग्रहेण न कङ्गुवादिपत्ता ।

['कार्यायोजन०' कारिका की अन्य प्रकार से योजना]

कार्यायोजन० इत्यादि कारिका से ईश्वर अनुमान करने का दूसरा भी प्रकार सूचित होता है जैसे कार्य का अर्थ है तात्पर्य । उससे ईश्वर का अनुमान इस रूप से हो सकता है—'वेदः सता-
त्पर्यकः (अर्थात्) अर्थविशेषबोधनेच्छाप्रयुक्तः, अर्थविशेषबोधकशब्दत्वात् आधुनिकशब्दवत् ।' इस अनुमान से वेद का अर्थविशेष में तात्पर्य सिद्ध होता है । तात्पर्य इच्छारूप होता है अत एव वह किसी आश्रय के बिना नहीं रह सकता । अतः उस का कोई आश्रय मानना आवश्यक है । जीव उस तात्पर्य का आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि वह वेद का प्राद्य शक्ता नहीं है । जिस शब्द का प्राद्यशक्ता होता है वह शब्द उसी के तात्पर्य से प्रयुक्त होता है अतः उस तात्पर्य के आश्रय रूप में ईश्वर का स्वीकार आवश्यक है ।

[वेद को यथार्थव्याख्या ईश्वर प्रयुक्त है]

आयोजन का अर्थ है यथार्थव्याख्या । उस से भी ईश्वरानुमान होता है । जैसे वेद किसी पुरुष से व्याख्यात है क्योंकि वह महाजन से परिगृहीत वाक्य है । व्याख्यात होने का अर्थ है सुगम वाक्यों से अर्थ का बोधन होना या अर्थ का बोधित होना । और महाजनपरिगृहीत होने का अर्थ है महाजनों द्वारा पढ़ा जाना, अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञात अर्थ का अनुष्ठान या धरुत करना । महाजन का अर्थ है सत् और असत् की परीक्षा कर के सत् का ग्रहण और असत् का परित्याग करने की प्रवृत्ति से संपन्न होना । यदि वेदों की व्याख्या न होती तो वेदार्थ का ज्ञान न होता और वेदार्थ के

[१] “पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः” [अ. गी. १.१.७] इत्यादी । [२] ‘वदन्तरङ्गाणि’

इत्यस्य च अन्धे पठः । [३] ‘जायते पञ्चाननमः सोषमानाश्च तिष्ठन्ति, यथा कपीशशालिनः’ इति शेषं पादप्रथमः । आदिना ‘वराहं गावोऽनुधावन्ति’ इत्यादि ।

ज्ञान के प्रभाव में वेद को अनुसार कर्षों का अनुष्ठान आदि का प्रचलन न होता। अतः वेदार्थ का अनुष्ठान, वेदार्थ का ज्ञान और वेदों का अध्ययन महाजनों द्वारा होता है अतः किसी वेदार्थज्ञ के द्वारा उस की व्याख्या मानना आवश्यक है। यह व्याख्या किसी जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकती है क्योंकि वह अल्पज्ञ होता है और वेदार्थ अत्यन्त विस्तृत और व्यापक है। अतः एव अनेक अर्थों से समस्त वाक्य की अल्पज्ञ हृत्ता की जाने लगी व्याख्या में महाजनों की विश्वास नहीं पड़ता। इसलिये वेदों का व्याख्याता ऐसे ही पुरुष को मानना होगा जो संपूर्ण वेदार्थ को बिना किसी साधन के सहारे जानता हो। ऐसा पुरुष परमेस्वर से अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता।

(वेदविषयक विशिष्टज्ञानरूप धृति से अनुमान)

धृति का अर्थ है-धारण, धारण का अर्थ है विशेष प्रकार का ज्ञान। जिसे मेधा शब्द से व्यञ्जित किया जाता है। और धृतिशब्द में धादि शब्द का अर्थ है अनुष्ठान। इस विशिष्ट ज्ञानरूपधृति और अनुष्ठान से ही ईश्वर का अनुमान होता है, जैसे धृतिमूलक अनुमान का प्रयोग इस रूप में किया जा सकता है-वेद वेदविषयक जन्मधृति, से अन्य धृति का विषय है क्योंकि धृति का विषयभूत वाक्य है। जो भी धृति का विषयभूत वाक्य होता है वह सब वेदविषयक जन्मधृति से अन्यधृति विषयक होता है जैसे लौकिकवाक्य महाभारत रामायण प्रभृति। आशय यह है कि लौकिक वाक्य की धृति वेदविषयकधृति से अन्य है, क्योंकि वह जन्म धृति होते हुए भी वेदविषयक नहीं है। उसी प्रकार वेद जिस धृति का विषय है उसे भी वेदविषयकधृति से अन्य होना चाहिये और वह धृति वेदविषयक होती है अतः वेदविषयकधृति से अन्य धृति उसी वशा में हो सकती है जब उसे नित्य माना जाय। इस प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि वेदविषयक नित्यज्ञान जो वेद को विषय करता है वह नित्यज्ञान जोह को हो नहीं सकता क्योंकि जीव में ज्ञान का सम्बन्ध साधनों द्वारा ही संभव होता है अतः उस ज्ञान के आश्रय रूप में ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है।

(यागानुष्ठान से अनुमान)

अनुष्ठान से तीसरा अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है जैसे याग-यागकर्म-याग-विषयककर्म जन्मज्ञान से अन्य ज्ञानवाले पुरुषों से अनुष्ठित हुआ है। क्योंकि वह अनुष्ठित होता है। जो अनुष्ठित होता है वह सब यागादि जन्मविषयक ज्ञान से अन्य ज्ञानवाले पुरुषों से अनुष्ठित होता है जैसे गमनभोजनादि। आशय यह है गमनभोजनादि 'अस्मानिः गन्तव्यं, अस्मानिः मोक्षतम्यं' इत्यादि ज्ञान से युक्त पुरुषों द्वारा अनुष्ठित होता है और यह ज्ञान जन्मज्ञानरूप होने पर भी यागा-विषयक न होने से यागाविषयक जन्म ज्ञान से अन्य ज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार यागादि जिस ज्ञान से होता है उसे भी यागाविषयक जन्मज्ञान से अन्य होना चाहिये। और वह ज्ञान यतः यागाविषयक है अतः उसे नित्य मानने पर ही वह यागाविषयक जन्मज्ञान से अन्य ज्ञान हो सकता है। और वह ज्ञान जीव में आश्रित नहीं होता इसलिये उस के आश्रयरूप में ईश्वर की सिद्धि आवश्यक है।

(ॐ-ग्रह-ईश्वर आदि पद से अनुमान)

पद का अर्थ है 'प्रणव' नामक पद जिसे 'ॐ' कहा जाता है, और 'ईश्वर' आदि पद। इन पदों से भी ईश्वरानुमान होता है जैसे- 'ॐ' यह प्रणव पद और ईश्वरादि पद सामक हैं क्योंकि वह साध्य-

प्रत्ययो=विधिप्रत्ययः, नतोऽपि, आप्ताभिप्रायस्यैव विध्यर्थत्वात् । न हीष्टसाधनत्वमेव

पद है । जो साध्यपद होता है वह सार्थक होता है जैसे घट आदि पद । उन पदों की सार्थकता अन्य किसी पदार्थ को द्वारा नहीं हो सकती क्योंकि अन्य किसी भी पदार्थ को चाहे वह जीव हो या चाहे जीव से भिन्न जड़ हो उसमें ॐ या ईश्वर आदि पद से नहीं अभिहित किया जाता है । इसलिये उस की सार्थकता की उत्पत्ति के लिये ईश्वर को उन पदों का अर्थ मानना आवश्यक है ।

वेद में उपलब्ध होनेवाले 'अहम्' पद से भी ईश्वर का अनुमान होता है जैसे वेदस्थ 'अहम्' पद स्वतन्त्र उच्चारणकर्ता का वाक्यक है क्योंकि वह अहम् पद है । जो भी अहम् पद होता है वह सब स्वतन्त्र उच्चारण कर्ता का वाक्यक होता है जैसे 'अहं गच्छामि' 'अहं हृष्यामि' इत्यादि लौकिक वाक्यस्थ 'अहम्' पद अपने मूल वाक्य का बोधक होता है । वेदस्थ 'अहम्' पद का स्वतन्त्र उच्चारण-कर्ता कोई जीव नहीं हो सकता क्योंकि जो भी जीव 'अहम्' पद युक्त वैदिक वाक्यों का उच्चारण करता है वह अन्य पुरुष से उक्त वाक्य के उच्चारण की सीलाकर ही करता है । अतः एव कोई ऐसा पुरुष सागना आवश्यक है जिसने वेदस्थ अहम् पद का सर्व प्रथम प्रयोग किया, जिसे उस के प्रयोग के लिये किसी दूसरे से शिक्षा नहीं लेनी पड़ी । ऐसा वैदिक अहम् पद का स्वतन्त्र उच्चारणकर्ता ईश्वर ही हो सकता है ।

इस प्रसङ्ग में यह सांका हो सकती है—'ईश्वरादि पद अपने स्वरूप का ही बोधन करते हैं । इस प्रकार अपने स्वरूप के बोधन से भी उन पदों की सार्थकता उपपन्न हो जाने से उन पदों के अर्थ के रूप में ईश्वर की स्वीकार करना आवश्यक नहीं है ।'—किन्तु विचार करने पर यह सांका सबल नहीं है क्योंकि 'ईश्वरमुपासीत' इस विधिवाक्य का श्रवण होने पर यह जिज्ञासा होती है—'ईश्वर शब्द का क्या अर्थ है जिस की उपासना का इस वाक्य से विधान किया जा रहा है ? इस जिज्ञासा के समाधान के लिये 'सर्वज्ञता लुप्तिः' आदि बचन प्रस्तुत होता है । उस के अनुसार 'ईश्वरमुपासीत' इस विधिवाक्य के ज्ञाता पुरुषों की दृष्टि में ईश्वर वह पुरुष है जो सर्वज्ञ हो, नित्य लुप्त हो अर्थात् जिसे कभी अपने मूल की कामना न हो, नित्यज्ञान से संयुक्त हो, स्वतन्त्र हो अर्थात् जिस की ब्रह्मा शक्त्य पुरुष की ब्रह्मा को अधीन न हो और जिस की शक्ति का कभी सोप न हो और अनन्त हो । अर्थात् जिस का प्रभवं नित्य और सर्वविषयक हो और जो विभू=व्यापक हो । इस प्रकार 'ईश्वर-मुपासीत' इस विधिवाक्य के पूरक 'सर्वज्ञतालुप्ति' आदि वाक्य से उक्त प्रकार का पुरुष विशेष ईश्वर-पद का अर्थ है यह सिद्ध होता है । शब्दार्थ के निश्चय की यह रीति उसी प्रकार मान्य है जैसे 'यजैः यजेत' इस वाक्य के पूरक "यस्यैते सर्वशस्यानां जायते पशुशतमम् । मोषमादाश्च तिष्ठन्ति धवाः कणोशशालिनः" इस वाक्य से यव पद के अर्थ का निर्णय करने की रीति । इस वाक्य से यह निश्चय होता है कि म्लेच्छों द्वारा यव शब्द से व्यपहृत होने वाला कङ्गु आदि यव शब्द का अर्थ नहीं है किन्तु असन्त आतु में अन्य संपूर्ण सस्यों के पत्ती गिर जाने पर भी जो अपने कणसमर पत्तों के साथ बिद्यमान होता है ऐसा सस्य ही यव शब्द का अर्थ है ।

[यजेत इत्यादि में विध्यर्थप्रत्यय से अनुमान]

प्रत्यय का अर्थ है विधि प्रत्यय । उस से भी ईश्वर का अनुमान होता है । क्योंकि विधिप्रत्यय का अर्थ होता है आप्ताभिप्राय । जैसे गुरु मरि शिष्य की उपदेश देता है 'मुक्तिकासः हरि स्मरेत् =सोक

तथा, 'अग्निकामो दारुणी मन्थनीयात्' इत्युक्तौ, 'कृतः' इति प्रश्ने 'यतो दारुमथनमग्नि-
साधनम्' इत्युत्तरेऽग्निसाधनत्वेन विध्यर्थवत्त्वानुमानानुपपत्तेः, अभेदे हेतुत्वेनापन्यासाऽनी-
चिन्यात्, 'तरनि मृन्धुम्' इत्यादौ विधिवाक्यानुमानानुपपत्तेश्चेष्टसाधनतायाः प्रागेव बोधात्,
'कुर्याः, कुर्याम्' इत्यादौ वपनसंकल्पस्यैव बोधात्, आज्ञाऽप्येषणा-ऽनुज्ञा-संप्रश्न-प्रार्थना-
ऽऽज्ञासालिङ्गीकृताशक्तत्वस्यैव कल्पनाच्च । उल्लङ्घने क्रोधादिभयजनकेच्छाऽऽज्ञा-अप्येष-
णीये प्रयोक्तुमुत्तुह्योक्तिकाऽप्येषणा, निषेधाभावव्याञ्जकाऽनुज्ञा, प्रयोजनाद्रिज्ञाया मदनः,
प्रार्थनीकृता प्रार्थना, शुभेच्छाऽऽज्ञासा । निषेधानुपपत्तेश्च, इष्टसाधनत्वनिषेधस्य वाधात् ;
बलवदनिष्ठाननुषन्धित्वस्यापि तदर्थत्वे 'श्येनेन०' इत्यादौ अलसस्य यागाददृःश्वेऽपि बलवद्-
द्वेषेण 'यजेत' इत्यादौ वाधात् । तत आप्ताभिप्रायस्यैव विध्यर्थत्वात् तादृशाभिप्रायवदी-
श्वसिद्धिः ।

चाहने वाले को भगवान का स्मरण करना चाहिये; तो शिष्य को इस विधिप्रत्ययघटितवाक्य से यह
बोध होता है—'भगवान का स्मरण यही मुमुक्षु का कर्तव्य है—यह गुरुदेव का अभिप्राय है ।' इस
अभिप्राय की जानकारी मिलकर भगवान के स्मरण में प्रवृत्त होता है, क्योंकि गुरु जन के अभिप्राय
की जानकारी तबनुसार कार्य करना ही शिष्टाचार-प्राप्त कर्तव्य है । वेदवाक्य में भी विधिप्रत्यय
होता है जैसे स्वर्गकामो यजेत में यज् यातु के उत्तर में श्रूयमाण लिङ् प्रत्यय । इस लिङ्प्रत्यय का
भी अर्थ 'प्राप्त का अभिप्राय' मानना होगा । अर्थात् इस लिङ् प्रत्यय घटित वाक्य से भी इस प्रकार
का ही बोध मानना होगा 'यज स्वर्गकाम पुरुष का कर्तव्य है यह "स्वर्गकामो यजेत" इस वाक्य के
प्रयोग करने वाले आप्त का अभिप्राय है' । यह अभिप्राय उसी पुरुष का हो सकता
है जिसे यह सहज ज्ञान हो कि याग स्वर्ग का साधन होता है । ऐसा पुरुष कोई जीव न होगा, ईश्वर
ही हो सकता है क्योंकि याग में स्वर्गसाधनता का सहज ज्ञान जीव को नहीं हो सकता, वह ईश्वर
को ही संभवित है क्योंकि वह संपूर्ण पदार्थों का साधननिरपेक्ष द्रष्टा होता है । इस प्रकार वेदस्थ
विधिवाक्य से सूचित होनेवाले आप्त के अभिप्राय के आश्रय रूप में ईश्वर का अनुमान होता है ।
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे 'वेदस्थ विधि प्रत्यय आप्ताभिप्राय का
बोधक है, क्योंकि वह विधिप्रत्यय है, जो भी विधि प्रत्यय होता है वह सब आप्ताभिप्राय का बोधक
होता है । जैसे 'भूतः प्राणम् गच्छेत्' शिष्यः शास्त्रम् पठेत् 'वत्सः दुग्धं पिबेत्' इत्यादि लौकिक
वाक्यों में मुन्दाई देनेवाला विधि प्रत्यय ।

[विधिप्रत्ययार्थ इष्टसाधनता या आप्ताभिप्राय ?]

इस प्रसङ्ग में यह शङ्का हो सकती है—'विधिप्रत्यय चाहे लौकिकवाक्य हो चाहे वैदिकवाक्य
हो, सर्वत्र उस का इष्टसाधनत्व ही अर्थ होता है न कि आप्ताभिप्राय । क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति इष्ट-
साधनताज्ञान से ही होती है, न कि आप्ताभिप्राय के ज्ञान से । अतः आप्ताभिप्राय की विधिप्रत्यय
का अर्थ मानने पर भी यही मानना होगा कि विधि प्रत्यय से आप्ताभिप्राय का ज्ञान होता है और

आप्तान्निप्राय से इष्टसाधनता का ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। जैसे, गुरु के मोक्षकामः हरि स्मरेत् इस वाक्य से हरिस्मरणम् मोक्षकामकर्मव्यवस्था गुरोः अमिप्रेतम् अर्थात् 'महाशान का स्मरण मुमुक्षु पुरुष के कर्तव्य रूप में गुरु को अमिप्रेत है' यह ज्ञान होने पर यह श्रुतिः ॥ १ ॥ १-अमिप्रेतं मनुष्य मोक्ष का साधन है, क्योंकि मोक्षकाम के कर्तव्यरूप में आप्त को अमिप्रेत है जो जिस फल का साधन नहीं होता वह उस फल को चाहने वाले पुरुष के कर्तव्यरूप में आप्तान्निप्रेत नहीं होता। जैसे श्रुतकोशः आदि मोक्ष का साधन न होने से किसी आप्तपुरुष को मोक्षकाम के कर्तव्यरूप में अमिप्रेत नहीं होता-इस प्रकार जब आप्तान्निप्राय के द्वारा इष्टसाधनता का बोध मनुष्य की प्रवृत्ति के लिये अवैक्षित है तो विधिप्रत्यय से आप्तान्निप्राय का बोध और आप्तान्निप्राय से इष्टसाधनता का अनुमान मानने की अवस्था यही मानना उचित है-इष्टसाधनता ही विधिप्रत्यय का अर्थ है। विधिप्रत्यय-घटित वाक्य से इष्टसाधनता का हो सोधा बोध होता है, मध्य में आप्तान्निप्राय के बोध की कल्पना अनावश्यक है। इसप्रकार जब इष्टसाधनता ही युक्तिद्वारा विधिप्रत्यय का अर्थ निश्चित होता है तो उक्त रीति से विधि प्रत्यय की ईश्वर का अनुमायक बनना उचित नहीं हो सकता।'-

(इष्टसाधनता पक्ष में समस्या)

किन्तु प्रश्न करने पर यह शङ्का उचित नहीं प्रतीत होती। क्योंकि विधिप्रत्यय के अर्थ का अनुमान इष्टसाधनत्व से किया जाता है। यदि इष्टसाधनत्व ही विधिप्रत्यय का अर्थ होगा तो साध्य साधन में ऐष्य हो जाने के कारण इष्टसाधनत्व विधिप्रत्ययाय का अनुमायक न हो सकेगा। जैसे 'अग्निकामी वारुणी मग्नीयात्' = अग्नि चाहनेवाले मनुष्यों को वो काष्ठों का घर्षण करना चाहिये। इस विध्यर्थ का ज्ञान होने पर प्रश्न होता है-तेसा क्यों ? अर्थात् 'कुतः अग्निकामी वारुणी मग्नीयात् ?' इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता है कि वारुमयन अग्नि का साधन है। इसप्रकार उक्त वाक्य से विध्यर्थ का ज्ञान होने में अग्निसाधनता को उसके हेतुरूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। इसलिये यह मानना आवश्यक है कि विध्यर्थे इष्टसाधनता से भिन्न है और जब आप्तान्निप्राय की विधिप्रत्यय का अर्थ माना जायगा तब 'अग्निकामी वारुणी मग्नीयात्' इस वाक्य से वारु मयन अग्निकामी के कर्तव्य रूप में आप्त को अमिप्रेत है-यह ज्ञान होगा। और उस पर जब यह प्रश्न होगा कि 'वारु का भयन अग्निकामी के कर्तव्यरूप में आप्त को क्यों अमिप्रेत है ?' इस के उत्तर में यह कहना संझन होगा कि-यतः वारुमयन अग्नि का साधन है इसलिये अग्निकामी के कर्तव्यरूप में आप्त को अमिप्रेत है।

(तरति मृत्युं० से विधिवाक्य का अनुमान)

इष्टसाधनता की विधि प्रत्यय का अर्थ मानने पर 'तरति मृत्युम् आत्मविव' इत्यादि वाक्यों से विधिवाक्य का अनुमान न हो सकेगा क्योंकि विधिवाक्यानुमान के पूर्व ही उन स्थलों में इष्टसाधनता का बोध हो जाता है। आशय यह है कि 'आत्मज्ञो मृत्युं तरति' यह वाक्य इस अर्थ को बताना है कि 'आत्मज्ञानी मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है'। इस अर्थबोध के बाद यह जिज्ञासा होती है कि आत्मज्ञान से मृत्यु का अतिक्रमण होता है इस में क्या प्रमाण है? उस के उत्तर में यह कहा जाता है कि 'आत्मज्ञो मृत्युं तरति' इस वाक्य से आत्मज्ञान के मृत्युतरणरूप फल का अर्थ होने पर इस विधिवाक्य का अनुमान होता है कि 'मृत्युतरणकामः आत्मज्ञानी जानीयात्', यह विधिवाक्य ही आत्मज्ञान के मृत्युतरण

की साधनता में प्रमाण है। किन्तु यदि विधिप्रत्यय का अर्थ इष्टसाधनता को माना जाय तो 'आत्मज्ञो मृत्युं तरति' इस वाक्य से ही आत्मज्ञान में मृत्युतरण की साधनता का बोध हो जाने से उस बोध के संवाचनार्थे विधिवाक्य का अनुमान निरर्थक हो जायगा। और यदि विधि प्रत्यय का अर्थ आप्नाभिप्राय माना जायगा तब 'आत्मज्ञो मृत्युं तरति' इस वाक्य से आत्मज्ञान मृत्युतरण का साधन है यहो बोध होने के कारण आत्मज्ञान मृत्युतरण चाहने वाले के कर्तव्यरूप में आप्ताभिप्रेत है इस विषय का ज्ञान कराने के लिये विधिवाक्य के अनुमान की सार्थकता हो सकेगी। क्योंकि यह बोध 'आत्मज्ञो मृत्युं तरति' इस वाक्य से नहीं होता।

विधिप्रत्यय से ईश्वरानुमान होने का एक और भी प्रकार है जैसे, वेदवाक्य में मध्यम पुरुषीय और उत्तम पुरुषीय विधि प्रत्यय भी उपलब्ध होते हैं। जैसे 'आत्मानम् विद्धि-आत्मा का ज्ञान प्राप्ता करो'। 'एकोऽहं बहु स्याम् प्रजापेयः'—में एक है अहुत हो जाऊँ और प्रज्वल्य रूप में प्रादुर्भूत होऊँ। इन वाक्यों में आये विधिप्रत्यय को उन से घटित वाक्य के वक्ता के संकल्प का बोधक मानना आवश्यक है क्योंकि मध्यम और उत्तम पुरुषीय विधिप्रत्यय वक्ता के ही संकल्प का बोधक होता है। जैसे 'इह कार्यं कुर्याः।' इन लौकिक वाक्यों में आये विधिप्रत्यय से वक्ता के ही संकल्प का बोध होता है। इसप्रकार वैदिक वाक्यों में आये विधिप्रत्यय से जिस वक्ता के संकल्प का बोध होगा वह जीव नहीं हो सकता किन्तु ईश्वर ही हो सकता है। क्योंकि वेव का आद्यवक्ता ईश्वर ही हो सकता है जीव नहीं हो सकता।

इसी प्रकार आज्ञा अध्येषणा अनुज्ञा संप्रदान प्राचना और आर्शा बोधक लिङ्प्रत्यय भी इच्छारूप अर्थ का ही बोधक होना है और यह सभी प्रकार के लिङ्प्रत्ययों में उपलब्ध होते हैं। अतः एक उन से बोधित होनेवाली इच्छा के आश्रय रूप में ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। लिङ् के आज्ञा आवि अर्थों के निवेदन से लिङ् की इच्छावाचकता स्पष्ट है। जैसे—

आज्ञा का अर्थ वह इच्छा है जिस का उल्लङ्घन करने पर इच्छावान् पुरुष कुछ होने का संभव हो।

अध्येषणा का अर्थ है वह इच्छा जिस से अध्येषणाथेक लिङ् का प्रयोग करने वाले पुरुष की अध्येषणीय पुरुष के प्रति कृपा का बोध हो।

अनुज्ञा का अर्थ वह इच्छा है जिस से निषेध का अभाव सूचित हो।

प्रयोजन अथवा हेतु आवि को जानने की इच्छा का नाम है प्रश्न।

किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नाम है प्रार्थना।

शुभ की इच्छा का नाम है आर्शा। इस प्रकार आज्ञा आवि के इस निवेदन के अनुसार आज्ञावि बोधक लिङ् की इच्छा की बोधकता स्पष्ट है।

[निषेध की अनुपपत्ति]

इष्टसाधनत्व की विधि प्रत्यय का अर्थ जानने में एक और भी याथा है और वह है निषेध की अनुपपत्ति। जैसे 'सविषमन्नं मा भुङ्क्ष्व' इस निषेध वाक्य सविष अन्न के भोजन में विषय का निषेध करता है। यदि विषय 'इष्टसाधनता' होगा तो इस वाक्य का अर्थ होगा 'सविष अन्न का भोजन इष्ट का साधन नहीं होता' जो असंगत है क्योंकि भोजनकर्ता को इष्ट होती है तृप्ति=भुज की निवृत्ति। वह सविष अन्न के भोजन से भी संभव होती है, इसलिये सविष अन्न के भोजन में इष्ट-

श्रुतिः=ईश्वरविषयो वेदः सतः, 'यज्ञो वै विष्णुः' इत्यादेर्विष्येकवाक्यतया 'यद् न दुःखेन संविद्यम्'० इत्यादिषु तस्य स्वार्थ एव प्रामाण्यात् । वाक्यात्=वैदिकप्रशंसा-निन्दावाक्यात्, तस्य तदर्थज्ञानपूर्वकत्वात् । संख्या-स्यामभूयम्, संविद्यामि' इत्याद्युक्ता । ततोऽपि स्वतन्त्रोच्चारयितुमिष्टाया एव तस्या अभिधानादितिरह्यम् ।

साधनता रहने के कारण उक्त वाक्य को दृष्टसाधनता के अभाव का बोधक मानना उचित नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय-‘केवल दृष्टसाधनत्व को विधिप्रत्यय का अर्थ मानने पर यह बोध हो सकता है, किन्तु 'बलवद्विनिष्ठाननुबन्धितविविदिष्टदृष्टसाधनता' अर्थात् बलवान् अनिष्ट का साधन न होते हुए दृष्ट का साधन होना' इस को विधि प्रत्यय का अर्थ मानने में उक्त बोध नहीं हो सकता क्योंकि सविषयत्व का भोजन यद्यपि सृष्टि रूप दृष्ट का साधन है किन्तु साध हो वह सृष्ट्युत्पत्त्य बलवान् अनिष्ट का भी साधक है । इसलिये निषेध वाक्य से बलवद्विनिष्ठाननुबन्धितविविदिष्टदृष्टसाधनत्व के अभाव का बोध होने में कोई बाधा नहीं हो सकती—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि 'इयेनेन अभिन्नम् यजेत' इस विधि वाक्य से द्येनयाग में विधिप्रत्ययार्थ का बोध होता है; यदि विधिप्रत्यय का अर्थ बलवद्विनिष्ठाननुबन्धितविविदिष्टदृष्टसाधनत्व को माना जायगा तो द्येनयाग में शत्रुवधजन्य पाप द्वारा नरकरूप बलवान् अनिष्ट को साधनता होने के कारण इस में विधिप्रत्यय से विध्यर्थ का बोध न हो सकेगा । इसी प्रकार 'स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य से यज्ञ में उस पुरुष को विध्यर्थ का बोध न हो सकेगा जो यज्ञ के अनुष्ठान में अवश्यभावी अल्प दुःख को भी बलवान् समझ कर उससे द्रव्य करता है ।

इन सब बातों से यह निश्चय सिद्ध है कि विधिप्रत्यय का अर्थ आप्तमिप्राय ही है अन्य कुछ नहीं । अतः इस अभिप्राय के आशय रूप में ईश्वर की सिद्ध आवश्यक है ।

(यैव गत इश्वर निरूपण से ईश्वर सिद्धि)

श्रुति का अर्थ है ईश्वरपरक वेद । इस से भी ईश्वर का अनुमान होता है । कहने का आशय यह है कि वेद में ऐसे अनेक वचन प्राप्त होते हैं जिन में ईश्वर का वर्णन होता है । ऐसे वचन यद्यपि विधिरूप नहीं होते क्योंकि उन से किसी प्रकार के विधि या निषेध का उद्देश नहीं होता । जो विद्वान् जैसे मीमांसकादि विधিনিषेध बोधक वाक्य को ही प्रमाण मानते हैं उन की दृष्टि में भी ऐसे वचन जो विधि-निषेध रूप नहीं होते अपने अर्थ में प्रमाण होते हैं, क्योंकि उन वाक्यों को विधि वाक्यों के साथ एकत्राक्यता होती है । अर्थात् विधिवाक्य और विधि से भिन्न विधि के अङ्गभूत वाक्य मिलकर एक अर्थ का प्रत्यायन करते हैं । जैसे 'विष्णु उपासीत' यह विधि वाक्य और 'यज्ञो वै विष्णुः' यह विधिभिन्न वाक्य दोनों 'यज्ञस्वरूपम् विष्णुमुपासीत' इस अर्थ का बोधक होता है । यह बोध सभी हो सकता है जब 'यज्ञो वै विष्णुः' इस विधिभिन्न वाक्य को भी अपने अर्थ में प्रमाण माना जाय । इसी प्रकार 'स्वर्गकामो यजेत' यह विधिवाक्य और 'यज्ञं बुधेन संमिन्नं न च प्रस्तम् अनन्तरम् । अभिलाषोपसीत च तत्पुत्रं स्वः पदास्वदम् ॥' यह विधिभिन्न वाक्य ये दोनों मिलकर इस अर्थ का बोधन करते हैं कि यज्ञ ऐसे स्वर्ग सुख का साधन है जो दुःख से विभ्य नहीं है, जिसे घाव में भी दुःख से प्रस्त होने की संभावना नहीं है और जो इच्छामात्र से ही प्राप्य है । यह बोध भी तत्र संभव है जब

श्रुत्वैवं सकृदेनमीश्वरपरं सांख्याऽक्षपादागमं,
 लोको विस्मयमातनोति न गिरो यावत् स्मरेदार्हताः ।
 किं तावद्वदरीकलेऽपि न मुहुर्माधुर्यमृणीयते,
 यावत्स्पीनरसा रसाद् रसनया द्राक्षान साक्षात्कृता ॥॥॥॥
 * इत्थमभिहितो ईश्वरकर्तृत्वपूर्वपक्षवार्ता *

‘यद्यद्बुद्धेन संभिन्नं’ यह विधिभिन्न वाक्य अपने अर्थ में प्रमाण है । इन उदाहरणों से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि वेद के ऐसे वचन जो विधि-निषेधरूप न होते हों भी ईश्वर का वर्णन करते हैं वे ईश्वर की सत्ता में प्रमाण हैं । इस प्रकार श्रुति अर्थात् ईश्वर परक वेद से भी ईश्वर की सिद्धि होती है ।

(प्रशंसापरक और निन्दापरक वेदवाक्यों से ईश्वरसिद्धि)

वाक्य का अर्थ है वेद में प्राप्त होने वाले प्रशंसा और निन्दा का वाक्य । उन वाक्यों से भी ईश्वर का अनुमान होता है जैसे, वैदिक प्रशंसा और निन्दा के वाक्य स्वार्थज्ञानपूर्वक हैं क्योंकि वे वाक्य हैं जो भी वाक्य होता है वह स्वाध्यायानपूर्वक होता है जैसे ‘घटमानय पटमानय’ इत्यादि लौकिक वाक्य । कहने का आशय यह है कि किसी भी वाक्य का प्रयोग किसी विशेषअर्थ की प्रतीति के लिये किया जाता है और वह विशेष अर्थ वही होता है जो वक्ता का ज्ञात हो और जिसे बताने में प्रयुक्त होनेवाला वाक्य समर्थ हो । लाक में यही वाक्य इसी अर्थ में होते हैं । इसलिए वेद के प्रशंसा-निन्दा वाक्य जिस की प्रशंसा या निन्दा का बोध कराने के लिये प्रयुक्त होते हैं—यह मानना आवश्यक है कि वक्ता को उन के गुण और दोष का ज्ञान रहता है । क्योंकि वक्ता को जिस का गुण और दोष ज्ञात न होगा वह उस की प्रशंसा या निन्दा के वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकता । तो इस प्रकार जब यह सिद्ध है कि वैदिक प्रशंसा और निन्दावाक्य भी स्वाध्यायानपूर्वक होते हैं तो उस ज्ञान के आश्रय रूप में जीव को स्वीकार करना संभव न होने से ईश्वर का अस्तित्व मानना आवश्यक है ।

(उत्तम पुरुषीय ब्राह्म्यात् प्रत्यय से ईश्वर सिद्धि)

संख्या का अर्थ है वेद में प्राप्त होनेवाले उत्तमपुरुषीय तिङ्-ब्राह्म्यात् प्रत्यय से वाक्य संख्या । माना यह है कि उत्तम पुरुषीय ब्राह्म्यात् अपने स्वतंत्र उच्चारण कर्ता की संख्या का बोधक होता है । जैसे चंद्र कहता है कि ‘विद्यालयं गमिष्यामि’ इस वाक्य में गम् धातु के उत्तर उत्तम पुरुष का बोधक होता है । वेद में भी ‘स्याम्-असूवम्-अविष्यामि’ इस प्रकार उत्तम पुरुषीय ब्राह्म्यात् के प्रयोग प्राप्त होते हैं । अतः उन ब्राह्म्यात् पदों से संख्या का अभिधान उपपन्न करने के लिये उन का भी कोई स्वतंत्र उच्चारणकर्ता मानना आवश्यक है जो ईश्वर से अन्य दूसरा नहीं हो सकता । इस प्रकार वेदस्थ उत्तमपुरुषीय ब्राह्म्यात् से वाक्य संख्या द्वारा ईश्वर का अनुमान होता है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है जैसे ‘वेदस्थ उत्तमपुरुषीय ब्राह्म्यात्पद बोध्य संख्या तादृगब्राह्म्यात् के स्वतंत्रोच्चारणकर्तृ पुरुष गत है, उत्तम पुरुषीय ब्राह्म्यात्वाक्य संख्या होने से, जैसे लौकिक वाक्यस्थ उत्तम पुरुषीय ब्राह्म्यात् वाक्य संख्या’ ।

अथ समाधानवार्तामाह-

अन्ये त्वभिदधत्यत्र वीतरागस्य भावनः ।

इत्थं प्रयोजनाऽभावात् कर्तृत्वं युज्यते कथम् ? ॥ ४ ॥

अन्ये तु जैनाः, अत्र=ईश्वरविचारे, अभियधनि=परीक्षन्ते । किम् ? इत्याह वीतरागस्य=वीरग्यवनः ईश्वरस्य पातञ्जलैरभ्युपगमन्य, इत्थं प्रेरकत्वे, प्रयोजनाऽभावात्, भावनः=इच्छातः, कर्तृत्वं कथं युज्यते ? यो हि परप्रेरको दृष्टः स स्वप्रयोजनामच्छिष्टः, ततोऽत्र व्यापिकायाः कलेच्छाया अभावाद् व्याप्यस्य परप्रेरकत्वस्याऽभावः ॥४॥

एतदेव स्पष्टयन्माह-

नरकाविफले कांश्चिन्कांश्चित्स्वर्गादिसाधने ।

कर्मणि प्रेरयत्याशु स जन्तुम् केन हेतुना ? ॥ ५ ॥

ईश्वर की सिद्धि के विषय में सांख्ययोग और न्याय-वैशेषिक की उक्त युक्तियों के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए व्याख्याकार का कथन है कि मनुष्य जब तक ईश्वर के सम्बन्ध में भगवान् अर्हन्त के वचन को नहीं समझता तब तक वह सांख्य-योग न्याय-वैशेषिक शास्त्रों के ईश्वर विषयक प्रविपादन को सुनकर यदि सिस्मित और भ्रान्तित होता है तो यह अत्यन्त स्वाभाविक है क्योंकि जिस मनुष्य को रस से सरी दाक्षा का रसास्वाद करने का अवसर अब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वह धीरे धीरे जैसे निरुद्ध फल की मधुरिमा की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते नहीं थकता ॥५॥

(वीतराग ईश्वर कर्ता नहीं हो सकता-उत्तरपक्षारम्भ)

चौथी कारिका में ईश्वर को सिद्ध करनेवाली सांख्ययोग सम्मत युक्ति का निराकरण किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-जैन विद्वानों का कहना है कि ईश्वर वीतराग होता है । सांख्य योगदर्शन में भी ईश्वर को वीतराग माना गया है, इसलिए वह जगत् कर्ता होना संगत नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तृत्व साक्षात् हो या दूसरे की प्रेरणा द्वारा हो, प्रयोजन की इच्छा होने पर ही संभव होता है । अर्थात् जिसे किसी फल की इच्छा होती है वही साक्षात् या पर की प्रेरणा के द्वारा कर्ता होता है । वीतराग ईश्वर में कलेच्छारूप व्यापक धर्म नहीं है इसलिए उस का व्याप्य होने से साक्षात् या परप्रेरणामूलक कर्तृत्व भी उसमें नहीं हो सकता ।

(नरकाविफलक कृत्य में ईश्वर प्रेरणा का अभीचिन्त्य)

पाँचवी कारिका में पूर्व कारिका में कही हुई बात को ही स्पष्ट किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-ईश्वर कुछ जीवों को ब्रह्महत्या आदि ऐसे कर्मों में प्रवृत्त करता है जिस से कर्ता को नरक की प्राप्ति होती है और कुछ जीवों को यम नियमादि कर्मों में प्रवृत्त करता है जिस से कर्ता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है । प्रश्न होता है-ईश्वर जीवों को इस प्रकार विभिन्न कर्मों में क्यों प्रवृत्त करता है, इस प्रकार जीवों को प्रवृत्त करने में उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ?

स=ईश्वरः, कार्त्तिकजन्तु नरकादिफले-ब्रह्महत्यादी कर्मणि, काश्चित् स्वर्गादिमाधने यम-नियमादौ वा, आशु=शीघ्रम्, केन हेतुना प्रेरयति? क्रीडादिप्रयोजनाभ्युपगमे रागद्वेषाभ्यां वैराग्यव्यावृत्तिः, प्रयोजनाऽनभ्युपगमे च तन्मूलकप्रेरणाभावात् सिद्धान्तव्याधानः, इत्युभयतः-पाशा रज्जुरिति भावः ॥५॥

पराभिप्रायमाशङ्क्य निराकर्षति-

स्वयमेव प्रवर्तन्ते सत्त्वाद्येच्चिप्रकर्मणि ।

निरर्थकमिहेषास्य कर्तृत्वं गीयते कथम् ? ॥ ६ ॥

‘सत्त्वाः, चिप्रकर्मणि=ब्रह्महत्या-यम-नियमादौ, स्वयमेव=तमःस्वोद्वेकेण तथावि-
धवृद्धयं शेषापागवेशेनैव, प्रवर्तन्ते=कर्तृत्वेनाऽभिव्यज्यन्ते, प्रयोजनज्ञानार्थं परमीरवग-
येक्षेति’ चेत् ? इह-कर्मणि, निरर्थकमीशस्य कर्तृत्वं कथं गीयते ? प्रयोजनज्ञानं हि प्रवर्त-
नार्थमुपयुज्यते, प्रवृत्तिश्च यदि स्वतः एवोपपन्ना, तदैश्वरसिद्धिव्यमनं गृह्यत्व एव धने विदेश-
गमनप्राप्यम् । ६॥

यदि यह कहा जाय ‘विभिन्न जीवों को प्रवृत्त करना यह उस का खेल है । खेल खेलने के लिए ही वह विभिन्न कर्मों में जीवों को प्रवृत्त करता है’-तो यह ठीक नहीं, क्योंकि खेल से भी यदि मनुष्य को किसी प्रकार का सुख प्राप्त होता है तभी वह खेल भी खेलता है अन्यथा खेल से विरत हो जाता है । आशय यह है कि ईश्वर यदि किसी प्रकार के सुख की ईच्छा से खेल खेलता है तो उसे सुख और सुख के साधन के प्रति रागवान् मानना । यदि यह मनोविमोह के लिए अथवा यदि मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए खेल खेलता है तो कष्ट और कष्ट के साधन के प्रति द्वेषवान् मानना पड़ेगा । फलतः ईश्वर को बीतराग कहना असंभव हो जायगा । और यदि ईश्वर का खेल खेलने में कोई प्रयोजन न माना जायगा तो जीवों को विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त करना यह उस का खेल नहीं घट सकता क्योंकि ‘पर का प्रवर्तन जो किसी प्रयोजन से ही होता है । फलतः ‘ईश्वर परका प्रेरक होकर कर्ता होता है’ इस सिद्धान्त की हानि हो जायगी । उक्त रूप से विचार करने पर सांख्य और जैन्य वादी के लिए दोनों ओर से बांधने वाली रस्ती तैयार रहती है, अर्थात् उसे बीतराग माना जायगा तो वह पर का प्रेरक नहीं हो सकता और यदि पर का प्रेरक होगा तो बीतराग नहीं हो सकता । अतः सांख्य और जैन्य वादी को ईश्वर के सम्बन्ध में बीतरागता और पर-प्रेरकत्व इन दोनों में किसी एक का त्याग करना आवश्यक है ।

(बुद्धिकर्तृत्वपक्ष में भी ईश्वरकर्तृत्व निरर्थक)

छद्म कारिका में ईश्वर के सम्बन्ध में सांख्ययोग के एक और आशय को प्रस्तुत कर उस का निराकरण किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-जीव ब्रह्महत्या और यम नियमादि जैसे विभिन्न कर्मों में स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं । आशय यह है कि सांख्यमतानुसार प्रवृत्त-निवृत्त होना पुरुष का काम नहीं है किन्तु उस की बुद्धि का काम है । बुद्धि त्रिगुणात्मिका होती है । बुद्धि के तीन गुण सत्व-रजस्-तमस कहे जाते हैं ।

अभिप्रायान्तरमाशङ्क्य निराकुरुते—

मूलम्—फलं ददाति चेत्सर्वं तत्तन्मेह प्रचोदितम् ।

अफले पूर्वदोषः स्यात् सफले भक्तिमाश्रया ॥ ७ ॥

सर्वं तत्=चित्रं कर्म, इह=जगति, नेन=ईश्वरेण, प्रचोदितम्=अधिष्ठितं सत्, फलं=सुखदुःखादिकम्, ददाति=उपधत्ते, अचेतनस्य नेननाधिष्ठितस्यैव कार्यजनकत्वादिति चेत् ? अफले=स्वनाभिप्रफलदानाऽसमर्थे कर्मण्यभ्युपगम्यमाने, पूर्वदोषः=पूर्वोक्तः स्वर्ग-नरकादि-फलाऽनियमदोषः स्यात् । सफले=स्वतश्चित्रफलदानसमर्थकर्मणि त्वभ्युपगम्यमाने, भक्ति-माश्रया=ईश्वरे भक्तिमात्रं स्यात्, हरीतकीरक्ष्म्यायात् । 'अचेतनं चेतनाधिष्ठितमेव जनकर्म'ति नियमस्त्वतादृशस्यापि वनवीजस्याऽङ्कुरजननत्वदर्शनादसिद्धः । तस्यापि पक्षतायाम्, अन्य-शेषे व्यभिचारिणः पक्षतार्था निवेदोऽर्भेकान्निकोच्छेदप्रसङ्गादिति भावः ॥७॥

जब बुद्धि के सत्त्व गुण का उत्कर्ष होता है तब उसे यथा भक्ति-वैराग्यादि प्रणस्त सार्विक साध जाग्रत होकर सत् कर्तव्यों को करने का संकल्प होता है और उस के अनुसार राजोगुण के सहकार से वह सत्कर्म करती है । जब बुद्धि के राजोगुण का उत्कर्ष होता है तब सत्त्व या तमो गुण से प्रेरित हो सत् या असत् कर्मों करने का संकल्प होता है और उन के अनुसार वह सत् या असत् कर्मों को करती है । जब बुद्धि के तमोगुण का आधिक्य होता है तब उस में प्रबल राग द्वेष ईर्ष्या निर्दयतादि तामस भावों का प्राकट्य होता है । बुद्धि के इस कर्तृत्व का पुरुष को केवल अभिमान होता है और वह इसलिए होता है कि पुरुष अपने को बुद्धि से पृथक् नहीं समझता । विभिन्न कर्मों में पुरुष को स्वतः कर्तृत्व का अभिमान प्रवृत्त होता है । बुद्धि के विभिन्न कर्मों में बुद्धि की प्रवृत्ति के लिए न प्रयोजन का ज्ञान अपेक्षित होता है जो ईश्वर के संनिधान से ही संभव है अर्थात् ईश्वर बुद्धि को तब तब कर्मों के प्रयोजन का ज्ञान संपादित करता है और उसी से बुद्धि तत् तत् कर्मों में प्रवृत्त होती है । ईश्वर को परमेश्वर मानने में योगदर्शन का यह अभिप्राय है किन्तु इस संबन्ध में ग्रन्थकार की यह ध्यासोचना है—त्रिगुणात्मिका बुद्धि स्वभाव से ही प्रवृत्तिशील है । अतः उस के प्रदर्शन के लिए प्रयोजन ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है और यदि है तो वह भी बुद्धि को स्वयं ही संपन्न हो सकता है । अतः उस के लिए ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास ठीक उसी प्रकार निरर्थक है जैसे घर में ही धन की प्राप्ति संभव रहने पर धन कमाने के लिए विदेश की यात्रा निरर्थक होती है ।

(कर्म की ईश्वराधीनता का निरसन)

७ वीं कारिका में योग दर्शन के एक और अभिप्राय की खर्चा कर के उस का निराकरण किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

सभी कर्म ईश्वर की प्रेरणा से ही फलप्रद होता है क्योंकि अचेतन में चेतन के संयोग से ही कार्य-जनकता होती है । अतः कर्म की सफलता उपपन्न करने के लिए ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है । इस अभिप्राय के सम्बन्ध में ग्रन्थकार की यह समीक्षा है कि यदि विभिन्न कर्म विभिन्न फलों को प्रदान करने में स्वयं समर्थ न हो तो ईश्वर का अस्तित्व मानने पर भी उन कर्मों से स्वर्ग नरकादि विभिन्न

आदिमर्गे तस्यैव स्वातन्त्र्यमित्याशङ्क्य निराकुरुते—

आदिसर्गेऽपि नो हेतुः कृतकृत्यस्य विद्यते ।

प्रतिज्ञातविरोधित्यात् स्वभावोऽप्यप्रमाणकः ॥ ८ ॥

आदिसर्गेऽपि कृतकृत्यस्य-वीतरागस्य, हेतुः-प्रयोजनम्, न विद्यते, ततः कथमादि-
सर्गोपपत्त्य कुर्यात् ? । अथेदञ्चः स्वभाव एवाऽस्य, यत्प्रयोजनाऽभावेऽप्यादिमर्गे स्वातन्त्र्येणैव
करोति, अन्यथा त्वदृष्टाद्यपेक्षयैवेति । अत आह-‘स्वभावोऽपि’ प्रागुक्तः ‘अप्रमाणकः,’ धर्मिण
एव चाऽमिदो कृत तादृशः स्वभावः कल्पनीयः ? इति भावः ॥ ८ ॥

फलों की सिद्धि न होगी । क्योंकि यदि कर्मों में स्वयं तब तब फलप्रदान करने का सामर्थ्य न होगा तो ईश्वर का अस्तित्व दोनों प्रकार के कर्मों के लिये समान होने से यह नियम नहीं हो सकता कि बहुहत्यादि से नर्क हो हो और समनियमादि से स्वर्ग हो । और यदि इस दोष के परिहरार्थ उन कर्मों को तब तब फलों का प्रदान करने में स्वयं समर्थ माना जायगा तो फिर ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता होगी ? क्योंकि कर्म तो स्वयं ही तब तब फलों को प्रदान कर देते हैं । अतः उस पक्ष में भी ईश्वर को कर्म का सहकारी मानना ईश्वर के प्रति भक्त की भक्ति का अज्ञानपूर्वक प्रदर्शन मात्र है । यह ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्य को स्वयं रेश होने पर हरितकी के सेवन की प्रवृत्ति । और यह जो बात कही गई कि अचेतन चेतन के सहयोग से ही कार्य का जनक होता है वह भी सार्थक नहीं है, क्योंकि चेतन सहायक के बिना भी वनस्प बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है । यदि यह कहा जाय-‘वनस्प बीज भी पक्ष कीट में ही प्रविष्ट है अर्थात् जैसे कर्म की फलप्रदता को उत्पन्न करने के लिये कर्म को सहकारी ईश्वर की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वनस्प बीज में अंकुरजनकता की उत्पत्ति के लिये भी वनस्पबीज के सहकारिरूप में ईश्वर की कल्पना की जायगी’ । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर जगत में अनैकान्तिक दोष का अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा अर्थात् कोई भी हेतु कहीं भी साध्य का अभिचारी न हो सकेगा क्योंकि जहाँ भी हेतु में साध्य का समन्वय प्रदर्शित होगा-उस का पक्ष में अन्तर्भाव किया जा सकता है ॥ ७ ॥

(वीतराग ईश्वर को विश्वरचना में प्रयोजनाभाव)

आठवीं कारिका में ईश्वर प्रथमसृष्टि का स्वतंत्र कर्ता है इस मत का निराकरण किया गया है । ईश्वर के कर्तृत्व का समर्थन करनेवाले कुछ लोगों की यह मान्यता है कि जो सृष्टि जीव के कर्मों से संपन्न होती है वह तो ईश्वर के बिना जीव के कर्मों से ही उत्पन्न हो जायगी किन्तु पहली सृष्टि जिस के पूर्व जीवकर्म विद्यमान नहीं है उस की उत्पत्ति ईश्वर से ही हो सकती है । किन्तु यह मानना युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होता क्योंकि ईश्वर वीतराग है उसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है तो वह सृष्टि की उत्पत्ति ही क्यों करेगा ? अतः सृष्टि के सम्बन्ध में भी यही मानना होगा कोई सृष्टि प्रथम सृष्टि नहीं है बल्कि सृष्टि का प्रवाह अनादि है । पूर्व में ऐसा कोई काल नहीं था जिस में यह सृष्टि न रही हो । यदि ऐसा न माना जायगा तो सृष्टि का अस्तित्व रहना किसी भी प्रकार संभव न हो सकेगा ।

विश्वहेतुतया धर्मिग्राहकमानेन तादृशस्वभाव एव भगवान् साध्यते, इत्यभिप्रायाद्वाह-

मूलम्- कर्मादेस्तत्स्वभावत्वे न किञ्चिद् साध्यते विमोः ।

विमोस्तु तत्स्वभावत्वे कृतकृत्यत्ववाधनम् ॥ ९ ॥

कर्मादेस्तत्स्वभावत्वे-ईश्वरमनपेक्ष्य जगज्जननस्वभावत्वे, न किञ्चिद् विमोः=परमे-
श्वरस्य, वाध्यते । विमोस्तु तत्स्वभावत्वेऽन्वातन्त्र्येण अन्यहेतुसापेक्षतया वा जगज्जननस्व-
भावत्वे, कृतकृत्यत्ववाधनम् बीतरागत्वव्याहतेः, कारणतया प्रकृतित्वप्रसङ्गाच्च । अथ
परिणामित्वाभावाद् न प्रकृतित्वम्, प्रयोजनाभावेन जन्येच्छाया अभावेऽपि नित्येच्छासत्त्वाद्
न वैराग्यव्याहतिः, जन्येच्छाया एव सागपदार्थत्वात् । ऐश्वर्यमपि न जन्यम्, किन्तु तत्तत्फला-
वर्तिष्ठन्नेर्च्छव । सर्गादौ रजःप्रभृत्युद्रेकोऽपि तत्र तत्कार्यकारितयैव गीयत इति न कूटस्थत्व-
हानिरिति चेत् ?

जल्पता गिरिकासावने गिरं न्यायवर्तननिवेदपेठालाम् ।

सारूप्य ! संप्रति निर्ज कुलं त्वया हन्त ! हन्त ! सकलं कलङ्कितम् ॥१॥

यत् एवं कार्यजनकज्ञानादिसिद्धौ नदाश्रयतया बुद्धिरेव नित्या सिध्येत्, न त्वीश्वरः,
बुद्धित्वस्यैव ज्ञानादाश्रयतावच्छेदकत्वात् । आत्मत्वस्य नदाश्रयतावच्छेदकत्वे तु जन्यज्ञाना-
दीनामप्यात्माश्रिततया विलीनं प्रकृत्यादिप्रक्रियया इति किमज्ञेन गत विचारप्रपञ्चेन ? ।

यदि यह कहा जाय-'नहीं, सृष्टि अपूर्व भी होती है जिसे प्रथम सृष्टि कहा जा सकता है । और
उसे किसी प्रयोजन के बिना भी परमेश्वर अपने स्वभाव से ही उत्पन्न करता है । किन्तु जब पहले
सृष्टि हो जाती है और उस में जोध गुमायुक्त कर्म करने लगते हैं तब उस के बाद की सृष्टि उन कर्मों
के अनुसार होती है । अर्थात् बाद की सृष्टि को ईश्वर कर्मानुसार संपन्न करता है'-यह कहना भी ठीक
नहीं है क्योंकि यदि ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध हो जाय तब उस में बिना प्रयोजन के भी निर्माण
करने के स्वभावस्वरूप धर्म की कल्पना की जा सकती है किन्तु जब तक यह स्वयं ही सिद्ध नहीं है
तो उस में स्वभाव की कल्पना कैसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय-'प्रथम सृष्टि के कर्ता रूप में
ईश्वर का अनुमान होता है और प्रथम सृष्टि का कर्तृत्व ईश्वर का उक्त स्वभाव मानने पर ही संभव
है अतः आद्यसृष्टि मूलक जिस अनुमान से ईश्वररूप धर्मोंकी सिद्धि होगी उसी प्रमाण से उक्त स्व-
भावविशिष्ट ही ईश्वर की सिद्धि होगी । अतः यह आवश्यक नहीं है कि ईश्वररूपधर्मों को पहले सिद्ध
किया जाय और बाद में उस में उक्त स्वभावस्वरूप धर्म की कल्पना की जाय ।'-किन्तु यह कहना भी
ठीक नहीं है क्योंकि आद्य सृष्टि में ही कोई प्रमाण नहीं है ।

(निष्प्रयोजन चैष्टा से बीतरागता की हानि)

६ बी कारिका में इस प्रतिप्राय की धर्मा और उसकी प्रालोचना की गई है-विषय के
कर्ता रूप में जिस अनुमानप्रमाण से ईश्वररूप धर्मों की सिद्धि होगी उस प्रमाण से प्रयोजन बिना

भी कार्य करने का उस का स्वभाव भी सिद्ध होगा। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—कर्म ईश्वर की अपेक्षा न कर के स्वयं ही जगत् का कारण होता है—कर्म का ऐसा स्वभाव मानने पर ईश्वर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका नहीं होती। किन्तु ईश्वर स्वभाव रूप से अथवा किसी अन्य हेतु के सहयोग से जगत् का निर्माण करता है—ईश्वर का ऐसा स्वभाव मानने पर उस की कृतकृत्यता अर्थात् पूर्णता की भाषा होती है। क्योंकि उसे कर्ता मानने पर उस के बीतरागत्वकी हानि होती है और उसे जगत् का कारण मानने पर उस में प्रकृतिरूपता की आपत्ति होती है। क्योंकि सांख्ययोग-दर्शन में प्रकृति को ही जगत् का कारण माना गया है। इस आपत्ति को दूर्यपत्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि ईश्वर जब प्रकृतिरूप होगा तो उसे सजिकार होना पड़ेगा।

इस सन्दर्भ में सांख्ययोग की ओर से यह कहा जा सकता है कि ईश्वर को जगत् का कर्ता मानने में उपर्युक्त दोषों में कोई भी दोष नहीं हो सकता। जैसे, ईश्वर को जगत् का कर्ता मानने पर भी उस में प्रकृतिरूपता की आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परिणामी कारण को ही प्रकृति कहा जाता है। ईश्वर जगत् का परिणामी कारण न होने से प्रकृतिरूप नहीं है। ईश्वर को जगत्कर्ता मानने पर उस की बीतरागता का विघटन नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म इच्छा को ही राग कहा जाता है। और ईश्वर की कोई प्रयोजन न होने से उस में जन्म इच्छा नहीं हो सकती। निर्य इच्छा होने पर भी उस की बीतरागता सुरक्षित रह सकती है। क्योंकि जन्म इच्छा के अभाव को ही बीतरागता कहा जाता है। उस का ऐश्वर्य भी जन्म नहीं हो सकता क्योंकि यह तद् तद् फलविधायक निर्य इच्छारूप ही है। सृष्टि के आरंभ में रजोगुण का उत्कर्ष होता है—इस कथन से ईश्वर में सगुणता की भी आशंसा नहीं की जा सकती क्योंकि समयानुसार उत्कृष्ट और अपकृष्ट होना यह गुणों का अपना ही स्वभाव है। ईश्वर की इच्छा गुणों के क्या समय होने वाले उत्कर्ष और अपकर्ष को विषय करती है। इसी से ईश्वर गुणों में वैचल्य का उत्पादक कहा जाता है। अतः ईश्वर को जगत् का कर्ता मानने पर उस की कृतकृत्यता अर्थात् निर्विकारता की हानि नहीं हो सकती—किन्तु व्याख्याकार का कहना है कि यह कथन ठीक नहीं है। इस कथन पर उन्होंने यह कहते हुए सांख्य की भर्त्सना की है कि ईश्वर की सिद्ध करने के लिये जो बात अभी कही गई है वह न्यायदर्शन की मान्यता पर आधारित होने से समीचीन प्रतीत होती है। किन्तु उसे अपनी मान्यता के रूप में यदि सांख्यवादी स्वीकार करते हैं तो इस से उन की पुरी परम्परा ही कलङ्कित हो जाती है। तात्पर्य यह है कि—

(सांख्यमत में आनादि का आश्रय ईश्वर नहीं हो सकता)

उक्त रीति से ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास सार्थक भी नहीं हो सकता क्योंकि उक्त रीति से कार्य सामान्य के कारण रूप से ज्ञान इच्छा और प्रयत्न की सिद्धि होती है। ईश्वर को उक्त ज्ञान आदि के आश्रयरूप में अङ्गीकार करना होता है जो सांख्य की दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि उनके मत में ज्ञान आदि का आश्रय बुद्धि ही होती है ईश्वर नहीं होता। उस मत में बुद्धिस्थ ही ज्ञान आदि की आश्रयता का नियामक होता है। और यदि आत्मत्व को ज्ञान आदि की आश्रयता का नियामक माना जायगा तो जैसे कार्य सामान्य का कारणभूत निर्य ज्ञान आदि आत्माभित होगा इसी प्रकार जन्मज्ञान आदि भी आत्माभित ही होगा। इस प्रकार न्यायदर्शन के समान जीव और ईश्वर की पटाक्षर्य प्रवृत्ति के प्रति पटाक्षर्य के उपादान का तद् तद् पुष्टीय प्रत्यक्ष कारण है। अतः तद् तद् कार्यार्थों की प्रवृत्ति और तद् तद् कार्य के उपादान का प्रत्यक्ष इन्हीं के बीच कार्यकारणभाव आश्रयक

नैयायिकोक्तरीत्यापि नेश्वरसिद्धिः । तथाहि-कार्येण तत्त्वाधने आद्यानुमाने नाऽनु-
कूलमर्थः, तत्तत्पुरुषीयपटाद्यधिप्रवृत्तिस्त्वावच्छिन्नं प्रति तत्तत्पुरुषीयपटादिमन्त्रप्रकारकोपादान-
प्रत्यक्षत्वेन हेतुत्वावश्यकत्वात्, प्रत्यक्षत्वेन कार्यसामान्यहेतुत्वे मानाभावात्, चिकीर्षाया
अपि प्रवृत्तावेव हेतुत्वात्, कृतेरपि विलक्षणकृतित्वेनैव घटत्व-पटत्वाद्यवच्छिन्नहेतुत्वात् ।

मान्यता सांख्यशास्त्र में भी आ जायगी । फलतः त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही जगत् का मूल कारण है
और उस से उत्पन्न बुद्धि ही आनादि गुणों का आधाय और कर्ता है-यह सब सांख्य दर्शन को मान्यता
समाप्त हो जायगी । तो इस प्रकार जो सांख्यशास्त्र की मान्यता का धनविशे होते हुए सांख्य की
और से विचार करने को उद्यत होता है उसके साथ विचार करना अनुचित है । इसलिये इस चर्चा
को इतने में ही समाप्त कर देना ठीक है, क्योंकि इसने से ही ईश्वर के सम्बन्ध में सांख्ययोग द्वारा
प्रदर्शित मुक्तिर्पा निरर्थक सिद्ध हो जाती है ।

(कार्यसामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष कारणता की आलोचना)

नैयायिकों ने ईश्वर को सिद्ध करने की जो रीत बताई है उस से भी ईश्वर को सिद्ध नहीं हो
सकती-अंसे उन्होंने ने कार्य द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने के लिये सर्व प्रथम इस अनुमान का प्रयोग
किया है 'कार्य सकर्तृ के कार्यत्वत्' - संपूर्ण कार्य कर्तृसापेक्ष है क्योंकि कार्य है ।' किन्तु यह अनुमान
समीचीन नहीं हो सकता क्योंकि-जो भी कार्य होता है वह सभी कर्तृसापेक्ष होता है इस नियम का
निश्चायक कोई तर्क नहीं है । कहने का आशय यह है कि कार्यसामान्य के प्रति सामान्यरूप से उपादान
विवक्षक प्रत्यक्ष कारण है इस कार्यकारणभाव पर ही उक्त अनुमान निर्भर है किन्तु इस कार्य-
कारण भाव में कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि इस कार्यकारणभाव को मानने पर भी यह प्रश्न होता
है कि घट-उपादान के प्रत्यक्ष से घटार्थीकी ओर घटोपादान के प्रत्यक्ष से घटार्थी की प्रवृत्ति क्यों नहीं
होती ? क्योंकि जब सामान्यरूप से उपादान का प्रत्यक्ष सामान्यरूप से कार्य भाव का कारण है तो
किसी भी उपादान के प्रत्यक्ष से किसी भी कार्य की उत्पत्ति होना युक्तिसङ्गत है । अतः इस प्रश्न का
उपादान करने के लिये इस प्रकार का विशेष कार्यकारणभाव मानना होगा कि तत् तत् पुरुष की
पटाद्यर्थ प्रवृत्ति के प्रति पटादि के उपादान का तद् तद् पुरुषीय प्रत्यक्ष कारण है । फलतः तत् तत्
कार्याधी की प्रवृत्ति और तत् तद् कार्य के उपादान का प्रत्यक्ष इन्हीं के बीच कार्यकारणभाव आवश्यक
है । इसी से उपादान प्रत्यक्ष के अभाव में कार्योत्पत्ति की प्राप्ति का परिहार हो जायगा अतः 'कार्य
सामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष कारण है' इस सामान्य कार्यकारणभाव की कोई आवश्यकता न
रहेगी । तो जब इस प्रकार-कार्य सामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष या उस प्रत्यक्ष का आधायभूत
कर्ता कारण है यह कार्यकारणभाव ही असिद्ध है तो कार्य सामान्य से कर्तृ सामान्य का अनुमान
कैसे हो सकेगा ?

(कृति और कार्य का भी सामान्यतः कार्य-कारण भाव नहीं है)

जिस प्रकार उपादान का प्रत्यक्ष उपर्युक्त रीति से प्रवृत्ति का ही कारण है उसी प्रकार चिकीर्षा
भी प्रवृत्ति का ही कारण है, कार्य सामान्य का कारण नहीं है । और कृतित्व रूप से कृति भी कार्यत्व
रूप से कार्य सामान्य का कारण नहीं है किन्तु घटपटादि तत् तद् कार्य के प्रति कुलाल तत्तुवाय

न च प्रवृत्ताविष घटादावपि हानेच्छयोरन्य-व्यतिरेकाभ्यां हेतुत्वमिद्वेः तत्र घटत्व-पट-
त्वादीनामानन्त्यात् कार्यत्वमेव साधारण्यात् कार्यतावच्छेदकम्, शरीरसाधवभेदेभ्य संघादकलाघ-
वस्य न्याय्यत्वात्, कृतेस्तु 'यद्विशेषयोः' इति न्यायात् सामान्यतोऽपि हेतुत्वमिति वाच्यम्,

आदि की कृति विवक्षित कृतिरूप से ही कारण है। कहने का आशय यह है कि कार्य सामान्य के प्रति कृति सामान्य को कारण मानने में घट के लिये होनेवाली कृति से पट की घोर पट के लिये होनेवाली कृति से घट की उत्पत्ति होने की अपेक्षा हो सकती है। अतः जिन कृतियों से घट उत्पन्न होता है उन में विवक्षित जाति और जिन कृतियों से पट उत्पन्न होता है उस में दूसरी विवक्षित जाति मानकर-घट पट आदि कार्यों के प्रति निम्न निम्न विजातीय कृतियाँ कारण हैं-यह कार्य-कारण-भाव मानना आवश्यक है। और इस कार्यकारणभाव को मान लेने पर कार्यसामान्य के प्रति कृति-सामान्य को कारण मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिये कार्यसामान्य से उपादान-प्रत्यक्ष या चिकीर्षा अथवा कृति का अनुमान नहीं हो सकता। और इसीलिये कार्य सामान्य के कारणभूत उपादानप्रत्यक्ष, चिकीर्षा और कृति के आवश्यक रूप में अभाव कर्ता ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता।

[व्यापकरूप से कारणता की सिद्धि का प्रयास-पूर्वपक्ष]

इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि—

जैसे उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा रहने पर प्रवृत्ति होती है और उस के न रहने पर प्रवृत्ति नहीं होती है—इस अन्वय व्यतिरेक से उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा को प्रवृत्तिकारण माना जाता है उसी प्रकार उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा के अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान घटादि में भी है, इसलिये घटपटादि के प्रति उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा को कारण मानना आवश्यक है। तो इस प्रकार जब प्रवृत्ति के समान अन्य कार्यों के प्रति उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा की कारणता सिद्ध होती है तब घटत्व पटत्व आदि अनन्त धर्माविच्छिन्न के प्रति उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा को कारण मानने की अपेक्षा कार्यरूप सामान्य धर्माविच्छिन्न के प्रति उन्हें कारण मानना उचित है।

यदि यह कहा जाय कि—'घटत्व पटत्वादि की अपेक्षा प्रागभावप्रतिदोगिरूप कार्यत्व का शरीर गुरु है अतः उस की अपेक्षा लघुकारीरो घटत्व पटत्वादि को ही उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा का कार्यतावच्छेदक होना उचित है'—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि घटत्व पटत्वादि धर्म संपूर्ण कार्यों का सङ्ग्राहक नहीं है और कार्यरूप संपूर्ण कार्यों का संग्राहक है। इसलिये उसी को उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा का कार्यतावच्छेदक मानना न्यायसङ्गत है क्योंकि उसे कार्यतावच्छेदक मानने पर कार्य सामान्य के प्रति उपादान प्रत्यक्षादि में एक एक कारणता की ही सिद्धि होगी और घटत्व पटत्व आदि धर्मों की कारणतावच्छेदक मानने पर तद् तद् धर्माविच्छिन्न के प्रति विजातीय उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा में अनन्त कारणता माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार जब कार्यसामान्य के प्रति उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा की कारणता सिद्ध हो जाती है तो कार्यसामान्य से कार्य सामान्य के उपादान प्रत्यक्ष और चिकीर्षा का अनुमान होने में और उस के आशय रूप में ईश्वर का अनुमान होने में कोई बाधा नहीं हो सकती। इसी प्रकार घटपटादि कार्यों के प्रति पृथक् रूप से विजातीय कृतियों को कारण मानने पर भी-कार्य सामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण है-यह सामान्य कार्यकारण भाव

कार्यत्वस्य कालिकेन घटत्वं-घटत्वादिमत्त्वरूपस्य नानात्वात्, सर्वसंख्यावृत्त्यर्थं देयस्य सत्त्वस्य विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनानिर्देशादतिगुत्वाच्च । न च दृश्यस्य सत्त्वच्छेदकतया मिदं जन्यसत्त्वम् अवच्छिन्नमवेतत्वं वा तज्जन्यतावच्छेदकम्, तथापि प्रत्येकं विनिगमना-
दिरहात्, 'यद्विशेष्योः'० इति न्याये मानाभावात् । किञ्च, एवं प्रायःशिकत्वमेव शैलादि-
व्यावृत्तं देवकुलाद्यनुवृत्तं सकलजनन्यवहारसिद्धं प्रयत्नजन्यतावच्छेदकमस्तु, व्याप्यधर्मत्वात्,
इदमेवाऽभिप्रेत्य हेतुविशेषकल्पने कार्यसमर्थं सम्मतिटीकाकृता निरस्तम् ।

भी सिद्ध होगा क्योंकि-‘यद्विशेष्योः कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि’ यह सर्वसामान्य नियम है । इस का आशय यह है कि जिन पदार्थों में विशेषरूप से कार्यकारणभाव होता है उन पदार्थों में सामान्यरूप से भी कार्यकारणभाव होता है । जैसे एक घट को उत्पन्न करनेवाले कपाल से अन्य घट की उत्पत्ति का कारण करने के लिये तद् तद् घट के प्रति तद् तद् कपाल को कारण मानने पर-घट सामान्य प्रति कपालसामान्य कारण है-यह भी कार्यकारणभाव माना जाता है, उसी प्रकार कार्य-विशेष और कृतिविशेष में कार्यकारणभाव मानने पर कार्यसामान्य और कृतिसामान्य में भी कार्य-कारणभाव मानना न्यायसङ्गत है ।

यदि यह कहा जाय कि-‘विशेष कार्यकारणभाव से ही कार्य सिद्ध हो जाने से सामान्यरूप से कार्यकारणभाव की कल्पना कहीं भी मान्य नहीं है । अतः ‘यद्विशेष्योः कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि’ यह नियम नियुचितक है।’ तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि जहाँ कोई कपाल नहीं है वहाँ यदि यह प्रश्न हो कि ऐसे स्थल में घट की उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? तो इस का उत्तर यह नहीं दिया जा सकता कि तद् तद् कपाल का अभाव होने से घट की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि तत्कपाल के अभाव में भी अन्य कपाल से घट की उत्पत्ति होती है । अतः तद् तद् कपाल का अभाव तद् तद् घट की ही अनुत्पत्ति का नियामक नहीं हो सकता है । अतः घटसामान्य की अनुत्पत्ति का नियामक कपाल-सामान्य के अभाव को ही मानना होगा और यह तभी संभव है जब घट और कपाल में सामान्यरूप से भी कार्यकारणभाव हो । उसी प्रकार जहाँ कोई कृति नहीं है वहाँ कार्यसामान्य की अनुत्पत्ति का नियामक कृतिसामान्य का अभाव है-इस बातको उपपत्ति के लिये कार्यसामान्य के प्रति कृति-सामान्य को भी कारण मानना आवश्यक है । तो इस प्रकार जब कार्य सामान्य के प्रति कृतिसामान्य की कारणाता युक्तिसिद्ध है तब उसके बलसे ‘कार्यं सफलं कार्यत्वात्’ यह अनुमान निर्वाध रूप से संभव हो सकता है ।-

(व्यापक रूप से कारणाता की सिद्धि का असम्भव-उत्तरपक्ष)

किन्तु यह कथन विचार करने पर समीचीन नहीं प्रतीत होता है क्योंकि कार्यत्व भी जो संपूर्ण कार्योंका संग्राहक है एकधर्म रूप न होकर कालिक सम्बन्ध से घटत्वं घटत्वादि रूप है । आशय यह है कि कार्यत्व को सकल कार्यों में एक अनुगतधर्म के रूप में तभी स्वीकार किया जा सकता है जब संपूर्ण कार्यों का अनुगम करने का कोई मार्ग न रहे किन्तु ऐसे मार्ग का अभाव नहीं है, क्योंकि कालिक सम्बन्ध से घटत्वं सभी कार्यों में रहने से समस्त कार्यों का अनुगमक हो सकता है, अतः कालिकसम्बन्ध से घटत्वं-घटत्वादि से भिन्न कार्यत्व नामक एक अतिरिक्त धर्म की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है ।

(सामान्यकारणभावकल्पना में गौरव)

फलतः 'कार्यसामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण है' इस नियम का पर्यवसान 'कालिक सम्बन्धसे घटत्वादिस्तु के प्रति कृतिसामान्य कारण है'-इस कार्यकारणभाव में होगा। और यह कार्यकारणभाव घटत्त्वपटत्त्वादि कार्यतावच्छेदक के भेद से अनन्त होगा। अतः 'घटपटादि तद् तद् कार्यो के प्रति पृथक् रूप से विजातीय कृति कारण है'-इस कार्यकारणभाव से अतिरिक्त उक्त रूप से 'कार्यसामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण है' इस कार्यकारणभाव की कल्पना गौरवप्रसक्त है। इसके अतिरिक्त कार्य-कारण भाव में गौरव का अन्य हेतु भी है अर्थात् कालिक सम्बन्ध से घटत्त्व पटत्त्वादि धर्म भावभूत वस्तु में रहता है इसी प्रकार ध्वंस में भी रहता है और ध्वंस के प्रति उपादान प्रत्यक्षादि कारण नहीं होते क्योंकि उसका कोई उपादान ही नहीं होता। अतः ध्वंसरूप कार्य के प्रति उपादानप्रत्यक्षादि कारणों का व्यभिचार खारज करने के लिये ध्वंस को उन के कार्यवर्ग से व्यावृत्त करने के लिये कार्यतावच्छेदककोटि में सत्त्व-भावस्व का निवेश करना होगा। फलतः भावस्व और घटत्त्व आदि के विशेषणविशेष्यभाव में कोई विनिगमना न होने से 'घटत्त्वादि-विशिष्टभाव प्रति उपादानप्रत्यक्षादिक कारण' एवं 'भावस्वविशिष्टघटत्त्व प्रति उपादानप्रत्यक्षादिक कारण' इस प्रकार से युक्तर कार्यकारणभाव की प्राप्ति होगी।

(जन्यत्व अथवा अवच्छिन्नत्व का निवेश व्यर्थ है)

यदि यह कहा जाय कि 'भावकार्य की उत्पत्ति ब्रह्म में ही होती है गुणादि में नहीं होती इसलिए जन्यभाव के प्रति ब्रह्म कारण है यह कार्यकारणभाव मानना आवश्यक होता है। इसके अनुसार जन्यसत्त्व ब्रह्म का कार्यतावच्छेदक होता है। जन्यस्व का अर्थ है जगदावच्छिष्टस्व। इस में जन्यस्व का निवेश नित्य भावपदार्थों की व्यावृत्ति के लिए किया जाता है और सत्त्व का निवेश ध्वंस की व्यावृत्ति के लिए किया जाता है। नित्य भावपदार्थों की व्यावृत्ति के लिए जन्यस्व के बलसे अवच्छिन्नत्व का भी निवेश किया जा सकता है। अवच्छिन्नत्व का अर्थ है कालावच्छिन्नत्व अर्थात् किञ्चित्कालवृत्तिस्व। इस प्रकार ब्रह्म का जन्यतावच्छेदक जन्यसत्त्व या किञ्चित्कालवृत्ति समवेतत्व होता है। उसी को उपादान प्रत्यक्ष विकीर्ण और कृति का कार्यतावच्छेदक मान कर अन्यभाव सामान्यके प्रति उपादान प्रत्यक्ष आदि को कारण माना जा सकता है'-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जन्यत्व के संबन्ध में यह बात पूर्ववत् कही जा सकती है कि जन्यत्व अतिरिक्त धर्म न होकर विनिगमना विरह से कालिकसंबन्धेन घटत्त्व-पटत्त्व आदिरूप ही है। इसीप्रकार अवच्छिन्नत्व के संबन्ध में भी कहा जा सकता है कि अवच्छिन्नत्व विनिगमनाविरह से तद् तद् घटादिरूप को तत् तत् काल, तत्किर्णितवृत्तित्व रूप है इसलिए पूर्वोक्त बोध से निस्तार अशक्य है।

(सामान्याभाव विशेषाभावकूट से अन्य नहीं है)

इस सन्दर्भ में 'यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि' इस न्याय से कार्यसामान्य और कृतिसामान्य में कार्यकारणभाव सिद्ध करने का जो प्रयास किया गया है वह भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि उस न्याय में कोई प्रमाण नहीं है। उस न्याय के समर्थन में जो यह बात कही गई है कि 'जिस स्थान में कोई कपाल नहीं है उस स्थान में कपालसामान्य भाव को घट सामान्य की अनुत्पत्ति का नियामक सिद्ध करने के लिए एवं जब कोई कृति नहीं है उस समय कृतिसामान्याभाव को कार्यसामान्य की अनुत्पत्ति का नियामक सिद्ध करने के लिए 'घट सामान्य के प्रति कपालसामान्य

यत्तु घटत्वाद्यवच्छिन्नं कृतिन्वेन हेतुन्वेऽपि खण्डघटाद्युत्पत्तिकाले कुलालादिकृतेऽस-
त्वादीयरासिद्धिः, इति द्योयिमिच्छन्तावन्तम्, तत्तुच्छम्, अस्माभिस्तत्र घटे खण्डन्यपयायस्यैवा-
भ्युपगमान् । युक्तं चैतद्, प्रत्याभिज्ञापपक्षेः । तत्र सादृश्यादिदोषेण असकल्पने शीरवात् ।

और कार्यसामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण है'-यह कार्यकारणभाव मानना प्राथम्यक है'-यह ठीक नहीं है क्योंकि विशेषाभावकट से ही सामान्याभाव की प्रतीति आदि उपपन्न हो जाने से विशेषाभावकट से त्रिव सामान्याभाव की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है । अतः जहाँ कोई कपाल नहीं है वहाँ घट सामान्य की अनुत्पत्ति का प्रयोजक तन्तुतुकपालाभावसमुदाय ही है । एवं जहाँ कोई कृति नहीं है तब उस समय कार्यसामान्य की अनुत्पत्ति का प्रयोजक तत् तत् कृति का अभाव-समुदाय ही है यही मानना युक्ति संगत है । अतः 'यद्विशेषयोः'० न्याय में कोई युक्ति न होने से कार्यकारण के बीच सामान्य कार्य-कारणभाव नहीं सिद्ध हो सकता । अतः कार्यसामान्य से कर्तृ-सामान्य के अनुमान करने का प्रयास असंभव है ।

इस से अतिरिक्त व्याख्याकार का कहना है कि प्रयत्न से प्रायोगिक कार्यों की ही उत्पत्ति होती है । प्रायोगिक उसे कहते हैं जो प्रयोग कर्मणः समुध्य की चेष्टा से लब्ध है । इसलिए प्रायोगिकत्व ही कार्यत्व का व्याप्य होने से प्रयत्न का जन्यतावच्छेदक है । और वह शैल आदि कर्तृहोन कार्यों से व्याप्य है और वेवकुलादि कर्तृ साधेय कार्यों में अनुगत है । और उस के अस्तित्व में 'गृहाधिकार्यम् प्रायोगिकम्' और 'शैलाधिकार्यम् न प्रायोगिकम्' यह सार्वजनिक व्यवहार ही प्रमाण है । इसी अस्ति-प्राय से सम्मतिपन्थ के टीकाकार ने हेतुसंबन्धी रिकल्प प्रस्तुति होने पर नैमायिक द्वारा उद्धावित कार्यसमत्व का निराकरण किया है । इस विषय की स्पष्टता के लिए सम्मतिटीका दृष्टव्य है ।

(खण्डघट का ईश्वर कर्ता है-दीर्घातिकार को युक्ति)

तत्सर्वविनामणि ग्रन्थ के ऊपर द्योयिति नाम की व्याख्या करने वाले रघुनाथ शिरोमणि ने ईश्वर की सिद्धि के संबंध में यह कहा है कि-कार्य सामान्य के प्रति कृतिसामान्य की कारणता न मानने पर भी घट आदि के प्रति कुलाल आदि की कृति कारण है' इस कार्यकारणभाव के बल पर भी ईश्वर को सिद्धि की जा सकती है । उदाहरण के रूप में उन्होंने खंडघट को प्रस्तुत किया है । उन का भाव यह है कि घटमें से कुछ अंग निकल जाने पर पूर्ववर्ती पूर्ण घट का नाश होकर नये अपूर्ण घट की उत्पत्ति होती है उसे खंडघट कहा जाता है । अब यह कार्यकारणभाव है कि घट सामान्य के प्रति कुलालकृति कारण है तो इस खंडघट के भी घट सामान्य के अंतर्गत होने से इसके लिए भी कुलालकृति का होना आवश्यक है । किन्तु वह कुलालकृति आधुनिक कुलाल की कृति नहीं हो सकती । क्योंकि उस खंडघट का निर्माण करने के लिए कोई आधुनिक कुलाल उपस्थित नहीं होता । अतः यह मानना होगा-यह खंडघट जिस कुलाल की कृति से उत्पन्न होता है वह कुलाल ईश्वर है । यही कारण है-वेदों में 'अमः कुलासेम्यः' कहकर कुलाल के रूप में ईश्वर की वंदना की गई है ।

(खंडघट याने पूर्णतापर्याय की निवृत्ति)

व्याख्याकारने दीर्घातिकार के इस प्रयास को यह कहकर तुल्य बताया है कि घट का कोई अंग निकल जाने पर पूर्वघट का नाश होकर किसी नये खंडघट की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु पूर्ण घट में ही

अत एव पाकेनापि नान्यघटोत्पत्तिः, विशिष्टसामग्रीवशाद् विशिष्टघटोत्पत्तयः घटादेर्द्रव्यस्य कथञ्चिदावनाशोऽप्युत्पत्तिर्भवति, इति त्वयं सम्मतिटीकायाम् । परेषामपि स्वप्रयोज्य-विजातीयसंयोगसम्बन्धेन तत्काले (कुलालकृतेः) सत्त्वात् । न च वैशेषिकतये श्यामघटा-दिनाशीचरं रक्तघटाद्युत्पत्तिकाले प्राक्तनसत्त्वात्पुनरुत्पत्तयोरुत्पत्त्यादेर्नाशो नैव संभवतीति

पूणरूपवर्ण्य की निवृत्ति होकर लोकोत्पत्ति पर्याय की उत्पत्ति होती है । तो जब कोई नया घट उत्पन्न हो नहीं होता तब उस के कर्ता रूप में किसी पुरुषविशेष की कल्पना कैसे की जाये ?

व्याख्याकार ने अपने इस कथन के समर्थन में प्रत्यभिज्ञा को प्रमाणरूप में प्रस्तुत किया है । उन का आशय यह है कि किसी घट में से कुछ अंश निकल जाने के बाद भी 'स एव अथ घटः'—यह वही घट है' इसप्रकार वर्तमान घट में पूर्वघट के तादात्म्य का दर्शन होता है ।

यदि पूर्व घट का नाश होकर नये घट की उत्पत्ति मानी जायेगी तो इस तादात्म्य दर्शनरूप प्रत्यभिज्ञान की उपपत्ति नहीं हो सकती । यदि यह कहा जाय कि—यह प्रत्यभिज्ञान यथाथं नहीं है किन्तु भ्रमरूप है । अतः इस से पूर्वघट और संघट की एकता नहीं सिद्ध हो सकती—तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि उक्त प्रत्यभिज्ञा की भ्रम भानने पर उस के कारणरूप में सादृश्य आदि बोध की कल्पना करनी होगी । और जहाँ भी प्रत्यभिज्ञा होती है वहाँ सर्वत्र उसे भ्रम मानकर प्रत्यभिज्ञा पदार्थको पूर्व पदार्थ से भिन्न मानने की स्थिति उत्पन्न होने से अनेक पदार्थों की कल्पना का गौरव भी हो सकता है । यदि यह कहा जाय—कि-संघट में पूर्वघट के तादात्म्य का दर्शन भ्रम है जो दोनों में भेदबुद्धि न होने पर सादृश्य के कारण होता है—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस कल्पना में पूर्वघट का नाश और नवीन घट की उत्पत्ति तथा इन दोनों में तादात्म्यदर्शन के लिए सादृश्य में दोषार्थ की कल्पना होने से अतीव गौरव है ।

(पाकक्रिया से श्रव्यघट उत्पत्ति प्रक्रिया को समालोचना)

इसीलिए सम्मति टीका में भी यह बात स्पष्ट की गई है कि पाक से श्यामघट का नाश होने पर श्वेत घट की उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु विशिष्ट सामग्री के प्रभाव से पूर्ववर्ण से विलक्षण वर्णशाली उन्नी घटवर्ण की उत्पत्ति होती है उस के पूर्ववर्ण की निवृत्ति होने पर भी उसका नाश नहीं होता । क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण में पूर्व पर्यायके रूप में नष्ट होते हुए और उत्तर पर्यायके रूप में उत्पन्न होते हुए भी अपने मूलद्रव्य के रूप में स्थिर रहती है ।

वैशेषिक आदि के मत में यद्यपि पाकस्थल में पूर्वघट का नाश होकर नवीन घट की उत्पत्ति होती है, तथापि उस घटके कारणरूप में ईश्वरीयकृति की कल्पना आवश्यक नहीं है क्योंकि कृति घटके प्रति साक्षात् कारण न होकर स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग सम्बन्ध से ही कारण होती है । और उक्त संयोगसम्बन्ध से पाकस्थल में भी कुलाल की पूर्वकृति होने में कोई बाधा नहीं है । क्योंकि उस समय जिस कपालद्वय संयोग से घटकी उत्पत्ति होती है उसे भी कुलाल की पूर्वकृति का प्रयोज्य माना जा सकता है, क्योंकि कुलाल की पूर्वकृति से उसी प्रकार का संयोग होकर यदि पूर्वघट न होता तो उसके पाक और पाक से नये घट की उत्पत्ति की स्थिति ही न होती । अतः यह कहा जाना सर्वथा सम्भव है कि नया घट जिस कपालद्वय संयोग से उत्पन्न होता है वह भी परंपरा से पूर्वघट के उत्पन्न-क कुलाल की पूर्वकृति का प्रयोज्य है ।

चरन्त्यम् ; पूर्वसंयोगादिध्वंसपूर्णद्वयणुकादिध्वंसानामुत्तरसंयोगद्वयणुकादायन्ततः कालोपाधित-
यापि जनकत्वात्, तत्कालेऽपि कुलालादिकृतेः स्वप्रयोज्यविजातीयसंयोगेन मन्त्रात्; अन्यथा
घटत्वावच्छिन्ने दण्डादिहेतुत्वमपि दुर्बलं स्यात् । 'दण्डादिजन्यतावच्छेदकं विलक्षणघटत्वा-
दिकमेवे' ति चेत् ? कृतिजन्यतावच्छेदकमपि तदेवेत्यताम् । 'कृतेर्लाघवाद् विशेष्यतयैव हेतु-
त्वात् यत्र दण्डस्य स्वप्रयोज्यकपालद्वयसंयोगेन सत्त्वम्, न तु विशेष्यतया कुलालकृतिः,
तत्रैव दण्डघटे तत्त्वादिरिति चेत् ? न, कृतेरपि स्वप्रयोज्यसम्बन्धेनैव हेतुत्वात्, विजा-
तीयसंयोगत्वेन संबन्धन्वे गीगत्वात्, घटत्वावच्छिन्ने विजातीयकृतित्वेनैव हेतुत्वान्चेति दिक् ।

[वैशेषिकमतानुसारी पाकप्रक्रिया की प्रालोचना]

यदि यह कहा जाय कि—'वैशेषिक मत में पाक से रयामघट का नाश होने के बाद जब रयत-
घट की उत्पत्ति होती है तो उसके पूर्व रयामघट का द्वयणुक पर्यन्त नाश हो जाता है । केवल विभक्त
परमाणु रह जाते हैं और फिर परमाणुओं के संयोग से द्वयणुक त्रयणुक आदि की उत्पत्ति होकर कपाल-
द्वय के नये संयोग से नये घट की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार नये घट की उत्पत्ति के समय कुलाल
की पूर्वकृति से होनेवाला संपूर्ण संयोग आदि का नाश हो जाने से उक्त कृति के स्वप्रयोज्य विजातीय-
संयोग सम्बन्ध से अस्तित्व की कल्पना असंभव है'—तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि पाक स्थल में नये
घट की उत्पत्ति के लिये जिन द्वयणुक से लेकर कपाल पर्यन्त नये द्रव्यों की आवश्यकता होती है उनके
प्रति संबंधित परमाणुसंयोगादि और द्वयणुकादि का नाश कारण होता है । क्योंकि किसी भी द्रव्य में
किसी कार्यद्रव्य के रहते नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती एवं दो द्रव्यों में पूर्वोत्पन्न संयोग के रहते
उन द्रव्यों में नये संयोग की उत्पत्ति नहीं होती अतः उत्तर द्रव्य के प्रति पूर्व द्रव्य का नाश
और उत्तर संयोग के प्रति पूर्व संयोग के नाश को कारण मानना आवश्यक होता है और इसके अति-
रिक्त कालोपाधिक्य में भी पूर्व संयोग और पूर्व द्वयणुकादि का नाश, उत्तर संयोग और उत्तर द्वयणु-
कादि के नाश का कारण होता है । अतः पाक स्थल में नवीन घट की उत्पत्ति के समय कुलाल की
पूर्वकृति के स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग सम्बन्ध से रहने में कोई बाधा नहीं हो सकती क्योंकि नवीन
घटके लिये अपेक्षित परमाणु संयोग और द्वयणुकादि पूर्व संयोग और पूर्व द्वयणुकादि के नाश से
जन्म है और उक्त नाश अपने प्रतियोगी से जन्म है और प्रतियोगी कुलाल की कृति से जन्य है ।
अतः कुलाल कृति से जन्य होनेवालों की परम्परा में ही नवीन घट के उत्पादक कपालद्वय संयोग के
होने से उसे कुलाल की पूर्व कृति से प्रयोज्य मानना संबंधा सङ्गत है ।

इस प्रसङ्ग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि परमाणुओं का संयोग और द्वयणुकादि की
उत्पत्ति कुलाल कृति से नहीं होती । कुलाल कृति से तो कपाल और कपालद्वय का संयोग ही उत्पन्न
होता है, अतः नवीन घट के उत्पादक नवीन कपालद्वय संयोग की कुलाल कृति से प्रयोज्य इसलिये
मानना चाहिये कि वह कुलाल कृति से उत्पादित पूर्व कपाल और पूर्वकपालद्वय संयोग के नाश से
उत्पन्न है । व्याख्याकार का कहना है कि पाक स्थल में नवीन घट की उत्पत्ति के समय स्वप्रयोज्य
विजातीय संयोग संबंध से कुलाल की पूर्वकृति का अस्तित्व मानना आवश्यक है । यदि ऐसा न माना
जायगा तो घट सामान्य के प्रति दण्ड आदि की कारणता का समर्थन न हो सकेगा । क्योंकि पाक से
नवीन घट की उत्पत्ति के समय दण्ड आदि भी नहीं रहते । अतः उस घट के लिये यदि ईश्वरीय कृति

किञ्च, उपादानप्रत्यक्षस्य लौकिकस्य हेतुत्वात् कथमीश्वरे तन्मिद्धिः ? अपि च, प्रणिधानाद्यर्थे मनोवहनादयार्दा प्रवृत्तिर्बोकाशद् यद्भावाच्चिद्वन्ने यदर्थिप्रवृत्तिः तदभावाच्चिद्वन्ने

की कल्पना आवश्यक है तो उसी प्रकार ईश्वरीय वण्डादि की भी कल्पना करने की आवश्यकता पड़ सकती है जबकि यह बात ईश्वर कर्तृत्ववादी की भी मान्य नहीं है। अतः पाकस्थल में नवीन घट के उत्पादक नवीन कपालद्वय संयोग को पूर्ववण्डप्रयोज्य मानकर स्वप्रयोज्यविजातीय संयोग सम्बन्ध से वण्डादि का अस्तित्व मानकर उस घट में वण्डादि अन्यता की उपपत्ति जिस प्रकार की जायगी उसी प्रकार कुलाल को पूर्वकृति अन्यता की भी उपपत्ति की जा सकती है। अतः पाकस्थलीय घट की उत्पत्ति के अनुरोध से ईश्वरीय कृति की कल्पना नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाय कि—‘वण्डादि को घट सामान्य के प्रति कारण न मानकर विलक्षण घट के प्रति कारण माना जायगा अतः पाकस्थलीय घट के लिये वण्डादि की आवश्यकता नहीं होगी।’— तो यह बात कृति के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। अर्थात् घट सामान्य के प्रति कृति का कारण न मानकर विलक्षण घट के ही प्रति कृति को कारण माना जा सकता है। अतः पाकस्थलीय घट के लिये कृति की भी कल्पना अनावश्यक हो सकती है।

यदि यह कहा जाय कि—‘कृति को स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग सम्बन्ध से घट का कारण मानने में गौरव है। अतः लाघव के लिये समवाय सम्बन्ध से घट के प्रति विशेष्यता सम्बन्ध से ही कृति को कारण मानना उचित है। ऐसी स्थिति में जिस लण्ड घट की उत्पत्ति के पूर्व वण्ड स्वप्रयोज्य कपालद्वय संयोग सम्बन्ध से है किन्तु कुलालकृति विशेष्यता सम्बन्ध से नहीं है—उस लण्डघट के लिये ईश्वरीय कृति की कल्पना आवश्यक है—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कृति भी स्वप्रयोज्य सम्बन्ध से ही घट के प्रति कारण है न कि स्वप्रयोज्यविजातीयसंयोगसम्बन्ध से क्योंकि विजातीयसंयोगरूप रूप से स्वप्रयोज्य को कारणतावच्छेदक सम्बन्ध मानने में गौरव है। और स्वप्रयोज्यसम्बन्ध से कारण मानने में विशेष्यता सम्बन्ध से कृति को कारण मानने की अपेक्षा कोई गौरव नहीं है। क्योंकि विशेष्यता सम्बन्ध से कारण मानने में कारणतावच्छेदक सम्बन्धतावच्छेदकविशेष्यताएव होगा और स्वप्रयोज्य सम्बन्ध से कारण मानने पर कारणतावच्छेदक सम्बन्धतावच्छेदक-प्रयोज्यत्व होगा। और प्रयोज्यत्व और विशेष्यताएव में कोई लाघव-गौरव नहीं है क्योंकि दोनों ही स्वरूपसम्बन्धावरोधरूप हैं। उसके प्रतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि कृति को घट सामान्य के प्रति कारण न मानकर विजातीय घट के प्रति कारण मानना उचित है। जैसा कि अभी वण्डादि को विजातीय घट के प्रति कारण बताया गया है। सो इस प्रकार जब घट सामान्य के प्रति कृति कारण हो नहीं है तो कृति के बिना भी पाकस्थलीय घट की या लण्डघट की उत्पत्ति हो सकती है। अतः उसके अनुरोध से ईश्वरीय कृति की कल्पना नहीं की जा सकती।

[ईश्वर में लौकिक प्रत्यक्षज्ञान का अभाव]

इस प्रसङ्ग में यह भी विचारणीय है कि उपादान कारण का लौकिक प्रत्यक्ष हो कार्य का हेतु होता है। क्योंकि उपादान के अलौकिक प्रत्यक्ष के आधार पर अन्य वेशस्थ या अन्य कालस्थ उपादान में कोई भी कर्त्ता कार्य को उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करता और उपादान का लौकिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय के लौकिक संतिकर्ष से ही संपन्न होता है। अतः ईश्वर में वृक्षकादि के उपादान पर-

तत्प्रकारकज्ञानमात्रस्य हेतुत्वात् कथमुपादानप्रत्यक्षमीश्वरस्य ? तस्यानुमितित्वे अन्यानुमितित्वं व्याप्तिज्ञानजन्यतावच्छेदकमिति गौख्योक्तावनं तु प्रत्यक्षत्वे अन्यप्रत्यक्षान्यस्येन्द्रियादिजन्यतावच्छेदकत्वकल्पनागौर्भवं नातिशेते । अपि च, तदुपादानप्रत्यक्षं निराश्रयमेवाऽस्तु, दृष्टविपरीतकल्पनभियां तु नित्यज्ञानादिकमपि कथं कल्पनीयम् ? अभिहितश्रायमर्थो 'बुद्धिरक्षेत्रस्य यदि नित्यान्यापि कैवाऽऽधुपममस्यते, तदा मैवाऽचेतनपदार्थाधिष्ठात्री भविष्यति, इति किमपस्त-
दाधारेश्वरपरिकल्पनया ?' इत्यादिना ग्रन्थेन सम्मतिटोकायामपि ।

माणु आदि का लौकिक प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर इन्द्रियादि से रहित होता है । इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि जिस कार्य की इच्छा से जिस कारण में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है उस कारण में उस कार्य का ज्ञान सामान्यरूप से हेतु होता है न कि उस कारण में उस कार्य का प्रत्यक्षज्ञान । क्योंकि यदि कारण में कार्य के प्रत्यक्षज्ञान की ही हेतु माना जायगा तो मन का प्रणिधान-मन की एतावता करने के लिये मनुष्य की मनोबहनाड़ी में प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि मनो बहनाड़ी का उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । तो कार्यकारणभाव की इस स्थिति में ईश्वर में बुध्नुकावि के उपादान का प्रत्यक्ष न सिद्ध होकर केवल इतना ही सिद्ध हो सकता है कि ईश्वर में बुध्नुकावि के उपादान कारण का ज्ञान रहता है । अतः ईश्वर सर्वदृष्टा न सिद्ध होकर सबज्ञाता ही सिद्ध हो सकता है ।

सब बात तो यह है कि कार्य के प्रति उपादान कारण के ज्ञानसामान्य को कारण मानने पर बुध्नुकावि के उपादान कारण के ज्ञान रूपमें भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि एक ब्रह्माण्ड की सृष्टि के समान अन्य पूर्वोत्पन्न ब्रह्माण्ड में विद्यमान योगी को किसी पथोन उत्पन्न होने वाले ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत विद्यमान परमाणुओं का योगजन्य ज्ञान हो सकता है और उसी ज्ञान से नये ब्रह्माण्ड में बुध्नुकावि की उत्पत्ति हो सकती है । अतः ब्रह्माण्ड ईश्वरकर्तृक न होकर योगिकर्तृक हो सकता है । इसलिये विश्वकर्तारूप में ईश्वर की सिद्धि की आशा बुरासा मात्र है । यदि यह कहा

जाय कि—संपूर्ण ब्रह्माण्ड का एक साथ खण्ड प्रलय होता है और खण्ड प्रलय की अवधि पूरी हो जाने पर नये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है । अतः खण्ड प्रलयकाल में कोई योगी नहीं रहता इसलिये नये ब्रह्माण्ड में बुध्नुकावि की उत्पत्ति परमाणुओं के योगिज्ञान द्वारा सम्भवि नहीं हो सकती । अतः बुध्नुकावि के उपादानमूल परमाणुओं का ज्ञान सृष्टि के आरम्भ समय में ईश्वर में ही मानना आवश्यक है और उसे प्रत्यक्ष रूप ही होना उचित है । क्योंकि अनुमिति रूप मानने पर अनुमितित्व को व्याप्तिज्ञान का जन्मतत्त्वक्षेत्रक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह व्याप्तिज्ञान से अज्ञाय ईश्वरीय अनुमिति में रहने के कारण व्याप्तिज्ञानजन्यता का अतिप्रसक्त धर्म है । अतः अन्यानुमितित्व की व्याप्तिज्ञान का जन्मतत्त्वक्षेत्रक मानना पड़ेगा और उसमें गौरव होगा ।— तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्षत्वक मानने पर भी, ईश्वरीयमित्यप्रत्यक्ष में इन्द्रियजन्यता नहीं है अतः इन्द्रिय जन्यता के अतिप्रसक्त होने से प्रत्यक्षत्व को इन्द्रियजन्यता का अवच्छेदक न माना जा सकेगा किन्तु अजयप्रत्यक्षत्व की ही ईश्वर का जन्मतत्त्वक्षेत्रक मानना होगा । अतः ईश्वरीयज्ञान की प्रत्यक्षरूपता का समर्थन उक्तरीति से नहीं किया जा सकता ।

किञ्च, एवं नानात्मस्यैव व्यासञ्चक्षुति तत्कल्पयताम्, स्वाश्रयसंयुक्तसंयोगसंबन्धेन तेषु तत्कल्पनापेक्षया समवायेन तत्कल्पनाया एव तत्र न्याय्यत्वात् । न चैवं घटादिभ्रमो-
च्छेदार्थितः, बाधबुद्धिसम्बादिति वाच्यम्, बाधबुद्धिप्रतिबन्धकतायां चैत्रीयत्वस्यावश्यं निवे-
द्यत्वात्, तत्र समवेतत्वसंबन्धेन नैव तत्र, पर्याप्तत्वेन वा, इति न किञ्चिद् वैपश्यम् ।

अपि च, 'देवतासंनिधानेन' इति पक्षेण प्रतिष्ठादिना स्वाभेद-स्वीयत्वादित्थानं तदा-
हितसंस्काररूपं ब्रह्मादौ स्वीकृतम्, न च ब्रह्मादीनामीश्वरभेदः, भगवद्गीताविरोधात् । एवं

इस के अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि 'कार्ये प्रत्यक्षाविजन्यं, कार्यत्वात्' इस अनुमान से वृषणुकादि कार्यों के कारणभूत प्रत्यक्षावि सिद्ध होने पर भी उसके आश्रयरूप में ईश्वर की सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि वृषणुकादि के उपादानभूत परमाणुओं के प्रत्यक्षादि को निराश्रय माना जा सकता है । यदि यह कहा जाय कि—प्रत्यक्षावि किसी आश्रय में हो रहता है । अतः परमाणु के प्रत्यक्षादि में निराश्रयत्व की कल्पना दृष्टान्तरूप होने के कारण नहीं की जा सकती—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि तब तो जीव में अनित्य ही ज्ञान आदि सिद्ध होने के कारण ईश्वर के ज्ञान आदि में नित्यत्व की भी कल्पना दृष्टविरोध के कारण नहीं की जा सकेगी । इस बात की दृष्टान्ति टीका में यह कहते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि ईश्वर की बुद्धि नित्य और व्यापक है तो ईश्वर के बिना भी बुद्धि को अचेतन पदार्थों की अधिष्ठान्ती मान लेना चाहिए । उसके आधारभूत ईश्वर की कल्पना निरर्थक है ।

इस सन्दर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि—वृषणुकादि के उपादान कारणभूत परमाणुओं का ज्ञान ईश्वरका किसी एक अतिरिक्त आत्मामें न रह कर संपूर्ण आत्मामें ही व्यापकबुद्धि-पर्याप्ति सम्बन्ध से रहता है क्योंकि उस ज्ञान को अन्य आत्मामें की अधिष्ठान्ती बनाने के लिये उनके साथ उस ज्ञान का स्वाश्रय-संयुक्त-संयोग सम्बन्ध मानना होगा जैसे स्व का अर्थ है ज्ञान, उसका आश्रय है ईश्वर, उससे संयुक्त है मूर्तद्रव्य और उसका संयोग है जीवात्मा में तो इस स्थिति में यही उचित प्रतीत होता है कि उस ज्ञान को स्वाश्रय संयुक्त संयोग सम्बन्ध से जीवात्मामें न मानकर समवायसम्बन्ध से ही माना जाय । यदि यह कहा जाय कि 'उस ज्ञान को समस्त जीवों में मानने पर किसी को घटादि का भ्रम न हो सकेगा, क्योंकि जिस देश में घटादि का भ्रम होता है उस देश में प्रत्येक मनुष्य को घटाऽभाव की बुद्धि विद्यमान है जिससे घटादि के भ्रम का प्रतिबन्ध हो जाना अनिवार्य है'—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि एक पुरुष की बाधबुद्धि से अन्य पुरुष की विशिष्ट बुद्धि के प्रतिबन्धापत्ति के निवारणार्थ चैत्रादि तत्पुरुषीय विशिष्टबुद्धि में चैत्रादि तत्पुरुषीय बाधबुद्धि की प्रतिबन्धक मानना आवश्यक होता है । जिस में तत्पुरुषीयत्व का अर्थ तत्पुरुषसमवेतत्व न कर तत्पुरुष पर्याप्तत्व कर देने से अगत के कारणीभूत सर्वविवर्धक ज्ञान को सर्वोत्तमगत मानने पर होने वाली घटादि भ्रम के उच्छेद की आपत्ति का परिहार सुकर हो जाता है क्योंकि सर्वविवर्धकज्ञान किसी एक आत्मा में पर्याप्त न होकर सभी आत्मा में पर्याप्त होता है । अतः तत्पुरुष पर्याप्तबाध-बुद्धि की प्रतिबन्धक मानने पर सर्वज्ञानात्मक बाधबुद्धि से विशिष्टबुद्धि का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता ।

वैषयिकसुख दुःखादिध्वजानां धर्माऽधर्माविधि तत्राऽङ्गीकर्तव्यौ । न च विशेषः, ब्रह्मादिशरीरावच्छेदेनाऽनित्यज्ञानादिधर्मस्येऽप्यनवच्छिन्नज्ञानाऽविरोधात् । अत एवाऽन्ये तु 'स तपोऽतप्यत' इति श्रुतेः अणिमादिप्रतिपादकश्रुतेश्च धर्माऽधर्माधिनित्यज्ञानादिक्रमपीश्वरे स्वीकुर्वन्ति, इति शास्त्राधरेऽभिहितम् । एतन्मते च बाधादिप्रतिबन्धकतायामवच्छिन्नममवेतत्वेन चैत्रवत्त्वादिलक्षण-चैत्रीयन्वादेरवश्यं निवेदयन्वाद् नातिरिक्तनित्यज्ञानात्थसिद्धिः ।

[ईश्वर में जन्यज्ञान की आपत्ति]

इस प्रसङ्ग में इस विषय पर ध्यान देना भी आवश्यक है कि स्यादशास्त्र में ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रतिमाओं में शास्त्रोक्त प्रतिष्ठाविधि से देवताओं का सन्निधान माना गया है । देवताओं के सन्निधान का अर्थ है प्रतिमा में देवता की अभेदबुद्धि या आत्मीयत्व बुद्धि । इसी की प्रतिमा का प्रातिष्ठाजन्म संस्कार कहा जाता है । इस प्रकार जब ब्रह्मादि देवताओं में अपनी अभिन्नता या आत्मीयता का ज्ञान उपपन्न होता है तब यह कैसे कहा जा सकता है कि ईश्वर में जन्यज्ञान नहीं होता किन्तु नित्यज्ञान ही होता है ! यदि यह कहा जाय कि 'ब्रह्मादि देवता ईश्वर से भिन्न हैं' तो यह ठीक नहीं है क्योंकि भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अपने को ही जगत् का स्रष्टा-पालक और संहर्ता बताया है और अपने ही को ईश्वर कहा है । इसलिये ब्रह्मादि को ईश्वर से भिन्न मानना भगवद्गीता के विरोध के कारण उचित नहीं है । उसी प्रकार पुरुषों में यह भी सुमने की सीलता है-ब्रह्मादि देवताओं को अनायास उपलब्ध होने वाले विषयों से सुख और राक्षसों के अत्याचार से दुःख भी होता है । अतः ब्रह्मादि में सुख और दुःख के कारणभूत धर्माधर्म की भी सत्ता माननी होगी और ब्रह्मादि के ईश्वर से भिन्न न होने के कारण ईश्वर में भी धर्माधर्म की सत्ता अनिवार्य होगी ।

इस प्रसङ्ग में यह भी कहा जा सकता है कि-मूर्ति के आरम्भ में वृक्षणकादि की उत्पत्ति के हेतु के उपादान कारण परमाणु का ज्ञान ईश्वर को मानना आवश्यक होता है और उस समय कोई शरीर न होने से उस ज्ञान को शरीरादि से अतर्पिष्ठत्वं नित्य ही मानना पड़ेगा । तो फिर उसमें अनित्य ज्ञानादि की सत्ता मानना विरोधप्रसक्त है- किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्मादि के शरीर द्वारा अनित्य ज्ञानादि की सत्ता और किसी शरीर आदि को द्वारा बनाये बिना ही निरवज्ञान की सत्ता मानने में कोई विरोध नहीं है । इसीलिये 'शशधर' नामक पंडितने स्वराज्य में यह कहा है कि अयं विद्वान् स तपोऽतप्यत' इस श्रुति के अनुसार और ईश्वर में अणिमादि आठ प्रकार के ऐश्वर्यों का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के अनुसार ईश्वर में धर्माधर्म और अनित्यज्ञानादि का प्रतिष्ठा मानते हैं । इस मत में विशिष्टबुद्धि के प्रति बाधबुद्धि की शरीरावच्छिन्न सम्बन्धस्वरूप से या पर्याप्तसम्बन्ध के अलिप्तस्वरूप से प्रतिबन्धक मानकर भ्रम की अनुपपत्ति का परिहार किया जा सकता है क्योंकि सर्व-विषयक नित्यज्ञानात्मक बाधबुद्धि शरीरावच्छेदेन सम्बन्ध नहीं होती और न पर्याप्तसम्बन्ध से अत्रादि एक व्यक्ति में ही विद्यमान होती है । अतः उससे भ्रमोत्पत्ति का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार समस्त जीवों में वृक्षणकादि के उपादान कारणों के निरवज्ञान को व्यासज्योति मान लेने से संपूर्ण आवश्यक उपपत्तियाँ ही जाने के कारण नित्यज्ञान के ईश्वररूप अतिरिक्त आशय की सिद्धि नहीं हो सकती ।

किञ्च, प्रवृत्तिविशेषे इच्छान्वय-व्यतिरेकवत्, प्रवृत्तिविशेषे द्वेषाऽन्वय-व्यतिरेकावपि दृष्टी, दुःखद्वेषोऽयं तन्नाशने द्वेषः यथा कालुष्यवृत्तेः कण्टकादीं दर्शनात् । न च जिहामयैव द्वेषान्य-
थामिद्धि, 'तद्वेतोः' इति न्यायान् । अन्यथा द्वेषपदार्थ एव न स्यात्, 'द्वेषि' इत्यनुभवे
क्वचिदनिष्टसाधनताज्ञानस्य, क्वचित्त्वाऽनिष्टत्वज्ञानस्यैव द्वेषपदेन तथाभिलाषात् । एवं च
कार्यसामान्ये द्वेषस्याऽपि हेतुत्वमिद्वौ नित्यद्वेषोऽपीश्वरे सिद्धयेत् । 'द्वेषवतः संसारिवप्रसङ्ग' इति
चेत् ? चिकीर्षावतोऽपि किं न सः ? 'द्वेष-चिकीर्षयोस्तत्र समानविषयत्वे करणा-ऽकारणप्रसङ्गः',
भिन्नविषयत्वे च तत्कार्यं न कुर्यादेव, इति बाधकानु द्वेषकल्पना त्यज्यते' इति चेत् ? एवमु-
परकालोपस्थितबाधकेन तद्बाधोपगमे, नित्यज्ञानादिकल्पनागोस्वादिषाधकेन वस्तुतोऽपीश्वर-
स्यज्यताम् ।

[प्रवृत्ति से ईश्वर में द्वेष का प्रतिप्रसंग]

इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि जैसे प्रवृत्तिविशेष में इच्छा का अन्वयव्यतिरेक होता है
अर्थात् जिस विषय की इच्छा होती है उस विषय में प्रवृत्ति होती है और जिस विषय में इच्छा नहीं
होती उस विषय में प्रवृत्ति नहीं होती, उसीप्रकार प्रवृत्तिविशेष में द्वेष का भी अन्वय-व्यतिरेक
वेष्टा जाता है । जैसे बुद्ध के प्रति द्वेष होने के कारण दुःख साधन कण्टकादि के प्रति द्वेष होने से उन
का नाश करने के लिये कण्टकादि में प्रवृत्ति होती है, और जिस विषय में द्वेष नहीं होता उस
विषय के नाश के लिये उस में प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे पुत्रकलत्रादि । फलतः ईश्वर में जगत्
निर्माण की प्रवृत्ति मानने पर जैसे उस में नित्य इच्छा मानी जाती है उसीप्रकार जगत् निर्माण के
विरोधी वस्तु के नाश के लिये उस के पर द्वेष मानना भी आवश्यक होगा । इस प्रकार ईश्वर का
द्वेषी होना अनिवार्य हो आयागा जो त्यागशास्त्र की दृष्टि से मान्य नहीं है । यदि यह कहा जाय कि-
"बुद्धसाधनों के नाशार्थ जो प्रवृत्ति होती है वह उन के प्रति द्वेष के कारण नहीं होती अपितु
उन के परित्याग की इच्छा से होती है । क्योंकि जिस वस्तु के प्रति द्वेष होता है उस वस्तु के
त्यागकी भी इच्छा अवश्य होती है अतः एव त्याग की इच्छा से द्वेष प्रत्ययसिद्ध हो जाता है । अतः
अनिष्ट साधनों के नाशार्थ होनेवाली प्रवृत्ति से द्वेष का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि
उस की उपपत्ति जिहासा अर्थात् त्याग की इच्छा से ही सम्भव हो जाती है-" तो यह ठीक नहीं है
क्योंकि 'तद्वेतोरेवास्तु किं तेन ?' इस श्राव्य से नाशार्थ प्रवृत्ति के प्रति द्वेषजन्य जिहासा की हेतु
मानने के बजाय सीधे द्वेष की ही हेतु मानने में अविच्छिन्न है । और यदि जिहासा से द्वेष की अप्रत्या-
सिद्ध माना जायगा तो द्वेष पदार्थ ही सिद्ध न हो सकेगा । क्योंकि बुद्ध स्वरूपतः अर्थात् बिना द्वेष्य
हूए और उस का साधन अनिष्ट का साधन होने से सीधे ही, जिहासित हो आयागा । जिहासा के पूर्व
दुःख या दुःख के साधन प्रति द्वेष मानने की कोई आवश्यकता सिद्ध न होगी ।

यदि यह कहा जाय कि 'द्वेषि-मुझे इस विषय के प्रति द्वेष है-यह अनुभव ही द्वेष के
अस्तित्व में प्रमाण होगा'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि दुःख के साधन कण्टकादि में अनिष्ट साधनता

एनेन—“पुरेषु पुरेशानामिव जगदीशज्ञानेच्छादित एव तत्तत्कार्याणां स्वल्पतमा-ऽधम-
देश-कालादनियमः, वर्तन्ति हि पामरा अपि—‘ईश्वरेच्छा नियामिका’ इति । न त्वैवं तत्त-

के ज्ञान को तथा दुःख में अनिष्टत्व ज्ञान को ही द्वेष पव के व्यवहार का विषय मानकर उन ज्ञानों
द्वारा ही ‘द्वेषिण’ इत अनुभव की उपपत्ति की जा सकती है । इस उपर्युक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है
कि जैसे घटगटादि कतिपय कार्यों में ज्ञान-इच्छा भावि का अन्वय-व्यतिरेक देखकर कार्य सामान्य के
प्रति ज्ञान-इच्छा भावि की कारण माना जाता है और उस के आधार पर कार्य सामान्य में ज्ञानादि
जन्यत्व का अनुमान करके कार्य सामान्य के कारणीभूत ज्ञानादि को ईश्वरनिष्ठ माना जाता है ।
उसीप्रकार दुःखसायनीभूत कष्टकावि के नाशरूप कार्य में कष्टकावि के प्रति द्वेष का अन्वय-
व्यतिरेक देखकर कार्यसामान्य के प्रति द्वेष की भी कारण माना जा सकता है और उस के
आधार पर कार्य सामान्य में द्वेषजन्यत्व का अनुमान कर कार्य सामान्य के कारण भूत द्वेष की भी
ईश्वरनिष्ठ मानना अनिवार्य हो सकता है । फलतः ईश्वर में निस्पृहानादि के समान निस्पृह की
भी सिद्धि का परिहार नहीं किया जा सकता ।

यदि यह कहा जाय कि—‘ईश्वर में द्वेष मानने पर वह ईश्वर ही नहीं हो सकेगा अपितु संसारी
ही आयेगा’—तो यह आपत्ति तो ईश्वर में विकीर्ण मानने पर भी पड़ेरहूँ है । क्योंकि विकीर्ण भी
संसारी में ही देखी जाती है । यदि यह कहा जाय कि ‘द्वेष और विकीर्ण को समानविषयक मान-
ने पर एक ही समय एक ही कार्य के करने और न करने दोनों का ही आपत्ति होगी । अर्थात् विकीर्ण
से उस कार्य का उत्पादन और द्वेष से उसी कार्य का अनुत्पादन भी प्रसक्त होगा । जो अत्यन्त विरुद्ध
है और यदि द्वेष और विकीर्ण को भिन्नविषयक माना जायगा तो जो द्वेष का विषय होगा वह
विकीर्ण का विषय न होने से ईश्वर द्वारा उत्पाद्य न हो सकेगा । फलतः ईश्वर में सर्वकार्यकर्तृत्व के
सिद्धान्त की हानि होगी । अतः ईश्वर में द्वेष की कल्पना नहीं की जा सकती’—तो यह ठीक नहीं है
क्योंकि ईश्वर में द्वेष कल्पना का जो बाधक प्रस्तुत किया गया है वह ईश्वर में द्वेष की सिद्धि हो
जाने पर उपस्थित होता है अतः उसे द्वेष कल्पना का बाधक नहीं माना जा सकता । और यदि किसी
वस्तु की सिद्धि के बाध उपस्थित होने वाले बाधक से भी उस वस्तु की सिद्धि का बाध माना जायगा
तो ईश्वर की सिद्धि का भी प्रतिबन्ध उस बाधक से हो सकता है जो ईश्वर मानने के फलस्वरूप
उपस्थित होता है जैसे, ज्ञान इच्छा और प्रयत्न में निस्पृह अर्थात् संपूर्णकाल के साथ सम्बन्ध की
कल्पना एवं ईश्वर में संपूर्णकाल के सम्बन्ध की कल्पना और निस्पृह ज्ञान भावि में संपूर्ण वस्तुओं के
विषयत्व की कल्पना एवं घटाभाव पटाभावादि अनन्त असाधों के सम्बन्धों की कल्पना से होनेवाला
गौरव; तब कल्पित ईश्वर को भी छोड़ देना होगा ।

[ईश्वर की इच्छा से देश-काल नियम को उपपत्ति का प्रयास]

इत सर्वभ में कतिपय ईश्वर कर्तृत्ववावियों की ओर से यह कहा जाता है कि—‘जिस प्रकार
नगरों में नगराधीश की ज्ञान-इच्छा के अनुसार ही ग्रन्थ अथवा अधिक देश काल और परिमाण में
मित्र मित्र कार्यों के उत्पादन का नियन्त्रण होता है उसी प्रकार वह मानता भी आवश्यक है कि
जगत् का कोई प्रधीश्वर है और उसके ज्ञान-इच्छादि से ही जगत में विभिन्न कार्यों के उत्पादन का
नियन्त्रण होता है । यह मान्यता इतनी दृढमूल है कि प्रशिक्षित भी ऐसा कहा करते हैं कि ‘संसार में

दृष्ट-कालनियततत्त्वकार्योत्पत्तिज्ञानादित एव तत्त्वकार्यनिर्वाहे गतं दण्डादिकारणत्वेनेति
 घाच्यम्, तदनुमतत्वेनैव दण्डादीनां घटादिहेतुत्वात् । न हि 'दण्डादिरेव घटादेर-
 नन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्ती न वेमादिः' 'कपालादि समवायि, न तन्वादिक्' इत्यत्राऽन्यथु
 नियामकं पश्याम इति तदनुमत्यादिकपेक्ष तथा, तदनुमत्यादिकं न साक्षात्, किन्तु तत्तत्कारण-
 द्वारा तत्तत्संपादकम् । न हि राजाज्ञादितोऽपि विनाशकं तन्वादि, विना तन्वादिक् घटादि'—इति
 पामराक्षयानुमरणसंक्रान्तपामरभावानां मतमपास्तम्, राजाज्ञादितुल्यतयेश्वरेच्छाया अहेतुत्वात्
 सामग्रीसिद्धरूप नियतदृष्ट-कालत्वस्य तज्जन्यताघटकतया तदनियम्यत्वात्, अन्यथा तत्काला-

जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की ही इच्छा से होता है । यदि यह कहा जाय कि-तद् तद् वेदा और
 तद् तद् कार्य जो उत्पत्ति नियत है और इस नियतत्व के ज्ञान भावि से ही तद् तद् वेदा और तद् तद्
 काल में तद् तद् कार्य की उत्पत्ति का नियन्त्रण होता है—ऐसा मानने पर घटपटादि कार्यों के प्रति
 दण्ड-वेमादि की कारणता का ही लोप हो जायगा—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि दण्ड-वेमादि घटपटादि
 कार्यों के प्रति जो कारण होते हैं वह भी ईश्वर की अनुमति से ही होते हैं । यदि ऐसा न माना
 जायगा तो 'दण्डादि ही घटादि का अनन्यथासिद्ध नियतपूर्ववर्ती होता है और वेमादि नहीं होता, एवं
 कपालादि ही घटादि का समवाय सम्बन्ध से आश्रय होता है तन्तु भावि नहीं होता' इसका
 ईश्वर को छोड़कर दूसरा कोई नियामक नहीं हो सकता । और यह भी ज्ञातव्य है कि ईश्वर की अनु-
 मति भी तत्तत्कार्यों का साक्षात् उत्पादक न होकर तत्तत्कारणों द्वारा ही उत्पादक होती है । यह
 मानना लोकस्थिति के अनुकूल भी है क्योंकि राजा की आज्ञाभावि से भी तन्तु भावि का निर्माण अंशु-
 कादि के बिना और पटादि का निर्माण तन्तु भावि के बिना नहीं होता । अतः जैसे किसी भी राज्य में
 विभिन्न कार्यों का उत्पादन राजा की आज्ञा अनुसार होने पर भी उस कार्य के लोकसिद्ध कारणों के
 माध्यम से ही होता है उसी प्रकार जगत् में भी जगत् के राजा ईश्वर की इच्छा से भी तत्तत्कार्यों का
 उत्पादन तत्तत्कार्यों के लोक सिद्ध कारणों द्वारा ही होना उचित है, क्योंकि परमेश्वर की वंसी ही
 अनुमति है ।

इस सम्बन्ध में व्याख्याकार श्रीमद्भ्यशोत्रिजयजी महाराज का कहना है कि यह मत पामरों के
 प्रतिप्रायानुसार प्रवृत्त होने के कारण संक्रान्त पामरभाव वाले व्यक्तियों के लिये ही मान्य हो सकता
 है, बुद्धिमान मनुष्य इस मत को नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि राजा की आज्ञादि के समान ईश्वर
 की इच्छा की कारण मानना प्रमाणसिद्ध नहीं है । क्योंकि इस मत में तत्त्वदेश और तत्तत्काल में
 तत्तत्कार्य के नियतत्व की ही-जो तद् तद् कार्य की उत्पादक सामग्री से संपन्न होता है—तद् तद् वेदा
 और तद् तद् काल में तत्तत्कार्य की उत्पत्ति का नियामक कहा गया है । किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं
 होता । क्योंकि उक्त नियतत्व तत्तत्कार्यगतजन्यता का घटक होता है अत एव उससे तत्तत्कार्य की
 उत्पत्ति का नियमन नहीं हो सकता, क्योंकि तत्तत्कार्य की उत्पत्ति का नियमन उसीसे संभव है जो
 तत्तत्कार्य की उत्पत्ति के पूर्व उपस्थित हो सके, किन्तु जो तत्तत्कार्यगत जन्यता का घटक है वह तो
 तत्तत्कार्य के साथ ही उत्पन्न हो सकता है न कि तत्तत्कार्योत्पत्ति के पूर्व । अतः उसे तत्तत्कार्य की
 उत्पत्ति का नियामक मानना संभव नहीं हो सकता ।

वच्छिन्नद्वयानिज्जस्रिणेश्वरयोवादानिपठनयोवादानप्रत्यक्षादिश्रयहेतुताकल्पने गौरवान्, सम-
येनत्वमन्वेनेश्वरीयत्वेन तत्त्वयानुसमेऽप्यसंयार्यात्मत्वलक्षणेभ्यस्त्वनिवेशे गौरवान् प्रत्येकमा-
दाय विनिर्गमनाविरहाच्च तत्कालावच्छिन्नत्वसंस्थेन नियमेन हेतुत्वकल्पनैव संभवात्, इति
रकारणवैयर्थ्यापत्तेश्च । तदनुमनदण्डत्वादिनाऽहेतुत्वात्, दण्डादीनां हेतुत्वनियमस्य च स्वभावतः
एव संभवात् न तदर्थमपीश्वरानुसरणम्, अन्यथा तज्ज्ञानादेस्तत्तत्कारणानुमनित्वेऽपि नियाम-
कान्तरं भवेत्तर्कणीयम् : 'प्रतिग्राहकमानेन तत् स्यतीतियतमेवेति' चेत् ? इदमपि तत् एव किं न
तथा ? व्यश्चिन्नश्चायमर्थो 'न चाचेतनानामपि स्वहेतुसंनिधिममासादिनोत्पत्तीनां चेतना-
धिप्रातृत्वसंकेतापि देश-कालाऽकारणनियमोऽनुपपन्नः, तन्नियमस्य स्वहेतुवत्तायातत्वात्'
इत्यादिना ग्रन्थेन सम्मतिटीकायामपि ।

तत्त्वदेश और तत्त्वकाल में तत्त्वकार्य के नियतत्व को तत्त्वकार्य की उत्पत्ति का नियामक
न मानने में यह भी एक युक्ति है कि-यदि तत्त्वदेश और तत्त्वकाल में तत्त्वकार्य के नियतत्व को ही
कारण मान लिया जायगा तो तत्त्वकाल में और तत्त्वदेश में तत्त्वकार्य के प्रति तत्त्वकासोन तत्त्वकार्य
के उपादान का प्रत्यक्ष और तत्त्वकार्य की विकीर्ण तथा तत्त्वकार्य के लिये तत्त्वकाय के उपादान में
होनेवाले प्रयत्न की तत्त्वकार्य के प्रति कारण मानना गौरव के कारण त्याज्य हो जायगा । यदि तीनों
को ईश्वर में समवेत होने के कारण समवेतत्व सम्बन्ध द्वारा ईश्वरीयत्व रूप से तीनों का अनुगम कर
तीनों में एक कारणता मानी जायगी तो भी कारणतावच्छेदक के शरीर में श्रसंतारी आत्मत्व लक्षण
ईश्वरीयत्व का निवेश करने में गौरव होगा । और यदि ईश्वरीयत्वरूप से अनुगम न कर आत्मसम-
वेतत्वरूप से अनुगम किया जायगा तो तत्त्व आत्मा को लेकर विनिर्गमनाविरह होने से तत्त्वदात्मसम-
वेतत्व रूप से ज्ञान-इच्छा प्रयत्न में श्रान्तकांक्षता को अपाति होगी । और उसके कारण के लिये
तत्कालावच्छिन्नत्व संस्थ से उक्त नियति को कारण मानने पर घटपटादि के अन्य कारणों का वैयर्थ्य
भी होगा ।

इस प्रसङ्ग में जो यह बात कही गई कि-घटपटादि कार्य के प्रति वण्ड वेमादि को कारण मानने के
लिये ईश्वर की अनुमति आवश्यक है अथवा वेमा घट का और वण्ड पट का कारण होने लगेगा-यह
ठीक नहीं है । क्योंकि वण्ड वेमादि में घटपटादि की कारणता का नियम स्वाभाविक है । अर्थात्
वण्ड-घट का ही कारण हो पट का न हो और वेमा पट हो का कारण हो घट का न हो यह बात वण्ड
और वेमा के स्वभाव पर ही निर्भर है । उस के लिये ईश्वरानुमति की कल्पना अनावश्यक है । और
यदि तत्त्वकाय की कारणता की ईश्वरानुमति के आधीन माना जायगा तो यह प्रश्न ही सकता है कि
वण्ड में ही घट की कारणता ईश्वरानुमत क्यों है ? वेमा में घट की कारणता ईश्वरानुमत क्यों नहीं है ?
अतः तत्त्व वस्तु में तत्त्वकाय-कारणता की ईश्वर अनुमति का भा कोई भ्रम । नियामक अवैकल्य
होगा । और इस प्रकार नियामकों की कल्पना में अनवस्था को प्रसक्त होगा । यदि यह कहा जाय कि
-वण्ड में ही घट की कारणता ईश्वरानुमत है यह बात ईश्वर साधक प्रमाणों से ही सिद्ध है अथवा
यदि ईश्वरानुमतत्व की भी अन्य नियामक की अपेक्षा होगी तो उसकी सिद्धि ही न हो सकेगी-तो यह
कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर यह भी कहा जा सकता है कि वण्डादि में घटादि की
कारणता भी स्वतः ही नियत है । उस के लिये ईश्वरानुमति जैसे अर्थ नियामक की आवश्यकता नहीं

किञ्च, एतादृशनियामकर्तृं भवस्थ-सिद्धादिज्ञान एव, इति किं शिष्यविष्टकल्पनाकार्त्तुः ? तदिदमुक्तं हेमचन्द्रिभिः—

“मर्धभाषेषु कर्तृत्वं ज्ञातृत्वं यदि संमतम् ।

सतं नः, सन्ति सर्वज्ञा मुक्ताः कायभूतोऽपि हि” ॥ [वी० स्तो० ७-७] ॥ इति ।

युक्तं चैतत्, “जं जहा भवव्या विदुः तं तहा विपरिणामइ” * इति भगवद्भक्तनस्यापीत्य-
मेव व्यवस्थितत्वात् । एवं च—

“समालोक्य क्षुद्रेष्वपि भवननाथस्य भवने, नियोगात् भूतानां मितसमय-देष्टृस्थिति-लयसु ।
अये ! केयं आन्तिः सततमपि मीमांसनजुषां, व्यवस्थानः कार्ये जगति जगदीक्षाऽपारिचयः ॥१॥”

हैं, अथवा नियामक के नियामक का प्रश्न उठाने पर अवस्था होने के कारण इत्यादि में घटावि की कारणता ही नहीं सिद्ध होती ।

सम्पत्ति टीका में इस विषय को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि अचेतन पदार्थों को उत्पत्ति उन के हेतुओं के साधन से ही संपन्न होती है । उनमें उनके रेश, काल और आकार का नियमन चेतनरूप अधिष्ठाता के बिना नहीं हो सकता यह बात नहीं कही जा सकती । क्योंकि कार्यों के रेश, काल और आकार का नियमन उन के हेतुओं के ही साधन से हो जाता है अर्थात् जो हेतु जिस कार्य का उत्पादक होता है वह उसे नियत आकार में ही उत्पन्न करने के साधन से स्वभावतः संपन्न होता है ।

[भवस्थित केवली के ज्ञान से नियमन का सम्भव]

इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात यह भी ज्ञातव्य है कि तत्तत् रेश और तत्तत् काल में तत्तत् कार्य की उत्पत्ति का नियमन तथा इत्यादि में घटावि की ही कारणता का नियमन भवस्थसिद्ध के ज्ञान से भी संभव हो सकता है, अतः उस के लिये महेश्वर की कष्टमय कल्पना आनावश्यक है । इस बात को श्रीहेमचन्द्रसूरिसहाराज ने यह कहकर समर्थन दिया है कि—यदि संपूर्ण भावों के प्राग्वह्य सातुष्य-रूप स्वीकार्य हो तब आहंतोंके मत में जो अनेक शरीरवारी संबंधजीवमुक्त माने गये हैं उन्हीं में संपूर्ण भावों का सातुष्य है ही तो उन्हीं में सवभावकर्तृत्व मान लेना आवश्यक है । किसी नये संबंध को कल्पना निरर्थक है—यही युक्तिसङ्गत भी है, क्योंकि भगवान् ने जिस वस्तु को जिस रूप में देखा है वह वस्तु उसी रूप में तिष्ठत होती है भगवान् के इस वचन की भी व्यवस्था इसीप्रकार हो सकती है ।

इस प्रसङ्ग में नैयायिक-मीमांसकों की ओर से कोई इस प्रश्न का पक्ष पड़े कि—‘सामान्य जनों को भी जब इस बात की जानकारी होती है कि किसी गृहपति के गृह में नियत रेश और नियत-काल में ही भूतों की उत्पत्ति आवि की जो व्यवस्था देखी जाती है वह अकारण नहीं होती किन्तु गृहपति की इच्छा से ही होता है, तब वेवचनों की निरंतर मीमांसा करनेवाले विद्वानों को यह कंसा भ्रम है कि व्यवस्था को देखते हुए भी वे अपने को जगदीश के सम्बन्ध में परिचयमूल्य बताते हैं ? और जगदीश का अस्तित्व बिना माने ही कार्यों की व्यवस्था पर अपनी आस्था प्रगट करता है ।’—

❀ यह यथा भवता दृष्टं तत् तथा विपरिणमते ।

इति पद्येऽपि प्रतिपद्यमेवं मदीयम्—

पिनष्टीयं पिण्डं भवनिर्मासिद्विव्यवसितिः स्वभावाद् भूतानां सितसमयदेशस्थितिगिति ।

अथे ! केयं भ्रान्तिः सततमपि तर्कव्यमनिना वृथा यद्व्यापारो जगति जगदीशस्य कथितः ॥२॥

इति दिग् । अत एवाऽग्निमान्यप्यनुमानान्यपास्तानि ।

विद्यः, दिव्योपादानारे 'स्वोपादान'-इत्यादि स्वोपादानस्य दृष्ट्यादिपदस्य साध्याऽप्रसिद्धिः, घटादिपदस्य घटादौ संदिग्धानैकान्तिकत्वम्, स्वोपादानगोचरत्वादिनाऽपाततोऽपि हेतुत्वाभावतोऽन्यप्रयोजकत्वं च । तृतीये ध्वानेनकापदोपादानप्रयासः । चतुर्थे तर्माऽपिद्वया परं प्रति पक्षाऽसिद्धिः ।

तो इस पद्यके विरोध में तैयारिक के प्रति व्याख्याकार पूर्वमशोषिज्यजी महाराज इस भाष्य का अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि—नियत देश और नियतकाल में भूतों के अन्मात्रि की व्यवस्था स्वाभाविक है । अतः जगत् में होनेवाली कार्यों की उत्पत्ति आदि के नियमों की उत्पत्ति के लिये ईश्वर की सिद्ध करने का व्यवसाय विवृण्वेषण मात्र है । अतः निरस्त तर्कों का ही व्यवसन करनेसे तैयारिकों को यह एक कसा भ्रम है कि वे स्वभाव सिद्ध व्यवस्था के लिये जगदीश के व्यर्थ व्यापार का समर्थन करते हैं ।

[ईश्वर साध्य शेषानुमानों की दुर्बलता]

'कार्यं तत्कर्तृकं कार्यस्थानं' ईश्वर सिद्धि के इस प्रथम अनुमान में जिस प्रकार के दोष बताये गये हैं उसी प्रकार के दोषों के कारण अधिम अनुमानों भी निरस्त हो जाते हैं । अधिम अनुमानों में दूसरे नये दोष भी हैं । जैसे स्वोपादानगोचर एवं स्वजनकादृष्ट के अजनककृति से अन्य समवेत अन्य सै-स्वापादान गोचर एवं स्वजनकादृष्ट के अजनक अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षाजन्मस्थ का अनुमान दूषण ईश्वरानुमान है । इस अनुमान में यदि साध्य के शरीर में स्वयं से वृष्णकादि का ग्रहण किया जायगा तो वृष्णकादि के उपादान का अपरोक्ष ज्ञानादि सिद्ध न होने से साध्याऽप्रसिद्धि दोष होगा । यदि स्वयं से घटादिका ग्रहण किया जायगा तो घटादि में कार्यत्व हेतु सन्निवृत्त अनेकान्तिक होगा, क्योंकि घटादि में घटादि के उपादान को विषय करते वाले अपरोक्ष आदि ज्ञान की अश्रुता सन्निवृत्त है इस अनुमान में अप्रयोजकत्व दोष भी है, क्योंकि घटादि कार्यों के प्रति कपालादि के अपरोक्षज्ञान को कपालादिगोचरत्व रूप से ही कारणता होती है स्वोपादानगोचरत्व रूप से नहीं । अतः स्वोपादानगोचरत्व रूप से कारणता न होने से अप्रयोजकत्व दोष का होना अपरिहार्य है, क्योंकि यह शङ्का निर्विवाद रूप से की जा सकती है कि 'जिन कार्यों में प्रस्तुत साध्य का अनुमान करना है वे कार्य होते हुए भी स्वोपादान गोचरत्वरूप से अपरोक्षज्ञानादि से अन्य-वही प्रकार नहीं हो सकते जिस प्रकार घटादि ही स्वोपादान गोचरत्वरूप से अपरोक्ष ज्ञानादि से अन्य नहीं होते'—और इस शङ्का का कोई परिहार नहीं है ।

ईश्वर का तीसरा अनुमान यह है कि प्रत्य विशेष्यता सम्बन्ध से ज्ञान, इच्छा और कृति से युक्त है, यद्यपि उन में समवाय सम्बन्ध से कार्य होता है । जैसे कपाल में समवाय सम्बन्ध से घटकल्प कार्य के होने से वह विशेष्यता सम्बन्ध से कुलाल के ज्ञान, इच्छा और कृति से युक्त होता है । इस अनुमान में साध्य बोधक बिनाग में ज्ञान और इच्छा पक्ष का उपादान निरर्थक है क्योंकि विशेष्यता

पञ्चमे तु क्षिन्यादायकर्तृकत्वेत्येव व्यवहाराद् बाधः । 'विशेषान्वय-व्यतिरेकाभ्यां कर्तृ-
त्वेन कार्यसामान्य एव हेतुत्वग्रहाच्च बाधः' इति चेत् ? तर्हि शरीरचेष्टयोरप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां
कार्यसामान्यहेतुत्वात् तयोर्वापि नित्ययोगीधरे प्रमादितः । अथ 'नित्यशरीराम्प्यत एव
भगवतः । तत्र 'परमाणव एव प्रयत्नवदीश्वरान्मसंयोगाधीनचेष्टायन्त ईश्वरस्य शरीराणि'

सम्बन्ध से केवल कृति का अनुमान करने पर भी उसके आवश्यक में ईश्वर की अभिमत सिद्धि हो
सकती है क्योंकि ईश्वर में संपूर्ण कार्यों के उपादान की विषय करने वाली कृति के सिद्ध हो जाने पर
उसके द्वारा ज्ञान और इच्छा का प्रत्यक्ष अनुमान हो जाने से संपूर्ण कार्य के कर्ता ईश्वर में संपूर्ण कार्यों
के उपादान का ज्ञान और उनके उपादानों में विक्षीर्णरूप इच्छा की सिद्धि होकर ईश्वर में सर्वज्ञतावि
की सिद्धि हो सकती है । (४) सर्ग के आरम्भ काल में विद्यमान द्रव्य विशेष्यता सम्बन्ध से ज्ञान-
वान है क्योंकि उसमें समवायसम्बन्ध से कार्य होता है' यह पक्षताच्छेदक सगे के आरम्भकाल में
द्रव्य में ज्ञानरूप साध्य के साधन द्वारा ईश्वर का साधक बोधा अनुमान है । इस अनुमान में मोमास-
कावि की दृष्टि से पक्षादिसिद्धि बोध है । क्योंकि उनके मत में सर्ग का आरम्भकाल असिद्ध है ।

[संक्षेप अनुमान में बाध बोध]

'क्षित्यावि कार्य सकर्तृक है क्योंकि वह कार्य है' यह अनुमान प्रकृत विचार के प्रयोजक
विवाद के विषयवत् रूप से क्षित्यावि को पक्ष रूप में विषय कर सकर्तृकत्व के साधन द्वारा ईश्वर
का साधक पक्षवा अनुमान है । इस अनुमान में बाध बोध है क्योंकि क्षित्यावि में लोकव्यवहार से
अकर्तृत्व ही सिद्ध है । यदि यह कहा जाय कि—'घटावि विशेष कार्य और कुलात्तादिविशेष कर्ता के
अन्वय-व्यतिरेक से घटावि विशेष कार्य के प्रति कुलात्तादि विशेष कर्ता कारण है, केवल इतना ही
सिद्ध न होकर 'सामान्य रूप से कार्यमात्र के प्रति सामान्य रूप से कर्ता कारण होता है' यह भी सिद्ध
होता है । अतः इस कार्यकारणभाव के विरोधी क्षित्यावि में अकर्तृकत्व के व्यवहार को यथायं नहीं
माना जाता । इसलिये इस अनुमान में बाध बोध नहीं हो सकता—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा
मानने पर घटावि कार्य और कुलात्ता का शरीर एवं कुलात्ता की चेष्टा आदि के अन्वय-व्यतिरेक से
कार्य सामान्य के प्रति सामान्य रूप से शरीर और चेष्टा की भी कारणता सिद्ध होती है और इस
कार्यकारणभाव के आधार पर ईश्वर में नित्य शरीर और नित्य चेष्टा की भी प्रमादित हो सकती है ।

इस सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि—भगवान को नित्य शरीर होता दृष्ट ही है । इसी
लिये कुछ लोगों को यह मान्यता है कि परमाणु ही ईश्वर के शरीर हैं क्योंकि उनमें ईश्वर के प्रयत्न
से चेष्टा उत्पन्न होती है और यह नियम है कि जिस पुरुष के प्रयत्न से जिसमें चेष्टा उत्पन्न होती है
वह उस पुरुष का शरीर होता है । यह ज्ञातव्य है कि प्रयत्न समवाय सम्बन्ध से पुरुष में रहता है न
कि शरीर में । अतः वह समवाय सम्बन्ध से शरीर में चेष्टा का उत्पादक न होकर स्वाश्रय संयोग
सम्बन्ध से चेष्टा का उत्पादक होता है । स्वका अर्थ है प्रयत्न—उत्तका आश्रय होता है आत्मा और
उत्तका संयोग होता है शरीर में, अतः उस संयोग के द्वारा प्रयत्न को उस शरीर में चेष्टा की उत्पन्न
करने में कोई बाधा नहीं होती । दूसरे किट्टानों का कहना है—केवल वायु के परमाणु ही ईश्वर के
शरीर हैं क्योंकि उनमें ईश्वर प्रयत्न से किया चेष्टा का उदय सर्वत्र होता रहता है । अत एव उन्हें

हृत्पथके । 'वायुपरमाणव एव नित्यक्रियायन्तस्तथा, अत एव तेषां सदागतित्वम्' इत्यन्ये ।
 "आकाशशरीरं ब्रह्म" इति श्रुतेः 'आकाशस्तत्तलरीरम्' इत्यपरे । चेष्टायां नित्यत्वे तु मानाभावः,
 नित्यज्ञानमिदी न भुविरेषि पक्षपातिनी "नित्यं विज्ञानं०" इत्यादिकाः, अत एव ज्ञानत्वादन्तरे
 देनाऽऽत्म-मनोयोगजन्यत्वं न बाधकमिति चेत् । न, ईश्वरसंबन्धस्य सर्वत्राऽवशेषेण 'इदमेव-
 श्वरशरीरम्' इति नियमाऽयोगात्, चेष्टायां अपि ज्ञानवदेकस्या नित्यायाश्च स्वीकाराच्चित्पातः,
 उक्तश्रुतेस्त्वदभिमतेश्च ज्ञानाऽपक्षपातित्वाच्च, अन्यथाऽऽनन्दोऽपि सत्र मिच्येत ज्ञानाऽऽनन्द-
 सेदश्चेति दिग् ।

आयोजनादपि नेश्वरमिद्विः, ईश्वराभिधानस्य सर्वदा सन्नेऽप्यदृष्टविलम्बादेवाऽऽद्या-
 न्क्रियाविलम्बात् तत्र तद्वेतृत्वावश्यकत्वात् । दृष्टकारणसत्त्वं एवादृष्टविलम्बेन कार्याविलम्बात् ।

सवागतिदीप्त भी कहा जाता है । कुछ विद्वानों का यह मत है कि 'आकाश शरीर ब्रह्म' इस श्रुति के अनु-
 सार आकाश ही ईश्वर का शरीर है और वह नित्य है । इस प्रकार विद्वानों की दृष्टि में ईश्वर का नित्य
 शरीर संयुक्त होना युक्तिसङ्गत भी है । हां, उसमें निश्च चेष्टा का अभ्युपगम नहीं किया जा सकता
 है क्योंकि चेष्टा की नित्यता में कोई प्रमाण नहीं है । चेष्टा के समान ज्ञान में अनित्यता की सिद्धि
 नहीं बता जा सकती क्योंकि ज्ञान की नित्यता 'नित्य विज्ञानमात्रत्वं ब्रह्म' इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध
 है । इन श्रुतियों के कारण ही संपूर्ण ज्ञान में आत्म मनोयोग की जन्यता को बाधक नहीं माना जा
 सकता, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान को आत्ममनोयोगजन्य मानने में ये श्रुतियां ही बाधक हैं 'तो यह कथन
 भी ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर को विभु होने से उसका सम्बन्ध सभी द्रव्यों में समान रूप से
 विद्यमान है अतः यह कहना—परमाणु ही अथवा वायु परमाणु ही या आकाश ही ईश्वर का
 शरीर है—ठीक नहीं हो सकता । इसी प्रकार ज्ञान को समान एक नित्य चेष्टा की कल्पना भी उचित
 हो सकती है । क्योंकि जैसे जीवों में ज्ञान के अनित्य होने पर भी ईश्वर में साध्य की दृष्टि से
 एक नित्यज्ञान की कल्पना होती है उसी प्रकार जीवों के अनित्य शरीर में अनित्य चेष्टा होने पर
 भी ईश्वर के नित्य शरीर में एक नित्य चेष्टा मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती । चेष्टा
 और ज्ञान की असमानता बताते हुए ज्ञान की नित्यता में आ श्रुति प्रमाण रूपसे प्रसिद्ध की गई है
 उस से ईश्वर में नैराधिक के मतानुसार ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि यह श्रुति ईश्वर में
 ज्ञान के अभेद का प्रतिपादन करती है कि ज्ञान की आत्थक्यता का । यदि उससे ईश्वर में ज्ञान की
 सिद्धि होगी तो उसी से ईश्वर में आत्मत्व की भी सिद्धि हो सकती है जो नैराधिकों की मान्य नहीं है ।
 एवं उस श्रुति में ज्ञान और आत्मत्व शब्द का पृथक् उपादान होने से ज्ञान और आत्मत्व का सेद भी
 सिद्ध होगा । अब कि ईश्वर में ज्ञान से भिन्न आत्मत्व की सत्ता नैराधिकों की मान्य नहीं है ।

(घट्ट से ही आद्यपरमाणुक्रिया को उपपत्ति)

।६। आयोजना—प्रथम पृथक्शुक्त के आरम्भक संयोग को उत्पन्न करनेवाले परमाणुकार्य से भी ईश्वर
 की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि तत् कर्म में प्रयत्नजन्यत्व का अनुमान कर उस प्रयत्न के आध्यक्षक
 में ही ईश्वर की सिद्धि की जा सकती है । किन्तु उक्त कर्म में ईश्वरप्रयत्नजन्यत्व मानना संभव नहीं

अदृष्टस्य दृष्टाऽवातकत्वात्, चेष्टात्वस्याऽनुगतत्वेनोपाधित्वाच्च । तद्वच्छिन्न एव हि जीवन-
यन्त्रव्यावृत्तेन प्रवृत्तिव्येन गमनत्वादिव्याप्यत्वे तु विलक्षणयत्नत्वेनैव हेतुत्वात् क्रियासामान्ये
यत्नत्वेन हेतुत्वे मानाभावात्, 'यद्विशेषयोः' इत्यादिन्याये मानाभावान् ।

है क्योंकि उस कर्म की उत्पत्ति नियत समय में ही होती है । यदि ईश्वर प्रयत्न से उसकी उत्पत्ति
मानी जाय तो उस में प्रयत्नवान् ईश्वर का सर्वत्र संयोग होने से नियतकाल में ही उस की उत्पत्ति
न होकर पूर्वकाल में भी उस की उत्पत्ति की अपेक्षा होगी । अतः अदृष्ट के विलम्ब से ही परमाणुगत
आद्य कर्म की उत्पत्ति में विलम्ब मानना होगा । और वह तभी हो सकता है कि जब अदृष्ट की
उस कर्म का कारण माना जाय । और जब अदृष्ट उस कर्म का कारण होगा तो उसीमें उसकी उत्पत्ति
संभव हो जाने के कारण उसके प्रति ईश्वर का प्रयत्न कारण न हो सकेगा । यदि यह कहा जाय
कि—'अदृष्ट के विलम्ब से कार्य का विलम्ब अप्रमाणिक है क्योंकि कार्य के दृष्टकारणों के
उपस्थित होने पर अदृष्ट के विलम्ब से कभी भी कार्य में विलम्ब नहीं देखा जाता'—तो यह
ठीक नहीं है क्योंकि जिस कार्य के जो जो दृष्ट कारण प्रमाणविद्ध होते हैं उन सभी कारणों के रहने
पर ही अदृष्ट के विलम्ब से कार्य में विलम्ब होना अप्रमाणिक है क्योंकि यदि उस वक्षः में भी अदृष्ट
के विलम्ब से कार्य में विलम्ब होना ही उस कार्य के प्रति अदृष्ट का ही कारण रहने से दृष्ट
कारणों का विघात हो जायगा ; जब कि अदृष्ट से दृष्ट कारणों का विघात किसी की भी मान्य नहीं
है । अतः जिस कार्य का कोई ऐसा दृष्टकारण सिद्ध नहीं है कि जिसके विलम्ब से उस कार्य की
उत्पत्ति में विलम्ब हो सके तब भी उस कार्य की उत्पत्ति में भी यदि विलम्ब होता है तो उसे अदृष्ट
के विलम्ब से ही उपपन्न करना होगा । परमाणु के आद्य कर्म का कोई ऐसा दृष्टकारण सिद्ध नहीं है
कि जिस के विलम्ब से उस की उत्पत्ति में विलम्ब माना जाय । अतः अदृष्ट के विलम्ब से ही उस
की उत्पत्ति में विलम्ब मानना होगा, इस प्रकार नियत समयमें कार्यनिष्ठ होने वाले अदृष्ट से ही
नियतकाल में परमाणु के आद्य कर्म की उत्पत्ति का संभव होने से उसके कारणरूपमें ईश्वरप्रयत्न
की सिद्धि नहीं हो सकती ।

इस के अतिरिक्त प्रस्तुत अनुमान में चेष्टात्व उपाधि भी है क्योंकि यत्नकर्म सभी कर्मों में
चेष्टात्वरूप एक अनुगत घम रहता है और कर्मत्वरूप साधन के आश्रयभूत दृष्टकारणभक्त परमाणु के
आद्यकर्म में नहीं रहता है अतः वह कर्मत्वरूप साधन से अवच्छिन्नाऽविशिष्ट)प्रयत्नजन्यत्वरूप साध्य
का व्यापक और कर्मत्वरूप साधन का अव्यापक उपाधि है ।

प्रस्तुत अनुमान इसलिए भी नहीं हो सकता कि वह क्रियासामान्य और प्रयत्नसामान्य के
जिस कार्यकारणभाव की प्रतीति है उस कार्यकारणभाव में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि क्रिया की
वो वनों में घाटा आ सकता है, जैसे जीवनयोनिवत्=जीवनादृष्टकारणक प्रयत्न से होने वाली प्राण
अपानादि की क्रियाएँ और अन्य प्रयत्नों से होनेवाली चेष्टात्मकक्रियाएँ उस में प्रयत्नवर्ग की क्रिया के
प्रति जीवन-योनि यत्न ही कारण है और द्वितीयवर्ग की क्रिया-चेष्टा के प्रति प्रवृत्ति कारण है ।
द्वितीयवर्ग की क्रिया की कारणता का अवच्छेदकभूत प्रवृत्तिव्य जीवनयोनि से निम्न सभी यत्नों का
घम है । अतः एक प्रवृत्ति की द्वितीयवर्ग की समस्तक्रियाओं का कारण मानने पर पलायन आवि
क्रियाओं में उस का व्यवहार नहीं हो सकता क्योंकि पलायनादि क्रियाएँ जिस प्रयत्न से होती हैं
वह ही प्रवृत्ति नामक प्रयत्न के अन्तर्गत आ जाता है । यदि द्वितीय वर्ग की क्रियाओं की पलायन

धृतेर्वि नेध्वसिद्धिः, गुरुत्ववत्यतनाभावमात्रस्य गुरुत्वेनगृहेन्यभाप्रयुक्तस्याऽऽस्रफल-
दावेव व्याभिचारिवात् । पतिवन्धकामावेनगमाम्नीकालीनत्वविशेषणेऽपि वेगवदिदुपपत्त-

अनेक व्याप्य क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाय तो गमनादि रूप तत्तत् क्रियाओं के प्रति विजातीय-
विजातीय रूप से जीवन धोतिमिश्र प्रयत्न कारण होगा, अतः क्रिया सामान्य के प्रति प्रयत्नसामान्य
को कारणता नहीं सिद्ध होगी। 'जिन कार्यकारणों में विशेष रूप से कार्यकारणभाव होता है-उन में
सामान्यरूप से भी कार्यकारणभाव होता है' इस ध्याय में कोई प्रमाण नहीं होने से इस ध्याय के बल
से भी क्रिया और प्रयत्न में सामान्यरूप से कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता है, अतः उसके
आधार पर प्रस्तुत अनुमान का समर्थन अशक्य है।

(धृति हेतु ईश्वरसिद्धि में धर्मेकान्तिक)

(६) धृति से भी ईश्वर की अनुमानिक सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि धृति का अर्थ है गुरुत्व के
आश्रयभूत द्रव्य के पतन का अभाव, और उस से ईश्वरानुमान तभी हो सकता है जब इस प्रकार की
व्याप्ति घने कि 'गुरु द्रव्य के पतन का जो ही अभाव होता है वह गुरुत्व से इतर, पतन कारण के
अभाव से प्रयुक्त होता है'। किन्तु यह व्याप्ति नहीं बन सकती। क्योंकि वृत्त की शाखा में लगे हुए
आस्रफल में व्याभिचार है। आशय यह है कि आस्रफल गुरुद्रव्य है। किन्तु जब वह शाखाय में
लगा हुआ होता है तब उस में गुरु का अभाव होता है या गुरुत्व से इतर वृत्त के किसी
हेतु का अभाव नहीं है। यदि यह कहा जाय कि 'शाखाय वृत्त के साथ आस्रफल का संयोग भी
आस्रफल के पतन का प्रतिबन्धक है-इसलिये गुरुत्व से इतर पतन का कारण हुआ 'वृत्त के साथ
आस्रफल के संयोग का अभाव और उसका अभाव हुआ वृत्त के साथ आस्रफल का संयोग,
आस्रफल का पतनाभाव' उस संयोग से प्रयुक्त है अतः आस्रफल में उक्त व्याप्ति का व्याभिचार
बताना असंभव है-' तो यह कथन ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वृत्तके साथ आस्रफल
के संयोग को आस्रफल के पतन का प्रतिबन्धक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह यदि प्रतिबन्धक
होगा तो उस का अभाव होने पर ही आस्रफल का पतन होता चाहीए किन्तु ऐसा नहीं होता।
अतः आस्रफल में पतनाभाव कर्म पहले उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् उस कर्म से वृत्त के साथ आस्र-
फल का विभाग होकर वृत्त के साथ आस्रफल के संयोग का स्वसात्मक अभाव निष्पन्न होता है।
सारांश, न्यायमतप्रक्रियानुसार पतनकर्म पहले हुआ, व संयोगाभाव बाद में हुआ। तो पतन में
संयोगाभाव कारण कहाँ बना ?

यदि यह कहा जाय कि-'आस्रफल में जो पतनकर्म होगा वह वेगवान् वायु अथवा वेगवान्
वज्रादिके अभिघात से उत्पन्न होगा। जिस समय यह अभिघात उपस्थित नहीं है उस समय में आस्र-
फल का पतनाभाव गुरुत्व से इतर पतन के कारणभूत उस अभिघात के अभाव से ही प्रयुक्त होगा।
अतः आस्रफल के पतनाभाव में गुरुत्वेतर पतनकारण के अभाव का प्रयुक्तरूप होने के कारण आस्रफल
में व्याभिचार का प्रदर्शन फिर भी असंभव है-'तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि उक्त अभिघात
पतन का कारण नहीं, किन्तु सामान्य कर्म का कारण है, क्योंकि वेगवान् वायु या वज्रादि के अभि-
घात से वृत्त में एक स्थान में स्थित गुरुद्रव्य का स्थानांतर में अपसरण भी होता है, जिसे पतन नहीं
कहा जा सकता। अतः उक्त अभिघात से आस्रफल में जो सामान्य कर्म उत्पन्न होता है वह आस्रफल

नाभावे तथात्वात् । वेगाऽप्रयुक्तत्वस्यापि विशेषणत्वे मन्त्रविशेषप्रयुक्तगोलकपतनाभावे
तथात्वात् । अष्टप्रयुक्तत्वस्यापि विशेषणत्वे च स्वरूपानिर्दिष्टः, अन्त्याष्टधृतरप्यष्टप्रयु-
क्तत्वात् । तदुक्तम्—[पञ्चाङ्ग ४-१२]

के गुरुत्व से भी जन्म होने के कारण पतनरूप हो जाता है । इसलिये वृत्तसंयुक्तधातुकाल के पतना-
भाव में गुरुत्वेतरपतनहेत्वभावप्रयुक्तत्व से होने से ध्यातुकाल में व्यभिचार का प्रदर्शन न्यायसङ्गत है ।
फलतः उक्तव्याप्ति न बन सकने के कारण धृति से ईश्वरानुमान प्रशस्य है । उक्तव्यभिचार का कारण
करने के लिये यदि गुरुत्ववत् पतनाभावरूप धृति में प्रतिबन्धकाभाव से इतर जो पतन की सामग्री,
तत्कालीनरूप विशेषण लेकर इस प्रकार व्याप्ति बनायी जाय कि “गुरुत्ववत्पतनाभावरूप जो धृति
पतनप्रतिबन्धकाभाव से भिन्न पतनसामग्री को समकालीन होती है वह गुरुत्वेतर पतन कारण के प्रभाव
से प्रयुक्त होती है”-तो यद्यपि व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि प्रतिबन्धकाभाव से इतर पतन की सामग्री
पतनप्रतिबन्धककालीन सामग्री ही होगी । अतः तत्कालीन धृति में गुरुत्वेतर प्रतिबन्धकाभावरूप पतन
कारण के प्रतिबन्धकरूप अभाव से प्रयुक्त होने के नाते व्यभिचार नहीं हो सकता । तथापि उक्त
विशेषण विशिष्ट धृति में भी गुरुत्वेतरपतनहेत्वभावप्रयुक्तत्व की व्याप्ति सम्यक् नहीं हो सकती
क्योंकि वेगवान् बाण की पतनाभावरूप धृति तत्कालीन सामग्रीकालीन धृति है किन्तु उस में गुरुत्वेतर
पतनकारणाभावप्रयुक्तत्व नहीं है । अतः उस धृति में उक्त व्याप्ति का व्यभिचार हो जायगा ।

यदि यह कहा जाय कि-वेगवान् बाण के पतन का कारण वेगरूप प्रतिबन्धक का अभाव है ।
अतः वेगवान् बाण का पतनाभाव प्रतिबन्धकानाकेतरसामग्रीकालीन न होकर प्रतिबन्धककालीन
ही सामग्री है । अतः प्रतिबन्धकाभावेतरसामग्रीकालीनत्वविशिष्ट धृतिरूप उस में नहीं है अतः उस
में व्यभिचार का प्रदर्शन असंगत है’-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि बाणगत वेग भी बाण के पतन का
प्रतिबन्धक नहीं माना जा सकता । क्योंकि बाण का पतन होने पर ही बाण के वेग की निवृत्ति होती है ।
यदि वेगको बाण के पतन का प्रतिबन्धक माना जायगा तो बाण का पतन कभी ही न हो सकेगा ।
यदि इस व्यभिचार का कारण करने के लिये वेगाऽप्रयुक्तत्व को भी धृति का विशेषण बनाकर इस
प्रकार व्याप्ति बनायी जाय कि-“प्रतिबन्धकाभावेतरपतनसामग्रीकालीन एवं वेगाऽप्रयुक्तगुरुत्ववत्पतना-
भाव रूप धृति गुरुत्वेतर पतन कारणभाव प्रयुक्त होती है”-तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि मन्त्र-
वेत्ता ध्यात मन्त्रविशेष से किसी गोलकद्रव्य को आकाश में स्थिर कर देते हैं । मन्त्रविशेष के प्रभाव
से उस का पतन नहीं होने पाता । अतः उस गोलकद्रव्य के पतनाभाव में उक्त व्याप्ति का व्यभिचार
हो जायगा, क्योंकि गोलकद्रव्य का उक्त पतनाभाव प्रतिबन्धकाभावेतरपतनसामग्रीकालीन है और
वेगाऽप्रयुक्त भी है, किन्तु गुरुत्वेतर पतनकारण के अभाव से प्रयुक्त नहीं है । मन्त्रविशेष को गोलक-
द्रव्य के पतन का प्रतिबन्धक मानकर उस के पतनाभाव में उक्त सामग्रीकालीनरूप विशेषण का अभाव
कहा कर उस में व्यभिचार का कारण नहीं किया जा सकता । क्योंकि मन्त्रविशेष का पाठ बन्ध कर
देने पर ही गोलकद्रव्य पर्याप्त समय तक आकाश में स्थिर रहता है । अतः मन्त्रविशेष को उस के
पतन का प्रतिबन्धक नहीं कहा जा सकता । यदि इस व्याभिचार का कारण करने के लिये धृति में
अष्टप्रयुक्तत्व भी विशेषण लेकर इस प्रकार व्याप्ति बनायी जाय कि “प्रतिबन्धकाभावेतर पतन-
सामग्रीकालीनवेगाऽप्रयुक्त एवं अष्टप्रयुक्त गुरुत्ववत् पतनाभावरूप धृति गुरुत्वेतरपतनकारणाभाव-
प्रयुक्त होती है” तो इस व्याप्ति के संभव होने पर भी इसके द्वारा अष्टप्रयुक्त की धृति में गुरुत्वेतर-

‘निगमन्वा निगधाग विश्वाधारा ऋगुक्ताः । यन्वावतिष्ठते तत्र धर्माद्वन्द्वः ’ कारणम् ॥”

युक्तं चेन्न, ईश्वरप्रयत्नस्य व्यापकत्वेन समरेऽपि शरणाऽनापत्तेः । पतनाभावान्निष्ठान्नेश्वरप्रयत्नस्य तथान्ये तादृशज्ञानेच्छाभ्यां विनिगमनाविरहात् क्लृप्तजातीयस्याऽदृष्टस्यैव ब्रह्माण्डधारकत्वकल्पनौचित्यात् । न चात्माऽविभूतवादिनः संबन्धानुपपात्तिः, असेवद्रम्यापि सत्कार्यजननशक्तस्य सत्कार्यकारित्वात्, अयस्कान्तस्याऽसंबद्धस्यापि लोहाऽऽर्क्यकन्वदर्शनादिति, अन्यत्र विस्तरः । प्रयत्नस्य तु विलक्षणप्रयत्नत्वेन पतनप्रतिबन्धकमयो-भविषेष्ट एव हेतुत्वम् ।

पतनकारणाभावप्रयुक्तत्व का अनुमान करके भी ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्माण्ड की धृति में भी अदृष्टप्रयुक्तत्व होने से उस में अदृष्टाऽप्रयुक्तत्व विशेषणविशिष्ट उक्त धृतिस्वरूपहेतु स्वरूपाऽसिद्ध हो जाता है ।

इसीलिये श्रीहेमचन्द्रसूरिने कहा है कि- विषय की आधारभूत पृथ्वी बिना किसी आलम्बन और आधार किसी एक निश्चित स्थान में स्थिर रहती है, वहाँ से उसका पतन नहीं होता उस में धर्म से अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है । इस प्रकार ब्रह्माण्ड धृति के धर्म रूप अदृष्ट से प्रयुक्त होने के कारण उसमें अदृष्टाऽप्रयुक्तत्वविशिष्ट उक्त धृतिस्वरूप हेतु की स्वरूपाऽसिद्धि निषिद्धाव है । यही धृतिस्वरूप ही है, क्योंकि यदि ईश्वर प्रयत्न की ब्रह्माण्ड पतन का प्रतिबन्धक माना जायगा तो व्यापक होने के कारण वह सङ्ग्रामभूमि में भी रहेगा । अतः उस भूमि में सैनिकों द्वारा प्रक्षिप्त बाणों का पतन भी न हो सकेगा क्योंकि ईश्वर का जो प्रयत्न ब्रह्माण्ड के पतन को रोक सकता है वह सामान्य बाण के पतन को क्यों न रोक सकेगा । यदि यह कहा जाय कि-‘प्रतियोगिभ्यधिकरण पतनाभाव विशिष्ट ईश्वर प्रयत्न ही पतन का प्रतिबन्धक है । अतः ईश्वरप्रयत्न से बाण के पतन का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता । क्योंकि बाण में प्रतियोगिभ्यधिकरणपतनाभाव नहीं रहता । ब्रह्माण्ड का कभी भी पतन न होने से उस में प्रतियोगिभ्यधिकरणपतनाभाव रहता है । अतः एव ब्रह्माण्ड में प्रतियोगिभ्यधिकरणपतनाभाव विशिष्ट ईश्वर प्रयत्न के रहने से वह ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक हो सकता है’-तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि प्रतियोगिभ्यधिकरणपतनाभावविशिष्ट प्रयत्न ही ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक हो उस में कोई विनिगमना न होने से प्रतियोगिभ्यधिकरणपतनाभावविशिष्ट ज्ञान और इच्छा की भी प्रतिबन्धक मानना आवश्यक होगा । इसलिये ज्ञान, इच्छा प्रयत्न ये तीनों ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक मानने की शयेश्वा अदृष्ट को ही ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक मानना उचित है, क्योंकि अदृष्ट में जीवित शरीर के पतन की प्रतिबन्धकता सिद्ध है । अतः एव अदृष्ट में पतनप्रतिबन्धकतात्व की कल्पना प्रपूर्व नहीं है । यदि यह कहा जाय कि-‘अदृष्ट ब्रह्माण्ड का धारक नहीं हो सकता क्योंकि अदृष्ट जीवात्मा में रहता है । अतः जिस मत में जीवात्मा विभू नहीं होता उस मत में जीवात्मा में रहनेवाले अदृष्ट का सम्बन्ध ब्रह्माण्ड के साथ नहीं हो सकता और जब ब्रह्माण्ड से अदृष्ट का सम्बन्ध नहीं बन सकता तब उसे ब्रह्माण्ड का धारक कैसे माना जा सकता ?’-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जो जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है वह उस कार्य के उत्पत्ति वेश से असम्बन्ध होने पर भी

ब्रह्माण्डनाशकतयापि नैश्वर्यसिद्धिः, प्रलयाऽनभ्युपगमात्, अहोरात्रस्याऽहोरात्रपूर्व-
कल्पव्याप्यत्वात् । न च वर्षादिनत्वेनाऽव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्वे माध्ये रात्रिविशेषावच्छिन्न-
विरूकत्ववदत्राऽव्यवहितसमापूर्वकत्वमुपाधिः, रात्रिविशेषे वर्षादिनस्य हेतुत्वेन तद्वानुकूलत-
र्कणोपादेः माध्यव्यापकत्वग्रहेऽप्यनुकूलतर्कमात्रेण प्रकृत उपाधेरसमर्थत्वात्, कालत्वस्य
मात्रव्याप्यत्वान्न । कर्मणा विपमविषाकतया युगपद् निरोधोऽसंभवान् । सुषुप्तौ कतिपयाऽदृष्ट-
निरोधस्य दर्शनावरणरूपाऽदृष्टमासभ्यादेवोपपन्नवैल्यनाऽदृष्टान्तरप्रतिरोधदर्शनात्, प्रलये तु कथं
तादृशादृष्टं विनाऽदृष्टनिरोधः स्यात् ? अन्यथा त्वनायामगिद्धो मोक्षः इति किं ब्रह्मचर्यादिकले-
खानुभवेन ? इत्यन्यत्र विस्तरः ।

उस कार्य को उत्पन्न करता है। जैसे लोहखण्ड से अस्त्रवज्र भी अद्यस्कान्तमणि (लोहनाभक)
लोहखण्ड में आकर्षण उत्पन्न करता है। अतः कार्य के उत्पत्ति देश से सम्बन्ध ही कारण कार्य का
उत्पादक होता है इस सिद्धि के तार्किक न होने के कारण ब्रह्माण्ड से अस्त्रवज्र भी जीवका अदृष्ट
ब्रह्माण्ड का धारक हो सकता है। इस विषय का विस्तृत विचार अन्वयान्तर में दृष्टव्य है।

यह भी ज्ञातव्य है कि प्रयत्न कहीं भी स्वयं पतन का प्रतिबन्धक नहीं बनता। किन्तु
विवक्षण प्रयत्न के रूप में पतन के प्रतिबन्धक संयोग विशेष को ही उत्पन्न करता है। पतन का
प्रतिबन्ध तो उस संयोग से ही होता है। जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी के शरीर के पतन का
प्रतिबन्ध पक्षी शरीर के साथ पक्षीकी आत्मा के संयोग से होता है और वह संयोग पक्षी के प्रयत्न से
उत्पन्न होता है। सभी प्रयत्न पतन के प्रतिबन्धक संयोग को नहीं उत्पन्न करते किन्तु विनश्वर
प्रयत्न ही उत्पन्न करता है। अन्यथा जोरित प्राणी का वृक्ष मयन पर्वत आदि में कसी भी पतन न
होता। ईश्वर का प्रयत्न एक ही होता है। अतः उस में वैजात्य की कल्पना नहीं हो सकती। अतः
एक उस से पतन के प्रतिबन्धक संयोग की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकती। इसलिये ईश्वरप्रयत्न की
ब्रह्माण्ड का धारक मानना न्यायसङ्गत नहीं हो सकता।

[प्रलय के अस्वीकार से ईश्वरसिद्धि निरसन]

ब्रह्माण्ड-नाशक के रूप में भी ईश्वर की आनुमानिक सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि ब्रह्माण्ड का
नाश प्रलय की सत्यता पर निर्भर है और प्रलय अप्रामाणिक होने से असिद्ध है। अतः आध्यात्मिक
दोष के कारण ब्रह्माण्डनाश की पक्ष बनाकर कोई अनुमान नहीं किया जा सकता। यदि यह कहा
जाय कि—'ब्रह्माण्ड का नाश अनुमान से सिद्ध है। जैसे 'ब्रह्माण्डं तन्मरम्' = नाशप्रतियोगी) अन्यथा-
ख्यात् घटादिवत्' यह अनुमान ब्रह्माण्डनाश में प्रमाण है। अतः ब्रह्माण्डनाशपक्षक अनुमान में आध्या-
त्मिक सिद्धि नहीं हो सकती'—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्माण्ड में नाशप्रतियोगीत्व के उक्त अनुमान का
बाधक अनुमान विद्यमान है जैसे विद्यादास्यव अहोरात्र अव्यवहित अहोरात्र पूर्वक है। क्योंकि ओ ओ
अहोरात्र होता है वह सब अहोरात्रपूर्वक होता है। यदि ब्रह्माण्ड का नाश माना जायगा तो अग्रिम
ब्रह्माण्डमें होनेवाले प्रथम अहोरात्र में अव्यवहित अहोरात्र पूर्वकत्व न होने से सभी अहोरात्र
अहोरात्रपूर्वक होते हैं इस ध्याति का भङ्ग हो जायगा। अतः किसी भी अहोरात्र को प्रथम

अहोरात्र नहीं माना जा सकता । और यह तभी हो सकता है जब अहोरात्र की परंपरा अविच्छिन्न बनी रहे और वह तभी बनी रहती है जब ब्रह्माण्ड का नाश न हो । अतः इस अनुमान से ब्रह्माण्ड के नाश का अनुमान शोधित हो जाता है । इसलिए आध्यात्मिक के कारण ब्रह्माण्डनाशमयक अनुमान का होना सर्वथा असंभव है ।

[अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व उपाधिकी शंका]

यदि यह कहा जाय कि—जैसे वर्षादिनस्य हेतु से प्रथम कहे जाने वाले वर्षादिन में अव्यवहित वर्षादिन पूर्वकत्व का साधन करने पर 'राशिविशेष' में 'रविपूर्वकत्व'रूप उपाधि होने से वर्षादिनस्य में अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्व की व्याप्ति नहीं होती । उसी प्रकार अहोरात्रस्य हेतु से प्रथम कहे जाने वाले अहोरात्र में अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व का साधन करने पर भी अव्यवहितसंसारपूर्वकत्वरूप उपाधि होने से अहोरात्रस्य में अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व की व्याप्ति नहीं हो सकती । अतः यह है कि राशिविशेष (संभवतः सिंहराशि) से सूर्य के सम्बन्ध के साथ वर्षादिन का आरम्भ होता है । अतः एक प्रथम वर्षादिन के पूर्व रवि राशिविशेष से सम्बन्ध नहीं होता । अतः राशिविशेषावच्छिन्नरविपूर्वकत्व आद्यवर्षादिन में वर्षादिनस्यरूप साधन का अव्यापक होता है और द्वितीय-तृतीयादि वर्षादिन में अव्यवहित वर्षादिनपूर्वकत्व तथा राशिविशेषावच्छिन्नपूर्वकत्व दोनों के रहने से राशिविशेषावच्छिन्नपूर्वकत्व अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्वरूप साध्य का व्यापक होता है । इसलिए वर्षादिनस्य में अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्व की व्याप्ति नहीं होती क्योंकि वर्षादिनस्य अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्व के व्यापक राशिविशेषावच्छिन्नरविपूर्वकत्व का व्यभिचारी होने से अव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्व का भी व्यभिचारी हो जाता है । क्योंकि व्यापक का व्यभिचार व्याप्य व्यभिचार से नियत होता है । इसी प्रकार जिस अहोरात्रों में अव्यवहित अहोरात्र पूर्वकत्व सर्वसम्मत है उनमें अव्यवहितसंसार पूर्वकत्व है क्योंकि उन अहोरात्रों के पूर्व अहोरात्र विद्यमान है और अहोरात्र संसार रहने पर ही होता है । अतः उन अहोरात्रों में अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व का होना प्रतिपाद्य है अतः अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व रूप साध्य का व्यापक होता है । अहोरात्ररूप साधन अतितक ब्रह्माण्ड के आद्य अहोरात्र में भी है किन्तु उसके पूर्व संसार न होने से उसमें अव्यवहित संसारपूर्वकत्व नहीं है, अतः एक अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व अहोरात्ररूप साधन का अव्यापक है । इसलिए अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व के व्यापक अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व का व्यभिचारी हो जाने के कारण अहोरात्ररूप साधन अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्वरूप साध्य का व्यभिचारी हो जायगा । अतः अहोरात्रस्य हेतु से समस्तअहोरात्र में अव्यवहितअहोरात्रपूर्वकत्व का अनुमान करके प्रलय का सङ्गन नहीं किया जा सकता ।

[उपाधिकी शंका तर्क शून्य है]

किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है, राशि विशेष वर्षादिन का कारण होता है । अतः एक राशिविशेष के साथ सूर्य का सम्बन्ध और वर्षादिन की एक साथ प्रवृत्ति होती है । इसलिये अग्रिम वर्षादिन राशिविशेषावच्छिन्नरविपूर्वक हो जाता है । यदि किसी अव्यवहितवर्षादिनपूर्वक वर्षादिन को राशिविशेषावच्छिन्नरविपूर्वक न माना जायगा तो उस वर्षादिन के अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्षादिन राशिविशेष से अवच्छिन्न नहीं है यह मानना होगा और यह तब होगा जब उस वर्षादिन के पूर्व राशिविशेष का प्रवेश न हो । और ऐसा मानने पर वर्षादिन के प्रति राशिविशेष की कारणता का मङ्ग

हो जायगा । अतः अव्यवहित वर्षावितपूर्वक सभी वर्षावित की राशिबिधेवावच्छिन्नरविपूर्वक मानना पड़ेगा । अत एव राशिबिधेवावच्छिन्नरविपूर्वकत्व में अव्यवहितवर्षावितपूर्वकस्वरूप साध्य की व्यापकता का ज्ञान हो सकने से राशिबिधेवावच्छिन्नरविपूर्वकत्व उपाधि हो सकता है । किन्तु अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व में अव्यवहितग्रहोरात्रपूर्वकत्व की व्यापकता का साहचर्य कोई तक नहीं है । अर्थात् किसी ग्रहोरात्र के पूर्व में ग्रहोरात्र माना जाय और संसार न माना जाय तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । अतः अव्यवहितग्रहोरात्रपूर्वकत्व अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व के बिना भी हो सकता है इसलिये अव्यवहित संसारपूर्वकत्व में अव्यवहित ग्रहोरात्रपूर्वकत्व की व्यापकता का ज्ञान न हो सकने से अव्यवहितसंसारपूर्वकत्व उपाधि नहीं हो सकता । अतः ग्रहोरात्रत्व में अव्यवहितग्रहोरात्रपूर्वकत्व का व्याप्तिज्ञान होने में कोई बाधा न होने से ग्रहोरात्रत्व हेतु से समस्त ग्रहोरात्र में अव्यवहितग्रहोरात्रपूर्वकत्व का साधन कर प्रत्यय का लण्डन किया जा सकता है ।

प्रत्यय का लण्डन एक और भी अनुमान से हो सकता है । वह है-संपूर्ण काल में भोग्य पदार्थों के अस्तित्व का अनुमान । जैसे कालः भोग्यवान् कालस्यात् अर्थात् संपूर्णकाल भोग्यपदार्थ का आश्रय है, क्योंकि वह काल है, जो भी काल जाता है वह भोग्यपदार्थ का आश्रय होता है जैसे सृष्टिकाल । इस अनुमान का फल यह होगा कि भोग्यपदार्थ से शून्य कोई काल नहीं माना जा सकता । प्रत्ययकाल भोग्यपदार्थ से शून्य माना जाता है, अतः उक्तानुमान के कारण प्रत्यय का लण्डन नहीं सिद्ध हो सकता ।

[एकसाथ समस्त कर्म का वृत्तिनिरोध अशक्य]

प्रत्यय की सिद्धि में और भी एक बाधा है और वह यह है कि कर्म की फलप्रदवृत्तियों का एक काल में सर्वथा निरोध नहीं हो सकता । कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यय सभी हो सकता है जब समस्त जीवों के समस्त कर्मों की फलोन्मुख वृत्तियों का किसी एक काल में संपूर्ण निरोध हो जाय, क्योंकि जब समस्त जीवों के सभी कर्म अपना फल देने के प्रति उवासीन हो जायेंगे तो किसी भी जन्य द्रव्य की कोई आवश्यकता न रह जायगी । क्योंकि जन्य द्रव्य कर्मों का फल प्रदान करने में कर्मों के द्वार होते हैं और जब कर्मों को फल देना ही नहीं है उस समय द्वारभूत पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । अतः संपूर्ण जन्यद्रव्यों का अभाव हो जाने से वह काल प्रत्ययकाल कहा जाता है । किन्तु समस्त जीवों के समस्त कर्मों का संपूर्ण वृत्तिनिरोध एककाल में नहीं हो सकता, क्योंकि जोब के कर्म विषमविपाकी होने से अर्थात् परस्परविरोधी फलों के जनक होने से नियत समय में ही फलप्रद न होकर भिन्न भिन्न समयों में किसी न किसी फल के जनक होते हैं ।

यदि यह कहा जाय कि-जैसे सुषुप्ति के समय सहस्रों प्राणियों के कर्मों का वृत्तिनिरोध एक साथ हो जाता है-इसी प्रकार कोई ऐसा भी काल हो सकता है जिसमें समस्त जीवों के समस्त कर्मों का संपूर्ण वृत्ति-निरोध हो जाय और ऐसा जो काल होगा उसी को प्रत्ययकाल कहा जायेगा- तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में जो सहस्रों प्राणियों के कर्मों का एक साथ संपूर्ण वृत्तिनिरोध होता है वह वर्तनावरण रूप अदृष्ट के कारण होता है अर्थात् जिन प्राणियों का वर्तनावरणरूप अदृष्ट जब जाग्रत होता है तब अन्य कर्मों की वृत्तियों का प्रतिरोध हो जाता है क्योंकि वह अन्य कर्मों से बलवान होता है और बलवान अदृष्ट से दुर्बल अदृष्ट के वृत्ति का प्रतिरोध वृत्तिसंगत है किन्तु ऐसा कोई अदृष्ट प्रमाणिक नहीं है जिससे समस्त जीवों के समस्त कर्मों का वृत्तिरोध हो सके अतः प्रत्यय की कल्पना ग्राह्यसंगत नहीं हो सकती और यदि समस्त जीवों के समस्त कर्मों का वृत्तिरोध अकारण हो

एतेन 'आद्यव्यवहारादीश्वरसिद्धिः, प्रतिमर्गं सन्वादीनां बहूनां व्यवहारप्रवर्तकानां कल्पने गौरवादेकस्मैव भगवतः सिद्धेः' इत्यपास्तम्, मर्गादेरेवासिद्धेः, इदानीमिव सर्वदा पूर्वपूर्वव्यवहारेणैवोत्तरोत्तरव्यवहारोपपत्तेः । यदि तु सर्गादिरुपेयते, तदा तदानीं प्रयोज्यप्रयोजकबुद्धयोरभावान् कथं व्यवहारः ?

मान लिया जायगा तो जीवमात्र को अनायास ही मोक्ष मिल जायगा । फिर ब्रह्मचर्यादि पालन का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । फलतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्यादि का उपवेश शास्त्रों में किया गया है वह निरर्थक हो जायगा ।

इस विषय का विस्तृत विचार ग्रन्थान्तर में दृष्टव्य है ।

[सर्गादि की असिद्धि से प्राद्य व्यवहारादिकथन की व्यर्थता]

सर्गादि प्रश्नों में प्रमाण प्राप्ति प्रश्नों से प्रयोगस्थ व्यवहार के प्रारम्भप्रवर्तक रूप में भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 'मिथुनसिद्धि' में मनुआदि अनेक पुरुषों की व्यवहार का प्रवर्तक मानने में गौरव होगा और सभी सृष्टि में एकमात्र ईश्वर को ही प्रवर्तक मानने में लाघव होगा इस प्रकार ईश्वर की कल्पना का आपाततः औचित्य प्रतीत होने पर भी वास्तव दृष्टि से उत्तरोत्ति से ईश्वर की कल्पना उचित नहीं हो सकती, क्योंकि सृष्टि का प्रारम्भ ही किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता । अपितु यही कल्पना उचित प्रतीत होती है कि जैसे इस समय के व्यवहार अपने पूर्व व्यवहारों से ही सम्पन्न होते हैं उसी प्रकार संपूर्ण समय के व्यवहार अपने पूर्व व्यवहारों से ही सम्पन्न होते हैं । और ऐसा मानने पर कोई प्राद्य व्यवहार सिद्ध न होने से व्यवहार के प्राद्य प्रवर्तक की कल्पना की संभावना ही समाप्त हो जायगी ।

[सर्ग के प्रारम्भ में व्यवहार की असिद्धि]

इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि यदि सृष्टि का प्रारम्भ माना जायेगा तो उस समय प्रयोज्य और प्रयोजक बुद्ध के न होने से व्यवहार कैसे प्रवर्तित हो सकेगा ? कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टिकाल में व्यवहार का प्रवर्तन प्रयोज्य और प्रयोजकव्यवस्थ पुरुषों द्वारा होता है, जैसे-जब कोई वयस्क व्यक्ति किसी बालक को व्यवहार की शिक्षा देना चाहता है तब वह उस बालक को पास में बिठाकर अपने किसी कनिष्ठ वयस्क व्यक्ति को आवेश देता है कि 'घड़ा ले आओ या घड़ा ले जाओ' । कनिष्ठ वयस्क व्यक्ति जिसे प्रयोज्य बुद्ध कहा जाता है, उस आवेश वाक्य को सुनकर घट को ले आता है या ले जाता है । पास में बैठा हुआ बालक प्रयोज्यबुद्ध के घट आनयन को देखकर उसके कारणरूप में प्रयोज्यबुद्ध के घटानयन में कर्तव्यता के ज्ञान का अनुमान करता है और फिर उस वाक्य में उस ज्ञान की कारणता का अनुमान करता है । उस के बाद उपेक्ष्य वयस्क व्यक्ति जिसे प्रयोजकबुद्ध कहा जाता है वह आवेश देता है कि 'घट नय, घटमानय' और प्रयोज्य बुद्ध घट को हठा कर घट का आनयन करता है तब बालक यह अनुमान करता है कि 'घटमानय' इस वाक्य के भीतर जो घट शब्द है वही घट ज्ञान का जनक है क्योंकि 'आनय' शब्द के साथ जब घट शब्द था तब प्रयोज्य बुद्ध की घटानयन में कर्तव्यता का ज्ञान हुआ और जब 'आनय' शब्द के साथ घट शब्द नहीं था किन्तु घट शब्द था तब घटानयन में कर्तव्यता का ज्ञान नहीं हुआ । इस प्रकार वह घटशब्द के आभाव अर्थात् आनय शब्द के साथ उस का प्रयोग और घटशब्द के उद्घाप अर्थात् आनय शब्द के साथ उस

अथ 'यथा सायावी सूत्रसंचाराविच्छिन्नदाहपुत्रकं 'घटमानय' इत्यादि नियोज्य घटाऽऽनयनं' संपाद्य बालकस्य व्युत्पत्तिं प्रयोजकः, तथेश्वरोऽपि प्रयोज्य-प्रयोजकवृद्धीभूय व्यवहारं कृत्वाऽऽव्युत्पत्तिं कारयति । न चाऽत्र चेष्टया प्रवृत्तिम्, तथा ज्ञानम्, तज्ज्ञाने उपस्थितवाक्यहेतुत्वम्, तज्ज्ञानविषयपदार्थं चाऽऽवागोद्भाष्यम्, तत्तत्पदज्ञानहेतुत्वमनुमाय तत्तत्पदे तत्तदर्थज्ञानानुकूलत्वेन तत्तदर्थसंबन्धवत्त्वमनुमेयम्, एवं चाऽयं संबन्धग्रही अमः स्यात्, जनकज्ञानस्य अमत्वात् इति याच्यम्, तत्त्वेऽपि विषयाऽन्वाधेन प्रमात्वात्, अम-परामर्शस्य प्रमान्नसंभवाच्च । एवमीश्वर एव कुलालादिशरीरं परिगृह्य घटादिसंप्रदायप्रवर्तकः । अत एव श्रुतिः '(नमः) कुलालेभ्यो, नमः कर्मारेभ्यः' इत्यादीति ।' चेत् ?

के अप्रयोग से बालक यह अनुमान करता है कि घट शब्द घट का बोधक है और उस के बाव 'घट शब्द से ही घट का बोध होता है, पट शब्द से क्यों नहीं होता' ? ऐसा विचार करते हुए यह अनुमान करता है कि घटशब्द तत्त्व अर्थ से सम्बन्ध है और पटशब्द घटकत्व अर्थ से सम्बन्ध नहीं है । इस निश्चय के अनन्तर बालक कालांतर में स्वयं घट का बोध करने के लिये स्वयं घट शब्द का व्यवहार करने लगता है और अग्न्य द्वारा घट शब्द का व्यवहार होने पर स्वयं घट का ज्ञान प्राप्त करने लगता है । इस प्रकार प्रयोज्य और प्रयोजक वृत्तों के द्वारा व्यवहार का प्रवर्तन होता है किन्तु यदि सृष्टि का आरम्भ माना जायेगा तो उस समय प्रयोज्य और प्रयोजक वृत्त न होने से शब्द व्यवहार का प्रवर्तन नहीं हो सकेगा ।

[मायाजालिक के समान ईश्वर की शिक्षा-पूर्वपक्ष]

यदि यह कहा जाय—'कि जैसे सायावी पुरुष जब अकेला होता है उसके साथ कोई कनिष्ठ वयस्थ व्यक्ति नहीं होता और वह कोई किसी बालक को व्यवहार सिखाना चाहता है तब वह कनिष्ठवयस्थ के स्थान में एक लकड़ी का मनुष्य बना लेता है और उसको सूत से इस प्रकार बाँध लेता है कि वह उस सूत्र के द्वारा गतिशील हो सके और तब वह 'घटमानय' इस शब्द का प्रयोग करके सूत्र के संभालन से उस काष्ठ निर्मित पुरुष के द्वारा घटानयन का संपादन कर बालक को घट शब्द के व्यवहार की शिक्षा देता है । तो जैसे सायावी काष्ठ से बने हुए मनुष्य को प्रयोज्य वृत्त के स्थान में रखकर व्यवहार की शिक्षा देता है, उसी प्रकार ईश्वर प्रयोज्य और प्रयोजकशरीरों की रचना कर प्रयोजक शरीर के द्वारा 'घटमानय' इस शब्द का प्रयोग कर और प्रयोज्य शरीर द्वारा घटानयन का संपादन कर सृष्टि के आरंभ काल के मनुष्य को व्यवहार की शिक्षा दे सकता है ।

इस सन्दर्भ में यह शङ्का हो कि—'उक्त क्लम से व्यवहारशिक्षा की जो प्रवृत्ति है उस के अनुसार चेष्टा से प्रवृत्ति का और प्रवृत्ति से कर्तव्यताज्ञान का और ज्ञान के प्रति उपस्थित वाक्य में कारणता का और उस ज्ञान के विषयभूत तत्त्व पदार्थज्ञान के प्रति आघाप और उद्घाप अर्थात् क्रिया-पद के साथ तत्त्व पद का प्रयोग और अप्रयोग से तत्त्व पद में तत्त्व पदार्थ के सम्बन्ध का अनुमान किया जा सकता है ।

किन्तु इस स्थिति में सृष्टि के आरम्भ में प्रयोज्य और प्रयोजक शरीर का निर्माण कर उसके द्वारा ईश्वर की व्यवहार का प्रवर्तक मानने पर तत्त्व पदार्थ के सम्बन्ध का उक्तानुमान भ्रम होगा ।

न, अदृष्टाऽभावेन प्रयोज्यादिशरीरपरिग्रहस्यैव भावतोऽयुक्तत्वाद् , अन्यददृष्टेनाऽन्यस्य शरीरपरिग्रहे चैत्राऽदृष्टाऽऽकृष्टं शरीरं मैत्रोऽपि परिग्रहणीयात् । 'प्राण्यदृष्टेन घटादिवत् तत्तच्छरीरोत्पत्तिः, तत्परिग्रहस्तु भगवतस्तदादेश एवेति न दोष' इति चेत् ? न, घटादावतथात्वेऽपि तदीयेशरीरे तदीयाऽदृष्टत्वेनैव हेतत्वात् , अन्यथाऽतिप्रमत्तात् ।

क्योंकि हम अनुमान के कारणका में प्राक्कट होने वाला प्रवास से आम का अनुमान और उस ज्ञान के प्रति उपस्थित वाक्य में कारणता का अनुमान आदि भ्रम है, क्योंकि सृष्टि के प्रारम्भ में प्रयोज्य प्रयोजक शरीर का प्रयत्न और ज्ञान निर्धन होता है। अतः उन में कारण की अपेक्षा न होने से उनके कारणानुमान का भ्रम होता अनिवार्य है। और जब कारणभूत ज्ञान भ्रम है तब उसके कार्यभूत उक्तानुमान भ्रम होता स्वानाविक है और जब तत्त्व पद में तत्त्व पदार्थ के सम्बन्ध का अनुमान भ्रम हुआ तब उससे तत्त्व पद में तत्त्व पदार्थ के सम्बन्ध की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि भ्रम विषय का व्यवसायी होता है। अतः भ्रम से पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। -तो इसके उत्तर में,

यदि कहा जाए कि-वह शङ्का उचित नहीं है क्योंकि किसी ज्ञान का अभात्मक होना उसके कारण भल दोष पर ही निर्भर नहीं है किन्तु ज्ञान जिस विषय को ग्रहण करता है उस विषय के बाध पर निर्भर है इसीलिये बल्लि म धूमव्याप्ति का भ्रम होने पर बल्लि से यदि महानस में धूम की अनुमिति होती है तो वह श्रवणे कारण उक्त व्याप्तिज्ञान के भ्रमरूप होने पर भी स्वयं भ्रमरूप नहीं होती क्योंकि महानस में धूम का बाध नहीं होता है, अतः सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर के प्रयोज्य-प्रयोजक शरीर द्वारा उस काल के मनुष्य को जो तत्त्व पद में तत्त्व पदार्थ के सम्बन्ध की अनुमिति होगी वह भी भ्रम नहीं हो सकती क्योंकि तत्त्व पद में तत्त्व पदार्थ का सम्बन्ध होने के कारण उस का बाध नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अनुमिति का अन्तिम कारण तो पक्ष में साध्य व्याप्य हेतु का परामर्श होता है जिसे स्वयं परामर्श कहा जाता है। प्रकृतस्थल में वह परामर्श तत्त्व पद में तत्त्व पदार्थ सम्बन्ध व्याप्यारूप से तत्त्वपदार्थज्ञानानुक्तस्वरूपहेतु का निश्चयरूप है और वह निश्चय सर्वांग में प्रमात्मक ही है अतः उक्तानुमिति का जो प्रधान एवं अन्तिम कारण है उसके भ्रमरूप न होने से कारण दोष द्वारा ही तत्त्व पद में तत्त्व पदार्थ सम्बन्ध की अनुमिति को अभात्मक नहीं कहा जा सकता। अतः उस अनुमिति से तत्त्व पद में तत्त्व पदार्थ के सम्बन्ध की सिद्धि में कोई बाधा नहीं हो सकती, इसी प्रकार ईश्वर कुलासादि शरीर को धारणकर घटपटादि का प्रथम निर्माण कर के घटपटादि के निर्माण की परंपरारूप संप्रदाय का प्रवर्तक होता है। इसीलिये श्रुति में कुलास शब्द से उस का अभिवादन किया है तो उसे 'नमः कुलात्म्यः नमः कर्मरिप्यः' इत्यादि।

[ईश्वर के शरीर ग्रहण का असंभव-उत्तरपक्ष]

सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर द्वारा व्यवहार प्रवर्तित किये जाने का यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर में ग्रहण नहीं होता। अत एव उसके द्वारा प्रयोज्य और प्रयोजक के शरीर का ग्रहण भी पुष्टि सङ्गत नहीं हो सकता क्योंकि शरीर का ग्रहण अपने ही ग्रहण से होता है। यदि अन्य के ग्रहण से भी शरीर ग्रहण की स्वीकृति की जायगी तो चैत्र के अदृष्ट से निर्मित होने वाला शरीर चैत्र द्वारा भी गृहीत हो सकेगा और उस शरीर से चैत्र को भी सुखदुःखादि भोग की प्रसक्ति होगी। जब कि यह बात कथमपि मान्य नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा मानने पर तो भुवत को भी शरीर ग्रहण का प्रसङ्ग हो सकता है।

किञ्च, कोऽयमावेशः ? तदवच्छिन्नप्रयत्न एवेति चेत् ? न, तदजन्यस्य प्रयत्नस्य तदनवच्छिन्नत्वात् । अपौरुषेयं भूताऽऽवेष्टानुपपत्तिः । अथ हि भूतात्मन्येव चेष्टाद्यवच्छेदेन प्रवृत्तिरङ्गीक्रियते, अन्यथा मृतश्चरीरे तदावेष्टानापक्षेति चेत् ? इयमपि तत्रैवानुपपत्तिः ।

यदि यह कहा जाय कि—'शरीरग्रहण का अर्थ है शरीर के साथ भोग प्रयोजक सम्बन्ध की प्राप्ति । किन्तु इस प्रकार का शरीरग्रहण ईश्वर में नहीं होता । अपितु जैसे प्राणियों के अदृष्ट से घटपटावि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार प्राणियों के अदृष्ट से ही सृष्टि के आरम्भ में तत्सत् सम्प्रदाय के प्रवर्तनार्थ विभिन्न शरीरों की भी उत्पत्ति होती है । जिनके साथ ईश्वर का भोगप्रयोजक सम्बन्ध नहीं होता अपितु उन में ईश्वर का आवेश होता है और उस आवेश से ही उन शरीरों में चेष्टा होकर उनके द्वारा तत्सत् सम्प्रदाय का प्रवर्तन होता है । अतः सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न होने वाले शरीरों का ईश्वर द्वारा इस प्रकार का ग्रहण संभव होने से उक्तवचन की प्रसक्त नहीं हो सकती'—तो यह कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि घटादि पदार्थों और शरीरों में वैषम्य होता है । घटादि पदार्थ किसी भी व्यक्ति के भोग के आश्रयन नहीं होते किन्तु भोग के बुरस्य साधन होते हैं । अतः उन की उत्पत्ति प्राणियों के अदृष्ट से ही सकती है, उस की उत्पत्ति में किसी प्राणीविशेष के ही अदृष्ट को अपेक्षा नहीं होती, जब कि शरीर भोग का आश्रयन होता है इसीलिये भिन्न भिन्न प्राणी को पृथक् पृथक् शरीर की आवश्यकता होती है । जो शरीर जिस प्राणि विशेष के अदृष्ट से उत्पन्न होता है उस शरीर से उसी प्राणी की भोग होता है, इसीलिये कोई भी शरीर किसी प्राणि विशेष के भोग का आश्रयन होने के लिये ही उत्पन्न होता है और इसीलिये तत्पुरुषीय शरीर में तत्पुरुषीय अदृष्ट को कारण माना जाता है । ऐसा न मानने पर शरीर सभी प्राणियों के भोग का आश्रयन हो सकने के कारण अव्यवस्था हो सकती है, अतः यह कल्पना उचित नहीं है कि 'सृष्टि के आरम्भ में तत्सत् सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने के लिये प्राणियों के अदृष्ट से कुछ शरीरों की उत्पत्ति होती है जो भोग का आश्रयन नहीं होते किन्तु तत्सत् सम्प्रदाय के प्रवर्तन में ईश्वर के सहायकमात्र होते हैं । और ईश्वर उन शरीरों में आविष्ट होकर उनके द्वारा तत्सत् सम्प्रदाय का प्रवर्तन करता है ।'

['आवेश' पदार्थ की समीक्षा]

इस सन्दर्भ में यह भी विचारणीय है कि सृष्टि के आरम्भ में प्राणियों में अदृष्ट से उत्पन्न होनेवाले कतिपय शरीरों में ईश्वर का जो आवेश होता है उस का क्या अर्थ है । यदि कहा जाय कि तत्सत् शरीर में आविष्ट होने का अर्थ है 'तत्सत् शरीरावच्छेदेन प्रयत्नशील होना' तो इस प्रकार का आवेश ईश्वर में नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर का प्रयत्न उन शरीरों से जाय न होने के कारण उन शरीरों से अवच्छेद्य नहीं हो सकता । क्योंकि यह निश्चय है कि जो प्रयत्न जिस शरीर से उत्पन्न होता है वह प्रयत्न उसी से अवच्छेद्य होता है । और कोई भी प्रयत्न उसी शरीर से उत्पन्न होता है जो शरीर उस प्रयत्न के आश्रयभूत आत्मा के अदृष्ट से उत्पन्न होता है । इसीलिये शरीरावच्छेदेन भ्रम-प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती ।

यदि यह शङ्का की जाय कि 'इस प्रकार ईश्वरावेश की अनुत्पत्ति बताने पर प्राणियों के विभिन्न शरीरों में भूतावेश (विशाखावेश) की भी उत्पत्ति न हो सकती, क्योंकि वे शरीर भूतात्मा के अदृष्ट से नहीं उत्पन्न होते किन्तु चेष्टादि अन्य प्राणियों के अदृष्ट से ही उत्पन्न होते हैं । अतः उक्त

अस्माकं तु तत्र संकोच-विकासस्वभावभूतात्मप्रदेशानुपवेशादुपपत्तेः । न च स्वच्छेदकतया चैत्रप्रयत्नं प्रति चैत्रशरीरत्वेनाऽवश्यं हेतुता वक्तव्या , अन्यथा चैत्रशरीरावच्छेदेन चैत्रप्रवृत्त्यापत्तेः, पाप्यादिनालकप्रयत्नस्य एव पुनस्तदापत्तिवाङ्मयाऽवच्छेदकतया सम्प्रयत्ने

व्यवस्था के अनुसार उन शरीरों द्वारा भूतात्मा में प्रवृत्ति न हो सकेगी । अब कि उन शरीरों द्वारा भूतात्मा में प्रवृत्ति तो होती है और इस प्रवृत्ति का होता ही उन शरीरों में भूतात्मा का आवेश कहा जाता है । यदि यह कहा जाय कि- 'चैत्रादि के शरीर में भूतावेश का यह अर्थ नहीं है कि चैत्रादि शरीरावच्छेदेन भूतात्मा में प्रवृत्ति होती है किन्तु चैत्रात्मा के साथ भूतात्मा का एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध हो जाता है । जिस के कारण उन शरीरों के अधिष्ठाता प्राणियों के प्रयत्न से ही उन में प्रसाधारण प्रकार की चेष्टाएँ होने लगती हैं' तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर भूतशरीर में भूतावेश की उत्पत्ति न हो सकेगी । क्योंकि भूतशरीर के साथ उस व्यक्ति का सम्बन्ध मृदु जाता है जिस प्राण के अदृष्ट शरीरों में उत्पन्न हो । अतः भूतावेश से उस शरीर में होनेवाली चेष्टाएँ उस शरीर के अधिष्ठाता जीव के प्रयत्न से उत्पन्न नहीं मानी जा सकती । अतः उन्हें भूतात्मा से ही उत्पन्न मानना होगा और यह तब ही हो सकता है जब भूतशरीरावच्छेदेन भूतात्मा में प्रयत्न की उत्पत्ति मानी जाय । अतः इस व्यवस्था का स्थापन करना होगा कि जो शरीर जिस के अदृष्ट से उत्पन्न होता है उसी शरीर से उस में प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इसीसिद्धे सृष्टि के आरम्भ में जो शरीर उत्पन्न होते हैं वे यद्यपि भगवान के नहीं उत्पन्न होते तब भी भगवान में तत्सदृशरीरद्वारा प्रयत्न का उदय हो सकता है, जिस से उन शरीरों में चेष्टा की उत्पत्ति हो कर उन के द्वारा व्यवहार का प्रवर्तन हो सकता है और यदि ईश्वर में प्रयत्न की उत्पत्ति कथमपि अशोध्य न हो तो ईश्वर का निरय प्रयत्न ही तत्सदृशरीर से अवच्छेद्य हो सकता है । वह अवच्छेद्यत्व अन्यत्ववत् न होकर स्वरूपसम्बन्धविशेषरूप हो सकता है । जैसे निरय आकाशमें घटावच्छेद्यत्व होता है”

[आत्मा के संकोच-विकास से भूतावेश]

तो यह सझका ठीक नहीं है, क्योंकि चैत्रशरीरावच्छेदेन चैत्रप्रयत्न की उत्पत्ति के परिहारार्थ यह नियम मानना अनिवार्य है कि जो शरीर जिस प्राणी के अदृष्ट से उत्पन्न होता है तत्सदृशरीरावच्छेदेन उस प्राणी में प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इस नियम के मानने पर जो भूतावेश की अनुपपत्ति प्रदर्शित की गई है वह भैयायिक के ही मत में प्रसक्त होती है, आर्जुन मत में वह अनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आर्जुनमत में आत्मा प्रवेशमान होता है और उस के प्रदेश सङ्कोच-विकासशाली होते हैं । इसलिये चैत्रादि के शरीरमें भी भूतात्मा के प्रवेश का उसीप्रकार अनुप्रवेश हो सकता है जैसे चैत्रादि के शरीर में चैत्रादि के आत्मप्रवेश का अनुप्रवेश होता है । भूतात्मा के प्रदेश का चैत्रादि के शरीर में यह अनुप्रवेश ही भूतावेश कहा जाता है । और इस अनुप्रवेश के कारण चैत्रादिशरीरावच्छेदेन भूतात्मा में प्रवृत्ति हो सकती है क्योंकि जिस शरीर में जिस आत्मा का प्रवेश अनुप्रविष्ट होता है तत्सदृशरीरावच्छेदेन उस आत्मा में प्रयत्न होने का नियम है । भूतात्मा के प्रदेश का यह अनुप्रवेश तत्सदृश शरीर में अपने अदृष्ट से प्रविष्ट होनेवाले आत्माओं के अदृष्ट से होता है । अतः यह भूतावेश उन आत्माओं के लिये दुःखप्रद होता है, चैत्र के शरीर में चैत्रात्मा के प्रदेश का अनुप्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि तबतुल्य कोई अदृष्ट नहीं होता । अतः चैत्रशरीरावच्छेदेन चैत्रात्मा में प्रवृत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती । किन्तु भैयायिकमत में चैत्र-

तथा तद्भावस्य हेतोरपवादकस्य संधात् तत्तच्छरीरत्वेन तत्तत्प्रवृत्त्यादिहेतुत्वे गौरवात् , काय-
व्यूहस्थलेऽपि योगजाऽद्यष्टोपगृहीतत्वंसंबन्धेन तदात्मवचनस्य सर्वशरीराभ्युपगमत्वात् ।

शरीरावच्छेदेन चैत्रप्रवृत्ति की उत्पत्ति के निवारणार्थ अवच्छेदकतासम्बन्ध से चैत्र प्रयत्न के प्रति तादात्म्यसम्बन्ध से चैत्र शरीर को कारण मानना पड़ता है । इसलिये चैत्रादि का शरीर चैत्रादि की ही प्रवृत्ति का कारण हो सकता है भूतात्मा की प्रवृत्ति का कारण नहीं हो सकता । अतः व्याप सत में चैत्रादि के शरीर में भूतावेश की अनुपपत्ति हो सकती है ।

[नैयायिक मान्य कार्य-कारणभाव में गौरव]

यदि यह कहा जाय कि- 'अवच्छेदकतासम्बन्ध से चैत्र-प्रयत्न के प्रति चैत्रशरीर तादात्म्य सम्बन्ध से कारण है यह कार्य-कारणभाव नैयायिक को भी मान्य नहीं है । क्योंकि इसके मानने पर भी यह आपत्ति हो सकती है कि हस्त में गति उत्पन्न करनेवाले प्रयत्न की अवच्छेदकतासम्बन्ध से चरण में भी उत्पत्ति होनी चाहिये । क्योंकि चरण में अवच्छेदकतासम्बन्ध से उस प्रयत्न का प्रभाव है और अवच्छेदकता सम्बन्धेन तत्प्रयत्न का अमान तत्प्रयत्न का कारण होता है । अतः इस आपत्ति के नाश-
कार्य जो ओ प्रवृत्ति जिस जिस शरीर या जिस जिस शरीरावयव द्वारा उत्पन्न होता है उस उस प्रवृत्ति के प्रति तत्तद् शरीर या तत्तद् शरीरावयव कारण होता है । और इस कार्यकारणभाव को मान लेने पर चैत्रशरीरावच्छेदेन चैत्रप्रवृत्ति की आपत्ति का भी वारण हो जाता है । अतः अवच्छेदकतासम्बन्ध से चैत्र प्रयत्न के प्रति अवच्छेदकतासम्बन्ध से चैत्रशरीर कारण है यह कार्यकारणभाव अनादश्यक हो जाता है । इसीलिये चैत्रशरीरावच्छेदेन भूतात्मा में प्रवृत्तिरूप भूतावेश और सृष्टि के आरम्भ में प्रयोज्य-प्रयोजक आदि शरीरावच्छेदेन प्रयत्नशालितारूप द्विवरावेश की अनुपपत्ति नहीं हो सकती-
तो यह ठीक नहीं है क्योंकि हस्त में गतिजनक प्रयत्न की चरण में उत्पत्ति की आपत्ति का वारण करने के लिये जिस कार्यकारणभाव की कल्पना की गई है उस में प्रवृत्ति एवं शरीर तथा शरीरावयव के भेद से महान गौरव है । अतः उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

चरण में हस्तक्रियाजनक प्रयत्न की उत्पत्ति की आपत्ति का वारण करने के लिये यह कार्यकारण-
भाव मानना उचित है कि अवच्छेदकतासम्बन्ध से प्रयत्न के प्रति गतिप्रकारकदृष्ट्या विशेष्यतासम्बन्ध से कारण है । हस्त में गति का जनक प्रयत्न 'हस्तश्चलतु' इस दृष्ट्या से उत्पन्न होता है । यह दृष्ट्या विशेष्यता सम्बन्ध से हस्त में रहती है । अतः एवं इस दृष्ट्या से उत्पन्न होनेवाला प्रयत्न अवच्छेदकता सम्बन्ध से हस्त में ही उत्पन्न हो सकता है न कि चरण में । अथवा यह कहा जा सकता है कि कोई भी प्रयत्न अवच्छेदकतासम्बन्धेन किसी भी शरीरावयव में नहीं उत्पन्न हो सकता किन्तु अवच्छेदकता सम्बन्धेन शरीर में ही उत्पन्न होता है । और उस प्रयत्न से हस्त चरणादि में ओ तथा प्रवृत्ति नहीं होती है किन्तु व्यवस्थित रूप में कनी हस्त में कनी चरण में होती है उसका नियामक प्रयत्न की उत्पन्न करनेवाली 'हस्तश्चलतु, चरणश्चलतु' इत्यादि दृष्ट्या है । इसका आशय यह है कि सम्बन्ध सम्बन्ध से चलनाविरूप चैष्टा के प्रति प्रयत्न 'स्वजनक चलनादि प्रकारक दृष्ट्या विशेष्यत्व सम्बन्ध' से कारण है । अतः जब 'वाणिश्चलतु' इस दृष्ट्या से शरीरावच्छेदेन प्रयत्न उत्पन्न होगा तब वह प्रयत्न उक्त सम्बन्ध से वाणि में रहने के कारण वाणि में चलन क्रिया की उत्पन्न करेगा । और जब 'चरणश्चलतु' इस दृष्ट्या से शरीरावच्छेदेन प्रयत्न उत्पन्न होगा तब वह प्रयत्न उक्त सम्बन्ध से चरण में रहने के कारण चरण में चलन क्रिया की उत्पन्न करेगा ।

अपि च, यथाकथञ्चिद् भूतावेशन्यायेन तत्तत्परीपरिग्रहे जगदप्यावेशेनैव प्रवर्तयेत्

[योगी जनों द्वारा कायव्यूह की उत्पत्ति]

मग्न इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि 'यदि तत्तत् पुरुषीय प्रयत्न के प्रति तत्तत् पुरुषीय शरीर कारण है तब जब कोई योगी विभिन्न शरीरों से भोजनय कर्मों को एक साथ ही भोग द्वारा समाप्त कर देने के लिये विभिन्न शरीरों की रचना करता है तो उस योगी में विभिन्न शरीरावच्छेदेन प्रयत्न कैसे उत्पन्न होगा ? क्योंकि उस योगी को प्रारब्ध कर्म से जो शरीर प्राप्त रहता है वही उसका शरीर होता है । अत एव उसी शरीर के द्वारा उस से प्रयत्न होना उचित है' किन्तु यह प्रश्न उचित नहीं है क्योंकि जैसे उस का मातापितृजशरीर उस के अदृष्ट से उसे उपलब्ध होता है उसी प्रकार संपूर्ण कर्मों का एक साथ भोग करने के लिये वह स्वयं जिन विभिन्न शरीरों की रचना करता है वे शरीर भी उसी के योगज अदृष्ट से उसे उपलब्ध होते हैं । अतः मातापितृज शरीर के साथ वे शरीर भी उसी के शरीर हैं । अतः तत्पुरुषीयप्रयत्न के प्रति तत्पुरुषीयशरीर-तत्पुरुषीय अदृष्टाकृष्ट शरीर को कारण मानने पर स्वनिर्मित कायव्यूह द्वारा योगी में प्रवृत्ति की अनुपपत्ति नहीं हो सकती । निष्कर्ष यह है कि एक पुरुष के शरीर से अन्य पुरुष में प्रवृत्ति की उत्पत्ति के निवारणार्थ तत्तत् पुरुषीय प्रयत्न में तत्तत् पुरुषीय शरीर को कारण मानना आवश्यक है । और जो शरीर जिस पुरुष के अदृष्ट से उत्पन्न होता है वही उस पुरुष का शरीर होता है । अत्रात्रि का शरीर भूतात्मा के अदृष्ट से उत्पन्न नहीं होता । अत एव वह भूतात्मा का शरीर नहीं कहा जा सकता और सृष्टि के आरम्भ में जो प्रयोज्य-प्रयोजक आदि शरीर उत्पन्न होता है वह ईश्वर के अदृष्ट से उत्पन्न नहीं होता अतः वह ईश्वर का शरीर नहीं कहा जा सकता । अतः तत्तत् शरीरगत आवेश को तत्तत् शरीरावच्छेदेन प्रयत्नवत्स्वरूप मानने पर न्याय मत में भूतावेश और ईश्वरावेश की उत्पत्ति नहीं हो सकती । किन्तु आहंत मत में उक्तरूप से भूतावेश की उत्पत्ति हो सकती है और ईश्वरावेश की उत्पत्ति की चिन्ता आहंतों को हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्हें ईश्वरावेश मानने की आवश्यकता नहीं है ।

(आवेश से प्रवृत्ति, वेदाविरचना की व्यर्थता)

सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर द्वारा सम्प्रदाय प्रयत्न की जो उत्पत्ति बताई गई है उस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय हो जाता है कि—

यदि यह मान भी लिया जाय कि भूतावेश के समान सृष्टि के आरम्भ में कुछ शरीरों में ईश्वरावेश होता है और उस आवेश के कारण उन शरीरों द्वारा ईश्वर तत्तत्सम्प्रदाय का प्रयत्न करता है तो इस प्रश्न का क्या समाधान होगा कि—'यह कतिपय शरीरों में आवेश द्वारा जैसे सम्प्रदाय का प्रयत्न करता है जैसे आवेश द्वारा ही समुचे जगत् का भी प्रवर्तन क्यों नहीं कर देता ? अर्थात् यह क्यों न मान लिया जाय कि जगत् में जिस किसी में जो क्रिया होती है वह उस में ईश्वर का आवेश होने के कारण ही होती है, मनुष्य के विभिन्न शरीरों द्वारा जो वेदविरहित कर्मों का अनुष्ठान होता है वह उन शरीरों में ईश्वर के आवेश से ही होता है । इस बात का सङ्केत गीता-आदि के कुछ श्लोकों से भी मिलता है । जैसे 'ईश्वरः सर्वभूतानामुद्देशे भवतु न ? तिष्ठति । आत्मन् सर्वभूतानि यज्जल-ठाणि मायया' ॥ एवं-जानानि धर्म न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः । केनापि देहेन हवि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि लप्सा करोमि' ॥ इस प्रकार ईश्वरावेश से ही जगत् की सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ निष्पन्न हो सकती हैं । अतः ईश्वर द्वारा वेदशास्त्रादि की रचना मानना निरर्थक है ।

इति व्यर्थमस्य वेदादिप्रणयनम् । 'कर्मवदस्य' इति दृष्टेष्टाऽवतिष्ठत्यर्थेव प्रवर्ततेत्याहुः
 नानुपपत्तिरिति चेत् । तर्हि परप्रवृत्तये वाक्यमुपदिक्षन् स्वेष्टमाधनताज्ञानादिकमपि कथम-
 तिपत्तेत् ? कथं वा वेष्टात्वावच्छिन्ने विलक्षणप्रयत्नत्वेन हेतुत्वात् तदवच्छिन्नस्य विजानीयमनः-
 संयोगादिजन्यत्वात् तादृशप्रयत्नं विना मग्नादिशरीरवेष्टा ? 'विलक्षणवेष्टायां विलक्षणप्रयत्नस्य
 हेतुत्वात् अत्रेश्वरीयत्न एव हेतुरिति चेत् ? तर्हि तस्य सर्वत्राऽविशिष्टत्वात् सर्वत्रापीश्वरवेष्टा-
 पत्तिः । 'विलक्षणवेष्टावच्छिन्नविशेष्यतया तत्प्रयत्नस्य हेतुत्वाद् नातिप्रमङ्ग' इति चेत् ? तर्हि
 वेष्टाविलक्षण्यसिद्धौ तथाहेतुत्वम्, तथाहेतुत्वे च तद्विलक्षण्यमिति परम्यगश्रयः ।

इस प्रश्न के उत्तर में यदि यह कहा जाय कि-जैसे आहुत मत में कर्म ही सम्पूर्ण प्रवृत्तियों का मूल कारण होता है किन्तु वह सोचे उन प्रवृत्तियों का जनक न होकर जिस दृष्ट-इष्ट कारण से प्रवृत्तियों का होना लोक में देखा जाता है उस के द्वारा ही उसे उन प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है । इसीलिये कर्म और प्रवृत्तियों के बीच दृष्ट इष्ट तत्तत् कारणों की भी अपेक्षा होती है । उसी प्रकार ईश्वर यद्यपि जगत की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों का कारण है किन्तु वह भी लोक में जिस प्रवृत्तियों का जिस दृष्ट-इष्ट कारण से उदय होता देखा जाता है उनके द्वारा ही उन प्रवृत्ति का कारण होता है । अतः वेदादि के द्वारा लोक प्रवृत्ति के सम्पादनार्थ उसे वेदादि की रचना करनी पड़ती है । अतः वेदादि की रचना की व्यर्थ नहीं कहा जा सकता—तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वह दूसरों की प्रवृत्ति के लिये वाक्य का उपयोग इसलिये करता है कि वाक्य द्वारा ही पर का प्रवर्तन लोक में दृष्ट है तब तो उसे अपने इष्टसाधनताज्ञानादि की भी अपेक्षा करनी चाहिये क्योंकि यह भी लोक में देखा जाता है कि मनुष्य जिस कर्म को दूसरे द्वारा कराने में अपना इष्ट समझता है उसी कर्म में दूसरे को प्रवृत्त करता है । अतः ईश्वर की भी इसीप्रकार दूसरों का प्रवर्तन करना चाहिये । किन्तु ऐसा मानने पर ईश्वर संसारो मनुष्यों से ओष्ठ न हो सकेगा । क्योंकि संसारो मनुष्य के समान वह भी अपूर्ण होगा और जिस वस्तु की उसे कमी होगी उसे पाने की वह इच्छा करेगा और उस की प्राप्ति जिस मनुष्य की क्रिया से संभवित होगी उस मनुष्य को उस क्रिया में प्रवृत्त करेगा ।

[ब्रह्मादि देयता के शरीर में चेष्टा कैसे ?]

इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि-ब्रह्मादि देवताओं के शरीरों में चेष्टा कैसे उत्पन्न हो सकती है और चेष्टा उत्पन्न न होने पर उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण-रक्षण और संहार आदि कार्य किस प्रकार हो सकेगा ? क्या आदि शरीरों में चेष्टा नहीं सकने का कारण यह है कि चेष्टा के प्रति विलक्षण प्रयत्न कारण होता है और विलक्षण प्रयत्न के प्रति विलक्षण आत्ममन संयोगादि कारण होता है, ब्रह्मा आदि में विलक्षण आत्ममनःसंयोग न होने से विलक्षणप्रयत्न नहीं हो सकता है । और विलक्षण प्रयत्न के अभाव में ब्रह्मा आदि के शरीर में चेष्टा नहीं हो सकती है । यदि यह कहे कि -'विलक्षणप्रयत्न विलक्षणचेष्टा का कारण होता है अतः विलक्षणप्रयत्न से होनेवाली विलक्षणचेष्टा ब्रह्मा आदि के शरीर में भले न हो किन्तु ईश्वर प्रयत्न से चेष्टा होने में कोई बाधा नहीं हो सकती'—

किञ्च, स्वाधिष्ठातरि भोगाऽजनकशरीरसंपादनमपि तस्यैश्वर्यमात्रमेव, इति दृष्टविरोधे-
नैव जगत्प्रवृत्तिरायाता । एतेनैतन् प्रतिष्ठितम्—

तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर का प्रयत्न स्वाश्रयसंयोग सम्बन्ध से जैसे ब्रह्मा आदि शरीर में रहेगा उसी प्रकार अन्य सभी शरीरों और मूर्त वस्तुओं में भी रहेगा, अतः ईश्वरप्रयत्न को उक्त सम्बन्ध से चेष्टा का कारण मानने पर केवल ब्रह्मादि शरीरों में ही उस से चेष्टा की उत्पत्ति न होगी अपितु अन्य सभी शरीरों में भी चेष्टा की आपत्ति होगी ।

[ब्रह्मादिसारीरचेष्टा की उत्पत्ति का व्यर्थ प्रयास]

इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि—जैसे जीव के विलक्षणप्रयत्न से विलक्षणचेष्टा की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार ईश्वरप्रयत्न से भी विलक्षणचेष्टा की उत्पत्ति होती है और यह विलक्षण चेष्टा जीव के प्रयत्न से होने वाली विलक्षणचेष्टा से विलक्षण होती है और इस चेष्टा के प्रति ईश्वर प्रयत्न स्वाश्रयसंयोग सम्बन्ध से कारण न होकर विलक्षण चेष्टास्वावच्छिन्न विशेष्यता सम्बन्ध से कारण होता है । यह विशेष्यता ब्रह्मा आदि शरीरों में होने वाली चेष्टाओं में ही रहती है अतः एव ईश्वर प्रयत्न से उसी चेष्टा का जन्म होता है अन्य चेष्टाओं का जन्म नहीं होता है, क्योंकि उक्त विशेष्यता सम्बन्ध से ईश्वरप्रयत्न को कारण मानने पर कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध तादात्म्य होता है और ब्रह्मादि शरीर में उत्पन्न होनेवाली विलक्षण चेष्टा का तादात्म्य उसी चेष्टा में होता है अन्य चेष्टाओं में नहीं होता है । यह चेष्टा ब्रह्मादि के शरीर में ही समवेत होती है अन्य शरीरों में नहीं क्योंकि समवाय सम्बन्ध से उक्त चेष्टा के प्रति ब्रह्मादि शरीर भोगानायतनशरीरत्व रूप से कारण होता है । ब्रह्मादि का शरीर किसी भोक्ता का शरीर नहीं होता किन्तु प्राणियों के द्रष्टृ से उत्पन्न होने वाला ऐसा शरीर होता है जिस से किसी का भोग नहीं होता है किन्तु ईश्वर के प्रयत्न से चेष्टावान् होकर ईश्वर के कार्यों में सहायक होता है, प्राणियों के द्रष्टृ से होनेवाले अन्य सभी शरीर प्राणियों के भोग का आयतन होते हैं अतः एव उन के भोगानायतनशरीरत्व नहीं रहता है, इसीलिए ब्रह्मादि के शरीर में ईश्वर प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाली चेष्टा अन्य शरीरों में समवेत नहीं होती है ।—

तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि जब यह सिद्ध हो जाय कि ब्रह्मादि के शरीर में होनेवाली चेष्टा अन्य चेष्टाओं से विलक्षण होती है सभी तादात्म्यसम्बन्ध से विलक्षण चेष्टा के प्रति विलक्षण-चेष्टास्वावच्छिन्न विशेष्यता सम्बन्ध से ईश्वर प्रयत्न में कारणता सिद्ध हो सकती है और जब उक्त कारणता सिद्ध हो जाय सभी ईश्वर प्रयत्न से ब्रह्मादि शरीर में उत्पन्न होनेवाली चेष्टा में विलक्षण सिद्ध हो सकता है । अतः अग्नौत्पाद्यमग्निं बोधे के कारण उक्त कार्यकारणभाव की कल्पना नहीं हो सकती ।

(ईश्वरप्रवृत्ति में दृष्टविरोध की आपत्तियाँ)

सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न कतिपय शरीरों में ईश्वरावेश द्वारा सत्तत् सम्प्रदायों का प्रवर्तन मानने में दृष्टविरोध का उल्लेख अभी किया जा चुका है । वह आपत्ति इस बात से और स्पष्ट हो जाती है कि ईश्वर ऐसे भी शरीर का निर्माण करता है जो अपने अधिष्ठाता में-अपने को सचेष्ट बनानेवाले पुरुष में भोग नहीं उत्पन्न करता है । ऐसे शरीर की रचना उस के एकमात्र ऐश्वर्य का ही सूचन करती है क्योंकि ऐसा कार्य जो लोकदृष्ट कार्यों से सर्वथा विचित्र हो निरंकुश ईश्वर के बिना

“हेत्वभावे कलाभावात् प्रमाणोऽसति न प्रमा ।

तदभावात् प्रवृत्तिर्नो कर्मवादेऽप्ययं विधिः ॥१॥ (न्या. कु. ३-१८)

इति, कर्मणः कर्वादिसापेक्षत्वेनैव जगद्धेतुत्वात्” । समर्थितं च-

“धर्माऽधर्मो विना नाहम् विनाऽहमेन मुखं कुतः ?

मुखाद् विना न वक्तृत्वं तच्छास्त्रारः परे कथम् ? ॥” (वी.स्तोत्र ७-१) इति ।

शरीरस्य स्योपात्तनामकर्महेतुत्वात्, तद्वैशिष्ट्येण नर्तव्यत्वात्, अन्यथाऽहो-
पाह्वगर्वादिप्रतिनिधमानुषपक्षेति, अन्यत्र विस्तरः । तस्माद् मायाविवत् समयप्रादुर्भावम्,

यहाँ ही सकता और जब लोकदृष्ट के विपरीत भी करके (हो) (हो) वह अपने (द्वारा) (हो) (हो) ही (हो) ही सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को सम्पन्न कर सकता है । अतः उस के द्वारा वेद आदि की रचना का निरर्थक होना निश्चित है ।

इसी से उस कथन की भी विस्तारता समझ लेनी चाहिए जो उद्यमप्राचार्य की कुसुमाञ्जलि में-हेत्वभावे कलाभावात् इस कारिका से कहा गया है । कहने का तात्पर्य यह है कि उस कारिका में जो यह बात कही गई है कि-“कारण के अभाव में कार्य नहीं होता है” यह सामान्य नियम है, प्रमाण प्रमा का कारण होता है, अतः उस के अभाव में प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और प्रमा के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । अतः एकलोकप्रवृत्ति के लिए प्रमा को उपस्थापित करने के हेतु वेद आदि प्रमाण की रचना आवश्यक है । यह प्रक्रिया कर्मभाव में भी आवश्यक है क्योंकि कर्म भी स्वयं प्रकृति किसी कार्य को उत्पन्न न करके लोकसिद्ध कारणों द्वारा ही उत्पन्न करता है अतः एक उसे भी कार्य के लोकसिद्ध कारण का संपादन करना पड़ता है । क्योंकि कर्म भी कर्ता आदि की अपेक्षा से ही जगत् का हेतु होता है । कारिका का यह कथन उक्तव्यक्ति से निस्सार हो जाता है, क्योंकि ईश्वर को जगत् कर्ता मानने पर उसे अपने अधिष्ठाता में भाग न उत्पन्न करने वाले शरीर का निर्माता मानना पड़ता है-जो दृष्टविरुद्ध है अतः उसी के समान दृष्टविरुद्ध अन्य कार्यों के सम्पन्न होने से वेद आदि की रचना का वैयर्थ्य प्रसक्त होता है । कर्मवाद में उत्तरीति से लोकदृष्टि से विरुद्ध कोई कल्पना नहीं करनी पड़ती है । वीतरागस्तोत्र के श्लोक से इस बात का समर्थन यह कह कर भी किया गया है कि-धर्म और अधर्म के बिना शरीर नहीं उत्पन्न हो सकता, शरीर के बिना मुख नहीं हो सकता, तथा मुख के बिना वक्तृत्व नहीं हो सकता । इसलिये अन्य लोग जो दृष्टविपरीत कल्पना करने के व्यसनी नहीं होते वे उसे ईश्वर के अस्तित्व के उपवेष्टा कैसे हो सकते हैं जो बिना मुख के ही महान् वेदराशि का उच्चारण कर डालता है ? अतः यह वस्तुस्थिति धृष्टिमान मनुष्यों को मार्ग्य होनी चाहिये कि जीव को शरीर की प्राप्ति पूर्वोपाजित शरीरलामकर्म के उदय से ही होती है और उस के वैशिष्ट्य से शरीर में वैशिष्ट्य होता है । अन्यथा एकजातीय ही शरीर में अङ्गोपाङ्ग-वर्णादिपरिवार की नियत व्यवस्था नहीं हो सकती । इस विषय का विस्तृत विचार ग्रन्थान्तर में दृष्टव्य है ।

उपयुक्त विचार का निष्कर्ष यह है कि ईश्वर को मायावी के समान समय अर्थात् शब्दार्थ सम्बन्ध स्वरूप संकेत का प्राहक बनाना एवं घटपटावि की निर्माणपरम्पराकय संप्रदाय का प्रवक्त कहना भी एक प्रकार की मायाविता ही है । अर्थात् कोई मायावी विद्यामर हो ऐसे ईश्वर की शब्दार्थ-

घटादिसंप्रदायप्रवर्तकत्वं च पराभिमतेष्वरस्य मायायितामेव विद्याधरविशेषस्य व्यञ्जयति ।
पितुरिव पुत्रादेर्गुणादीं युगादीशस्य जगतः शिक्षया तु तथात्वं युक्तमनु, स्वभावत एव
तीर्थकृतां परोपकारित्वात् । अत एव 'कुलालेभ्यो नमः' इत्याद्या श्रुतिः संगच्छत इति युक्तं
पर्याप्तम् । अनुमानेऽपि सिद्धसाधनं बोध्यम् ।

प्रत्ययादिना तु वेदप्रामाण्यवादिनामाप्त-तद्वक्तृसिद्धावपि नेश्वरसिद्धिः, इति किमिह
सदुपन्यासेन ? एतेन कार्यदिपदानामर्थान्तरमापि प्रयासमात्रम् । 'जन्यतत्प्रमासामान्ये तत्प्र-
म त्वेन गुणतया हेतुत्वात्, आद्यप्रमाजनकप्रमाश्रयतवेश्वरसिद्धिः' इति तु मूढानां वचः, घट-
त्वादिसमृद्धाविविशेष्यतया तत्र घटत्वादिविषयत्वेनैव हेतुतया, संस्कारेणैव घटत्वादिसमृद्धहेतु-
नयैव वा तथापि निर्वाहान्, अस्माकं तु सम्यग्दर्शनेनैव गुणत्वात् ।

सम्भवः का। प्राहुः और घटादि पदार्थ के व्यवहार का प्रवर्तक कह सकता है जो कारखानेसमूहकणं आदि
से विहीन और अशरीरी होने से वस्तुतः कुछ भी करने में असमर्थ है । हाँ, यह युक्तिसङ्गत प्रवच्य हो
सकता है कि जैसे पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है उसी प्रकार युगादि में प्रारम्भिक युग का ईश
प्रवर्तकत्वंकर जगत को शिक्षा देकर तत्तत् सम्प्रदाय का प्रवर्तक बनता है क्योंकि तीर्थक ही युग बीत
होते हैं और वह स्वभाव से ही सर्व जीवों का हितेषु होने से उन्हें उपदेश देते हैं । इसी प्रकार
तार्थकर भी युगादि में बिना किसी निजी प्रयोजन के केवल स्वभाववश प्रजा को उपदेश देते हैं । इस
प्रकार 'नमः कुलालेभ्यः' आदि श्रुतियाँ भी सङ्गत हो सकती हैं । और इसी कारण तत्सत्संप्रदाय के
स्थतंत्र प्रवर्तक के अनुमान में सिद्धसाधन बोध भी हो सकता है क्योंकि प्रत्येक युगादि में उस युगका
आदि तीर्थकर तत्सत्संप्रदाय के प्रवर्तक रूप से सिद्ध है ।

[प्रत्ययादि प्रमाणों की निरर्थकता]

प्रत्यय=प्रमा, श्रुति=वेद और वाक्य द्वारा भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि जो वेद को
प्रमाण मानते हैं उन के मत में प्रमा=वेद और वाक्य से होने वाले अनुमानों से वेदार्थ के प्रमाता वेद-
कर्ता की सिद्धि हो सकती है किन्तु 'यह ईश्वर है' यह बात उन अनुमानों से नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि
ईश्वर की सर्वकर्ता माना जाता है । और वे अनुमान जिस पुरुष को सिद्ध करते हैं उस की सर्वज्ञता
और सर्वकर्तृता की सिद्ध करने में उपासीन है । इसीलिये कार्य आयोजनादि पदों का प्रत्यय अर्थ कर
के जिन प्रत्येक अनुमानों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है उन अनुमानों से भी सर्वज्ञ सर्वकर्ता
ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वे अनुमान भी जिस पुरुष का साधन कर पाते हैं उसे वेद
वेदार्थविषयकतात्पर्य का धारक, योगादि का अनुष्ठानता, प्रणवादि पदों का बोध्य, वेदस्थ ग्रह पद का
स्वतंत्र उल्लेखकर्ता, आदि हो सिद्ध कर पाते हैं किन्तु उस की सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता प्रमाणित
करने में वे सर्वथा असमर्थ रहते हैं । इसलिये कार्य आयोजना इत्यादि पदों के प्रवर्तक प्रत्यय अर्थों की
कल्पना कर के अनुमान करने का प्रयास ही ईश्वर सिद्धि की दृष्टि से निरर्थक कष्टमात्र ही है ।

कुछ लोग ईश्वर को सिद्ध करने के लिये इस प्रकार के अनुमान का प्रयोग करते हैं कि 'विशेष्य-
तासम्बन्ध से अर्थ तत्प्रकारकप्रमासामान्य में विशेष्यता सम्बन्ध से तत्प्रकारक प्रमा गुणविधया कारण

है। 'गुणविधया कारण' का सार्थक यह है कि 'गुण' इस प्रशंसा सूचक वाक्य से व्यक्तित्व होनेवाला कारण। प्रमा अपने विषय का अव्यभिचारि ज्ञान होता है। उस से मनुष्य को बोधा नहीं होता। इसलिये उस के कारण को प्रशंसा बोधक गुण वाक्य से व्यक्तित्व किया जाता है। इस कार्यकारण भाव का अन्विष्टा यह है कि प्रमा उसी विषय की होती है जिस विषय की प्रमा कभी पहले हुई रहती है। और जो विषय पहले कभी नहीं प्रमित रहता उस की प्रमा नहीं होती। इसलिये असत् पदार्थ की प्रमा कभी नहीं हो सकती क्योंकि उस की प्रमा पहले कभी हुई रहती नहीं है। इस कार्यकारण भाव से ईश्वर की सिद्धि इस अनुमान से होती है कि 'सृष्टि के आरम्भ में होनेवाली पहली जन्यप्रमा अपने समान विषयक प्रमा से अन्य है क्योंकि वह प्रमा है। जो भी प्रमा होती है वह समानविषयक प्रमा से अन्य होती है जैसे बाद में होनेवाली घटत्वादि की प्रमा पूर्व में होने वाली घटत्वादि प्रमा से उत्पन्न होती है'। इस अनुमान से आद्यप्रमा की जनक कोई ऐसी प्रमा माननी होगी जिस को समानविषयक अन्य-प्रमा की आवश्यकता न हो और वह तब ही हो सकता है जब वह प्रमा नित्य हो। इस प्रकार की प्रमा सिद्ध हो जाने पर उस के आधायक्य में ईश्वर की सिद्धि अनिवार्य हो जाती है।

व्याख्याकार श्री श्रीशिवज्योति महाराज ईश्वर सिद्धि के सम्बन्ध में इस कथन को मूढकथन सूचित करते हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि में 'जन्य तत्प्रकारक प्रमा सामान्य में तत्प्रकारक प्रमा कारण है' यह कार्यकारणभाव ही अनावश्यक है। उन का कहना है कि घटभिन्न में घटत्व प्रकारक प्रमा की आपत्ति का कारण करने के लिये नैयायिक को घटवृत्तिविशेषता सम्बन्ध से घटत्वप्रकारकप्रमा के प्रति घटत्व को ही समवाय सम्बन्ध से कारण मान लेना चाहिये। अथवा घटत्वप्रकारक प्रमा को ही संस्कार द्वारा कारण मान लेना चाहिये किवा घटत्वसमवाय को स्वकथ सम्बन्ध से कारण मान लेना चाहिये। प्रथम और तृतीय पक्ष में प्रमा की उत्पत्ति में प्रमा की अपेक्षा ही नहीं होती। अतः आद्य प्रमा के लिये ईश्वरीय प्रमा की सिद्धि नहीं हो सकती। और द्वितीय पक्ष में प्रमा की उत्पत्ति में प्रमा की अपेक्षा होने पर भी उस के स्वयं रहने की अपेक्षा नहीं होती किन्तु उस से उत्पत्ति संस्कार की अपेक्षा होती है। अतः उस पक्ष में भी आद्य प्रमा के लिये ईश्वरीय प्रमा की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पूर्वसर्ग की प्रमा से उत्पत्ति संस्कार द्वारा हो सकती है। यद्यपि यह द्वितीयपक्षीय कार्य-कारणभाव उचित नहीं नहीं हो सकता क्योंकि उस पक्ष में संस्कारजन्य होने से प्रमा मात्र में स्मृतत्व की आपत्ति होगी प्रथम पक्ष में घटत्व को कारण मानने पर घटत्वत्वको कारणतादृष्टि से मानना पड़ेगा और घटत्वत्व घटत्वरासमवेतत्वे सति सकल घटसमवेतत्वक्य है अतः घटत्व को कारण मानने में गौरव होगा। अतः एक प्रथम कार्यकारणभाव भी उचित नहीं हो सकता। किन्तु तृतीय पक्ष ही उचित हो सकता है क्योंकि घटत्व समवाय को कारण मानने पर समवायत्व और घटत्व दो धर्म कारणता के अवच्छेदक होंगे। उन में समवायत्व अलक्ष्य उपाधि है और घटत्व समवायसम्बन्ध से अनुत्तिष्ठमान होने के कारण स्वकथतः कारणतावच्छेदक होगा। इसलिये घटत्व समवाय को कारण मानने में गौरव नहीं होगा। इस प्रकार इस कार्यकारण भाव से ही घटभिन्न में घटत्व प्रकारक प्रमा की आपत्ति का कारण हो जायगा। अतः तत्प्रकारक जन्यप्रमा सामान्य में तत्प्रकारक प्रमा को कारण मानने की आवश्यकता नहीं है श्रीशिवज्योति महाराज ने इस प्रसङ्ग में यह भी कहा है कि आहृतों के मत में तो उक्त प्रकार के कार्यकारण भावों की कल्पना के प्रपञ्च में पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि उस मत में सन्ध्य वर्ण हो प्रमा का गुणविधया कारण होता है। घटभिन्न में घट-

संख्याविशेषादपि नेश्वरसिद्धिः, तथापि लौकिकापेक्षाबुद्धेरेव तद्वेतुन्यात् । ममाप्यपेक्षा-
बुद्धेरेव तथाव्यवहारनिमित्तत्वात् तज्जन्यातिरिक्तसंख्याऽसिद्धेः । परिमाणेऽपि संघातभेदादि-
कृतद्रव्यपरिणामविशेषरूपे संख्याया अहेतुन्यात्त्व । द्वि-कपालात् त्रि-कपालघटपरिमाणोत्कर्षस्य
दलीत्कर्षादिवोपपत्तेरिति । तत्त्वमश्रुत्यमार्हतवार्तायां विवेचाप्यप्यते ।

तस्माद् नेश्वरसिद्धौ किमपि सार्थीयः प्रमाणम्, नवा नदभ्युपगमेनापि तस्य सर्ववृत्तम्,
उपादानपात्रज्ञानमिद्वान्व्यतिग्नितज्ञानाऽसिद्धेः, कारणभावात्, मानाभावाच्चेति दिम् ॥९॥

तत्प्रकारक सम्बन्ध दर्शन नहीं होता, अतः घटभिक्ष में घटत्वप्रकारक प्रमा की आपत्ति नहीं हो सकती ।
सम्बन्धदर्शन और सम्बन्धज्ञान में भेद होने से प्रमा के प्रति सम्बन्धान की कारणता का पर्यवसान
तत्प्रकारक प्रमा के प्रति तत्प्रकारक प्रमा की कारणता में नहीं हो सकता ।

[अपेक्षाबुद्धि से द्वित्वादि व्यवहार की उपपत्ति]

संख्याविशेष से भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि न्यायमत में भी लौकिक अपेक्षाबुद्धि
में ही द्वित्वादि संख्या की कारणता सिद्ध है । ईश्वर की लौकिक अपेक्षाबुद्धि नहीं होती, क्योंकि
ईश्वर की बुद्धि नित्य मानी जाती है । और लौकिकबुद्धि वही कहलाती है जो इन्द्रिय के लौकिक
संनिकर्ष से उत्पन्न हो । अतः यह कहना कि-‘द्रव्यणुक में परिमाण की उत्पत्ति परमाणु में एकत्व की
ईश्वरीय अपेक्षाबुद्धि से होती है’ यह उचित नहीं हो सकता । आर्हत मत में तो अपेक्षाबुद्धि से
द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति साम्य ही नहीं है । क्योंकि उस मत में अपेक्षाबुद्धि से ही द्वित्वादि के
व्यवहार की उपपत्ति कर ली जाती है । तात्पर्य यह है कि न्यायमत में जिस अपेक्षाबुद्धि की द्वित्वादि-
संख्या का जनक माना जाता है, आर्हत मत में वह अपेक्षाबुद्धि ही द्वित्वादि के व्यवहार में कारण
होती है । तात्पर्य, द्वित्वादि व्यवहार की ही द्वित्वके स्थान में अग्निविषल करविद्या जाता है । उसी से
द्वित्व का व्यवहार हो जाता है । अतः उस से अतिरिक्त द्वित्व संख्या की उत्पत्ति मानकर उसके
द्वारा द्वित्वव्यवहार के उपादान का प्रयास अनावश्यक है । अतः आर्हतमत में द्वित्वादिनाम की कोई
संख्या न होने से जन के प्रति द्वित्व संख्या द्वारा ईश्वरानुमान का प्रयोग संभव ही नहीं हो सकता,
क्योंकि वह प्रयोग साध्यासिद्धि से अस्त हो जायगा । आर्हत मत में परिमाण के उत्पादनार्थ भी
द्वित्वादि संख्या की कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि आर्हत मत में द्रव्य का परिमाण सङ्गत-भेद से
नित्यप्र होता है । उस में संख्या की अपेक्षा नहीं होती । द्विकपालक घट के परिमाण की अपेक्षा
त्रिकपालक घट के परिमाण में जो उत्कर्ष होता है वह भी कपाल के संख्याधिक्य से नहीं होता बल्कि
द्विकपालकसङ्घात से त्रिकपालकसङ्घात के उत्कर्ष से होता है । व्याख्याकार का कहना है कि
इस विषय का तात्त्विक विवेचन आर्हत वार्ता के प्रसंग में किया जायगा । इन समस्त विचारों का
निकर्ष यही है कि ईश्वर की सिद्धि में कोई उचित प्रमाण नहीं है और यदि पूर्वप्रदर्शित प्रमाणों के
आधार पर ईश्वर की स्वीकार कर लिया जाय तो भी उन प्रमाणों से उनकी सर्वज्ञता नहीं सिद्ध हो
सकती, अंसे कि पूर्वोक्त अनुमानों में प्रथम अनुमान से ईश्वर जगत् का कर्ता सिद्ध किया जाता है,
और कर्ता के लिये उपादान कारणों के ज्ञानमात्र की आवश्यकता होती है । अतः उक्तानुमान से

‘संतुष्य नैयायिकमुल्य ! तस्मादस्माकमेवाऽऽश्रय पक्षमश्रयम् ।

तवोच्चकैरीश्वरकर्तृताया मनोरथं संश्रुतिं पूरयामः ॥१॥

नयैः परानप्यनुकूलवृत्तौ प्रवर्तयत्येष जिने विनोदे ।

उक्तानुवादेन पिता द्वितात् किं बालस्य नाऽऽलस्यमपाकरोति ? ॥२॥’

तद्विदमाह—

तत्तद्वेदवदकर्तृत्ववादीऽयं युज्यते परम् ।

सम्यग्ग्यायाऽविरोधेन यथाहुः शुद्धबुद्धयः ॥१०॥

ततश्च पातञ्जल-नैयायिकमतनिरासाच्च, अर्थ=तथाविधलोकप्रसिद्धः - ईश्वरकर्तृत्व-
वादः, परम्-उक्तविपरीतरीत्या, सम्यग्ग्यायाऽविरोधेन=प्रतिनर्काप्रतिहततर्कानुसारेण युज्यते,

यथा शुद्धबुद्धयः=सिद्धान्तोपबृंहितमतयः परमर्षय आहुः ॥१०॥

तद्वचनमेवाऽनुवदति—

जगत् के उपादान कारणों का ही ज्ञान सिद्ध हो सकता है, उपादानसे भिन्न पदार्थों का ज्ञान नहीं सिद्ध हो सकता है । क्योंकि न उस के लिये कोई कारण है, न उस के लिये कोई प्रमाण ही है ॥३॥

व्याख्याकार श्री यशोविजयजी महाराज ने व्याघ्रदर्शन की पद्धति से ईश्वर के कर्तृत्व का पूर्णतया निराकरण कर देने के साथ नैयायिक सर्वथा हताश न हो इस लिए बड़े सुन्दर ढंग से नैयायिक को यह कहते हुए आश्वासन दिया है कि नैयायिक को उक्त रीति से ईश्वर के कर्तृत्व का खण्डन कर देने पर भी दुःखी होने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि उस की संतुष्टि का श्रोवण अब भी बना हुआ है । उसे केवल इतना ही करने की आवश्यकता है कि वह ईश्वर के कर्तृत्व को सिद्ध करने की अपनी पद्धति का मोह छोड़कर हम आर्हतों की श्रेष्ठ पद्धति को स्वीकार कर ले । क्योंकि अपनी आर्हत पद्धति से हम ईश्वर को कर्ता सिद्ध करके उस के महान मनोरथ की पूर्ति कर सकते हैं । आर्हतों का यह मत है कि जगदान जिनेश्वर वेब नयों के माध्यम से अन्य भूतों को भी अनुकूल=संगत अर्थ में प्रवाहित करके प्रतिवादी को संतुष्ट करते हैं । और यह उन के लिये उमो प्रकार स्वाभाविक है जैसे पिता बालक का हित करने की बुद्धि से उक्त का अनुवाय अर्थात् पुनः पुनः प्रेरक वचन का प्रयोग कर के उसके प्रभाव को दूर करता है ।

(ईश्वरकर्तृत्ववाद का कथंचित् शीघ्रित्व)

४ से १४ कारिका में प्रतिवादी की शैलीका निराकरण करके अब वसन्ती कारिका में जैन दर्शन की शैली से ईश्वर कर्तृत्व का समर्थन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

पातञ्जल और नैयायिक को अभिप्रेत रीति से ईश्वर की कर्तृता का खंडन हो जाने पर अगर नैयायिकादि लोकों में प्रसिद्ध ईश्वर कर्तृत्व का समर्थन करना है तब पातञ्जल-नैयायिक ने जो प्रणाली अपनायी थी उससे विपरीत जैन प्रणाली के अनुसार विपरीत तर्क से बाधित न होवे ऐसी युक्तियों से उसको संगति कर सकते हैं—जैसा कि शुद्ध यानी सिद्धांत से परिकल्पित बुद्धि वाले परम ऋषियों ने कहा है—

मूलम्-ईश्वरः परमात्मैव तदुक्तव्रतसेवनात् ।

यतो मुक्तिस्ततस्तस्याः कर्ता स्याद् गुणभावतः ॥१॥

ईश्वरः परमात्मैव=कायादेर्बहिरात्मनो ध्यातृभिरुत्वेन ज्ञेयादन्तरात्मनश्च तदधिष्ठाप-
कस्य ध्यातृध्वयैकस्वभावत्वेन भिक्षोऽनन्तज्ञान-दर्शनसंपदुपेतो बीतराग एव । अन्ये तु
‘मिथ्यादर्शनादिभावपरिणतो बाह्यात्मा, सम्बन्धदर्शनादिपरिणतस्त्वनन्तरात्मा, केवलज्ञानादिप-
रिणतस्तु परमात्मा । तत्र व्यक्त्या बाह्यात्मा, शक्त्या परमात्मा अन्तरात्मा च, व्यक्त्याऽन्त-
रात्मा तु शक्त्या परमात्मा, भूतपूर्वनयेन च बाह्यात्मा, व्यक्त्या परमात्मा तु भूतपूर्वनयेनैव
बाह्यात्मा अन्तरात्मा च’ इत्याहुः । तदुक्तव्रतसेवनात्-परमाप्तप्रणीतागमविहितसंयम-
पालनात्, यतो मुक्तिः कर्मक्षयरूपा, भवति, ततस्तस्या गुणभावतः=राजादिवदप्रसादा-
भावेऽप्यचिन्त्यचिन्तामणियद् यस्तुस्वभाववलात् फलशोपासनाकत्वेनोपचारात्, कर्ता स्यात् ।

(श्रीजापालन द्वारा ईश्वरकर्तृत्व)

११ वीं कारिका में जैन ऋषियों के उन वचन का ही अनुवाद है जिन का संकेत पूर्वकारिका
में किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-

परमात्मा ही ईश्वर है । परमात्मा का अर्थ है वह बीतराग पुरुष जो अनन्तज्ञान और अनन्त
वर्णन से सम्पन्न होता है, और जो कायादि के अधिष्ठायाक ध्याता अन्तरात्मा के लिये स्वीमन्न
रूप से ज्ञेयस्वरूप बहिरात्मा से मिश्र होता है और ध्याता अन्तरात्मा के लिये एकमात्र ज्ञेय-
स्वरूप होने से सिद्ध होता है । आशय यह है कि आत्मा के ही तीन स्वरूप समझा जा सकता है
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । बहिरात्मा का अर्थ है कायादि में ही आत्मबुद्धि रखनेवाली
व्यक्ति । अन्तरात्मा उसे कहा जाता है जो अपने को कायादि से मिश्र और कायादि का अधिष्ठाता
समझता है, किन्तु वह रागादि से ग्रस्त होता है । परमात्मा उन दोनों से मिश्र और बीतराग होता
है । यह बीतराग परमात्मा ही ईश्वर है । कुछ अन्य आचार्यों ने इन तीनों आत्माओं का परिचय
देते हुए यह कहा है कि बहिरात्मा वह है जो मिथ्यादर्शनादि भावों में परिणत हो । और अन्तरात्मा
उसे कहा जाता है जो सम्बन्धदर्शनादि भावों में परिणत हो । और परमात्मा उसे कहा जाता है जो
केवलज्ञानादि से सम्पन्न हो ।

इन तीनों में ऐकान्तिक भेद नहीं है । जो व्यक्तिरूप में बाह्यात्मा होता है वह भी इवित=परमेश्वर
रूप में अन्तरात्मा और परमात्मा भी होता है । और जो व्यक्तिरूप में अन्तरात्मा होता है वह
शक्तिरूप में परमात्मा और भूतपूर्वदृष्टि से बाह्यात्मा होता है । एवं जो व्यक्तिरूप में परमात्मा होता
है वह भूतपूर्वदृष्टि से बाह्यात्मा और अन्तरात्मा भी होता है ।

परमात्मा द्वारा उपविष्ट आश्रयों में जिस संयमधर्म का वर्णन है उस के पालन से मुक्ति होती है,
मुक्ति का अर्थ है सनन्न कर्मों का अन्त । इस मुक्ति का आदिमूल परमात्मा का उपवेश ही होता है
इसलिए ही परमात्मा को उपचार से उन का कर्ता कहा जाता है । आशय यह है कि राजा आदि का

अत एव भगवन्तमुद्दिश्याऽऽरोग्यादिप्रार्थना । सार्थकाऽनर्थकचिन्तायां तु भाज्यमेतत्,
चतुर्थभाषारूपत्वात्, इति ग्रन्थकृतैव ललितविस्तरस्यामुक्तम् । अप्रार्थनीये कर्तारि प्रार्थनाया
विधिपालनबलेन शुभाध्यवसायमाप्रकलत्वादिति निर्गर्वः ॥११॥

अस्त्वेवं मुक्षितकर्तृत्वम्, भवकर्तृत्वं तु कथं ? अत आह—

मूलम्—तदनासेचनादेव यत्संसारोऽपि तत्त्वतः ।

तेन तस्यापि कर्तृत्वं कल्प्यमानं न कुर्यात् ॥१२॥

तदनासेचनात्=तदुक्तप्रताऽपालनादेव, यत्=यस्मात्, तत्त्वतः=परमार्थतः,
संसारोऽपि नीयस्य भवति, अक्षयिमुलत्वात् तस्येति भावः, तेन हेतुना, तस्यापि कर्तृत्वं
कल्प्यमानम्=स्वहेतुक्रियाविरुद्धविधिविधितोपासनाकत्वपरेण कर्तृत्वपदेन बोध्यमानम्

जैसे प्रसाद होता है तो प्रसाद से नियमबद्ध रोष-अप्रसाद भी होता है जिस से वह श्रमों के अनुग्रह
और निग्रह का कर्ता होता है, ऐसा रोष अप्रसाद परमात्मा में नहीं होता । तथापि जैसे चिन्तामणि
में रोष और प्रसाद न होने पर भी स्वभाव से ही उससे मनुष्य के वांछित की सिद्धि होती है
उसी प्रकार परमेश्वर की उपासना परमेश्वर वस्तु के सहज स्वभाववश मनुष्य के लिये फलप्रब होत
है । इसलिए जैसे चिन्तामणी के सम्पर्क से वांछित की प्राप्ति होने से चिन्तामणी वांछित का दाता
कहा जाता है उसी प्रकार परमात्मा की उपासना से विभिन्न फलों की प्राप्ति से वह विभिन्न फलों का
दाता या कर्ता कहा जाता है । और इसलिये भगवान से आरोग्यादि की प्रार्थना भी की जाती है ।
यह प्रार्थना सार्थक होती है या निरर्थक होती है इस प्रश्न का उत्तर भजना-अपेक्षामेव से दिया जा
सकता है जो चतुर्थ भाषा के रूप में प्रस्तुत होता है । कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह समझा
जाय कि प्रार्थना से परमात्मा प्रसन्न होकर आरोग्यादि की प्रदान करते हैं तो इस दृष्टि से
प्रार्थना निरर्थक है । क्योंकि प्रार्थना से बीतराग परमात्मा के प्रसन्न होने की कल्पना असङ्गत
है । और यदि इस दृष्टि से विचार किया जाय कि परमात्मा की प्रार्थना में ऐसी स्वामायिक शक्ति है
जिस से आरोग्यादि की प्राप्ति होती है तो इस दृष्टि से प्रार्थना सार्थक है । इसलिये भगवान से
आरोग्यादि की प्रार्थना सार्थक है या निरर्थक है इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है
कि प्रार्थना 'स्यात् सार्थिका, स्यात् अनर्थिका' । इस विषय की मूल ग्रन्थकार हरिसन्नसूरिजीने 'ललित
विस्तरा' में स्पष्ट किया है । निष्कर्ष यह है कि कर्ता प्रार्थनीय न होने पर भी उसकी प्रार्थना का
शास्त्र में विधान होने से उस का पालन आवश्यक होता है और उस पालन से शुभ अध्यवसाय की
उपलब्धि होती है । इस रीति से शुभाध्यवसाय की उत्पादिका प्रार्थना का विषय होने के कारण
परमात्मा को कर्ता कहा जाता है ॥१२॥

भाषा ४ प्रकार की होती है-१ सत्यभाषा, २ असत्यभाषा, ३ सत्यासत्य मिश्रभाषा ४ अ-सत्या
सत्य (व्यवहार)भाषा । इन में से बीतराग के अधि प्रार्थना, यह व्यवहार भाषा की चतुर्थ भाषा स्वरूप
है-न सत्य न असत्य, किन्तु लाभप्रद प्रशस्ति व्यवहार ।

न दुष्यति, “अद्भुतगुणैः करिष्यते” इत्यादिवच्च यथाकथञ्चिदुपचारेण व्यवहृत्तनिर्वाहदिति भावः ॥१२॥

नन्वोदृष्टकल्पनायां को गुणः ? इत्यत्राह—

मूलम्—कर्तायमिति तद्वाक्ये यतः केषाञ्चित्वावरः ।

अतस्तद्वानुगुण्येन तस्य कर्तृत्ववैशना ॥१३॥

‘अयम् ईश्वरः कर्ता’ इति हेतोः तद्वाक्ये—ईश्वरवाक्ये सिद्धान्ते । ‘अयं कर्ता’ इति तद्वाक्ये प्रसिद्धवाक्ये वा, यतः केषाञ्चित्=तथाविधभद्रकविनेयानाम्, आवरः—स्वरसवादिश्रद्धा-नात्मा भवति, अतस्तद्वानुगुण्येन=तथाविधविनेयभद्राभिप्रेक्ष्ये, तस्य=परमात्मनः कर्तृत्ववै-शना=कर्तृत्वोपदेशः । श्रेयसायाभिप्रेक्ष्यर्थो हि शुरोरुपदेशः, सा च कल्पितोदाहरणेनापि निर्वीक्षते, किं पुनरुपचारेण ? इति भावः ॥१३॥

[आत्माविलोपन द्वारा भवकर्तृता]

पूर्व कारिका में ईश्वर को भुक्ति कर्ता बताया गया है । और प्रस्तुत १२ वीं कारिका में वह जगत् का कर्ता कैसे होता है इस बात का प्रतिपादन किया गया है । कारिका का अर्थ इसप्रकार है—

परमेश्वर द्वारा उपनिष्ट सत्तों का सेवन न करने से ही जीव को वास्तविक में संसार की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार का मूल अविरति है । और उस का प्रतियोगीविधया प्रयोजक है विरति अ. वि. । यतः उक्तरीत्या संसार के प्रयोजक का उपदेष्टा होने से यदि ईश्वर में संसार के कर्तृत्व की कल्पना की जाय तो कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का यह कर्तृत्व संसारजनककृतिरूप वास्तविक कर्तृत्व नहीं है, अपितु औपचारिक कर्तृत्व है । यतः ‘ईश्वर संसार का कर्ता है’ इस का अर्थ है कि ईश्वर ऐसे सत्तों का उपदेष्टा है जिस का सेवन न करने से संसार बनता है । ईश्वर में संसारकर्तृत्व का यह औपचारिक व्यवहार उसी प्रकार उपपन्न किया जा सकता है जिसप्रकार ‘अद्भुतगुणैः करि-शतम्=अद्भुत गुण के अप्रमाण में सी हाथी खड़े हैं’ यह व्यवहार अद्भुतगुणों के अप्रमाण से सी हाथी की गिनती होने के आधार पर उपपन्न किया जाता है ॥१२॥

(ईश्वर भक्ति में धृष्टि के लिये कर्तृत्व का उपदेश)

१३ वीं कारिका में इस जिज्ञासा का समाधान किया गया है कि ईश्वर में संसार के औप-चारिक कर्तृत्व की कल्पना का क्या प्रयोजन है ? कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

कतिपय सद्गोत्र शिष्यों को ईश्वर के वचन में इसलिये आवर होता है कि वे ‘ईश्वर कर्ता है’ इस विश्वास से बद्ध होते हैं अथवा ईश्वर कर्ता है’ इस प्रसिद्ध सांकोचित में उन की अज्ञा होती है । यतः ऐसे शिष्यों को ईश्वर के प्रति अज्ञा की अभिवृद्धि के अभिप्राय से परमात्मनः के कर्तृत्व का प्रतिपादन आवश्यक होता है । आशय यह है कि जीता के भाव का संबंध ही गुण के उपदेश का फल

साक्षादपि कर्तृत्वं समर्थयति—

मूलम्—परमैश्वर्ययुक्तत्वान्मत आत्मैव तैश्वरः ।

स च कर्तेति निर्वाणः कर्तृत्वाद्वा न्यवस्थितः ॥१४॥

परमैश्वर्ययुक्तत्वात्= निश्चयतो घनाऽऽवृत्तस्यापि रवेः प्रकाशस्वभावत्ववत् कर्मा-
ऽऽवृत्तस्याऽऽप्तात्मनः शुद्ध-शुद्धैकस्वभावत्वेनोत्कृष्टकेवलज्ञानाद्यतिशयज्ञालित्वात्, आत्मैव=जीव
एव वा, ईश्वरो मतः=ईश्वरपदेन संकेतितः । स च=जीवश्च कर्मा-साक्षात्कर्ता इति हेतोः,
निर्वाणः=उपचारेणाऽप्यकलङ्कितः, कर्तृत्वाद्=ईश्वरकर्तृत्वोपदेशः, न्यवस्थितः=प्रमाणसिद्धः ।
अत एव “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखः” इत्यादिका श्रुतिरप्युपपद्यते जीवस्य निश्चयतः सर्वज्ञ-
त्वात्, अन्यथा रागाद्यावरणविलये तदादिर्भावानुपपत्तेः ।

“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेन्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः” ॥

[गीता अ. १५ श्लो. १७] इत्यादिकमप्युपपद्यते, आप्तस्वरूपादनावृत्तस्वरूपस्य भिन्नत्वात्
चैतन्यात्मकमहासामान्येन लोकत्रयावेष्टाद् ब्रह्माकारकोटीकृतत्वेन तद्भरणाच्च, इत्यादिरीत्या
यथाऽऽगमं पराभिप्राय उपपादनीयः ॥१४॥

होता है । और यह कार्य जब कल्पित उदाहरण से भी सम्पन्न करना वास्तवसम्मत है तब इस कार्य
की उपचार द्वारा सम्पन्न करना युक्त हो है इस में क्या संदेह ? ॥१३॥

[आत्मा ही परमात्मा होने से निर्वाण कर्तृत्व]

पूर्व कारिका तक ईश्वर में कर्तृत्व का समर्थन उपचार द्वारा किया गया है किन्तु प्रस्तुत १४ वीं
कारिका में ईश्वर के वास्तव कर्तृत्व का समर्थन किया जाता है ॥ कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

जिस प्रकार सूर्य मेघमण्डल से आच्छन्न होने पर भी निश्चय दृष्टि से स्वभावातः प्रकाशात्मक हो
रहता है उसी प्रकार विविधकर्मों से आवृत भी आत्मा स्वभावातः शुद्धबुद्ध स्वरूप ही रहता है । अत
एव उस समय भी उस में केवलज्ञानादि के अतिशय अधुण रहते हैं । और आत्मा की यह शुद्धबुद्धता
एवं केवलज्ञानादि के अतिशयो की संपन्नता ही जीव का परमैश्वर्य से सम्पन्न होना है और इस निद-
ख्यदृष्टिसम्मत सार्वत्रिक परमैश्वर्य के कारण जीव को ही ईश्वर माना जाता है—एवं जीव निश्चिन्तक
रूप से वास्तविक कर्मा है और जब जीव ही ईश्वर है, तो ईश्वर का वास्तव कर्तृत्व भी निश्चिन्तक
है । अतः ईश्वरकर्तृत्वसाध निर्वाण अर्थात् अनौपचारिक रूप में प्रमाणासिद्ध है । जीव के निश्चय-
बुद्ध्या सर्वज्ञ होने के कारण “विश्वतश्चक्षुः उत विश्वतो मुखः” इत्यादि श्रुति द्वारा उसे सर्वदर्शी और
सर्वोपवेष्टा आदि ज्ञानात् भी उपपन्न हो जाता है । जीव की सांस्कृतिक संपन्नता स्वीकार करना
परमावश्यक है क्योंकि यदि उस में सहज संपन्नता न होगी तो रागादि आवरणों का विलय होने पर
उस का आत्मत्व न हो सकेगा । गीता में परमात्मा को अथ आत्माओं से भिन्न उत्तम पुरुष कहा गया
है और तीनों लोक में आविष्ट होकर उस का शाश्वत धारक कहा गया है । गीता का यह कथन भी
जीवेश्वरत्व पक्ष में निर्वाणरूप से उपपन्न हो सकता है, क्योंकि रागादि से आवृत आत्मस्वरूप से रागादि

यतः—

मूलम्—शास्त्रकारा महात्मानः प्रायो धीमस्पृहा भवे ।

सन्वार्थसंप्रवृत्ताश्च कथं तेऽयुक्तभाषिणः ? ॥१५॥

शास्त्रकाराः प्रायः लोकायतादीन् परलोकाऽभीरून् विहाय, महात्मानः=धर्मा-
मिमृक्षाः भवे=संसारे, धीमस्पृहा=लोकमानख्याति-धनलिप्सादिरहिताः सन्वार्थसंप्रवृ-
त्ताश्च=यथाबोधं परोपकारप्रवृत्ताश्च, अन्यधेदशप्रवृत्त्ययोगतः, ततः कथं तेऽयुक्तभाषिणः=ज्ञात्वा
विरुद्धभाषिणः ? विरोधः मूलु जल-ज्वलनयोरिव परोपकारित्व-विरुद्धभाषित्वयोरिति भावः ॥१५॥

ततः किम् ? इत्याह—

मूलम्—अभिप्रायस्तत्तत्तेषां सम्बन्धं मृग्यो हितैषिणा ।

न्यायशास्त्राऽविरोधेन यथाह मनुरप्ययः ॥१६॥

ततः=विरुद्धभाषित्वात्, तेषां=परोपकारार्थे प्रवृत्तानां शास्त्रकाराणाम्, अभिप्रायः
शब्दसात्पर्यात्मा, सम्बन्धं=न्यायसङ्गतिपरिहारेण, मृग्यः=उन्मेषः, हितैषिणा=शुश्रूषुणा, न्याय-

से अनाद्युत आत्मस्वरूप भिन्न कहकार उसे उत्तम मुख्य और परमात्मा कहना उचित ही है और
सौतःग्रहण महासामान्य के द्वारा लोकत्रय में उस का आवेश और प्राण आकार में लोकत्रय को अङ्क-
स्थित कर उन का भरण संभव होने से आवेश द्वारा उसे लोकत्रय का धारक कहना भी सहीचोन ही
है । इस प्रकार ईश्वर के सम्बन्ध में जो नैयामिक का अभिप्राय है उस का समर्थन और उपपादन
अपने शास्त्र की रीति से जीवेश्वरत्व पक्ष में भी किया जा सकता है । (१४)

[निःस्पृह शास्त्रकार अयुक्तभाषी नहीं होते]

१४ वीं कारिका में उन सभी विद्वानों को विद्वत्सन्तोष बताया गया है जो परलोक के सम्बन्ध
में जीव होने के कारण अनुचित बात कहना नहीं चाहते । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

प्रायः सभी शास्त्रकार जो परलोक के सम्बन्ध में निर्भय रहतेवाले आर्वाकादि की श्रेणी में
नहीं आते—महात्मा होते हैं । उन की सम्पूर्ण प्रवृत्ति धर्ममुखी होती है । संसार में उन्हें मान-ख्याति
धनादि किसी वस्तु की लूहा नहीं होती । वे अपनी मति के अनुसार परोपकार में निरत होते हैं ।
इसीलिये वे निर्दोष कभी की जिम्मा देने के लिये शास्त्रों की रचना करते हैं, अतः वे ज्ञान बुद्धि की ई
विरुद्ध बात नहीं कह सकते कि परोपकार की प्रवृत्ति और ज्ञानबुद्धि की विरुद्ध बात का कथन इन
दोनों में पानी और अग्नि के समान परस्पर विरोध है ॥१५॥

[युक्ति और आगम से शास्त्रकाराभिप्राय का अन्वेषण]

पुर्व कारिका में सभी शास्त्रकारों की प्रशंसा की गयी है । इस प्रशंसा को सुनकर यह जिज्ञासा
हो सकती है कि क्या जैन शास्त्रकारों के समान ही अन्य शास्त्रकारों की बातें स्वीकार्य हैं ?
१६ वीं कारिका में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है—

कारिका का आशय यह है कि जब सभी शास्त्रकार परोपकार में प्रवृत्त होने के कारण अनुचित बात
कहना नहीं पसन्द करते तो यह अवश्यक है कि उनके जो भी शब्द हैं उन के तात्पर्य को इस प्रकार

शास्त्राविरोधेन-युक्त्याऽऽगमबाधा यथा न स्यात् तथा, न तु यथाश्रुतग्रहणमात्रेणाऽऽन्वये मज्जनीयं भवति, अन्यथा 'प्रावाणः प्लवन्ते' इत्यादिश्रुतिश्रवणेन गगनमेवाऽवलोकनीयं स्यात् । अत्र पराऽभियुक्तसंमतिमाह-यथा मनुष्येण अदः-वक्ष्यमाणम् आह ॥१६॥

किम् १. इत्याह-

मूळम्-आर्यं च धर्मशास्त्रं च वेदशास्त्राऽविरोधिना ।

यस्मिन्कणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥१७॥

आर्यं च-वेदादि, धर्मशास्त्रं च पुराणादि । 'आर्यं धर्मोपदेशं च' इति क्वचित् पाठः, तत्राऽप्ययमेवार्थः-आर्यं-मन्वादिवाक्यम्, धर्मजनक उपदेशः धर्मोपदेशः, धर्मस्वेष्वरस्य धर्मोपदेशो धर्मोपदेशस्तु, 'वेदम्' इत्यन्ये । वेदशास्त्राविरोधिना-परस्परं तदुभयाऽविरोधिना तर्केण यः अनुसंधत्ते-तदर्थमनुस्मरति, स धर्मं वेद-जानाति, नेतरः-ऊह्यहितः । तस्मादीधरकर्तृ-

समझने का प्रयत्न किया जाय जिस से मुमुक्षु के मार्ग में कोई कठिनाई न हो और युक्ति तथा शास्त्र का कोई विरोध न हो । ऐसा नहीं होता चाहे कि उनके शास्त्रों से जो भी अर्थ ज्ञापाततः प्रसीत हो उसे ही परमार्थ मानकर उसी में अपने मन की अभिनिविष्ट कर दिया जाय, क्योंकि ऐसा होने पर 'प्रावाणः प्लवन्ते=परस्पर तीरते हैं' ऐसे शब्दार्थों को सुनकर आश्चर्यचकित हो आकाश के प्रति देखने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । इस विषय में आहंतों की ही सम्मति है इतना ही नहीं अपितु अन्य मतान्तरिणियों के सम्मत्य पुरुषों की भी सम्मति है । उदाहरणार्थ मनु के इस आशय का वचन प्रस्तुत किया जा सकता है—

(धर्म तत्त्व के बोध का उपाय तर्कानुसंधान-मनुवचन)

पूर्व कारिका में मनु के जिस वचन का संकेत किया गया है, १७ वीं कारिका उस वचन के अर्थ में ही अवतरित की गई है । कारिका का अर्थ यह है—

जो व्यक्ति श्रृष्टिदृष्ट वेदादि शास्त्रों की और पुराणादि धर्मशास्त्रों की वेद और शास्त्र के अविरोधी शास्त्र से विरुद्ध न पड़ने वाले, तर्क के द्वारा समझता है अर्थात् ऐसे तर्क से वेद और धर्मशास्त्र के अर्थ का निर्वारण करता है जो तर्क वेद और शास्त्रों से विरुद्ध न हो, वही व्यक्ति धर्म के तत्त्व को जान पाता है । और जो तर्क की सहायता नहीं लेता वह धर्म के तत्त्व को नहीं समझ सकता । व्याख्या-कार ने इस कारिका को व्याख्या करते हुये 'आर्यं धर्मोपदेशं च' इस मनुवचन के पाठान्तर का भी उल्लेख किया है और उस का भी वही अर्थ किया है 'जो आर्यं च धर्मशास्त्रं च' इस पाठ से अनिमत है । कुछ अन्य लोगों द्वारा 'आर्यं धर्मोपदेशं च' इस पाठ का दूसरा अर्थ किया गया है उस का उल्लेख व्याख्याकार ने इस प्रकार किया है कि आर्य शब्द का अर्थ है मनुवादि ऋषियों का वाक्य जैसे 'मनुस्मृति' आदि ग्रन्थ, और 'धर्मोपदेश' शास्त्र का अर्थ है वेद, क्योंकि वेदके पाठ धर्म होता है, और वेद से धर्म और ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है ।

शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय करने के लिये शास्त्राविरोधी तर्क के अवलम्बन की आवश्यकता के सम्बन्ध में आहंतों और पराभिमत मनु आदि शिष्टपुरुषों की सम्मति बताकर व्याख्याकार ने

त्वप्रतिपादकपरागमस्याऽप्ययमेवाऽऽशयो युक्तः, इति सम्यग्दृष्टिपरिगृहीतत्वेन तत्प्रमाण्यद्वयपाद-
नीयम् । द्रव्यासत्याभिधानं चेदं ग्रन्थकारस्य तत्प्रमाण्याभ्युपगन्तृश्रोतृपरिबोधार्थम् ।

इत्येवं पटुरीश्वरन्यतिकरः सत्त्वकर्मपर्वभागम्, येषां विस्मृतमातनोति न मनस्ते नाम वामाशयाः ।

अस्माकं तु स एक एव क्षरणं देवाधिदेवः सुखाम्मोर्ध्वं यस्य भवन्ति विन्दव इव स्वः सन्नर्त्ता संपदः ॥१७॥

कारिकाकार का यह आशय बताता है कि ईश्वर में अणुकर्तृत्व का प्रतिपादन करने वाले अन्य
शास्त्रों का भी अभिप्राय शास्त्राऽविरोधी तर्कों से ही लिखित करना उचित है ।

ऐसा करने से सम्यग्दृष्टि से परिगृहीत होने के कारण अन्यशास्त्रों का भी प्रामाण्य सिद्ध हो
सकता है । व्याख्याकार गणोविजयजी का कहना है कि 'तर्क की सहायता से वेद और पुराण भाषि से
औ धर्म का ज्ञान होता है' इस द्रव्याऽसत्य का अभिधान प्राप्यकार ने इस दृष्टि से किया है जिस से वेद
और पुराण को प्रमाण माननेवाले श्रोताओं को भी शुद्ध धर्म ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल सके ।

ईश्वर कर्तृत्व के सम्बन्ध में अब तक के सम्पूर्ण विचारों का उपसंहार करते हुए व्याख्याकार
ने अपना अन्तिम अभिमत प्रकट किया है कि—'समीचीन तर्कों के सम्पर्क से ईश्वर के कर्तृत्व के सम्बन्ध
में जो आर्हत सम्मत प्रभावपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है, उस से जिन मनुष्यों का मन हर्ष और
विस्मय से उत्फुल्ल नहीं होता वे निःसंवेह हृदय की मलिनता से ग्रस्त हैं अर्थात् उनका हृदय पदार्थ
वस्तु को ग्रहण करने के अयोग्य है । हम आर्तुहों के हाथ एकमात्र यही देवाधिदेव आश्रय है—स्वर्गस्थ
देवताओं की सम्पत्ति जिन के सुख समुद्र के आगे बिन्दु के समान है ॥१७॥

[ईश्वरकर्तृत्ववाद समाप्त]



वाचान्तरमाह—

मूलम्—प्रधानोद्भवमन्ये तु मन्यन्ते सर्वमेव हि ।

महदादिक्रमेणोह कार्यजातं विपश्चितः ॥१८॥

अन्ये तु विपश्चितः=सांख्याः इह=सामग्रीविचारे, सर्वमेव हि कार्यजातं महदादिक्रमेण प्रधानोद्भवं मन्यन्ते ।

तथाहि—तेषां पञ्चविंशतिस्तत्त्वानि, तत्राऽकारणं अकार्यं च कूटस्थनित्यचैतन्यरूप आत्मा । प्रकृतिरचैतना, महदाद्युत्पादकाऽशेषशक्तिप्रविता, आदिकारणम्, परिणामिनी च । तदभावे हि परिमितं व्यक्तं न स्यात्, तथोत्पादकहेत्वभावात् । न च स्याद् भेदा-नासम्बन्धः, तन्मयकारणप्रसवत्वं विना तज्जातिभक्तायानुपलब्धेः । न च पुद्गिरेव कार्यधर्मातु-विधायिनी, असाधारणत्वाद् अनित्यत्वान्ध । न च महदादिहेतुशांक्तप्रवृत्तिः स्यात् । न हि पदादिजननी शक्तिस्त्वन्तुवायादिकमाधारं विना प्रवर्तते । तथा, कारण-कार्यविभागोऽपि न स्यात्, महदादौ कार्यत्वव्यवहारस्य संबन्धिसापेक्षत्वात् । न च स्याद् श्रीरावस्यायां स्त्रीरं दध्न इव प्रलये भूतादीनां तन्मात्रादिक्रमेणाऽविधेकरूपोऽविभाग इति प्रकृतिसिद्धिः । तदुक्तम्—

१८ श्री कारिका से सांख्यदर्शन के सिद्धान्त का विचार प्रस्तुत किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

[सांख्यदर्शन के सिद्धान्त]

सांख्य शास्त्र के वेत्ता अन्य विद्वान् सम्पूर्ण कार्यों को बहुत तत्त्व आदि के क्रम से प्रकृति से उत्पन्न मानते हैं । उन का कहना है—जिन तत्वों से जगत् का विस्तार होता है उन की संख्या पञ्चोश है । उन में दो तत्त्व लक्ष्यवैकल्या मुख्य हैं । जिन में एक तत्त्व वह है जिसे आत्मा कहा जाता है, वह कूटस्थ-विविक्तार नित्य सैतन्यरूप है । वह न किसी का कारण होता है और न किसी का कार्य होता है । और दूसरा तत्त्व वह है जिसे प्रकृति कहा जाता है, वह अचेतन होती है और बहुत तत्त्ववि-अन्य २३ तत्वों को उत्पन्न करने की शक्ति से सम्पन्न होता है । वह सब का आदि कारण है और उस में महत्त्व आदि रूपों में परिणत होने की योग्यता रहती है । उसे मानना अति आवश्यक है क्योंकि (१) उस के अभाव में परिमित एवं शक्य जगत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसे उत्पन्न करनेवाला दूसरा कोई हेतु नहीं है । (२) उसे मानने का आवश्यकता इसलिए भी है जित से विभिन्न कार्यों में एकरूपता हो सके, क्योंकि कार्यों की उत्पत्ति यदि एक सत्त्व कारण से न होगी तो कार्यों में कारण के द्वारा एकरूपता को उपलब्ध न हो सकेगी । यहाँ एकरूपता का कार्य बुद्धि यानी महत् तत्त्व से नहीं सम्पन्न हो सकता है क्योंकि वह बुद्धि सम्पूर्ण कार्यधर्मों का अनुविधान नहीं कर सकती, इसका कारण-वह सर्वसाधारण नहीं होती और स्वयं अनित्य होती है । (३) प्रकृति तत्त्व मानने का यह भी आधार है कि प्रकृति के अभाव में महत्तत्त्व आदि कारण शक्तियों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कारण शक्तियों की प्रवृत्ति किसी एक सामान्य आधार द्वारा ही होती है । जैसे पट आदि को उत्पन्न करने वाली मुरी रेशा आदि शक्तियों तन्मुवाय रूपी आधार के बिना नहीं प्रवृत्त होती । (४) यह भी कारण

“भेदानां परिमाणान् समन्वयाच्छक्तिसंप्रवृत्तेश्च ।

कारण-कार्यविभागादविभागाद् वैश्वरूप्यस्य ॥१॥” (सांख्यकारिका १५) इति ।

न चाऽसदेव महदादिकवृत्तपद्यताम्, किं तत्समन्वयार्थं प्रकृत्यनुसरणेन ? इति वाच्यम्, असतोऽनुत्पत्तेः । तदुक्तम्—

“असदकरणादुपादानप्रवृत्त्यात् सर्वसंभवाभावात् ।

शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत् कार्यम् ॥” [सां० का० ९]

असतः शशविपाणादौः सम्भवस्य कर्तुंमशक्यत्वाद् सत् एव हि सत्कारणम्, तद्वर्मेत्वात्, दृष्टं च तिलेषु सत् एव तैलस्य निष्पीडनेन करणम्, असतस्तु करणे न निदर्शनम् । न च विद्यमानप्रागभावप्रतियोगित्वरूपस्याऽसम्भवस्य विद्यमानत्वरूपस्य च सत्त्वस्य न विरोध इति साम्यतम्, लाघवादविद्यमानत्वस्यैवाऽसम्भवरूपत्वात्, तेनैव सर्वथाऽनुगताऽसत्त्वव्यवहारात् ।

हे कि प्रकृति के अभाव में तत्त्व और कारणा का विभाग की गयी है। तत्त्वता प्रतीति अत्यन्त का व्यवहार कारण-सापेक्ष होता है। अतः यदि बहुत तरह आदि का कोई कारण न होगा तो उन में कार्यत्व का व्यवहार नहीं हो सकेगा। (६) प्रकृतितत्त्वसम्बन्धक यह भी एक तर्क है कि प्रकृति के अभाव में प्रत्ययावस्था में मूल आवि कार्यों का तन्मात्र आवि के कम से एक कारणावस्था में अविभाग-अविच्छेद-अप्राप्यत्व न हो सकेगा जिस का होना, ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार बुद्ध की अवस्था में बुद्ध और वशि का अविभाग होता है।

प्रकृति के अस्तित्व के सम्बन्ध में कहे गये इन समस्त हेतुओं की ईश्वरकृष्ण ने अपने ‘सांख्य-कारिका’ नामक ग्रन्थ में १५ वीं कारिका से अतिरहित किया है। जिस का यह अर्थ है कि कार्यों के परिमित होने से और कारण के साथ अन्वय होने से और कारण शक्तियों की प्रवृत्ति होने से तथा कारण-कार्य का विभाग होने से और संपूर्ण कार्यों का एक कारणावस्था में अविभाग होने से प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है।

[सत्कार्यभाव में हेतुपञ्चक]

यह शंका हो सकती है कि—महत्तरवादि कार्यों की उत्पत्ति के पूर्व असत् की ही उत्पत्ति मानी जाय तो कारण में पूर्व से ही उस के अन्वय की आवश्यकता न होगी। अतः उस के लिये प्रकृति के अस्तित्व की कल्पना अनावश्यक है। किन्तु यह शङ्का उचित नहीं है क्योंकि असत् की उत्पत्ति नहीं होती, जैसा कि ईश्वरकृष्ण ने ‘असदकरणात्’ इस कारिका में स्पष्ट किया है। कारिका का आशय यह है कि जो असत् पदार्थ हैं उन को अस्तित्व में आते हुए आज तक कभी नहीं देखा गया। इसलिये प्रथमतः सत्यपदार्थ ही होता है। अतः असत्पदार्थ न कारण ही होता, न कार्य ही होता है। कार्य कारण का धर्म होता है। असत् मानने पर वह कारण का धर्म नहीं हो सकता। अतः उसे उत्पत्ति पूर्व में भी कारण में सत् मानना आवश्यक है। यह वेदा भी जाता है कि तिल में प्रथमतः विद्यमान ही तैल का तिल-देवता करने पर प्राकुर्भाव होता है। असत्पदार्थ की उत्पत्ति होने का कोई भी दृष्टान्त नहीं है।

यदि यह कहा जाय कि—‘कार्य का उत्पत्ति के पूर्व में जो असत् होता है वह विद्यमान प्रागभाव का प्रतियोगित्वरूप होता है और उत्पत्ति होने पर जो उस का सत्त्व होता है वह विद्यमानरूप होता है। अतः इस प्रकार के असत्त्व और सत्त्व में कोई विरोध नहीं है। पूर्वकाल में जिस का प्रग-

तथा, उपादानग्रहणादपि सत् कार्यम्, अन्यथा 'शालिफलार्थिनः शालिवीजस्यैवोपादानम्, न कोद्वयीजादेरिति' प्रतिनियमानुपपत्तेः, फलाऽयोगस्योभयत्राऽविशेषात् । 'उपादानेन ग्रहणं संबन्धस्ततोऽसतः संबन्धाभावात्' । इत्यन्ये । तथा, सर्वसंभवाऽभावात् सत् कार्यम्, असतः कारणोऽसंबन्धाऽविशेषे सर्वे सर्वस्माद् भवेत्, न चैतद्, तत्रात् प्राप्तिरिति प्राप्तेन सह संबद्धम् । यथाहुः—

“असत्त्वाद् नास्ति संबन्धः कारणैः सत्त्वसङ्गिभिः ।

असंबद्धेषु चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥१॥” इति । []

भाव रहा उत्तरकाल में उस का भाव मानने में कोई असङ्गति नहीं है । एक काल में ही किसी वस्तु का भावाभाव विरुद्ध हो सकता है, भिन्नकाल में नहीं । शशसींग का टुकड़ा सत् असत् की अनुत्पत्ति बताने में उचित नहीं हो सकता । क्योंकि शशसींग का प्रागभाव न होकर सार्वत्रिक अभाव होता है, प्रागभाव उसी का होता है—बाध में कभी जिस का भाव सम्भव हो, —तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि असत्त्व की विद्यमान प्रागभाव प्रतियोगित्वरूप मानने में गौरव है अतः अविद्यमानत्व अपत्ति संपूर्णकाल में अभाव की ही असत्त्वरूप मानना साधव के कारण उचित है, उसी से सर्वत्र असत्त्व के अनुगत व्यवहार की उपपत्ति हो सकती है । अतः शशसींग में सार्वत्रिक अभाव से असत्त्व व्यवहार का और कारणों में प्रागभावप्रतियोगित्वरूप असत्त्व से असत्त्व व्यवहार का उपपादन करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर व्यवहार की अनुगतकृपता का भङ्ग हो जाता है ।

कार्यविशेष के लिये कारणविशेष की ही नियमित रूप से ग्रहण किया जाता है, इसलिये भी उत्पत्ति के पूर्व कार्य का अस्तित्व मानना आवश्यक है । यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व असत् होगा तो कार्य के लिये सारे पदार्थ समान होंगे, और इस का फल यह होगा कि शालि=उत्पत्तिकोटि का घाव जिस से उत्कृष्ट कोटि का खावस प्राप्त होता है—उसके लाभ के लिये किसान शालि बीज का ही नियम से उपादान न कर सकेगा । कोद्वय यानी निकृष्ट घान्य के बीज को ग्रहण करने में भी उस की प्रवृत्ति की प्रसक्ति हो सकती है । क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व शालि का असत्त्व शालिबीज और कोद्वय के बीज दोनों में समान है । तो फिर क्या कारण है कि किसान शालि के लाभ के लिये शालि बीज का ही उपादान करे और कोद्वय के बीज का उपादान न करे । उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का अस्तित्व मानने पर इस प्रश्न का समाधान सुकर होता है । वह इस प्रकार कि शालि शालिबीज में प्रथमतः रहता है और कोद्वय के बीज में नहीं रहता है इसलिये किसान समझता है कि शालिबीज से ही शालि का लाभ हो सकता है कोद्वय के बीज से नहीं । अतः वह शालि लाभ के लिये शालि बीज को ही ग्रहण करता है न कि कोद्वयबीज को ।

[उपादान और कार्य के सम्बन्ध की अनुपपत्ति]

अन्य विद्वान् कारिका में आये 'उपादानग्रहण' शब्द का अर्थ उपादान के साथ कार्यसम्बन्ध बताकर उससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व असत् माना जायगा तो कारण के साथ उस का सम्बन्ध न हो सकेगा । क्योंकि सम्बन्ध सत्यवार्थों में ही होता है । असत् और सत् का सम्बन्ध नहीं होता । कार्य की उत्पत्ति के पहले सत् मानना इसलिये भी आवश्यक है

तथा, अक्षतस्य जनकत्वेऽतिप्रसङ्गाच्छक्तस्य जनकत्वं वाच्यम्, शक्तिश्चास्य न सर्वत्र, तथैवाऽतिप्रसङ्गात्, किन्तु अपिदेव, इति कथमयसि कार्ये कारणस्य शक्तिर्नियता स्यात्, असतो विषयत्वाऽयोगात् ? तस्मात्, कारणात् प्रागपि शक्यं सदेव । तथा कारणभावात् = कारणतादात्म्यादपि सत् कार्यं, नाऽवयवी अवयवेभ्यो भिद्यते, तथाप्रतीत्यभावात्; 'कपालं पटीभूतम्, तन्तुः पटीभूतः, स्वर्णं कुण्डलीभूतम्' इत्यादिप्रतीतिः । तस्माद् महदादिकार्यस्योत्पत्तेः प्रागपि यत्र सर्वं सा प्रकृतिः ।

कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति नियत पदार्थ से ही होती है सब पदार्थों से उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु यदि पदार्थ से अतत्कार्य की उत्पत्ति होगी तो यह मानना होगा कि पदार्थ अपने से अतत्कृष्ट वस्तु का उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति में किसी नियत पदार्थ से ही कार्य की उत्पत्ति न होकर जंपूण पदार्थों से सभी कार्य की उत्पत्ति का प्रसङ्ग होगा, क्योंकि कार्य जैसे किसी एक नियत पदार्थ से अभ्यवृत्त होता है उसीप्रकार सभी पदार्थों से अभ्यवृत्त होता है इसलिये इस बात में कोई अयवस्था न हो सकेगी कि अमुक कार्य अमुक पदार्थ से ही उत्पन्न हो और अन्य से न हो । किन्तु कार्य की उत्पत्ति के पूर्व सत् मानने पर यह सङ्कट नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि तब कहा जा सकता है—तत्कार्य का तत्तत्पदार्थ के ही साथ सम्बन्ध होता है सब पदार्थों के साथ नहीं होता और पदार्थ का यह स्वभाव है कि वह सम्बन्ध कार्य का ही उत्पन्न होता है अतम्बन्ध का नहीं, अतः सब पदार्थों से सब कार्यों की उत्पत्ति का आपादन नहीं हो सकता । जैसा कि कहा गया है कि—

‘उत्पत्ति के पूर्व कार्य का अतत्त्व मानने पर सत् कारणों के साथ असत् कार्य का सम्बन्ध न हो सकेगा । और यदि अतम्बन्ध पदार्थों में ही कार्य की उत्पत्ति मानी जायगी तो अमुक पदार्थ ही में अमुक कार्य की उत्पत्ति हो अन्य में न हो यह अवस्था नहीं बन सकती ।’

उत्पत्ति के पूर्व कार्य को सत् इसलिये भी मानना आवश्यक है कि जो पदार्थ जिस कार्य के उत्पादन की शक्ति से सून्य होता है उस से उस कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है किन्तु जिस पदार्थ में जिस कार्य के उत्पादन की शक्ति होती है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है, और तत्कार्य के उत्पादन की शक्ति सर्वत्र न होकर नियत पदार्थों में ही होती है । किन्तु यह बात उत्पत्ति के पूर्व कार्य को सत् मानने पर हो बन सकती है अपत्ति मानने पर नहीं, क्योंकि असत् वस्तु किसी पदार्थ का शर नहीं हो सकती है । क्योंकि एक-वस्तुभाव ओ एक प्रकार का सम्बन्ध ही है । अत एव वह सत् पदार्थों के ही बीच सम्भव हो सकता है, सत् और असत् के बीच सम्भव नहीं हो सकता । उत्पत्ति के पूर्व कार्य को सत् मानना इसलिये भी आवश्यक है कि उस में कारण का तादात्म्य होता है । यदि वह असत् होगा तो उस में कारण का तादात्म्य न हो सकेगा क्योंकि सत् और असत् प्रकाश और अन्धकार के समान अस्मत्त विलक्षण है, अत एव उन में तादात्म्य कबपि सम्भव नहीं हो सकता ।

यदि यह कहा जाय कि—कार्य अवयवी होता है और कारण उस का अवयव होता है अतः कार्य में कारण का तादात्म्य मानना प्रसङ्गत है । अतः कार्य में कारण का तादात्म्य बता कर उसके द्वारा उत्पत्ति के पूर्व कार्य के सत् होने का समर्थन करना उचित नहीं हो सकता—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि अवयव-अवयवों में अवयवों की मिस्रता की प्रतीति न होने से अवयवों में अवयवों का भेद

ततो बुद्धयपरनामकं महत्तत्त्वमुत्पद्यते, न हि चैतन्यस्य स्वभावतो विषयावच्छिन्नत्वम्, अनिमोक्षापत्तेः । नापि प्रकृत्यधीनं तद्, तस्या अपि नित्यतया तदोषानुद्धारात् । नापि घटादि-
रेवाऽऽहत्य चैतन्यावच्छिन्नः, दृष्टाऽदृष्टतत्त्वानुपपत्तेः । न चेन्द्रियमात्रापेक्षो घटादिचैतन्यावच्छेदः,

स्वीकार्यं नहीं हो सकता । अतः 'कपाल घट हो गया, सन्तु घट हो गया, सुवर्ण कुण्डल हो गया' इन सार्वजनिक प्रतीतियों के अनुरोध से अवयव और अवयवी का तात्पर्य ही सिद्ध होता है । इन सब युक्तियों का निष्कर्ष यह है कि महत्तत्त्वावि पदार्थ कार्य है अतः एव उत्पत्ति के पहले उनका अस्तित्व मानना आवश्यक है और यह अस्तित्व किसी आधार में ही हो सकता है । अतः महत्त्वावि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व जिस आधार में विद्यमान होगे उसी का नाम प्रकृति है । इस प्रकार सत्कार्यवाच की उपपत्ति के सिधे प्रकृति का अस्तित्व मानना अनिवार्य है ।

[महत्तत्त्व से चैतन्यावच्छेद और स्वाभाविक का नियमन]

प्रकृति से महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है जिसका दूसरा नाम बुद्धि है । इसी के द्वारा चैतन्य-स्वरूप पुरुष के साथ विषयावच्छिन्नत्व लक्षण विषय का सम्बन्ध बनता है । यदि उस का अस्तित्व न माना जायगा तो पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध स्वाभाविक मानना होगा और उस स्थिति में विषय और पुरुष का सम्बन्ध विच्छेद न हो सकने से पुरुष का कभी मोक्ष न हो सकेगा । और अनित्यबुद्धि की सत्ता स्वीकार कर उसके द्वारा पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध मानने पर बुद्धि की निवृत्ति होने पर विषय के साथ पुरुष के सम्बन्ध का विच्छेद संभव होने से पुरुष के मोक्ष में कोई बाधा नहीं हो सकती । बुद्धि का अस्तित्व न मानकर पुरुष के साथ विषय का सम्बन्ध यदि प्रकृति-द्वारा माना जाय तो पुरुष और विषय का सम्बन्ध स्वाभाविक तो नहीं होगा किन्तु उसका उच्छेद इस पक्ष में भी न हो सकेगा, क्योंकि प्रकृति नित्य है । अतः उसकी निवृत्ति कभी भी संभवित न होने से उसके द्वारा पुरुष के साथ विषय का जो सम्बन्ध होगा उसकी भी कभी निवृत्ति न हो सकेगी । फलतः इस पक्षमें भी पुरुष का मोक्ष न हो सकेगा ।

यदि यह कहा जाय कि—चैतन्यस्वरूप पुरुष के साथ घटादि विषयों के सम्बन्ध को किसी अन्य के द्वारा न मानकर सीधे विषयप्रयुक्त ही माना जाय तो यह आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि विषयों के अनित्य होने से पुरुष के साथ उसका सम्बन्ध भी अनित्य होगा और विषयों की निवृत्ति होने पर उस सम्बन्ध की निवृत्ति हो जाने से पुरुष का मोक्ष होने में कोई बाधा न होगी—। किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि चैतन्य के साथ विषयों का अन्यनिरपेक्ष सम्बन्ध मानने पर सभी विषय चैतन्य से सम्बद्ध होंगे, अतः विषयों में दृष्ट-अदृष्ट का भेद न हो सकेगा । अर्थात् जितने विषय एक काल में विद्यमान होंगे वे सब चैतन्य से स्वतः सम्बद्ध होने के कारण दृष्ट ही होंगे । उनमें कोई अदृष्ट न हो सकेगा जबकि स्थिति यह है कि जब एक वस्तु दृष्ट होती है तब दूसरी वस्तु अदृष्ट रहती है । जैसे घटादि के बर्तनकाल में पटादि अदृष्ट रहता है । यदि यह कहा जाय कि—चैतन्य के साथ घटादि विषयों का सम्बन्ध इन्द्रिय द्वारा मानने से इस आपत्ति का परिहार हो सकता है, क्योंकि इन्द्रिय के अवधारण होने से उसके द्वारा सभी विषयों का चैतन्य के साथ एकसाथ सम्बन्ध न हो सकेगा । अतः जिस समय जो विषय इन्द्रिय द्वारा चैतन्य से सम्बद्ध होगा उस समय वही विषय दृष्ट

व्यासकानुपपत्तेः । अतो यत्तत्तद्वेन्द्रियस्य विषयचैतन्यावच्छेदनिषामकत्वम् , यद्व्यापाराच्च सुषुप्तादिन्द्रियाद्व्यापारविरतापि आस-प्रवासादि, तद् महत्त्वम् । तस्य धर्मा ज्ञाना-ऽज्ञानै-
श्वर्या-ऽनैश्वर्यै-वैराग्या-ऽवैराग्य-धर्मा-ऽधर्मरूपा अष्टौ, बुद्धि-सुखदुःखेच्छा-द्वेष-प्रयत्ना अपि,
भावनायास्तैरनङ्गीकारात् , अनुभवस्यैव स्मृतिपर्यन्तं सूक्ष्मरूपतयाऽवस्थानात् । तस्य ज्ञानरूप-
परिणामेन संपद्यो विषयः, पुरुषस्य स्वरूपतिरोधायकः । एवं च बुद्धितत्त्वनाशादेव पुंसो
विषयावच्छेदाभावाद् मोक्षः । भेदाऽप्रहास्य 'चैतनोऽहं करोमि' इत्यप्यवसायः, अचैतनप्रकृति-
कार्याया बुद्धेश्चैतन्याभिमानानुपपत्त्यैव स्वाभाविकचैतन्यरूपस्य पुंसः सिद्धेः । अलोचनं व्या-

होगा अन्य विषय दृष्ट नहीं होगा—' तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर जब किसी इन्द्रिय
द्वारा किसी एक विषय का चैतन्य के साथ सम्बन्ध हो जायगा तब विषयान्तर का उस इन्द्रिय द्वारा
चैतन्य के साथ सम्बन्ध न हो सकेगा । क्योंकि उस विषय के साथ उस इन्द्रिय के सम्बन्ध का कोई
विच्छेदक न होगा । फलतः विभिन्न विषयों में विभिन्न विषयों के साथ इन्द्रिय संपर्क रूप इन्द्रिय का
व्यासङ्ग न हो सकेगा । जिसका फल यह होगा कि जब एक वस्तु दृष्ट होगी तो वह अकेली ही दृष्टा
दृष्ट होती रहेगी । अन्य वस्तु के दृष्ट होने का अवसर ही न हो सकेगा । और जब बुद्धि
द्वारा इन्द्रिय और विषय का एवं विषय और पुरुष का सम्बन्ध माना जायगा तब ये आपत्तियाँ न
होगी । क्योंकि बुद्धि का इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध और इन्द्रिय का विषय के साथ एवं विषय का
चैतन्य के साथ सम्बन्ध होने पर विषय का दर्शन मान्य होगा । अतः इन्द्रिय और विषय तथा इन्द्रिय
द्वारा विषय और पुरुष का सम्बन्ध बुद्धि के अधीन होगा । इसलिये बुद्धि के व्यापार से व्यासङ्ग की
उत्पत्ति हो सकेगी और उसी का संपर्क न माने के कारण इन्द्रिय का व्यापार न हो सकने से सुषुप्ति
हो सकेगी और उस समय उसी के व्यापार से आस-प्रवास आदि क्रियाएँ भी हो सकेगी । इसलिए
विषयों की दृष्टता और अदृष्टता तथा सुषुप्ति एवं सुषुप्ति के समय स्वातप्रवासादि और पुरुष
के मोक्ष की उत्पत्ति के लिये बुद्धि=महत् तत्त्व को मानना अनिवार्य है ।

[बुद्धिगत धर्मों का निरूपण]

इस बुद्धि में आठ धर्म रहते हैं । जैसे ज्ञान-अज्ञान, ऐश्वर्य-अनैश्वर्य, वैराग्य-अवैराग्य, धर्म-
अधर्म । इनके अतिरिक्त बुद्धि में सुख-दुःख इच्छा, द्वेष और प्रयत्न भी होते हैं । भावना पदार्थ
साङ्ख्य दर्शनों के विज्ञानों द्वारा मान्य नहीं है । अतः बुद्धि-महत्तत्त्व में भावना का अस्तित्व नहीं माना
जा सकता । साङ्ख्य मत में अनुभव ही सूक्ष्मरूप से स्मृति पर्यन्त रहता है । अतः सूक्ष्मावस्थापक्ष अनु-
भव से अतिरिक्त भावना=तत्त्कार मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती । महत्तत्त्व का इन्द्रियादि
द्वारा विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर उसका विषयाकार परिणाम होता है जिसे ज्ञान तथा बुद्धि
की वृत्ति कहा जाता है । इस ज्ञान के द्वारा ही विषय पुरुष से सम्बद्ध होकर पुरुष के स्वरूप को आवृत्त
करता है । विषयों द्वारा इस प्रकार होनेवाला पुरुष का आवरण ही उसका बन्धन है । एवं महत्तत्त्व
का नाश होने पर अर्थात् महत्तत्त्व का मूलप्रकृति में तिरोधान होने पर बुद्धि के विषयाकार परि-
णामरूप ज्ञान की निवृत्ति होने से पुरुष के साथ विषयों का सम्बन्ध बन्द हो जाता है । इस प्रकार
विषयों से पुरुष के स्वरूप का तिरोधान बन्द हो जाने से पुरुष का मोक्ष सम्भव होता है ।

पार इन्द्रियाणाम्, विकल्पस्तु मानसः, अभिमानोऽहङ्कारस्य कृत्यव्यवसाये बुद्धेः, सा हि बुद्धिरंशव्यवसयी, पुरुषोपरागः, विषयोपरागः, व्यापारावेशश्च इत्यंशः । भवति हि 'ममेदं कर्तव्यम्' इति बुद्धेरध्यवसायः । तत्र 'मम' इति पुरुषोपरागः दर्पणस्यैव मुखोपरागः, भेदा-
ऽग्रहादतात्त्विकः । 'इदम्' इति विषयोपरागः, इन्द्रियप्रणालीकया परिणतिभेदो दर्पणस्यैव मुखनिर्वाहकस्य मलिनिसोपरागस्तात्त्विकः । तदभयोपपत्तौ व्यापारावेशोऽपि । तत्र विषयो-
परागलक्षणज्ञाने पुरुषोपरामस्याऽतात्त्विकसंबन्धो दर्पणप्रतिबिम्बितस्यैव मुखस्य तन्मलिनिसन्नेति ।

[पुरुष और बुद्धि का तात्त्विक भेद]

बुद्धि और पुरुष में अत्यन्त भेद है । किन्तु उसका अज्ञान अमादिकाल से चलता आ रहा है और उसी कारण बुद्धि भी 'चेतनोऽहं करोमि' के चेतनमयता में ही प्रणाली के अन्वयसाय होता है । सब बात यह है कि इस अध्यवसाय की उत्पत्ति के लिये ही स्वाभाविक चेतन्यरूप पुरुष का अस्तित्व मानना आवश्यक होता है । यदि उसे न माना जायेगा तो उस अध्यवसाय के रूप में बुद्धि में चेतन्य का अभिमान न हो सकेगा, क्योंकि बुद्धि अचेतन प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण स्वयं अचेतन होती है । उक्त अध्यवसाय तीन व्यापारों से सम्पन्न होता है—इन्द्रिय व्यापार, मनोव्यापार और अहङ्कार व्यापार । इन्द्रिय व्यापार का नाम है आलोचन और मनोव्यापार का नाम है विकल्प एवं अहङ्कार व्यापार का नाम है अभिमान । आशय यह है कि इन्द्रिय से वस्तु का आलोचन होता है । और मन से उसका विकल्पन यानी खिलजटवोध एवं अहङ्कार से उसके कर्तृत्व का अभिमान होता है । और इन तीनों के सम्पन्न होने पर बुद्धि में 'चेतनोऽहं करोमि' इस प्रकार कृति का अध्यवसाय उत्पन्न होता है ।

[पुरुष-विषय व्यापार का बुद्धि सम्बन्ध]

बुद्धि में तीन अंश होते हैं । जिन्हें पुरुषोपराग, विषयोपराग और व्यापारावेश कहा जाता है । पुरुषोपराग का अर्थ है पुरुषसम्बन्ध, विषयोपराग का अर्थ है विषयसम्बन्ध एवं व्यापारावेश का अर्थ है व्यापार सम्बन्ध । जैसे 'ममेदं कर्तव्यम्=यह मेरा कर्तव्य है' इस प्रकार का अध्यवसाय बुद्धि की होता है । इस अध्यवसाय से बुद्धि के उक्त तीनों अंशों का स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है । जैसे 'मम' से पुरुषोपराग सूचित होता है । यह उपराग बुद्धि और पुरुष में भेदज्ञान न होने से ठीक उसी प्रकार मिथ्या होता है जैसे वर्षण में मुख का प्रतिबिम्ब पड़ने के समय वर्षण के साथ मुख का सम्बन्ध मिथ्या होता है । 'इदं' से बुद्धि के साथ विषयोपराग सूचित होता है । बुद्धि के साथ विषय का यह सम्बन्ध इन्द्रिय द्वारा विषयाकार बुद्धि का परिणाम रूप है, यह ठीक उसी प्रकार सत्य होता है जैसे दर्पण पर मुख के निःश्वास का आघात होने पर उसके साथ मलिनता का सम्बन्ध । यह सब दिवित है कि दर्पण में प्रतिबिम्बित मुख का निःश्वास जब दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण वास्तवरूप में मलिन हो जाता है । बुद्धि के साथ पुरुष और विषय का उपराग होने पर उस में व्यापारावेश अर्थात् कृति का सम्बन्ध भी सम्पन्न हो जाता है । यही यह कहा गया है, कि विषयोपराग विषयाकार बुद्धि का परिणाम रूप है जिसे ज्ञान कहा जाता है । बुद्धि के साथ उसका सम्बन्ध सत्य है । बुद्धि का पुरुष के साथ भेदज्ञान न होने से बुद्धिगत इस ज्ञानात्मक विषयोपराग का पुरुष के साथ भी सम्बन्ध होता है किन्तु यह सम्बन्ध सत्य न होकर यह ठीक उसी प्रकार मिथ्या होता है जैसे मुख के निःश्वास से दर्पण में उत्पन्न मलिनता का दर्पण में प्रतिबिम्बित मुख के साथ सम्बन्ध मिथ्या होता है ।

ततो महत्तत्त्वादहङ्कारोत्पत्तिः । भवति हि स्वप्नावस्थया 'व्याघ्रोऽहम्, वराहोऽहम्' इत्यभिमानः, न तु 'नरोऽहम्' इत्यभिमानः । अस्ति च तत्र नरत्वं संनिहितमिन्द्रिय मनः-सम्बन्धश्च । अतो नियतविषयाभिमानव्यापारकाऽहङ्कारसिद्धिः ।

ततः पञ्च तन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि च । पञ्च तन्मात्राणि शब्द रूप-रस-गन्ध-स्पर्शाः सूक्ष्मा उदात्तादिविशेषरहिताः । एकादशेन्द्रियाणि च-चक्षुः, श्रोत्रम्, घ्राणम्, रसनम्, स्पर्शमिति पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि; बाह्य-पाणि पाद-याग्युपस्थाः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनश्चेति । पञ्च-

[स्वप्न में "मैं बाघ हूँ" इस प्रतीति का उपपादक अहङ्कार]

महत् तत्त्व का 'केतनोऽहं करोमि' एवं 'ममेदं कर्तव्यं' इन अध्यवसायों द्वारा परिचय दिया गया है । और प्रकृति से उस की उत्पत्ति का भी युक्तिपूर्वक समर्थन किया गया है । अभी यह बताया है कि महत्तत्त्व से अहङ्कारनामक तीसरे तत्त्व की उत्पत्ति होती है । इस अहङ्कार का भी अस्तित्व मानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि स्वप्न की अवस्था में मनुष्य को यवा कबा इस प्रकार का अभिमान होता है 'अहं व्याघ्रः अहं वराहः न तु नरः' मैं व्याघ्र हूँ, मैं सुकर हूँ मनुष्य नहीं हूँ । इस अनुमान के समय नरत्व सन्निहित रहता है और इन्द्रिय-मन का सम्बन्ध भी सन्निहित रहता है । किन्तु व्याघ्रत्व या वराहत्व असन्निहित रहता है और उस के साथ इन्द्रिय और मन का सम्बन्ध भी नहीं रहता फिर भी उस का अभिमान होता है इसको उपपत्ति इन्द्रिय और मन के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि व्याघ्रत्व एवं वराहत्व के असन्निहित होने से उस के साथ इन्द्रिय और मन का सम्बन्ध ही नहीं रहता फिर भी उस का अभिमान होता है । इस की उपपत्ति इन्द्रिय और मन के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि व्याघ्रत्व एवं वराहत्व के असन्निहित होने से उस के साथ इन्द्रिय और मन का सम्बन्ध ही नहीं रहता । और यह नियम है कि 'इन्द्रिय और मन सम्बन्धवस्तु का ही ग्रहण कराने में समर्थ होते हैं ।' अतः इस अभिमान की उपपत्ति करने के लिये अहङ्कार का अस्तित्व मानने पर अभिमान की उत्पत्ति सुकर हो जाती है क्योंकि जाग्रतकाल में मनुष्य को व्याघ्रत्व वराहत्वादि का अनुभव होता है वह सूक्ष्मावस्था में अहङ्कार में स्थित हो जाता है । स्वप्नावस्था द्वारा उस सूक्ष्मरूप से नियत अनुभव का उद्बोधन होने से व्याघ्रत्व वराहत्व के उक्त अभिमान का उदय होता है । जाग्रतकालिन उक्त अनुभव का बुद्धि में सूक्ष्मावस्थान मान कर स्वप्नावस्था में उस का उद्बोधन होकर बुद्धि में ही उक्त अभिमान रूप व्यापार का उदय नहीं माना जा सकता क्योंकि बुद्धि इन्द्रिय आदि द्वारा विषयों से सम्बन्ध होकर ही ज्ञानात्मक परिणाम की उत्पत्ति करती है किन्तु अहङ्कार को अपने उक्त अभिमानात्मक व्यापार की उत्पत्ति करने के लिये इन्द्रिय एवं विषयादि की अपेक्षा नहीं होती । अतः स्वप्नावस्था में अहङ्कार द्वारा ही उक्त अभिमान की उपपत्ति हो सकती है । अतः उक्त अभिमान के निर्वाहार्थ अहङ्कार का अस्तित्व मानना अनिवार्य है ।

इस अहङ्कारनामक तीसरे तत्त्व से पञ्च तन्मात्रा और ग्यारह इन्द्रिय इन सोलह तत्वों की उत्पत्ति होती है । तन्मात्रा का अर्थ 'तदेव इति तन्मात्रं' इस व्युत्पत्ति से इस प्रकार की वस्तु है जिस का एक ही स्वरूप होता है । जिस में अवाप्तर धर्मों का सम्बन्ध नहीं होता जैसे सूक्ष्म शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्श । सूक्ष्मभाव में उदात्त-अनुवात्तादि का भेद न होने से वह शुद्धशब्द मात्र स्वरूप होने से शब्द-तन्मात्र कहा जाता है । सूक्ष्म रूप भी नीलाव पीतत्वादि भेदों से शुद्ध होने के कारण रूपतन्मात्र कहा

तन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतान्युत्पद्यन्ते । तथाहि—शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम्, शब्दतन्मात्रसंहितात् स्पर्शतन्मात्राद्वायुः शब्द-स्पर्शगुणः, शब्द-स्पर्शतन्मात्रसंहिताद्रूपतन्मात्रात्तेजः शब्द-स्पर्श-रूपगुणं, शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रसंहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पर्शरूपरसगुणाः, शब्द-स्पर्श-रूप-रसतन्मात्रसंहिताद् गन्धतन्मात्रात् शब्द-स्पर्शरूप-रस-गन्धगुणा पृथिवीति । तद्वन्तमीश्वरकृष्णन-

“प्रकृतेर्महास्ततोऽहङ्कारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात् पञ्चैभ्यः पञ्च भूतानि ॥ [मा० का० २२] ॥

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदायाः प्रकृति-विकृतयः सप्त ।

षोडशकमनु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ [मा. का. ३] इति ।

जाता है । सूक्ष्म रस मधुरता कटुता अम्लता आदि भेदों से शून्य होने के कारण रसतन्मात्र कहा जाता है । सूक्ष्म गन्ध सुरभिरासुर्गमित्थ भेदों से रहित होने के कारण गन्धतन्मात्र कहा जाता है एवं सूक्ष्म स्पर्श शीतत्व उष्णत्वादि भेदों से रहित होने के कारण स्पर्शतन्मात्र कहा जाता है ।

अहङ्कार से ग्यारह इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, इन के तीन वर्ग हैं । ‘जानेन्द्रिय, ‘कर्मेन्द्रिय और ‘उभयेन्द्रिय ।

अक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक् ये पाँच जानेन्द्रिय हैं । वाक्, पाणि, पाद, पायु (मलेन्द्रिय) उपस्थ (सूत्रेन्द्रिय) ये पाँच कर्मेन्द्रिय हैं । एवं मन उभयेन्द्रिय है, क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों की उत्पत्ति में इस की आवश्यकता होती है । पञ्च तन्मात्रों से पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति होती है—जैसे शब्द तन्मात्र से शब्दगुणवाले आकाश की, एवं शब्दतन्मात्र से संहित स्पर्शतन्मात्र से शब्द और स्पर्श गुणवाले वायु की, शब्दतन्मात्र और स्पर्शतन्मात्र संहित रूपतन्मात्र से शब्द-स्पर्श-रूपगुण वाले तेज की, शब्द-स्पर्श-रूप-रस तन्मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चार गुणवाले जल की तथा शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्र से संहित गन्धतन्मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप रस और गंध ये पाँच गुणवाली पृथ्वी की । जैसा कि ईश्वरकृष्णने अपनी ‘प्रकृतेः महान्’ एवं ‘मूलप्रकृतिः’ आदि कारिकाओं में कहा है, कारिकाओं का अर्थ इस प्रकार है—

प्रकृति से महत् की ओर महत् से अहङ्कार की, अहङ्कार से पञ्चतन्मात्र एवं ग्यारह इन्द्रिय इन षोडश की, इन षोडश में पाँच तन्मात्रों से आकाश आदि पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति होती है । इन चौबीस में प्रकृति को मूल प्रकृति कहा जाता है । यह किसी की विकृति नहीं होती अर्थात् उस की किसी से उत्पत्ति नहीं होती । महत्, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्र ये सात तत्त्व प्रकृति और विकृति दोनों हैं, अर्थात् ये मूलप्रकृति के कार्य होते हैं और इन में महत्तत्त्व अहङ्कार का, और अहङ्कार पञ्चतन्मात्र और ग्यारह इन्द्रियों का, और पञ्च तन्मात्र पञ्च महाभूतों का कारण होता है । पञ्च महाभूत और ग्यारह इन्द्रियाँ ये सोलह कार्य ही होते हैं । ये किसी तत्त्वांतर का कारण नहीं होते । इन चौबीस तत्त्वों से भिन्न एक पुरुषतत्त्व है जिसे आत्मा कहा जाता है, जो प्रकृति और विकृति दोनों से भिन्न होता है । अर्थात् वह न किसी का कारण होता है, और न किसी का कार्य होता है । इस प्रकार इन पञ्चोपा तत्त्वों की चार वर्ग में विभक्त किया जा सकता है । ‘अविकृतिः केवल कारणमात्र ‘प्रकृति विकृति-कारण कार्य उभयात्मक, ‘विकृतिमात्र-केवल कार्यरूप और ‘प्रकृतिविकृतिभिन्न यानो कारणकार्यभिन्न ।

पृथं षोडशरूपदेन पञ्चतन्मात्रै-कादशेन्द्रियग्रहणम्, अग्रे तु पञ्चमहाभूतैन्द्रियग्रहणमिति विशेषः ॥१८॥

इममेव क्रममाह—

मूलम्-प्रधानान्महत्तो भावोऽहंकारस्य ततोऽपि च ।

अक्षतन्मात्रप्रवर्गस्थ तन्मात्राद् भूतसंहतिः ॥१९॥

प्रधानात्=प्रकृतितत्त्वात्, महत्तः=बुद्धितत्त्वस्य, भावः=उत्पत्तिः अस्मिन्व्यक्तिर्वा, ततोऽपि च, अहङ्कारस्य 'भाव' इत्युत्तरात्पुनरुच्यते । 'ततोऽपि' इत्युत्तरात्प्रवर्गस्थे, ततोऽपि अहङ्कारा-दपि, अक्ष-तन्मात्रप्रवर्गस्थ=एकादशेन्द्रिय-पञ्चमहाभूतानां (१ तन्मात्राणां) भावः, तन्मात्रात्=जात्यपेक्षयैकग्रहणान् पञ्चम्यस्तन्मात्रेभ्यः भूतसंहतिः=पञ्चमहाभूतानां भावः ॥१९॥

स्थूलकार्यमधिकृत्याह—

मूलम्-चट्पापि पृथिव्यादिपरिणामसमुद्भवम् ।

नात्मन्यापारजं किञ्चिन्नेव लोकेऽपि विद्यते ॥२०॥

चट्पापि=स्थूलकार्यजातम्, पृथिव्यादीनां सृष्टात्मकानां परिणामात्=विलक्षणसंयो-गादिपरिणामात् समुद्भव उत्पत्तिर्यस्य तद्, परिणामान्तराभ्युपगमात् । विशेषमाह-तेषां=

प्रथमवर्ग में केवल मूल प्रकृति का समावेश होता है । द्वितीयवर्ग में महत्तत्त्व, अहंकार एवं पञ्चतन्मात्र का समावेश होता है । तृतीय वर्ग में पञ्चमहाभूत एवं ग्यारह इन्द्रियों का समावेश होता है । चतुर्थ वर्ग में केवल पुत्र का समावेश होता है ।

'प्रकृतेर्महत्' इस कारिका में आये षोडशक शब्द से पञ्चतन्मात्र और एकादश इन्द्रिय का ग्रहण एवं 'मूलप्रकृति' इस कारिका में आये षोडशक शब्द से पञ्चमहामूल और ग्यारह इन्द्रिय का ग्रहण समीप है यह ध्यान में रहना चाहिये ॥१८॥

[प्रधान-महत् अहंकार-इन्द्रियतन्मात्र-पञ्चभूत का क्रम]

कारिका १९ में महत् आदि तेईस तत्त्वों को उत्पत्ति का वही क्रम स्पष्ट किया गया है जिसका संकेत ईश्वरकृष्ण ने अपनी 'प्रकृतेर्महत्' इस कारिका में किया है । इस कारिका का अर्थ अति सुगम है जैसे-प्रधान प्रकृतिदत्त्व से महत्-बुद्धितत्त्व की उत्पत्ति अथवा अस्मिन्व्यक्ति होती है, और महत् तत्त्व से अहंकार की, अहंकार से अक्ष-ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चतन्मात्र की, एवं पञ्चतन्मात्र से पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति या अस्मिन्व्यक्ति होती है । कारिका में 'तन्मात्र' शब्द से एकवचन विभक्ति का प्रयोग हुआ है । वह तन्मात्र संख्या की दृष्टि से उचित न होने पर भी, तन्मात्रत्व जाति की दृष्टि से उचित है क्योंकि पाँचों तन्मात्रों में तन्मात्रत्व नाम की एक जाति-एक अनुगत धर्म रहता है ॥१९॥

[सांख्यमत में आत्मा व्यापारजून्य है]

कारिका २० में स्थूल कार्य की उत्पत्ति और आत्मा के अकारणत्व का उल्लेख है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

सांख्यानाम्, लोकेऽपि=ब्रह्मत्यपि, आत्मव्यापारजं किञ्चित् किमापि कार्यं नास्ति, आत्म-
व्यापारस्यैवाऽभावात् सुतरां तज्जन्यत्वाभावाः । इति सांख्याशयवार्ता ॥२०॥

अत्र प्रतिश्लेषवार्तामाह—

मूलम्-अन्ये तु ब्रुवन्ते हृद्येतत्प्रक्रियासाधप्रवर्णनम् ।

अविचार्यैव लघुकृत्या, अज्ञया गम्यते परम् ॥२१॥

अन्ये तु=असत्कार्यवादिनः ब्रुवन्ते, हि=यतः, एतत्=अनुपदमभिहितम्, प्रक्रिया-
साधप्रवर्णनम्=यदृच्छावस्तुपरिमाणमाश्रीपदर्शनम्, न तात्त्विकमेव । तत्=तस्माद् हेतोः,
लघुकृत्याऽविचार्यैव, परं=केवलम्, अज्ञया=बुद्धीकामकृत्या, गम्यते=उपादीयते ॥२१॥

कृतः ? इत्याह—

मूलम्-मुक्त्यापि तु बाधते यामप्यप्यन नित्यनिमित्तम् ।

तथाऽप्यप्रच्युतौ चास्य महदादि कथं भवेत् ? ॥२२॥

घट आदि जितने भी स्थूल कार्य दृष्टिगोचर होते हैं वे सब पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूतों के मिट्टी
आदि परिणामों के विलक्षणसंयोगाविरूप परिणाम से समुद्भूत होते हैं । उन के लिए किसी अन्यतत्त्व
की आवश्यकता नहीं होती । यह स्वीकार किया गया है कि महाभूतों के ही एक परिणाम से दूसरे
परिणाम की उत्पत्ति होती रहती है, पृथ्वी आदि परिणाम भी तत्त्वरूप नहीं होते, क्योंकि वे किसी
कार्य के उपादान नहीं होते, जो किसी कार्य का उपादान होता है यही तत्त्व कहा जाता है । पृथ्वी
आदि के साक्षात् या परस्परया जितने परिणाम होते हैं उन सबों का उपादान पृथ्वी आदि तत्त्व
ही होता है । उन परिणामों में परस्पर में उपादान-उपादेय भाव न हो कर निमित्त-नैमित्तिक
भाव ही होता है । जैसे मृत्तिका घट का उपादान न होकर निमित्त है, उपादान तो दोनों का
पृथ्वीतत्त्व ही है । सांख्यमत में पुरे जगत में कहीं भी आत्मा के व्यापार से किसी कार्य की उत्पत्ति
नहीं होती है, क्योंकि आत्मा में कोई व्यापार ही नहीं होता है और जब उस में कोई व्यापार ही
नहीं होता तो उस का किसी वस्तु का जनक होना किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता, क्योंकि
किसी भी कार्य का जनक करने के लिए कारण को कुछ व्यापार करना पड़ता है अतः जो किसी
प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता वह किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता । इसीलिए सांख्य
सिद्धांत में पुरुष को अकारण माना गया है-यह सांख्यमत का प्रतिपादन हुआ ॥२०॥

[युक्ति से सांख्यमत को आलोचना-उत्तरपक्ष]

२१ वीं कारिका में पूर्ववर्णित सांख्यमत के खण्डन का उपक्रम किया गया है ।

कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

असत् कार्यवादी विद्वानों का यह कहना है कि सांख्यसाहच के अनुसार जगत् और पुरुष के
सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह स्वेच्छा से स्वीकार की गई परिभाषा का प्रदर्शनमात्र है, उस में
कोई प्रामाणिकता नहीं है इस लिये मुक्तिपूर्वक विचार न कर केवल उपवेश के प्रति शुद्धधर्मा-
मात्र से ही यह उपादेय हो सकता है ॥२१॥

युक्त्या तु बाध्यते, यस्मात् प्रधानं नित्यम्=अप्रच्युताऽनुत्पन्न-स्थिरैकस्वभावम्
इत्यने=सांख्यैरङ्गीक्रियते अस्य=प्रधानस्य, तथात्वाऽप्रच्युतौ च=प्रधानत्वाऽप्रच्युतौ च,
महदादि कथं भवेत् ॥ १ पूर्वेस्वभावपरित्यागाऽपूर्वस्वभावोपादानाभ्यामेव हेतु-हेतुमद्भावनिय-
मात्, अङ्गदादिपरिणामनाशेनैव कुण्डलादिपरिणामोत्पाददर्शनादिति भावः ॥२॥

२२ वीं कारिका में 'सांख्यवर्णित मत् कोरी भट्टामात्र से ही क्यों उपादेय है' इस को स्पष्ट किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

युक्तिपूर्वक विचार करने पर सांख्य का मत प्रमाण से बाधित हो जाता है क्योंकि सांख्य शास्त्र के विद्वानों ने प्रधान-प्रकृति को नित्य माना है और नित्य उसी वस्तु को कहा जाता है जो सदा एक रूप में स्थिर रहे, जिस का कभी भी न किसी रूप में स्खलन हो और न किसी रूप में उत्पन्न हो जैसे सांख्यसम्मत पुरुष। मत्तः प्रधान भी इसी रूप में नित्य होगा। फलतः प्रधानरूप से उस का स्खलन न होने के कारण उस से महत् अवि तत्त्वों की उत्पत्ति न हो सकेगी, क्योंकि कारण होने के लिए पूर्वस्वरूप का त्याग और कार्य होने के लिए अर्ध स्वरूप का त्याग आवश्यक होता है जैसे अङ्गद बाजूबंद आदि के रूप में स्थित गुब्बारे की कुण्डलादि का कारण होने के लिए अङ्गुवादि स्वरूप का परित्याग और कुण्डलादि स्वरूप का ग्रहण करना पड़ता है। अतः प्रधान को भी महत्

एक आधुनिक विद्वान् इस पर लिखता है—“हरिमठ की आपत्ति किसी गलतफहमी पर आधारित प्रतीत होती है, क्योंकि वस्तुतः सांख्य दार्शनिक की 'प्रकृति' नित्य होते हुए भी स्वान्तरण-शील ठीक इसी प्रकार है जैसे कि जैन-दर्शन की भग्यनात्सुमार विश्व की समी अख-चेतन वस्तुएँ नित्य होती हुए भी स्वान्तरणशील हैं।” वस्तुतः आ. श्री हरिमठसूत्र की कोई गलतफहमी नहीं है चूँकि उन को यहाँ नित्यता का नहीं एकात्मनित्यता का स्पष्टन अभिप्रेत है जो २४ वीं कारिका में स्पष्ट है। इतनी सरल बात का न समझ पाना यही तो गलतफहमी है।

इसी प्रकार इस विद्वान् ने शास्त्रवार्तासमुच्चय के हिन्दी अनुवाद की प्रस्तुतना में अपनी बेमूल्य विद्वत्ता का जो प्रदर्शन किया है उस का एक यह भी उदाहरण है—यह लिखता है—“हरिमठ ने सांख्य दार्शनिक को मूढ़ की है कि यदि वह अपनी प्रकृति का भर्जन ठीक इसी प्रकार करे जैसे कि जैन दर्शन में कर्मप्रकृति का (अर्थान् 'कर्म' नाम वाले सौतिक तत्त्व का) किया गया है तो उसका प्रस्तुत मत निर्दोष बन जायेगा, ...” लेकिन यह एक विचारणीय बात है कि सांख्य दार्शनिक की 'प्रकृति' एक है तथा उसके स्वान्तरण की परिधि समूचा अख जगत् है, जब कि जैन दर्शन की 'कर्म प्रकृतियाँ' अनेक हैं तथा उनके स्वान्तरण की परिधि अख-जगत् का एक भाग मात्र है।”

सज्जनों को सोचना चाहिये कि—आ. श्री हरिमठसूत्र का अभिप्राय यह है कि 'सांख्य' प्रकृति को सारे जगत् का उत्पादान कारण मानता है इस के स्थान में निमित्त कारण मान लिया जाय तो जैन मत वाली वास्तविकता के साथ उसका भी मेल हो जाय। इस अङ्गु अभिप्राय न समझ कर इस विद्वान् ने जो अंध संवे लिख दिया है वह केवल बाचदायंवर के सिवा और क्या है? इस विद्वान् ने तो ऐसे अनेक असमझस विधान उस की प्रस्तुतना में कर काले हैं। वास्तव में न तो अल्पज्ञ होने पर भी घमंडी और, महामंडीम पूर्वाचार्यों के गौरव को गिराने की धृष्टता करना ही जिनका जीवनव्रत है उन आधुनिक पंडितों से भारत के सज्जवत् भावि की क्या आशा करना।

अथ “नाऽस्माभिरपूर्वस्वभावोत्पत्त्या हेतुः हेतुमद्भावोऽभ्युपगम्यते यतो रूपभेदादित्यता प्रसज्येत, किन्त्वपरित्यक्तसर्पभावस्य सर्पस्य कुण्डलावस्थावदपरित्यक्तप्रधानभावस्यैव प्रधानस्य महादादपरिणामाभ्युपगम इति को दोषः, युवत्व-वृद्धत्वादपरिणामयोरप्यवस्थित एव धर्मिणि पूर्वोत्तरभावनियमेनाऽप्यस्थासंकीर्णात् ?” इत्यभिप्रायमुद्धृत्य निराकुरुते —

मूलम्—तस्यैव तत्स्य भावत्वादिनिमित्तं न सर्वदा ।

अत एवेति शेषस्य तथात्वे ननु तत्कुतः ? ॥२३॥

‘तस्यैव=प्रधानस्यैव, एवकारेण स्वभावान्तरव्यवच्छेदः, तत्स्वभावत्वात्=महादादि-जननस्वभावत्वात्, तथात्वाऽप्रच्युतावपि महादाद्युत्पत्तिरित्युपस्कारः’ इति चेत् ? तदा सर्वदा किं न भवति महादादिकम् ? प्रकृतिमन्विधानस्य सर्वदा सत्त्वादेकहेतुस्यैव जगत् स्यात्, ममर्थस्य कालक्षेपाऽप्योगादित्याशयः । परः प्राह—अत एव=कदाचिज्जननस्वभावत्वादेव न सर्वदोत्पत्ति-

प्राप्ति का कारण होने के लिए अपने पूर्वस्वरूप का त्याग और नये स्वरूप का ग्रहण करना होगा और यह होने पर उस की नित्यता समाप्त हो जायगी । अतः नित्यप्रकृति से अनित्य महत् प्राप्ति की उत्पत्ति युक्तिसंगत न हो कर उपदेष्टा के प्रति प्रतुष्ट अद्वाभाव होने के कारण ही मानी जा सकती है ॥२३॥

(प्रकृति की नित्यता के अन्वय में आशंका)

२३ वीं कारिका सांख्यो के एक विशेष अभिप्राय के निराकरणार्थं प्रस्तुत हुई है । वह अभिप्राय यह है कि-कार्यकारणभाव के लिए नये रूप की उत्पत्ति और पूर्वरूप का परित्याग आवश्यक नहीं है जिस से रूपमेव से प्रकृति में अनित्यता की प्राप्ति हो । किन्तु सर्व जैसे अपने सर्वभाव का परित्याग बिना किये ही कुण्डलावस्था का जनक हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति अपनी प्रधान अवस्था का परित्याग बिना किये भी महत् प्राप्ति का कारण हो सकती है ऐसा मानने में कोई दोष नहीं हो सकता । इस बात को अण्व प्रकार से भी समझा जा सकता है—व्यक्ति में जीवन, वार्थक्य इत्यादि परिणाम व्यक्तिरूप धर्मों की स्थिरता का घात न करके ही उस में क्रम से उत्पन्न होते हैं और उन में पूर्वोत्तर-भाव का नियम होने के कारण सांकेयिक नहीं होता । उसी प्रकार प्रधान में भी उस की नित्यता को बाधित किये बिना ही महत् प्राप्ति असंकीर्ण परिणामों का उदय यदि माना जाय, तो कोई हानि नहीं हो सकती ।

इस अभिप्राय को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है और उस के निराकरणार्थ जो बात कही गयी है वह कारिका की व्याख्या में स्पष्ट है व्याख्या इस प्रकार है—

“प्रधान स्वयं हो (—अपने पूर्व स्वभाव का परित्याग बिना किये ही) महत् प्राप्ति के उत्पादक स्वभाव से संपन्न है, अतः प्रधान अपने सहज स्वरूप में उद्यो का उद्यो स्थित रहते हुए भी उस से महत् प्राप्ति की उत्पत्ति हो सकती है ।” सांख्यो की ओर से महत् प्राप्ति तरवों और कार्य-कारण भाव के विषय में ऐसा अभिप्राय व्यक्त किया जा सकता है, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि महत्

नित्याश्रयः । वाद्याह-इति चेत्, 'ननु' इत्याक्षेपे, तस्य=प्रधानस्य तथास्ये=नियतस्वरूपाऽ-
विकृतत्वे तत्=कदाचिज्जननस्वभावत्वम् कुतः ? एकरूपा हि प्रकृतिः सदैव महदादि जनयेत्,
कदापि वा न जनयेत् । 'तत्सकालावच्छिन्नजननाऽजननोभयनिरूपितैकस्यभावश्चादयमदोष'
इति चेत् ? जननाऽजननयोस्तत्कालावच्छिन्नत्वे तत्स्वभावत्वम्, सन्त्यभावत्वे च तयोस्त-
त्त्वमिन्यन्योन्याश्रयः । स्वस्वभावादेव तयोस्तत्त्वे च विलीनं प्रकृत्यादिप्रक्रिययति भावः ॥२३॥

आदि को उत्पन्न करने के लिए यदि प्रधान में कोई मई घटना आवश्यक न होगी तो उस से निरप-
समय में ही महत् आदि को उत्पत्ति न होकर सर्वदा उस की उत्पत्ति की आपत्ति होगी । अतः
प्रकृति से एक साथ ही समुद्ये जात के जन्म की प्रसक्ति होगी, क्योंकि प्रधान में यदि जगत् की उत्पन्न
करने का सामर्थ्य है, तो जगत् की उत्पत्ति का विलम्ब नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिस कार्य की
उत्पन्न करने में समर्थ होता है वह उस की उपस्थिति होने पर कार्य के उत्पादन में विलम्ब नहीं
करता जैसे न्यायमल में कर्म विभाग की उत्पन्न करने में समर्थ होता है तो कर्म से विभाग की उत्पत्ति
में विलम्ब नहीं होता । कर्म के दूसरे क्षण में ही विभाग का जन्म हो जाता है ।

यदि यह कहा जाय कि-प्रधान में महत् आदि को नियतकाल में ही उत्पन्न करने का सामर्थ्य है
अतः सर्वदा उस की उत्पत्ति का प्रसंग नहीं हो सकता-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि प्रधान यदि अपने
सहज स्वरूप में कुछ भी विकृत हुए बिना ही महत् आदि को उत्पन्न करेगा तो नियतकाल में भी वह
महत् आदि को उत्पन्न न कर सकेगा । कहने का आशय यह है कि प्रकृति यदि सर्वदा एक रूप ही
रहेगी उसमें किञ्चित् भी कोई नई बात नहीं होगी-वह अपने सहज सदात्मन रूप में हो रह कर महत्
आदि का जनक भानो जायगी तो उस से या तो सर्वदा महत् आदि की उत्पत्ति होगी अथवा कभी
भी नहीं होगी 'क्योंकि कभी उत्पन्न करना और कभी उत्पन्न न करना' यह बात किसी आगम्युक्त
निमित्त की अपेक्षा के बिना नहीं बन सकती ।

[जन्म-अजनन उभयस्वभाव में अन्योन्याश्रय]

यदि यह कहा जाय-प्रकृति का यह सहज स्वभाव है कि किसी काल में महत् आदि का जनन
करे और कालान्तर में उस का जनन न करे । अतः प्रधान से महत् आदि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में
उक्त आपत्ति नहीं हो सकती है तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि महत् आदि के जनन और अजनन में
तत्कालावच्छिन्नत्व सिद्ध हो जाने पर ही प्रकृति में तत्कालावच्छेदेन महत् का जनन और अजनन
करने के स्वभाव की कल्पना हो सकेगी और इस प्रकार का स्वभाव सिद्ध हो जाने पर ही उसके बल
से महत् आदि के जनन और अजनन में तत्कालावच्छिन्नत्व सिद्ध हो सकता है इस में अन्योन्या-
श्रय है । इस अन्योन्याश्रय दोष के कारण यह कल्पना संभव नहीं हो सकती । यदि इस अन्यो-
न्याश्रय का परिहार करने के लिए महत् आदि के जनन और अजनन में तत्कालावच्छिन्नत्व की
भी स्वाभाविक मान लिया जायगा तो प्रकृति से महत् और महत् से महत्कारादि की उत्पत्ति की जो
प्रक्रिया साक्ष्य में वर्णित है वह अनावश्यक होने से समाप्त हो जायगी, क्योंकि सभी कार्य अपने स्वभाव
से ही तत्काल में संपन्न हो जायेंगे ॥२३॥

उपचयमाह—

मूलम्—नानुपादानमन्यस्य भावेऽन्यज्जातुचिञ्जेत् ।

ननुपादानकार्यां च न तस्यैकान्तनिरूपणा ॥२४॥

अनुपादान = तथा भाविकारणविकल्प, अन्यस्य = सर्वथा तथा भाविव्यातिरिक्तस्य प्रधानस्य, भावे = संबन्धने, अन्यत् = एकान्ताऽविद्यमानं महदादि; जातुचिन् = कदाचित्, न भवेत्, सर्वथाऽयनः सत्त्वाऽयोगात् । ननुपादानकार्यां च महदादेरन्युपगम्यमानायां न तस्य प्रधानस्य, एकान्तनिरूपणा, अनित्यमहदाद्यभिन्नत्वात् । 'महदाद्यदि सदात्मत्वाद् भित्त्यमेवे'ति चेत् ? सदा तर्हि प्रकृति-विकृत्यादिप्रक्रिया, मुक्तावपि तत्पक्षेऽपदर्शनं च । 'महदादेः प्रकृतिपरिणामित्वेन प्रकृत्यभिन्नत्वेऽप्यनित्यत्वादिना भेद एवे'ति चेत् ? तर्हि भेदाऽभेदप्रसङ्ग इति दिग् ॥२४॥

(प्रकृति को महत् का उपादान मानने में अनित्यता की आपत्ति)

२४ वीं कारिका में पूर्व कारिका में कहे गये अर्थ की ही संपुष्टि की गई है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है —

महत् आदि कार्यों को यदि उपादानहीन माना जायगा अर्थात् यदि उस का कोई ऐसा कारण नहीं माना जायगा जिस में महत् आदि की उत्पत्ति के पूर्व में भी महत् आदि का अस्तित्व होता हो, तो कारण में अविद्यमान ही महत् की उत्पत्ति माननी होगी । फलतः प्रधान का सन्निधान होने पर भी उस में प्रथमतः अविद्यमान होने के कारण महत् आदि की उत्पत्ति न हो सकेगी क्योंकि जो सर्वथा अस्त होता है वह कभी सत् नहीं हो सकता है । और यदि प्रधान की महत् आदि कार्यों का उपादान कारण माना जायगा, और कारणरूप में उस में महत् आदि का अस्तित्व माना जायगा तो प्रधान की एकान्त निरूपणा का भंग हो जायगा, क्योंकि उपादानकारण और कार्य में अन्वेषण नियम होने से प्रधानरूप उपादान कारण भी अपने कार्य अनित्य महत् आदि से अभिन्न होने के कारण कार्यात्मना अस्तित्व हो जायगा ।

यदि कहें कि—'महत् आदि भी सर्वदा सत् होने से नित्य ही होता है'—तो महत् आदि सत्त्व और प्रकृति में कार्य कारण भाव की साम्यता समाप्त हो जायगी । और महत् आदि नित्य होने पर मोक्षकाल में उस का अस्तित्व मानने पर सिद्धान्त की कृति होगी । इसप्रकार साधवर्तमान अपेक्षाओं का जायगा—'महत् आदि प्रकृति का परिणाम है और परिणाम परिणामी से अभिन्न होते हुए भी अनित्य होता है इसलिए महत् आदि प्रकृति से अभिन्न होने पर भी अनित्य होने से प्रकृति से भिन्न होगा, अतएव महत् आदि का अपने अभिव्यक्तरूप में सर्वदा सत् न होने से न तो उसे प्रकृति का कार्य होने में कोई बाधा होगी और न मोक्षकाल में उस के अस्तित्व का प्रसंग होकर सांख्य सिद्धान्त की कृति होगी'—तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर एक ही वस्तु में भेद और अन्वेषण का प्रसंग होने से सांख्य की स्वाध्याय या अनेकान्तभाव के द्वार पर दीवारिक बन्दना पड़ेगी ॥२४॥

स्थूलकार्यमधिकृत्याऽप्याह—

मूलम्—घटाद्यपि कुलालादिसापेक्षं दृश्यते भवन् ।

अतो न तत्पृथिव्यादिपरिणामैकहेतुकम् ॥२५॥

घटाद्यपि—स्थूलकार्यज्ञानम्, कुलालादिसापेक्षं भवद् दृश्यते, कुलालादीनां तत्राऽ-
न्वयव्यतिरेकानुविधानदर्शनात् । अतस्तत् पृथिव्यादिपरिणामैकहेतुकं न भवति, नियतान्वय-
व्यतिरेकी बिना तादृशपरिणामेऽपि हेतुताग्रहाभावात्, तयोश्च कुलालादावविशेषात् । 'कार्य-
गतयावद्गमनानुविधायित्वात् हेतोः कुलालादीनां न घटादिहेतुत्वमिति चेत् ? तर्हि बुद्धिगता
रागादयोऽपि प्रकृतौ स्वीकर्तव्याः, इति सैव बुद्धिः भावाष्टकमपन्नत्वात्, न तु प्रकृतिः ।
'स्थूलरूपतामपहाय सूक्ष्मरूपतया ते तत्र गन्तीति चेत् ? लयाद्यवस्थायां सौक्ष्म्यं बुद्ध्यापि
समानम्, सूक्ष्मतया घटादिगतधर्माणां कुलालादीं कल्पने बाधकामावश्य ॥२४॥

[घटादि कार्य पृथ्वी आदि के परिणाम मात्र से जन्म नहीं]

२५ वीं कारिका में स्थूलकार्यों में कर्तृसापेक्षता बताते हुए कार्य में कर्तृनिरपेक्षता के खण्डन का संकेत किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है —

घटादि कार्य कुलालादि कर्ता की अपेक्षा से उत्पन्न होता है यह बात देखने में आती है क्योंकि
घटादि में कुलालादि के अन्वय-व्यतिरेक का अनुविधान देखा जाता है । अर्थात् कुलाल आदि के रहने
पर घटादि का जन्म होता है और कुलालादि के अभाव में घटादि का जन्म नहीं होता है । इसलिये यह
कहना उचित नहीं हो सकता कि 'घटादि कार्य पृथ्वीआदि के परिणाममात्र से ही उत्पन्न होते हैं, क्यों-
कि पृथ्वीआदि के परिणाम में भी अन्वयव्यतिरेक के बिना घटादि की कारणता का ज्ञान नहीं होता है
किन्तु अन्वय-व्यतिरेक से ही होता है और जब अन्वय-व्यतिरेक के नाते पृथ्वी आदि के परिणाम को
घटादि का कारण माना जाता है तो पृथ्वीआदि के परिणाम के समान ही कुलालादि में भी अन्वय-
व्यतिरेक होने के नाते कुलालादि में भी घटादि की कारणता मानना आवश्यक है । यदि यह कहें
कि 'हेतु में कार्य के सभी धर्मों का सम्बन्ध होना आवश्यक होता है किन्तु कुलालादि में घटादि के सभी
धर्मों का सम्बन्ध नहीं होता । अतः कुलालादि घटादि का कारण नहीं हो सकता' तो यह ठीक नहीं
है क्योंकि हेतु में कार्य के सभी धर्मों के सम्बन्ध का होना आवश्यक नहीं माना जा सकता । यदि ऐसा
माना जायगा तो प्रकृति में बुद्धि के रागादि धर्मों का भी अस्तित्व मानना होगा और उस दशा में
धर्म-अधर्मादि आठ भावों से संयुक्त होने के कारण प्रकृति ही बुद्धि बन जायगी ।

यदि यह कहा जाय कि 'धर्म-अधर्मादि आठ भाव अपने स्थूल रूप का परित्याग कर सूक्ष्मरूप से
प्रकृति में रहते हैं । अतः वह बुद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि स्थूल रूप से भावाष्टकसम्पन्न को ही
बुद्धि कहा जाता है'—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर लयादि की अवस्था में बुद्धि भी बुद्धि
न हो सकेगी, क्योंकि उस समय उस में भी भावाष्टक स्थूलरूप से न रह कर सूक्ष्मरूप से ही रहते हैं,
और दूसरी बात यह है कि यदि कारण में कार्यगत सभी धर्मों का होना आवश्यक हो तब भी कुला-

देहेन भोगो देहभोगस्तेन, 'धान्येन धनम्' इतिवदमेवे तृतीया, देहभोगेन=देहद्वारेति वाच्यः, नैव अस्य=आत्मनः, भावतः=तत्त्वतः, इत्यते भोगः, किन्तु प्रतिबिम्बोदयात् । यथाप्येवमपि सुख-दुःखाद्यन्तःकरणधर्मानुविद्धस्य महत् एव स्वतोऽचेतनस्य चेतनोपरामेण 'चेतनोऽहं सुखी' न्यायप्रतिमानरूपरचितन्याशेऽनाप्तिको भोगः, न तु पुरुषस्य, तथापि भोक्तृबुद्धिर्निधानान् तत्र भोक्तृत्वव्यवहारः । तदाह पतञ्जलिः- 'शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति, तमनुपश्यन्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रतिमासते' इति । केचित्सु-शुद्धो पुरुषो-परामेण पुरुषेऽपि शुद्धय परामं वर्णयन्ति, न चैवं विकृतत्वापत्तिः, अतात्त्विकोपरामेण तदयो-

कारिका का धर्म इस प्रकार है—

कारिका के अन्तर्गत आगे देहभोग शब्द की 'देहा भोग' इस प्रकार व्याख्या होती है । इस श्रुत्युत्पत्ति में देह शब्द के उत्तर विद्यमान तृतीयाविभक्ति का अर्थ अभेद हो सकता है जैसे 'धान्येन धनम्' इस वाक्य में धान्य शब्दोत्तर तृतीया का अभेद अर्थ होता है । अतः देहभोग शब्द का अर्थ होता है देहात्मको भोगः । ऐसा अर्थ करने पर भोग शब्द को भुज् धातु से करण अर्थ में घञ् प्रत्यय द्वारा निष्पन्न मानना होगा । और ऐसा होने पर देहभोग शब्द का अर्थ होगा भोग का देहात्मक साधन । उक्त श्रुत्युत्पत्ति में भोग शब्द को साधारणक घञ् प्रत्यय से निष्पन्न मानने पर देहाद्योत्तर तृतीया का 'कार' अर्थ करना होगा । और तब देहभोग शब्द का अर्थ होगा-देह द्वारा होनेवाला भोग । देहभोग शब्द के उक्त दोनों अर्थों में कोई भी अर्थ लेने पर घट्टी तथ्य उपलब्ध होता है कि भोग के देहाभिन्न साधन से अथवा देहद्वारा होनेवाले भोग से आत्मा में वास्तविक भोग नहीं उपपन्न होता । क्योंकि आत्मा पूर्णरूप से ऊपरस्थ है । अतः विन्दीवार्सी आदि पूर्ववर्ती सांख्यवेत्ता विद्वानों ने यह कहा है कि भोग के वास्तव आश्रयभूत बुद्धितत्त्व में पुरुष का प्रतिबिम्ब होने से बुद्धिगत भोग का आत्मा में आभास मात्र होता है । यह ज्ञातव्य है कि प्रतिबिम्ब द्वारा भी आत्मा में भोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 'चेतनोऽहं सुखी' इस अभिमान की हो सत्त्वस्थरूप आत्मा में सुख का अतात्त्विक भोग कहा जा सकता है । किन्तु यह अभिमान भी सुखदुःखादि अन्तःकरणधर्मों से अनुविष्ट एवं स्वतः अचेतन महत्तत्त्व में ही चेतनोपरामेण होता है । अतः इस से आत्मा भोग का आश्रय सिद्ध नहीं हो सकता । यथार्थ में भोग का आश्रय तो बुद्धि ही होती है । अतः उस के सन्निधान में पुरुष में भोक्तृत्व का व्यवहार मात्र होता है । जैसा कि पतञ्जलि ने योगसूत्र के माध्य में कहा है- 'पुरुष तितान्तशुद्ध होता है । वह बुद्धिमत्त ज्ञान का अनुकूला मात्र होता है । और अनुकूला होने के कारण ही ज्ञातव्यक न होने पर भी जगतात्मक जेसा प्रतीत होता है' । पतञ्जलि के इस वाक्य का तात्पर्य पुरुष में भोक्तृत्व न होने पर भी भोक्तृत्व व्यवहार के प्रवर्तन में हो है ।

(पुरुष में बुद्धि के प्रतिबिम्ब से विकृति का प्रसंग)

कुछ विश्वासे पूर्व में पुरुष के उपराग के समान पुरुष में भी बुद्धि का उपराग बताते हैं । उन का आशय यह है कि जैसे बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसीप्रकार पुरुष में भी बुद्धि का प्रतिबिम्ब पड़ता है । ऐसा माननेपर यह शक्य नहीं हो जा सकती कि- 'पुरुष यदि बुद्धि के प्रतिबिम्ब

भात् । तथा पाद धर्पणमहर्षयः—'बुद्धिर्द्वयपरं कान्तमर्षप्रतिभिः स्फटिकद्वितीयदर्पणकल्पे पुंभ्य-
ष्यारोहति, तदेव भोक्तृत्वमस्य, न तु विकारोपपत्तिः' इति । 'बुद्धिगतप्रतिबिम्ब तन्मयेव बुद्धि-
गतभोगोपसंक्रमः, बिम्बात्मनि तु न किञ्चित्' इत्यपरे ।

स्वोक्तेऽर्थेऽभिधुक्तमितिमाह—यथोक्तं पूर्वसूरिभिः=विन्ध्यवास्यादिभिः ॥२७॥

किमुक्तम् ? इत्याह—

मूलम्—पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम् ।

मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिकं यथा ॥२८॥

पुरुषः=आत्मा, अविकृतात्मैव=अप्रच्युतस्वभाव एव, अचेतनं मनः, सान्निध्यात्=सामीप्यात् हेतोः, स्वनिर्भासं=स्वोपरक्तम् करोति । निदर्शनमाह—यथोपाधिः पद्मगर्गादः स्फटिकं स्वधर्मसंक्रमेण स्वोपरक्तं करोति । न चैतावता न विकरोति, किन्तु स्फटिक एव विक्री-
यते, तथाऽऽत्मापि ब्रह्मध्वपरागं जनयन् न विकरोति, किन्तु बुद्धिरका विक्रीयत इति भावः ॥२८॥

को ग्रहण करेगा तो विकारी हो जायगा—' क्योंकि पुरुष में बुद्धि का जो प्रतिबिम्बात्मक उपराग होता है वह स्तब्धक नहीं होता । अतः एव वह पुरुष को विकारयुक्त नहीं कर सकता । बादमहा-
र्षय नामक ग्रन्थ में यह बात इस प्रकार स्फुट की गई है कि—जैसे एक दर्पण में पड़ा हुआ किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब उस दूसरे दर्पण में भी संक्रान्त होता है जिसमें वस्तु के प्रतिबिम्ब से पुनः पहला दर्पण प्रतिबिम्बित होता है । उसी प्रकार वस्तु का प्रतिबिम्ब बुद्धि में पड़ता है और उस प्रतिबिम्ब से पुनः बुद्धि का प्रतिबिम्ब पुरुष में पड़ता है । अतः बुद्धिगत वस्तुप्रतिबिम्ब पुरुष में भासित होता है । बुद्धि के प्रतिबिम्ब द्वारा पुरुष में बुद्धिगत वस्तुप्रतिबिम्ब का भासित होना ही पुरुष का भोक्तृत्व है । इस प्रकार का भोक्तृत्व होने पर भी पुरुष में कोई विकार नहीं होता । अन्य विद्वानों का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि बुद्धि में पुरुष-आत्मा का प्रतिबिम्ब होने पर आत्मा के बोध्य हो जाते हैं । एक प्रतिबिम्ब आत्मा और दूसरा बिम्बात्मा । इन में बुद्धिगतभोग का सम्बन्ध प्रतिबिम्बात्मा में ही होता है, बिम्बात्मा में नहीं होता । अतः प्रतिबिम्बात्मा के विकृत होने पर भी बिम्बात्मा को निविकारता यथापूर्व अती रहती है ॥२७॥

(आत्मसंनिधान से अन्तःकरण में औपाधिक चैतन्य)

२८ वीं कारिका में पूर्व संकेतित सांख्यवेत्ताओं के कथन को स्पष्ट किया गया है ।

कारिका अर्थ इसप्रकार है—

आत्मा अपने सन्निधान से अचेतन मन को उपरक्त करता है अर्थात् उसमें अपने चैतन्य की प्रतीति कराता है और ऐसा करने पर भी वह अपने स्वरूप से अविकृत ही रहता है । यह बात स्फटिक के दृष्टान्त से बताई गई है । भावार्थ यह है कि जैसे पद्मरागमणि आदि उपाधि समीपस्थ स्फटिक भण्ड को अपने वर्ण के संक्रमण द्वारा उपरक्त करती है किन्तु ऐसा करने पर भी वह

ततः किम् ? इत्याह—

मूलम्—विभक्त्येवैकपरिणती बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते ।

प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥२१॥

विभक्त्या=आत्मभिक्षा, ईदृक्परिणतिः—अभिहितपुरुषोपरागपरिणामा च, इति कर्मधातयः, तस्यां, बुद्धौ=अन्तःकरणलक्षणायाम्, अस्थ=आत्मनः, भोगः कथ्यते, आसुरि-प्रभृतिभिः । किंवत् ? इत्याह—यथा चन्द्रमसः=वास्तवस्य चन्द्रस्य, प्रतिबिम्बोदयः=प्रति-बिम्बपरिणामः, स्वच्छे=निर्मले, अम्भसि=जले ॥२१॥

तदिदमखिलमपाकुर्वन्नाह—

मूलम्—प्रतिबिम्बोदयोऽप्यस्य नामूर्तत्वेन युज्यते ।

मुक्तेरतिप्रसङ्गाच्च न वै भोगः कदाचन ॥२०॥

प्रतिबिम्बोदयोऽपि, अस्थ=अमूर्तत्वेन न युज्यते, आयावन्मूर्तद्रव्येणैव हि प्रतिबिम्बा-रूपं स्वाकारं ग्राह्यरूपयोगात्तत्त्वं दृग्ग्राह्यरूपे, मया नास्ति—[प्र. म. टीका शृ० ३०४/२]

‘सामा उ दिया आया अभासुमया णिमि तु कालामा ।

सन्नेह भासुरगया सदेहवण्णा सुखेयन्वा ॥१॥ इति ।

स्वयं विकृत नहीं होता अपितु उस के उपराग-सम्बन्ध से एकटिक ही विकृत होता है उसी प्रकार आत्मा भी बुद्धि में अपने उपराग का जनक होकर भी स्वयं नहीं विकृत होता, किन्तु उस के उपराग से बुद्धि ही विकृत होती है ॥२०॥

(बुद्धि में पुरुषोपराग ही आत्मा का भोग है—आसुरि)

२६ वीं कारिका में पूर्व कारिका के कथन का निष्कर्ष बताया गया है ।

कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

बुद्धि अन्तःकरण रूप है और पूर्वकारिका में वर्णित पुरुषोपरागरूप परिणाम से युक्त है एवं आत्मा से विभक्त भिन्न है, वास्तव में भोग उसी में होता है । सांख्यशास्त्र के आसुरि आदि विद्वानों ने आत्मा में जो भोग का उल्लेख किया है वह भोगयुक्त बुद्धि में आत्मा के उपराग के कारण ही है, एवं अव्यक्त है । यह बात जल में चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब के दृष्टान्त से स्पष्ट होती है । जैसे अविकृत चन्द्रमा का निर्मल जल में प्रतिबिम्बात्मक परिणाम होता है उसी प्रकार सूक्ष्म बुद्धितत्त्व में अविकृत आत्मा का भी प्रतिबिम्बपरिणामात्मक उपराग हो सकता है ॥२६॥

[अमूर्त आत्मा का प्रतिबिम्ब असंगत है]

३० वीं कारिका में पूर्वकारिका तक सार्वभौमिकी और से प्रकट किये गये सम्पूर्ण विचार का निराकरण किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

(१) श्यामा तु दिवा आयाऽदास्वरगता निशितु कालामा । सा चेह भासुरगता सन्नेहवर्णा कालम्बा ॥१॥

पुनर्तु चैतत्, अन्यथेदेत्वापच्छेदेन मुखभेदग्रहाऽभावान् । 'इदं मुखम्' इति प्रतीतिः कथञ्चिदुपपादनेऽपि 'इदं मुखप्रतिबिम्बम्' इति प्रतीतिः कथमप्युपपादयितुमशक्यत्वात् । मुख-अभाधिष्ठानस्वरूपमुखप्रतिबिम्बत्वस्य प्रागेवाऽग्रहान्, 'आदर्शं मुखप्रतिबिम्बम्' इत्याधाराऽऽधेय-भाषाध्यवसायानुपपत्तेश्च । एतेन 'मुखे बिम्बत्वमिवाऽऽदर्श एव प्रतिबिम्बत्वं मुखसंनिध्य-दोषाऽभावादिसामग्र्याऽभिहितव्यते' इति निरस्तम्, बिम्बोत्कर्षानुपपत्तेः, प्रतिबिम्बत्वाऽ-ग्राहकतामग्र्या एवादर्शभेदभ्रमहेतुत्वेन 'अयं नाऽऽदर्शः, किन्तु मुखप्रतिबिम्बम्' इति सार्व-

भास्मा अमूर्तः । इसलिये बुद्धि सत्त्व में उसके प्रतिबिम्ब का उदय युक्तिसङ्गत नहीं हो सकता क्योंकि जो द्रव्य मूर्त एवं छायावान होता है वही किसी भास्वर में अपने आकार का प्रतिबिम्बक द्रव्य को उत्पन्न कर सकता है जैसा कि 'सामा उवीयाः' इस ऋषिप्रणीत गाथा में कहा गया है । गाथा का अर्थ यह है कि- विन में किसी अभास्वरद्रव्य में क्यामूर्तता और 'रात्रि के समय कृष्णावर्णा छाया होती है । वही जब भास्वरद्रव्य में प्रतिबिम्बित होती है । तब अपने द्रव्य के ही वर्ण में बिम्बाई बेती है।' इस गाथा से स्पष्ट है कि छायावान् मूर्त द्रव्य का ही भास्वर द्रव्य में प्रतिबिम्ब होता है । अतः छायाहीन अमूर्त भास्मा का बुद्धि में प्रतिबिम्ब मानना सङ्गत नहीं हो सकता । 'छायावान् मूर्त द्रव्य भास्वरद्रव्य में अपने समान प्रतिबिम्ब द्रव्य को उत्पन्न करता है' यह मानना ही युक्तिसङ्गत है क्योंकि यदि छायावान् मूर्त द्रव्य से भास्वर द्रव्य में उसके सदृश सये प्रतिबिम्ब द्रव्य की उत्पत्ति न मानी जायगी किन्तु भास्वर द्रव्य को बिम्बमूर्त द्रव्य के भ्रम का अधिष्ठान मात्र माना जायगा तो वर्ण में मुख का प्रतिबिम्ब होने पर जो 'इदं मुखम्' यह प्रतीति होती है उसकी उत्पत्ति तो हो सकती है, क्योंकि 'इदं न मुखम्' इस प्रकार भ्रमवर्ण न रहने के कारण 'इदं मुखम्' इस प्रतीति के होने में कोई बाधक नहीं हो सकता, किन्तु वर्ण में मुख का प्रतिबिम्ब होने पर 'इदं मुखप्रतिबिम्बम्' यह भी प्रतीति होती है जिसका उपपादन नहीं हो सकेगा । क्योंकि यदि वर्ण में प्रतिबिम्ब मुख की उत्पत्ति न मानी जायगी तो मुख का प्रति-बिम्बत्व जो मुखभ्रम का अधिष्ठानस्वरूप है वह प्रतिबिम्ब काल में गृहीत नहीं है अतः 'इदं मुखप्रति-बिम्बम्' प्रतीति का होना अशक्य है । और यदि प्रतिबिम्ब को द्रव्यात्मक न माना जायगा तो 'आदर्शं मुखप्रतिबिम्बम्' इस प्रकार वर्ण और मुखप्रतिबिम्ब में आधार अध्येयभाव की प्रतीति भी न हो सकेगी, क्योंकि आधेय के अभाव में केवल आधार मात्र से आधार-आधेय भाव की प्रतीति नहीं हो सकती है ।

इस सम्बन्ध में कुछ लोगों का यह कहना है कि-वर्ण में मुख का प्रतिबिम्ब पड़ते समय प्रति-बिम्बात्मक किसी नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु मुखसंनिध्य और दोषाभावादिसामग्री से मुखमें बिम्बत्व और वर्ण में प्रतिबिम्बत्व की अभिव्यक्ति होती है-किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में आदर्श ही प्रतिबिम्ब कहा जायगा । अतः आदर्श और प्रतिबिम्ब में आधार आधेय भाव की उक्त प्रतीति की उत्पत्ति इस मत में भी न हो सकेगी । एवं बिम्ब के उत्कर्ष से प्रतिबिम्ब का उत्कर्ष भी न हो सकेगा । आशय यह है कि वर्ण में छोटे मुख का छोटा प्रतिबिम्ब बीजता है और बड़े मुख का बड़ा प्रतिबिम्ब बीजता है । यदि प्रतिबिम्ब नाम के नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होगी किन्तु आदर्श में ही प्रतिबिम्बत्व की अभिव्यक्ति मानी जायगी तो प्रतिबिम्ब में बिम्बाधीन अपकर्ष-उत्कर्ष की उत्पत्ति न हो सकेगी । और प्रतिबिम्ब के समय 'अयं न आदर्शः'-यह वर्ण नहीं है किन्तु

जनीनानुभवानुपपत्तेरच । न च प्रतिबिम्बस्य द्रव्यत्वे साधनिकत्वानुपपत्तिः, प्रतिबिम्बधर्मस्यैव सहचर्यवत् सावधिकत्वात् । न चाश्रयनाशे तन्नाशानुपपत्तिः, बिम्बसंनिधाननिमित्तजनितस्य तस्य तनाशेनैव नाशममवात् । न चैवमनन्तप्रतिबिम्बोन्पन्नानाद्यादिकल्पने गौरवम्, सादृश्यप्रतिबिम्बानन्तदोषादिकल्पने तदैव गौरवात्, अनुभवापत्त्यापत्त्येति, अधिकमाकरे । स्फटिकादौ लोहित्यादिकमपि पद्मगगादिमूर्तमेति धिचिन्त्य एव परिणामविशेषः, साक्षात्संबन्धेन तत्प्रतीती परम्परासंबन्धस्थाऽतिप्रसक्तत्वात् । स्फटिकादिनिष्ठतया लोहिताश्रयसंसर्गस्य साक्षात्संबन्धेन लोहित्यभ्रमजनकत्वे तत्र विशेषदर्शनादेकतेजकत्वे, परंपरासंबन्धेन लोहित्यप्रमानियामकत्वादिकल्पने चातिगौरवात् लोहित्यमात्रजनकत्वकल्पनाया एव न्याय्यत्वात्, अभिभूताऽनभिभूतरूपयोः समावेशस्याऽनुभवसिद्धत्वेनाऽविरुद्धत्वात्, नियताग्भनिराग्याच्चेति, अन्यत्र बिम्बः ।

मुख्यकार प्रतिबिम्ब है' यह सार्थजनीन अनुभव होता है । इस अनुभव की भी उपपत्ति न हो सकेगी । क्योंकि प्रतिबिम्बत्व की अग्राहक सामग्री ही आदर्श के भेदभ्रम का हेतु होती है । अतः आदर्श के भेदभ्रम के साथ प्रतिबिम्बत्व का ज्ञान होना संभव नहीं हो सकता ।—'प्रतिबिम्ब को अतिरिक्त द्रव्य मानने पर उस में बिम्बावधिकत्व न हो सकेगा अर्थात् जब तक बिम्ब रहे तब तक उसका अस्तित्व न होकर बिम्ब के अभाव में भी उस के अस्तित्व की प्रतीति होगी—यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रतिबिम्ब बिम्बावधिक नहीं होता किन्तु उस का प्रतिबिम्बत्वरूप धर्म ही साधनिक होता है । अर्थात् बिम्ब के न होने पर प्रतिबिम्ब का अभाव नहीं होता । किन्तु प्रतिबिम्बत्व की बुद्धि निश्चय ही जाती है, क्योंकि प्रतिबिम्बत्व के ग्रहण में बिम्ब का संनिधान कारण होता है । इसे महत्त्व (अमूल्यपरिमाण) के दृष्टान्त से समझा जा सकता है । जैसे, जिस द्रव्य में जिस द्रव्य की अपेक्षा महत्त्व की प्रतीति होती है उस द्रव्य के अभाव में महत्त्वेन प्रतीत होनेवाला द्रव्य का अभाव नहीं होता अपितु महत्त्व की प्रतीति का निरोध मात्र होता है । अतः जैसे महत्त्व का अश्रयभूत द्रव्य तत्पु-द्रव्य से साधनिक नहीं होता किन्तु उस का महत्त्व ही उस से साधनिक होता है उसी प्रकार प्रतिबिम्बात्मक द्रव्य बिम्बावधिक नहीं होता किन्तु उस का प्रतिबिम्बत्व रूप धर्म ही बिम्बावधिक होता है ।

आश्रय नाश से प्रतिबिम्बक द्रव्य के नाश की अनुपपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिबिम्बक द्रव्य बिम्बसंनिधान रूप निमित्त से उत्पन्न होता है अतः आश्रयनाश होने पर उस निमित्त का नाश होने के कारण प्रतिबिम्बक द्रव्य का नाश हो सकता है क्योंकि निमित्त का नाश नैमित्तिक के नाश का कारण होता है । अतिरिक्त प्रतिबिम्बक द्रव्य की उत्पत्ति मानने पर अनन्त प्रतिक्रिया की उत्पत्ति और उन के नाश आदि की कल्पना में गौरव होगा' यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रतिबिम्ब को बिम्बभ्रम माननेवाले सांख्य की सादृश्य से अतिरिक्त भ्रमजनक अनन्त दोष की कल्पना आशय्यक होने से सांख्यमत में ही गौरव है । और उस मत में बिम्बभूत मुख से भिन्न प्रतिबिम्बमुख वेद्यने के सर्वजनमिद अनुभव का सांख्यमत में अपत्याप भी होता है । इस विषय का अधिक विचार आकुर ग्रन्थ में प्रष्टव्य है ।

स्फटिकादि में जो लोहित्यादि प्रतीत होता है वह भी पद्मरागादि मूर्त द्रव्य के संनिधान से उत्पन्न होनेवाला स्फटिकादि का परिणामविशेष ही है । और स्फटिक में उस की प्रतीति साक्षात्

तस्मादात्मनो घुर्द्धा विस्मृतया उपाधितया वाऽमूर्तत्वाद् न स्वीपरागजनकत्वम् ।
तन्वे वा कथमात्मनोऽकारणत्वम् । कथं वा तदुपरागस्याऽनिर्वचनीयस्य, अमर्तो वा स्वीकारे
नोपनिषद्वैद्वमतप्रवेशः । एतेन 'नामूर्तस्य प्रतिविम्बभावाः शून्यो वस्तुम्, अमूर्तानां रूप-
परिणामादीनां प्रतिविम्बदर्शनात्, द्रव्यस्याऽप्यमूर्तस्य साधनत्वात्कालादेर्जातुमात्रे जले
दूर-विशालम्बरूपेण प्रतिविम्बदर्शनाच्च' इत्युक्तावपि न निस्तारः ।

संबन्ध से ही होती है । यदि स्फटिक में प्रतीत होनेवाले लोहित्य को स्फटिक का परिणाम न मान
कर उस में भ्रमवश-दोषवश प्रतीत होनेवाले पथरागादि उपाधियों का ही धर्म माना जायगा तो
स्फटिक में उस का साक्षात् संबंध न होने से परंपरा संबंध से ही उस की प्रतीति माननी होगी । अब
परंपरा संबंध को उस की प्रतीति का जमक मानने पर दूरस्थ स्फटिकादि में पथरागादि के लोहि-
त्य का परंपरा संबंध होने से उस में भी लोहित्य की प्रतीति का प्रतिप्रसंग होगा । और यदि स्फटिक
में लोहित्य के आश्रयभूत पथरागादि के विद्यमान संसर्ग को साक्षात् संबंध से लोहित्यभ्रम का जनक
माना जायगा तो 'स्फटिको न लोहितः-स्फटिक लाक्षण्यं का नहीं है' इस विशेष दर्शनकाल में स्फटिक
में लोहित्य का भ्रम न होने से उक्त प्रतीतिरूप विशेष दर्शन ही उचित बनकर होता । यद्यपि 'उक्त
प्रतीति के अभाव से विशिष्ट पथराग के संसर्ग को स्फटिक में लोहित्य की प्रतीति का कारण मानना
होगा एवं स्फटिक में विद्यमान लोहित्य के आश्रयभूत पथराग के संसर्ग को स्फटिक में परंपरा संबंध
से लोहित्य की प्रमा का नियामक मानना पड़ेगा । अतः साहचर्य से अत्यधिक गौरव होगा ।

उस की अपेक्षा न्यायसंगत यही है कि स्फटिकगत पथरागसंसर्ग को स्फटिक में लोहित्य का
ही जनक माना जाय । अभिभूत और अतिभिभूत रूप का एकत्र समावेश अनुभव सिद्ध है अंसे, रात्रि
के समय नक्षत्रों का रूप अनभिभूत रहता है किन्तु दिन में सूर्य के प्रकाश से अभिभूत
रहता है । इसी प्रकार पथरागादि के संनिधान में स्फटिक में अनभिभूत लोहित्य और अतिभिधान में
अभिभूत लोहित्य के मानने में कोई विरोध नहीं हो सकता । पथराग के संनिधान में लोहित्य की
उत्पत्ति मानना सब न संभव होता जब लोहित्य आदि का नियतारंभ माना जाता अर्थात् नियत
दे काल में नियत हेतु से ही आरम्भ माना जाता-किन्तु यह मत निरर्थक है । और इस संबंध में
और विस्तृत विचार अग्रे प्रश्न में दृष्टव्य है । निष्कर्ष यह है कि आत्मा घूर्द्धा है इस लिए वह
विम्बरूप से या उपाधिरूप से वृद्धि में अपने प्रतिविचारमय उपराग का जमक नहीं हो सकता, यदि
जनक होगा तो उसका अकारणत्व सुरक्षित न रह सकेगा । और वृद्धि में होनेवाले आत्मा के उपराग
को यदि अनिर्वचनीय माना जायगा तो अप्रतिविम्ब (वेवान्त) मत में, और अस्तु माना जायगा तो
गुण्यवादी बौद्ध मत में प्रवेश की आपत्ति होगी ।

'मूर्त द्रव्य का ही प्रतिविम्ब हो सकता है अमूर्त का नहीं' इस कथन की प्रतिक्रिया में कुछ लोगों
का ऐसा कहना है कि—'अमूर्त पदार्थ का प्रतिविम्ब नहीं होता है' यह मत अनुचित है, क्योंकि रूपपरि-
माणवि अमूर्त पदार्थों का भी प्रतिविम्ब देखा जाता है । अमूर्त द्रव्य का प्रतिविम्ब नहीं होता-यह मत
भी मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अश्वत्थमात्र आदि से युक्त अमूर्त आकाश द्रव्य का जानुपर्यंतजल में
पूरस्थ और विशाल रूप में प्रतिविम्ब देखा जाता है । किन्तु यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त
युक्ति से प्रतिविम्ब एक जगत्प्रामाण्य कार्य है । जो विम्बात्मक कारण से उत्पन्न होता है अतः यदि

अथ 'न पुरुषजन्यः पुरुषोपरागः, किन्तु पुरुषभेदाऽग्रहादसत एव तस्योत्पत्तिः, सदुपरागेण भानाच्च नाऽस्तत्त्वमिति'रिति चेत् ? तर्हि सति मत्कार्यवादेन । बुद्धौ सन्नेव पुरुषोपरागः कदाचिदाविर्भवेतीति चेत् ? तर्हि बुद्ध्यानुत्पत्तेः पूर्वं पुरुषस्यानुपस्कृतया मीमांसा स्यात्, प्रकृतेः साधारणत्वेनाऽनुपस्कृतत्वात् । 'पूर्वपुद्गलामनानुत्पत्तेः साधारण्येऽप्यसाधारणी प्रकृति'रिति चेत् ? न, 'बुद्धिनिवृत्तावपि तद्वर्तमानानुत्पत्तिः' इत्युपदर्शनम् । 'सौक्ष्म्याद् न दोष इति' चेत् ? भुक्तत्वावपि सत्प्रसङ्गः । 'निर्दिष्टकामित्वाद् नैवमिति' चेत् ? तर्हि साधिकारा प्रसुप्तस्वभावा बुद्धिरेव प्रकृतिरस्तु, कृतमन्तरा प्रकृत्य-ऽहङ्कार-मनः-शब्दानामर्थान्तरकल्पनया, मैव हि तत्तद्व्यापारयोगात् तेन तेन शब्देन रूपदिश्यते क्षरीश्वरायुवत्, इत्यागमस्यापि न विरोध इति । स्वीक्रियता वा यथा फलजिद् तस्याऽनास्तिक्यो मीमांसकः तथाप्यन्यदुपणमित्याह- भुक्तेरतिप्रसङ्गाच्च-तेषां प्रतिविम्बभावात् भौमादिषामपि भुक्तेरकल्पभावात्वात्, वै-निश्चितम्, कदाचन-कदाचिदपि, भोगो न स्यात् ॥३०॥

आत्मा का प्रतिबिम्ब माना जायगा तो आत्मा को उस प्रतिबिम्ब का कारण मानना होगा । और ऐसा मानने पर आत्मा के साक्ष्य सम्मत अकारणत्व सिद्धान्त का भङ्ग हो जायगा ।

[असत् पुरुषोपराग कि उत्पत्ति में सत्कार्यवाद विलय]

यदि यह कहा जाय कि-बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्बात्मक उपराग पुरुषजन्य नहीं होता अपितु बुद्धि पुरुष के भेद का ज्ञान न होने से प्रथमतः अविद्यमान ही पुरुषोपराग की उत्पत्ति होती है । बुद्धि और पुरुष इन दो सत्त्वार्थों के सम्पर्क से असत् भी पुरुषोपराग का भान होता है । ऐसा मानने पर बोध की असत्त्वमिति का यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि उस मत में सत् वस्तु का सर्वथा अभाव होने से सत् के सम्बन्ध से असत् का ज्ञान नहीं माना जा सकता-किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि असत् पुरुषोपराग की उत्पत्ति मानने पर 'कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में सत् होता है इस साक्ष्य के सुप्रसिद्ध सत् कार्य सिद्धान्त का भङ्ग हो जायगा । 'यत्त बुद्धि में पहले से ही विद्यमान रहता है समय विशेष में उसका आविर्भाव होता है'-यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर बुद्धि की उत्पत्ति के पूर्व पुरुष में किसी प्रकार की उपरक्तता-संस्पृष्टता नहीं रहने से प्रकृतिसत्त्व पर से पहले ही पुरुष भुक्त हो जायगा 'बुद्धि की उत्पत्ति के पूर्व प्रकृति से उपरक्त होने के कारण उस समय भी पुरुष की भुक्तता नहीं हो सकती'-यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकृति आत्मा मात्र के प्रति साधारण होने से किसी की उपराग द्वारा नहीं बाँध सकती ।

अगर कहें 'प्रकृति सर्वसाधारण होने पर भी पूर्वबुद्धि की वासना का अनुवर्तन होने के कारण साधारण हो सकती है अतः उस से भी पुरुष का उपरञ्जन-बन्धन हो सकता है' तो यह ठीक नहीं है क्योंकि प्रलयावस्था में बुद्धि की निवृत्ति हो जाने पर भी बुद्धि के वासनात्मक धर्म की प्रतुष्टि मानने में साक्ष्य का अप्रसिद्धान्त हो जाता है । 'प्रलयावस्था में बुद्धि की और उस के धर्ममूल वासना की सूक्ष्मरूप से स्थिति होने के कारण यह बोध नहीं हो सकता'-यह कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि ऐसा मानने पर सीधवशा में भी बुद्धि और बुद्धिगत वासना का सूक्ष्मरूप में अवस्थान मानना होगा, अतः

अथ यदि संसारिणां प्रतिबिम्बोदयस्वभावः, तदाह—

मूलम्—न च पूर्वस्वभावत्वात् सुक्तानामसंगतः ।

स्वभावान्तरभावे च परिणामोऽनिवारितः ॥३१॥

न च=नवा सः=प्रतिबिम्बोदयस्वभावः, पूर्वस्वभावत्वात् संसार्थवस्थैकस्वभावत्वात्, सुक्तानामसंगतः किन्तु संगत एव, अन्यथा नित्यरक्षतेः, एवमपि कदाचन न भोगः किन्तु सर्वदैव स्यात्, इति योजना । स्वभावान्तरभावे च=अमुक्तस्वभावपरित्यागेन सुक्तस्वभावोत्पादे च सुक्तानामिष्यमाणो, अनिवारितः परिमाणः, स्वभावादन्यथात्वस्यैव तत्त्वचक्षणत्वात् ।

मोक्ष की उपपत्ति न हो सकेगी । यदि कहा जाय कि-मोक्षवशा में बुद्धि अधिकारहीन हो जाती है । अत एव उस का बन्धन सामर्थ्य समाप्त हो जाने से उस के रहने पर भी मोक्ष की अनुपपत्ति नहीं हो सकती—तो यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि ऐसा मानने पर अधिकारयुक्त प्रसुप्त स्वभाववाली बुद्धि को ही प्रकृति माना जा सकता है । और इस प्रकार प्रकृति-अहंकार-मन ये सभी शब्दों के अर्थभेद की कल्पना अनावश्यक और अप्रामाणिक हो जायगी, क्योंकि बुद्धि प्रकृति, अहंकार और मन के व्यापारों के सम्बन्ध से प्रकृति आदि शब्दों से उसी प्रकार व्यपविष्ट हो सकेगी जैसे शरीरस्थ एक ही वायु व्यापार भेद से प्राण-अपान आदि विभिन्न शब्दों से व्यपविष्ट होता है । इस प्रकार प्रकृति अहंकारादि विभिन्न शब्दों से तत्त्व का निरूपण करनेवाले सांख्यशास्त्र का विरोध नहीं होगा और यदि किसी प्रकार आत्मा में अतान्त्रिकभोग मान भी लिया जाय तो उसका बोधों का कर्षाकृत निराकरण हो सकने पर भी संसारवशा में मोक्ष का अतिप्रसङ्ग होगा क्योंकि अमूर्तव्य का प्रतिबिम्ब न मानने पर संसारी आत्मा भी मुक्तकल्प ही होगा । और आत्मा का प्रतिबिम्ब न मानने पर आत्मा में कभी भी भोग न हो सकेगा ॥३१॥

(अपरिणामी आत्मा प्रतिबिम्बोदय स्वभाव नहीं हो सकता)

यदि श्री कारिका में संसारी आत्मा में प्रतिबिम्बजनन स्वभाव होना है' इस मत की समीक्षा की गई है । कारिका अथ इस प्रकार है—

संसारी आत्मा को प्रतिबिम्बजनन के स्वभाव से सम्पन्न मानकर भी संसारावस्था में आत्मा में सुषुप्ता की आपत्ति का परिहार हो सकता है । किन्तु संसारी आत्मा में प्रतिबिम्बजनन स्वभाव मानने पर सुषुप्तात्मा को उस स्वभाव से विधुर कहना संझन नहीं हो सकता । क्योंकि संसारावस्था में आत्मा में जो प्रतिबिम्बजननस्वभाव रहता है-मोक्षावस्था में उस को निवृत्ति मानने पर आत्मा की निवृत्तता का भङ्ग हो जायगा और यदि एकावस्था में भी उस स्वभाव का अनुद्यतन माना जायगा तो आत्मा में भोग केवल संसार वशा में ही न होकर सब काल में होने लगेगा । जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि आत्मा कभी मुक्त न हो सकेगी । इस दोष का परिहार करने के लिये यदि यह माना जाय कि 'मोक्षावस्था में आत्मा के संसारकालीन अमुक्तस्वभाव की निवृत्ति हो जाती है और मुक्त स्वभाव की उत्पत्ति हो जाती है' तो आत्मा में परिणामित्व की आपत्ति होगी । क्योंकि एक स्वभाव को छोड़कर स्वभावान्तर की ग्रहण करना ही परिणामी का लक्षण होता है ।

‘घटनाशो घटावच्छिन्नस्याकाशस्य घटानवच्छिन्नत्वेऽपि स्वभावाऽपरित्यागवद् सवासनबुद्धिनाशो विषयावच्छिन्नस्य चैतन्यस्य विषयानवच्छिन्नत्वेऽपि स्वभावाऽपरित्याग एवेति चेत् ? अहो ! अविद्धमसिद्धेन साधयति भवान् । घटनाशोऽप्याकाशस्य घटावच्छिन्नत्वात्तत्त्वभावाऽपरित्यागे वदन्काशव्यवहारप्रसङ्गात् । किञ्च ‘सा बुद्धिरुत्तमेवात्मानं विषयेणावच्छिनत्ति’ इत्यत्र न किमपि नित्यामर्कं पश्यामः । तस्मात् बुद्धिरेव रागादिपरिणताऽऽत्मस्थानेऽभिपिच्यताम् । तस्या लयश्च रागादिलय एव, इति सर्वत्र सूचितरिति युक्तम् ॥३१॥

देहात् पृथक्त्व आत्मनो दोषान्तरमाह—

दोहापृथक्त्व एवास्य न च हिंसादयः क्वचित् ।

तदभावेऽनिमित्तमवाक्यं बन्ध, शुभाशुभः ? ॥३२॥

देहात् पृथक्त्व एव=एकान्ततो देहपृथक्त्वे, अस्थ=आत्मनः स्वीकियमाणे, न च हिंसादयः क्वचित् भवेयुः । न हि ब्राह्मणशरीरहत्यैव चम्रहत्या, मृतब्राह्मणशरीरदाहेऽपि तत्प्रसङ्गात् । न च मरणोद्देशाभावादयमदोषः, नदुद्देशेनापि तत्प्रसङ्गात् । ब्राह्मणात्मनस्तु नाश एव न, इति ब्राह्मणं धनतोऽपि सा न स्यात् । ‘ब्राह्मणशरीरावच्छिन्नज्ञानजनकमनःसंयोग-

यवि यह कहा जाय कि-जैसे घट का नाश होने पर घटावच्छिन्न आकाश घट से अवच्छिन्न तो हो जाता है किन्तु वह अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता । उसी प्रकार वासानायुक्त बुद्धि का नाश होने पर विषयावच्छिन्न चैतन्य में विषयानवच्छिन्नत्व हो जाने पर भी उसके स्वभाव का परित्याग नहीं हो सकता । अतः विषयानवच्छिन्नत्व हो जाने से आत्मा की मुक्तता और स्वभाव का परित्याग न होने से उस को मुक्तता और अपरिणामिता दोनों की रक्षा हो सकती है ।’ तो यह ठीक नहीं है क्योंकि यह कथन तो असिद्ध से असिद्ध को सिद्ध करने का प्रयास है ।

आशय यह है कि ‘घटनाश होने पर घटावच्छिन्न आकाश के स्वभाव का परित्याग नहीं होता’ यह बात असिद्ध है, क्योंकि घटनाश होने पर भी यदि आकाश का घटावच्छिन्नत्व स्वभाव बना रहेगा तो घटनाश हो जाने पर भी ‘घटाकाशः’ इस व्यवहार को आपत्ति होगी । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि ‘कोई एक निश्चित बुद्धि किसी एक निश्चित आत्मा को ही नियंत्रित कर सकती है, दूसरे को नहीं’ इस बात का कोई नियामक ही नहीं है, क्योंकि आत्मा परिच्छिन्न न होने से सभी बुद्धि में सभी आत्मा का सामोप्य सुलभ होता है । अतः उचित यह होगा कि रागादिकर में परिणतबुद्धि को ही आत्मा के स्थान में अभिविक्त किया जाय और आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकार कर दिया जाय । ऐसा मानने पर यह निष्कर्ष होगा कि रागाद्यात्मक परिणाम ही बुद्धि स्वरूप आत्मा का बन्धन, और रागादिलयरूप सरागबुद्धि का लय ही बुद्धिरूप आत्मा की मुक्ति है । अतः बुद्धि से मिल आत्मा का अस्तित्व सौम्य प्रक्रिया के अनुसार नहीं सिद्ध किया जा सकता ॥३१॥

[वेह-आत्म मेव पक्ष में ब्रह्महत्या की अनुपपत्ति]

३२ वीं कारिका में आत्मा को वेह से मिल मानने पर एक ओर अतिरिक्त बोध बताया गया है ओ कारिका को व्याख्या करने से स्पष्ट होता है, कारिका को व्याख्या इस प्रकार है—

विशेषनाशानुकूलो व्यापार एव ब्रह्महृत्ये' ति चेत् ? न, तादृशमनःसंयोगस्य स्वत एव नश्वरत्वात्, साक्षाद्वातानुपपत्तेश्च । 'ब्राह्मणशरीरावच्छिन्नदुःखविशेषानुकूलव्यापार एव ब्रह्महृत्ये' ति चेत् ? शरीराच्छरीरिणः सर्वथा भेदे तच्छेदादिना तस्य दुःखमपि कथम् ? 'परम्परासम्बन्धेन तदात्मसंयन्धादि' ति चेत् ? साक्षादेव कथं न नश्वरबन्धः ? शरीरावयवच्छेदे एव हि शरीरात् पृथग्भूतावयवस्य कम्पीपलम्बिरूपपद्मते, नाऽन्यथा, प्राणक्रियाया अपि तन्मात्रोपग्रां विनाऽभावात् ।

आत्मा की देह से एकान्ततः (पूर्णतया) भिन्न मानने पर हिंसादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण के शरीर की हत्या ब्रह्महत्या नहीं होती, अन्यथा मृतब्राह्मण के शरीर का बाह करने पर भी बाहृजती की ब्राह्मणहत्या की आपत्ति होगी । 'मरण के उद्देश से की जानेवाली हत्या ही वास्तविक हत्या होती है, मृत ब्राह्मण के शरीर का बाह मरण के उद्देश से नहीं होता क्योंकि बाहके पहले ही ब्राह्मण मृत रहता है । अतः मृतब्राह्मण के शरीर का बाह हत्याकृत नहीं हो सकता " यह कथन भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के प्रथमतः मृत होने पर भी यदि मरण के उद्देश से उस के शरीर का बाह किया जाय तब भी उक्त बाह हत्या नहीं कहा जाता किन्तु यदि शरीर की हत्या की ही हत्या माना जायगा तो उक्त बाह में भी हत्याएव का परिहार नहीं हो सकता । ब्राह्मणात्मा के नाश की हत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा के नश्य होने से उस का नाश होता ही नहीं है । अतः ब्राह्मणात्मा के नाश की हत्या मानने पर ब्राह्मणघाती भी ब्रह्महत्या से मुक्त हो जायगा ।

यदि यह कहा जाय कि—'जिस आत्ममन संयोग से ब्राह्मणशरीरावच्छेदेन ज्ञान उत्पन्न होता है उस आत्ममनःसंयोग का नाशव्यापार ही ब्रह्महत्या है'-तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि ज्ञान उत्पन्न करनेवाला आत्मसंयोग घातक व्यापार न होने पर भी स्वयं ही नष्ट हो जाता है । और उस का साक्षात् घात हो भी नहीं सकता । 'ब्राह्मणशरीरावच्छेदेन दुःखविशेष का जनक व्यापार ही ब्रह्महत्या है'- यह भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि शरीर से आत्मा की अत्यन्त भिन्न मानने पर शरीर के छेदन आदि से आत्मा में दुःख का होना संभव नहीं हो सकता है । यदि यह कहा जाय कि—'देह के छेदन आदि का आत्मा में परम्परासम्बन्ध होने से आत्मा में भी उस से दुःख का उदय हो सकता है'- तो यह कहने की अपेक्षा यह मानना अधिक उचित है कि आत्मा के साथ देह के छेदन आदि का साक्षात् ही सम्बन्ध होता है, इसलिए ही आत्मा को देह से पूर्णतया भिन्न नहीं माना जाता है । देह और आत्मा में अस्थान्त भेद न मानकर कथञ्चित् प्रमेय मानना इसलिए भी आवश्यक है कि शरीर के किसी अवयव का छेद होने पर जब अवयव शरीर से अलग हो जाता है तब भी कुछ समय तक छिन्न अवयव में कम्प होता है । यह कम्प तभी हो सकता है जब शरीर के अवयव का छेद होने पर आत्मा के अवयव का भी छेद हो और आत्मा का छिन्न अवयव शरीर के छिन्न अवयव में विद्यमान हो । ऐसा न मानने पर शरीर के छिन्न अवयव में आत्मा का सम्बन्ध नहोने से इस में कम्प नहीं हो सकता । 'आत्मसम्बन्ध के प्रभाव में भी प्राण की क्रिया से भी शरीर के छिन्न अवयव में कम्प की उत्पत्ति नहीं की जा सकती'—क्योंकि प्राण की क्रिया भी शरीर या शरीर के अवयव में तभी होती है जब उस में आत्मा

नन्वेवं छिन्नावयवबलुप्रविष्टस्य पृथगारम्भत्वप्रसक्तिः स्यादिति चेत् ? न, तत्रैव पश्चादनुप्रवेशात् । छिन्ने हस्तादौ कम्पादितस्लङ्गादघोनादित्यं कम्पनात् । न चैकत्वादात्मनो विभागाऽभावाच्छेदाभाव इति वाच्यम्, शरीरद्वारेण तस्यापि सविभागत्वात्, अन्यथा सावयवशरीरक्यापिता तस्य न स्यात् । तथा च तच्छेदनान्तरीयकच्छेदो न स्यात् । 'छिन्नाऽच्छिन्नयोः कथं पश्चात् संघटनम् ?' इति चेत् ? न, एकान्तेनाच्छिन्नत्वात्, पश्चानालतनुवच्छेदेऽपि च्छेदाभ्युपगमात् । संघटनमपि तद्याभूताऽदृष्टवशादविरुद्धमेव । 'इत्त । एवं शरीरदाहेऽप्यात्मदाहः स्यादि' ति चेत् ? न, क्षीर-नीरयोरीयाऽभिन्नत्वेऽपि भिन्नलक्षणत्वेन तदोषाभावादिति, अन्यत्रविस्तरः ।

तस्माद् वेदादात्मन एकान्तपृथक्त्वे हिंसाद्यभावात्, नवभावे=हिंसाद्यभावे, अनिमित्तत्वात्=निमित्तमनिधानाऽभावात्, कथं शुभाऽशुभो बन्धः ? अत्र शुभभाऽशुभश्चेति विग्रहे द्विवचनापत्तिः, कर्मधारये च बाध इति शुभेन सहितोऽशुभ इति व्याख्येयम् ॥३२॥

का सम्बन्ध हो अतः वेह और आत्मा में अनेक मानकर वेहावयव का छेव होने पर आत्म-अवयव का छेद मानना और आत्म-अवयव के सम्पर्क से हो छिन्न वेहावयव में कम्प की उत्पत्ति करना आवश्यक है ।

[छिन्न अवयव में पृथक् आत्म प्रसंग का निवारण]

'वेह और आत्मा का अनेक होने से वेहावयव के छेव से आत्म-अवयव का छेव होता है ऐसा मानने पर वेहके छिन्न अवयव में आत्मा का जो भाग अनुप्रविष्ट रहेगा वह एक पृथक् आत्मा ही हो जायगा'-यह शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि आत्मा का जो भाग छिन्न वेहावयव के साथ बाहर आता है वह छोटे समय बाद पूर्व शरीर में ही प्रविष्ट हो जाता है । यह कल्पना इसलिए की जाती है, कि वह के छिन्न अवयव में कुछ समय तक कम्प होता है और बाद में कम्प नहीं होता है, अतः बाद में भी छिन्न अवयव में आत्मभाग का सम्बन्ध बना रहता है-यह मानने में कोई युक्ति नहीं है -'आत्मा एक होता है अतः इस में विभाग संभव न हो सकने से उस का छेद नहीं हो सकता'-यह शंका भी उचित नहीं है क्योंकि वेह और आत्मा में ऐक्य मानने पर वेह में विभाग संभव होने के कारण वेह के द्वारा आत्मा में भी विभाग मानना युक्तिसंगत हो सकता है । यदि आत्मा की सावयव न माना जायगा तो वह सावयव शरीर में व्यापक नहीं हो सकेगा और वेह छेव के साथ आत्म छेव की अनिवार्यता भी न हो सकेगी ।

'छिन्न वेहावयव का तोड़ शरीर के साथ बाद में जैसे संघटन नहीं हो पाता उसी प्रकार छिन्न आत्म-अवयवों का भी शरीरस्थ शेष आत्मा के साथ संघटन नहीं हो सकता'- यह शंका भी उचित नहीं होती, क्योंकि आत्मा का जो भाग वेहके छिन्नावयव के साथ छिन्न होता है वह पूर्ण रूप से शरीरस्थ आत्मा से पृथक् नहीं होता । अतः उस का संघटन हो सकता है किन्तु वेहका जो हस्तादि अवयव वेह से पृथक् होता है वह वेह से पुरांतया पृथक् हो जाता है अतः वेह के साथ उसका संघटन नहीं होता । छिन्न अंश का अपने अंगों के साथ संघटित होना कोई अविशुद्ध बात नहीं है ।

ततः को दोषः ? इत्याह—

मूलम्-बन्धादने न संसारो मुक्तिर्यस्योपपद्यते ।

यमादि तदभावे च सर्वमेव अपार्थक्यम् ॥३३॥

बन्धादने=बन्धं शिना, देव-नारकादिरूपः संसारो न । नवाऽस्य=आत्मनः मुक्तिरुपपद्यते, बद्धानां कर्मणां क्षय एव हि मुक्तिरिति । तदभावे च=मुक्त्यभावे च, सर्वमेव हि=निश्चितम्, यमादि=यमनियमादिकं योगानुष्ठानम् अपार्थक्यम्=विपरीतप्रयोजनम् । कः सलु फल-मनमिलपन्नेव दुष्करकलौशैरात्मानमवसादयेत् ? ॥३३॥

क्योंकि कमलमाल के छिन्न तंतु का छिन्न ताल के साथ संघट्टन सर्वानुभव सिद्ध है। 'बिना कारण संघट्टन कैसे हो सकता है' ? इस प्रश्न का भी जवाब नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि अष्टष्ट बड़ा शक्ति-शाली कारण होता है। अतः एवं जिस छिन्न अंश का छिन्न अंश के साथ संघट्टनकारी अदृष्ट रहता है उस का अंश के साथ संघट्टन होने में कोई बाधा नहीं हो सकती। यदि यह प्रश्न का भी जवाब कि 'वेह और आत्मा में ऐक्य मानने पर शरीर का दाह होने पर आत्मा का भी दाह हो जायगा' तो यह ठीक नहीं है क्योंकि शरीर और नीर के समान अभिन्नता होने पर भी वेह और आत्मा में कुछ भिन्नता भी होती है। उस भिन्नता के कारण ही शरीरदाह होने पर भी आत्मादाह नहीं होता, जैसे नीर को दाह हो जाने पर उस के साथ ही शरीर का विनाश नहीं हो जाता। इस विषय का विस्तृत विचार अन्यत्र दृष्टव्य है।

निष्कर्ष यह है कि-आत्मा को वेह से अत्यन्त भिन्न मानने पर हिंसा का अभाव हो जायगा और हिंसा का अभाव होने पर शुभाऽशुभ बन्ध का कोई निमित्त न होने से शुभाशुभ बन्ध भी न हो सकेगा। कारिका में आये शुभाशुभ शब्द का 'शुभश्च अशुभश्च' ऐसी व्युत्पत्ति मानकर द्वन्द्व समास द्वारा साधुपन नहीं हो सकता क्योंकि उक्त व्युत्पत्ति से द्वन्द्व मानने पर द्विवचन विभक्ति की आवृत्ति होगी। कर्मधारय समास से भी साधुपन नहीं माना जा सकता क्योंकि पुन और अशुभ में ऐक्य नहीं होता और कर्मधारय के लिए पूर्व और उत्तर पद के अर्थों में अनेक आवश्यक होता है। इसलिये 'शुभेन सहित अशुभः' यह व्युत्पत्ति कर मध्यमवचनोपी समास से ही उसका साधुपन समझना चाहिए।

[बन्ध न होने पर मुक्त और संसारों के भेद की अनुपपत्ति]

३३ वीं कारिका में शुभाऽशुभ बन्ध के अभाव में क्या शोध हो सकता है इस बात का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि यदि शुभाशुभ बन्ध न होगा तो आत्मा संसारो न हो सकेगा, क्योंकि देव-नरक, सृष्टिलोक आदि के साथ आत्मा का सम्बन्ध ही संसार कहलाता है और शुभाशुभ बन्ध ही उसका निमित्त माना जाता है। अतः उसके अभाव में निमित्त का अभाव हो जाने से संसार का होना असंभव हो जायगा। शुभाशुभ बन्ध के अभाव में आत्मा का मोक्ष भी नहीं हो सकता क्योंकि कर्मबन्ध के अर्थ को ही मोक्ष कहा जाता है। जब आत्मा में कर्मबन्ध ही नहीं होगा तो फिर उसका क्षय कैसे संभव हो सकेगा ? यदि 'आत्मा का मोक्ष नहीं होता है' यह मान लिया जाय तो यम नियम आदि का कष्टसाध्य पातन निरर्थक हो जायगा क्योंकि कोई भी मनुष्य बिना किसी फल की कामना किये कु-सह चलेकों से अपने आपको पीड़ित करने का कष्टमय व्यापार नहीं करता ॥३३॥

पराभिप्रायसाह-

मूलम्-आत्मा न बध्यते नापि मुच्यतेऽसौ कदाचन ।

बध्यते मुच्यते चापि प्रकृतिः स्वात्मनेति चेत् ॥१४॥

असौ=प्रत्यक्षमिदः आत्मा, न बध्यते=न प्राकृतिकादियन्धपरिणतो भवति, स्वा-
त्मनक्लेशकर्माद्युपायानां बन्धन्येन समागतानां पुरुषेऽपरिणामिन्यसंभवात् । नापि कदाचन
मुच्यते, मुचेर्बन्धनविश्लेषार्थत्वात् तस्य च सर्वदाऽवद्वत्त्वात् कृत्वा तर्हि बन्ध-मोक्षौ ? इत्यतः
आह-बध्यते प्रकृतिरेव स्वात्मना=स्वपरिणामलक्षणेन बन्धेन, मुच्यते चापि तेन प्रकृति-
रेव, तत्रैव बन्धविश्लेषात् । पुरुषे तु तावत्पचयेते, भून्पचताविव जय-पराजयौ स्वामिनीति ।
तदुक्तम्—

‘तस्माद् न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसृति कश्चित् ।

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥१५॥’ वा, का, द २] इति । (समाधने) इति चेत् ?

[प्रकृति के बन्ध और मोक्ष को आशंका]

३४ की कारिका में बन्धमोक्ष के सम्बन्ध में सांख्यशास्त्र का मत प्रदर्शित किया है जो इस प्रकार है-आत्मा स्वार्थ रूपमें न कभी बद्ध ही होता है न कभी मुक्त होता है । बद्ध इसलिए नहीं होता है कि आत्मा अपरिणामी होता है अतः बाधना, क्लेश और कर्माण्यरूपी बन्ध उसको नहीं हो सकता, क्योंकि यह बन्ध परिणामात्मक है, अतः प्राकृतिकमादि के रूप में अपरिणामी आत्मा में उसका होना असंभव है । आत्मा का मोक्ष इसलिए नहीं हो सकता कि यह सर्वदा बन्धमहीन होता है, अतः उसमें बन्धननिवृत्तिरूप मोक्ष की सम्भावना ही नहीं हो सकती । इसलिये आत्मा से बन्ध और मोक्ष की अनुपपत्ति अताना असंभव है । वस्तुस्थिति यह है कि बन्ध और मोक्ष प्रकृति में होते हैं । और प्रकृति में उनकी उपपत्ति होने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि प्रकृति परिणामिनी होती है, अतः अपने परिणामों से बांधाजाता उसके लिये स्वाभाविक है । और जब उसमें बन्ध होता है तो विभिन्न उपस्थित होने पर उसमें बन्धनिवृत्तिरूप मोक्ष का होना भी युक्ति सङ्गत है । ‘प्रकृति में बन्ध और मोक्ष मानने पर आत्मा में बन्ध-मोक्ष का व्यवहार कैसे होगा ?’ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे युद्ध में जयपराजय वस्तुतः राजा के सेवक सैनिकों का होता है किन्तु उसका औपचारिक व्यवहार राजा में माना जाता है, उसी प्रकार प्रकृति में होने वाले बन्धमोक्ष का उसके अधिकृता आत्मा में औपचारिक व्यवहार माना जा सकता है । जैसा कि ईश्वरकृष्ण ने ‘तस्मात् न बध्यते’ अपनी इस कारिका में कहा है कि-आत्मा के कूटस्थ निश्चय होने के कारण कोई भी आत्मा न कभी संसारी होता है न कभी बद्ध होता है और न कभी मुक्त होता है किन्तु अनेक रूपों में परिणत होने की योग्यता रखने के कारण प्रकृति में ही संसार, बन्ध और मोक्ष होते हैं पुरुष में उनका व्यवहार मात्र होता है जो पूर्णरूप से औपचारिक=गौण है ।

अत्रोत्तरम्—

मूलम्—एकान्तेनैकरूपाया नित्यायाश्च न सर्वथा ।

तस्याः क्रियान्तराऽभावाव्यवधिमोक्षौ स्रुयुक्त्वित्तः ॥३५॥

एकान्तेनैकरूपायाः=सर्वथैकरूपभावायाः, सर्वथा नित्यायाश्च=सर्वैः प्रकारैः प्रवृत्ति-
रूपैकक्रियायाश्च, तस्याः प्रकृतेः, क्रियान्तराभावात्=निवृत्तिक्रियाया अभावात्, स्रुयु-
क्त्वित्तः=सन्न्यायात्, व्यवधिमोक्षौ न । प्रकृति-पुरुषान्यताख्यातिरूपो हि व्यापारः पुरुषस्यैव,
इति तस्यैव मोक्ष उचितः, न तु प्रकृतेः, तस्याः प्रवृत्त्येकरूपत्वात्, पुरुषार्थमप्येतन्नस्वेन
व्यापाराऽयोगाच्च ।

किञ्च प्रकृतेर्बन्तौ पुरुषस्य स्वरूपावस्थाने तस्याः साधारणत्वादेकमुक्ती संसारोच्छेदः,
प्रकृतिवदात्मनोऽपि सर्वगतत्वेन 'एकावच्छेदेन मुक्तिः, नान्यावच्छेदेन' इत्यपि वक्तुमशक्य-
त्वात् । तद्वद्व्यवच्छेदेन मुक्तत्वम्, नान्यद्व्यवच्छेदेन इत्यापि क्षीणायावृद्ध्यावच्छेदक-
त्वादनुवृष्यम्, बुद्धियोगेन पुरुषस्य संसारित्वे तस्यैव मोक्षप्रसङ्गाच्च ॥३५॥

[नित्य एक स्वरूप प्रकृति में व्यवधिमोक्ष असंभव]

३५ की कारिका में पूर्वकारिकावर्णित सांख्यमत का समाधान करते हुए यह कहा गया है कि प्रकृति सर्वथा एकरूप और नित्य है । सदा प्रवृत्तिशील रहना ही उसका स्वभाव है । अतः उस में निवृत्तिरूप अव्यक्रिया नहीं हो सकती । इसीलिये उसमें व्यवधिमोक्ष व्याप्तसङ्गत नहीं हो सकते । 'प्रकृतेरहं पृथक्=मे प्रकृति से पृथक् हूँ' वंसा प्रकृति और पुरुष में भेद का ज्ञान पुरुष का ही कार्य है और वही मोक्ष का साधन है इसलिये पुरुष में ही मोक्ष हो सकता है प्रकृति में नहीं, क्योंकि प्रवृत्तिशील रहना ही उसका सहज स्वभाव है । यह कहना कि—'प्रकृति ही पुरुष के मोक्ष और मोक्ष दोनों प्रयोजन का सम्पादन करने के लिये व्यापाररत होती है । अतः वे दोनों प्रयोजन प्रकृति के ही व्यापार से सम्पन्न होने के कारण प्रकृति के ही धर्म हो सकते हैं । प्रकृति ही उस में पुरुषप्रयोजनत्व उपपन्न करती है'—टीक नहीं हो सकता । क्योंकि पृथ्वी अचेतन होती है अतः एवं पुरुष के लिये उसका व्यापाररत होना सम्भव नहीं है । व्यापाररत होने के लिये चेतन्य का होना प्राणव्यक्त है, क्योंकि संसार में किसी भी जड़पदार्थ में स्वतन्त्ररूप से सक्रियता नहीं देखी जाती ।

यह भी ज्ञातव्य है कि-पुरुष का मोक्ष न मानकर यदि प्रकृति का ही मोक्ष माना जायगा और प्रकृति के मोक्ष से ही पुरुष का अपने सहज स्वरूप में प्रवृत्तिमान होगा तो प्रकृति के सर्वसाधारण होने के कारण एक ही मुक्ति होने पर समस्त संसार का उच्छेद हो जायगा, क्योंकि प्रकृति जब किसी एक आत्मा के लिये चरना व्यापार व्यवधिमोक्ष करेगी तो उसका वह व्यापार निरीध आत्मा मात्र के लिये हो जायगा, क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि एक ही समय में प्रकृति निर्व्यापार भी हो और व्यापार भी हो क्योंकि सव्यापारत्व और निर्व्यापारत्व में विरोध है । यदि यह कहा

दीपान्तरमप्याह—

मूलम्—मोक्षः प्रकृत्ययोगो यदतोऽस्याः स कथं भवेत् ।

स्वरूपविगमापत्तेस्तथा तन्प्रविरोधतः । ॥ ३५ ॥

मोक्षः प्रकृत्ययोगः, यत्—यस्मात् कारणात्, 'प्रकृतिवियोगो मोक्षः' इति वचनात्, अतो हेतोः, अस्याः प्रकृतेः, सः मोक्षः, कथं भवेत् ? कुत इत्याह स्वरूपविगमापत्तेः—प्रकृति-स्वरूपनिवृत्तिप्रसङ्गात्, पुरुषे तु तन्वापारनिवृत्तिद्वारा तन्निवृत्तिर्पुंज्येतापि न तु स्वस्मिन् स्वरूप-निवृत्तिः संभवति, घटे घटनिवृत्त्यदर्शनात् अप्रमत्तस्याऽप्रतिषेधात् । तथा, तन्प्रविरोधतोऽपि प्रकृतेर्मोक्षः कथम् ? ॥ ३५ ॥

जाय कि—'सन्वापारता और निर्व्यापारता में विरोध होने पर भी सिद्ध सिद्ध आत्मा के प्रति उन दोनों का समावेश प्रकृति में एक काल में भी हो सकता है । अतः प्रकृति में एकपुरुषावच्छेदेन युक्ति और अन्वापारतावच्छेदेन युक्ति का अभाव होने से युक्ति को प्रकृतिगत मानने पर भी संसार के उच्छेद की प्राप्ति नहीं हो सकती ।' 'तो यह ठीक नहीं है क्योंकि प्रकृति जैसे सर्वगत है उसी प्रकार आत्मा भी सर्वगत है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति का एक भाग एक ही आत्मा से सम्बद्ध होता है और अन्य आत्मा से सम्बद्ध नहीं होता । और जब ऐसा नहीं हो सकता तब यह बात कैसे युक्ति संगत हो सकती है कि प्रकृति में एक आत्मावच्छेदेन युक्ति और अन्वापारतावच्छेदेन युक्ति का अभाव होता है । यदि यह कहा जाय कि—'पुरुष के सर्वगत होने के कारण पुरुष से प्रकृति का अवच्छेद सम्भव नहीं हो सकता किन्तु बुद्धि के असर्वगत होने के नाते बुद्धि से अवच्छेद हो सकता है । अतः यह मानना सम्भव है कि प्रकृति जब एकपुरुषावच्छेदेन युक्त होती है तब अन्यबुद्ध्यावच्छेदेन अयुक्त भी रह सकती है'—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि बुद्धि का क्षय होने पर ही यह मोक्ष होता है तो फिर क्षीण-बुद्धि को मोक्ष का अवच्छेदक कैसे कहा जा सकता है ? और पुन्य बात तो यह है कि यदि पुरुष में संसार का वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता किन्तु संसार का वास्तविक सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है तो फिर बुद्धि का ही मोक्ष मानना युक्तिसङ्गत हो सकता है, क्योंकि जो वास्तव रूप में संतारी हो—वास्तवरूप में वही मोक्ष का अधिकारी हो सकता है । अतः पुरुष को संतारी और युक्त कहना असङ्गत है ॥ ३५ ॥

[प्रकृतिवियोगात्मक मोक्ष आत्मा का ही संभावित है]

३६ की कारिका में मोक्ष को प्रकृतिगत मानने में एक अन्य दोष बताते हुए कहा गया है कि 'प्रकृतिवियोगो मोक्षः' इस सांख्यशास्त्रीय वचन के अनुसार प्रकृति के साथ सम्बन्ध का अभाव होता ही मोक्ष है । इसलिये वह प्रकृति में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रकृति का असम्बन्ध मानने पर प्रकृति के स्वरूप की ही निवृत्ति हो जायगी । पुरुष में तो प्रकृति का असम्बन्ध माना जा सकता है, क्योंकि पुरुष के साथ प्रकृति का सम्बन्ध प्रकृति के व्यापार से ही होता है अतः प्रकृति के व्यापार की निवृत्ति होने पर प्रकृति के सम्बन्ध की निवृत्ति हो सकती

‘एतदेवोपदर्शयन्नाह—

मूलम्-पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तन्नाश्रमे रतः ।

जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यन्ते नात्र संशयः । ३७॥

पञ्चविंशतितत्त्वज्ञः=प्रकृति-महादादिपञ्चविंशतितत्त्वग्रहस्पष्टिज्ञाता, यत्र तत्र-गृह-स्थादी आश्रमे, रतः=तत्त्वज्ञानाभ्यासवान्, जटी=जटावान्, मुण्डी=मुण्डितशिराः, शिखी वापि-शिखावानपि, मुच्यन्ते=प्रकृति-विकारोपधानविलयेन स्वरूपावस्थितो भवति, बाह्यलिङ्ग-मप्राप्तकाणम् । नात्र संशयः=इदमित्थमेव, वचनप्रामाण्यात् ॥३७॥

निगमयति—

मूलम्-पुरुषस्योदिता मुक्तिरिति तन्म्रे चिरंतनेः ।

इत्थं न घटते चैयमिति सर्वमयुक्तिमत् ॥३८॥

इति=एतत्प्रकारे तन्म्रे=शास्त्रे, चिरंतनेः=पूर्वाचार्यैः, पुरुषस्य मुक्तिरुक्ता । न चैयं=पुरुषस्य मुक्तिः, इत्थं=उक्तप्रकारेण विचार्यमाणा, घटते इति हेतोः, सर्वं=सांख्यमतम्, अयुक्तिमत्=युक्तिरहितम् ॥३८॥

है । जैसे, घटादि किसी भी वस्तु में उस वस्तु की निवृत्ति नहीं देखी जाती । क्योंकि स्व में स्व की प्रसक्ति नहीं होती, अतः स्व में स्व का प्रतिषेध भी नहीं हो सकता, और प्रसक्त का ही प्रतिषेध होता है अप्रसक्त का नहीं । प्रकृति में मोक्ष मानना शास्त्रविद्वद् भी है जो सांख्यमतमान्य अधिम कारिका में स्पष्ट है ॥३६॥

[सांख्यसिद्धान्त में पुरुष का ही मोक्ष कहा गया है]

३७ वीं कारिका में पूर्वकारिका में कथित शास्त्रविरोध का प्रदर्शन करते हुए कहा गया है कि-प्रकृति-महत्-आदि पचीस तत्त्वों का रहस्य जाननेवाला समुच्चय गृहस्थादि किसी भी आश्रम में रहने पर मुक्त हो सकता है, चाहे वह जटा रखता हो या शिर का मुण्डन कराता हो अथवा चाहे वह शिखा धारण करता हो । प्रकृति आदि के तत्त्वज्ञान का अभ्यासद्वारा तरङ्गदर्शन हो जाने पर प्रकृति के विकारों का विलय होने से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो कर मुक्त हो सकता है । मोक्ष के लिये किसी भी प्रकार का बाह्य चिह्न अपेक्षित नहीं है । तत्त्वज्ञान से किसी भी स्थिति में पुरुष के मुक्त होने में कोई सशय नहीं है—यह तन्म्रे शास्त्रवचनों से सिद्ध है । इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि आत्मा पुरुष ही मुक्त हो सकता है । अचेतना प्रकृति तत्त्ववेत्ता नहीं हो सकती है, अतः एव उसको मुक्ति नहीं मानी जा सकती ॥३७॥ ३८ वीं कारिका में निष्कर्ष बताया जा रहा है

शास्त्र में पूर्वचार्यों ने पुरुष की ही मुक्ति होती है ऐसा कहा है किन्तु सांख्यमत में पुरुष की मुक्ति नहीं हो सकती । असा कि विचार-विमर्श द्वारा सिद्ध हो चुका है । अतः सांख्य ने जो कुछ भी कहा है वह सब युक्तिहीन होने के कारण प्रामाण्य है ॥३८॥

अत्रापि यावत् यथोपपन्नं तावत्स्तथावार्तामाह—

सूक्ष्म—अत्रापि पुरुषस्यान्ये मुक्तिमिच्छन्ति वादिनः ।

प्रकृतिं चापि सन्न्यायात्कर्मप्रकृतिमेव हि ॥३६॥

अत्रापि=सांख्यवादे, अन्ये वादिनः=जैनाः, पुरुषस्य मुक्तिमिच्छन्ति प्रकृतिवियोगलक्षणात् । प्रकृतिं चापि सन्न्यायात्=सत्कर्मात्, हि=निश्चितम्, कर्मप्रकृतिमेवेच्छन्ति, बुद्ध्यादीनां निमित्तत्वात् । तत्तसन्न्ययश्च कथञ्चिदात्मादावेवोपपद्यते । सर्वथा सत्कार्यवादे तु सतः सिद्ध्यन्तेनाऽकरणत्वं, साध्यार्थितयैवोपादानग्रहणात्, नियतादेव श्रीरादेः सामग्र्या दध्यादिदर्शनात्, सिद्धे शक्त्यव्यापारान्न, तादात्म्ये स्पर्शमन्निव कार्य-कारण[त्वा]भावाद्[रति] विपरीतं हेतुपञ्चकम् ।

(सांख्यमत में तथ्यांश का निरूपण)

३६ वीं कारिका में सांख्योक्त विषयों में जिस रीति से उपपत्ति हो सकती है उस रीति से उस की उपपत्ति बताई गई है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है—

सांख्यसिद्धान्त में पुरुष को मुक्ति और प्रकृति का प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार जैन विद्वानों ने पुरुष की मुक्ति व प्रकृति मान ली है और उनका कहना है कि पुरुष की प्रकृतिवियोगरूप मुक्ति होती है यह ठीक है किन्तु प्रकृति का जो स्वरूप सांख्य ने माना है वह न्यायपूर्वक विचार करने पर जैन शासन में वर्णित कर्मप्रकृति से भिन्न नहीं सिद्ध होती । अतः कर्मप्रकृति के रूप में ही प्रकृति मान्य हो सकती है, क्योंकि वही बुद्धि आदि सम्पूर्ण जगत् की निमित्त कारण होती है । उसका सम्बन्ध भी कथञ्चित् आत्मा में उपपन्न हो जाता है ।

[सत्कार्यवाद विरोधी हेतुपञ्चक]

सांख्यशास्त्र में सत्कार्यवाद का वर्णन किया गया है, वह भी व्यवर्णित रूप में जैन विद्वानों की स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य की सर्वथा सत् मानने पर सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिये सांख्यविद्वानों द्वारा प्रयोग में लाये गये पाँचों हेतु विपरीत हो जाते हैं । अर्थात् (१) जैसे अस्तु का कारण=जन्म नहीं हो सकता उसी प्रकार सर्वथा सत् का भी स्वतःसिद्ध होने के कारण=जन्म नहीं हो सकता । (२) एवं जो सिद्ध है उसके लिये उपादान का ग्रहण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वथा सिद्ध में कुछ साधनीय नहीं होता और उपादान का ग्रहण साधनीय के लिये ही होता है । (३) सभी पदार्थों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती यह हेतु भी सर्वथा सिद्धवस्तु के सम्बन्ध में उपपन्न नहीं होता, क्योंकि नियत कुधादिसामग्र्य से वधि के रूप में पूर्व अस्तित्व का ही संपादन होता है । (४) 'शक्य द्वारा शक्य का ही कारण होता है—' यह हेतु भी सर्वथा सिद्धवस्तु के सम्बन्ध में युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति का व्यापार भी सिद्ध में नहीं देखा जाता । (५) कार्य और कारण के तादात्म्य को भी सत्कार्यवाद का समर्थक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्य और कारण में सर्वथा तादात्म्य मानने पर कार्यकारण नाब हो नहीं हो सकता—जैसे वही वस्तु उस का कार्य और कारण नहीं होती । अतः

यदि कारणव्यापारात् प्रागपि पटस्तन्तुषु सन्नेव, तदा किमित्पुपलब्धिकारणेषु तन्तु-
सत्यापि जिज्ञासायां नोपलभ्यते ? 'अनाविर्भावो'ति चेत् । कोऽयमनाविर्भावः ? उप-
लब्धेरभावश्चेत् । सैव कथम् इत्याक्षेपं तदेवोत्तरम् , इति धृक्कुट्ट्या प्रभातम् । अथोपलब्धि-
योग्यस्यार्थक्रियाकारिरूपस्य विरहोऽनाविर्भाव इति चेत् ? अमत्कार्यवादः, तादृशरूपस्य प्राग-
सनः यश्चाद्भावात् । 'विजातीययोग्यस्य तदवच्छेदेन सन्निकर्षस्य वा व्यञ्जकस्याऽभावाद् न
प्रागुपलब्धिरिति चेत् ? तर्हि तस्यैव प्रागसत्त्वेऽसत्कार्यावातः । 'प्राक् सन्नेवाविर्भूतो व्यञ्जक'
इति चेत् ? न, आविर्भावस्यापि सदसद्विकल्पप्रासात् । 'स्थूलरूपावच्छिन्नस्य प्रागसत्त्वाद् नोप-
लब्धः, धर्म-धर्मिणोः सौदम्यस्थौन्ययोश्चैकत्वाद् नानवस्थे'ति चेत् ? तर्हि सूक्ष्मरूपावच्छिन्न-
स्याऽहेतुकत्वेऽतिप्रसङ्गः । प्रकृतिभावहेतुकत्वे च स्थूलतादशायामपि तदापि, अनिमोक्षश्च इति
न किञ्चिदेतत् । तस्मान्छब्दबलस्यैव वस्तुनः कथञ्चिन् सत्त्वम् अमत्त्वं नोपपत्तिम् । तथा च
बुद्ध्यादीनामहंत्वमामानाधिकरण्येनाध्यवसीयमानत्वात् तद्धर्मतया तत्रैव समन्वयः, कर्मप्रकृ-
तिस्तु तत्र निमित्तमात्रमिति प्रतिपत्त्यम् ॥३९॥

इन हेतुओं से उत्पत्ति के पूर्व कार्य की एकान्त सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती अपितु यह सिद्ध होता है कि
कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारणपर्याय के रूप में सत् होता है और कार्य पर्याय के रूप में असत् होता है ।

पट अपने कारणों के रद्यावार के पूर्व भी तन्तुओं में यदि सर्वास्मिन् सत् होगा तो इस प्रश्न
का कोई उत्तर दिया जाना कठिन होगा कि कारण व्यापार के पूर्व भी-पट की उपलब्धि के समस्त
कारणों के रहने पर और पट को उपलब्ध करने की इच्छा होने पर भी-पट को उपलब्धि क्यों नहीं
होती ? 'उस समय पट का आविर्भाव न होने से पट की उपलब्धि नहीं होती' यह नहीं कहा जा
सकता । क्योंकि आविर्भाव न होने का अर्थ है उपलब्धि का अभाव । अतः कारणव्यापार के पहले
कार्य की उपलब्धि क्यों नहीं होती ? इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं दिया जा सकता कि कार्य की
उपलब्धि का अभाव है, क्योंकि जिस उपलब्धि के अभाव से कार्य की अनुपलब्धि मानी जायेगी
वह उपलब्धि क्यों नहीं होती ? यह प्रश्न भी उठेगा । अतः यह उत्तर नवी के घाट पर नदी पार
करने का कर ग्रहण करने के लिये बनी हुई कुटी में ही प्रयास होने के समान होगा । आशय यह है कि
जैसे कोई व्यक्ति रात्रि के समय नदी पार कर नवी और कुटी के बीच ही किसी रास्ते से इस अस्मि-
प्राय से मीकले कि जिससे कुटी पर उसे न जाना पड़े और वह करवान से मुक्त हो जाय किन्तु रात के
अंधेरे में चलते चलते उस कुटी पर ही पहुँचने पर प्रयास हो जाय और वह कर ग्रहण करने वालों के घेरे
में आ जाय उसी प्रकार 'कार्य की उत्पत्ति के पहले सर्वथा सत् मानने पर कारण व्यापार के पूर्व कार्य-
की उपलब्धि क्यों नहीं होती' इस प्रश्न का उपर उत्तर देने पर उत्तरकर्ता पूर्वप्रश्न की परिधि में ही
फँस जाता है ।

यदि यह कहा जाय कि-आविर्भाव न होने का अर्थ है उपलब्धि योग्य वस्तु की उपलब्धि का
विषय बनाने वाले रूप का अभाव ।-तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर असत्कार्यवाद
तिर पर सदा हो जाता है । क्योंकि उपलब्धि योग्य को उपलब्धि विषय बनाने वाले रूप का पहले

एवं च न पूर्वोक्तदोष इत्याह—

मूलम्—तस्याश्चानेकरूपत्वात् परिणामित्वयोगतः ।

आत्मनो बन्धनत्वाच्च नोक्तदोषसमुद्भवः ॥४०॥

तस्याश्च कर्मप्रकृतेः अनेकरूपत्वात् एकानेकशयलस्यभावत्वात्, परिणामित्वयो-
गतः ज्ञानावरणादिविपाकपरिणामोपपत्तेः, एकरूपत्वं एवाऽनेककार्यजनकत्वाऽसंभवात् ।
आत्मनोऽन्योन्यानुप्रवेशेन बन्धनत्वात्=स्वरूपतिरोधायकत्वात्, कर्माऽऽत्मनोर्द्वयोरपि बन्धन-
वध्यस्वभावपरिणामात् तथोपपत्तेः, नोक्तदोषस्याऽनिर्मोक्षादेः समुद्भवोऽवकाशः ॥४०॥

अभाव और बाद में उस का भाव मानने पर ही उक्त बात कही जा सकती है । यदि यदि यह कहा जाय कि—'पट व्यापार के पूर्व कार्य के साथ द्वित्रय का विजातीय संयोग अथवा जित स्थान में कार्य की उपलब्धि होती है तत्स्थानावच्छेदेन द्वित्रयसन्निकर्षरूप व्यञ्जक का अभाव होने से कारण व्यापार के पूर्व कार्य की उपलब्धि नहीं होती—'तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस उत्तर में भी उक्त संयोग या सन्निकर्ष का पहले अभाव और बाद में भाव मानने से असत्कार्यभाव की आपत्ति होती है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि—'उक्त संयोग या सन्निकर्ष पहले भी सत् रहता है किन्तु व्यञ्जक प्राविर्भूत होने पर व्यक्त होता है'—क्योंकि उसके अविर्भाव के विषय में भी सत् और असत् का विकल्प उठ सकता है ।

यदि यह कहा जाय कि—कार्य स्थूल रूप से अवच्छिन्न होकर पहले नहीं रहता इसलिये पहले उसकी उपलब्धि नहीं होती और धर्म धर्मा में ऐक्य होने से कार्य के सूक्ष्म और स्थूल रूप में ऐक्य होने से अन्वस्था भी नहीं होती—तो यह कहना भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सूक्ष्मरूपावच्छिन्नकार्य की यदि ग्रहेतुक सत्ता जायगा तो कार्य सूक्ष्मरूप से किसी नियत देश ही में न रह कर अग्न्य देश में भी उसके अस्तित्व की आपत्ति होगी और यदि प्रकृतिमात्र को ही उसका हेतु माना जायगा तो कार्य की स्थूलत्व दशा में भी कार्य में सूक्ष्मता की आपत्ति होगी और उस सूक्ष्मता के कारण पहले के समान कारणव्यापार के बाद भी कार्य की उपलब्धि न हो सकेगी और सूक्ष्मरूपावच्छिन्न कार्य की ग्रहेतुक या प्रकृतिमात्र हेतुक मानने पर उसका कभी भी अभाव न हो सकने से उसका बन्धन बने रहने के कारण मोक्ष का अभाव हो जायगा इसलिये वस्तु को अनेकान्तात्मक मानकर ही उसके सत्त्व और असत्त्व का कपञ्चित उपपादन युक्तिसंगत हो सकता है । निष्कर्ष यह है कि बुद्ध्यादि का अभ्यवसाय ग्रहमर्थ आत्मा में होता है, अत एव उसे ग्रहमर्थ का धर्म मानकर ग्रहमर्थ में ही उसका समन्वय मानना उचित है । कर्म प्रकृति तो उस में निमित्त मात्र है ॥३९॥

[प्रकृतिस्थानीय कर्म से बन्ध और मोक्ष का सम्भव]

४० वीं कारिका में यह बताया गया है कि—संक्षयमत में आत्मा में संसारित्व और युक्तत्व की अनुपपत्तिरूप दोष जैन मत में नहीं हो सकता है । इस बात का उपपादन करते हुए कहा गया है कि कर्मप्रकृति अनेकरूप है अर्थात् एक अनेक स्थिर-अजित सत् असत् प्राणि रूपों से उस का स्वभाव गबल-बहुविध है । अतः उस में ज्ञानावरणादि के विपाकात्मक परिणामों की उप-

परः शङ्कते-

मूलम्-नामूर्तं मूर्ततां याति मूर्तं नापात्यमूर्तताम् ।

यतो बन्धाद्यतो न्यायादात्मनोऽसंगतं तथा ॥४१॥

न अमूर्तं=रूपादिसंनिवेशरहितम्, मूर्ततां=रूपादिमत्परिणतिम्, याति=आश्रयति, आका-
शादी तथाऽदर्शनात् । तथा मूर्तं=रूपादिमत्, अमूर्ततां अमूर्तपरिणतिम् न आयाति पर-
माण्वादिषु तत्तद्भावाऽसिद्धेः, अतः=यस्मादेवं न स्वरूपविपर्ययो भवति, अतः=अस्मात्,
न्यायात्=नियमात् तथा=कर्मप्रकृत्या आत्मनो बन्धाद्यसंगतम् ॥४१॥

अशोचरम्-

मूलम्-वेहस्पर्शादिसंघित्या न यात्येवेत्ययुक्तिमत् ।

अन्योन्यव्याप्तिश्च शेषमिति बन्धावि संगतम् ॥४२॥

देहे स्पर्शः कण्टकादिस्पर्शः उपघातहेतुपनिपातोपलक्षणमेतत्, आदिनाऽनुग्रह-हेतुप-
निपातसंग्रहः, तत्संघित्या=तज्जनितमुखदुःखानुभूत्या, 'न यात्येव अमूर्तं मूर्तताम्' इति प्राक्न-

पत्ति हो सकती है । यदि उस का कोई एक ही रूप माना जाता तब वह अनेक कार्यों की जन्मो
न होती । कर्मप्रकृति और आत्मा का एक दूसरे में अनुप्रवेश होने के कारण कर्मप्रकृति के द्वारा
आत्मा का बंधन आत्मा के सत्स्वरूप का तिरोधान भी हो सकता है, क्योंकि कर्म से बंधन
स्वभावानुसंग परिणाम और आत्मा में बहुस्वभावानुसंग परिणाम होता है । अतः कर्म को आत्मा
का बंधन और आत्मा को कर्म का बध्य होने में कोई बाधा नहीं हो सकती, इसलिये जैन मत
में आत्मा में संसार और मोक्ष के अभाव का प्रसंग नहीं हो सकता ॥४॥

[मूर्त और अमूर्त के अन्योन्य अपरिवर्तन की आशंका]

४१ वीं कारिका में कर्म और आत्मा के जैन सम्मत अन्योन्यानुप्रवेश सम्बन्ध में सांख्यवेत्ताओं
की यह शंका प्रदर्शित की गई है कि—

जो पदार्थ अमूर्त होता है, जिसमें रूप-स्पर्शादि का अस्तित्व नहीं होता वह पदार्थ मूर्त नहीं हो
सकता । रूप-स्पर्श आदि के बाध्यरूप में उसका परिणाम नहीं हो सकता । जैसा कि आकाशादि में
देखा जाता है । यह सर्वमान्य है कि आकाश आदि अमूर्त=रूपस्पर्शादिहीनपदार्थ कभी भी मूर्त रूप-
स्पर्शादि से युक्त नहीं होता । इसी प्रकार जो पदार्थ मूर्त होता है, रूपस्पर्शादि से युक्त होता है उसका
कभी अमूर्त परिणाम नहीं होता जैसे मूर्त परमाणु आदि में अमूर्त परिणाम कभी नहीं होता । इस
प्रकार अब यह सिद्ध है कि वस्तु के स्वरूप में वैपरीत्य नहीं होता तब आत्मा के स्वरूप में भी वैपरीत्य
की संभावना कैसे हो सकती है ? अतः कर्मप्रकृति से आत्मा का बंधनादि होता असंगत है ॥४१॥

[मूर्त-अमूर्त परिवर्तन की उपपत्ति]

४२ वीं कारिका में सांख्य की पूर्वोक्त शंका का उत्तर दिया गया है जो इस प्रकार है—वेह में
उपघातक कण्टक आदि का स्पर्श होने पर दुःखकी एवं अनुग्रह हेतुमूल माना चक्षुष आदि के स्पर्श से
सुखकी अनुभूति होती है, जिससे अमूर्त आत्मा का मूर्त होना सिद्ध है । अतः यह कथन कि—'अमूर्त

नानुपपन्नः, इति=एतत् अयुक्तिमत्=अनुभववाचितम् । 'घटादमंविचिबद् देहस्पर्शादिर्मंवि-
चिरात्मनोऽनन्मयन्वेऽप्युपपत्स्यत' इत्यत आह-इयं च=देहस्पर्शादिर्मंविचिश्च अन्योन्यव्यामिजा
गुह्य शुण्ठीद्रव्ययोरिव क्षीराऽऽत्मनोर्जात्यन्तरतावत्प्रभवा, प्रतिप्रतिकं तदनुभवात्, एका-
मावेऽप्यभावाच्च । युक्तं चेत्, अविभागदर्शनात्, नरत्वादेरेकनिष्ठत्वेऽतिप्रसङ्गात्, व्या-
सज्यवृत्तित्वे च परम्पापसिद्धान्तः, व्यासज्यवृत्तिजान्यनभ्युपगमात्, एकाश्रयत्वानुभववि-
रोधात्, क्षीराऽऽप्रत्यक्षेऽप्यन्धकारे नरत्वप्रतीत्यनुपपत्तेः । तदिदमाह भगवान् सम्मतकारः-

‘अग्नेः॥०॥ शुभ्रवर्णो भूः च तं यत्ति दिग्गणः॥३॥’

अहं बुद्ध-धाणियाणं जावंत विसेसपञ्जाया ॥ [सन्मति० गाथा ४७] ॥

अन्योन्यानुगतयोरात्म-कर्मणोर्दुग्ध-पात्रीययोरिव यावन्तो विशेषपर्यायास्तावन्तु ‘इदं
वा तद् वा इति’ विभजनभयवतम्, प्रमाणाभावात् । ‘एवं तर्हि ज्ञानादयोऽपि देहे स्युः, देहरूपा-
कभी घृतं नहीं होता’ अनुभव से धापित होने के कारण अनुमत है । यदि यह कहा जाय-‘जैसे आत्मा
में घटाविरूपता न होने पर भी उसकी घटावि का अनुभव होता है, उसी प्रकार देह स्पर्शादि न होने
पर भी देहस्पर्शादि का अनुभव आत्मा को हो सकता है । अतः आत्मा को देहस्पर्शादिमय मानकर
अमूर्त को मूर्त के रूप में परिणत होने की सिद्धि नहीं की जा सकती-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि
आत्मा को देहस्पर्शादि की अनुभूति होती है वह देह और आत्मा को एक दूसरे में व्याप्ति होने से ही
होती है अतः जैसे गुह्य और सूठ इन दोनों द्रव्यों का परस्पर में मिश्रण हो जाने पर ही एक में दूसरे
के धर्म की अनुभूति होती है उसी प्रकार देह और आत्मा का परस्पर में मिश्रण हो जाने पर ही एक
में दूसरे के धर्म की अनुभूति होती है, देह और आत्मा का परस्पर में मिश्रण अर्थात् आत्मा में देह
रूपता और देह में आत्मरूपता होने पर ही आत्मा में देहस्पर्शादि की अनुभूति हो सकती है ।

[सांख्यमत में देहात्म अविभाग को अनुपपत्ति]

यह इसलिये मानना आवश्यक है कि दोनों में दोनों के धर्मों की अनुभूति होती है और एक
के अभाव में दूसरे की अनुभूति नहीं होती और यही युक्तिसंगत भी है-क्योंकि देह और आत्मा में
अविभाग देखा जाता है ।

सांख्य मतमें देह और आत्मा का यह अविभाग नहीं उपपन्न हो सकता है क्योंकि नरत्व आदि
धर्मों को एकमात्रगत मानने पर दूसरे में उसका अनुभव मानने पर अतिप्रसङ्ग होगा और उभयवृत्ति
अर्थात् देह-आत्म उभयगत मानने पर अपसिद्धान्त होगा, क्योंकि सांख्य मत में व्यासवृत्ति जाती
नहीं मानी जाती है । नरत्व और आत्मत्व में ‘अहं नरः’ इस प्रकार एकाधिकरणता का अनुभव होता है
सांख्यमत में इसकी उपपत्ति नहीं हो सकती । एवं अन्धकार में शरीर का प्रत्यक्ष न होने पर भी नर-
त्व की प्रतीति होती है, सांख्यमत में इसकी भी उपपत्ति नहीं हो सकती । जंतुमत में इन प्रतियों की
संभावना नहीं होती क्योंकि देह और आत्मा का अग्रोन्मय मिश्रण होने के कारण आत्मा में देह धर्म
और देह में आत्मधर्म की अनुभूति होने में कोई बाधा नहीं होती । भगवान् सन्मतिकार ने इस बात
को ‘अग्नेः॥०॥’ इस गाथा से स्पष्ट किया है । गाथा का अर्थ इस प्रकार है—

१ अन्योन्यानुगतयोरिव वा तद् वेति विभजनभयवतम् । यथा दुग्धपात्रीययोरिवन्तो विशेषपर्यायाः ।

दयोऽप्यात्मनी'ति चेत् ? इष्टापत्तिः । तदाह—

‘रूपाद्वपञ्जवा जे देहे जीवद्विषमि सुद्धमि ।

ते अण्णोण्णाणुगया षण्णवाणञ्ज भवन्थमि ॥ १ ॥ इति । [मन्मति० ४८]

‘गौरोऽहं जानामि’ इत्यादिभिर्यस्तथैकोपपत्तेः, रूपादि-ह्यनादीनामन्योऽन्यानुप्रवेशेन कथाञ्चदेकत्वा-ऽनेकत्व-भूतत्वादिसमावेशात् । अत एव दण्डात्मादीनामेकत्वं अनेकत्वं च स्थानाङ्गो व्यवस्थितम् । तदाह—

“एवं एगे आया, एगे देहे अ होइ किरिया य ।

करणविसेसेण य निविहजोमासद्धी वि अविहद्धा ॥ १ ॥ [मन्मति० ४९]

नन्वेवमन्तर्हर्ष-विपादाद्यनेकविवर्तान्मकमेकं चैतन्यम्, बहिर्बाल-कुमार-यौवनाद्यनेका-

(अन्योन्यानुगत में विभाग की अप्रयुक्तता)

‘जो इन्द्र परस्पर में अनुगत होते हैं अर्थात् जिनमें परस्पर तावात्म्य होता है उनमें यह और वह एवं ये धर्म इसके और वे धर्म उसके’ इस प्रकार का विभाग युक्तिसंगत नहीं होता । जैसे दूध और पानी में जितने ही विशेष पर्याय होते हैं उन्हें दूध पर्याय और जलपर्याय इन दो वर्ग में विभक्त नहीं किया जाता है उसी प्रकार आत्मा और कर्म अन्योन्यानुगत होते हैं अतः उनके पर्यायों को भी वेह पर्याय और आत्मपर्याय के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के विभाजन में कोई प्रमाण नहीं होता ।

इस प्रसंग में यह आपत्ति उठाना कि—‘ऐसा मानने पर ज्ञान आदि वेह के धर्म हो जायेंगे और स्पर्शादि आत्मा के धर्म हो जायेंगे—’ यह टीका नहीं है, क्योंकि जैसा मत में यह बात मान्य ही है जैसा कि ‘रूपादिपर्यवा०’ आदि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि—‘वेह के रूप आदि पर्याय एवं जीवव्रत्य के पर्याय वेह और जीवव्रत्य के अन्योन्य अनुगत होने से जीवकी अवस्था दशा में एक दूसरे के धर्म रूप में मान्य है ।’ ऐसा मानने पर ‘गौरोऽहं जानामि’ इस रूप में वेह के धर्म गौररूप और आत्मा के धर्म ज्ञानका एक आश्रय में अनुभव हो सकता है । और यदि वेह और आत्मा का अन्योन्यानुबोध-परस्पर तावात्म्य न माना जायगा तो इस अनुभव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । वेह और आत्मा में अन्योन्यानुप्रवेश होने से रूप आदि वेह धर्म और ज्ञान आदि आत्मधर्मों में भी अन्योन्यानुप्रवेश तावात्म्यरूप होता है और उनके धर्म का अनुप्रवेश सामानाधिकरण्य या तो एकाश्रयनिष्ठरूप रूप होता है । अन्योन्यानुप्रवेश के कारण ही एक वस्तु में एकत्व अनेकत्व तथा भूतत्व अभूतत्व आदि धर्मों का कथञ्चित् समावेश होता है । इसलिये शास्त्राभिप्राय में भी आत्मा और दण्ड आदि में एकत्व और अनेकत्व का समावेश बताया गया है । जैसा कि “एवं एगे आया०” इस सम्मति सूत्र से भी स्पष्ट होता है । सूत्र का अर्थ यह है कि आत्मा स्वकपट्टि से एक होता है और दण्ड तथा क्रियासी सामान्य की दृष्टि से एक होता है किन्तु कारण विशेष से तीन प्रकार के योग की स्थिति में कोई विरोध नहीं होता इसलिये एक ही आत्मा और दण्ड आदि त्रितयात्मक हो जाता है ।

१ रूपादिपर्येषा ये देहे जीवव्रत्य सुद्धे । तेऽन्योन्यानुगताः प्रज्ञापनीया भवन्त्येव ॥

२ एवमेव आत्मा एका दण्डश्च भवति क्रियाऽपि । कारणविशेषेण च त्रिविधयोगसिद्धिरप्यविहद्धा ॥

वस्थान्मकमेकेश्वरमव्यक्तः संवेद्यत इत्यस्य विशेषः, बाह्याऽभ्यन्तरविभागमावादि'ति
 चेन् १ सत्यम्, आत्मभिन्नत्वाभ्यां ननुः २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

‘ण य बाहिरञ्चो मावो अन्तर्चो अ अन्ति ममयम् ।

णोर्द्वयं पुण पदुच्य होइ अन्तर्चविमो ॥ [मन्मति ५०]

सर्वस्यैव मूर्ताऽमूर्तादिरूपतयाऽनेकान्तात्मकत्वात् ‘अयं बाह्या, अयं चाभ्यन्तरः’ इति समये
 न वास्तवो विभागः । अभ्यन्तर इति रूपपदंशस्तु नोहन्द्रियं मनः प्रतीत्य, तस्याऽऽत्मपरिणति-
 रूपस्य पराऽप्रत्यक्षत्वात्, शरीर-बाह्योक्तिः । न च तद्वदेव तस्य परप्रत्यक्षत्वापत्तिः, इन्द्रिय-
 ज्ञानस्याशेषपदार्थस्वरूपग्राहकत्वाऽयोगात् । एवं च स्याद्वादोक्तिरेव युक्ता न तु परस्परनिरपेक्ष-
 नयोक्तिविना श्रोतृधीपविक्रमणानिमित्तम्, वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्वात् । तदाह—

(विवर्त्तो के बाह्याभ्यन्तरविभाग अनुपपत्ति की प्राशंका)

वेह और आत्मा में अन्धोन्धानुबोध मानने पर यह दाहका हो सकती है कि—‘एवं विधावावि
 अनेक आभ्यन्तर विवर्त्तो से अभिन्न एक चैतन्य है, और बाह्य-कीमायं, मोक्षनावि अनेकविधावस्थाओं
 से अभिन्न एक शरीर है यह जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह नहीं हो सकेगा । क्योंकि वेह और आत्मा
 एवं उनके विवर्त्त और अवस्थाओं में अन्धोन्धानुबोध मानने पर बाह्य और आभ्यन्तर का विभाग नहीं
 हो सकता ।’ किन्तु यह शंका केवल आपाततः उचित हो सकती है, क्योंकि आत्मा के भेदाऽभेद के
 कारण चैतन्यस्वरूप आत्मा के उक्त विवर्त्त और वेह को उक्त अवस्थाओं में बाह्य और आभ्यन्तर के
 अनुभाग न होने पर भी समोपग्राह्यत्व और समोपग्राह्यत्वाभाव रूप से बाह्याभ्यन्तर का व्यवहार हो
 सकता है । कहने का आशय यह है कि वेह और आत्मा के अन्धोन्धानुबोध होने से आत्मधर्म भी वेह-
 मत होने से बाह्य और वेहधर्म आत्मगत होने से आभ्यन्तर हो जाते हैं । अतः वेह और आत्मधर्म को
 बाह्य और आभ्यन्तररूप में विभक्त नहीं किया जा सकता । किन्तु हर्ष-विधावावि चैतन्य के विवर्त्तो
 का मानसज्ञान होता है और वेह की बाह्य कीमावावि अवस्थाओं का मानसज्ञान नहीं होता । अत एव
 मानसत्वरूप से उनका विभाग हो सकता है । और उस विभाग के आधार पर चैतन्य और वेह के उक्त
 प्रत्यक्षानुभव को उपपत्ति भी हो सकती है । जैसा कि—‘ण य बाहिरञ्चो’ इस गाथा में स्पष्ट किया
 गया है । गाथा का अर्थ यह है कि जैन प्रवचन में वेह और आत्मा के भावों का बाह्य और आभ्यन्तर
 इस प्रकार भेद नहीं होता है किन्तु नोहन्द्रिय-मनसे होने वाली प्रतीति और धर्मातीति के आधार पर
 उनमें जो बाह्य और आभ्यन्तर का व्यवहार होता है । जैन मत में सभी वस्तु पूर्ण और अपूर्ण भावि
 रूपसे अनेकान्त स्वरूप हैं । यह बाह्य भाव है, यह आभ्यन्तर भाव है—यह भावों का विभाग केवल
 प्रवचन का विषय है, वास्तव नहीं है । हर्षविधावावि आत्मधर्मों में जो आभ्यन्तर का व्यवहार होता
 है वह उनकी समोपग्राह्यता के कारण होता है । वे धर्म आत्मा के परिणाम रूप होने से शरीर और
 बाह्यी की तरह दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं होते । दूसरों को उनका प्रत्यक्ष न होना ही उन्हें बाह्य व्यवहार
 से संबन्धित कर आभ्यन्तर व्यवहार का पात्र बना देता है । शरीर और बाह्यी के समान हर्ष-विधा-
 वादि में परप्रत्यक्षत्व की प्राप्ति नहीं हो जा सकती है—क्योंकि परप्रत्यक्ष इन्द्रिय से होता है

१ न च बाह्यको भावोऽभ्यन्तरकभाति समये । नोहन्द्रियं पुनः प्रतीत्य अवस्थ्यभ्यन्तरविशेषः ॥

'दृक्वाङ्मयस्त आया बन्धः कर्म फलं च वेदः ।
 विद्यस्त भावमेतं न कुणः न य कोऽपि वेदः ॥ [सं०-४१]
 दृक्वाङ्मयस्त सो षेव कुणः सो षेव वेदः नियमा ।
 अणो करेऽ अणो परिभुजः पञ्जवणयस्त ॥ [सं०-४२]
 जे वयणिज्जविअप्पा संजुज्जतेसु होति एणसु ।
 ता ससमयवणवणा तित्थयरासायणा अण्णा ॥ [सं०-४३]
 पुरिसज्जायं तु पट्टञ्च जाणओ एणविज्ज अण्णयरं ।
 परिकम्मणानिमित्तं दाएढा सो विसेमं पि ॥ [सं०-४४]
 तस्माद् देहात्मनोऽन्योन्यास्त्यजैव देहस्पर्शादप्येवमित्तिरिति सिद्धम् ।
 इति हेतोः, दन्वादि संगतं=युक्तम् कार्यान्यथानुपपत्तेः ॥४२॥

श्रीर इन्द्रियजन्यज्ञान विशेषपरार्थ का ग्राहक नहीं होता है । इस प्रकार स्याद्वाच का मत ही युक्ति संगत है । जो कथन परस्पर निरपेक्ष नयमूलक होता है वह ओता की दृष्टि को व्युत्पत्त्याधान रूप निमित्त के सिता ग्राह्य नहीं हो सकता । क्योंकि वस्तु प्रत्येकान्तिक होती है और नय एकान्तदृष्टि- रूप होता है अतः यह अन्यनय से निरपेक्ष होकर वस्तु के यथावैयर्थ्य को प्रस्तुत नहीं कर सकता । अतः कि 'दृक्वाङ्मयः' आदि कारिकाओं में स्पष्ट है ।

कारिकाओं का अर्थ इस प्रकार है—द्रव्यास्तिक नय की दृष्टि से आत्मा कर्मबन्ध की उत्पन्न करता है और उसके फल का अनुभव भी करता है किन्तु पर्यायास्तिक नय की दृष्टि से आत्मा भावमात्र होता है वह अल्पकालिक होने से न धिरस्थायी कर्मबन्ध की उत्पन्न करता है न वही उसके फल का अनुभव करता है । द्रव्यास्तिक नय की दृष्टि से जो कर्म करता है नियम से वही फल का भोक्ता होता है, किन्तु पर्यायास्तिक नय की दृष्टि से कर्म करने वाला आत्मा दूसरा होता है और फल का भोक्ता दूसरा होता है क्योंकि कर्मकाल का आधिपत्याधिक योगकाल में नहीं रहता इसीलिये पर्यायमेव से आत्ममेव हो जाता है ।

द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक दोनों का आश्रय लेकर जो विकल्पवचन कहे जाते हैं उससे अर्थने सम्यक् प्रत्यक्षन का परिज्ञापन होता है, तीर्थकर का व्यवमान नहीं होता । उपवेष्टा को उपवेश्य पुरुष के प्रति उपयुक्त नयों में किसी भी नय के आधार पर वस्तु के स्वरूप का ज्ञापन करना

१ द्रव्यास्तिकत्वाऽऽद्या बन्तःति कर्म फलं च वेदयति ।

द्वितीयस्य साधनार्थं, न करोति न च कोऽपि वेदयति ॥४१॥

द्रव्यास्तिकस्य य एव करोति स एव वेदयति नियमात् । अन्यः करोत्यन्यः परिभुङ्क्ते पर्वणथस्थ ॥४२॥
 ये वचनीयधिकरूपाः संयुज्यमानयोर्भवन्त्येवयोः । सा स्वसमयप्रज्ञापना तीर्थकराणां तत्ताऽन्या ॥४३॥
 पुरुषजितं तु प्रतीत्य ज्ञायकः प्रज्ञापयेद्व्यतरत् । परिकर्मणानिमित्तं दृश्यैत् स विशेषमपि ॥४४॥

न च सहचारमाश्रयानादुक्तनियमोऽपीत्याह—

मूलम्-मूर्तयाऽप्यतमनो योगो घटेन नमसो यथा ।

उपवातादिभावश्च ज्ञानस्येव सुरादिना ॥४३॥

मूर्तयापि=प्रकृत्या आत्मनो गोः 'संभवति' इति हेतुः । इति ॥४३॥ अतः घटेन नमसः । 'घटेन संयुक्तमपि नमो न घटस्वभावतां यातीति न दोष' इति चेत् १ स संयोगः किं घटस्वभावः, नमःस्वभावः, उभयस्वभावः, अनुभयस्वभावो वा १ आधयोरुभयनिरूप्यत्वात्तु उपपत्तिः । तृतीये च वदतो व्यापातः, घटस्वभावसंयोगवत्तया नमसो घटस्वभावत्वात् । चतुर्थे त्वनुपाख्यत्वापत्तिः, इति न किञ्चिदेतत् ।

चाहिये किन्तु उत्पादनीय ज्ञान में सम्पत्कत्व का संपादन करने के लिये उसे विशेष-अन्यनय सम्मत् घात का भी उपवेश करना चाहिये ।

इस प्रकार यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि आत्मा को देह स्पर्शादि की अनुभूति देह और आत्मा की अन्योन्यव्याप्ति-एक में दूसरे के अनुप्रवेश से ही होती है । अतः कार्य की प्रकाशान्तर से उपपत्ति न होने के कारण जैनशास्त्रोक्त प्रकार से ही आत्मा में बन्ध और मोक्ष का होना युक्तिसंगत है ।

(मूर्त और अमूर्त के सम्बन्ध की उपपत्ति)

४३ वीं कारिका में यह बताया गया है कि—'दो वस्तुओं के केवल सहचारमक्षेत्र से उनके धर्मों की एक दूसरे में अनुभूति का निषमन नहीं बन सकता । किन्तु उसके लिये वस्तुओं का अन्योन्यात्मकत्व आवश्यक है—

कारिका का अर्थ इस प्रकार है—अमूर्त आत्मा का भी मूर्त प्रकृति के साथ सम्बन्ध हो सकता है, जैसे अमूर्त आकाश का घटके साथ । यदि कहा जाय कि—'आकाश घट से संयुक्त होकर भी घटस्वभाव नहीं होता इसलिये उनका सम्बन्ध तो वृद्धिगम्य है किन्तु प्रकृति और आत्मा का सम्बन्ध तो व्याप ऐसा मानते हैं जिस से आत्मा प्रकृतिस्वभाव बन जाता है । अतः प्रकृति और आत्मा के बीच अभिमत सम्बन्ध के अनुकूल यह दृष्टान्त नहीं हो सकता'—तो यह ठीक नहीं है क्योंकि दृष्टान्त और वाप्याख्यिक में पूर्णतया साम्य नहीं अपेक्षित होता । अतः प्रकृति और आत्मा में घट और आकाश का पूर्ण साम्य न होने पर भी 'मूर्त के साथ अमूर्त का सम्बन्ध संभव है' इस बात को अवगत कराने के लिये तो यह दृष्टान्त हो ही सकता है । घट आकाश के संयोग से जो आकाश को घटस्वभावता या घट को आकाशस्वभावता नहीं होती उसका कारण यह है कि उन दोनों का संयोग इसके लिये समर्थ नहीं है, जैसे घटाकाश संयोग के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि वह संयोग घटस्वभाव है या आकाशस्वभाव है अथवा घट-आकाश उभय स्वभाव है कि वा अनुभय स्वभाव है ? पहले दो पक्ष माध्य नहीं हो सकते क्योंकि उन पक्षों में वह संयोग घट-आकाश उभय से निरूप्य न हो सकेगा, क्योंकि घटस्वभाव आकाश से और आकाशस्वभाव घट से निरूप्य नहीं होता । और तृतीय पक्ष तो कथन मात्र से ही व्याहृत हो जाता है, क्योंकि यदि वह संयोग उभय स्वभाव होगा तो आकाश में घटस्वभावात्मक संयोग रहने से आकाश घट स्वभाव हो जायगा फिर घटाकाश के अभिन्न हो जाने से उभय का अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होगा । अतः संयोग को उभय स्वभाव कहना उपपन्न नहीं

‘अस्तु तद्धि नभसो घटादिनेव कर्मणा जीवस्य संबन्धः, ततोऽनुग्रहोपधानौ तु तस्य नमस्वदेव न’ इत्यत आह-उपधातादिभावश्च=उपधाताऽनुग्रहभावश्च भूतया अपि कर्म-प्रकृतेः सकाशात् सुरादिना=सुरा-ब्राह्मी-घृतादिना ज्ञानस्येव युक्तः, अज्ञाऽङ्गिभाव-लक्षणसंबन्धप्रयोजयत्वात् तस्येति भावः ।

ननु ‘सर्वमिदमात्मनोऽविभुत्वे संभवति, तदेव चाद्यापि न सिद्धिमिति चेत् ? न; शरीरनियतपरिमाणवत्त्वेनैवाऽऽत्मनोऽनुभवान्, मूर्तत्वसंशयस्य ज्ञानप्रामाण्यसंशयादिनोपपत्तेः । न च द्रव्यप्रत्यक्षत्वावच्छिन्ने हेतोर्महत्त्वस्याऽऽत्मनि सिद्धौ तस्यावयवमहत्त्वाद्यजन्यत्वेन नित्यत्वे ‘आत्मा विभुः, नित्यमहत्त्वात्, अकाशवत्’ इत्यनुमानात् तस्य लिङ्गत्वमेव सूत्रमिति वाच्यम् ; नित्यमहत्त्वेऽप्यपकृष्टपरिमाणवत्त्वे साधकाभावेनाऽप्रयोजकत्वात् । ‘अपकृष्टत्वे तस्य सकेना । शीघ्रा पक्ष भी प्राह्य न हो सकेगा, क्योंकि घट और आकाश का संयोग यदि घटस्वभाव एवं आकाश स्वभाव न होगा तो उस में किसी अन्य स्वभाव होने की कल्पना भी शक्य न होने के कारण वह असम्भवी होगी ।

इस प्रसङ्ग में शङ्का हो सकती है कि-जैसे घटादि के साथ आकाश का सम्बन्ध होने पर भी घटादि के अनुग्रह और उपधात का आकाश में कोई प्रभाव नहीं होता उसी प्रकार कर्मप्रकृति से जीव का सम्बन्ध होने पर भी उससे आत्मा में कोई अनुग्रह एवं उपधात नहीं होना चाहिये-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि कर्मप्रकृति के मूल होने पर भी उस में उपधात और अनुग्रह होता है इसलिये उसके सम्बन्ध से आत्मा में उपधात और अनुग्रह हो सकता है । इसको समझने के लिये मछादि का हृष्टान्त उदाहरण है । आशय यह है कि जैसे मनुष्य में मछ-एवं आली घृत आदि के सम्पर्क से उस का ज्ञान मद्य और घृत के बोध और गुणों से विकृत और संस्कृत होता है उस प्रकार कर्मप्रकृति के सम्बन्ध से आत्मा भी उस के उपधात और अनुग्रह से उपहत और अनुग्रहीत हो सकता है । यह उपधात और अनुग्रह प्रकृति और आत्मा में अङ्गाङ्गीभावक सम्बन्ध के नाते होता है और मूल प्रकृति उस का अङ्ग होती है । घटादि और आकाश में अङ्गाङ्गी भाव सम्बन्ध नहीं होता । अतः घटादि के उपधात और अनुग्रह से आकाश में उपधात और अनुग्रह नहीं होता । ऐसा मानने पर शङ्का हो सकती है कि-‘यह बात तभी युक्तिसङ्गत हो सकती है जब आत्मा को अविभु माना जाय, किन्तु अविभुत्व उस में सिद्ध नहीं होता अतः मूल प्रकृति और आत्मा के बीच विभक्त सम्बन्ध नहीं हो सकता’ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा में शरीर के समानपरिमाणता का अनुभव होता है । इसलिये आत्मा का अविभुत्व अनुभवसिद्ध है । इस अनुभव के होने पर भी जो कभी किसी को आत्मा के मूर्तरूप विषय में सन्देह होता है वह इस अनुभव में प्रामाण्य का सन्देह होने के कारण होता है । वस्तुतः उस में कोई मूर्तरूप का संशयास्पदक धर्म नहीं है ।

[आत्मविभुत्व की शंका का परिहार]

शङ्का हो सकती है कि-ग्रन्थ प्रत्यक्ष के प्रति महत्त्व कारण होता है अतः आत्मा के प्रत्यक्ष के अनुरोध से उस में भी महत्त्व मानना होगा । और वह महत्त्व अवयवगत महत्त्वादि से उत्पन्न न होने के कारण नित्य होगा । अतः नित्य महत्त्व से आत्मा में विभुत्व का इस प्रकार अनुमान हो जायगा

जन्यत्वापत्तिर्वाधिका, गगनमहत्वावधिकापकर्षस्य बहुत्वजन्यतावच्छेदकत्वादिति चेत् ? न, परमाणुपरिमाणसाधारणतयाऽस्य कार्यताऽनवच्छेदकत्वात्, त्रुटिमहत्वावधिकोत्कर्षेण समं साक्यात् तादृशजात्यसिद्धेश्च, वस्तुतः प्रदीपप्रभाया इवात्मनः संकोच-विकाशाभ्यां परिमाण-भेदस्याऽम्बुपगमेन सर्वथा नित्यमहत्वाऽसिद्धेश्च ।

कथं आत्मनो विभुत्वे स्पष्टिन्तु क्रियादिप्रतीतिः, तीर्थगमनादेरदृष्टहेतुत्वश्रवणादिकं चोपपादनीयम् ? । कथं आत्मनः सर्वगतत्वात् स्वशरीरादन्यत्रापि न ज्ञानाद्युत्पादः ? 'शरीरा-

कि-आत्मा विभु है क्योंकि वह नित्य महत्त्व का आश्रय है । जो नित्य महत्त्व का आश्रय है वह विभु होता है जैसे आकाश । अतः आत्मा को विभु मानना ही युक्त है । और इसी कारण आत्मा में शरीर के समानपरिमाणता का अनुभव भ्रम है । भ्रम से विषय की सिद्धि नहीं होती अतः आत्मा का भूतत्त्व असंभव है- किन्तु यह वाक्य ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा में नित्य महत्त्व होने पर भी उस में अपकृष्ट परिमाण मानने में कोई बाधा न होने से नित्य महत्त्व से विभुत्व का अनुमान अप्रयोजक है । 'आत्मा के परिमाण को अपकृष्ट मानने पर उसे अन्य मानना होगा, क्योंकि गगन के महत्त्व से अपकृष्ट परिमाण अवयवगत बहुत्व से अन्य होते हैं' यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि आकाश के महत्त्व से अपकृष्ट परमाणु के परिवर्तन में सापेक्षता प्रकट हो सकती है । और आकाशगत महत्त्व से घटावित महत्त्व में जो अपकर्ष होता है उसे जातिस्वरूप न मान सकने के कारण वह आकाशगत महत्त्व से अपकृष्ट सभी परिमाणों में अवयव बहुत्व की जन्यता का अवच्छेदक नहीं हो सकता । उक्त अपकर्ष को जातिस्वरूप इसलिये भी नहीं माना जा सकता कि-उस में त्र्यणुकगत महत्त्वावधिक उत्कर्ष के साथ साक्य हो जाता है । जैसे त्र्यणुकगत महत्त्वावधिक उत्कर्ष आकाश परिमाण में है किन्तु उस में आकाशगत महत्त्वावधिक अपरत्व नहीं है । एवं यह अपकर्ष परमाणु और त्र्यणुक के परिमाण में है किन्तु उस में त्र्यणुक महत्त्वावधिक उत्कर्ष नहीं है और घटावि में त्र्यणुक महत्त्वावधिक उत्कर्ष और आकाशमहत्त्वावधिक अपकर्ष दोनों विद्यमान हैं । अतः साक्य होने के कारण उक्त अपकर्ष के जातिरूप न हो सकने से उसे अवयवगत बहुत्व की जन्यता का अवच्छेदक मानना असंभव है । और सब बात तो यह है कि आत्मा का महत्त्व एकान्तरूप से नित्य हो भी नहीं सकता क्योंकि आत्मा प्रदीप की प्रभा के समान संकोच-विकाशशील है अतः उसका परिणाम परिवर्तित होता रहता है । और परिवर्तित होनेवाली वस्तु एकान्तनित्य हो नहीं सकती ।

आत्मा को विभु मानने में बाधक भी है और वह है आत्मा में क्रियावि की प्रतीति, जो आत्मा को विभु मानने पर नहीं उपपन्न हो सकती । इस के प्रतिरिक्त तीर्थगमनादि में शास्त्र जो पुण्यजनकता का प्रतिपादन करता है उस को भी उपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विभु का तीर्थगमन कैसे हो सकता है ? आत्मा अपने शरीर को छोड़ कर अन्य द्रव्य में जानाविमान नहीं होता । किन्तु यदि उसे सर्वगत माना जायगा तो यह बात न बन सकेगी क्योंकि जैसे अपने शरीर के साथ उसका सम्बन्ध होता है उसी प्रकार अन्य द्रव्यों के साथ भी उसका सम्बन्ध होता है ।

यदि यह कहा जाय कि-ज्ञानादि के प्रति शरीर कारण होता है अतः शरीर भिन्न द्रव्य में आत्मा जानाविमान नहीं होता-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर भी आत्मा को अन्य शरीर में

भावादिति चेत् ? न, अन्यशरीरस्य सत्वात् । 'स्वशरीराभावादिति' चेत् ? न, स्वसंपुक्त-
त्वेन तस्याऽपि स्वीयत्वात् । 'स्वाग्रहोपगृहीतशरीराभावादिति' चेत् ? तर्हि उपजीव्यत्वात्
अदृष्टस्यैव तद्विज्ञानादिहेतुत्वात् तस्य शरीरव्यापितयाऽऽत्मनस्तथात्वसिद्धिः । तदुक्तम्-
ॐ "यत्रैव यो दृष्टगुणः स तत्र" ? इत्यादि । अपि च, आत्मविस्तृत्ववादे ज्ञानादीनामव्याप्य-
वृत्तित्वादिकल्पने गौरवमिति न किञ्चिदेतत् । अधिकं न्यायाल्लोकादौ ॥४३॥

उपसंहारमाह—

एवं प्रकृतिवादोऽपि विज्ञेयः सत्य एव हि ।

कपिलोक्तसत्यतदर्थैव दिव्यो हि स महामुनिः ॥४४॥

ज्ञानाविमान् होने की भावना का परिहार नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय कि-तत्तद् आत्मा के
ज्ञानादि में तत्तद् आत्मा का ही शरीर कारण है-तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा के विभु
होने से सभी शरीरों में उसका सम्बन्ध होने के कारण शरीर का तत्तद् आत्मा के स्वशरीर और
पर शरीर के रूप में विभाग नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय कि-स्वशरीर का अर्थ है स्व के
अग्रहण से प्राप्त शरीर और परशरीर का अर्थ है स्व के अग्रहण से अप्राप्त शरीर, इस रूप में विभु
आत्मा का भी शरीरविभाग हो सकता है तो यह भी ठीक नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसा मानने पर
अग्रहण शरीर के विभाग का उपजीव्य होने के कारण तत्तद् आत्मा के अग्रहण की ही तत्तद् आत्मा के
ज्ञानादि का कारण मानना उचित होगा । और उस अग्रहण एक शरीर मात्र में ही व्याप्त होने के
कारण आत्मा का भी एक शरीर मात्र में ही व्याप्त होता उचित होगा । अतः आत्मा शरीर का
समपरिमाण हो सकता है, विभु नहीं हो सकता । पू- हेमचन्द्राचार्य महाराज ने अपनी अन्ययोग-

व्यवच्छेद द्वित्रिजिज्ञासा स्तुतिमें "यत्रैव यो दृष्टगुणः" इस कारिका से इस बात का समर्थन करते
हुए कहा है कि-जितने देश में जिसका गुण देखा जाता है उसने देश में ही उस का अस्तित्व
होता है । वैसे अतिरिक्त देश में उस का अस्तित्व मानने में कोई युक्ति नहीं होती । इस के
अतिरिक्त आत्मा के विभुत्व पक्ष में यह भी बोध है कि यदि आत्मा विभु होगा तो उसके ज्ञानादि
में अव्याप्यवृत्तित्व की कल्पना करनी होगी । क्योंकि विभु आत्मा के पूरे भाग में ज्ञानादि की उत्पत्ति
नहीं मानी जा सकती । और यदि मानी जायगी तो आत्मा से सम्बद्ध समस्त वस्तुओं में उसके फलाऽ-
फल की प्राप्ति होगी । अतः आत्मा के विभुत्व के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाता है वह सब नगण्य
है । इस विषय का विस्तृत विचार न्यायाल्लोक आदि ग्रन्थों में दृष्टव्य है ॥४३॥

(प्रकृतिवाद की सापेक्ष सत्यता का अनुमोदन)

प्रस्तुत विचार का उपसंहार करते हुए ४४ वीं कारिका में यह बताया गया है कि आहंता की
प्रवेकांत दृष्टि से विचार करने पर साध्य का प्रकृतिवाद भी सत्य सिद्ध होता है, मिथ्या नहीं । वह
मिथ्या हो भी नहीं सकता क्योंकि उपाधिक तथ का अवलोकन कर कापल मुनि ने प्रकृतिवाद के

ॐ 'कुम्भाविषमिषमिषमेतत् । तथापि देहादुद्यहिरात्मतत्त्वमतत्त्ववाद्योपहृताः पठन्ति ॥' इति शेषपादत्रयं
हेमचन्द्राचार्यविरचितसामान्ययोगव्यवच्छेदद्वित्रिजिज्ञासां दशो. ३ ।

एवम् उक्तप्रकारेण, हि=निश्चितम्, प्रकृतिवादीऽपि सत्य एव विज्ञेयः नानृतः, उपपन्नन्तरमाह-कपिलोक्तत्वनक्षैव=द्रव्याधिकनयावलम्बिकपिलप्रणीत्वाच्चैव । तेनाऽ-
नृत एवायं वाद उक्तो भविष्यतीत्यत आह-हि=यतः स महाशुनिः दिव्यः=अद्भुतशीला-
चरणशाली, अतो नानृतं ब्रूयात्, इति तस्याऽप्ययमेवाऽभिप्राय इति भावः ॥४४॥

सांख्यः । सख्यमिदमेव केवलं मन्यसे प्रकृतिजन्म यज्जगत् ।

आत्मनस्तु भगिनी विधर्मणः संख्यमेव भजदेवमावयोः ॥१॥

आन्मानं प्रवदोगतोममुष्मं विस्पष्टमाचष्ट यो

यः कर्मप्रकृतिं जगाद जगतां बीजं जगत्सर्म्भणे ।

नद्योऽन्धाविष दर्शनानि निखिलान्यायान्ति यदर्शने

तं देवं श्रुणु भजन्तु भविनः स्याद्वादविद्यानिधिम् ॥२॥

इति पण्डित श्री यज्ञविजयसोदरन्यायविशारदपण्डितशोषिजयविरचितायां
स्याद्वादकल्पलतामिधानायां सास्त्रवार्तासमुच्चयटीकायां तृतीयः स्तवकः संपूर्णः ॥

अभिप्रायः सूरैरिह हि महतो दर्शनततिर्निरस्या दूर्धर्षा निजमतसमाधानविधिना ।

तथाप्यन्तः श्रीमन्नयविजयविज्ञाहिभजने । न भगनापेक्ष्यन्ति न नियतमसाध्यं किमपि मे ॥१॥

यस्यामन् गुरवोऽत्र जीतविजयप्राज्ञाः प्रकृष्टाशया

प्राजन्ते सनया नयादिविजयप्राज्ञाश्च विद्याप्रदाः ।

प्रेम्णा यस्य च यच्च यच्चविजयो जातः सुधीः सोदर-

स्तेन न्यायविशारदेन रचिते ग्रन्थे मतिर्दीयताम् ॥२॥

समर्भक सांख्य शास्त्र की रचना की है । कपिल एक महान् मुनि है और अद्भुत शील और आचरण से संयुक्त है अतः वे मिथ्या नहीं कह सकते । इसलिए प्रकृतिवाद के संबंध में उन्होंने ने जो कुछ कहा है उसका भी वही श्रमिय मानना चाहिए जो कर्मप्रकृतिवादी चाहते महर्षियों का है ।

व्याख्याकार पू. उपा. यज्ञोविजयजी ने इस विचार का यह कहते हुए उपसंहार किया है कि-सांख्य से उनकी मित्रता केवल इस कारण है कि सांख्य भी उन्हीं के समान जगत् को प्रकृतिजन्म मानता है । किन्तु आत्मा के संबंध में उसने जो यह कहा है कि आत्मा निर्धर्मक होता है । उस विषय में उसके साथ हमारा वैचारिक संग्राम सदा चलता रहेगा ॥१॥ व्याख्याकार ने इस विचार के पर्यवसान में अपनी यह आकांक्षा प्रकट की है कि जिस देव ने आत्मा को अद्वैत स्पष्ट रूप में सांसारिक मोह के माय्य बताया है और जिस देव ने जीवमात्र के कल्याण मार्ग के उद्घाटनार्थ कर्मप्रकृति को जगत् का बीज बताया है एवं जिसके वर्णन में समुद्र में तबीरों के समान अग्न्य सभी वर्णों समाविष्ट हो जाते हैं-स्याद्वाद विद्या के महान् आश्रय उस देव की ही शरण में संसार के मध्य समुध्य को उपस्थित होना चाहिये ॥२॥

अभिप्रायः० इसकी व्याख्या पहले स्तवक में आ गयी है ।

तृतीय स्तवक संपूर्ण

पृष्ठांकः

८५	अक्षयः पुण्यस्त्वयं	[गीता ११-१५]
८७	एतस्य चाक्षरस्य०	[शृङ्गारण्यक० ३-८-३]
१२६	एवं एते आथा	[सम्प्रति०-४६]
७	कार्याऽऽयोजनभृत्यादेः	[व्यावकुसुमाञ्जलि ३-१]
४	कलेशकमेविराका०	[योगसूत्र १-२३]
४३	जे जहा मगधवा०	[]
१२८	जे वयमिष्टविषया	[सम्प्रतिसूत्र-४३]
१२७	या य धादिरजो माया०	[सम्प्रतिसूत्र-४०]
३०	तरनि मृदु	[]
११८	तस्मात्त वध्यते नापि	[सांख्यकारिका-१२]
१२७	वद्वद्विषय आथा	[सम्प्रतिसूत्र-४१]
१३	" जो चेव	[" -४२]
३	वशा मन्दन्तराणीह	[]
५३	निरयं विज्ञानं	[]
६३	निरालम्बा निराधारा	[योगशास्त्र ४-३८]
६६	प्रकृतेर्महान्ततो	[सांख्यकारिका-२०]
१२८	पुरिसाज्यां तु पञ्चकव०	[सम्प्रतिसूत्र-५४]
३	पूर्णं ज्ञानसहस्रं तु	[]
३	बीजाः सतसहस्राणि	[]
८६	मेवानां परिणामान्	[सांख्यकारिका-१४]
७	मयाव्यक्षेण प्रकृतिः	[गीता ९-१०]
३६	मूलप्रकृतिरविकृतिः	[सांख्यकारिका-३]
३३	यज्ञो व विष्णुः	[]
१३२	यज्ञैव यो हृष्टगुणः	[अन्य० उद्य०-१०-६]
३३	यजं दुष्टेन संभिन्नं	[]
१२६	रुपादपञ्चय जे देहे	[सम्प्रति० ४८]
४१	स तपोऽनघ्नत	[]
३६	समालोक्य क्षुब्धेऽपि	[]
२७	सर्ववृत्ता वृत्ति०	[]
३६	सर्वभावेण कर्तृत्वं	[बीतरागस्तोत्र ७-७]
१०७	सासा व दिया छाया	[निरीयभाष्य, प्रज्ञापना-भक्तविरिटीका]
७६	हेत्वमावे कलामावात्	[व्या० कु० ३-१८]

तृतीयस्तवके शुद्धिपत्रकम्

—*—

पत्र/पंक्ति	अशुद्धं	शुद्धं	पत्र/पंक्ति	अशुद्धं	शुद्धं
४/२	योगसू (२-४)	योगसूत्र (१-२३)	६४/२२	ईश्वर	ईश्वर
८/२१	कथोकि	कथोकि	६९/२७	तो जैसे	जैसे
९/५	वा	वा ।	७१/१६	के नहीं	के अदृष्ट से नहीं
९/३४	ज्ञारा	ज्ञाता	७१/२८	आत्मप्रवेश	आत्मप्रवेश
१७/१६	सहि	मृष्टि	७४/२६	मद्या	मद्या
१६/१७	असे	जैसे	७६/१२	कारीका	कारिका
२१/१८	छद्	छद्	८२/२	चतुर्थ	चतुर्थ
२२/१४	ईश्वर	ईश्वर	८२/१३	होत	होतो
३३/५०	निरूपण	निरूपण	८२/२६	भाषा	(१) भाषा
३९/२८	याजन	योजन	८२/३१	प्रशस्ति	प्रशस्त
४६/५	नित्यावस्थापि०	नित्यावस्थापि	८६/२७	लोकोक्ति	लोकोक्ति
५६/२	ईश्वरेच्छव	ईश्वरेच्छेव	८६/३६	पाठ धर्म	पाठ से धर्म
५४/४	तत्कारण	तत्कारण	९८/१०	प्रधान	प्रधान
५५/१	वच्छिन्नप्रज्ञा	वच्छिन्नप्रज्ञा०	१०४/२७	बुद्धि	बुद्धि से
५५/८	अज्ञातकारणानि०	अज्ञातकारणानि०	११३/६	व्यध	व्यधः
५६/२३	नुमति	अनुमति	१२०/१८	का	का
५६/३१	सकली	सकली	१२३/२	रथा	रथा
५६/३१	कत कर्म	कतकर्म			

